ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

ललिता मिंज एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

Cont. Case (Civil) No. 45 of 2015. Decided on 3rd February, 2017.

(क) झारखंड कल्याणकारी सेवा नियमावली, 2013—नियम 12 एवं 13—आज्ञापक विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होने के कारण प्रोन्नति से इनकार–नियमावली के अधीन अधिकथित पात्रता की आवश्यकता प्रोन्नति के ऐसे किसी प्रदान के मामले में अधित्यजित नहीं की जा सकती है क्योंकि यह विधि की आज्ञा है। (पैरा 8)

(ख) न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971—धारा 12—अवमान मामला–प्रोन्नति से संबंधित मामला–प्रशासनिक विधि में उच्चतर पद पर प्रोन्नति का दावा मान्य है भले ही डी॰ पी॰ सी॰ की तिथि पर व्यक्ति अधिवर्षित हो गया है यदि संबंधित व्यक्ति की सेवानिवृत्ति की तिथि के पहले की तिथि से कनिष्ठ को प्रोन्नति प्रदान की गयी है–किंतु, ये विवाद्यक न्यायालय की अवमान अधिकारिता के अंतर्गत नहीं हैं क्योंकि वे मामले के गुणागुण से संबंधित हैं–यद्यपि प्रत्यर्थीगण प्रक्रिया पूरा करने में विलंब के दोषी हो सकते हैं, याचीगण प्रोन्नति का दावा बतौर अधिकार नहीं कर सकते हैं–याचीगण को भुगतान किए जाने के लिए विरोधी पक्षकारों पर 10,000/- रुपयों का व्यय अधिनिर्णीत। (पैराएँ 9 एवं 10)

अधिवक्तागण.–Mr. Anil Kumar Sinha, For the Petitioners; Ms. Aparajita Bhardwaj, For the Opp. Parties.

आदेश

याचीगण के विद्वान वरीय अधिवक्ता तथा विरोधी पक्षकारों का प्रतिनिधित्व कर रहे राज्य के अधिवक्ता सुने गए।

2. दिनांक 19 अगस्त, 2014 के निर्णय के अनुपालन में, जिसके प्रवृत्त भाग का पठन निम्नलिखित है, विभाग ने कवायद की और याची सं॰ 2 अगपित टेटे सहित अनेक अधिकारियों को प्रोन्नत किया। याची सं॰ 1 एवं 3 को इस आधार पर प्रोन्नत नहीं किया गया था कि वे झारखंड कल्याणकारी सेवा नियमावली, 2013, दिनांक 2 अगस्त, 2013 को अधिसूचित, के नियम 11 के निबंधनानुसार वे आज्ञापक विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए थे। इसके अतिरिक्त, याची श्री इशदोर सोरेन 31 मार्च, 2015 को अधिवर्षित हो गया था जबकि याची श्रीमती ललिता मिंज 31 अगस्त, 2015 को अधिवर्षित हो गयी थी।

^^iokDr ifjfLFkfr;k e] fu;ekoyh o"k 2013 d vèkhu 'krk ,o fucèkuk d erkfcd ;kphx.k d dMj d ik= 0;fDr;k dh çkUufr d ekeyk ij fopkj dju d fy, lok fu;ekoyh o"k 2013 d fucèkuku lkj dkjokb dju d fy, jkT; d çR;Fkh çkfèkdkfj;k dk fun'k nuk lefpr çrhr gkrk gA

;g dguk vuko';d g fd ,lk djr g,] leLr ik= 0;fDr;k tk vko';d ekinM ,o 'kr ifji.k djr g ij vxy mPprj in ij çkUufr d fy,

fopkj fd;k tk,xk vkj ;fn ;kphx.k dk vU;Fkk ik= vkj vko';d vfèkdfFkr ekinM ifji.k djrk ik;k tkrk g] vU; ik= 0;fDr;k d lkFk mud ekeyk ij Hkh fopkj fd;k tk,xkA çR;Fkhx.k bl fu.k; d çfr dh çkfIr dh frfFk l pkj ekg dh vofèk d Hkhrj ,lk dk; djxA ;g dguk vuko';d g fd ,l dk; ij fuHkj jgr g, 0;fDr;k ftUg ik= ik;k x;k g ij leLr ikfj.kkfed ykHkk d lkFk vxy mPprj in ij çkUufr çnÙk dh tk,A

*fjV ;kfpdk fuiVk;h tkrh gA***

3. विरोधी पक्षकारों ने 14 सितंबर, 2016 को दाखिल विस्तारपूर्ण तृतीय पूरक कारण बताओ के रूप में कार्य को पूरा करने में विलंब का कारण स्पष्ट किया है। उनके अनुसार, प्रोन्नति की कवायद विचार किए जाने के क्षेत्र में व्यक्तियों द्वारा पात्रता मापदंड की परिपूर्णता तथा हिन्दी लेखन मौखिक हिन्दी, लेखा (किताब के साथ), लेखा (किताब के बिना) और विभाग विधिक (किताब बिना) जैसी विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनुध्यात करता है। नियमावली वर्ष 2013 के नियम 12 के निबंधनानुसार लोकायुक्त के कार्यालय से स्वच्छता प्रमाण पत्र और कैबिनेट निगरानी विभाग से अनापत्ति भी आवश्यक है। लोकायुक्त के कार्यालय ने दिनांक 4 फरवरी, 2015 के अपने पत्र के माध्यम से अपना प्रमाण पत्र संसूचित किया; निगरानी विभाग ने दिनांक 24 मार्च, 2015 के अपने पत्र के माध्यम से प्रमाणपत्र संसूचित किया और कार्मिक विभाग से रोस्टर अनापत्ति 30 अप्रिल, 2015 को प्राप्त की गयी थी। इन तथ्यों के कारण, विभागीय प्रोन्नति कमिटी के समक्ष विचार किए जाने के लिए आवश्यक आरंभिक प्रक्रिया ने कुछ समय लिया, केवल तत्पश्चात विभागीय प्रोन्नति कमिटी ने 25/26 अगस्त, 2015 को अपना बैठक किया। विभागीय प्रोन्नति कमिटी की अनुशंसा पर विचार करने पर प्रोन्नति की अधिसूचना अंततः 29 जनवरी, 2016 को जारी की गयी थी। सदस्य, राजस्व बोर्ड ने दिनांक 24 दिसंबर, 2015 के पत्र के माध्यम से सूचित किया कि प्रथम तथा द्वितीय अर्धवार्षिक विभागीय परीक्षा 2014 एवं 2015 राजस्व बोर्ड के राजपत्रित अधिकारियों के लिए झारखंड राज्य में समस्त पाँचों कमिश्नरी मुख्यालय में जनवरी 2016 की तिथि 16 एवं 22 के बीच नियत की गयी थी। समस्त तत्कालीन सब-डिविजनल कल्याण अधिकारी को विभागीय परीक्षा में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था और आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि 5 जनवरी, 2016 थी। इन परिस्थितियों में, याची सं० 1 एवं 3 जैसे कुछ व्यक्ति अधिवर्षित हो गए। अतः विरोधी पक्षकार इस न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करने के दोषी नहीं हैं।

4. याचीगण के विद्वान वरीय अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि विरोधी पक्षकारों की ओर से दिनांक 19 अगस्त, 2014 के निर्णय की तिथि से चार माह की अवधि के भीतर कार्य पूरा करने में विफलता के लिए कोई उल्लेखनीय स्पष्टीकरण नहीं है। यह निवेदन किया गया है कि प्रोन्नति की अधिसूचना भी दर्शाती है कि उनको जो विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए थे छह माह का समय अनुज्ञात किया गया है। विरोधी पक्षकारों की ओर से ढिलाई एवं विलंब ने याची सं० 1 एवं 3 को प्रोन्नति के बहुमूल्य अधिकार से वंचित किया है। अभिप्रायात्मक प्रोन्नति के लिए इन याचियों के मामले पर भी विचार किया जा सकता था जो उन्हें कम से कम बढ़ाए गए सेवानिवृत्ति लाभों का लाभ लेने के लिए सक्षम बनाता।

5. मैंने पक्षों के निवेदन पर विचार किया है और अभिलेख पर मौजूद प्रासंगिक सामग्री का परिशीलन किया है। उक्त उद्धृत दिनांक 19 अगस्त, 2014 के आदेश का प्रवृत्त भाग दर्शाता है कि राज्य के प्रत्यर्थी प्राधिकारियों को प्रोन्नति के लिए याचीगण के कैडर के पात्र व्यक्तियों के मामलों पर विचार

करने के लिए सेवा नियमावली, 2013 के निबंधनानुसार कृत्य करने का निर्देश दिया गया था। निश्चय ही, निर्णय की प्रति की प्राप्ति की तिथि से चार माह की समयावधि में विरोधी पक्षकारों द्वारा कार्य पूरा नहीं किया गया था जिसके लिए इस न्यायालय के समक्ष समय के विस्तारण की प्रार्थना नहीं की गयी थी। वर्तमान अवमान याचिका स्वयं 3 फरवरी, 2016 से लंबित है।

6. विरोधी पक्षकारों ने अपने कारण बताओ में विशेषत: तृतीय पूरक कारण बताओ में, जब उनसे विलंब का कारण स्पष्ट करने के लिए कहा गया था, प्रोन्नति का कार्य पूरा करने की ओर ले जाने वाली घटनाओं का क्रम दिया है जिसने याची सं॰ 1 एवं 3 को प्रोन्नति प्रक्रिया से बाहर छोड़ दिया। इसका एक कारण प्रारंभिक प्रक्रिया पूरा करने में विलम्ब होना हो सकता था। इस बीच, याची सं॰ 1 एवं 3 दिनांक 31 अगस्त, 2015 तथा 31 मार्च, 2015 को सेवानिवृत हो गए थे। यदि प्रक्रिया विहित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाता, ऐसे व्यक्तियों के मामलों पर भी विचार होता।

7. किंतु इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि यदि ऐसा कार्य जो कैबिनेट निगरानी विभाग एवं कार्मिक विभाग जैसे अनेक विभागों से अनापत्ति की प्रति अंतर्ग्रस्त करता है, फाइलों का आवागमन पर्याप्त समय लेता है। यह पूर्णत: कल्याण विभाग के विरोधी पक्षकार अधिकारियों के नियंत्रण के भीतर नहीं हो सकता है।

8. नियमावली के अधीन अधिकथित पात्रता की आवश्यकता भी प्रोन्नति की ऐसी प्रक्रिया के मामले में अधित्यजित नहीं की जा सकती है क्योंकि यह विधि की आज्ञा है। इसके परिणामस्वरुप, याची सं॰ 1 एवं 3 रेस में छूट गए प्रतीत होते हैं और स्वाभाविकत: व्यथित है। किंतु, प्रोन्नति प्रक्रिया में वे, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया गया था, उस तिथि पर सेवा में थे जब विभागीय प्रोन्नति कमिटी की बैठक की गयी थी।

9. प्रशासनिक विधि में, उच्चतर पद पर प्रोन्नति का दावा मान्य है भले ही विभागीय प्रोन्नति कमिटी की तिथि पर व्यक्ति अधिवर्षित हो गया है यदि संबंधित व्यक्ति की सेवानिवृत्ति की तिथि के पहले की तिथि से कनिष्ठ को प्रोन्नति दी गयी है। किंतु यहाँ ऐसा मामला नहीं है। किंतु ये विवाद्यक न्यायालय की अवमान अधिकारिता के अंतर्गत नहीं है क्योंकि वे मामले के गुणागुण से संबंधित हैं। अवमान अधिकारिता के प्रयोग में, यह देखा जाना है कि क्या विरोधी पक्षकारों की कार्रवाई अथवा लोप आदेश की जानबूझ कर अवज्ञा है। उस आधार पर, केवल यह कहा जा सकता है कि विरोधी पक्षकारों ने 2013 नियमावली के अधीन विधि की आज्ञा तथा रिट याचिका में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्देश के बावजूद कठोर समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने का प्रयास एवं सम्यक तत्परता नहीं किया था। किंतु, यद्यपि पूर्वोक्त परिस्थितियों में, प्रत्यर्थीगण कार्य पूरा करने में विलंब के दोषी हो सकते हैं, याची सं॰ 1 एवं 3 बतौर अधिकार प्रोन्नति का दावा नहीं कर सकते हैं।

10. अत: ऊपर दर्ज तथ्यों एवं कारणों की संपूर्णता पर विचार करने पर, अवमान याचिका निपटायी जाती है किंतु, इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तिथि से चार सप्ताह की अवधि के भीतर समान अनुपात में याची सं॰ 1 एवं 3 को भुगतान किए जाने के लिए विरोधी पक्षकारों पर 10,000/- रुपयों के व्यय के साथ।

ekuuh; MkW ,l ,uW ikBd] U;k;efr

भगिया मोस्मात उर्फ भागीरथी देवी एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr. M.P. No. 593 of 2016. Decided on 24th November, 2016.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 147, 148, 341, 323, 307 एवं 504—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—हत्या का प्रयास एवं घोर उपहति–सूचक के परिवारों पर प्रहार के अपराध के लिए संज्ञान लेने वाले आदेश सहित संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अभिखंडित करने के लिए याचिका–वर्तमान मामला याचीगण द्वारा दर्ज प्राथमिकी के विरोध में है और याचीगण जमानत पर हैं–अभिलेख पर मौजूद सामग्री से यह प्रतीत होता है कि याचीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है और संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं, इस दशा में संज्ञान लेने वाले आदेश में हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है–रिट याचिका खारिज। (पैराएँ 3 से 5)

अधिवक्तागण.–Mr. Vijay Kumar Roy, For the Petitionrs; Mr. Mukesh Kumar, For the State.

आदेश

याचीगण ने बरकथा पी॰ एस॰ केस सं॰ 76 वर्ष 2015, जी॰ आर॰ केस सं॰ 3011 वर्ष 2015 के तत्सम (बाद में टी॰ आर॰ सं॰ 2692 वर्ष 2015) में न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 20.11.2015 के संज्ञान लेने वाले आदेश और दिनांक 1.2.2016 को जारी समन, जिसके द्वारा याचीगण को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147, 148, 341, 323, 307, 504 के अधीन उपस्थिति का निर्देश दिया गया है और संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन इस न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का अवलंब लेते हुए इस अभिखंडन आवेदन को दाखिल किया है।

2. संक्षेप में मामले का संक्षिप्त इतिहास यह है कि किसी लक्ष्मण प्रसाद ने बरकथा पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी के समक्ष अपना फर्दबयान/लिखित कथन उसमें यह कथन करते हुए दिया है कि दिनांक 12.7.2015 को उसकी पत्नी मुन्नी देवी मकई के खेत में काम कर रही थी और लोकनाथ प्रसाद का पुत्र दैनिक कर्म से निबटने जा रहा था जिसपर सूचक की पत्नी द्वारा आपत्ति की गयी थी, जिसपर लोकनाथ प्रसाद उसकी पत्नी तथा परिवार के अन्य सदस्य उसको गाली देने लगे। इस बहाना पर दोनों परिवारों के बीच झगड़ा शुरू हुआ और फुलवा देवी के परिवार ने पत्थर फेंकना शुरू किया और लाठी, कुल्हाड़ी की उपहति भी आयी थी और यह भी अभिकथित किया गया था कि सूचक को गंभीर परिणाम की धमकी दी गयी थी।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री विजय कुमार रॉय ने प्राथमिकी के आधार पर दांडिक कार्यवाही की निरंतरता में संज्ञान के आदेश का विरोध करते हुए निवेदन किया कि याचीगण निर्दोष है और उन्हें झूठा आलिप्त किया गया है और बाद में उन्होंने विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, हजारीबाग के समक्ष आत्मसमर्पण किया है और उन्हें जमानत प्रदान किया गया था। यह निवेदन भी किया गया था कि बाद में अन्वेषण अधिकारी द्वारा समस्त याचीगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147, 341, 323, 307, 504 के अधीन आरोप पत्र दाखिल किया गया है। विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि संज्ञान लेने वाला आदेश विधि में दोषपूर्ण है क्योंकि वे पहले से ही जमानत पर हैं। यह कथन भी किया गया था कि वर्तमान मामला याचीगण द्वारा दर्ज प्राथमिकी के विरोध में है। किंतु, अन्वेषण अधिकारी

द्वारा इन समस्त तथ्यों को विचार में नहीं लिया गया था और केवल याचीगण को परेशान करने की दृष्टि से भारतीय दंड संहिता की धारा 307 भा॰ दं॰ सं॰ की अन्य सहयोगी धाराओं के अधीन आरोप पत्र दाखिल की गयी है और भा॰ दं॰ सं॰ की अन्य सहयोगी धाराओं के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन अपराध का संज्ञान लिया गया है जो विधि में दोषपूर्ण है और इस दशा में संपूर्ण दांडिक कार्यवाही तथा संज्ञान लेने वाले आदेश के अभिखंडन की प्रार्थना की गयी है।

4. दूसरी ओर, विद्वान अपर लोक अभियोजक ने संज्ञान लेने वाले आदेश का समर्थन किया और संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अभिखंडित करने की याचीगण की प्रार्थना का विरोध किया और निवेदन किया कि याचीगण की आपराधिता दर्शाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है और मात्र इस आधार पर कि याचीगण जमानत पर थे, संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अभिखंडित नहीं की जा सकती है।

5. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि याचीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है और संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है और इस दशा में, संज्ञान लेने वाले आक्षेपित आदेश में कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है और समेकित प्रभाव के चलते दांडिक विविध याचिका गुणागुण रहित है, इसे एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

6. किंतु, याचीगण को विचारण में अथवा कार्यवाही में समुचित चरण पर इन समस्त बिंदुओं को उठाने की छूट होगी।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

मेसर्स सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड

cuke

मुनि राना एवं अन्य

W.P. (L) No. 1025 of 2008. Decided on 2nd February, 2017.

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947—धारा 33C (2)—दावा का न्याय निर्णयन–श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण का कार्य स्वयं के लिए नहीं ले सकता है और दावा ग्रहण नहीं कर सकता है जो विद्यमान अधिकार पर आधारित नहीं है किंतु जिसे औ॰ वि॰ अधिनियम की धारा 10 के अधीन निर्देश में औद्योगिक विवाद का विषयवस्तु समुचित रूप से बनाया जा सकता है–संबंधित कर्मकारों के अधिकार के किसी पूर्व न्यायनिर्णयन के बिना, अवकाश नगदकरण का दावा अनुज्ञात करने वाला श्रम न्यायालय का आदेश धारा 33-C (2) के अधीन प्रदत्त अधिकारिता के उल्लंघन के तुल्य है–आक्षेपित निर्णय अंशतः अभिखंडित। (पैराएँ 5 से 7)

निर्णयज विधि.–(2005)8 SCC 58—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Anoop Kr. Mehta, Amit Kr. Sinha, For the Petitioners; M/s Ajit Kumar, Kumar Sundaram, For the Respondents.

आदेश

याची के विद्वान अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी कर्मकारों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33C (2) के अधीन कार्यवाही में विद्वान पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, हजारीबाग ने एम॰ जे॰ केस सं॰ 5/02 में दिनांक 27.1.2005 के आक्षेपित

आदेश (परिशिष्ट–4) द्वारा यह अभिनिर्धारित करने के लिए अग्रसर हुआ कि आवेदक कर्मकार परिशिष्ट 3 पर दिनांक 30.8.1990 के क्रियान्वयन अनुदेश सं॰ 23 की दृष्टि में 180 दिनों के अवकाश नगदकरण राशि का हकदार है जिसका पठन निम्नलिखित है:–

^^;g fofuf'pr fd;k x;k Fkk fd ,u0 lh0 Mh0 lh0 fu;ekoyh d erkfcd lok 'krk ,o fo'k"kkfèkdkjk }kjk 'kkflr dedkj lokfuofÙk] eR;] R;kxi= ,o efMdy vLoLFkrk dh fLFkfr e 180 fnuk rd vodk'k lp; djuk vkj Hkukuk tkjh j[kxA ; mu dedkjk ij ykx gkrk g ftUg 1.10.1956 ,o 14.8.1967 d chp fu;Dr fd;k x;k Fkk vFkok tk ekfld dMj e vk x, FkA

*çcèku l mDr fu.k; fØ;kfUor dju d fy, vko';d dkjokb dju dk vujkèk fd;k tkrk gA***

3. विवाद था कि क्या वर्तमान क्रियान्वयन अनुदेश सं॰ 23 वर्तमान कर्मकार/प्रत्यर्थी पर लागू होता है या नहीं। प्रबंधन के अनुसार, सेवानिवृत्ति, मृत्यु, त्यागपत्र और मेडिकल अस्वस्थता की स्थिति में 180 दिनों तक अवकाश जमा करने तथा नगदकरण का लाभ उन कर्मकारों पर लागू होता है जो 1.10.1956 तथा 14.8.1967 के बीच नियुक्त हुए थे अथवा मासिक कैडर में आए थे। वर्तमान मामले का अविवादित तथ्य दर्शाता है कि आवेदक कर्मकार को हेल्पर कोटि II के पद पर दैनिक मजदूर के रूप में 18.1.1959 को नियुक्त किया गया था। उसे 19.12.1959 के प्रभाव से ऑपरेटर ग्रेड I के रूप में और तत्पश्चात दिनांक 20.3.1973 के कार्यालय आदेश द्वारा 1.3.1973 के प्रभाव से 245-440/- रुपयों के मजदूरी बोर्ड वेतनमान में चार्जमैन के पद पर प्रोन्नत किया गया था। प्रबंधन ने स्पष्ट अभिवचन किया कि आवेदक कर्मकार चार्जमैन के रूप में प्रोन्नति के रूप में 1.3.1973 को मासिक वेतनमान में आया था। किंतु विद्वान श्रम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 18.1.1959 को नियुक्त तथा 19.12.1959 को ऑपरेटर के रूप में प्रोन्नत आवेदक कर्मकार को क्रियान्वयन अनुदेश सं॰ 23 के मुताबिक अवकाश नगदकरण के लाभों का हकदार माना जाएगा। न्याय निर्णीत किए जाने के लिए स्पष्ट विधिक विवाद्यक यह था कि क्या दिनांक 30.8.1990 का क्रियान्वयन अनुदेश सं॰ 23 उसमें प्रयुक्त अभिव्यक्ति की व्याख्या पर वर्तमान आवेदक के मामले पर लागू होता है। किंतु विद्वान श्रम न्यायालय ने कर्मकार के पक्ष में मत दिया कि चूँकि आवेदक वर्ष 1959 में नियुक्त किया गया था, वह 180 दिनों के अवकाश नगदकरण का हकदार है।

4. औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33C (2) के प्रावधानों के अधीन कर्मकार केवल धारा 33A के अधीन परिवाद अधिकरण द्वारा न्यायनिर्णीत किए जाने के बाद अथवा औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 के अधीन निर्देश पर अग्रसर हो सकता है। धारा 33C (2) निष्पादन कार्यवाही की प्रकृति में है जिसमें श्रम न्यायालय नियोक्ता से कर्मकार को देय धन की राशि संगणित करता है अथवा यदि कर्मकार किसी लाभ का हकदार है धन के निबंधनानुसार संगणित किए जाने योग्य है, धन के निबंधनानुसार लाभ संगणित करने के लिए अग्रसर होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **उ॰ प्र॰ राज्य एवं एक अन्य बनाम बृजपाल सिंह, (2005)8 SCC 58,** में निम्नलिखित मत दिया है:–

^^ijk 10:—;g lfuf'pr g fd dedkj doy èkkjk 33A d vèkhu ifjokn ij vfèkdj.k }kjk U;k;fu.k;u d ckn vFkok èkkjk 10 d vèkhu fun'k ij vxlj gk ldrk g fd mUekpu vFkok c[kkLrxh dk vkn'k U;k;kfpr ugh Fkk vkj ml vkn'k dk vikLr dj fn;k g vkj dedkj dk iucgky fd;k gA bl U;k;ky; u itkc chojt t (çk0) fy0 cuke lj'k pn e vfHkfuèkkfjr fd;k g fd èkkjk 33 C (2) d vèkhu dk;okgh fu"iknu dk;okgh dh çÑfr e g ftle Je U;k;ky;

fu;kDrk l dedkj dk n; èku dh jkf'k lxf.kr djrk g vFkok ;fn dedkj fdlh ykHk dk gdnkj g tk èku d fucèkuk e lxf.kr fd, tkus ;kX; g] èku d fucèkuk e ykHk lxf.kr dju d fy, vxlj gkrk gA vkx vxlj gkr g, bl U;k;ky; u vfHkfuèkkfjr fd;k fd èku dk vfèkdkj ftl lxf.kr fd;k tkuk bfllr fd;k tkrk g] vFkok ykHk ftl lxf.kr fd;k tkuk bfllr fd;k tkrk g] fo|eku vfèkdkj gkuk gkxkA vFkkr igy gh U;k;fu.khr vFkok çkoèkkfur fd;k x;k vkj bl vk|kfxd dedkj ,o mld fu;kDrk d chp lcèk d Øe e vkj lcèk e mnHkr gkuk gkxkA bl U;k;ky; u vkx fuEufyf[kr vfHkfuèkkfjr fd;k (SCC p 150 ijk 4)

*^^èkkjk 33C (2) d vèkhu vfèkdkfjrk dk ç;kx dju okyk Je U;k;ky; vk|kfxd vfèkdj.k d dk;k dk èkkj.k dju vkj nkok xg.k dju d fy, l{ke ugh g tk fo|eku vfèkdkj ij vkèkkfjr ugh g fdr ftl vfèkfu;e dh èkkjk 10 d vèkhu fun'ke vk|kfxd fookn dk fo"k; oLr lefpr :i l cuk;k tk ldrk gA***

5. सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि धन जिसे संगणित किया जाना इप्सित किया जाता है का अधिकार अथवा लाभ जिसे संगणित किया जाना इप्सित किया जाता है का अधिकार विद्यमान अधिकार होना होगा अर्थात् पहले ही न्याय निर्णीत अथवा प्रावधानित किया गया और इसे औद्योगिक कर्मकार तथा उसके नियोक्ता के बीच संबंध के क्रम में अथवा संबंध में उद्भूत होना होगा। माननीय न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया है कि धारा 33C (2) के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करने वाला श्रम न्यायालय स्वयं के लिए औद्योगिक अधिकरण का कार्य नहीं ले सकता है और दावा ग्रहण नहीं कर सकता है जो विद्यमान अधिकार पर आधारित नहीं है किंतु जिसे अधिनियम की धारा 10 के अधीन निर्देश में औद्योगिक विवाद का विषय वस्तु बनाया जा सकता है।

6. याची के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया है कि क्रियान्वयन अनुदेश सं॰ 23 के अधीन अवकाश नगदकरण की आवेदक की हकदारी के प्रति ऐसे विधिक विवादित विवाद्यक का न्याय निर्णयन एकमात्र मामले तक सीमित नहीं है और इसका कर्मचारियों की विशाल संख्या पर प्रभाव होगा और प्रबंधन पर सारवान वित्तीय भार आवश्यक बनाएगा।

7. ऐसी परिस्थितियों में, संबंधित कर्मकार के अधिकार के पूर्व न्याय निर्णयन के बिना, उसको 1.10.1956 से 14.8.1967 के बीच नियुक्त किया गया अथवा मासिक कैडर के अंतर्गत आने वाला मानते हुए 180 दिनों के अवकाश नगदकरण का दावा अनुज्ञात करने वाला श्रम न्यायालय का आदेश संबंधित श्रम न्यायालय पर अधिनियम की धारा 33C (2) के अधीन प्रदत्त अधिकारिता के उल्लंघन के तुल्य है। अत:, इस न्यायालय का दृष्टिकोण है कि आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है। **डब्लू॰ पी॰ (एल॰) सं॰ 1092 वर्ष 2014** में **श्री सी॰ एच॰ बापा राव उर्फ सी॰ एच॰ बप्पा राय एवं अन्य बनाम इंडियन स्टील एन्ड वायर प्रोडक्ट लि॰** मामले में पारित इस न्यायालय के दिनांक 26.7.2016 का निर्णय निर्दिष्ट किया जा सकता है। तद्नुसार, दिनांक 27.1.2005 का आक्षेपित आदेश जहाँ तक यह 180 दिनों के अवकाश नगदकरण के प्रति कर्मकार की हकदारी से संबंधित वर्तमान विवाद्यक पर न्याय निर्णयन से संबंधित है, विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है और तद्नुसार अभिखंडित किया जाता है।

8. यह रिट याचिका यहाँ उपर उपदर्शित तरीके में और सीमा तक अनुज्ञात किया जाता है।

ekuuh; çeFk iVuk;d] U;k;efr

डॉ॰ एस॰ के॰ मुखर्जी

cuke

बिरसा कृषि विश्वविद्यालय एवं अन्य

W.P. (S) No. 1059 of 2015. Decided on 20th January, 2017.

सेवा विधि–वेतनमान–नियतिकरण–62 वर्ष की आयु तक सेवानिवृत्त होने के याची द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प के मुताबिक, याची का वेतनमान 3000-5000 रुपया पर नियत किया गया था–याची सेवानिवृत्ति के 23 वर्ष बाद 23 वर्ष तक किसी आपत्ति के बिना सेवानिवृत्ति की तिथि पर प्राप्त वेतनमान के मुताबिक पेंशन प्राप्त करता रहा–पुनरीक्षित वेतनमान का विरोध करने के लिए याची द्वारा अत्यधिक विलंब हुआ था–दावा सही प्रकार से अस्वीकार किया गया–रिट याचिका खारिज। (पैराएँ 7 एवं 8)

निर्णयज विधि.–(2008)10 SCC 115; (2010)2 SCC 59—Relied.

अधिवक्तागण.–Mrs. Indrani Sen Choudhary, For the Petitioner; M/s A. Allam, Nehala Sharmin, For the Resp. nos. 1 to 4; M/s Anil Kumar, Ashutosh Kumar Singh, Chandana Kumari, For the Resp. No. 5.

प्रमथ पटनायक, न्यायमूर्ति.–संलग्न रिट आवेदन में याची ने अन्य बातों के साथ विलंब के आधार पर याची का अभ्यावेदन अस्वीकार करते हुए दिनांक 23.5.2014 के आक्षेपित आदेश (परिशिष्ट–9)अभिखंडित करने के लिए प्रार्थना किया है और इसके अतिरिक्त निचले वेतनमान में याची का वेतन नियत करने वाले दिनांक 6.11.2012 के आदेश (परिशिष्ट 5) को अभिखंडित करने के लिए और विलंबित भुगतान के लिए 10 प्रतिशत ब्याज के साथ वेतन बकाया एवं पेंशन के सही नियतिकरण के लिए निर्देश के लिए आगे प्रार्थना की गयी है।

2. जैसा रिट आवेदन में प्रकथन किया गया है, संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि आरंभ में याची ने वर्ष 1974 में पद ग्रहण किया और सहायक प्रोफेसर के पद के विरुद्ध विश्वविद्यालय सेवा में आमेलित किया गया था। वेतन नियतिकरण के परिणामस्वरुप, विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 20 मार्च, 1987 के मेमो के तहत दिनांक 1.4.1975 के प्रभाव से 1200-1900 के यू॰ जी॰ सी॰ चयन ग्रेड वेतनमान में उसका वेतन नियत किया गया था और वह अधिवर्षिता की आयु अर्थात् 62 वर्ष प्राप्त करने पर दिनांक 30.4.1989 के प्रभाव से उक्त वेतनमान में सेवानिवृत्त हुआ। चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण की अधिसूचना पत्र सं॰ 3234 के तहत 1.1.1986 के प्रभाव से वेतन पुनरीक्षण का लाभ देते हुए 31.3.1990 को प्रभाव में आयी। पंचम वेतन पुनरीक्षण 1.1.1996 से और षष्टम वेतन पुनरीक्षण 1.1.2006 से प्रभावी हुई थी जैसा रिट याचिका के परिशिष्ट 4 एवं 4A से स्पष्ट है। दिनांक 6.11.2012 के कार्यालय आदेश के मुताबिक पश्चातवर्ती वेतन पुनरीक्षण को विचार में लेते हुए याची का पेंशन नियत किया गया था और उक्त कार्यालय आदेश में पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान 3000-5000/- रुपया गलत रूप से नियत किया गया है, अत:, याची ने 3700-67000/- रुपयों के वेतनमान में अपने वेतन के नियतिकरण का अनुरोध करते हुए 15.1.2013 को प्रत्यर्थी सं॰ 1 को अभ्यावेदन दिया। याची के अभ्यावेदन की प्रति विश्वविद्यालय कुलपति के कार्यालय भी भेजी गयी थी और अभ्यावेदन के अनुसरण में उपकुलपति, प्रत्यर्थी सं॰ 1 ने याची के मामले पर विचार करने के लिए दिनांक 12.11.2013 के कार्यालय आदेश के तहत कमिटी गठित किया और कमिटी ने अपना रिपोर्ट विनिर्दिष्टत: यह संप्रेक्षित करते हुए दाखिल किया कि याची को 1.1.1986 के प्रभाव से 3700-5700/- रुपयों

का वेतनमान अनुज्ञात किया जा सकता है और पश्चातवर्ती पुनरीक्षण क्रमशः 1.1.1996 एवं 1.1.2006 से अनुज्ञात किए गए थे क्योंकि गलत नियतिकरण किया गया है। कमिटी की रिपोर्ट रिट याचिका के परिशिष्ट 8/a के रूप में संलग्न की गयी है और उक्त रिपोर्ट पर विचार किए बिना, प्रत्यर्थी सं॰ 1 ने दिनांक 23.5.2014 के आदेश के तहत याची को पुनरीक्षित पेंशन के प्रदान के लिए अभ्यावेदन विलंब के आधार पर अस्वीकार कर दिया, जिसे प्रत्यर्थी सं॰ 2 द्वारा संसूचित किया गया था जो इस रिट याचिका में आक्षेपित है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 6.11.2012 के आदेश (परिशिष्ट 5) को भी दिनांक 31.3.1990 के पत्र (परिशिष्ट 3) पर पूर्ण गैर विचार के आधार पर चुनौती दी गयी है जिसमें कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्टतः कथन किया गया है कि 3000-5000/- रुपयों का वेतनमान कृषि विश्वविद्यालय में प्रयोज्य नहीं है।

पूर्वोक्त आक्षेपित आदेश से व्यथित होकर, रिट याची कोई अन्य विकल्प नहीं होने के कारण अपनी शिकायत दूर करवाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन असाधारण अधिकारिता का अवलंब लेते हुए इस न्यायालय के पास आने के लिए मजबूर हुआ है।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याची, जो सहायक प्रोफेसर के रूप में सेवानिवृत्त हुआ, को किसी तर्कपूर्ण एवं औचित्यपूर्ण कारण के बिना विलंब के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान पर प्रोद्भूत उसके वेतन के वैध देयों एवं बकायों से वंचित नहीं किया जा सकता है। याची के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि पुनरीक्षित पेंशन के प्रदान के लिए अभ्यावेदन अस्वीकार करने में प्रत्यर्थी सं॰ 1 का निर्णय विलंब के आधार पर नहीं लिया जा सकता था क्योंकि विलंब की तकनीकियों के बहाने याची का वैध अधिकार निर्वापित किया गया है जो सारवान न्याय देने का प्रयोजन विफल करता है।

4. रिट आवेदन में किए गए प्रकथनों का खंडन करते हुए प्रत्यर्थी सं॰ 1 से 3 की ओर से प्रति शपथ पत्र दाखिल किया गया है।

5. प्रत्यर्थियों के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने प्रतिशपथ पत्र में किया गया निवेदन दोहराया है।

6. प्रति शपथपत्र में, अन्य बातों के साथ यह निवेदन किया गया है कि याची बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से एसोसिएट प्रोफेसर (रीडर) के रूप में 30.4.1989 को सेवा निवृत्त हुआ है। सेवानिवृत्ति के लगभग 23 वर्ष बाद, वह अभ्यावेदन देने लगा है जब स्वयं 1990 में याची का पेंशन नियत किया गया है और वह किसी आपत्ति के बिना उक्त पेंशन ले रहा है। प्रतिशपथ पत्र में यह कथन किया गया है कि प्रत्यर्थियों ने दिनांक 22.3.1991 के पत्र सं॰ 994 में यथा अंतर्विष्ट पत्र में एसोएिसट प्रोफेसर की श्रेणी के कर्मचारियों को यह कहते हुए विकल्प जारी किया है कि यदि ऐसे कर्मचारी 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होना चुनते हैं, चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण के अनुसरण में एसोसिएट प्रोफेसर के पद के विरुद्ध उसका वेतन 3700-5700/- रुपया होगा और वह 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होगा किंतु यदि एसोसिएट प्रोफेसर के श्रेणी का कर्मचारी 62 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होना चुनता है, तब चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण में एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिए उसका वेतन 3000-5000/- रुपया होगा। याची ने 62 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होना चुना। अतः पत्र सं॰ 994, दिनांक 22.3.1991 के अनुसार, उसे एसोसिएट प्रोफेसर के पद के विरूद्ध 3000-5000/- रु॰ के वेतनमान का भुगतान किया गया था और वह 62 वर्ष की आयु तक सेवा में बना रहा जब 30.4.1989 को वह सेवानिवृत हुआ। अतः यह याची का विकल्प था जिस कारण याची का वेतनमान चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण में 3000-5000/- रुपया पर नियत किया गया था न

कि 3,700-5,700/- रु॰ के वेतनमान में। इसके अतिरिक्त, पेंशनरों के समाज (अर्थात् पेंशनर यूनियन) के कारण याची अपनी सेवानिवृत्ति के 23 वर्ष बाद अभ्यावेदन देने लगा अर्थात् प्रथम अभ्यावेदन वर्ष 2012 में दिया गया था और तत्पश्चात वर्ष 2013 में और याची द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प के कारण, उसका वेतन एसोसिएट प्रोफेसर के पद के विरुद्ध 3000-5000 रुपया में नियत किया गया था जिसमें याची सेवानिवृत्त हुआ। अत:, दिनांक 23.8.2015 के पत्र सं॰ 623 के तहत उसका अभ्यावेदन अस्वीकार किया गया था। दिनांक 22.3.1991 के पत्र सं॰ 994 में यथा अंतर्विष्ट विकल्प की छाया प्रतिलिपि प्रतिशपथ पत्र के परिशिष्ट–B के रूप में संलग्न की गयी है और याची के विकल्प के लिए कहते हुए इस संबंध में 17.5.1991 को एक अन्य पत्र भी जारी किया गया था जो दर्शाता है कि सेवानिवृत्ति की आयु के उसके विकल्प के कारण उसे 3000-5000/- रुपयों का भुगतान किया गया था जो प्रतिशपथ पत्र के परिशिष्ट–C से स्पष्ट है। अत:, परिशिष्ट–B एवं C में अंतर्विष्ट पत्रों के आधार पर, याची का पेंशन वर्ष 1991 में नियत किया गया था और बाद में, प्रतिशपथ पत्र के परिशिष्ट–E के मुताबिक इसे 2.11.2012 को दोहराया गया था। यद्यपि याची का वेतन 12.7.1991 को नियत किया गया था, जैसा मेमो सं॰ 494 में अंतर्विष्ट है, याची को कुछ बकाया प्रोद्भूत हुआ था जिसे दिनांक 12.7.1991 के मेमो के तहत याची को निर्मुक्त किया गया था। जो दर्शाता है कि याची का वेतनमान 3000-5000/- रुपयों के वेतनमान में नियत किया गया था जैसा प्रतिशपथ पत्र के परिशिष्ट–F के तहत दिनांक 12.7.1991 के आदेश से स्पष्ट है।

7. परस्पर विरोधी निवेदनों पर विचार करने के बाद और अभिलेख का परिशीलन करने पर, मेरा सुविचारित दृष्टिकोण है कि परिशिष्ट–9 के तहत दिनांक 23.5.2014 के आदेश के तहत याची के दावा का अस्वीकरण किसी दुर्बलता अथवा अवैधता से निम्नलिखित तथ्यों के कारण पीड़ित नहीं होता है जो इस न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक बनाए:–

(i) tlk çfr'kiFk i= d ifjf'k"V&B ,o C l fl) fd;k x;k g] 62 o"k dh vk; rd lokfuoÙk gku d fy, ;kph }kjk ç;kx fd, x, fodYi d erkfcd ;kphx.k dk orueku 3000-5000/- #i;k ij fu;r fd;k x;k Fkk] ;kph u fdlh vkifÙk d fcuk lokfuofÙk d 23 o"k d ckn 23 o"k rd lokfuofÙk dh frfFk ij orueku d erkfcd i'ku ikuk tkjh j[kkA iujhf{kr orueku d fy, fojkèk dju d fy, ;kph }kjk vR;fèkd foyc fd;k x;k g vkj çR;Fkh çkfèkdkfj;k u lgh çdkj l foyc d vkèkkj ij vH;konu vLohdkj fd;k gA

(ii) bld vfrfjDr] çfr'kiFk i= dk ifjf'k"V&B vFkkr fnukd 22.3.1991 dk i= n'kkrk g fd ;kph dk 3000-5000/- #i;k dk orueku xkg; Fkk pfd mlu 62 o"k rd lok e cuk jguk puk] vr%] bl njLFk le; ij] iujhf{kr orueku ,o ikfj.kkfed i'ku iujh{k.k dh ;kph dh çkFkuk ?kkj f<ykb] mi{kk ,o foyc d vkèkkj ij Lohdkj ugh dh tk ldrh gA bl U;k;ky; dk ;g nf"Vdk.k ***lhO tdc cuke fun'kd ft;kykth ,o ekbfux ,o ,d vU;] (2008)10 SCC 115*** *rFkk* ***Hkkjr l?k ,o vU; cuke ,eO dO ljdkj] (2010)2 SCC 59*** *e ekuuh; lokPp U;k;ky; }kjk fn, x, fu.k; l ln< gkrk gA*

8. पूर्वोक्त पैराग्राफों में कथित कारणों की दृष्टि में यह रिट याचिका गुणागुणरहित होने के कारण एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

अजय कुमार गुप्ता

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

W.P. (C) No. 120 of 2017. Decided on 10th January, 2017.

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002—धाराएँ 13 (4), 14 एवं 17—प्रतिभूति आस्ति पर कब्जा–फ्लैट (प्रतिभूत आस्ति) के भौतिक कब्जा के निष्पादन के प्रति प्रतिरोध–याची ने पहले ही वैकल्पिक उपचार का अवलंब लिया है–याची को मामले में अनुतोष इप्सित करने के लिए डी॰ आर॰ टी॰ के पास जाने की स्वतंत्रता दी गयी–यदि याची दर्शायी गयी अत्यावश्यकता की दृष्टि में लंबित सरफेशी अपील में ऐसा आवेदन देता है, डी॰ आर॰ टी॰ इसे शीघ्रातिशीघ्र सुनने का प्रयास करेगा।

(पैराएँ 8 एवं 9)

अधिवक्तागण.–Mr. A.K. Das, For the Petitioner; Mrs. A.R. Choudhary, For the Resp-Bank; Mr. Shyam Narsaria, For the Resp-State.

आदेश

याची वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनगर्ठन और प्रतिभूत हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (संक्षेप में 'अधिनियम वर्ष 2002') की धारा 14 के तात्पर्यित प्रयोग में दंडाधिकारी एवं बल द्वारा प्रतिभूत आस्ति फ्लैट सं॰ C4 महाराणा अपार्टमेंट, पी॰ पी॰ कम्पाउन्ड, हिन्दपीरी, राँची के भौतिक कब्जा का प्रदान निष्पादित नहीं करने के लिए प्रत्यर्थी सं॰ 1 को निर्देश दिया जाना इप्सित करते हुए इस न्यायालय के पास आया है।

2. याची के अनुसार, वह मेसर्स आवास फूड प्रोसेसिंग का पार्टनर है। प्रत्यर्थी बैंक द्वारा क्रमशः 40 लाख रुपयों एवं 20 लाख रुपयों की कुल मंजूर राशि के किए कैश क्रेडिट खाता सं॰ 4111050000030 एवं सावधि कर्ज खाता सं॰ 41110600000123 वाले दो कर्ज दिए गए थे। याची ने फ्लैट सं॰ C4, चतुर्थतल, महाराणा अपार्टमेंट, पी॰ पी॰ कम्पाउन्ड, हिन्दीपीरी, राँची का साम्यापूर्ण बंधक याची एवं उसकी पत्नी के नाम में सृजित किया था, जहाँ वे रहते थे। याची ने प्रतिवाद किया कि उसने सावधि कर्ज में लगभग 5 लाख रुपयों का भुगतान किया था, जिसके बाद उस पर अधिनियम वर्ष 2002 की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस तामील की गयी थी। उसके दोनों खातों को दिनांक 28.9.2015 को नन–परफॉर्मिंग ऐसैट (एन॰ पी॰ ए॰) घोषित किया गया था और उसे दिनांक 3.2.2016 के नोटिस के मुताबिक, कैश क्रेडिट खाता में 42,94,872.64/- रुपयों एवं ब्याज और सावधि कर्ज खाता में 17,69,169.70/- रुपयों एवं ब्याज का 60 दिनों के भीतर बैंक के दायित्वों का भुगतान करने के लिए कहा गया था। याची तत्पश्चात दिनांक 10.3.2016 के पत्र परिशिष्ट–2 के तहत कर्ज राशि का समय पुनः तय करना इप्सित करने का दावा करता है। याची प्रतिवाद करता है कि बाजार में निधि रूक जाने के कारण वह जून, 2015 से अध्यपेक्षित राशि का भुगतान करने में अक्षम था और वह स्वस्थ तरीके से बकाया राशि समाप्त करने का आशय रखता था। किंतु याची स्वयं परिशिष्ट 7 पर संलग्न रसीद के मुताबिक कतिपय राशि का भुगतान करने का दावा करता है। याची ने अधिनियम वर्ष 2002 की धारा 13 (4) के अधीन अनुध्यात कार्रवाई की सूचना देने वाला दिनांक 19.5.2016 का नोटिस को प्राप्त किया है। तत्पश्चात याची विद्वान ऋण वसूली अधिकरण, राँची के पास सरफेशी अपील सं॰ 66/2016 में आया। दिनांक 9.9.2016 को याची

पर पुन: प्रत्यर्थी बैंक के साथ बंधक रखी गयी अचल संपत्ति, जिन्हें सरफेशी कार्यवाही के दौरान हस्तांतरित करने से प्रतिषिद्ध किया गया था, का विवरण देते हुए अधिनियम वर्ष 2002 की धारा 13 (4) के निबंधनानुसार समाचार पत्र में प्रकाशित नोटिस तामील किया गया था। किंतु, याची के अनुसार उसे प्रत्यर्थी सं॰ 2 द्वारा टेलीफोन पर सूचित किया गया था कि यह कर्ज के गैर भुगतान के कारण दिनांक 10.1.2017 को फ्लैट सं॰ C4, महाराणा अपार्टमेन्ट, पी॰ पी॰ कम्पाउन्ड, हिन्दपीरी, राँची का भौतिक कब्जा बलपूर्वक ले लेगा। इसने कंपनी की प्रतिभूत आस्ति का कब्जा के प्रदान को निष्पादित करने से प्रत्यर्थियों को अवरुद्ध करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान रिट आवेदन में इस न्यायालय के पास आने के लिए मजबूर किया।

3. जब कल मामला लिया गया था, निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:–

^^;kph d vfèkoDrk fnu d nkjku 'k"k jg x;h =fV;k dk gVku dk opu nr gA

;kph d vfèkoDrk fuonu djr g fd ;kph 'kfuokj vFkkr 14 tuojh] 2017 rd C;kt d lkFk li.k cdk; dk Hkxrku dju d fy, r;kj gA ;kph blh le; d Hkhrj viu cdk;k dh olyh d ekey e mixr 0;; dk Hkxrku dju d fy, lger gA

cd d vfèkoDrk Jherh vuHkk jkmr pkèkjh fuonu djr g fd ;kph , l opu d lkFk vkt cn gku d igy çR;Fkh cd d vèkhu l{ke çkfèkdkjh d ikl tk ldrk gA ml fLFkfr e] og fuonu djrh g fd dy rd cd l lefpr vun'k çkIr fd;k tk,xkA

rnulkj bl ekey dk dy (10.1.2017) dk lphc) fd;k tk,A

*çR;Fkh cd d vfèkoDrk d :i e nfud dkTkfyLV e Jherh vuHkk jkmr pkèkjh dk uke yk;k tk,A***

4. बैंक के अधिवक्ता ने वैकल्पिक उपचार जिसका याची ने पहले ही अवलंब लिया है की उपस्थिति में रिट आवेदन की पोषणीयता का अभिवचन किया है। किंतु बैंक तथा प्रत्यर्थी राज्य के अधिवक्ता अधिनियम वर्ष 2002 की धारा 14 के अधीन प्रत्यर्थी बैंक की प्रेरणा पर कार्यवाही में उपायुक्त द्वारा पारित आदेश प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हुए हैं जिसके अनुसरण में प्रश्नगत फ्लैट के कब्जा का प्रदान आज ही निष्पादित किया जाना था। प्रत्यर्थी बैंक के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि कम समय के कारण, केवल कल याची द्वारा किए गए अनुरोध पर प्रत्युत्तर दाखिल किया जा सकता था। किंतु वह दोहराती हैं कि याची को अंतरिम अनुतोष के लिए ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष उपचार का अवलंब लेना चाहिए था।

5. कल पारित आदेश के अनुसरण में याची कर्ज खाता नियमित करने के लिए शनिवार तक बैंक द्वारा उपगत वास्तविक व्यय के साथ इस तिथि पर संपूर्ण बकाया का भुगतान करके विवाद का समाधान करने का अनुरोध करने का दावा करता है। प्रत्यर्थी बैंक के प्राधिकारी ने कल ही अपना अस्वीकरण से सूचित किया है, यह कथन करते हुए कि पूर्व निरीक्षण पर इकाई को किसी गतिविधि के बिना बंद पाया गया था, प्रत्यर्थी के प्रतिशपथ पत्र में दिए गए बयान के मुताबिक।

6. याची के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अब प्रत्यर्थी बैंक द्वारा दर्शायी गयी अड़ियलपन की दृष्टि में याची शनिवार तक संपूर्ण बकाया का 25% जमा करने का इच्छुक है और छह माह की कठोर समय सीमा के भीतर शेष देय के भुगतान के लिए संरचित प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

7. प्रत्यर्थी बैंक के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याची के प्रस्ताव पर प्रत्यर्थी बैंक के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाना होगा। वह यह निवेदन भी करती हैं कि याची दिनांक 9.9.2016 को इस पर तामील कब्जा नोटिस के विरुद्ध सारफेसी अपील सं॰ 66/2016 में ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष पहले से ही है। अत:, याची ने इस न्यायालय के समक्ष गलत रूप से उपचार का अवलंब लिया है।

8. याची के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आवासीय परिसर से याची को बेदखल करने के अचानक कार्रवाई के कारण हुई अत्यावश्यकता की दृष्टि में, जैसा शनिवार अर्थात् 7.1.2017 को उपायुक्त, राँची के कार्यालय से टेलीफोन पर संसूचित किया गया था, याची लंबित अपील में विद्वान ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष उपचार का सहारा लेने में सक्षम नहीं हुआ है। वह निवेदन करते हैं कि यदि कुछ समय के लिए अंतरिम संरक्षण प्रदान किया जाता है, याची अंतरिम संरक्षण के लिए लंबित अपील में विद्वान ऋण वसूली अधिकरण के पास जाने में सक्षम हो सकता है और कर्ज राशि के पुनर्भुगतान एवं एन॰ पी॰ ए॰ के क्लोजर के लिए अपने प्रस्ताव पर विचार के लिए बैंक के पास भी जाएगा।

9. तथ्यों एवं पक्षों द्वारा किए गए निवेदनों के दिग्दर्शन पर विचार करने पर, यह न्यायालय पक्षों के मामले के गुणागुण पर विचार करने का इच्छुक नहीं है, विनिर्दिष्टत: इस कारण से कि याची पहले ही प्रत्यर्थी बैंक द्वारा की गयी कार्रवाई से व्यथित होकर अधिनियम वर्ष 2002 के प्रावधानों के अधीन सरफेसी अपील में विद्वान ऋण वसूली अधिकरण के पास आया है। किंतु, याची को मामले में अनुतोष इप्सित करने के लिए विद्वान ऋण वसूली अधिकरण के पास जाने की स्वतंत्रता दी गयी है। तद्नुसार, मामले में किसी अंतरिम संरक्षण के लिए विद्वान ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष उपचार का लाभ लेने के लिए याची को दिनांक 13.1.2017 तक अंतरिम संरक्षण प्रदान किया जाता है। यह भी स्पष्ट किया जाए कि इस न्यायालय ने पक्षों के मामले के गुणागुण पर विचार नहीं किया है। यह भी संप्रेक्षित किया जाता है कि यदि याची दर्शायी गयी अत्यावश्यकता की दृष्टि में लंबित सारफेसी अपील में ऐसा आवेदन देता है, विद्वान ऋण वसूली अधिकरण इसे शीघ्रातिशीघ्र सुनेगा और अन्य पक्ष की सम्यक सुनवाई के बाद विधि के अनुरुप इस पर विचार करेगा। मामले के उस दृष्टिकोण में, उपायुक्त राँची प्रतिभूत आस्ति अर्थात् C4 महाराणा अपार्टमेंट, पी॰ पी॰ कम्पाउन्ड, हिन्दपीरी, राँची अर्थात् प्रश्नगत संपत्ति का भौतिक कब्जा के प्रदान से संबंधित मामला 13.1.2017 तक प्रास्थगित रखेंगे। यह भी स्पष्ट किया जाए कि आज प्रदान किया गया अंतरिम संरक्षण 13.1.2017 को समाप्त हो जाएगा।

10. तद्नुसार रिट याचिका निपटायी जाती है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

विपिन कुमार सिंह

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(S) No. 1574 of 2016. Decided on 8th November, 2016.

सेवा विधि–वरीयता–झारखंड सचिवालय लिपिकीय कैडर की वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करना इप्सित करने की प्रार्थना–याची को आरंभ में देशज औषधि निदेशालय, स्वास्थ्य

एवं परिवार कल्याण विभाग, पटना में टंकक-सह-स्टेनों के पद पर नियुक्त किया गया–यह प्रतिवाद कि याची के देशज औषधि निदेशालय में टंकक होने के नाते, उसे झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय कैडर का कर्मचारी मानना होगा, भ्रामक है–झारखंड सचिवालय लिपिकीय कैडर लिपिकीय स्टाफ का पृथक कैडर है जिसके लिए पृथक परीक्षा ली गयी है–याची को लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर सेवा में अनुशंसित नहीं किया गया था–पूर्व रिट याचिका में, रिट न्यायालय ने इस पर न्याय निर्णयन नहीं किया था–पूर्व रिट याचिका में, रिट न्यायालय ने इस पर न्याय निर्णयण नहीं किया था कि याची किस कैडर से आता है–कोई नियम, परिपत्र अथवा मार्गदर्शक सिद्धांत याची द्वारा उद्धृत नहीं किया गया था जिसके अधीन याची, टंकक-सह-स्टेनोग्राफर के समतुल्य पद पर आमेलित किया गया था, झारखंड सचिवालय लिपिकीय कैडर की सूची में अपना सम्मिलन इप्सित कर सकता है–विभागीय प्राधिकारियों का आक्षेपित निर्णय मनमाना अथवा अवैध नहीं है–रिट याचिका खारिज। (पैराएँ 5 एवं 6)

निर्णयज विधि.–W.P. (S) No. 742/2007—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. D.K. Prasad, For the Petitioner; Mr. Yogesh Modi, For the State.

आदेश

झारखंड सचिवालय लिपिकीय कैडर की वरीयता सूची में अपने नाम का सम्मिलन इप्सित करते हुए और दिनांक 31.8.2013, 28.1.2014 और 26.2.2015 के मेमो में अंतर्विष्ट आदेश से व्यथित होकर याची इस न्यायालय के पास आया है।

2. संक्षिप्त रूप से कथित, याची जिसे आरंभ में जिला देशज चिकित्सा पदाधिकारी-सह-उपाधीक्षक, देशज औषधि, पटना के आदेश द्वारा टंकक-सह-स्टेनों के पद पर नियुक्त किया गया था को देशज औषधि निदेशालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पटना के अधीन दिनांक 28.2.1998 के मेमो के तहत प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किया गया था। उसने अभिवचन किया है कि उसे अंतत: दिनांक 31.7.1989 के आदेश के तहत देशज औषधि निदेशालय में टंकक के रिक्त पद पर समायोजित एवं पदस्थापित किया गया था और उसे उक्त पद पर 3.7.1993 को सेवा में संपुष्ट किया गया था। बिहार राज्य के द्विभाजन के बाद, याची को झारखंड राज्य भेजा गया था और दिनांक 18.11.2000 के आदेश के तहत उसे स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार में पदग्रहण करने के लिए भारमुक्त किया गया था। जब विभागीय टंकण परीक्षा के लिए आवेदन स्वीकार नहीं किया गया था, याची डब्लू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 742 वर्ष 2007 में इस न्यायालय के पास आया जिसे दिनांक 7.7.2008 के आदेश के तहत अनुज्ञात किया गया था और विभाग को उसे विभागीय टंकण परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति देने का निर्देश दिया गया था। याची विभागीय टंकण परीक्षा में उपस्थित हुआ और उसे असफल घोषित किया गया था। तत्पश्चात याची डब्लू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 2768 वर्ष 2012 में झारखण्ड सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 के नियम 7 (3) के निबंधनानुसार ''सहायक'' के पद पर प्रोन्नति इप्सित करते हुए और वेतन बकाया के अतिरिक्त प्रथम एवं द्वितीय ए॰ सी॰ पी॰ तथा एम॰ ए॰ सी॰ पी॰ के लाभ के प्रदान के लिए इस न्यायालय के पास आया। दिनांक 1.8.2012 के आदेश के तहत प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण, झारखंड सरकार को रिट याचिका उसके अभ्यावेदन के रूप में मानते हुए याची के दावा पर निर्णय करने के निर्देश के साथ रिट याचिका निपटायी जाती है। डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 2768 वर्ष 2012 में पारित आदेश के अनुपालन में उपसचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने दिनांक 31.8.2013 का आदेश पारित किया जिसके अधीन यह अभिनिर्धारित किया गया है कि याची सचिवालय लिपिकीय सेवा कैडर से नहीं आता है। ए॰ सी॰ पी॰/एम॰ ए॰ सी॰ पी॰ तथा वेतन बकाया के

प्रदान के लिए उसका दावा अस्वीकार किया गया था। किंतु, अवमान (सिविल) मामला सं॰ 732 वर्ष 2013 में पारित आदेश के अनुपालन में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने पुनः याची के दावा का परीक्षण किया और दिनांक 28.1.2014 के आदेश के तहत संपुष्ट किया कि वह क्षेत्रीय कैडर से आता है और तद्नुसार, क्षेत्रीय कार्यालय में याची को पदस्थापित करने के लिए निदेशक, आयुष को अभिलेख भेजने के लिए निर्देश जारी किया गया था। यह प्रतीत होता है कि इस बीच, एक अन्य प्रधान सचिव ने प्रभार लिया और उसने भी याची के दावा का परीक्षण किया और दिनांक 26.2.2015 का आदेश पारित किया। उक्त आदेश द्वारा याची को एम॰ ए॰ सी॰ पी॰ के अधीन लाभ प्रदान किया गया था और निदेशक, आयुषको को छठे वेतन पुनरीक्षण के अधीन वेतन पुनरीक्षण के कारण 50% राशि के भुगतान के दावा का परीक्षण करने का अनुदेश दिया गया था। याची को भुगतान की गयी राशि आधिक्य, यदि हो, की बरामदगी के लिए निर्देश जारी किया गया था मानो वह सचिवालय लिपिकीय कैडर का कर्मचारी था।

3. अभिलेख पर लायी गयी सामग्री एवं विभाग द्वारा पारित तार्किक आदेश की दृष्टि में, मैं मामले में प्रतिशपथ पत्र लेने का इच्छुक नहीं हूँ।

4. सुना गया।

5. प्रतिवाद कि याची को देशज औषधि निदेशालय में टंकक होने के नाते झारखंड सचिवालय लिपिकीय कैडर का कर्मचारी मानना होगा, भ्रामक है। दिनांक 31.7.1989 का आदेश जिसके द्वारा याची को टंकक के पद पर आमेलित किया गया था और दिनांक 3.7.1993 का आदेश जिसके द्वारा उसे सेवा में संपुष्ट किया गया था, वे सब आदेश निदेशक, देशज औषधि द्वारा पारित किए गए थे। दिनांक 18.7.2000 का आदेश भी प्रकट करेगा कि याची ने स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में पद ग्रहण किया। डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 742 वर्ष 2007 में पारित दिनांक 7.7.2008 का आदेश भी याची के दावा का समर्थन नहीं करता है कि उसका नाम झारखंड सचिवालय लिपिकीय कैडर की वरीयता सूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए। उक्त रिट याचिका में, याची की शिकायत कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा इंकार के विरुद्ध था जिसने उसको विभागीय टंकण परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उसको अनुमति इस आधार पर नहीं दिया कि वह क्षेत्रीय कैडर से आता है। क्या याची क्षेत्रीय कैडर से अथवा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन टंकक के कैडर से आता है, भिन्न विवाद्यक है और यह वह कारक नहीं है जो उपदर्शित करे कि वह झारखंड सचिवालय लिपिकीय कैडर से आता है, यह स्वीकृत अवस्था है कि झारखंड सचिवालय लिपिकीय कैडर लिपिकीय कर्मचारियों का पृथक कैडर है जिसके लिए पृथक परीक्षा ली जाती है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी आपत्तियों में से एक यह है कि याची का आमेलन अवैध था क्योंकि उसे लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर सेवा में आमेलित नहीं किया गया था। किंतु, इस चरण पर ऐसी अनियमितता विभाग द्वारा माफ कर दी गयी प्रतीत होती है, जब प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा एम॰ ए॰ सी॰ पी॰ के प्रदान के लिए आदेश पारित किया गया है। डब्लू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 742/2007 में पारित दिनांक 7.7.2008 का आदेश मुख्यतः इस आधार पर आधारित है कि अन्य दो व्यक्तियों को विभागीय टंकण परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी गयी थी जबकि, याची को मनमाने रूप से निकाला गया था। उक्त कार्यवाही में, रिट न्यायालय ने न्याय निर्णीत नहीं किया था कि याची किस कैडर से आता है। वर्तमान कार्यवाही में याची और उसके विद्वान अधिवक्ता भी कोई नियम, परिपत्र, मार्गदर्शक सिद्धांत प्रकट/निर्दिष्ट

नहीं करते हैं जिसके अधीन याची जिसे टंकक-सह-स्टेनोग्राफर के समतुल्य पद पर आमेलित किया गया था, झारखंड सचिवालय लिपिकीय कैडर की सूची में अपना सम्मिलन इप्सित कर सकता है। क्षेत्रीय कार्यालय में उसके स्थानांतरण के लिए आक्षेपित आदेशों में अंतर्विष्ट निर्देश के विरुद्ध याची की शिकायत इस आधार पर है कि उसे देशज औषधि निदेशालय में सेवा में आमेलित किया गया था, किसी विधिक अधिकार पर आधारित नहीं हैं। क्षेत्रीय कार्यालय में अपने स्थानांतरण के कारण याची किस विधिक उपहति से पीड़ित होगा, याची द्वारा प्रकट नहीं किया गया है। याची स्थान विशेष अथवा पद विशेष पर पदस्थापना के लिए जोर नहीं दे सकता है। विभागीय प्राधिकारियों का आक्षेपित निर्णय मनमाना अथवा अवैध नहीं है।

6. पूर्वोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, मैं दिनांक 31.8.2013, 28.1.2014 एवं 26.2.2015 के मेमो में अंतर्विष्ट आक्षेपित आदेशों में दुर्बलता नहीं पाता हूँ। तद्नुसार रिट याचिका खारिज की जाती है।

---

ekuuh; jRukdj Hkxjk] U;k;efr

मिसान शेख

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Appeal (S.B.) No. 761 of 2003. Decided on 10th February, 2017.

महेशपुर पी॰ एस॰ केस सं॰ 125 वर्ष 2002, जी॰ आर॰ सं॰ 527 वर्ष 2002 से उद्भूत होने वाले सत्र केस सं॰ 24 वर्ष 2003 के संबंध में सत्र न्यायाधीश, पाकुड़ द्वारा पारित दिनांक 31.5.2003 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 376—बलात्कार–दोषसिद्धि एवं दंडादेश–बारह दिनों के अस्पष्टीकृत विलंब के बाद प्राथमिकी दर्ज की गयी थी–चिकित्सीय साक्ष्य दर्शाता है कि अभियोक्त्री के शरीर पर कोई अन्य शारीरिक उपहति नहीं थी–पीड़िता का साक्ष्य विश्वास उत्पन्न नहीं करता है–अपीलार्थी को उसे संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया गया।

(पैराएँ 18 से 21)

निर्णयज विधि.–(2010) 14 SCC 534; (2010) 15 SCC 472; (2012) 7 SCC 171; (2014) 5 SCC 689; 2015(3) JBCJ 168 (SC) : (2015) 4 SCC 762—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. Ravi Kumar Singh, For the Appellant; Mr. Shiv Kumar Sharma, For the Respondent.

रत्नाकर भेंगरा, न्यायमूर्ति.–यह दांडिक अपील सत्र केस सं॰ 24 वर्ष 2003 में श्री राकेश रंजन वर्मा, सत्र न्यायाधीश, पाकुड़ द्वारा पारित दिनांक 31.5.2003 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध दाखिल की गयी है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन सात वर्षों का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है।

2. संक्षेप में लिखित रिपोर्ट के मुताबिक, अभियोजन मामला यह है कि 17.11.2002 को अपराह्न 6 बजे ग्राम सलीमपुर, पी॰ एस॰ महेशपुर, जिला पाकुड़ में पीड़िता/सूचक (नाम छुपाया गया) चापाकल से पानी लाने गयी हुई थी। उस समय अभियुक्त मिसन शेख अपने दरवाजा पर खड़ा था। अभियुक्त मिसन शेख ने जबरन सूचक को खींचा और उसे अपने घर के बाहरी कमरा में ले गया और वहाँ उसके साथ बलात्कार किया, सूचक लगभग एक घंटा बाद निर्मुक्त किए जाने के बाद हल्ला करते हुए कमरा से बाहर आयी। उसके हल्ला करने पर अनेक लोग वहाँ आए। गाँववालों ने कहा कि मामले पर विचार किया

जाएगा। किंतु अभियुक्त मिसान शेख गाँव से भाग गया और इस प्रकार मामले पर विचार नहीं किया गया था।

3. सूचक के लिखित रिपोर्ट के आधार पर महेशपुर पुलिस थाना में औपचारिक प्राथमिकी पी॰ एस॰ केस सं॰ 125 वर्ष 2002 के रूप में 28.11.2002 को लिखी गयी थी। अन्वेषण के बाद, अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया था। तत्पश्चात, संज्ञान लिया गया था और मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था। भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 376 के अधीन आरोप विरचित किया गया था और विचारण किया गया था जिसके बाद इस निष्कर्ष पर वह पूर्वोक्त धारा के अधीन दोषी अभिनिर्धारित किया गया था और उसे सात वर्ष के कठोर कारावास का दंडादेश दिया गया था। अत:, यह अपील की गयी है।

4. अभियोजन ने कुल छह गवाहों का परीक्षण किया है जिनमें से अनिल मंडल अ॰ सा॰ 2 पीड़िता का पिता है, गुलाम गौस अ॰ सा॰ 4 है। अब्दुल शेख अ॰ सा॰ 5 है। सूचक स्वयं अ॰ सा॰ 1 है और डॉ॰ श्रीमती अनिता सिन्हा अ॰ सा॰ 6 है और मामले का आई॰ ओ॰ बंशीधर झा अ॰ सा॰ 3 है।

5. बचाव ने भी दो गवाहों रजाक मंडल ब॰ सा॰ 1 एवं अफसार मंडल ब॰ सा॰ 2 का परीक्षण किया है।

6. अ॰ सा॰ 1 सूचक एवं पीड़िता ने कथन किया है कि मिसान शेख ने उसे जबरन अपने घर में खींच लिया जब वह चापाकल से पानी लाने गयी थी। मिसान शेख ने उसको धमकाया, अत: वह हल्ला करने में अक्षम रही और कि उसने तब उसके साथ जबरन बलात्कार किया। मिसान शेख ने उसके साथ बलात्कार करने के बाद धमकी दिया कि यदि उसने किसी व्यक्ति को इस कृत्य के बारे में बताया, वह उसकी हत्या कर देगा और तब वह अपराह्न लगभग 7 बजे रोते हुए कमरा से बाहर आयी। उसने यह कथन भी किया कि उसकी आवाज सुनने पर अनेक गाँववाले भी वहाँ जमा हुए थे। उसने लिखित रिपोर्ट पर अपना हस्ताक्षर (प्रदर्श 1) सिद्ध किया है। प्रति-परीक्षण में उसने (अ॰ सा॰ 1) आगे कथन किया है कि वह नाइटी, पेटीकोट एवं पैंट पहने थी और घटना के समय पर उसका नाइटी फट गया था। अपने प्रति परीक्षण में उसने कथन किया है कि उसका पिता मिसान शेख के साथ उसका विवाह तय करने मिसान शेख के घर नहीं गया था। बचाव पक्ष ने सुझाया है कि उसके पिता ने मिसान शेख को उसके साथ विवाह करने के लिए मजबूर करने के लिए यह झूठा मामला दर्ज किया था। पीड़िता (अ॰ सा॰ 1) ने इस सुझाव से इनकार किया था।

7. अ॰ सा॰ 2 एनुल मंडल पीड़िता का पिता है। उसने कथन किया है कि वह घटना की तिथि पर अपने घर में उपस्थित नहीं था और कि वह दो दिन बाद लौटा था और तब इस मामले की घटना के बारे में जान सका था। अ॰ सा॰ 4 गुलाम गौस ने भी कथन किया है कि उसने सोमवार को सुना कि मिसान शेख ने सूचक के विरुद्ध अभद्र कृत्य किया था। अ॰ सा॰ 5 अब्दुल कुद्दूस शेख ने भी कथन किया है कि उसने सूचक से सुना कि मिसन शेख ने उसके साथ बलात्कार किया था। अ॰ सा॰ 4 एवं अ॰ सा॰ 5 दोनों अनुश्रुत गवाह हैं।

8. अ॰ सा॰ 6 डॉ॰ श्रीमती अनिता सिन्हा ने अपने अभिसाक्ष्य में कथन किया है कि उसने 29.11.2002 को अपराह्न 2.15 बजे पीड़िता का परीक्षण किया था और हायमन अक्षुण्ण पाया था। उसने यह भी कथन किया है कि उसने पीड़िता के स्वैब का पैथोलॉजिकल परीक्षण नहीं करवाया था चूँकि पीड़िता का घटना के 12 दिन बाद उसके द्वारा परीक्षण किया गया था और इसलिए उसने सोचा कि वीर्य के पैथोलॉजिकल परीक्षा का महत्व नहीं है। डॉ॰ अनिता सिन्हा (अ॰ सा॰ 6) के चिकित्सीय रिपोर्ट के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि उसने कथन किया है कि पीड़िता का हायमन फटा हुआ नहीं पाया गया था।

9. अ॰ सा॰ 3, इस मामले में आई॰ ओ॰ ने कथन किया है कि उसने सूचक के लिखित कथन पर औपचारिक प्राथमिकी लिखा है। उसने औपचारिक प्राथमिकी (प्रदर्श 2) दर्ज किया है और पीड़िता द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत नाइटी एवं पैन्ट का अभिग्रहण सूची (अ॰ सा॰ 3) भी सिद्ध किया है।

10. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने हमें पहले अभिसाक्ष्य से अवगत कराया है। अ॰ सा॰ 1 के संबंध में उन्होंने कहा है कि पैरा 4 में अ॰ सा॰ 1 अभिकथित पीड़िता उपदर्शित नहीं करती है कि बलात्कार हुआ था। सूचक ने अभिसाक्ष्य दिया कि उसे अपीलार्थी द्वारा खींचा गया था जब वह चापाकल से पानी लेने गयी थी। अत: किसी ने उसे अपीलार्थी के घर में उसे खींचा जाता देखा होगा किंतु ऐसा नहीं है। पुन: पैरा 5 में यह कहा गया है कि लोग आ–जा रहे थे। उन्होंने यह तर्क भी किया है कि पैरा 12 में उसने कहा है कि वह केवल रशीदा को बताने में सक्षम हुई थी और निकट रहने वाले किसी को नहीं जबकि प्राथमिकी में उसने कहा है कि हल्ला सुनकर अनेक व्यक्ति वहाँ आए थे। यह महत्वपूर्ण विरोधाभास है। उन्होंने यह तर्क भी किया है कि पैरा 13 में यह कहा गया है कि उसका पिता विवाह प्रस्ताव के साथ अपीलार्थी के घर नहीं गया था जो सत्य नहीं है। उसने यह तर्क भी किया कि पैरा 14 के मुताबिक बाल्टी नहीं पायी गयी थी, इसका अर्थ है कि घटना नहीं हुई थी।

11. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अभिकथित पीड़िता के पिता अ॰ सा॰ 2 एनुल मंडल ने अभिसाक्ष्य दिया कि वह घटना के दो दिन बाद आया। अपने प्रति परीक्षण में वह कहता है कि उसकी पुत्री ने पहले ही पुलिस थाना को सूचना दिया था। अधिवक्ता ने तर्क किया था कि घटना रविवार 17.11.2002 की है। यदि पिता को दो दिन बाद पता चला और पिता कहता है कि पुलिस को पहले ही सूचित किया गया था, तब 28.11.2002 की प्राथमिकी संदेहपूर्ण बन जाती है। अत: अपीलार्थी के विरुद्ध मामला निर्मित करने के लिए अंतराल का उपयोग किया गया था।

12. विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि अ॰ सा॰ 5 अब्दुल कुद्दूस शेख पीड़िता के पिता का सगा काजिन भाई है। उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि उस समय पर जब पीड़िता घटना के बारे में बात कर रही थी, अनेक लोग मस्जिद जा रहे थे। उसका गाँव मुस्लिमों के लगभग 400-500 घरों वाला गाँव है। अ॰ सा॰ 5 ने अभिसाक्ष्य दिया है कि पीड़िता द्वारा उसको घटना के बारे में बताए जाने के बाद वह घर गया। अधिवक्ता ने तर्क किया है कि जब यह ऐसा बड़ा गाँव है और प्रार्थना का समय था और लोग मस्जिद उस रास्ते से जा रहे थे, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी और को सूचित नहीं किया गया था और हल्ला नहीं किया गया था जैसा अ॰ सा॰ 5 के अभिसाक्ष्य में कहा गया है। यह किए गए शोर एवं जमा हुए लोगों, जैसा प्राथमिकी में कहा गया है, का विरोधाभासी है। अधिवक्ता ने कहा है कि ब॰ सा॰ 1 रजक मंडल, जो पीड़िता से संबंधित है, अपीलार्थी का पीड़िता के साथ विवाह के संबंध में अपीलार्थी के पिता से मिलने तीन व्यक्तियों के साथ गया था और कि उसके साथ ब॰ सा॰ 2 अफसर मंडल, हसीमुद्दीन शेख एवं पीड़िता के पिता भी गए थे।

13. ब॰ सा॰ 2 अफसर मंडल के संबंध में, अपीलार्थी के अधिवक्ता ने तर्क किया है कि वह भी विवाह प्रस्ताव के लिए मिसान शेख अपीलार्थी के घर गया था। यह कि ब॰ सा॰ 2 भी पीड़िता से संबंधित है चूँकि पीड़िता का पिता एनुल मंडल उसका कजिन भाई है। अ॰ सा॰ 3 के संबंध में अन्वेषण अधिकारी बंशीधर झा ने अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने पीड़िता के प्रासंगिक वस्त्रों को जब्त किया था, किंतु इन्हें न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया था। किंतु, विचारण न्यायालय ने इस पर विश्वास किया है। अधिवक्ता ने कहा कि यदि न्यायालय में वस्त्र प्रस्तुत नहीं किया गया था, तब अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने के लिए उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है।

14. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आगे तर्क किया है कि चश्मदीद गवाह नहीं है। आगे यहाँ इस मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्य नहीं है कि पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया है जो अपीलार्थी की

दोषसिद्धि आवश्यक बनाए। विद्वान विचारण न्यायालय यह अधिमूल्यन करने में विफल रहा है कि लिखित रिपोर्ट 11 दिन बीतने के बाद दाखिल की गयी थी और इस प्रभाव का स्पष्टीकरण नहीं है कि हिंसा का निशान नहीं है, जिसे पीड़िता के शरीर पर पाया गया है और इसलिए, यह संपुष्ट करने के लिए कुछ नहीं है कि वस्तुत: बलात्कार किया गया था। विद्वान अवर न्यायालय यह अधिमूल्यन करने में विफल रहा है कि डॉ॰ अनिता सिन्हा जिन्होंने 29.11.2002 को अपराह्न 2.15 बजे पीड़िता लड़की का परीक्षण किया था ने पाया था कि हायमन फटा नहीं था। डॉक्टर ने स्पष्टत: एवं विनिर्दिष्टत: कथन किया कि उसने पीड़िता का पैथोलॉजिकल परीक्षण नहीं करवाया था चूँकि 12 दिनों बाद पीड़िता का परीक्षण किया गया था। अत:, विद्वान अवर न्यायालय पैथोलोजिकल परीक्षण रिपोर्ट को महत्व नहीं देने में सही हो सकता है, किंतु यह तथ्य कि हायमन अक्षुण्ण था, इस निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि लड़की के साथ बलात्कार नहीं किया गया था। डॉक्टर द्वारा स्पष्टत: एवं विनिर्दिष्टत: अपने अभिसाक्ष्य के पैरा 7 में कथन किया जाना कि हायमन अक्षुण्ण था, संपूर्ण अभियोजन मामला भंजित करता है। अवर न्यायालय उन चीजों का आश्रय नहीं ले सकता है जिसे अभियोजन द्वारा गवाह के सामने नहीं रखा गया था। उन्होंने आगे कथन किया है कि हायमन अक्षुण्ण था और फटा नहीं था, तब न्यायालय द्वारा दिया गया तर्क कि पीड़िता का हायमन मोटा एवं मांसल हो सकता है, ऐसा स्पष्टीकरण स्वीकार किया नहीं जा सकता है और अपीलार्थी की दोषसिद्धि करने के प्रयोजन का आधार नहीं हो सकता है जब अभिलेख पर ऐसी सामग्री नहीं है। यह अभियोजन को सिद्ध करना था कि हायमन मोटा अथवा मांसल था अथवा न्यायालय को विशेषज्ञ अथवा डॉक्टर से स्पष्टीकरण इप्सित करना था। विचारण न्यायालय द्वारा मोदी के चिकित्सा विधि शास्त्र को निर्दिष्ट किया गया है किंतु तथ्य बना रहता है कि न्यायालय ने वर्तमान मामले में परीक्षण नहीं किया है कि पीड़िता की आयु क्या थी और इसके अतिरिक्त, उक्त मामले में डॉक्टर से स्पष्टत: यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया था कि क्या हायमन नहीं फटने के कारण किसी लड़की का बलात्कार किया गया कहा जा सकता है और मोदी का स्पष्टीकरण यह था कि यदि यह मोटा एवं मांसल था, यह फट नहीं सकता है भले ही बलात्कार किया गया हो। वर्तमान मामले में स्पष्टीकरण इप्सित नहीं किया गया था। अभिलेख पर कुछ भी नहीं है, अत: चीजें जो अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के प्रयोजन से अधिरोपित नहीं की जा सकती है, मात्र इसलिए कि बलात्कार का अभिकथन किया गया है।

15. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क किया है कि पीड़िता का पिता विवाह प्रस्ताव के साथ गया था और इससे इस आधार पर अस्वीकार किया गया था कि पीड़िता का पिता डकैती मामले में अंतर्ग्रस्त था। यह ब॰ सा॰ 1 के अभिसाक्ष्य से प्रकट है और पिता ने आपराधिक मन:स्थिति का होने के नाते मामला दर्ज करवाया गया था। अंत में उन्होंने कहा है कि चूँकि मामला वर्ष 2002 का है, पुरानी विधि प्रचलित होगी और बलात्कार सिद्ध अथवा स्थापित करने के लिए लिंग प्रवेश आवश्यक है।

16. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित भी उद्धृत किया है:–

(i) ***t; Ñ".k eMy ,o ,d vU; cuke >kj[kM jkT;] (2010)14 SCC 534***

(ii) ***vkdk çn'k jkT; cuke tyiFk lCckjk;M ,o vU;] (2010)15 SCC 472***

(iii) ***ujUn dekj cuke jkT; (fnYyh dk ,uO lhO VhO)] (2012)7 SCC 171***

यह दोषमुक्ति के लिए उसका मामला पुख्ता करने के लिए पीड़िता के वस्त्र जब्त किए जाने एवं प्रस्तुत नहीं किए जाने तथा पीड़िता अथवा अभियोक्त्री की विश्वसनीयता के बिंदुओं पर उपलब्ध साक्ष्य उपदर्शित करने के लिए है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया है कि इस मामले में भी, साक्ष्य एवं परिस्थितियों के आधार पर अपीलार्थी दोषमुक्त किया जाना चाहिए।

17. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने तर्क किया है कि यह स्वयं प्राथमिकी में आया है कि गाँव वालों ने कहा है कि मामले पर चर्चा की जाएगी। यही कारण है कि प्राथमिकी दर्ज करने में विलंब हुआ था, अत: विलंब परिणामहीन है। इसके अतिरिक्त, यदि यह आया था कि गाँववाले भी चिंतित थे, तब इसका अर्थ है कि घटना वस्तुत: हुई थी।

हल्ला नहीं करने के संबंध में, अधिवक्ता ने कहा है कि यह आया है कि उसे धमकी दी गयी थी, अत: उसने डर से हल्ला नहीं किया था। राज्य के अधिवक्ता ने यह कथन भी किया है कि यह बलात्कार का मामला है और यह सुस्थापित है कि अभियोक्त्री का विवरण अथवा अभिकथन दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है और दोषसिद्धि मान्य ठहराने में लघु अंतर को रास्ते में नहीं आना चाहिए। विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने विलंब के ओर हायमन नहीं फटने के प्रश्न पर और तब भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114A की प्रयोज्यता पर अपने बिंदु के समर्थन में **पूरण चंद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, (2014)5 SCC 689** एवं **दीपक बनाम हरियाणा राज्य (2015)4 SCC 762 [: 2015 (3) JBCJ 168 (SC)]** को उद्धत किया है।

<u>निष्कर्ष:</u>

18. तर्कों एवं मामले के अभिलेख का परिशीलन करने के बाद, कतिपय पहलू ध्यान में आता हैं। प्रथमत: परिस्थिति, विलंब का विवाद्यक/अपीलार्थी के अधिवक्ता के तर्क से यह प्रतीत होता है कि विचारण के समय पर अभियोजन द्वारा यह विवाद्यक समुचित रूप से नहीं उठाया गया था, बल्कि स्वयं विद्वान न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया था। घटना 17.11.2002 की है और प्राथमिकी 28.11.2002 की है, किसी भी स्पष्टीकरण के बिना लगभग 12 दिनों का अंतराल है। किंतु राज्य के विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने अपील में तर्क किया कि लिखित रिपोर्ट से पंचायती किया जाना था, अत: उस कारण विलंब हो सकता है। जिसके प्रति अपीलार्थी के अधिवक्ता ने कहा है कि किसी पंचायती होने के प्रति निर्देश नहीं है अथवा पंचायती का प्रयास भी नहीं किया गया है, अत: ऐसे निराधार बहाना बनाने नहीं दी जा सकती है। स्पष्टत: विलंब का स्पष्टीकरण नहीं है और इस समय के दौरान उसके विरुद्ध समुचित मामला निर्मित किया गया था।

इस आलोक में, अपीलार्थी के अधिवक्ता ने भी तर्क किया है कि जब पिता दो दिन बाद लौटा, उसे जानकारी हुई कि उसने पहले ही पुलिस को परिवाद दिया था अथवा पुलिस को सूचित किया था। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह पहलू उठाया है और कहा है कि परिवाद का दो विवरण हो सकता है और अभिलेख पर दोनों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। यद्यपि दिए गए प्राथमिकी पर विश्वास करने का इच्छुक नहीं होने पर यह संदेह उत्पन्न करता है कि पुलिस को दी गयी प्राथमिकी अथवा परिवाद क्या था। क्योंकि तब भी विलंब नहीं बनाया जाएगा। स्वयं अभियोक्त्री के लिखित रिपोर्ट से हमें यह सूचित किया गया है कि उसके साथ अभिकथित रूप से बलात्कार किए जाने के बाद, उसने घटना स्थल पर अथवा तुरन्त जब वह घर से बाहर आयी थी, शोर किया था और लोग जमा हुए थे और उसने अपने अभिसाक्ष्य में भी कहा है कि लोग जमा हुए थे। किंतु, अ॰ सा॰ 5 जो अब्दुल कुद्दूस शेख है ने अपने अभिसाक्ष्य में कहा है कि जब पीड़िता उसे घटना के बारे में बता रही थी, तब घटना स्थल पर और कोई नहीं था, किंतु उसने मस्जिद जा रहे लोगों का उल्लेख किया है। अ॰ सा॰ 5 नहीं कहता है कि अभियोक्त्री ने उसे सूचित किया था कि उसका बलात्कार किया गया था। आश्चर्य होता है कि घटना क्या थी। इसके अतिरिक्त कुछ संदेह किया गया था कि जब पीड़िता के मुताबिक लोग हल्ला होने पर जमा हुए थे, तब साक्ष्य देने कोई अन्य अथवा अधिक स्वतंत्र गवाह आगे नहीं आए थे। इसके साथ-साथ अ॰ सा॰ 5 कहता है कि उस समय पर वहाँ कोई नहीं था।

19. एक अन्य महत्वपूर्ण परिस्थिति जो उन सहित जो सूचक पीड़ित के पिता के कजिन भाई हैं सहित बचाव गवाहों से आया है, यह है कि प्रकटत: पीड़िता का पिता दो अन्य के साथ अपनी पुत्री/पीड़िता के अपीलार्थी के साथ विवाह प्रस्ताव के साथ अपीलार्थी के पिता के पास गया था। किंतु विवाह नहीं हुआ था। तब अपीलार्थी के अधिवक्ता कहते हैं कि चूँकि यह भी आया है कि लड़की का पिता डकैती के मामले में अंतर्ग्रस्त था, अत: विवाह प्रस्ताव से इनकार किया गया था। इस प्रकार अधिवक्ता कहते हैं कि अपीलार्थी के प्रति पीड़िता के परिवार की ओर से दुश्मनी थी, अत: उसके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। अत: ये मामले की परिस्थितियाँ हैं।

20. अब चिकित्सीय परिस्थितियाँ ली जानी हैं। डॉक्टर ने भेदन का उल्लेख नहीं किया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता कहते हैं कि 2013 के पहले पूर्व विधि के मुताबिक भेदन अनिवार्य था। अत: भेदन की अनुपस्थिति में बलात्कार नहीं बनता है। गैर-भेदन का कारण विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया है कि हायमन मोटा एवं मांसल था। अपीलार्थी के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि कारण विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया था और न कि डॉक्टर द्वारा जिन्होंने लड़की का परीक्षण किया था। जब तक डॉक्टर ऐसा नहीं कहता है, विचारण न्यायालय द्वारा गैर-भेदन का कारण देना अनुचित होगा। यह तर्क भी किया गया था कि और चिकित्सीय अभिलेख से देखा गया है कि अभियोक्त्री के शरीर पर अन्य शारीरिक उपहति नहीं थी। यह मामला विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ द्वारा विश्वास किए गए मामले से सुभिन्न है, क्योंकि विलंब पर्याप्त रूप से अथवा समुचित रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है। अत: साक्ष्य अधिनियम की धारा 114A लागू नहीं हो सकती है।

21. इस प्रकार, मामले के तर्कों, साक्ष्य एवं अभिलेख का परिशीलन करने पर, तथ्यों एवं परिस्थितियों में, अनेक विवाद्यक उठाए गए हैं जो अपीलार्थी के विरुद्ध अभिकथन के संबंध में कुछ संदेह सृजित करते हैं। अत:, उसको संदेह का लाभ देते हुए उसे भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 376 के अधीन आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। तद्नुसार, विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 31.5.2003 का दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश अपास्त किया जाता है और अपील अनुज्ञात की जाती है। अपीलार्थी जमानत पर है, उसे उसके जमानत बंध पत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk ,o Mkñ ,lñ ,uñ ikBd] U;k;efrx.k

अरविन्दपुरी गोस्वामी

cuke

बिहार राज्य (अब झारखंड)

Criminal Appeal (DB) No. 111 of 1992 (R). Decided on 6th February, 2017.

सत्र विचारण सं॰ 85 वर्ष 1985 में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 10.6.1992 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302 एवं 201—हत्या एवं साक्ष्य का गायब होना–दोषसिद्धि एवं दंडादेश–घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है–अभियोजन द्वारा परीक्षण किए गए गवाहों ने व्यवहार्यत: अभियुक्त के विरुद्ध कुछ नहीं कहा है–अभिकथित इकबालिया

बयान अभियोजन द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है–यह दर्शाने के लिए साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त घटना के समय मृतक के साथ उपस्थित था–अपीलार्थी दोषमुक्त। (पैराएँ 7 से 13)

अधिवक्तागण.–M/s Alpana Verma, Deepak Kumar, For the Appellant; Mr. H.P. Singh, For the State.

न्यायालय द्वारा.–विद्वान न्यायमित्र श्रीमती अल्पना वर्मा, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक कुमार और राज्य के विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ श्री हरदेव प्रसाद सिंह सुने गए।

2. अपीलार्थी को सत्र विचारण सं॰ 85 वर्ष 1985 में विद्वान तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 10.6.1992 के निर्णय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 एवं 201 के अधीन अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया है और दंडादेश के बिंदु पर सुनवाई करने पर, उसी दिन को पारित आदेश द्वारा, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए आजीवन कारावास भुगतने और 500/- रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने का दंडादेश दिया गया है और उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अधीन अपराध के लिए तीन वर्षों का कठोर कारावास भुगतने और 200/- रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने का दंडादेश दिया गया है जिसके विरुद्ध यह अपील दाखिल की गयी है।

3. एस॰ डी॰ जे॰ एम॰, चास को संबोधित बोकारो स्टील सिटी पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी द्वारा दी गयी लिखित सूचना के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी जिसमें यह सूचित किया गया था कि 19.10.1984 को उसे सूचित किया गया था कि सेक्टर 1/C; बोकारो के क्वार्टर सं॰ 605 में किसी व्यक्ति ने आत्महत्या किया था, जिस पर वह अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ वहाँ गया और क्वार्टर का सामने का दरवाजा अंदर से बंद पाया। पुलिस अधिकारी क्वार्टर के पिछले भाग की ओर गया जहाँ भी एक दरवाजा था और दरवाजा धकेलने पर यह खुल गया। पुलिस दल क्वार्टर के ड्राइंग रूप में गया जहाँ मृतक का मृत शरीर तेजधार वाले हथियार द्वारा कारित अनेक उपहतियों के साथ खून से सना पड़ा हुआ था। क्वार्टर का अधिभोगी भी वहाँ आया और उसने सूचित किया कि मृतक उसका छोटा भाई है जो दिनांक 15.10.1984 को अपने भतीजे अपीलार्थी अरविन्दपुरी गोस्वामी के साथ बोकारो आया था। घटना के दिन मृतक का भाई बोकारो स्टील प्लान्ट में कर्तव्य पर गया था जहाँ उसके भतीजा ने टेलीफोन किया और सूचित किया कि उसका चाचा समस्त प्रयास के बावजूद दरवाजा नहीं खोल रहा था। तत्पश्चात, वह आया और दरवाजा बन्द पाया। उसने ड्राइंग रूम की खिड़की से देखा कि उसका भाई-खून से सना पड़ा था। प्रभारी अधिकारी जिसने सब-डिविजनल न्यायिक दंडाधिकारी, चास को लिखित सूचना दिया था ने लिखित कथन में कथन भी किया कि उसने घटना स्थल का निरीक्षण किया और समस्त घरेलू सामान यथावत थे। यह संदेह करते हुए कि परिवार के किसी सदस्य द्वारा हत्या की गयी थी, बोकारो स्टील सिटी पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गयी थी जिस आधार पर बोकारो स्टील सिटी पी॰ एस॰ केस सं॰ 301 वर्ष 1984, जी॰ आर॰ सं॰ 1047 वर्ष 1984 के तत्सम, संस्थित की गयी थी और अन्वेषण किया गया था। अन्वेषण के बाद, पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया।

4. सत्र न्यायालय को मामले की सुपुर्दगी पर, भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 एवं 201 के अधीन अपराध के लिए अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किया गया था, और अभियुक्त के निर्दोषिता का अभिवचन करने और विचारण किए जाने का दावा करने पर अभियुक्त का विचारण किया गया था।

5. विचारण के क्रम में, डॉक्टर जिसने मृतक का शव परीक्षण किया था सहित नौ गवाहों का परीक्षण किया गया था। एक न्यायालय गवाह का परीक्षण भी किया गया था जो न्यायिक दंडाधिकारी था

जिसने दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन मृतक के भाई का बयान दर्ज किया था। प्राथमिकी, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट एवं शव परीक्षण रिपोर्ट और अभिग्रहण सूची मामले में सिद्ध की गयी है और प्रदर्शों के रूप में चिन्हित की गयी है।

6. यह कथन किया जा सकता है कि अभियोजन मामले के अनुसार, यह अभिकथित किया गया है कि अभियुक्त अपीलार्थी जो मृतक का भतीजा है ने पुलिस के समक्ष यह कथन करते हुए संस्वीकृति किया था कि उसने कुल्हाड़ी से मृतक की हत्या की थी और, तत्पश्चात, उसने कुल्हाड़ी का लोहे का भाग सिटी पार्क में झील में फेंक दिया था और उसने कुल्हाड़ी का हैंडल तोड़ दिया था और हैंडल के टूटे टुकड़ों को उक्त पार्क के जंगल में फेंक दिया था। चूँकि अभियुक्त का अंडरवियर रक्तरंजित था, उसने अपना अंडरवियर भी फाड़ दिया और उक्त पार्क में फेंक दिया। यह अभिकथित किया गया है कि अभियुक्त के इकबालिया बयान के आधार पर कुल्हाड़ी का टूटा हैंडल एवं अभियुक्त का रक्तरंजित फटा अंडरवियर जब्त किया गया था और अभिग्रहण सूची तैयार की गयी थी। स्वीकृत रूप से घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है।

7. चूँकि घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है और अभियोजन द्वारा परीक्षण किए गए गवाहों ने व्यवहार्यत: अभियुक्त के विरुद्ध कुछ नहीं कहा है, मामले के आई॰ ओ॰ अ॰ सा॰ 9 इंद्रदेव पाठक तथा अ॰ सा॰ 7 डॉ॰ आर॰ एस॰ प्रसाद जिन्होंने मृतक के मृत शरीर का शव परीक्षण किया के साक्ष्य के सिवाए अन्य गवाहों के साक्ष्य पर विस्तारपूर्वक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अ॰ सा॰ 7 जिन्होंने मृतक का शव परीक्षण किया ने तेजधार वाले हथियार द्वारा कारित मृतक के मृत शरीर पर मृत्यु पूर्व उपहतियाँ सिद्ध किया है और उसने कथन किया है कि ये उपहतियाँ छुरा से कारित की जा सकती थी। उन्होंने अपने लेखन एवं हस्ताक्षर में शव परीक्षण रिपोर्ट भी सिद्ध किया है जिसे प्रदर्श 4 चिन्हित किया गया है।

8. चर्चा किया जाने वाला एकमात्र अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य मामले के आई॰ ओ॰ अ॰ सा॰ 9 इंद्रदेव पाठक का साक्ष्य है। उसने अपने द्वारा किए गए अन्वेषण के बारे में कथन किया है और उसने कथन किया है कि अन्वेषण के क्रम के दौरान अभियुक्त ने उसके समक्ष अपराध करने के बारे में संस्वीकार किया और उसकी संस्वीकृति के आधार पर कुल्हाड़ी के टूटे हैंडलों एवं फटा अंडरवियर बरामद किया गया था और उसने अभिग्रहण सूची तैयार किया था। अपने प्रति परीक्षण में, इस गवाह ने स्पष्टत: स्वीकार किया है कि उसने अभिग्रहण सूची पर अभियुक्त का हस्ताक्षर प्राप्त नहीं किया था अथवा उसने अभियुक्त को अभिग्रहण सूची की प्रति नहीं दिया था।

9. स्वीकृत रूप से, अभिकथित इकबालिया बयान भी मामले में अभियोजन द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है। यद्यपि अभियुक्त के विरुद्ध एकमात्र साक्ष्य, यदि हो, यह था कि उसकी संस्वीकृति के आधार पर कुछ बरामदगी की गयी थी, दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन दर्ज उसके बयान में उससे उसके द्वारा स्पष्ट किए जाने के लिए ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था। किंतु अभियुक्त अपीलार्थी को विचारण पर दोषी पाया गया था और भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 एवं 201 के अधीन अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया था और इसके लिए दंडादेश दिया गया था।

10. विद्वान न्यायमित्र तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है क्योंकि घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है और किसी गवाह ने अभियुक्त के विरुद्ध कुछ नहीं कहा है। अभियुक्त के विरुद्ध एकमात्र साक्ष्य अ॰ सा॰ 9 इंद्रदेव पाठक का साक्ष्य है जो आई॰ ओ॰ है जिसने कथन किया है कि अन्वेषण के क्रम में अपीलार्थी ने अपना दोष संस्वीकार किया और उसकी संस्वीकृति के आधार पर अभिकथित बरामदगी की गयी थी। किंतु, इस गवाह ने अपने प्रति परीक्षण में स्पष्टत: कथन किया है कि उसने

अभिग्रहण सूची पर अभियुक्त का हस्ताक्षर नहीं लिया था अथवा उसने अभियुक्त को इसकी प्रति नहीं सौंपा था और इस दशा में आई॰ ओ॰ का साक्ष्य विचार में नहीं लिया जा सकता है। वस्तुत: अभियुक्त का इकबालिया बयान भी सिद्ध नहीं किया गया है और दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन उसका बयान दर्ज करते हुए उसके विरुद्ध इन परिस्थितियों के बारे में अभियुक्त से प्रश्न नहीं किया गया था। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ताओं ने निवेदन किया कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि एवं दंडादेश विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है।

11. दूसरी ओर, विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने प्रार्थना का विरोध किया है और निवेदन किया है कि अभियोजन अपना मामला समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध करने में इस तथ्य की दृष्टि में सक्षम हुआ है कि यही अभियुक्त अपने चाचा के साथ बोकारो आया था और प्राथमिकी के मुताबिक वह घटना के समय पर मृतक के साथ अकेला था। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इस तथ्य की दृष्टि में कि उसने अपना दोष संस्वीकार किया था जो बरामदगी की ओर ले गया, अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे उसके विरुद्ध आरोप सिद्ध करने में सक्षम रहा है और अपीलार्थी को सही प्रकार से अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किया गया है।

12. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं अभिलेख का परिशीलन करने पर, हम यह दर्शाने के लिए कोई 'साक्ष्य पाने में अक्षम हैं' कि अभियुक्त घटना के समय पर मृतक के साथ उपस्थित था। वस्तुत: घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है और अभियुक्त के विरुद्ध एकमात्र परिस्थिति मामले के अ॰ सा॰ 9 आई॰ ओ॰ का साक्ष्य है कि अभियुक्त ने अपना दोष संस्वीकार किया था और उसकी संस्वीकृति के आधार पर रक्तरंजित अंडरवियर और कुल्हाड़ी के टूटे हैंडल बरामद किए गए थे। आई॰ ओ॰ ने अपने प्रति परीक्षण में भी स्वीकार किया है कि यद्यपि उसने अभिग्रहण सूची तैयार किया था जिसे उसने विचारण के दौरान सिद्ध भी किया था, किंतु उसने स्वीकार किया था कि अभिग्रहण सूची पर अभियुक्त का हस्ताक्षर नहीं लिया था, और इसकी प्रति अभियुक्त को नहीं दी गयी थी। मामले के उस दृष्टिकोण में, साक्ष्य का यह टुकड़ा अपीलार्थी के दोष के निष्कर्ष और उसकी दोषसिद्धि की ओर नहीं ले जा सकता है। हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त के विरुद्ध मामला सिद्ध करने में बुरी तरह विफल रहा है और यह व्यवहार्यत: अभियुक्त अपीलार्थी के विरुद्ध साक्ष्य नहीं होने का मामला है। परिणामस्वरुप, विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है और अपीलार्थी आरोप से दोषमुक्त होने का हकदार है।

13. पूर्वोल्लिखित चर्चा की दृष्टि में, सत्र विचारण सं॰ 85 वर्ष 1985 में विद्वान तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 10.6.1992 का दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है और अपीलार्थी को आरोप से दोषमुक्त किया जा सकता है। अपीलार्थी जमानत पर है और उसे उसके जमानत बंधपत्र के दायित्व से उन्मोचित एवं स्वतंत्र किया जाता है।

14. परिणामस्वरुप, यह अपील अनुज्ञात की जाती है।

15. हमें विद्वान न्यायमित्र द्वारा बहुमूल्य सहायता दी गयी है और इस दशा में वह 'झालसा' द्वारा भुगतेय अपने ग्राह्य शुल्क की हकदार होंगी। आवश्यक कार्रवाई के लिए इस आदेश की प्रति सदस्य सचिव, 'झालसा', राँची को भेजी जाए।

16. इस निर्णय की प्रति के साथ अवर न्यायालय अभिलेख तुरन्त वापस भेजे जाएँ।

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

रूही

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr.M.P. No. 458 of 2016. Decided on 2nd February, 2017.

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961—धाराएँ 3/4 सहपठित भा॰ दं॰ सं॰ की धाराएँ 498A, 323, 504—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धाराएँ 320 एवं 482—दहेज अपराध–संज्ञान–पक्षों के बीच विवाद अंततः सुलझा दिया गया है–अभियुक्तों के विरुद्ध दांडिक अभियोजन जारी रखना समुचित नहीं होगा–दांडिक कार्यवाही अभिखंडित। (पैराएँ 6 एवं 7)

अधिवक्तागण.–Mr. A.K. Sahani, For the Petitioner; APP. For the State; Mr. Syed Saif Ahmed, For the O.P. No.2.

आदेश

पक्षकारों को सुना।

2. इस आवेदन में, याची ने विद्वान सब–डिविजनल न्यायिक दंडाधिकारी, राँची द्वारा पारित दिनांक 10.1.2012 के आदेश जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन भारतीय दंड संहिता की धाराओं 498A, 323 एवं 504 के अधीन और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए संज्ञान लिया गया है सहित परिवाद मामला सं॰ 1085 वर्ष 2011 के संबंध में संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है।

3. यह प्रतीत होता है कि विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा परिवाद मामला संस्थित किया गया था जिसमें यह अभिकथित किया गया है कि उसका विवाह 2.10.2009 को याची अर्थात् सैयद जोहेब अहमद के पुत्र के साथ संपन्न किया गया था। यह अभिकथित किया गया है कि विवाह के बाद ससुराल वालों द्वारा दहेज मांगा गया था और इसे परिपूर्ण नहीं किए जाने के कारण विरोधी पक्षकार सं॰ 2 को राँची में उसके माएके में छोड़ दिया गया था और अभियुक्तों ने उसके गहने भी रख लिए थे। आगे यह अभिकथित किया गया है कि बार–बार 25 लाख रुपयों की मांग की गयी थी और अंततः 22.9.2010 को अभियुक्तों ने विरोधी पक्षकार सं॰ 2 पर प्रहार किया और उसको गाली दिया एवं अपमानित किया था जिसका परिणाम परिवाद मामला के संस्थापन में हुआ। परिवाद मामला दाखिल किए जाने के बाद, परिवादी एवं उसके गवाहों का सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान पर परीक्षण करके दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 202 के अधीन जाँच संचालित की गयी थी और विद्वान अवर न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धाराओं 498A, 323, 504 एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन अपराध का संज्ञान लिया गया था।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री ए॰ के॰ साहनी द्वारा निवेदन किया गया है कि पक्षों के बीच मामले में सुलह हुआ है जिसके लिए उन्होंने स्वयं याचिका में दाखिल संयुक्त सुलह याचिका को निर्दिष्ट किया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि सुलह के निबंधनों एवं शर्तों को परिपूर्ण किया गया है क्योंकि एक लाख रुपयों की राशि और 2 लाख रुपयों की पश्चातवर्ती मांग का भुगतान विरोधी पक्षकार सं॰ 2 को किया गया है। यह निवेदन किया गया है कि विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा दाखिल भरण–पोषण मामला सं॰ 174 वर्ष 2011 विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा वापस ले लिया गया है। विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं

कि चूँकि मामले में सुलह हो गया है, परिवाद मामला सं॰ 1085 वर्ष 2011 के संबंध में संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अभिखंडित एवं अपास्त कर दी जाए।

5. वि॰ प॰ सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता ने सुलह का तथ्य स्वीकार किया है तथा निवेदन किया है कि 2 लाख रुपये की पश्चातवर्ती राशि विपक्षी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा कुछ दिनों पहले प्राप्त की गयी है। आगे यह निवेदन किया गया है कि विपक्षी पक्षकार सं॰ 2 को अभियुक्त व्यक्तियों में से किसी के विरूद्ध कोई व्यथा नहीं है तथा इसलिए उसे कोई आपत्ति नहीं है अगर परिवाद केस सं॰ 1085 वर्ष 2011 के सम्बन्ध में सम्पूर्ण दाण्डिक कार्यवाहियाँ अभिखंडित तथा अपास्त की जाती है।

6. करार के निबंधन एवं शर्त जो उक्त याचिका में परिलक्षित किए गए हैं, सुझाते हैं कि आरंभ में विरोधी पक्षकार सं॰ 2 को भरण-पोषण मामला सं॰ 174 वर्ष 2011 को वापस लेने के चरण पर एक लाख रुपया का भुगतान किया जाना था। विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा मामला वापस लिए जाने के बाद 2 लाख रुपयों की पश्चातवर्ती राशि का भुगतान किया जाना था। चूँकि सुलह के उक्त निबंधनों एवं शर्तों को अस्पष्ट पाया गया था, इस न्यायालय ने दिनांक 19.1.2017 के आदेश द्वारा याची के विद्वान अधिवक्ता को अनुदेश लेने का निर्देश दिया गया था कि क्या याची पक्षों के बीच हुए सुलह के संबंध में विचार किए जाने के पहले 2 लाख रुपयों का भुगतान करने के लिए तैयार है। याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि दिनांक 19.1.2017 के आदेश में इस न्यायालय के निर्देश का पालन करते हुए डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में 2 लाख रुपयों की राशि का भुगतान विरोध पक्षकार सं॰ 2 को पहले ही कर दिया गया है जिस तथ्य को विपक्षी पक्षकार सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया गया है।

7. चूँकि पक्षों के बीच विवाद अंतिम रूप से सुलझा दिया गया है, अभियुक्तों के विरुद्ध दांडिक अभियोजन जारी रखना समुचित नहीं होगा। यहाँ उपर की गयी चर्चा की दृष्टि में, यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है और विद्वान सब-डिविजनल न्यायिक दंडाधिकारी, राँची द्वारा पारित दिनांक 10.1.2012 के आदेश जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन भारतीय दंड संहिता की धाराओं 498A, 323 एवं 504 के अधीन भी दंडनीय अपराध के लिए संज्ञान लिया गया है सहित परिवाद मामला सं॰ 1085 वर्ष 2011 के संबंध में संपूर्ण दांडिक कार्यवाही एतद् द्वारा अभिखंडित एवं अपास्त किया जाता है।

लंबित आई॰ ए॰, यदि हो, निपटाया जाता है।

---

ekuuh; vuUr fct ; flg] U;k;efr

उमा देवी एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Appeal (S.J.) No. 35 of 2017. Decided on 20th February, 2017.

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989—धारा 18—अग्रिम जमानत पर प्रतिषेध–परिवादियों ने अपीलार्थियों जिन्होंने सूचक का उसकी जाति का नाम लेकर अपमान किया है का नाम प्रकट नहीं किया है–अपीलार्थी ने मस्तक पर छह उपहतियाँ पायी है–आक्षेपित आदेश अपास्त किया गया और अग्रिम जमानत प्रदान किया गया। (पैराएँ 4 से 6)

अधिवक्तागण.–Mr. Moti Gope, For the Appellants; APP, For the Respondent.

आदेश

अपीलार्थी ने ए० बी० पी० सं० 1382/2015 में अपर सत्र न्यायाधीश I, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 10.6.2016 के आदेश से व्यथित होकर यह अपील दाखिल किया है जिसके द्वारा अपीलार्थी का अग्रिम जमानत अस्वीकार कर दिया गया था।

2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि एस० सी० एवं एस० टी० अधिनियम के अधीन मामला नहीं बनता है।

3. दिनांक 27.7.2016 के आदेश के अधीन उपहति रिपोर्ट मंगायी गयी थी और दिनांक 7.3.2016 का उपहति रिपोर्ट दर्शाता है कि अपीलार्थियों ने कड़े एवं भोथरे पदार्थ द्वारा कारित मस्तक पर छह उपहति प्राप्त किया है।

4. विद्वान ए० पी० पी० ने जमानत प्रार्थना का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अग्रिम जमानत एस० सी० एवं एस० टी० अधिनियम की धारा 18 के अधीन पोषणीय नहीं है।

5. पक्षों को सुनने के बाद और अभिकथन तथा अभिलेख का परिशीलन करने पर प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि परिवादीगण ने अपीलार्थियों का नाम प्रकट नहीं किया है जिन्होंने सूचक का उसकी जाति का नाम लेकर अपमान किया है।

6. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, यह अपील अनुज्ञात की जाती है और ए० बी० पी० सं० 1382/2015 में अपर सत्र न्यायाधीश I, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 10.6.2016 का आदेश एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है। उक्त नामित अपीलार्थियों को इस आदेश की तिथि से पाँच सप्ताह के भीतर अवर न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है, और उनकी गिरफ्तारी अथवा आत्मसमर्पण की स्थिति में अवर न्यायालय सदर (एस० टी०/एस० सी०) पी० एस० केस सं० 25/2015, जी० आर० सं० 4432/2015 के तत्सम, के संबंध में दं० प्र० सं० की धारा 438 (2) के अधीन अधिकथित शर्तों के अध्यधीन और आगे शर्त की प्रत्येक अपीलार्थीगण आत्मसमर्पण की तिथि पर सूचक को तद्अंतरिम मुआवजा के रूप में अवर न्यायालय में 5000/- रुपया जमा करेंगे के अध्यधीन जे० एम० प्रथम श्रेणी, हजारीबाग की संतुष्टि के प्रति प्रत्येक समान राशि की दो प्रतिभूतियों के साथ 10,000/- (दस हजार) रुपयों का जमानत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर उक्त नामित अपीलार्थियों को जमानत पर निर्मुक्त करेगा।

7. अपीलार्थियों द्वारा पूर्वोक्त राशि जमा करने पर अवर न्यायालय सूचक नकुल रजक को नोटिस जारी करेगा और उसकी उपस्थिति तथा समुचित सत्यापन पर सूचक नकुल रजक के पक्ष में पूर्वोक्त राशि निर्मुक्त करेंगे।

8. राशि का पूर्वोक्त जमा विचारण के दौरान अपीलार्थियों के मामले पर प्रतिकूलता कारित नहीं करेगा।

9. इस आदेश की प्रति अवर न्यायालय को संसूचित की जाए।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk ,o Mkñ ,lñ ,uñ ikBd] U;k;efrx.k

अशोक कुमार दत्ता उर्फ अमित

cuke

किशोर कुमार महतो एवं एक अन्य

F.A. No. 168 of 2016. Decided on 20th February, 2017.

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955—धारा 13—तलाक–पत्नी द्वारा जारकर्म एवं क्रूरता–यद्यपि अपीलार्थी नोटिस पर अवर न्यायालय में उपस्थित हुआ था और अपना लिखित कथन भी अवर

न्यायालय में दाखिल किया था किंतु उसने अपने दावा के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दिया था–अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री अभिपुष्ट किया गया।

(पैराएँ 9 एवं 10)

अधिवक्तागण.–Mr. Gautam Kumar, For the Appellant; Mr. Shekhar Prasad Sinha, For the Respondent.

आदेश

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी सं॰ 1 के विद्वान अधिवक्ता सुने गए। उसको जारी नोटिस के बावजूद प्रत्यर्थी सं॰ 2 उपस्थित नहीं हुई है।

2. अपीलार्थी वैवाहिक वाद सं॰ 361 वर्ष 2011 में पारित दिनांक 10.8.2016 की डिक्री एवं निर्णय से व्यथित है जिसके द्वारा प्रत्यर्थी सं॰ 1 द्वारा अवर न्यायालय में प्रत्यर्थी सं॰ 1 एवं वर्तमान प्रत्यर्थी सं॰ 2 के बीच विवाह जारकर्म एवं क्रूरता के आधार पर विघटित करने के लिए दाखिल वाद अवर न्यायालय द्वारा डिक्री किया गया है।

3. वर्तमान अपीलार्थी अवर न्यायालय में प्रत्यर्थी सं॰ 2 था जिसके साथ, याची पति द्वारा अभिकथित किया गया है, कि प्रत्यर्थी पत्नी जारकर्म संबंध में थी।

4. याची एवं प्रत्यर्थी सं॰ 1 पत्नी द्वारा अवर न्यायालय में अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य के आधार पर वाद याची पति के पक्ष में डिक्री किया गया था।

5. हमने कार्यालय से पूछताछ किया है और कार्यालय रिपोर्ट दर्शाता है कि प्रत्यर्थी पत्नी ने आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर इस न्यायालय में कोई अपील दाखिल नहीं किया है।

6. आक्षेपित निर्णय यह भी दर्शाता है कि यद्यपि अपीलार्थी ने अवर न्यायालय में अपना लिखित कथन दाखिल किया है, किंतु उसने अवर न्यायालय में मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल नहीं किया था।

7. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आक्षेपित निर्णय उस पर कलंक है क्योंकि विवाद्यक सं॰ 3 विनिश्चित करते हुए अवर न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि साक्ष्य के आधार पर याची स्थापित करने में सक्षम हुआ था कि प्रत्यर्थी सं॰ 1 एवं 2 (अवर न्यायालय में) ने जारकर्म किया था और इस दशा में याची जारकर्म सिद्ध करने में सफल हुआ था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि यद्यपि अपीलार्थी ने अपने लिखित कथन में जारकर्म के अभिकथन से इनकार किया था, किंतु अवर न्यायालय द्वारा दिया गया यह निष्कर्ष उस पर कलंक है। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आक्षेपित निर्णय विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है, जहाँ तक यह अपीलार्थी को कलंकित करता है।

8. प्रत्यर्थी सं॰ 1 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया है।

9. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं आक्षेपित निर्णय का परिशीलन करने पर, हम पाते हैं कि यद्यपि अपीलार्थी नोटिस पर अवर न्यायालय में उपस्थित हुआ था और अवर न्यायालय में अपना लिखित कथन दाखिल भी किया था, किंतु उसने अपने दावा के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दिया था।

10. इस तथ्य की दृष्टि में कि इसके लिए पूरा अवसर होने पर भी अपीलार्थी ने अवर न्यायालय में कोई साक्ष्य नहीं दिया था, हम अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं जिसे अवर न्यायालय में याची एवं प्रत्यर्थी सं॰ 1 द्वारा अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य पर विचार

करने के बाद पारित किया गया है और इस दशा में हम अपीलार्थी द्वारा दाखिल इस अपील में गुणागुण नहीं पाते हैं।

11. तद्नुसार, यह अपील ग्रहण के चरण पर ही खारिज की जाती है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg ,o vkuUn lu] U;k;efrx.k

राजेश गंझू

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Appeal (DB) No. 935 of 2015. Decided on 22nd February, 2017.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 307—आयुध अधिनियम, 1959—धारा 25 (1-B) a—सी॰ एल॰ ए॰ अधिनियम की धारा 17—हत्या का प्रयास–दोषसिद्धि एवं दंडादेश–अभियोजन एम॰ सी॰ सी॰ नक्सलियों के साथ गंभीर मुठभेड़ के अभिकथन पर आधारित है किंतु किसी भी पक्ष को उपहति नहीं हुई है–स्वतंत्र गवाहों का परीक्षण नहीं किया गया है यद्यपि अभिग्रहण सूची गवाहों का परीक्षण किया गया है–अपीलार्थी अपील लंबित रहने के दौरान दंडादेश के निलंबन के विशेषाधिकार के योग्य है–जमानत प्रदान किया गया। (पैराएँ 4 से 6)

अधिवक्तागण.–Mr. Rajiv Lochan, For the Appellant; Mr. S.K. Keshri, For the State.

आदेश

आई॰ ए॰ संख्या 4273 वर्ष 2016

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ सुने गए।

2. अपीलार्थी जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है को 10,000/- रुपयों के जुर्माना और उसके व्यतिक्रम में 2 माह का सामान्य कारावास भुगतने के साथ 10 वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है। उसे आगे आयुध अधिनियम की धारा 25 (1B)a के अधीन अपराध के लिए 1000/- रुपया के जुर्माना के साथ 3 वर्ष का कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है। उसे आगे सी॰ एल॰ ए॰ अधिनियम की धारा 17 के अधीन अपराध के लिए 2000/- रुपयों के जुर्माना के साथ 3 वर्ष का कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है और जुर्मानों के पूर्वोक्त दो भुगतानों के व्यतिक्रम में 2 माह का कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है। समस्त दंडादेश समवर्ती रूप से चलेंगे।

3. अपीलार्थी ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 148/353/149/307/149, 414/149 सहपठित आयुध अधिनियम की धारा 25 (1B)a/26/27/35 और सी॰ एल॰ ए॰ अधिनियम की धारा 27 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए विचारण का सामना किया।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि यद्यपि अभियोजन का संपूर्ण मामला कुरु पुलिस थाना के अधीन कालीपुर वन में एम॰ सी॰ सी॰ नक्सलाइटों के साथ गंभीर मुठभेड़ के अभिकथन पर आधारित है, किंतु किसी पक्ष को उपहतियाँ नहीं आयी है। किंतु अपीलार्थी को अभिकथित रूप से .303 बोर पुलिस राइफलों एवं विनडोलिया में रखे गए 24 चक्र कारतूसों तथा चार्जन के पाँच टुकड़ों के साथ गिरफ्तार किया गया था। यद्यपि यह अभिकथित किया गया है कि उग्रवादियों द्वारा 25-30 चक्र गोली चलायी गयी थी, किंतु घटना स्थल पर खाली कारतूस नहीं पाया गया था। तथापि, अपीलार्थी को

अभियोजन गवाहों के परिसाक्ष्य पद दोषसिद्ध किया गया है, जो छापा दल के सदस्य हैं। स्वतंत्र गवाहों जिनकी उपस्थिति में अभिग्रहण सूची तैयार की गयी थी, का परीक्षण नहीं किया गया है यद्यपि अभिग्रहण सूची का लेखक अर्थात् शशिकान्त कुजूर का परीक्षण किया गया है। यह निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी का आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है और उसने जमानत के विशेषाधिकार का दुरुपयोग कभी नहीं किया है, जैसा विपक्षी पक्षकारों द्वारा दाखिल प्रतिशपथ पत्र से प्रकट होगा। अपीलार्थी ने दोषसिद्धि के बाद डेढ़ वर्ष से अधिक समय तक और विचारण के दौरान 10 माह तक अभिरक्षा भुगता है। अत:, वह अपील के लंबित रहने के दौरान दंडादेश के निलंबन के लाभ का हकदार है, जिसे अनेक वर्ष बाद अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा सकता है।

5. राज्य के विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है। यह निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी को घटना स्थल से गिरफ्तार किया गया है जहाँ एम॰ सी॰ सी॰ उग्रवादियों द्वारा अनेक चक्र गोली चलायी गयी थी। अपीलार्थी ने अनेक सहयोगियों का नाम भी प्रकट किया है, जो अभी भी फरार हैं। उसकी अभिरक्षा से आग्नेयास्त्र बरामद किए गए हैं और उपायुक्त द्वारा अभियोजन की मंजूरी भी प्रदान की गयी है। अत:, वह दंडादेश के निलंबन के विशेषाधिकार का हकदार नहीं है।

6. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन पर विचार किया है और आक्षेपित निर्णय एवं अवर न्यायालय अभिलेख का परिशीलन किया है। विचारण के दौरान दिए गए अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के न्यायालयिक संवीक्षण पर हमारा मत है कि अपीलार्थी अपील लंबित रहने के दौरान दंडादेश के निलंबन के विशेषाधिकार का हकदार है। किंतु, हम मामले के गुणागुण पर आगे टिप्पणी करने से परहेज करते हैं ताकि यह अंतिम न्याय निर्णयण के समय पर पक्षों के मामले पर प्रतिकूलता कारित न कर सके। तद्नुसार, अपील के लंबित रहने के दौरान, पूर्व नामित अपीलार्थी को एस॰ टी॰ सं॰ 244 वर्ष 2006 के संबंध में अपर सत्र न्यायाधीश II, लोहरदग्गा की संतुष्टि हेतु समान राशि की दो प्रतिभूतियों के साथ 10,000/- रुपयों का जमानत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर निर्मुक्त किया जाए।

7. तद्नुसार, आई॰ ए॰ सं॰ 4273 वर्ष 2016 निपटाया जाता है।

---

ekuuh; MkW ,l ,u ikBd] U;k;efr

बबलू मुर्मू

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 7142 of 2011. Decided on 17th February, 2017.

सेवा विधि–अनुकंपा पर नियुक्ति–उस तिथि पर जब जिला स्थापना कमिटी की बैठक की गयी थी और निदेशक द्वारा अनुशंसा भी की गयी थी–गलती प्रत्यर्थियों की ओर से है जिसने बैठक में याची का मामला नहीं रखा था–याची का मामला गलत रूप से अस्वीकार किया गया है क्योंकि यह दुश्मनीपूर्ण भेदभाव के तुल्य है–याची के पास वर्ग IV पद पर नियुक्ति के लिए वैध आधार है–रिट याचिका अनुज्ञात की गयी। (पैराएँ 7 एवं 8)

निर्णयज विधि.–2015 (3) JLJR 21(SC)—Relied; (2006)12 SCC 44—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s Saurabh Shekhar, Rohit Sinha, Neha Sinha, For the Petitioner; Mr. Abhijeet Kumar Singh, For the Respondents.

डॉ॰ एस॰ एन॰ पाठक, न्यायमूर्ति.–याची के लिए उपस्थित श्री रोहित सिन्हा एवं सुश्री नेहा सिन्हा की सहायता से विद्वान अधिवक्ता श्री सौरभ शेखर सुने गए। अधिवक्ता श्री अभिजीत कुमार सिंह द्वारा राज्य का प्रतिनिधित्व किया गया है।

2. याची ने जिला स्थापन कमिटी द्वारा लिए गए दिनांक 13.9.2011 के निर्णय के अभिखंडन की प्रार्थना के साथ वर्तमान रिट याचिका दाखिल किया है जिसके द्वारा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए उसका दावा इस आधार पर अस्वीकार किया गया है कि वह वित्त विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जारी दिनांक 2.9.2011 के पत्र सं॰ 1859 के अनुसरण में दसवीं में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र नहीं रखता है।

3. <u>ताथ्यिक मैट्रिक्स</u>

याची का पिता अर्थात् स्वर्गीय नंदलाल मुर्मू जिला मृदा संरक्षण अधिकारी के अधीन जंजीर बाहक के रूप में नियमित कर्मचारी था जिसकी मृत्यु सेवारत रहते हुए 21.4.2007 को हो गयी। उसकी मृत्यु के बाद याची ने सरकार के परिपत्र/योजना के अनुसरण में उसको अनुसूचित जनजाति का सदस्य दर्शाते हुए जाति प्रमाण पत्र के साथ कक्षा आठ उत्तीर्ण के रूप में अपनी शैक्षणिक अर्हत्ता को उसमें देते हुए अनुकंपा के आधार पर चतुर्थ वर्ग पद पर अपनी नियुक्ति के लिए आवेदन दिया। जिला मृदा संरक्षण अधिकारी द्वारा दिनांक 8.10.2010 के अपने पत्र सं॰ 642 के तहत चतुर्थ वर्ग पद पर नियुक्ति के लिए उसके मामले पर विचार करने के लिए उसका मामला सम्यक रूप से अनुशंसित किया गया था। निदेशक, मृदा संरक्षण ने समुचित संवीक्षण के बाद दिनांक 7.2.2011 के अपने पत्र सं॰ 124 के तहत उसकी नियुक्ति के लिए याची का मामला अनुशंसित किया और इसे उपायुक्त, देवघर के समक्ष अग्रसारित किया। तत्पश्चात, दिनांक 9.2.2011 को स्थापना कमिटी की बैठक की गयी थी किंतु उक्त बैठक में याची का मामला नहीं रखा गया था क्योंकि यह अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित है।

4. याची का मामला यह है कि दिनांक 19.2.2011 से सात माह बीतने के बाद अर्थात् दिनांक 13.9.2011 को जिला स्थापना कमिटी की बैठक पुनः बुलायी गयी थी और उस तिथि पर याची की उम्मीदवारी इस आधार पर अस्वीकार कर दी गयी थी कि वित्त विभाग द्वारा जारी दिनांक 2.9.2011 के पत्र सं॰ 1859 के अनुसरण में, चतुर्थ वर्ग पद पर नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हत्ता अब कक्षा 10 उत्तीर्ण बन गयी है और इस दशा में याची के कक्षा 8 उत्तीर्ण होने के कारण उसे अनुकंपा के आधार पर नियुक्त नहीं किया जा सकता था। याची ने व्यथित होकर, वर्तमान रिट याचिका दाखिल किया है।

5. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री सोरभ शेखर निवेदन करते हैं कि प्रत्यर्थी–प्राधिकारियों ने चतुर्थ वर्ग पद पर नियुक्ति के लिए याची का मामला अवैध एवं मनमाने रूप से अस्वीकार किया है और प्रत्यर्थियों की ओर से ढिलाई एवं गलती के कारण उसका मामला समय पर अर्थात् 19.2.2011 को जिला स्थापन कमिटी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था यद्यपि यह 7.2.2011 को ही अनुशंसा के साथ जिला स्थापन कमिटी के पास पहुँच गया था और इस दशा में, याची के मामले पर विचार नहीं किया जाना दुश्मनीपूर्ण भेदभाव के तुल्य है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क किया कि वित्त विभाग द्वारा जारी किया गया दिनांक 2.9.2011 का पत्र याची का दावा अस्वीकार करते हुए गलत रूप से जिला स्थापना कमिटी द्वारा विचार में लिया गया है क्योंकि वित्त विभाग द्वारा जारी किया गया उक्त पत्र भिन्न वेतन बैंड में वेतनमान के नियतिकरण से संबंधित है और यह भिन्न कोटि में नियुक्त किए जाने के लिए विहित अर्हता के संबंध

में नहीं कहता है और इस दशा में, दिनांक 2.9.2011 के उक्त पत्र के आधार पर मामले के अस्वीकरण के लिए प्रत्यर्थियों द्वारा लिया गया आधार पूर्णत: आधारहीन है और इस दशा में प्रत्यर्थियों ने पूर्वोक्त पत्र पर विश्वास करके घोर अवैधता किया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे **अभिषेक कुमार बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य, (2006)12 SCC 44,** मामले में दिए गए निर्णय पर विश्वास किया है।

6. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों ने प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया है। प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिजीत कुमार सिंह ने प्रार्थना का जोरदार विरोध किया है और आगे आक्षेपित आदेश को न्यायोचित ठहराने का प्रयास यह कथन करते हुए किया है कि प्रत्यर्थियों ने सम्यक विचार किया है और चूँकि याची दिनांक 2.9.2011 के पत्र सं॰ 1859 के तहत जारी वित्त विभाग के परिपत्र की दृष्टि में आवश्यक अर्हत्ता परिपूर्ण नहीं कर रहा है, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए उसके मामले पर विचार नहीं किया गया है।

7. मामले के अभिलेख एवं पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क के परिशीलन पर मेरा सुविचारित दृष्टिकोण है कि याची का मामला गलत रूप से अस्वीकार किया गया है क्योंकि यह दुश्मनीपूर्ण भेदभाव के तुल्य है। उस तिथि पर जब उपायुक्त की अध्यक्षता के अधीन जिला स्थापना कमिटी की बैठक की गयी थी, याची का मामला वस्तुत: वहाँ था और निदेशक, मृदा संरक्षण द्वारा अनुशंसित भी किया गया था। गलती प्रत्यर्थियों की ओर से है जिन्होंने उक्त बैठक में याची का मामला नहीं रखा था और इस दशा में उक्त तिथि पर उसके मामले में निर्णय नहीं लिया जा सकता था जिसका परिणाम वर्तमान परिदृश्य में हुआ जो दुश्मनीपूर्ण भेदभाव के तुल्य है क्योंकि समरुप व्यक्तियों को चतुर्थवर्ग पद में नियुक्ति दी गयी थी जिनके पास वही एवं समरुप अर्हता थी और जो कक्षा 10 उत्तीर्ण नहीं थे। इस संबंध में यहाँ **केनरा बैंक एवं एक अन्य बनाम एम॰ महेश कुमार एवं अन्य,** 2015 (3) JLJR 21 (SC) में दिए गए निर्णय को उद्धृत करना प्रासंगिक है:–

> *^^ijk 9.o"k fo'k"k dh ;ktuk d vèkhu vudik fu;fDr dk nkok i'pkrorh ;ktuk d vkykd e fofuf'pr ugh fd;k tk ldrk g tk nkok d dkQh ckn çHkko e vk;hA vudik ij fu;fDr d vujkèk ij dBkjrkiod 'kkfIr dju okyh ;ktuk d vu#i fopkj fd;k tkuk g vkj ;ktuk l vlc) vudik fu;fDr dju d fy, çkfèkdkfj;k dk Lofood ugh fn;k x;k gA***

8. पूर्वोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, सुनिश्चित सिद्धांतों, नियमों एवं मार्गदर्शक सिद्धांतों एवं इस संबंध में दिए गए निर्णय पर विचार करते हुए मेरा सुविचारित मत है कि याची के पास चतुर्थ वर्ग पद पर नियुक्ति के लिए वैध आधार है और इस दशा में, जिला स्थापन कमिटी द्वारा लिया गया दिनांक 13.9.2011 का निर्णय एतद् द्वारा अभिखंडित किया जाता है और प्रत्यर्थियों को यहाँ उपर किए गए संप्रेक्षण के आलोक में नए सिरे से याची के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसा निर्णय इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुति की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर लेना होगा।

तद्नुसार यह रिट याचिका पूर्वोक्त संप्रेक्षणों एवं निर्देशों के साथ अनुज्ञात की जाती है।

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

राम इकबाल चौधरी 'रमन'

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(S) No. 2022 of 2007. Decided on 17th February, 2017.

सेवा विधि–सेवा निवृत्ति–विधि में समयपूर्व सेवा निवृत्ति आदेश, यदि इसे विभागीय कार्यवाही में पारित नहीं किया गया है, कर्मचारी को दंड के रूप में नहीं माना जाता है–अपीलीय प्राधिकारी को विधि पर एवं तथ्य पर कारखाना मुख्य निरीक्षक द्वारा पारित आदेश की वैधता का परीक्षण करने की अधिकारिता थी–अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अभिपुष्ट। (पैराएँ 5 एवं 6)

अधिवक्तागण.–Mr. P.P.N. Roy, For the Petitioner; M/s Ashok Kumar Singh, Sarvendra Kumar, For the Resp.-State; M/s Indrajit Sinha, Arpan Mishra, For the Resp. No.3.

आदेश

याची अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 30.12.2006 के आदेश से व्यथित है।

2. रिट याचिका में प्रकट किए गए तथ्य वाद का लंबा इतिहास प्रकट करते हैं। जब याची के दिनांक 6.11.1999 के आवेदन पर कारखाना मुख्य निरीक्षक, झारखंड ने कदम नहीं उठाया था, याची सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 1441 वर्ष 2001 में इस न्यायालय के पास आया। परिणामस्वरुप, मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा 10.9.2001 को आदेश पारित किया गया था जिसे अपीलीय प्राधिकारी/सचिव, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखंड सरकार) द्वारा दिनांक 3.8.2002 के अपने आदेश के तहत इस आधार पर अभिखंडित किया गया था कि उक्त आदेश मामले में समुचित जाँच किए बिना पारित किया गया था। वापस भेजे जाने पर, मुख्य कारखाना निरीक्षक ने दिनांक 10.10.2002 के आदेश द्वारा समयपूर्व सेवानिवृत्ति का आदेश अभिखंडित कर दिया, किंतु, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिनांक 17.1.2005 के आदेश के तहत पुनः इस आदेश में हस्तक्षेप किया गया था। तत्पश्चात मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा पारित दिनांक 21.10.2005 का आदेश अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष आक्षेपित आदेश था। दिनांक 21.10.2005 के आदेश को अभिखंडित करते हुए दिनांक 30.12.2006 के सचिव के आदेश को वर्तमान कार्यवाही में चुनौती दी गयी है।

3. सुना गया।

4. याची को प्रत्यर्थी टाटा आयरन एन्ड स्टील कंपनी लिमिटेड के अधीन टेक्निकल प्रोबेशनर के रूप में 2.9.1968 को नियुक्त किया गया था। दिनांक 22.10.1999 के उसके आवेदन पर कंपनी के उपाध्यक्ष द्वारा दिनांक 25.10.1999 का पत्र जारी किया गया था। याची ने 6.11.1999 को यह अभिकथित करते हुए आवेदन दाखिल किया कि उसे समयपूर्व सेवा निवृत्ति के लिए दिनांक 22.10.1999 का आवेदन दाखिल करने के लिए मजबूर किया गया था। याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री पी॰ पी॰ एन॰ रॉय प्रतिवाद करते हैं कि याची दिनांक 25.10.1999 का पत्र प्राप्त करने पर तुरन्त मुख्य कारखाना निरीक्षक के पास गया और मात्र इसलिए कि उसने सेवा निवृत्ति लाभ स्वीकार किया था, यह उसे आदेश को चुनौती देने से अपवर्जित नहीं करेगा जो, वस्तुतः दंड के रूप में उन्मोचन आदेश है। आगे यह प्रतिवाद किया गया है कि मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा दिए गए निष्कर्ष, जहाँ तक प्रत्यर्थी प्राधिकारी द्वारा की गयी अवैधता का संबंध है, में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता था। एक अन्य अभिवचन यह है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना नहीं थी और चूँकि ऐसा है, प्रत्यर्थी कंपनी द्वारा दिनांक 25.10.1999 का पत्र जारी नहीं किया जा सकता था।

5. इस अभिवचन के संदर्भ में कि दिनांक 25.10.1999 के पत्र के अधीन लाभ पाने के बाद याची अभी भी समयपूर्व सेवा निवृत्ति के आदेश को चुनौती दे सकता है, याची द्वारा विश्वास किया गया **''बेनेट कोलमैन एन्ड कं॰ प्रा॰ लि॰ बनाम पुण्य प्रियदास गुप्ता'', 1970 LIC (512)** में निर्णय प्रासंगिक नहीं है। जब तक इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जाता है कि पृथक्करण आदेश दंड के रूप में उन्मोचन आदेश है, बेनेट कोलमैन एन्ड कं॰ लि॰ में निर्णयाधार आकृष्ट नहीं होता है। स्वयं उसके कहे अनुसार, दिनांक 22.10.1999 के पत्र द्वारा याची ने इन शर्तों पर समयपूर्व सेवा निवृत्ति इप्सित किया; यदि उसे सेवानिवृत्ति लाभों एवं आनुग्रहिक राशि का भुगतान किया जाता है और उसे इन लाभों का भुगतान किया गया है, दिनांक 25.10.1999 का पत्र दंड के रूप में उन्मोचन आदेश नहीं कहा जा सकता है। अपीलीय प्राधिकारी का इस बिन्दु पर आदेश अलग छोड़ते हुए कि याची ने अपने पर अवैध दबाव का परिवाद तुरन्त नहीं किया था जिसके परिणामस्वरुप उसने दिनांक 22.10.1999 का पत्र लिखा, इस बिंदु पर याची द्वारा साक्ष्य नहीं दिया गया था। निःसंदेह 22.10.1999 को उपाध्यक्ष के चैम्बर में क्या हुआ, अनन्य रूप से याची की जानकारी के भीतर का मामला है किंतु, तथ्य बना रहता है कि याची ने अपने किसी सहयोगी को अभिकथित घटना के बारे में सूचित नहीं किया था और उनमें से किसी का परीक्षण नहीं किया गया है। डॉ॰ टी॰ मुखर्जी याची का गवाह नहीं है। कारखाना अधिनियम के अधीन कार्यवाही में उसकी अनुपस्थिति के कारण मुख्य कारखाना निरीक्षक प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं दे सकता था। यह गौर करना उपयुक्त है कि मुख्य कारखाना निरीक्षक ने दिनांक 21.10.2005 के आदेश में गौर किया है कि कंपनी द्वारा याची के विरुद्ध परिवाद नहीं किया गया था और बल्कि कंपनी ने अपने अधीन उसके काम का सराहना किया है। किंतु, इस आधार पर मुख्य कारखाना निरीक्षक ने इस सीमा तक निष्कर्ष निकाला है कि समयपूर्व सेवा निवृत्ति इप्सित करने के लिए याची के पास कारण नहीं था। मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा दिया गया निष्कर्ष प्रकटतः गलत है। उस स्थिति में याची को यह स्थापित करना है कि क्यों किसी ने उसे त्यागपत्र देने एवं समयपूर्व सेवा निवृत्ति इप्सित करने के लिए मजबूर किया। भले ही यह माना जाता है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना नहीं थी, तथ्य बना रहता है कि दिनांक 25.10.1999 का पत्र दर्ज करता है कि विशेष मामला के रूप में उसको आनुग्रहिक राशि आदि का लाभ दिया गया है। मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा पारित आदेश स्वयं अपने विचार पर आधारित है। दिनांक 25.10.1999 का आदेश (वस्तुतः पत्र अधिक) याची के विरुद्ध अभिकथन अंतर्विष्ट नहीं करता है, बल्कि याची की सेवा की सराहना दर्ज करता है। इस प्रकार, यह निश्चय ही कलंकित करने वाला नहीं है। किस प्रकार यह आदेश दंड बन जाता है, याची द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। विधि में, समयपूर्व सेवा निवृत्ति का आदेश, यदि विभागीय कार्यवाही में पारित नहीं किया गया है, कर्मचारी के लिए दंड नहीं माना जाता है। अपीलीय प्राधिकारी को विधि तथा तथ्य दोनों पर दिनांक 21.10.2005 के आदेश की वैधता का परीक्षण करने की अधिकारिता थी।

6. उक्त तथ्यों में, मैं दिनांक 30.12.2006 के आदेश में अवैधता नहीं पाता हूँ और तद्नुसार रिट याचिका खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk ,o Mkñ ,lñ ,uñ ikBd] U;k;efrx.k

करम सिंह मुण्डा

cuke

बिहार राज्य (अब झारखंड)

Criminal Appeal No. 114 of 1992. Decided on 20th February, 2017.

एस॰ टी॰ सं॰ 515 वर्ष 1987/129 में तृतीय अपर न्यायिक आयुक्त, राँची (कैम्प खूँटी) द्वारा पारित दिनांक 25.6.1992 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302/34 एवं 148—हत्या–सामान्य आशय–दोषसिद्धि एवं दंडादेश–आई॰ ओ॰ के गैर परीक्षण के कारण बचाव पक्ष पर महत्वपूर्ण रूप से प्रतिकूलता कारित हुई है जो स्वयं हत्या मामला में अभियुक्त है–अपीलार्थी संदेह के लाभ का हकदार है–दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त किया गया। (पैराएँ 12 एवं 13)

अधिवक्तागण.–Ms. Kanchan Kumari, For the Appellants; Mr. S.K. Pandey, For the State.

आदेश

अपीलार्थी करम सिंह मुण्डा के विद्वान अधिवक्ता सुने गए। संबंधित पुलिस थाना से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, अन्य समस्त अपीलार्थीगण की मृत्यु हो गयी है और इस दशा में अन्य अपीलार्थियों के विरुद्ध अपील उपशमनित हो गयी है।

2. अपीलार्थी करम सिंह मुण्डा एस॰ टी॰ सं॰ 515 वर्ष 1987/129 में तृतीय अपर न्यायिक आयुक्त, राँची (कैम्प खूँटी) द्वारा पारित दिनांक 25.6.1992 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश से व्यथित है जिसके द्वारा अपीलार्थी को दोषी पाया गया है और भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 148 एवं 302/34 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है। दंडादेश के बिंदु पर सुनवाई पर, अपीलार्थी को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302/149 के अधीन अपराध के लिए आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया था। भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 148 के अधीन अपराध के लिए पृथक दंडादेश पारित नहीं किया गया था।

3. मृतक के पुत्र पटरास पूर्ति द्वारा प्राथमिकी यह कथन करते हुए दर्ज किया गया था कि 27.3.1987 को प्रातः लगभग 10 बजे जिउत मुंडा एवं लोदरा मुंडा उसके घर आए और उसके पिता को अपने साथ यह कथन करते हुए ले गए कि भोज था। तत्पश्चात उसके पिता नहीं लौटा था और 28.3.1987 को किसी टेंगा मुंडा द्वारा सूचक को सूचित किया गया था कि उसके पिता का मृत शरीर उपहतियों के साथ नदी के निकट पड़ा था जिस पर वह वहाँ गया और अपने पिता का मृत शरीर पाया। यह कथन करते हुए कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या की गयी थी, प्राथमिकी दर्ज की गयी थी जिसके आधार पर मुरहू पी॰ एस॰ केस सं॰ 11 वर्ष 1987, जी॰ आर॰ सं॰ 147 वर्ष 1987 के तत्सम, संस्थित किया गया था और अन्वेषण किया गया था। अन्वेषण के बाद अपीलार्थी सहित छहः अभियुक्तों के विरुद्ध मामले में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया।

4. मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किए जाने पर, अभियुक्तों के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 148 एवं 302 के अधीन अपराध के लिए आरोप विरचित किया गया था जिसके प्रति उन्होंने निर्दोषिता का अभिवचन किया और विचारण किए जाने का दावा किया। विचारण के क्रम में, मामले में आठ गवाहों का परीक्षण किया गया था, किंतु अभियोजन मामला केवल अ॰ सा॰ 2 जिउत पहान के साक्ष्य पर आधारित है जो घटना के चश्मदीद गवाह होने का दावा करता है।

5. अ॰ सा॰ 1 पटरास पूर्ति सूचक और मृतक का पुत्र है और उसने केवल अपने मामले का समर्थन किया है जैसा प्राथमिकी में कथन किया गया है और उसने प्राथमिकी में हस्ताक्षर भी सिद्ध किया है जिसे प्रदर्श 1 के रूप में चिन्हित किया गया है। उसने यह कथन भी किया है कि पुलिस द्वारा रक्तरंजित मिट्टी भी जब्त की गयी थी और अभिग्रहण सूची तैयार की गयी थी जिस पर उसने एवं एक गवाह ने हस्ताक्षर किया था जिसे प्रदर्श 2 एवं 2/a के रूप में चिन्हित किया गया है। उसने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर अपना हस्ताक्षर

एवं गवाह का हस्ताक्षर भी पहचाना है जिसे प्रदर्श 3 एवं 3/a के रूप में चिन्हित किया गया था। उसने कथन किया है कि गवाह लोदरा पहान की मृत्यु हो गयी है। उसने यह कथन करते हुए कि उनके साथ दुश्मनी थी, न्यायालय में अभियुक्तों को भी पहचाना है। प्रकटत: यह गवाह घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है।

6. अ॰ सा॰ 2 जिउत पहान है जो घटना का चश्मदीद गवाह है। इस गवाह ने कथन किया है कि वह लोदरा के साथ मृतक के घर गया था और उसके साथ अपने दामाद केदार मुंडा के घर गया था। अपराह्न लगभग 4 बजे जब वे लौट रहे थे और नदी के निकट पहुँचे, अचानक छह व्यक्ति पत्थर फेंकने लगे और तत्पश्चात अपीलार्थी सहित उन छह व्यक्तियों ने मृतक को घेर लिया और टांगी, भाला आदि से उस पर प्रहार करने लगे जिस कारण उसकी मृत्यु हो गयी। इस गवाह ने यह कथन भी किया है कि वह लोदरा के साथ एक अन्य स्थान पर गया था और वहाँ रातभर रूका था। अगले दिन वह सूचक के घर आया और मृतक की पत्नी को घटना के बारे में सूचित किया और उस समय सूचक पुलिस थाना गया था। उसने यह कथन भी किया है कि अभियुक्तों एवं मृतक के बीच दुश्मनी थी। अपने प्रति परीक्षण में इस गवाह ने स्वीकार किया है कि वह लोदरा मुंडा जो उसका कजिन था और जिसके साथ वह सूचक के घर गया था की हत्या के संबंध में कारा में था।

7. अ॰ सा॰ 3 कान्दे पहान एवं अ॰ सा॰ 5 गोमा मुंडा को केवल अभियोजन द्वारा निविदत्त किया गया था। अ॰ सा॰ 4 केदार मुंडा को केवल मृतक की हत्या के बारे में सूचित किया गया था। उसने अभियुक्तों के विरुद्ध कुछ नहीं कहा है। अ॰ सा॰ 6 टेन्गा मुंडा ने केवल मृत शरीर देखा था। उसने सूचक को मृत शरीर के बारे में सूचित किया था। उसने भी अभियुक्तों के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा है।

8. अ॰ सा॰ 7 डॉ॰ एस॰ एन॰ प्रसाद है जिन्होंने मृतक के मृत शरीर का शव परीक्षण किया है और मृतक की मृत्यु की ओर ले जाने वाली मृत्यु पूर्व उपहति पाया है।

9. अ॰ सा॰ 8 औपचारिक गवाह है जिसने केवल प्राथमिकी सिद्ध किया है जिसे प्रदर्श 5 के रूप में चिन्हित किया गया था। मामले में आई॰ ओ॰ का परीक्षण नहीं किया गया है।

10. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि इस मामले में घटना का केवल एक चश्मदीद गवाह है जो प्राथमिकी के अनुसार मृतक को अपने साथ ले गया था और यह गवाह केवल यह कहने के लिए घटना का चश्दमीद गवाह बन गया है कि अपीलार्थी सहित छह नामित अभियुक्तों द्वारा मृतक की हत्या की गयी थी। यह निवेदन किया गया है कि इस गवाह ने पुलिस को सूचित नहीं किया था यदि वह घटना का चश्मदीद गवाह है, बल्कि वह पूरी रात दूसरे स्थान पर रूका और अगले दिन वह सूचना देने सूचक के घर गया। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि किसी अन्य संपुष्टिकारी साक्ष्य की अनुपस्थिति में इस गवाह के साक्ष्य पर विश्वास करना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि अपीलार्थी को किसी अन्य गवाह ने नामित नहीं किया है और इस मामले में आई॰ ओ॰ का भी परीक्षण नहीं किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यह अपीलार्थी को संदेह का लाभ देने के लिए सुयोग्य मामला है।

11. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया है किंतु यह स्वीकार किया गया है कि संपूर्ण अभियोजन मामला केवल अ॰ सा॰ 2 के साक्ष्य पर आधारित है।

12. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर और अभिलेख का परिशीलन करने पर हम पाते हैं कि स्वीकृत रूप से प्राथमिकी के अनुसार घटना के समय मृतक जिउत मुंडा एवं लोदरा मुंडा के साथ गया था। लोदरा मुंडा की भी हत्या कर दी गयी है और जिउत मुंडा, जो घटना का चश्मदीद गवाह होने

का दावा करता है, लोदरा मुंडा की हत्या के मामले में अभियुक्त है। यद्यपि उसने चश्मदीद गवाह होने का दावा किया है और अपीलार्थी सहित अभियुक्तों को नामित किया है किंतु उसके आपराधिक पूर्ववृत को विचार में लेते हुए उसके एकमात्र परिसाक्ष्य पर विश्वास करना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। इस मामले में आई॰ ओ॰ का परीक्षण नहीं किया गया है, और किसी अन्य गवाह ने अपीलार्थी को नामित नहीं किया है। हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, इस मामले में आई॰ ओ॰ के गैर-परीक्षण द्वारा बचाव पर महत्वपूर्ण रूप से प्रतिकूलता कारित की गयी है, और अन्यथा भी एकमात्र चश्मदीद गवाह के साक्ष्य पर विश्वास करना सुरक्षित नहीं है जो मृतक को अपने साथ ले गया था और जो स्वयं हत्या मामले में अभियुक्त है। इस मामले के तथ्यों में हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि अपीलार्थी संदेह के लाभ का हकदार है।

13. पूर्वोल्लिखित चर्चा की दृष्टि में, एस॰ टी॰ सं॰ 515 वर्ष 1987/`129 में विद्वान तृतीय अपर न्यायिक आयुक्त, राँची (कैम्प खूँटी) द्वारा पारित दिनांक 25.6.1992 का दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी करन सिंह मुंडा को संदेह का लाभ दिया जाता है और उसे समस्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थी जमानत पर है, उसे उसके जमानत बंधपत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

14. तद्नुसार यह अपील अनुज्ञात की जाती है। इस निर्णय की प्रति के साथ अवर न्यायालय को अवर न्यायालय अभिलेख वापस भेजा जाए।

---

ekuuh; MkW ,l ,u ikBd] U;k;efr

चंद्रदेव सिंह

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 5392 of 2008. Decided on 17th February, 2017.

सेवा विधि–वेतन–याची को उच्च न्यायालय द्वारा उसकी सेवा की समाप्ति का आदेश अभिखंडित किए जाने के बाद भी पदग्रहण करने से रोका गया था–सिविल सर्जन ने प्रश्नगत अवधि के लिए याची का वेतन निर्मुक्त करने का आदेश पारित किया है और उक्त आदेश वापस नहीं लिया गया था–सिविल सर्जन को याची का वेतन तुरन्त निर्मुक्त करने का निर्देश दिया गया। (पैराएँ 6 एवं 7)

अधिवक्तागण.–Mr. Kumar Vaibhav, For the Petitioner; Mr. Vishal Kumar Rai, For the Respondents.

आदेश

पक्ष सुने गए।

2. यद्यपि याची ने अनेक प्रार्थना किया है किंतु कुछ तर्कों के बाद उसने अपनी प्रार्थना 4.8.2005 से 17.4.2007 तक की मध्यक्षेपी अवधि के लिए वेतन के भुगतान तक सीमित किया।

मामले के ताथ्यिक मैट्रिक्स

3. याची को जिला परिवार योजना अधिकारी, जिला परिवार योजना ब्यूरो, पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा के हस्ताक्षर के अधीन जारी दिनांक 21.12.1971 के पत्र सं॰ 17-8 के तहत 70-1/2-80 रुपयों के वेतनमान में रात्रि प्रहरी के रूप में अनंतिम रूप से नियुक्त किया गया था। विज्ञापन के अनुसरण में याची ने रात्रि प्रहरी के पद के लिए आवेदन दिया और उसे जिला परिवार योजना अधिकारी, चाईबासा

के हस्ताक्षर के अधीन जारी दिनांक 1.1.1973 के पत्र सं॰ 7 के तहत संविदा के आधार पर रात्रि प्रहरी के रूप में नियुक्त किया गया था। यह कथन किया गया है कि याची को सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हजारीबाग के हस्ताक्षर के अधीन जारी दिनांक 3.3.1987 के मेमो सं॰ 20 में यथा अंतर्विष्ट कार्यालय आदेश के तहत उसके पद ग्रहण करने की तिथि से परिवार योजना कामगार के रूप में प्रोन्नत किया गया था। तत्पश्चात, याची ने विभाग में सेवा दिया और उसका अकलंकित सेवा अभिलेख है। आगे यह कथन किया गया है कि स्वास्थ्य विभाग में पदधारी की नियुक्ति में कुछ अनियमितताओं का पता लगा था और इस दशा में मुख्य सचिव, बिहार, पटना ने दिनांक 19.6.1999 के अपने पत्र के तहत अवैध नियुक्तियों के संबंध में जाँच करने का निर्देश दिया। निर्देश के अनुसरण में, याची का वेतन रोका गया था। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मरकचो ने दिनांक 5.2.2004 के अपने पत्र सं॰ 51 के तहत सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा अधिकारी को याची की नियुक्ति के संबंध में सूचित किया जिसके द्वारा यह सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा अधिकारी के ध्यान में लाया गया था कि याची की नियुक्ति 1.1.1973 के पहले की गयी थी। चूँकि याची की नियुक्ति 1.1.1980 के पहले की गयी थी, याची मुख्य सचिव, बिहार पटना के हस्ताक्षर के अधीन जारी दिनांक 19.6.1999 के पत्र सं॰ 696 (22) के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है जिसके द्वारा संपूर्ण जाँच करने का निर्देश दिया गया था। यद्यपि उसकी नियुक्ति 1.1.1980 के पहले की थी किंतु याची पर मुख्य सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कोडरमा के हस्ताक्षर के अधीन दिनांक 6.12.2003 के मेमो सं॰ 27 के तहत कार्यालय आदेश तामील किया गया था जिसके द्वारा उन्होंने निर्देश दिया कि पूरे राज्य स्तर, डिविजनल स्तर एवं जिला स्तर में 1.1.1980 को अथवा इसके पहले की गयी अवैध नियुक्ति के आलोक में जाँच कमिटी ने याची की नियुक्ति अवैध पाया है, अत: याची को पत्र की प्राप्ति के दस दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने के लिए निर्देश दिया गया था। याची ने 12.1.2004 को विस्तारपूर्ण स्पष्टीकरण उसमें यह कथन करते हुए दाखिल किया है कि याची की सेवा इस आधार पर समाप्त नहीं की जा सकती है कि उसे 21.12.1971 को नियुक्त किया गया था और इस दशा में वह 1.1.1980 के बाद की गयी नियुक्ति की कोटि में नहीं आता है। जाँच के अनुसरण में, अन्य के साथ याची की सेवा दिनांक 16.3.2005 के आदेश के तहत समाप्त की गयी थी जैसा मेमो सं॰ 257 में अंतर्विष्ट है। अन्य समस्थित व्यक्तियों ने क्रमश: डब्लू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 1561 वर्ष 2005 एवं 1801 वर्ष 2005 में सेवा समाप्ति आदेश को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दिया और माननीय न्यायालय ने दिनांक 15.7.2005 के अपने आदेश के तहत दिनांक 16.3.2005 के कार्यालय आदेश सं॰ 1257 इस निर्देश एवं संप्रेक्षण के साथ अभिखंडित किया था कि **''उक्त चर्चा की दृष्टि में, ये रिट आवेदन अनुज्ञात किए जाते हैं; आदेश का आक्षेपित भाग जिसके द्वारा याचीगण का वेतन रोका गया है और उन्हें अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से रोका गया है अभिखंडित किया जाता है। चूँकि याचीगण को अवैध रूप से एवं किसी युक्तियुक्त कारण के बिना अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से रोका गया था, उन्हें मध्यक्षेपी अवधि का पूर्ण वेतन पाने का हकदार अभिनिर्धारित किया जाता है।''**

याची का मामला यह है कि यद्यपि समस्थित व्यक्तियों का पदग्रहण स्वीकार किया गया था, याची को पदग्रहण करने से रोका गया था और इस दशा में, वह इस माननीय न्यायालय द्वारा सेवा समाप्ति आदेश अभिखंडित किए जाने के बाद काम नहीं कर सकता था। याची अनेक बार 16.5.2005 से 3.8.2005 की अवधि के लिए वेतन के भुगतान के लिए प्रत्यर्थी प्राधिकारियों के समक्ष गया और प्रत्यर्थी प्राधिकारियों

द्वारा उक्त अवधि का भुगतान अनुज्ञात किया गया था। पूर्वोक्त अवधि के बाद याची को विभाग में पदग्रहण करने की अनुमति नहीं दी गयी थी। विभाग में पदग्रहण नहीं करने से व्यथित होकर, याची ने अनेक अभ्यावेदन दिया किंतु उन अभ्यावेदनों पर आदेश पारित नहीं किया गया था। अत:, इस न्यायालय में यह रिट आवेदन दाखिल किया गया है।

4. याची की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कुमार वैभव तर्क करते हैं कि चूँकि समस्थित व्यक्तियों की सेवा समाप्ति आदेश अभिखंडित किया गया था और वे पदग्रहण करने तथा मध्यक्षेपी अवधि का पूर्ण वेतन पाने के हकदार थे। विद्वान अधिवक्ता आगे तर्क करते हैं कि यद्यपि याची काम करना चाहता था, प्रत्यर्थी प्राधिकारियों ने उसे पदग्रहण करने से रोका और इस दशा में वह उक्त अवधि के दौरान काम नहीं कर सका था और मध्यक्षेपी अवधि अर्थात् 4.8.2005 से 17.4.2007 के मध्यक्षेपी अवधि के वेतन का हकदार है।

5. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों द्वारा प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है। एस॰ सी॰ IV के विद्वान जे॰ सी॰ श्री वी॰ के॰ राय ने याची की प्रार्थना का जोरदार विरोध किया है और तर्क करते हैं कि याची ने मध्यक्षेपी अवधि के लिए काम नहीं किया था, अत:, वह उक्त अवधि के लिए वेतन का हकदार नहीं है और उसका मामला उन व्यक्तियों के समरुप नहीं है जिनका सेवा समाप्ति आदेश अभिखंडित किया गया था, क्योंकि सेवा समाप्ति आदेश के अभिखंडन के बाद उन्होंने पद ग्रहण किया था जबकि याची ने पदग्रहण नहीं किया था और इस न्यायालय के समक्ष अनेक रिट याचिका दाखिल किया था और इस दशा में वह वेतन का हकदार नहीं है। अत:, यह याचिका खारिज किए जाने की दायी है।

6. पक्षों के परस्पर विरोधी निवेदनों पर विचार करने पर और मामले के अभिलेख और रिट आवेदनों में संलग्न दस्तावेजों का परिशीलन करने पर इस न्यायालय ने 23.1.2017 को विनिर्दिष्ट आदेश पारित किया और प्रत्यर्थी सं॰ 4 (सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कोडरमा) को यह स्पष्ट करने का निर्देश देते हुए कि कारण बताओ नोटिस क्यों जारी किया गया था और किन प्रचलित परिस्थितियों के अधीन और बाद में भुगतान आदेश पारित किए गए थे, प्रत्यर्थियों ने इससे इनकार किया है। उक्त आदेश में यह कथन भी किया गया था कि प्रत्यर्थी सं॰ 4 को पूर्वोक्त परिस्थिति स्पष्ट करते हुए विनिर्दिष्ट शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया था और प्रत्यर्थी सं॰ 4 द्वारा शपथ पर शपथ पत्र दिया जाना एवं दाखिल किया जाना था और यह कथन किया गया था कि यदि प्रकथन झूठे पाए जाते हैं, न्यायालय झूठा शपथपत्र दाखिल करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध समुचित आदेश पारित करने के लिए मजबूर होगा। आज जब मामला सुना गया था, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान अपने द्वारा दाखिल पूरक शपथ पत्र की ओर खींचा जिसमें यह कथन किया गया है कि याची उक्त अवधि के लिए वेतन का हकदार नहीं है और चिकित्सा प्राथमिक अधिकारी को इसका अनुपालन करने का निर्देश दिया। पूरक शपथ पत्र में अस्पष्ट उत्तर दिया गया है, बल्कि दिनांक 23.1.2017 के आदेश के तहत पारित माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने के बजाए प्रत्यर्थियों ने गलत तथ्य लाकर एवं प्रतिशपथ पत्र में गलत प्रकथन कर न्यायालय को गुमराह करना चुना है। जारी किए गए परिशिष्टों 4 एवं 5 से अत्यन्त स्पष्ट है कि सिविल सर्जन ने पूर्वोक्त अवधि के लिए याची का वेतन निर्मुक्त करने का आदेश पारित किया है और उक्त आदेश वापस कभी नहीं लिए गए थे।

7. इस न्यायालय का दृष्टिकोण है कि याची को पूर्वोक्त पदग्रहण करने से रोका गया था और इस तथ्य की दृष्टि में कि समस्थित व्यक्तियों का सेवा समाप्ति आदेश अभिखंडित किया गया था और यह विचार में लेते हुए कि पूर्वोक्त अवधि के लिए वेतन का भुगतान करने के लिए सिविल सर्जन का विनिर्दिष्ट आदेश है, मैं प्रत्यर्थी सं॰ 4 को इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों की अवधि के भीतर

4.8.2005 से 17.4.2007 तक की पूर्वोक्त अवधि का याची का वेतन तुरन्त निर्मुक्त करने का निर्देश देता हूँ जिसमें विफल होने पर याची को गलती करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अवमान कार्यवाही आरंभ करने के लिए इस न्यायालय की जानकारी में इसे लाने की छूट होगी।

8. पूर्वोक्त संप्रेक्षण के साथ यह रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj ,o jkt'k 'kdj] U;k;efrx.k

अजित कुमार गिरी एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 5144 of 2015. Decided on 16th December, 2016.

झारखंड प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती नियमावली, 2012—नियम 14 एवं 21—भारत का संविधान–अनुच्छेद 226 एवं 227—नियम 14 एवं 21 की वैधता को चुनौती–नियम 14 में अंतर्विष्ट प्रावधान दो वर्षों के अबाधित सेवा वाले पैरा शिक्षकों को चयन के लिए पात्र बनाता है और न कि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण अनुभव वाले शिक्षकों को और नियम 21 में अंतर्विष्ट प्रावधान शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी॰ ई॰ टी॰) में प्राप्त किए गए अंकों पर विचार किए जाने की अनुमति देता है किंतु झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित शिक्षकों के चयन के लिए परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों पर नहीं–जहाँ तक नियमावली 2012 के नियम 14 को दी गयी चुनौती का संबंध है, उक्त विवाद्यक अब अनिर्णीत विषय नहीं है और पहले ही उच्च न्यायालय द्वारा विनिश्चित किया जा चुका है–इस दशा में, उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ के संप्रेक्षणों की दृष्टि में याचीगण द्वारा नियमावली 2012 के नियम 14 को दी गयी चुनौती विफल होती है–जहाँ तक नियमावली, 2012 के नियम 21 को विखंडित करने के संबंध में विवाद्यक का संबंध है जो उनके अनुसार टी॰ ई॰ टी॰ में प्राप्त किए गए अंकों को विचार में लिए जाने की अनुमति देता है किंतु जे॰ पी॰ एस॰ सी॰ द्वारा संचालित शिक्षकों के चयन के लिए परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को नहीं–नियमावली का नियम 21 न तो मनमाना है और न ही भेदभावपूर्ण और याचीगण द्वारा दी गयी चुनौती के पास टिकने के लिए विधिक अथवा ताथ्यिक आधार नहीं है–इसके अतिरिक्त, यह न्यायालय का नीतिगत निर्णय है जिसे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की आज्ञा के अनुसरण में लिया गया है और न्यायालय को सामान्यतः सरकार की नीतिगत निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जबतक इसे मनमाना एवं अयुक्तियुक्त नहीं पाया जाता है–रिट याचिका खारिज। (पैराएँ 9, 10, 11, 12, 18 से 21)

निर्णयज विधि.–W.P. (C) No. 4237/2014; W.P. (S) No. 135/2016; (2015)2 SCC 796; (2011)7 SCC 639—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Pandey Neeraj Rai, For the Petitioner; Mr. Lalan Kumar Singh, For the State.

राजेश शंकर, न्यायमूर्ति.–वर्तमान रिट याचिका के रूप में याचीगण ने झारखंड प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती नियमावली, 2012, विशेषतः नियम 14 में अंतर्विष्ट प्रावधान जो दो वर्षों की अबाधित सेवा वाले पारा शिक्षकों को और न कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण अनुभव वाले शिक्षकों

को चयन के लिए पात्र बनाता है और नियम 21 में अंतर्विष्ट प्रावधान जो शिक्षक पात्रता परीक्षा (संक्षेप में 'टी॰ ई॰ टी॰') में प्राप्त किए गए अंकों पर और न कि झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित शिक्षकों के चयन के लिए परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों पर नहीं विचार करने की अनुमति देता है, को मनमाना के रूप में विखंडित करने की प्रार्थना किया है। याचीगण ने आगे दिनांक 4 जुलाई, 2015 के विज्ञापन का विषयवस्तु होने के नाते वर्ग VI से वर्ग VIII तक स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के पद पर प्रत्यक्ष भरती के लिए याचीगण पर विचार करने के लिए प्रत्यर्थियों पर निर्देश के लिए प्रार्थना किया है।

2. मामले का ताथ्यिक मैट्रिक्स यह है कि झारखंड सरकार ने झारखंड प्राथमिक विद्यालय भरती नियमावली, 2002 (इसमें इसके बाद 'नियमावली, 2002' के रूप में निर्दिष्ट) विरचित किया और नियमावली 2002 के मुताबिक (विशेषत: नियम 4 सहपठित नियम 2 (ख) सहपठित नियम 7 एवं 11) पात्रता मापदंड प्रशिक्षण के साथ मैट्रिकुलेशन और झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा दो चरणों अर्थात् आरंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा में संचालित भरती परीक्षा में उत्तीर्ण होना था। इसके अतिरिक्त, नियम 9 ने प्रतिपादित किया कि मुख्य परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की ओर ले जानेवाली जिलावार मेधा सूची तैयार की जानी थी। आगे, नियम 11 प्रावधानित करता है कि नियुक्ति केवल मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान में किया जाएगा।

3. बाद में, दिनांक 14 अगस्त, 2007 की अधिसूचना सं॰ 1691 के तहत झारखंड सरकार ने झारखंड प्राथमिक विद्यालय भरती (संशोधन) नियमावली, 2007 (इसमें इसके बाद 'नियमावली 2007' के रूप में निर्दिष्ट) के रूप में नियमावली 2002 में संशोधन किया जिसमें इंटरमीडिएट प्रशिक्षित के रूप में पात्रता के लिए प्रावधान अंत:स्थापित किया गया था। नियमावली 2007 के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग ने भरती के प्रयोजन से संशोधित अनुदेश वर्णित करते हुए विज्ञापन प्रकाशित किया जिसके विरुद्ध याचीगण ने आवेदन दिया और अंततोगत्वा चयनित एवं नियुक्त किए गए थे। तत्पश्चात याचीगण ने अपने-अपने विद्यालयों में पदग्रहण किया।

4. दिनांक 14 मई, 2011 को मेमो सं॰ 1341 में अंतर्विष्ट अधिसूचना के तहत झारखंड प्राथमिक विद्यालय (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2011 (इसमें इसके बाद 'नियमावली 2011' के रूप में निर्दिष्ट) को झारखंड सरकार द्वारा प्रभाव में लाया गया था जिसके द्वारा झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित आरंभिक परीक्षा को टी॰ ई॰ टी॰ को समतुल्य माना जाना घोषित किया गया था यद्यपि केवल एक भरती परीक्षा के लिए। उक्त नियमावली में, आगे प्रावधान बनाया गया था कि केवल उक्त प्रक्रिया से चयनित शिक्षकों को उच्च प्राथमिक वर्गों (वर्ग VI से वर्ग VIII) में पदस्थापित किया जाएगा जिनकी शैक्षणिक अर्हत्ता स्नातक होगी।

5. तत्पश्चात, 5 सितंबर, 2012 को झारखंड सरकार में नयी नियमावली ''झारखंड प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भरती नियमावली, 2012 (इसमें इसके बाद ''नियमावली 2012' के रूप में निर्दिष्ट) विरचित किया जिसने अन्य बातों के साथ प्रावधानित किया कि मध्य विद्यालय से वे प्राथमिक विद्यालय अभिप्रेत होंगे जहाँ वर्ग I से वर्ग VIII अथवा वर्ग I से वर्ग VII अथवा वर्ग VI से वर्ग VIII अथवा वर्ग VI और वर्ग VII (नियम 2 (ख)) की शिक्षा दी जाती है। प्रारंभिक विद्यालय वर्ग I से वर्ग VIII (नियम 2 (क) वाले विद्यालय के रूप में पारिभाषित किए गए हैं। प्राथमिक विद्यालय वर्ग I से वर्ग V तक के विद्यालय के तौर पर परिभाषित किए गए हैं और उच्च प्राथमिक विद्यालय वर्ग VI से वर्ग VIII के रूप में परिभाषित किए गए हैं। प्रारंभिक वर्ग को वर्ग I से वर्ग VIII तक के रूप में परिभाषित किया गया है। [नियम 2 (थ)(द) एवं (ध)] नियमावली, 2012 आगे टी॰ ई॰ टी॰ में एवं एकेडमिक परीक्षा में प्राप्त

किए गए अंकों के आधार पर की जाने वाली प्रत्यक्ष भरती (नियम 21) प्रावधानित करता है। नियम 14 में, दो वर्षों की निरंतर सेवा वाले पैरा शिक्षकों के लिए 50% आरक्षण के लिए प्रावधान बनाया गया था।

6. दिनांक 31 जुलाई, 2014 की अधिसूचना सं॰ 1533 के तहत झारखंड राज्य में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षकों के विद्यमान 7926 पद स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के पदों में संपरिवर्तित किए गए थे। अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों ने प्रावधानित किया कि 7926 नव मंजूर पदों में से 50% पद नियमावली 2012 के निबंधनानुसार प्रत्यक्ष भरती के रूप में और शेष 50% शिक्षक प्रोन्नति नियमावली के निबंधनानुसार प्रोन्नति के रूप में भरे जाएँगे।

7. याचीगण के अनुसार, राज्य सरकार के उक्त निर्णय के कारण, प्रोन्नति के रूप में भरे जाने के लिए उपलब्ध पदों की संख्या में भारी कमी हुई है और याचीगण सरकार के उक्त निर्णय द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं।

8. बाद में, दिनांक 4 जुलाई, 2015 को वर्ग VI से वर्ग VIII के लिए शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक, पलामू के कार्यालय से विज्ञापन सं॰ 4/पलामू/2015 जारी किया गया था और याचीगण के अनुसार प्रत्यक्ष भरती की उक्त प्रक्रिया ने याचीगण को प्रत्यक्षत: भरती किए जाने से वंचित कर दिया है, क्योंकि वे सेवारत शिक्षक हैं और वे टी॰ ई॰ टी॰ परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए हैं।

9. जहाँ तक 2012 नियमावली के नियम 14 को दी गयी चुनौती का संबंध है, उक्त विवाद्यक अब अनिर्णीत विषय नहीं है और डब्लू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 4237 वर्ष 2014 (प्रवीण कुमार मिश्रा बनाम सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड सरकार एवं एक अन्य) में पारित दिनांक 9 फरवरी, 2016 के निर्णय के तहत इस न्यायालय के खंड न्यायपीठ द्वारा पहले ही विनिश्चित किया गया है। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 7 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

> *"7. fu;e 14 dk ;kph dh pukrh leku :i l vekU; gA fu;e 14 d vèkhu bVj çf'kf{kr f'k{kd ,o Lukrd çf'kf{kr f'k{kd dh çR;{k Hkjrh e 50% lhV lo f'k{kk vfHk;ku d vèkhu 2 o"kk l fujrj dk;jr ijk f'k{kdk d fy, vkjf{kr fd, x, gA ,lk vk{kj.k dkfVokj ykx gkxk vFkkr vkj{k.k {krhth; gkxkA ;kph d fo}ku vfèkoDrk dk çfrokn fd 50% l vfèkd dk vkj{k.k ugh gk ldrk g] Hkh vLohdkj fd, tku dk nk;h gA çR;d dkfV e fu;e 14 d vèkhu vkj{k.k ykx djd ;g lfuf'pr fd;k x;k g fd vkj{k.k jkT; ljdkj dh vkj{k.k uhfr d ij u tk;A bld vfrfjDr] vuHko d vkèkkj ij vkjf{kr lhV Hkkjr d lfoèkku d vuPNn 14, 16 ,o 335 dh vkKk dk mYy?ku ugh djrh gA oLrqr%] bVj çf'kf{kr f'k{kdk ,o Lukrd çf'kf{kr f'k{kdk d fy, 50% lhV dk vkj{k.k vFki.k ç;ktu ijk djrk g vkj ;g vuHkoh f'k{kdk d eke;e l f'k{kk çnku dju dk y{; çkIr djrk gA***

10. आगे, डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 135 वर्ष 2016 (चैताली नंदन एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य) में पारित दिनांक 19 फरवरी, 2016 के एक अन्य निर्णय में, इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ को झारखंड राज्य में ''सर्व शिक्षा अभियान'' के अधीन कार्यरत पैरा शिक्षकों के साथ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा उठाए गए समतुल्यता के विवाद्यक पर विचार किया है। खंड न्यायपीठ ने नियमावली 2012 के नियम 14 एवं अन्य प्रासंगिक विधियों पर विस्तारपूर्वक विचार पर उक्त रिट याचिका खारिज कर दिया है। पैराग्राफ 14 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

*"14. .....fofHkUu çkboV@vYila[;d] lgk;rk ikIr@xj lgk;rk ikIr fo|ky;k e dk;jr leku :i l lIkèku liUu gtkjk vU; f'k{kd gk ldr g fdr o ijk f'k{kdk d lkFk lerY;rk dk nkok ugh dj ldr gA ljdkjh fo|ky;k e fujrj nk o"kk l dk;jr ijk f'k{kdk dk leg oxhdj.k dk rkfdd vkèkkj çLrr djrk g vkj ,lk oxhdj.k lfoèkku d vuPNnk 14 ,o 16 dh vkKk dk mYy?ku ugh djrk gA bl çdkj] ljdkjh fo|ky;k e fujrj nk o"kk l dk;jr ijk f'k{kd iFkd oxl fufer djr gA ;kphx.k dk vU; mEehnokjk d lkFk Lièkk dju d volj l ofpr ugh fd;k x;k gA ;kphx.k d fy, ^^;fDr;Dr lhek rd** vkj{k.k çkoèkkfur dju d fy, çR;Fkh jkT; dk fun'k bflIr dju okyh çkFkuk Hkked gA vkj{k.k dk çnku vkj vkj{k.k dh lhek fu;r djuk ljdkj d uhfrxr fu.k; gA gekj lfopkfjr er e] fufèk nu dk iVu vFkok 'kr fd dO thO chO ohO e dk;jr f'k{kd vkokl h; dkElyDl d Hkhrj fuokl djx] mudk ijk f'k{kdk d lerY; ugh cuk,xk vkj ijk f'k{kdk d fy, 50% vkj{k.k dk çkoèkku ml vkèkkj ij eukekuk vFkok HknHkkoi.k vfHkfuèkkfjr ugh fd;k tk ldrk g------**"*

11. इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा दिए गए पूर्वोक्त निर्णयों की दृष्टि में याचीगण द्वारा नियमावली 2012 के नियम 14 को दी गयी चुनौती विफल होती है।

12. दूसरी प्रार्थना के रूप में, याचीगण ने नियमावली 2012 के नियम 21 को विखंडित करने की प्रार्थना की है जो उनके अनुसार टी॰ ई॰ टी॰ में प्राप्त किए गए अंकों पर विचार किए जाने की अनुमति देती है किंतु झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित शिक्षकों के चयन के लिए परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों पर नहीं।

13. अंतर्ग्रस्त विवाद्यक के बेहतर अधिमूल्यन के लिए नियमावली 2012 के नियम 21 को यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है:–

"21. fjDr ink ij f'k{kdk@vun'kdk dh fu;fDr gr fuEufyf[kr çfØ;k d vulkj ftyk Lrj ij eèkk lph r;kj dh tk,xh&

d ------------

[k. Lukrd çf'kf{kr f'k{kdk dh fu;fDr gr eèkk lph dk fuek.kA

(i) vH;fFk;k d dy eèkk vd d vkèkkj ij fo"k;okj ,o dkfVokj eèkk lph ftyk f'k{kk LFkkiuk }kjk r;kj dh tk,xhA

(ii) dy eèkk vd vH;fFk;k d 'k{kf.kd eèkk vd ,o f'k{kd ik=rk ijh{kk d eèkk vd dk ;kxQy gkxk ftldh x.kuk fuEuor dh tk,xh&

(AA) ....

(BA) ....

*GA--------------**"*

14. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याचीगण, जो पहले से ही वर्ग I से वर्ग VIII में प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, को कतिपय लाभों से वंचित किया जा रहा है जिन्हें शिक्षक जो दिनांक 4 जुलाई, 2015 के विज्ञापन के तहत आरंभ की गयी चल रही प्रक्रिया के अधीन प्रत्यक्षत:

भरती किए जाएँगे। जहाँ प्रत्यक्षत: भरती किए गए शिक्षक 4600/- रुपयों का ग्रेड वेतन पाएँगे, याचीगण केवल 4200/- रुपयों के अपने विद्यमान ग्रेड वेतन में बने रहेंगे। इसके अतिरिक्त, ग्रेड वेतन के निबंधनानुसार धनीय हानि से पीड़ित होने के अतिरिक्त, नये भरती लिए गए व्यक्ति वरीयता के निबंधनानुसार भी याचीगण के उपर रहेंगे क्योंकि वे अपनी नियुक्ति की तिथि के प्रभाव से गिनी गयी सेवावधि एवं वरीयता पाएँगे, याचीगण जिनके पास अभी तक केवल पाँच वर्ष का अनुभव था को याचीगण पर प्रयोज्य प्रोन्नति नियमावली के अधीन इन प्रत्यक्ष भर्त्तियों के समान उसी स्तर पर प्रोन्नत किए जाने के लिए आठ वर्ष की सेवा पूरी करने तक प्रतीक्षा करनी होगी।

विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि याचीगण के विरुद्ध ऐसी असमतुल्यता एवं वचन इस तथ्य की दृष्टि में अयुक्तियुक्त एवं मनमाना है कि प्रस्तावित प्रत्यक्ष भरतियों के समान याचीगण के पास भी स्नातक अथवा इससे अधिक अथवा सम्यक प्रशिक्षण की एकेडमिक अर्हता है। वे सब वर्ष 2009 में अपनी आर्रंभिक नियुक्ति के समय पर स्नातक थे। वे आयु सीमा के अंतर्गत भी थे, जैसा प्रत्यक्ष भरती के लिए विहित किया गया है। विरोधाभास के रूप में, जहाँ प्रत्यक्ष भरतियों का चयन केवल टी॰ ई॰ टी॰ में उत्तीर्ण होने के आधार पर किया जाएगा, याचीगण चयन के लिए संचालित दो-चरण वाली परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं अर्थात् आर्रंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, वह भी झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित। आगे यह निवेदन किया गया है कि टी॰ ई॰ टी॰ जो केवल पात्रता परीक्षा है और न कि चयन परीक्षा, अधिकाधिक झारखंड लोक सेवा आयोग की पी॰ टी॰ के साथ तुलनीय है। वस्तुत:, दिनांक 14 मई, 2011 का द्वितीय संशोधन नियमावली 2011 उक्त प्रतिपादना के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करता है। एकेडमिक अर्हता में अंक याचीगण के पास भी उपलब्ध हैं, ठीक प्रत्यक्ष भरती के लिए किसी उम्मीदवार की तरह। इसके अतिरिक्त, याचीगण के पास उन वर्गों में पढ़ाने में पाँच वर्ष नौ माह का अनुभव है जबकि प्रत्यक्ष रूप से भरती किये गये लोगों के पास शून्य अनुभव है।

15. समानांतर स्तंभ में, प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रत्यर्थियों की ओर से दाखिल प्रतिशपथ पत्रों को निर्दिष्ट करते हुए निवेदन करते हैं कि बालकों का नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (संक्षेप में 'आर॰ टी॰ ई॰ अधिनियम, 2009) दिनांक 1 अप्रिल, 2010 के प्रभाव से अस्तित्व में आया, जिसमें यह प्रावधानित किया गया है कि केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत एकेडमिक प्राधिकारी द्वारा यथा अधिकथित ऐसी न्यूनतम अर्हता रखनेवाला कोई व्यक्ति शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा। विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संक्षेप में 'एन॰ सी॰ टी॰ ई॰' के रूप में निर्दिष्ट) ने दिनांक 23 अगस्त, 2010 की अधिसूचना के तहत वर्ग I से वर्ग VIII के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए व्यक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता अधिकथित किया है जिसमें यह प्रावधानित किया गया है कि अध्यपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को इस प्रयोजन के लिए एन॰ सी॰ टी॰ ई॰ द्वारा विरचित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप समुचित सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली टी॰ ई॰ टी॰ में उत्तीर्ण होना होगा। झारखंड प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2002 (समय-समय पर यथा संशोधित)। बालकों का नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 और पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन एन॰ सी॰ टी॰ ई॰ द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांत के साथ संगत नहीं था और तद्नुसार नियमावली 2012 नए सिरे से विरचित की गयी थी जो प्रार्रंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद के लिए टी॰ ई॰ टी॰ के संचालन एवं नियुक्ति की प्रक्रिया दोनों से संबंधित प्रावधानों को अंतर्विष्ट करती है। उक्त नियमावली का नियम 9 अनुबंधित करता है कि इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक के पदों के विरुद्ध समस्त रिक्तियाँ प्रत्यक्ष भरती प्रक्रिया के माध्यम से भरी जाएँगी, तद्द्वारा जिसका अर्थ है 50% रिक्तियाँ प्रत्यक्ष भरती प्रक्रिया के माध्यम से स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक द्वारा और शेष 50% रिक्तियाँ कार्यरत शिक्षकों के बीच में से प्रोन्नति के माध्यम से भरी जाएँगी।

16. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि एक ओर, स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में नियम 9 में यथा अंतर्विष्ट प्रावधान लाखों पात्र उम्मीदवारों जो सरकारी शिक्षक नहीं हैं को समान अवसर देता है और दूसरी ओर, विद्यालयों में कार्यरत पात्र शिक्षकों को प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्ति पाने का वही अवसर देता है। यह स्पष्टत: विवेकशील एवं न्यायोचित कार्मिक नीति है और सरकार को दोनों स्थानों से प्रतिभा का लाभ लेने की अनुमति देती है। सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के पद को भरने के लिए नियुक्ति का ढंग नीतिगत मामला है और सरकार इस संबंध में नीति विनिश्चित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। विषय शिक्षकों के संबंध में सन्नियम एवं स्तर परिपूर्ण करने के लिए राज्य सरकार ने दिनांक 31 जुलाई, 2014 की अधिसूचना सं॰ 1533 के तहत सरकारी मध्य विद्यालयों में विज्ञान/गणित, सामाजिक अध्ययन एवं भाषा के विषय में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक का 7926 पद सृजित किया है।

17. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता यह निवेदन भी करते हैं कि याचीगण को सितंबर, 2007 में प्रकाशित विज्ञापन के मुताबिक झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित किया गया था और चयन के बाद उन्हें पलामू जिला के विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 2009 में सहायक शिक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है। वह आगे निवेदन करते है कि दिनांक 14 मई 2011 की अधिसूचना सं॰ 1341 के मुताबिक संशोधित नियमावली, 2011 प्रभाव में आयी जिसके द्वारा यह प्रावधानित किया गया था कि झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित आर्रंभिक परीक्षा केवल एक संव्यवहार के लिए टी॰ ई॰ टी॰ के समतुल्य के रूप में मानी जाएगी। सितंबर, 2012 में नया प्राथमिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली, ''झारखंड प्रार्रंभिक विद्यालय शिक्षक भरती नियमावली, 2012" के रूप में ज्ञात, दिनांक 5 सितंबर 2012 को अधिसूचित की गयी थी जिसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा दो भागों में कोटिकृत की गयी है जिसमें वर्ग I से वर्ग V को प्राथमिक वर्गों के रूप में परिभाषित किया जाना होगा जबकि वर्ग VI से वर्ग VIII को उपरी प्राथमिक वर्ग के रूप में परिभाषित किया गया है। वह आगे निवेदन करते हैं कि नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में बनाए गए प्रावधान के मुताबिक राज्य सरकार को (i) विज्ञान विषय; (ii) सामाजिक विज्ञान विषय और (iii) भाषा पढ़ाने के लिए प्रत्येक उपरी प्राथमिक वर्गों के लिए कम से कम तीन प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों को प्रदान करना था किंतु प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों की मंजूर इकाईयों की कमी के कारण 7926 इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षकों की आर्रंभिक इकाई, जिसे चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण आयोग रिपोर्ट की अनुशंसा के बाद प्रास्थगन में रखा गया था, को पुन: दिनांक 10 जुलाई, 2014 को कैबिनेट में लिए गए निर्णय द्वारा प्रशिक्षित स्नातक पद के रूप में विधिमान्य एवं उत्क्रमित इस शर्त के साथ किया गया था कि इस संपरिवर्तित पद का 50% प्रत्यक्ष भरती द्वारा और 50% नियमित प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा। वह आगे निवेदन करते हैं कि याचीगण को वर्ष 2009 में आर्रंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आधार पर विद्यमान नियमावली के मुताबिक नियुक्त किया गया था जबकि प्राथमिक वर्गों के मुताबिक झारखंड प्रार्रंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 के आधार पर नियुक्त किए गए थे।

18. पक्षों की ओर से किए गए परस्पर विरोधी प्रतिवादों पर विचार करने पर यह प्रतीत होता है कि याचीगण का मुख्य प्रतिवाद यह है कि चूँकि उन्हें झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित दो चरणों वाली भरती प्रक्रिया अर्थात् आर्रंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा में विभिन्न विद्यालयों में सहायक शिक्षक के रूप में पहले ही नियुक्त किया गया है, नियम 21 याचीगण को प्रत्यक्ष भरती के लिए स्पर्धा करने

से वंचित करता है क्योंकि टी॰ ई॰ टी॰ में प्राप्त किए गए अंकों को भी उम्मीदवारों की मेधा सूची तैयार करने में जोड़ा जाना है। चूँकि याचीगण टी॰ ई॰ टी॰ में अर्हित नहीं हुए हैं, नियम 21 में उक्त खंड मनमाना एवं भेदभाव पूर्ण है, विशेषत: इस तथ्य की दृष्टि में कि झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित आर्रंभिक परीक्षा पहले ही मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड सरकार द्वारा दिनांक 14 मई, 2011 की अधिसूचना के तहत जारी नियमावली 2011 के फलस्वरुप टी॰ ई॰ टी॰ के समतुल्य मानी गयी है।

19. हमारे सुविचारित मत में, याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए पूर्वोक्त प्रतिवाद आधारहीन हैं चूँकि नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की उद्घोषणा के बाद टी॰ ई॰ टी॰ अनिवार्य बनाया गया था और, तत्पश्चात, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन॰ सी॰ टी॰ ई॰) ने भी दिनांक 23.8.2010 की अधिसूचना के तहत प्रावधान बनाया कि वर्ग VI से वर्ग VIII तक के लिए शिक्षक के पद के लिए आवेदन देने वाले उम्मीदवारों को भी समुचित सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली टी॰ ई॰ टी॰ के परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। किंतु नियमावली 2002 के प्रावधान (द्वितीय संशोधन नियमावली, 2009 के तहत संशोधित) नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 और एन॰ सी॰ टी॰ ई॰ द्वारा जारी दिनांक 23 अगस्त, 2010 की अधिसूचना के साथ संगत नहीं थी, झारखंड सरकार ने शिक्षकों की कमी जैसा उस अवधि के दौरान विद्यमान थी पर विचार करते हुए दिनांक 14 मई, 2011 की अधिसूचना (नियमावली 2011) के तहत प्रावधान बनाया कि झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित की जानेवाली आर्रंभिक परीक्षा टी॰ ई॰ टी॰ के समतुल्य मानी जाएगी, किंतु यह केवल एक संव्यवहार के लिए वैध होगा और वह भी केवल भरती प्रक्रिया के प्रयोजन से जिसके लिए उक्त आर्रंभिक परीक्षा संचालित की जानी है। याचीगण दिनांक 14 मई, 2011 की अधिसूचना के तहत जारी नियमावली 2011 के उक्त प्रावधान से कोई लाभ नहीं पा सकते हैं, क्योंकि यह विनिर्दिष्टत: स्पष्ट किया गया है कि यद्यपि आर्रंभिक परीक्षा टी॰ ई॰ टी॰ के समतुल्य मानी गयी है, किंतु यह केवल एक संव्यवहार के लिए उक्त भरती प्रक्रिया की आर्रंभिक परीक्षा तक सीमित है। इसके अतिरिक्त, बाद में नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा एन॰ सी॰ टी॰ ई॰ द्वारा जारी दिनांक 23 अगस्त, 2010 की अधिसूचना के साथ विद्यमान शिक्षक नियुक्ति नियमावली को संगत बनाने की दृष्टि से, राज्य सरकार ने अपनी बुद्धिमत्ता में नियमावली, 2012 विरचित किया है और प्रावधान बनाया है कि टी॰ ई॰ टी॰ में उत्तीर्ण होना राज्य सरकार द्वारा की जानेवाली भरती की प्रक्रिया के माध्यम से प्रार्रंभिक विद्यालयों में शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र होने के लिए आज्ञापक होगा। अब टी॰ ई॰ टी॰ विधि की आज्ञा है और इसे किसी भी बहाना पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। टी॰ ई॰ टी॰ को आज्ञापक अर्हत्ता बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान रिट याचिका में टी॰ ई॰ टी॰ की वैधता चुनौती में नहीं है। मात्र यह प्रतिवाद किया गया है कि जे॰ पी॰ एस॰ सी॰ द्वारा संचालित आर्रंभिक परीक्षा टी॰ ई॰ टी॰ के समतुल्य के रूप में मानी जानी चाहिए। यदि उक्त अभिवचन स्वीकार किया जाता है, तब यह ऐसी स्थिति की ओर ले जाएगा जहाँ वे समस्त उम्मीदवार जो किसी परीक्षा के लिए आज्ञापक अर्हता नहीं रखते हैं (यहाँ यह टी॰ ई॰ टी॰ है), वे एक या दूसरे बहाने उक्त आज्ञापक अर्हता के औचित्य को चुनौती देते रहेंगे।

20. यहाँ उपर की गयी चर्चा की दृष्टि में, हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि नियमावली 2012 का नियम 21 न तो मनमाना है और न ही भेदभावपूर्ण और, इसलिए, याचीगण द्वारा उक्त नियम 21 को दी गयी चुनौती के पास टिकने के लिए विधिक अथवा ताथ्यिक आधार नहीं है, अत: यह विफल होती है।

21. इसके अतिरिक्त, हम जोड़ना चाहते हैं कि यह सरकार का नीतिगत निर्णय है जिसे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसरण में लिया गया है। यह सुनिश्चित है कि न्यायालय को सामान्यतः सरकार के नीतिगत निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जबतक इन्हें मनमाना एवं अयुक्तियुक्त नहीं पाया जाता है। **जनगणना आयुक्त एवं अन्य बनाम आर॰ कृष्णामूर्थि, (2015)2 SCC 796** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 33 में अभिनिर्धारित किया है:–

*"33. fofèk dh iokDr mn?kk"k.kk l ;g fnu dh rjg Li"V g fd tkp 'k: dju U;k;ky; d dk; {k= e ugh g fd D;k ykduhfr fo'k"k cf) eku ,o Lohdk; g vFkok D;k cgrj uhfr fodflr dh tk ldrh FkhA U;k;ky; doy rc gLr{ki dj ldrk g tc fojfpr uhfr i.kr% ludi.k g vFkok dkj.kk }kjk lefFkr ugh g vFkok Loeo lfoèkku d vuPNn 14 dh ey vko';drk dk mYy?ku dju okyh i.kr% euekuh ,o eueth ij vkèkkfjr gA tlk çk;% dgk x;k g] dfri; ekeyk e erk dh vfèkdrk gk ldrh g fdr U;k;ky; l er ij vihyh; çkfèkdkjh d :i e cBu dh mEehn ugh dh tkrh gA***

आगे, **म॰ प्र॰ राज्य बनाम नर्मदा बचाओ आंदोलन, (2011)7 SCC 639,** में **पंजाब राज्य बनाम रामलुभाया बग्गा, [(1998)4 SCC 117,** में दिए गए निर्णय को निर्दिष्ट करने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया:–

*"36. U;k;ky; ljdkj }kjk fy, x, uhfrxr fu.k; dk ek= blfy, fo[kfMr ugh dj ldrk g fd nljk fu.k; vfèkd fu"i{k vFkok oKkfud vFkok rkfdd vFkok cf) erk i.k gkxkA uhfr;k dh cf) eÙkk ,o ijke'kuh; rk U;kf;d iufoykdu d vèkhu ugh g tcrd uhfr;k lkfofèkd vFkok loèkkfud çkoèkkuk d foijhr ugh g vFkok euekuh vFkok vrkfdd g vFkok 'kfDr dk n#i;kx gA (n[kh jke flg fot; iky flg cuke m0 ç0 jkT;(fofy;kuj b;jDdb ikndli eb;e cuke Hkkjr l?k vkj djy jkT; cuke ihiYl ;fu;u Qkj flfoy fycVht)***

22. परिणामस्वरुप, वर्तमान रिट याचिका गुणागुणरहित होने के कारण तद्नुसार खारिज की जाती है।

---

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

सरदार रवि इन्दर सिंह एवं एक अन्य

cuke

बिहार राज्य एवं एक अन्य

Cri. Misc. No. 5646 of 1999 (R). Decided on 2nd February, 2017.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 406/34—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—न्यास का दांडिक भंग–सामान्य आशय–संज्ञान–परिवाद याचिका में किया गया अभिकथन संपरिवर्तन प्रभार का भुगतान किए जाने के बाद वायर रॉड की आपूर्ति नहीं करने का है–याची की ओर से ऐसा कृत्य कोई दांडिक परिणाम आमंत्रित नहीं कर सकता है–उक्त कृत्य अधिकाधिक सिविल परिणाम आमंत्रित करता है–परिवाद में किया गया अभिकथन भा॰ दं॰ सं॰

की धारा 406 के अधीन अपराध गठित नहीं करता है—दांडिक कार्यवाही अभिखंडित की गयी। (पैराएँ 6 एवं 7)

अधिवक्तागण.—Mr. Abhishek Kumar, For the Petitioner; Mr. Amresh Kumar, For the Opp. Party No.1; Mr. Indrajit Sinha, For the Opp. Party No.2.

आदेश

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. इस आवेदन में याची ने विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 7.4.1998 के आदेश जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 406/34 के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान लिया गया है सहित सी॰–1 केस सं॰ 192 वर्ष 1998 के संबंध में संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि याची समय के उस बिन्दु पर इंडियन स्टील एन्ड वायर प्रोड्क्टस लि॰, जमशेदपुर का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक था। यह निवेदन किया गया है कि विवाद शुद्धतः सिविल प्रकृति का है चूँकि संपत्ति सौंपी नहीं गयी है, याची के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 406 के अधीन मामला नहीं बनता है। वह आगे निवेदन करते हैं कि समरुप परिस्थितियों में, महाप्रबंधक (वर्क्स), उपाध्यक्ष (कॉरपोरेट) एवं वरीय प्रबंधक (विपणन एवं विक्रय) के मामले में उन व्यक्तियों के विरुद्ध दांडिक अभियोजन दांडिक विविध सं॰ 5298 वर्ष 1999 (R) में दिनांक 5.1.2012 के आदेश के तहत अभिखंडित कर दिया गया था। वह आगे निवेदन करते हैं कि याची का मामला उनकी तुलना में जिनका मामला इस न्यायालय द्वारा अभिखंडित कर दिया गया है बेहतर आधार पर खड़ा है।

4. विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने कथन किया है कि उन्हें इस आवेदन का विरोध नहीं करने का अनुदेश है।

5. यह प्रतीत होता है कि परिवाद याचिका में किए गए अभिकथनों पर विचार करते हुए इस न्यायालय ने अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध दांडिक मामला अभिखंडित कर दिया था और आदेश का प्रासंगिक भाग यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है:—

*^^;gk oreku ekey e] ifjoknh dk ekeyk dHkh ugh g fd bu ;kphx.k dk lifÙk U;Lr dh x;h Fkh vkj u gh ifjoknh dk ekeyk ;g g fd bu ;kphx.k }kjk cbekuh l mDr lifÙk nfofu;kftr dh x;h Fkh cfYd ifjoknh dk ekeyk ;g g fd ifjoknh diuh rFkk bfM;u LVhy ,UM ok;j ikMDVl fyO] te'knij d chp g, djkj d vulj.k e ifjoknh diuh }kjk ok;j jkMl e bld lifjoru d fy, vkifr fd, x, Fk vkj] blfy,] Hky gh U;k; dk dkb nkfMd Hkx curk g] og vfHk;Dr diuh d fo#) vkj u fd bu ;kphx.k d fo#) curk gA***

bl lcèk e] e ddh gkjelth ?kjnk ,o vU; cuke egjoku #Lre bjkuh ,o ,d vU;] (2009)6 SCC 475 ekey e fn, x, fu.k; dk fufn"V djrk g ftle fuEufyf[kr vfHkfuèkkfjr fd;k x;k g%

^^nM lfgrk] 1860 dN ekeyk dk NkMdj fdlh 0;fDr dh vkj l çfrfufèkd nkf;Ro vuè;kr ugh djrh gA fofèkd dYiuk djd vFkok lfofèk d çkoèkkuk d fucèkukulkj çfrfufèkd nkf;Ro lftr djd vijkèk dh dkfjrk dk dFku vfHk0;Dr :i l djuk gkxkA bl çdkj] diuh d çcèk fun'kd vFkok

*fun'kdx.k dk doy blfy, vijkèk dju okyk ugh dgk tk ldrk g D;kfd o inèkkjd gA vr% gekj er e fo}ku vij e[; eVkikfyVu nMkfèkdkjh ekey d bl igy dk fopkj e fy, fcuk leu tkjh dju e lgh ugh FkA diuh d çcèk fun'kd ,o fun'kdk dk doy blfy, leu ugh djuk pkfg, Fkk D;kfd diuh d fo#) dN vfHkdFku fd;k x;k FkkA***

*iokDr rF;k d vèkhu ,o ;gk mij fufn"V fd, x, ekey e fn, x, fu.k; dh nf"V e voj U;k;ky; bu ;kphx.k d fo#) vijkèk dk lKku yu e voèkrk djrk çrhr gkrk gA***

6. जहाँ तक याची सं॰ 2 का संबंध है, उसका मामला दांडिक विविध सं॰ 5298 वर्ष 1999 (R) में पारित आदेश द्वारा पूर्णत: आच्छादित है। याची सं॰ 1 के संबंध में, जो कंपनी है, अभिकथन जिसे परिवाद याचिका में किया गया है, संपरिवर्तन प्रभार का भुगतान किए जाने के बाद वायर रॉड्स की आपूर्ति नहीं करने का है। याची सं॰ 1 की ओर से ऐसा कृत्य कोई दांडिक परिणाम आमंत्रित नहीं कर सकता है क्योंकि उक्त कृत्य अधिकाधिक सिविल परिणाम अंतर्ग्रस्त करता है। परिवाद मामला में किए गए अभिकथन भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 406 के अधीन अपराध गठित नहीं करते है जहाँ तक याची सं॰ 1 का संबंध है और याची के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और न्याय की विफलता की ओर ले जाएगा।

7. तद्नुसार, उपर जो कथन किया गया है की दृष्टि में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 7.4.1998 के आदेश सहित सी॰–1 केस सं॰ 192 वर्ष 1998 के संबंध में संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अपास्त एवं अभिखंडित की जाती है।

यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

लंबित आई॰ ए॰ भी निपटाया जाता है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

जमाल अहमद

cuke

राज्य निर्वाचन आयोग, झारखंड एवं अन्य

W.P. (C) No. 403 of 2016. Decided on 7th February, 2017.

झारखंड पंचायत चुनाव नियमावली, 2001—नियम 151—मतों की पुनर्गणना–जब एक बार चुनाव परिणाम घोषित किया गया है, याची के लिए समुचित उपचार नियम 151 के निबंधनानुसार सक्षम प्राधिकारी के समक्ष चुनाव याचिका दाखिल करना है–याची परिणाम घोषित किए जाने के पहले प्रत्यर्थी प्राधिकारियों के समक्ष किसी स्तर पर अपनी आपत्ति दर्ज करने में विफल रहा–इस चरण पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है–रिट याचिका खारिज की गयी। (पैराएँ 3 एवं 4)

अधिवक्तागण.–Mr. Prabhash Kumar, For the Petitioner; Mr. Binod Singh, For the Resp-State; M/s Dr. Ashok Kumar Singh, Asif Khan, For the Resp Nos. 1.

आदेश

याची एवं राज्य के अधिवक्ता सुने गए।

2. याची ने गिरीडीह जिला के बागोदर सरिया सब डिविजन के अधीन क्षेत्रीय चुनाव क्षेत्र सं॰ VII/ गिरीडीह/7/सरिया/21 पुनरीडीह के पंचायत समिति चुनाव के मतों की पुनर्गणना के लिए प्रार्थना किया है जिसका परिणाम 22.12.2015 को ही घोषित किया गया है। याची को 375 मत पाने वाला बताया जाता है जबकि निर्वाचित उम्मीदवार अर्थात् प्रत्यर्थी सं॰ 4 ने 379 मत पाया।

3. प्रत्यर्थी राज्य ने अपने प्रति शपथ पत्र में कथन किया है कि जिला निर्वाचन अधिकारी, गिरीडीह द्वारा तैनात कर्मचारियों, संप्रेक्षकों एवं वरीय अधिकारियों की उपस्थिति में चुनाव किया गया था प्रत्येक गणना हॉल में मतों की गणना प्रखंड विकास अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन की गयी थी; चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों/गणना एजेन्टों का संदेह टेबुल पर ही सुलझाया गया था, किंतु यदि कोई आपत्ति थी, इसे हेड/सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निपटाया गया था; इस स्तर पर आपत्ति नहीं की गयी थी। टेबुल पर तैनात गणना पर्यवेक्षक गणना करने वाले एजेन्टों/उमीदवारों की उपस्थिति में फॉर्म 19 में तुलना करने के बाद सूक्ष्मतापूर्वक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के वैध मतों की प्रविष्टि करते हैं। सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने वैध मतों की गणना की तुलना की और रद्द किए गए मतों पर निर्णय लिया और फॉर्म 20 में प्रविष्टियाँ की गयी थी। उन्हें गणना करने वाले एजेन्टों/चुनाव एजेंटों एवं चुनाव लड़नेवाले उम्मीदवारों को पढ़कर सुनाया गया था। आगे यह कथन किया गया है कि फॉर्म 20 तैयार करने के बाद इसकी पुनः तुलना की गयी थी और तत्पश्चात फॉर्म 21 तैयार किया गया था और रिटर्निंग अधिकारी ने संप्रेक्षक से फॉर्म 20 में अनापत्ति प्रमाण पत्र पाने के बाद इसकी तुलना करके और आवश्यक योग-घटाव करने तथा टेबुलेशन ड्राफ्ट तैयार करने के बाद लाउडस्पीकर के माध्यम से जीतने वाले उम्मीदवार का परिणाम उद्घोषित किया। यह स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त की गयी थी, तत्पश्चात सम्यक रूप से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र निर्वाचित उम्मीदवार को सौंपा गया था। प्रतिशपथ पत्र के पैरा 16 पर यह स्पष्टतः कथन किया गया है कि याची ने किसी स्तर पर, न तो टेबुल पर और न ही हॉल में, अपनी आपत्ति सहायक रिटर्निंग अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी/वरीय अधिकारी अथवा संप्रेक्षक के समक्ष दर्ज नहीं किया था, निर्वाचित उम्मीदवार को प्रमाण पत्र सौंपने के बाद अनुदेश के मुताबिक समस्त मतपत्रों एवं अन्य कागजातों को मुहरबंद किया गया था और जिला रिटर्निंग अधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया था। राज्य के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि परिणाम की घोषणा के बाद रिटर्निंग अधिकारी को मतों की पुनर्गणना करने का अधिकार नहीं है। केवल सक्षम न्यायालय के आदेश पर मुहरबंद मत पत्रों को खोला एवं पुनर्गणना किया जा सकता है। प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि झारखंड पंचायत चुनाव नियमावली, 2001 के धारा 151 के मुताबिक अधिनियम के अधीन संचालित चुनाव को चुनौती केवल सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विहित फॉरमेट में चुनाव परिमाण की घोषणा के 30 दिन के भीतर चुनाव याचिका दाखिल करके दिया जा सकता है। यह निवेदन किया गया है कि ऐसी परिस्थितियों में जब चुनाव परिणाम प्रकाशित किया गया है, सिवाए अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में मतों की पुनर्गणना की याची की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जा सकता है।

4. पक्षों के निवेदनों एवं अभिलेख पर मौजूद अभिवचनों पर विचार करने पर इस न्यायालय का दृष्टिकोण यह है कि जब एक बार चुनाव परिणाम घोषित किया गया है, याची यदि व्यथित हो के लिए समुचित उपचार अधिनियम वर्ष 2001 की धारा 151 के निबंधनानुसार सक्षम प्राधिकारी के समक्ष चुनाव

याचिका दाखिल करना था। किंतु प्रत्यर्थी के शपथ पत्र से स्पष्ट है कि याची परिणाम की घोषणा के पहले प्रत्यर्थी प्राधिकारियों के समक्ष किसी स्तर पर अपनी आपत्ति दाखिल करने में विफल रहा। अत:, इस चरण पर मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। तद्नुसार रिट याचिका खारिज की जाती है।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk ,o Mkñ ,lñ ,uñ ikBd] U;k;efrx.k

मृत्युंजय चक्रवर्ती

cuke

शीला चक्रवर्ती

First Appeal No. 104 of 2007. Decided on 28th February, 2017.

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955—धारा 13—तलाक–पत्नी द्वारा क्रूरता एवं अभित्यजन–अवर न्यायालय द्वारा इस आधार पर वाद खारिज किया गया कि प्रत्यर्थी पत्नी को अपीलार्थी पति द्वारा क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन किया जा रहा था–पत्नी अपीलार्थी के साथ रहने पर जोर दे रही थी और वह शालीन जीवन बिताना चाहती थी–पत्नी के विरुद्ध क्रूरता का अन्य अभिकथन नहीं है–कुटुम्ब न्यायालय द्वारा पारित आदेश मान्य ठहराया गया–अपील खारिज की गयी। (पैराएँ 7 से 12)

अधिवक्तागण.–Mr. Indrajeet Sinha, For the Appellant; Mr. P.A.S. Pati, For the Respondent.

न्यायालय द्वारा.–अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. अपीलार्थी वैवाहिक (तलाक) वाद सं॰ 30 वर्ष 2004 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुमका द्वारा पारित दिनांक 25.6.2017 *(sic ?)* के निर्णय एवं डिक्री से व्यथित है जिसके द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अधीन तलाक की डिक्री द्वारा पक्षों के बीच विवाह के विघटन के लिए याची अपीलार्थी द्वारा दाखिल वाद प्रतिवाद पर खारिज कर दिया गया है।

3. आरंभ में ही यह कथन किया जा सकता है कि इस न्यायालय में इस अपील के लंबित रहने के दौरान हमने झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार राँची के प्रशिक्षित मध्यस्थ के हाथों पक्षों के बीच सुलह के लिए कदम बढ़ाया किंतु मध्यस्थता विफल रही क्योंकि एक पक्ष मध्यस्थता के लिए उपस्थित नहीं हुआ था। तत्पश्चात भी, दोनों पक्षों ने न्यायालय के बाहर विवाद का समाधान करने का प्रयास किया, किंतु चूँकि वह भी नहीं हो पाया था, मामला गुणागुण पर सुना गया है।

4. याची अपीलार्थी के मामले के अनुसार, पक्षों के बीच विवाह वर्ष 2000 में हिंदू रीति-रिवाज के मुताबिक हुआ था और तत्पश्चात वे पति-पत्नी के रूप में रह रहे थे। पति 2000/- रुपया प्रति माह के वेतन पर राँची में एक कंपनी में नियोजित था और वह अपने बड़े भाई के परिवार के साथ रहता था और उसने अपनी पत्नी को अपने माता-पिता के साथ गाँव में रखा था जहाँ वह यदा-कदा आता जाता था। विवाह संबंध से पुत्र का जन्म हुआ था। किंतु, याची अपीलार्थी का मामला यह है कि पत्नी का व्यवहार अच्छा नहीं था और वह याची के साथ राँची में रहने पर जोर दे रही थी। उसे पति के साथ उसके बड़े भाई के घर में रहने के लिए राँची लाया भी गया था और उसे पुन: याची अपीलार्थी के वृद्ध माता-पिता की देखभाल करने के लिए गाँव के घर में छोड़ दिया गया था। पत्नी को यह व्यवस्था पसंद नहीं थी बल्कि वह याची के साथ रहने पर जोर दे रही थी। याची अपीलार्थी का मामला यह है कि जब पत्नी गर्भवती

हुई, वह अपने माएके चली गयी और वापस नहीं लौटी थी। यह अभिकथित किया गया है कि यहाँ से क्रूरता शुरू हुई। यह कथन भी किया गया है कि पत्नी ने पति के विरुद्ध दांडिक मामला भी दर्ज करवाया था जिसमें उसके पति को पुलिस द्वारा बुलाया गया था और मामला सुलझाया गया था और यह फैसला किया गया था कि याची अपीलार्थी अपनी पत्नी को अपने साथ रखेगा जिसके लिए कागज भी तैयार किया गया था। तत्पश्चात भी याची अपनी पत्नी को अपने गाँव के घर वापस लाया, जहाँ उसने केवल 2-3 दिन बिताया और किसी युक्तियुक्त कारण के बिना 27.2.2002 को अपने पिता के घर चली गयी। उसने पुनः भारतीय दंड संहिता की धाराओं 323, 379 एवं 498A के अधीन अपराध के लिए अपने पति के विरुद्ध एक अन्य दांडिक मामला पी॰ सी॰ आर॰ केस सं॰ 122 वर्ष 2003 दाखिल किया जिसमे पति लगभग सात दिन के लिए न्यायिक अभिरक्षा में बना रहा किंतु सुलह के बाद उसे निर्मुक्त किया गया था। याची अपीलार्थी का मामला यह है कि जब कभी भी पत्नी याची के साथ रही, वह याची से अधिक धन की उम्मीद रखती थी, हर सप्ताह सिनेमा देखना चाहती थी, प्रायः होटल में खाना खाना चाहती थी और महंगी चीजे खरीदना चाहती थी जिन मांगों को पूरा नहीं किया जा सका था, और यह अभिकथित किया गया है कि ये मांगे याची अपीलार्थी के प्रति क्रूरता थी। इन अभिकथनों के साथ याची अपीलार्थी ने अवर न्यायालय में वाद दाखिल किया था।

5. नोटिस पर प्रत्यर्थी अवर न्यायालय में उपस्थित हुई और उसने लिखित कथन दाखिल किया जिसमें पूर्वोक्त अभिकथनों से इनकार किया गया था। प्रत्यर्थी पत्नी का मामला यह था कि वह सदैव अपने पति के साथ रहने तथा उसके साथ दांपत्य जीवन बिताने की इच्छुक थी। प्रत्यर्थी पत्नी के अनुसार, उसे अपने ससुराल में क्रूरता के अध्यधीन किया जा रहा था क्योंकि विवाह के समय पर 1,50,000/- रुपयों की मांग की गयी थी, किंतु उसका पिता केवल 1,00,000/- रुपया नगद दे सका था और उसे दहेज मांग के लिए क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन किया जा रहा था। यह भी अभिकथित किया गया है कि राँची में भी जब वह अपने पति के बड़े भाई के घर गयी थी, उसे दहेज मांग के लिए क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन किया गया था और उसका पति शराबी होने के कारण उस प्रहार करता था और उसे गंदी गाली देता था। उसे समुचित भोजन एवं दैनिक आवश्यकताओं से भी वंचित किया गया था और तद्नुसार, उसे उसके बड़े भाई द्वारा उसके माएके लाया गया था। उसे गाँव वापस ले जाया गया था जब वह गर्भवती थी और पुनः उसे क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन किया गया था और उसे चिकित्सीय इलाज से भी वंचित किया गया था, जिस पर उसका पिता उसे वापस अपने घर ले गया था, जहाँ उसने नर्सिंग होम में शिशु को जन्म दिया। पति नवजात शिशु को देखने नहीं आया था। यह भी अभिकथित किया गया है कि जब वह अपने ससुराल में रह रही थी, उसे प्रहार के अध्यधीन किया गया था और उस पर किरासन तेल डाल कर उसकी हत्या करने का प्रयास भी किया गया था किंतु शोर करने पर उसे बचाया गया था, और तत्पश्चात उसे संतान के साथ दांपत्य गृह से निकाल दिया गया था, जिसके लिए कुन्डाहित पी॰ एस॰ केस सं॰ 22 वर्ष 2003 दाखिल किया गया था। इन प्रकथनों के साथ अवर न्यायालय में लिखित कथन दाखिल किया गया था।

6. पक्षों के अभिवचनों के आधार पर, अवर न्यायालय द्वारा विवाद्यक विरचित किया गया था जो क्रूरता एवं अभित्यजन से संबंधित था। अवर न्यायालय में याची अपीलार्थी द्वारा स्वयं एवं अपने बड़े भाई सहित तीन गवाहों का परीक्षण किया गया था, और उसने पी॰ सी॰ आर॰ केस सं॰ 110 वर्ष 2004 का ऑर्डर शीट भी सिद्ध किया है। प्रत्यर्थी ने भी स्वयं, अपने पिता और अपने ससुराल के गाँव के एक ग्रामीण सहित तीन गवाहों का परीक्षण किया। उसने पी॰ सी॰ आर॰ केस सं॰ 110 वर्ष 2004 से संबंधित दस्तावेज भी सिद्ध किया जिसे प्रदर्श A श्रृंखला चिन्हित किया गया था। यह कथन किया जा सकता है कि कुन्डाहित पी॰ एस॰ केस सं॰ 22 वर्ष 2003 अथवा पी॰ सी॰ आर॰ केस सं॰ 122 वर्ष 2003 से संबंधित दस्तावेज किसी पक्ष द्वारा सिद्ध नहीं किए गए हैं।

7. आक्षेपित निर्णय से प्रकट है कि अवर न्यायालय ने दोनों पक्षों द्वारा दिए गए साक्ष्य पर पूरी चर्चा की है जिसमें अवर न्यायालय में याची अपीलार्थी द्वारा परीक्षण किए गए गवाहों ने याची के मामला का समर्थन किया है जबकि प्रत्यर्थी द्वारा परीक्षा किए गए गवाहों ने प्रत्यर्थी के मामले का समर्थन किया है। अवर न्यायालय अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आकलन पर और दस्तावेजी साक्ष्य को विचार में लेते हुए इस निष्कर्ष पर आया है कि अभित्यजन स्वयं याची द्वारा की गयी क्रूरता के कारण था और अवर न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर पाया है कि अपीलार्थी पति द्वारा प्रत्यर्थी को क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन किया गया था और तद्नुसार, अवर न्यायालय द्वारा वाद खारिज किया गया है।

8. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री विधि की दृष्टि में संपोषणीय नहीं है, क्योंकि अपीलार्थी द्वारा दिए गए साक्ष्य का अवर न्यायालय द्वारा पूर्णत: अधिमूल्यन नहीं किया गया है, बल्कि अवर न्यायालय ने एकपक्षीय रूप से प्रत्यर्थी पत्नी द्वारा दिए गए साक्ष्य पर विश्वास किया और निष्कर्ष दिया है कि उसे क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन किया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी अपना मामला सिद्ध करने में सक्षम हुआ था, और यह सुयोग्य मामला है जिसमें पक्षों के बीच विवाह तलाक की डिक्री द्वारा विघटित कर दिया जाना चाहिए था।

9. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रत्यर्थी पत्नी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य की मदद से अपना मामला सिद्ध करने में सक्षम रही है कि उसे उसके ससुराल वालों द्वारा क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन किया जाता था और तद्नुसार, यह निवेदन किया गया है कि आक्षेपित निर्णय में अवैधता नहीं है।

10. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं अभिलेख का परिशीलन करने पर हम पाते हैं कि इस मामले में क्रूरता, जैसा पति द्वारा अभिकथित किया गया है, केवल उदाहरणस्वरुप है कि पत्नी उसके साथ रहने पर जोर दे रही थी और वह शालीन जीवन बिताना चाहती थी। पत्नी के विरुद्ध क्रूरता का अन्य अभिकथन नहीं है। याची अपीलार्थी के स्वीकृत मामले पर भी हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि संपूर्ण मामले में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जो प्रत्यर्थी पत्नी के विरुद्ध ऐसी क्रूरता का मामला बना सकता है जो पति को तलाक की डिक्री का हकदार बनाए। हम पाते हैं कि अवर न्यायालय ने अभिलेख पर साक्ष्य का विस्तारपूर्वक परीक्षण किया है और इस निष्कर्ष पर आया है कि पत्नी को ही क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन किया जा रहा था और वाद खारिज कर दिया है।

11. तद्नुसार हम विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुमका द्वारा वैवाहिक (तलाक) वाद सं॰ 30 वर्ष 2004 में पारित दिनांक 25.6.2017 के आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री में कोई अवैधता नहीं पाते हैं।

12. इस अपील में गुणागुण नहीं है और तद्नुसार इसे खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

श्रीमती कविता देवी उर्फ कविता डालमिया एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 738 of 2017. Decided on 27th February, 2017.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—धारा 80 (2) सहपठित आदेश 39 नियम 1 एवं 2—सरकार के विरुद्ध वाद–नोटिस–वादीगण अत्यावश्यकता अथवा तुरन्त अनुतोष के आधारों पर व्यादेश की आवश्यकता स्थापित करने में सक्षम हो सकते हैं अथवा नहीं हो सकते हैं किंतु विवेक का सम्यक इस्तेमाल द्वारा ऐसी प्रार्थना के प्रति विचार दर्शाना होगा–धारा 80(2) के प्रावधानों के निबंधनानुसार व्यथित व्यक्ति को सरकार अथवा किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध न्यायालय की अनुमति से अत्यावश्यक अथवा तुरन्त अनुतोष प्राप्त करना अनुज्ञेय है–यदि न्यायालय संतुष्ट है कि वाद में अत्यावश्यक अथवा तुरन्त अनुतोष प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है, इसे वाद पत्र को प्रस्तुति के लिए वापस लौटा देना होगा। (पैराएँ 6 एवं 7)

निर्णयज विधि.–(2013)10 SCC 178—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s. Sumeet Gadodia, Anurag Kashyap, For the Petitioners; Mr. Atanu Banerjee, For the Resp-State.

आदेश

पक्षों के अधिवक्ता सुने गए।

2. याची ने परिशिष्ट–3 में वादपत्र में वर्णित मौजा लखारी पी॰ एस॰ गिरीडीह (टी॰) जिला गिरीडीह अवस्थित क्षेत्रफल 173 डिसमल भूखंड सं॰ 179 थाना सं॰ 101 खाता सं॰ 80 से गठित वाद भूमि से जबरन बेदखली से आशंकित होकर उपन्यायाधीश गिरीडीह के समक्ष वाद भूमि पर अपने अधिकार, अभिधान एवं हित की घोषणा करने वाद के लंबित रहने के दौरान वाद भूमि से वादीगण को बेदखल करने से प्रत्यर्थीगण को अवरुद्ध करने और वाद भूमि की प्रकृति एवं चरित्र बदलने से प्रत्यर्थीगण को अवरुद्ध करने; निर्णय एवं डिक्री के समय पर व्यादेश अंतिम बनाए जाने और व्यय यदि हो, जिसके वे हकदार हो सकते हैं की प्रार्थना के साथ अभिधान वाद सं॰ 221/2016 संस्थित किया। यद्यपि प्रतिवादीगण वाद के संस्थापन के पहले सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के अधीन नोटिस का तामील आवश्यक बनाते राज्य के अधिकारी हैं किंतु सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 एवं 2 के अधीन दिए गए आवेदन (परिशिष्ट 4 एवं 5) के रूप में दर्शायी गयी अत्यावश्यकता के कारण वादीगण ने स्वयं व्यादेश याचिका की आरंभिक सुनवाई के लिए आवश्यकता का अभित्यजन इप्सित किया। विद्वान उप न्यायाधीश I, गिरीडीह ने 20.12.2016 को निम्नलिखित आदेश पारित किया:–

^^oknh vfèkoDrk d ekè;e l mifLFkfr nkf[ky djrk gA

oknh d fo}ku vfèkoDrk dk luk vkj vfHky[k dk ifj'khyu fd;kA nkuk çfroknhx.k ljdkjh vfèkdkjh gA oknh dk lhO ihO lhO dh èkkjk 80 d vèkhu çkoèkku dk vuikyu dju dk fun'k fn;k tkrk gA

*oknh dh vkj l dne mBku d fy, 30.1.2017 dk lphc) djA**

3. व्यथित होकर, याचीगण इस न्यायालय के पास यह प्राख्यान करते हुए आए हैं कि वादीगण को उपचारहीन छोड़ते हुए विद्वान न्यायालय द्वारा सी॰ पी॰ सी॰ की धारा 80 नियम 2 की आवश्यकता पूरी नहीं की गयी है। आक्षेपित आदेश दर्शायी गयी अत्यावश्यकता के प्रति विवेक के इस्तेमाल के बिना वाद पत्र लौटाने के तुल्य है। डब्लू॰ पी॰ सी॰ सं॰ 1834/2016 (सुषमा रश्मि एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य) में पक्षों के मामले को निर्दिष्ट किया गया है जिसमें भी याचीगण ग्राम लखारी जिला गिरीडीह भूखंड सं॰ 179 खाता सं॰ 80 थाना सं॰ 101 की भूमि के उसी टुकड़े का दावेदार होने के नाते बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 की धारा 6 (2) के निबंधनानुसार किसी विनिश्चयकरण के बिना अभिकथित अतिक्रमण को हटाने एवं याची सं॰ 1 के दीवार के आंशिक भंजन की धमकी पर इस न्यायालय के पास आए।

4. यह निवेदन किया गया है कि इस न्यायालय ने दिनांक 6.4.2016 के आदेश (परिशिष्ट 8) द्वारा अंतरिम संरक्षण प्रदान किया और तत्पश्चात् लाए गए प्रत्यर्थीगण का दृष्टिकोण ध्यान में लेने पर दिनांक 3.5.2016 के आदेश के तहत पाया था कि प्रत्यर्थी अंचलाधिकारी, गिरीडीह द्वारा अधिनियम 1956 के निबंधनानुसार अंतिम विनिश्चयकरण नहीं किया गया है जहाँ वर्तमान कार्यवाही लंबित थी। रिट याचिका परिशिष्ट–9 पर निर्णय के निबंधनानुसार इस संप्रेक्षण के साथ निपटायी गयी थी कि कार्यवाही याचीगण को सम्यक अवसर देने के बाद और विधि के अनुरूप शीघ्रातिशीघ्र निष्कर्षित की जाए। कार्यवाही के परिणाम पर निर्भर होते हुए परिणाम प्रवाहित होंगे। यह निवेदन किया गया है कि याचीगण जिन्होंने समरुप तरीके से प्रत्यर्थी प्राधिकारियों की कार्रवाई द्वारा धमकाए जाने पर सक्षम सिविल न्यायालय के फोरम का तत्परतापूर्वक अवलंब लिया, को विद्वान न्यायालय द्वारा मामले का इसके सही परिप्रेक्ष्य में अधिमूल्यन नहीं करने के दृष्टिकोण की दृष्टि में किसी प्रतितोष के बिना छोड़ दिया गया है। अत: आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है और विद्वान न्यायालय द्वारा अपने समक्ष लंबित सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश 39 नियम 1 एवं 2 के अधीन याचिका पर निर्णय लेने तक याचीगण को संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने **केरल राज्य एवं अन्य बनाम सुधीर कुमार शर्मा एवं अन्य, (2013)10 SCC 178** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर निवेदन के समर्थन में विश्वास किया है।

5. प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि प्रकटत: याचीगण धमकी दी गयी कार्रवाई का कोई ठोस प्रमाण दर्शाने में सक्षम नहीं हुए हैं जैसा प्रतिवाद किया गया है, रिट याचिका में केवल प्रकथन किए गए हैं। किंतु, राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री बनर्जी इसी समय पर निवेदन करते हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 (2) के प्रावधानों के निबंधनानुसार मामले में वादीगण द्वारा दर्शायी गयी अत्यावश्यकता पर विचार कर सकता था और केवल असंतुष्ट होने पर उपधारा (1) की आवश्यकता का अनुपालन करने के बाद वाद पत्र प्रस्तुति के लिए लौटा सकता था।

6. मैंने पक्षों के निवेदन पर विचार किया है और आक्षेपित आदेश तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया है। प्रथम दृष्टया, आक्षेपित आदेश विवेक का गैर इस्तेमाल दर्शाता है। धारा 80 (2) के प्रावधान के निबंधनानुसार व्यथित व्यक्ति के लिए कोई नोटिस तामील किए बिना न्यायालय की अनुमति से ऐसे लोक अधिकारी द्वारा अपने पदीय हैसियत में तात्पर्यित रूप से किए गए किसी कृत्य के संबंध में सरकार अथवा किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध अत्यावश्यक अथवा तुरन्त अनुतोष प्राप्त करना अनुज्ञेय है जैसा उपधारा (1) द्वारा आवश्यक बनाया गया है। किंतु, न्यायालय प्रार्थना किए गए अनुतोष के संबंध में सरकार अथवा लोक अधिकारी, यथास्थिति, को कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर देने के सिवाए वाद में अनुतोष, अंतरिम अथवा अन्यथा, प्रदान नहीं करेगा। उपनियम (2) का परन्तुक उपदर्शित करता है कि यदि न्यायालय पक्षों को सुनने के बाद संतुष्ट है कि वाद में अत्यावश्यक अथवा तुरन्त अनुतोष प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है, यह उपधारा (1) की आवश्यकता का अनुपालन करने के बाद प्रस्तुति के लिए वाद, लौटा देगा।

7. विद्वान विचारण न्यायालय ने केवल वादीगण को सी॰ पी॰ सी॰ की धारा 80 की आवश्यकता का अनुपालन करने का निर्देश देते हुए विधि की इस आवश्यकता पर बहुत कम ध्यान दिया है। वादीगण अत्यावश्यक अथवा तत्कालिक अनुतोष के आधार पर व्यादेश की आवश्यकता स्थापित करने में सक्षम हो सकता है अथवा नहीं हो सकता है, किंतु ऐसी प्रार्थना के प्रति विवेक के सम्यक इस्तेमाल द्वारा विचार किया जाना दर्शाया जाना होगा जो आक्षेपित आदेश में स्पष्ट रूप से नहीं है। विद्वान न्यायालय के ऐसे दृष्टिकोण का परिणाम न केवल सद्भावपूर्ण वादकारों के मामले पर सम्यक विचार से वंचित किये जाने में होता है बल्कि इसी समय पर उस आधार पर उच्चतर फोरम की ओर अनावश्यक रूप से ले जाता

है। विद्वान न्यायालय के ऐसे प्रार्थना पर सकारण आदेश दर्ज करते हुए आनुषंगिक तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रति अपने विवेक का इस्तेमाल करने में सम्यक तत्परता का प्रयोग करना चाहिए था। अतः आक्षेपित आदेश अधिकारिता के प्रयोग में गंभीर गलती से पीड़ित है जो निश्चय ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन हस्तक्षेप किए जाने योग्य है क्योंकि यह न्याय की विफलता की ओर भी ले जा सकता है। तद्नुसार इसे अपास्त किया जाता है। विद्वान विचारण न्यायालय उसमें के प्रभावित पक्षों/प्रतिवादियों को सम्यक नोटिस एवं अवसर देने के बाद आज के दिन से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर शीघ्रातिशीघ्र याचीगण के आवेदन पर विचार करेगा। आज के दिन से तीन सप्ताह की अवधि तक वादीगण के विरुद्ध वाद संपत्ति के संबंध में प्रपीड़क कदम नहीं उठाया जाए। अंतरिम संरक्षण की अवधि का अवसान तीन सप्ताह बाद हो जाएगा। याचीगण/वादीगण को विद्वान विचारण न्यायालय से अंतरिम व्यादेश इप्सित करने की छूट होगी, जिस पर यहाँ उपर किए गए किसी संप्रेक्षण से प्रभावित हुए बिना विधि के अनुरुप स्वयं इसके गुणागुण पर विचार किया जा सकता है।

8. पूर्वोक्त तरीके से रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

9. इस आदेश की प्रति निदेशक, न्यायिक एकेडमी, झारखंड, राँची को भेजी जाए।

---

ekuuh; ,p॰ lh॰ feJk ,o Mk॰ ,l॰ ,u॰ ikBd] U;k;efrx.k

डोमन साव एवं अन्य

cuke

बिहार राज्य (अब झारखंड)

Cr. Appeal (D.B.) No. 208 of 1991 (R). Decided on 2nd March, 2017.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302/34—हत्या—सम्मिलित आशय—दोषसिद्धि एवं दंडादेश—अभियोजन मामला एक चश्मदीद गवाह के तौर पर मृतक के बहन द्वारा पूर्णतः समर्थित—मात्र इस तथ्य के कारण कि इस गवाह ने अपीलार्थी की पत्नी को भी आलिप्त करने का प्रयास किया था, एक चश्मदीद गवाह के रूप में घटना के बारे में उसका साक्ष्य पूर्णतः त्यक्त नहीं किया जा सकता है—इसे केवल सम्यक् सावधानी तथा सतर्कता के साथ रखे जाने की आवश्यकता है तथा अगर यह अन्य साक्ष्य द्वारा सम्पोषण प्राप्त करता है, इसपर अन्य गवाहों के साक्ष्य द्वारा इसके सम्पोषण प्राप्त किये जाने की सीमा तक भरोसा किया जा सकता है—वर्तमान मामले में मृतक की प्राथमिकी को उसकी मृत्युकालिक घोषणा के रूप में लिया जाना है—मृतक की उपहतियां भी चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा पूर्णतः समर्थित हैं—मृतक के साले की अपरीक्षा अधिक महत्वपूर्ण नहीं है जिसके साथ मृतक घटना के दिन जा रहा था—अभियोजन अभियुक्त व्यक्तियों के विरूद्ध सभी युक्तिसंगत संदेहों से परे आरोप को सिद्ध करने में सक्षम नहीं रहा है तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थीगण की उचित रूप से भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302/34 के अधीन अपराध के लिये दोषसिद्धि एवं दंडादेश किया गया है—अपील खारिज। (पैराएँ 19, 20 एवं 21)

निर्णयज विधि.—(2002)1 SCC 577; 2003 (3) East Cr. C. 487 (Jhr.); 1993 SCC (Cri) 1012—Referred.

अधिवक्तागण.—M/s. Abhay Shankar Dayal, Supriya Dayal, For the Appellants; M/s. Ravi Prakash, For the State.

एच॰ सी॰ मिश्रा, न्यायमूर्ति.–अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. अपीलार्थीगण एस॰ टी॰ संख्या 62 वर्ष 1984 में विद्वान तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 10.9.1991 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दिनांक 12.9.1991 के दंडादेश द्वारा व्यथित हैं, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सह–पठित धारा 34 के अधीन अपराध का दोषी पाया गया है तथा उनकी इसके लिए दोषसिद्धि की गयी है। दंडादेश के बिन्दु पर सुनवाई करके अपीलार्थीगण को सश्रम आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश सुनाया गया है।

3. अभियोजन मामले के अनुसार, स्वयं मृतक के फर्दबयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी, जब वह जीवित था। सिमरिया पुलिस थाना के ए॰ एस॰ आई॰ द्वारा 1.7.1982 को 10.30 बजे पूर्वाह्न में सिमरिया राज्य औषधालय में मृतक कन्हाई साव का फर्दबयान दर्ज किया गया था, जिसमें सूचनादाता मृतक ने अभिकथित किया था कि 1.7.1982 को लगभग 9 बजे पूर्वाह्न में वह एक साईकिल पर अपने छोटे साले के साथ जा रहा था तथा जब वह अभियुक्त डोमन साव के घर के निकट पहुंचा था, वह डोमन साव से मिला था एवं अपने 250/– रुपये की मांग की थी जो डोमन साव के यहां बकाया था, जिसपर डोमन साव क्रुद्ध हो गया था तथा डोमन साव, भुनेश्वर साव, गोपाल मिस्त्री एवं बंधन ठाकुर नामक अभियुक्त व्यक्ति उसे बलपूर्वक घसीटकर डोमन साव के घर ले गये थे। सूचनादाता ने संत्रास किया था परन्तु उसके बचाव के लिए कोई भी नहीं आया था तथा घर में डोमन साव के आदेश पर, अन्य व्यक्तियों ने उसे बलपूर्वक जमीन पर दबाकर लेटा दिया था तथा डोमन साव ने उसके बायें पैर तथा दोनों हाथों पर उपहतियां कारित करते हुए उसपर तलवार से प्रहार किया था। सूचनादाता मूर्छित हो गया था तथा जब उसे होश आया था, उसने देखा था कि उसकी माता, बहन एवं साला वहां आये हुये थे तथा वे उसे घर से बाहर लेकर आये थे। उन्होंने उसे यह भी सूचित किया था कि उसे मारने पीटने के उपरान्त अभियुक्त व्यक्तियों ने उसे कमरे में बंद कर दिया था जिसे माता द्वारा खोला गया था। तत्पश्चात्, उसे सिमरिया अस्पताल लाया गया था। फर्दबयान में मृतक सूचनादाता ने कथित किया था कि अभियुक्त ने उसकी मृत्यु कारित करने के इरादे से उसपर प्रहार किया था। चूँकि मृतक सूचनादाता फर्दबयान पर अपना हस्ताक्षर करने की स्थिति में नहीं था, उसने फर्दबयान पर अपने अंगूठे का चिन्ह लगाया था। फर्दबयान के आधार पर, भारतीय दंड संहिता की धाराओं 341, 342, 326, 307/34 के अधीन अपराध के लिये अपीलार्थीगण के विरूद्ध जी॰ आर॰ संख्या 339 वर्ष 1982 के तत्सम सिमरिया पुलिस थाना केस सं॰ 31 वर्ष 1982 संस्थित किया गया था तथा अन्वेषण प्रारंभ किया गया था।

4. इसे कथित किया जा सकता है कि सिमरिया राज्य औषधालय में, सूचनादाता की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे अन्य अस्पताल निर्दिष्ट कर दिया गया था, तथा मृतक को हजारीबाग अस्पताल लाया गया था, जहां उसी दिन उसकी मृत्यु हो गयी थी। उसी रात मृतक सूचनादाता का विवाह हुआ था तथा प्रात: काल में घटना घटित हुई थी। मृतक की मृत्यु होने पर, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 भी जोड़ी गयी थी तथा अन्वेषण के उपरान्त पुलिस ने अभियुक्त अपीलार्थीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।

5. मामला सत्र न्यायालय भेजे जाने पर, भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34 के अधीन अपराध के लिये अभियुक्त व्यक्तियों के विरूद्ध आरोप विरचित किया गया था तथा अभियुक्त व्यक्तियों के दोषी न होने का अभिवचन करने तथा विचारण किये जाने का दावा करने पर, उन्हें विचारण पर रखा गया था। विचारण के अनुक्रम में अभियोजन ने दस गवाहों को परीक्षित किया है तथा आवश्यक दस्तावेजों को भी सिद्ध किया है। प्रतिवादी ने भी मामले में दो गवाहों को परीक्षित किया है।

6. अ॰ सा॰ 2 लखिया देवी मृतक सूचनादाता की माता है जिसे मृतक ने कमरे में होश हासिल करने के बाद पहली बार देखा था, जहां उसपर प्रहार किया गया था। इस गवाह ने अभियोजन मामले का समर्थन किया है तथा कथित किया है कि घटना के दिन लगभग 9 बजे पूर्वाह्न में, वह अपने किराना के दुकान पर थी जब मृतक का साला, अर्थात्, नागेन्द्र दुकान पर आया था एवं सूचित किया था कि चारों अभियुक्त व्यक्ति कन्हाई साव (मृतक) को डोमन साव के घर ले गये थे तथा वे उसे मार-पीट रहे थे। सूचना प्राप्त होने पर वह डोमन साव के घर की ओर दौड़ पड़ी थी तथा उसने अपने साथ टांगी भी ले लिया था। उसने पाया कि डोमन साव का घर बाहर से बंद था जिसपर उसने टांगी की सहायता से ताला तोड़ दिया था एवं कमरे में प्रवेश कर गयी थी। उसने अपने पुत्र को रक्त से लथपथ पड़ा हुआ पाया था तथा उसने उसे सूचित किया था कि डोमर साव, भुनेश्वर साव, गोपाल राणा एवं बंधन नऊआ उसे जामुन के पेड़ के नजदीक से लेकर आये थे तथा उसपर तलवार से प्रहार किया था। इस गवाह ने कथित किया है कि उसके पति तथा उसकी पुत्री भी वहां आये थे। उसके पुत्र को सिमरिया लाया गया था तथा बाद में उसकी मृत्यु हो गयी थी। उसने न्यायालय में सभी चारों अभियुक्त व्यक्तियों की शिनाख्त की है तथा यह भी कथित किया है कि उसने उन्हें भागते हुए देखा था। इस गवाह की बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी थी, परन्तु उसकी प्रतिपरीक्षा में कुछ अधिक महत्वपूर्ण सामने नहीं लाया जा सका था तथा वह प्रतिपरीक्षा की जांच में खरी उतरी है।

7. अ॰ सा॰ 1 ठाकुर मनि साव मृतक का पिता है जो अन्य व्यक्तियों के साथ मृतक को अस्पताल ले गया था। उसने कथित किया है कि घटना के दिन लगभग 8.30 बजे पूर्वाह्न में वह किसी सरोज सिंह की चाय की दुकान पर था तथा वह चाय पी रहा था। सरोज सिंह तथा लखन सिंह भी चाय के दुकान पर मौजूद थे, जो उसके घर से लगभग 200 गज की दूरी पर अवस्थित है तथा उसके घर से उसे देखा भी जा सकता है। उसकी लगभग 11 वर्षीय पुत्री बिनोदवा कुमारी उस समय वहां आयी थी तथा सूचित किया था कि अभियुक्त व्यक्ति डोमन, भुनेश्वर, गोपाल एवं बंधन उसके भाई को मारते पीटते हुए डोमन साव के घर ले गये थे। सूचना प्राप्त होने पर यह गवाह डोमन साव के घर की ओर दौड़ पड़ी थी तथा 2 से 3 व्यक्ति भी उसके पीछे आये थे। घर के निकट पहुंचने पर उसने चारों अभियुक्त व्यक्तियों को गन्ने के खेत से होकर भागते हुए देखा था। उसने डोमन साव के घर में प्रवेश किया था एवं अपने पुत्र को देखा था, जिसने उसे सूचित किया था कि वह अपने साला के साथ साईकिल पर जा रहा था तथा जब वह घर के निकट पहुंचा था, वह अभियुक्त व्यक्तियों से मिला था तथा अपने बकाये धन की मांग किया था, जिसपर सभी अभियुक्त व्यक्ति उसे घर के अंदर ले गये थे एवं डोमन साव ने अन्य अभियुक्त व्यक्तियों की मौजूदगी में उसके पैर एवं हाथों को काटते हुए उसपर तलवार से प्रहार किया था। इस गवाह ने कथित किया है कि उसका पुत्र एक छोटी सी दुकान चलाता था तथा उक्त दुकान से की गयी खरीदों के संबंध में बकाये थे। उसने यह भी कथित किया है कि उसकी पत्नी, उसके पुत्र के साला तथा उसकी बहु भी वहां पर थी। इस गवाह ने कथित किया है कि घटना के लगभग 2 घंटे पहले उसके पुत्र का विवाह हुआ था। उसने कथित किया है कि निकट ही एक रक्तरंजित तलवार भी थी। यह गवाह अपने पुत्र को एक ट्रक पर सिमरिया अस्पताल लेकर आया था जहां उसके पुत्र ने सिमरिया पुलिस थाने के सब-इंस्पेक्टर को अपना फर्दबयान भी दिया था। चिकित्सक ने बताया था कि उपहतियां गंभीर थी तथा वहां पर इलाज संभव नहीं था एवं उसे अपने पुत्र को या तो हजारीबाग या तो रांची ले जाने के लिए कहा था। उसके पुत्र को हजारीबाग अस्पताल लाया गया था तथा उसी दिन लगभग 5 बजे अपराह्न में उसकी मृत्यु हो गयी थी। इस गवाह ने भी न्यायालय में सभी चार अभियुक्त व्यक्तियों की शिनाख्त की है। बचाव पक्ष द्वारा इस गवाह की विस्तार से प्रतिपरीक्षा की गयी थी, तथा अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने कथित किया है कि उसे चिकित्सक द्वारा पुलिस को बुलाने के लिए कहा गया था तथा फिर चिकित्सक की मौजूदगी में

सूचनादाता का फर्दबयान दर्ज किया गया था। उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि उसके पुत्र ने कोई फर्दबयान नहीं दिया था क्योंकि उसकी पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। उसने यह भी कथित किया है कि उसका पुत्र फर्दबयान पर अपना हस्ताक्षर करना चाहता था, परन्तु अपने हाथ में उपहतियों के कारण वह अपना हस्ताक्षर नहीं कर सका था तथा उसने अपने अंगूठे का चिन्ह लगा दिया था। उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि अंगूठे का चिन्ह एक कूटरचित चिन्ह था। उसने कथित किया है कि उसका बयान अन्वेषण के दौरान पुलिस द्वारा लिया गया था तथा अन्य गवाहों के बयान भी लिये गये थे। इस गवाह ने यह भी कथित किया है कि उसके पुत्र का विवाह पिछली रात हुआ था तथा मृतक का साला उस समय लगभग 8-9 वर्ष का था। यह उसके पुत्र का दूसरा विवाह था। इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि डोमन साव तथा इस गवाह के बीच पिछले मामले थे। डोमन साव ने भी उसपर एक मामला दाखिल किया था तथा इस गवाह ने भी डोमन साव के विरूद्ध डकैती का एक मामला दाखिल किया था। यह गवाह भी लगभग एक सप्ताह तक जेल में रहा था। अपनी प्रतिपरीक्षा में यद्यपि उसने डोमन साव के साथ पुरानी शत्रुता होने को स्वीकार किया है, परन्तु उसने कथित किया था कि उसकी अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के साथ कोई शत्रुता नहीं है, बल्कि सभी चार अभियुक्त मित्र हैं। उसने झूठा साक्ष्य दिये जाने से इनकार किया है।

8. अ॰ सा॰ 4 यशोदा देवी है, जो मृतक की बहन है। उसने कथित किया है कि घटना के दिन वह कपड़े धोते हुए सड़क के किनारे के कुएं पर थी। उसने अभियुक्त बंधन, गोपाल, भुनेश्वर एवं डोमन को जामुन के पेड़ के निकट से उसके भाई को डोमन साव के घर ले जाते हुए देखा था जो जामुन के पेड़ के सामने अवस्थित था। इस गवाह ने भी उनका पीछा किया था जिसपर भुनेश्वर तथा डोमन की पत्नी ने उसे पकड़ लिया था। उसने कथित किया कि डोमन ने उसके भाई पर प्रहार किया था एवं अन्य गवाहों ने उसे पकड़ रखा था। उसके भाई को डोमन साव के घर के अंदर मारा-पीटा गया था एवं वह भी घर में प्रवेश कर गयी थी। उसके भाई पर प्रहार करने के उपरान्त अभियुक्त व्यक्ति गन्ने के खेत से होकर भाग निकले थे। उसे भी अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा कमरे में बंद कर दिया गया था जिसे उसकी माता द्वारा खोला गया था। इस गवाह ने न्यायालय में अभियुक्त व्यक्तियों की शिनाख्त की थी। इस गवाह की अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षा भी की गयी थी तथा उसका ध्यान पुलिस के समक्ष किये गये उसके बयानों की ओर आकर्षित किया गया है, जिसपर उसने आख्यापित किया है कि उसने पुलिस के समक्ष ये बयान दिये थे जैसा कि उसकी प्रधान परीक्षा में कथित किया गया है। आक्षेपित निर्णय दर्शाता है कि अन्वेषण पदाधिकारी, जिसने उसका बयान दर्ज किया था, परीक्षित नहीं किया गया था, परन्तु विचारण न्यायालय ने केस डायरी का परीक्षण किया था जिससे यह प्रतीत हुआ था कि पुलिस के समक्ष दिये गये उसके बयान में कोई विरोधात्मकता नहीं थी। तद्नुसार, उसके साक्ष्य को खंडित करने के लिये कुछ भी प्रतीत नहीं होता है, इस तथ्य के सिवाय कि मृतक की माता ने कथित नहीं किया है कि जब उसने दरवाजा खोला था, यह गवाह भी कमरे में मौजूद थी, तथा इस गवाह ने डोमन साव की पत्नी का भी नाम लिया है, परन्तु किसी गवाह द्वारा उसकी मौजूदगी कथित नहीं की गयी है। इस गवाह ने घटना के चश्मदीद गवाह के तौर पर अभियोजन मामले का समर्थन किया है।

9. अ॰ सा॰ 8 बिनोद कुमारी सूचनादाता की दूसरी बहन है जो अपने साक्ष्य के समय लगभग 15 वर्ष की थी। इस गवाह ने कथित किया है कि घटना के दिन वह जामुन के पेड़ के निकट जामुन तोड़ रही थी जब उसका भाई कन्हाई नागेन्द्र के साथ आ रहा था। जब वह जामुन के पेड़ के निकट पहुंचा था, अभियुक्त व्यक्ति डोमन, बंधन, भुनेश्वर एवं गोपाल उसके भाई को डोमन साव के घर ले गये थे। उसने सरोज की दुकान पर अपने पिता को सूचित किया था तथा वह अपने पिता के साथ वापस आ गयी थी, जहां उसने सभी चार अभियुक्त व्यक्तियों को गन्ने के खेत से होकर भागते हुए देखा था। उसके भाई

ने सूचित किया था कि सभी चार अभियुक्तों ने उसपर तलवार से प्रहार किया था। इस गवाह ने भी न्यायालय में अभियुक्त व्यक्तियों की शिनाख्त की है। उसकी विस्तार से प्रतिपरीक्षा भी की गयी थी, परन्तु वह प्रतिपरीक्षा की जांच में खरी उतरी है।

10. अ॰ सा॰ 3 कैलाश देवी, जो मृतक की एक अन्य बहन है। उसने मात्र यह कथित किया है कि उसने जामुन के पेड़ के निकट डोमन, बंधन, भुनेश्वर एवं गोपाल को देखा था तथा उसका भाई अपने साला के साथ साईकिल पर जा रहा था। तत्पश्चात्, वह घर आ गयी थी। वह भी अपनी माता के साथ घटना स्थल गयी थी तथा अपने भाई को बुरी तरह से घायल अवस्था में देखा था। इस गवाह ने घटना के बारे में उसके भाई द्वारा दी गयी किसी सूचना के बारे में कुछ कथित नहीं किया है तथा अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने कथित किया है कि उसका भाई मूर्छित था।

11. अ॰ सा॰ 5 जुऐल हेरेंज मुंडा है, जो केवल यह अभिसाक्ष्य देने के लिए आया है कि मृतक की माता उसके पास आयी थी तथा कथित किया था कि किसी ने उसके पुत्र को मार डाला था। उसने भी कथित किया है कि उसने जामुन के पेड़ के निकट रक्त देखा था। अ॰ सा॰ 6 सरोज सिंह वह गवाह है जिसकी दुकान पर सूचनादाता का पिता चाय पी रहा था जब घटना के बारे में उसे सूचित किया गया था। उसने कथित किया है कि सूचनादाता का पिता उसकी दुकान पर था एवं उसकी पुत्री आयी थी एवं सूचित किया था कि डोमन साव के घर में कोई चिल्ला रहा है। इस गवाह ने कथित किया है कि आधे घंटे के बाद वह डोमन साव के घर गया था एवं कन्हाई साव को घायल अवस्था में देखा था एवं वह मूर्छित था। उसे सिमरिया अस्पताल लाया गया था जहां उसकी मृत्यु हो गयी थी। उसने कथित किया है कि ठाकुर मनी साव की पुत्री ने किसी अभियुक्त के बारे में सूचित नहीं किया था, न ही इस गवाह ने किसी अभियुक्त को भागते हुए देखा था। इस गवाह को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया था।

12. अ॰ सा॰ 9 डॉ॰ एम॰ एम॰ सेन गुप्ता हैं, जिन्होंने घटना के दिन लगभग 9.29 बजे पूर्वाह्न में सिमरिया स्वास्थ्य केन्द्र में मृतक की परीक्षा की थी। उन्होंने तीक्ष्ण धारदार हथियार द्वारा कारित पांच उपहतियों को सिद्ध किया है तथा वह गंभीर स्वरूप की थी। उन्होंने अपनी लिखावट तथा हस्ताक्षर सहित उपहति रिपोर्ट को सिद्ध किया है, जिसे प्रदर्श 2 के तौर पर अंकित किया गया था। अपने समूचे साक्ष्य में उन्होंने कथित किया है कि उनके द्वारा परीक्षित किये जाते समय मृतक बेहोश था।

13. अ॰ सा॰ 7 डॉ॰ वेद व्रत हैं, जिन्होंने मृतक के शव का पोस्टमार्टम परीक्षण किया था तथा मृतक पर निम्नांकित मृत्युपूर्व उपहतियां पायी थी:–

(i) ck;k ij dh fVfc;k vfLFk dk vkf'kd :i l dkVr g, 2"x½" dk fNfnr ?kkoA

(ii) iVyk vfLFk dk vkf'kd :i l dkVr g, nk;k ?kVu d tkM ij 2"x½" dk fNfnr ?kkoA

(iii) vyuk vfLFk l gkdj tkr g, ck;h vxHktk ij 4"x½" dk fNfnr ?kkoA

(iv) nk;h Åijh Hktk ij uhp dh ekl if'k;k dk dkVr g, 3"x½" dk fNfnr ?kkoA

(v) vyuk d Åijh fgLl dk dkVr g, nk;h dguh dh tkM d ihN 7"x ½" dk fNfnr ?kkoA

(vi) nk;h tk?k dh vfLFk dk VVukA

इस गवाह ने कथित किया है कि विच्छेदन करने पर उन्होंने सभी आंतरिक अंगों को अक्षत तथा निस्तेज पाया था। हृदय के दोनों प्रकोष्ठ खाली थे। उन्होंने कथित किया है कि उपरोल्लिखित उपहतियों से हुए सदमे तथा अत्यधिक रक्तस्राव के कारण मृत्यु हुई थी। मृत्यु के बाद व्यतीत समय 12 से 24 घंटों के बीच था। इस गवाह ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अपनी लिखावट तथा हस्ताक्षर में होना सिद्ध किया है, जिसे प्रदर्श 1 के तौर पर अंकित किया गया था। उन्होंने यह भी कथित किया है कि तलवार जैसे किसी तीक्ष्ण धारदार हथियार द्वारा उपहति संख्याएं (i) से (vi) कारित हो सकती थी। उसकी प्रति परीक्षा में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है।

14. अ॰ सा॰ 10 मामले का अन्वेषण पदाधिकारी है। उसने ए॰ एस॰ आई॰ राम नरेश सिंह की लिखावट तथा हस्ताक्षर में फर्दबयान तथा औपचारिक प्राथमिकी का होना चिन्हित किया है तथा उन्हें क्रमश: प्रदर्शों 3 एवं 4 के तौर पर इंगित किया गया था। इस गवाह ने शव की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट की भी शिनाख्त की है तथा इसे प्रदर्श 5 के तौर पर अंकित किया गया था तथा इस गवाह ने उसके द्वारा किये गये अन्वेषणों के बारे में कथित किया है तथा कथित किया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त, उसने अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था। अपनी प्रतिपरीक्षा में इस गवाह ने कथित किया है कि अभियुक्त डोमन साव स्थायी रूप से कदमा में रहता था तथा केवल खेती बाड़ी के उद्देश्य के लिये वह गांव आया करता था। वह गांव में डोमन साव के घर गया था, परन्तु वहां कोई नहीं था। गवाहों के बयानों में उससे कुछ विरोधात्मकताएं सामने आयी हैं जो महत्वपूर्ण नहीं हैं।

15. बचाव पक्ष द्वारा परीक्षित गवाह ब॰ सा॰ 1 केदार राम, जो सिमरिया अस्पताल में एक ड्रेसर था तथा ब॰ सा॰ 2 नागेश्वर ठाकुर हैं, जो इलाज के संबंध में सिमरिया अस्पताल भी गया था। इन गवाहों ने कथित किया था कि जब मृतक को सिमरिया अस्पताल लाया गया था, वह बेहोश था एवं बयान देने की स्थिति में नहीं था। उन्होंने यह भी कथित किया है कि पुलिस द्वारा एक सादे कागज पर केवल उसके अंगूठे का चिन्ह लिया गया था।

16. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय तथा दंडादेश पूर्ण रूप से अवैधानिक है तथा विधि की दृष्टि में समर्थित नहीं किये जा सकते हैं। यह निवेदन किया गया है कि अभियुक्त व्यक्तियों को इस मामले में पुरानी शत्रुता के कारण झुठमुझ फंसा दिया गया है जिसे अ॰ सा॰ 1 ठाकुर मनी साव द्वारा स्वीकार किया गया है, जो मृतक का पिता है तथा उसने स्वीकार किया है कि उसने एवं डोमन साव के बीच दांडिक मामले हैं। यह भी निवेदन किया गया है कि अ॰ सा॰ 4 यशोदा देवी वास्तव में घटना की चश्मदीद गवाह नहीं है, बल्कि उसने एक चश्मदीद गवाह बनने का प्रयास किया है। अपने साक्ष्य में उसने डोमन साव के पत्नी की मौजूदगी के बारे में भी कथित किया है, ऐसा कहते हुए कि उसे उसके द्वारा पकड़ रखा गया था। यह कथित किया गया है कि गवाहों में से किसी ने भी डोमन साव की पत्नी की मौजूदगी के बारे में कथित नहीं किया है तथा घटना के बाद घर में किसी को भी नहीं पाया गया था। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यद्यपि अ॰ सा॰ 4 ने घटना का चश्मदीद गवाह बनने का प्रयास किया है, परन्तु वास्तव में वह घटना की चश्मदीद गवाह नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि यद्यपि अन्य गवाहों, अर्थात्, अ॰ सा॰ 1 ठाकुर मनी साव, मृतक के पिता, मृतक की माता अ॰ सा॰ 2 लखिया देवी, मृतक की बहन अ॰ सा॰ 8 बिनोद कुमारी ने कथित किया है कि उन्हें मृतक द्वारा घटना के ढंग के बारे में सूचित किया गया था, परन्तु यह तथ्य शेष रह जाता है कि अ॰ सा॰ 6 सरोज सिंह ने कथित किया है कि जब वह घटना स्थल गया था, उसने मृतक को मूर्छित देखा था। बचाव पक्ष के अन्य दो गवाहों ने यह भी कथित किया है कि मृतक को बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया था तथा उसने पुलिस के समक्ष कोई बयान नहीं दिया था। विद्वान

अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि मृतक के फर्दबयान को मृतक की मृत्युकालिक घोषणा के तौर पर नहीं माना जा सकता है क्योंकि यद्यपि अ॰ सा॰ 1 ठाकुर मनी साव ने कथित किया है कि चिकित्सक की मौजूदगी में फर्दबयान दर्ज किया गया था, परन्तु अ॰ सा॰ 9 डॉ॰ एम॰ एम॰ सेन गुप्ता द्वारा ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है जिन्होंने मृतक की जांच की थी, न ही फर्दबयान पर उसका हस्ताक्षर लिया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि मृतक के साला, जो स्वीकार्यत: घटना के समय मृतक के साथ मौजूद था, की मामले में परीक्षा नहीं की गयी थी तथा केवल हितबद्ध गवाहों द्वारा मामले का समर्थन किया गया है। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि शत्रुता के कारण अभियुक्त व्यक्तियों को इस मामले में झूठमूठ फंसा दिया गया है।

17. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने **(2002) 1 SCC 577** में रिपोर्ट किये गये **पंचदेव सिंह बनाम बिहार राज्य** में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर, तथा **2003(3) East.Cr.C. 487 (Jhr.)** में रिपोर्ट किये गये **सुरेश सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य (अब झारखंड)** में झारखंड उच्च न्यायालय के भी निर्णय पर भरोसा किया है, जिसमें यह निर्णीत किया गया है कि अगर मृत्युकालिक घोषणा संदिग्ध है तथा उस समय अभिलिखित नहीं की गयी थी जब मृतक उपयुक्त मानसिक अवस्था में था एवं बयान देने में समर्थ था, इसपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया है कि पुलिस पदाधिकारी, जिसने फर्दबयान दर्ज किया था, की इस मामले में परीक्षा नहीं की गयी थी एवं इस आधार पर भी मृत्युकालिक घोषणा पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता ने **1993 SCC Cri. 1012** में रिपोर्ट किये गये **गोविन्द नारायण एवं एक अन्य बनाम राजस्थान राज्य** में भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है, जिसमें यह निर्णीत किया गया है कि अगर मृत्युकालिक घोषणा का लेखक परीक्षित नहीं किया जाता है, बचाव पक्ष के पास उसे प्रतिपरीक्षित करने का कोई अवसर नहीं रहा था तथा तद्नुसार, इसपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अभियोजन सभी युक्तिसंगत संदेहों से परे मामला सिद्ध करने में सक्षम नहीं रहा है तथा यह एक ऐसा उपयुक्त मामला है जिसमें अपीलार्थीगण को कम से कम संदेह का लाभ दिया जाना है।

18. दूसरी ओर राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया है तथा निवेदन किया है कि अभियोजन अपना मामला समस्त युक्तिसंगत संदेहों से परे सिद्ध करने में सफल रहा है। यह निवेदन किया गया है कि यह मामला एकमात्र मृतक के फर्दबयान पर आधारित नहीं है, बल्कि मृतक का मृत्युकालिक कथन अ॰ सा॰ 1 ठाकुर मनी साव मृतक के पिता, अ॰ सा॰ 2 लखिया देवी, मृतक की माता अ॰ सा॰ 4 यशोदा देवी मृतक की बहन, जो घटना की चश्मदीद गवाह भी है तथा अ॰ सा॰ 8 बिनोद कुमारी मृतक की बहन के चक्षुदर्शी साक्ष्य से भी पूर्णत: समर्थन पाता है। इन गवाहों के साक्ष्य तथा मृतक के मृत्युकालिक कथन भी पूर्णत: अ॰ सा॰ 9 डॉ॰ एम॰ एम॰ सेन गुप्ता के साक्ष्य से भी सम्पोषित होती है, जिन्होंने मृतक की सिमरिया अस्पताल में जाँच की थी तथा अ॰ सा॰ 7 डॉ॰ वेद व्रत के साक्ष्य से जिन्होंने शव परीक्षा संचालित की थी तथा घटनास्थल पर तलवार जैसे तेज धारदार हथियार द्वारा कारित मृत्यु पूर्व उपहतियाँ पायी थी। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि यद्यपि बचाव गवाहों तथा पक्षद्रोही गवाहों ने कहा है कि मृतक अचेत था, परंतु तथ्य यह जाता है कि अ॰ सा॰ 9, डॉ॰ एम॰ एम॰ सेन गुप्ता जिन्होंने मृतक की जाँच की थी, द्वारा ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है। अगर मृतक को उस समय अचेत पाया गया था, वह उपहति रिपोर्ट दर्ज की जाने वाली पहली चीज होती। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध आरोप को समस्त युक्तिसंगत संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है।

19. दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनकर तथा अभिलेख का अवलोकन करने पर, हम पाते हैं कि अभियोजन मामला एक चश्मदीद गवाह के रूप में मृतक की बहन अ॰ सा॰ 4 यशोदा देवी द्वारा पूर्णत: समर्थित है। यद्यपि यह प्रतीत होता है कि उसने अपीलार्थी डोमन साव की पत्नी को भी आलिप्त करने का प्रयास किया है, जिसके बारे में अभिलेख पर कोई अन्य साक्ष्य नहीं है, परन्तु यह तथ्य शेष रह जाता है कि यह गवाह प्रतिपरीक्षा पर खरी उतरी है तथा उसके साक्ष्य को संपूर्णत: खंडित करने के लिये उसकी प्रतिपरीक्षा में कुछ भी सामने नहीं लाया जा सका था, विशेषकर अ॰ सा॰ 8 बिनोद कुमारी के साक्ष्य के आलोक में, जिसने भी कथित किया है कि सभी चार अभियुक्त मृतक को डोमन साव के घर ले गये थे तथा उस सीमा तक वह भी एक चश्मदीद गवाह है। यह तथ्य शेष रह जाता है कि आक्षेपित निर्णय में यह उल्लिखित पाया गया है कि पुलिस के समक्ष भी इस गवाह द्वारा ऐसा ही कथन किया गया था। इस प्रकार, मात्र इस तथ्य के कारण कि इस गवाह ने अपीलार्थी डोमन साव की पत्नी को भी फंसाने का प्रयास किया था, एक चश्मदीद गवाह के रूप में घटना के बारे में उसका साक्ष्य पूर्णत: त्यक्त नहीं किया जा सकता है। इसे केवल सम्यक् सावधानी एवं सतर्कता के साथ परखे जाने की आवश्यकता है, तथा अगर यह अन्य साक्ष्य से सम्पोषण प्राप्त करता है, इसपर उस सीमा तक भरोसा किया जा सकता है जहां तक यह अन्य गवाह के साक्ष्य द्वारा सम्पोषित होता है। वर्तमान मामले में मृतक की प्राथमिकी को उसकी मृत्युकालिक घोषणा के तौर पर लिया जाना है, यद्यपि यह तथ्य है कि उस चिकित्सक, जिसके समक्ष उक्त मृत्युकालिक घोषणा अभिलिखित की गयी थी, का हस्ताक्षर फर्दबयान में नहीं है, न ही फर्दबयान के लेखक की मामले में परीक्षा की गयी है, परन्तु यह तथ्य शेष रह जाता है कि यह मृत्युकालिक घोषणा साक्ष्य का एकमात्र टुकड़ा नहीं है जिसपर अभियोजन मामला खड़ा है। फर्दबयान, अर्थात्, मृतक की मृत्युकालिक घोषणा में घटना के ढंग के बारे में किया गया बयान चश्मदीद गवाह अ॰ सा॰ 4 यशोदा देवी के साक्ष्य से पूर्णत: सम्पोषित है। पुन: अ॰ सा॰ 8 बिनोद कुमारी ने कथित किया है कि उसने सभी चार अभियुक्त अपीलार्थीगण को अपने मृतक भाई को डोमन साव के घर की ओर ले जाते हुए देखा था। यह तथ्य शेष रह जाता है कि डोमन साव के घर में मृतक अ॰ सा॰ 1 ठाकुर मनी साव को मिला था तथा मृतक ने अपने पिता अ॰ सा॰ 1 के समक्ष भी, तथा अ॰ सा॰ 2 लखिया देवी के समक्ष भी घटना का वर्णन दिया था, वह भी घटना स्थल पहुंच गई थी एवं बंद दरवाजा तोड़ा था तथा कमरे में मृतक को घायल अवस्था में पाया था। इन गवाहों का चक्षुदर्शी साक्ष्य पूर्ण रूप से मृतक की मृत्युकालिक घोषणा का समर्थन करता है, तथा यह सारे अ॰ सा॰ 9 डॉ॰ एम॰ एम॰ सेन गुप्ता के चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा भी पूर्णत: सम्पोषित होते हैं, जिन्होंने अस्पताल में मृतक की उपहतियों की जांच की थी तथा उन्होंने कथित नहीं किया है कि मृतक मूर्छित अवस्था में था। अगर उन्होंने मृतक को मूर्छित अवस्था में पाया होता, यह तथ्य उपहति रिपोर्ट में पहले कथित किया गया होता। मृतक की उपहतियां अ॰ सा॰ 7 डॉ॰ वेद व्रत के चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा भी पूर्णत: सम्पोषित है, जिन्होंने पोस्टमार्टम परीक्षा का संचालन किया था, तथा मृतक की मृत्युकालिक घोषणा में उसके द्वारा वर्णित स्थलों पर तथा गवाहों के समक्ष भी वर्णित स्थलों पर छिद्रित घाव पाये थे। मृतक के साले की अपरीक्षा जिसके साथ मृतक घटना के दिन जा रहा था, वर्तमान मामले में अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, विशेषकर इस साक्ष्य की दृष्टि में कि मृतक का पिछली ही रात विवाह हुआ था, तथा प्रात:काल में मृतक की हत्या कर दी गयी थी। यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि समय बीतने के साथ इस गवाह ने मामले में रूचि खो दी थी इस तथ्य की दृष्टि में कि मृतक तथा उसके परिवार के बीच का संबंध कुछ घंटों के लिए भी बना नहीं रहा था। इस प्रकार, हम पाते हैं कि अभियोजन

अभियुक्त व्यक्तियों के विरूद्ध आरोप को सभी युक्तिसंगत संदेहों से परे सिद्ध करने में सक्षम रहा है तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थीगण की भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34 के अधीन अपराध के लिये उचित रूप से दोषसिद्धि एवं दंडादेश किया गया है।

20. पूर्वोल्लिखित परिचर्चाओं की दृष्टि में हम एस॰ टी॰ संख्या 62 वर्ष 1984 में विद्वान तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 10.9.1991 के दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय तथा दिनांक 12.9.1991 के दंडादेश में कोई अवैधानिकता नहीं पाते हैं, तथा इन्हें एतद्द्वारा अभिपुष्ट किया जाता है। परिणामस्वरूप, अपीलार्थीगण के जमानत बंध पत्र एतद्द्वारा रद्द किये जाते हैं, तथा अपीलार्थीगण को दंडादेश भुगतने के लिए अवर न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है। अवर न्यायालय को भी दंडादेश भुगतने के लिए अपीलार्थीगण के पेश होने/आत्मसमर्पण को बाध्यकर बनाने के लिए आदेशिका निर्गत करने का निर्देश दिया जाता है।

21. इस अपील में कोई गुण नहीं है तथा इसे यथा उपरोक्त निर्देशों के साथ तद्नुसार खारिज किया जाता है। अवर न्यायालय के अभिलेखों को इस निर्णय की प्रति के साथ तत्काल वापस भेजा जाय।

डॉ॰ एस॰ एन॰ पाठक, न्यायमूर्ति.—मैं सहमत हूँ।

---

ekuuh; inhi dekj ekgUrh] dk;dkjh e[; U;k;kèkh'k ,o vkun lu] U;k;efr

बाबू लाल राम उर्फ पूर्ण खुर्ना राम

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (DB) No. 1040 of 2008. Decided on 27th February, 2017.

सत्र विचारण संख्या 23 वर्ष 2007 में अपर सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰ III, चतरा द्वारा पारित दिनांक 1.7.2008 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दिनांक 3.7.2008 के दंडादेश के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 498A तथा 304B—क्रूरता एवं दहेज मृत्यु—दोषसिद्धि एवं दंडादेश—भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304B के अधीन आरोप को सिद्ध करने के लिए, अभियोजन को सिद्ध करना होता है कि उसके विवाह के सात वर्षों के भीतर किसी महिला की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक उपहति द्वारा कारित हुई है या नहीं या सामान्य परिस्थितियों से इतर परिस्थितियों के अधीन अन्यथा हुई है तथा उसकी मृत्यु के ठीक पहले उसके साथ दहेज की किसी मांग के संबंध में या इसके लिए उसके पति या उसके पति के किसी संबंधी द्वारा क्रूरता बरती गयी थी या तंग किया गया था—ऐसी कोई सामग्री नहीं है कि उसकी मृत्यु के तुरंत पहले उसके साथ उसके पति या उसके पति के किसी संबंधी द्वारा क्रूरता बरती गयी थी या तंग किया गया था—भारतीय दंड संहिता की धारा 304B आकर्षित नहीं हुई है तथा अभियोजन जानबूझकर किया गया ऐसा कोई आचरण सिद्ध करने में विफल रहा है जो ऐसे स्वरूप का है जिसे किसी महिला को आत्महत्या कारित करने के लिये या जीवन, अंग या स्वास्थ्य को गंभीर उपहति या खतरा कारित करने के लिए प्रेरित करने की संभावना है तथा ऐसी कोई सामग्री नहीं है कि किसी दहेज या बहुमूल्य सामानों की मांग के संबंध में प्रताड़ना हुई थी—न्यायालय में नकद राशि की मांग के संबंध में अभियोजन साक्षियों में से भी किसी ने वृत्तांत का समर्थन नहीं किया है—अन्वेषण पदाधिकारी ने भी यह तथ्य स्वीकार किया है कि नकद की कोई मांग नहीं हुई थी—यह सिद्ध करने का भार

अभियोजन पर है कि मृत्यु के तुरंत पहले दहेज की मांग हुई थी तथा यातना दी गयी थी–अभियोजन यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि मृतका की मृत्यु के तुरंत पहले दहेज की मांग हुई थी तथा यातना दी गयी थी–विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय तथा दंडादेश अपास्त। (पैराएँ 15, 16 एवं 17)

निर्णयज विधि.–(2017)1 SCC 101—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s A.K. Kashyap, D.K. Prasad, For the Appellants; M/s Pankaj Kumar, Azimuddin, For the State.

न्यायालय द्वारा.–यह दांडिक अपील पिपरवार पुलिस थाना केस सं॰ 62 वर्ष 2005 के तत्सम् सत्र विचारण संख्या 23 वर्ष 2007 के संबंध में अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक न्यायालय III, चतरा द्वारा पारित दिनांक 1.7.2008 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दिनांक 3.7.2008 के दंडादेश के विरूद्ध निर्दिष्ट है, जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन वर्तमान अपीलार्थी, अर्थात्, बाबू लाल राम उर्फ पूर्ण खुरना राम को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 498A तथा 304B के अधीन आरोपों का दोषी पाकर भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अधीन अपराध के लिये आजीवन कारावास भुगतने तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अधीन अपराध के लिये तीन वर्षों का सश्रम कारावास भुगतने का दंडादेश सुनाया गया है। तथापि, यह सम्परीक्षित किया गया था कि दोनों दंडादेश साथ-साथ चलेंगे।

2. अभियोजन का मामला यह है कि सूचनादाता (अ॰ सा॰ 5), अर्थात्, मृतका के पिता ने 1.12.2005 को एक फर्दबयान दिया था उसमें यह कथित करते हुए कि वर्तमान अपीलार्थी के साथ अपनी पुत्री शान्ति देवी (मृतका) का छह वर्ष पहले उसने विवाह करवाया था एवं कुछ धन भी खर्च किया था। विवाह के कुछ समय बाद, अभियुक्त व्यक्तियों, अर्थात्, वर्तमान अपीलार्थी, ससुर, सास एवं देवर ने उसकी पुत्री को मारना-पीटना तथा यातना देना प्रारंभ कर दिया था एवं एक मोटरसाईकिल की भी मांग की थी। तत्पश्चात्, मृतका को उनके घर से बाहर फेंक दिया गया था तथा इसके बाद वह अपने माता-पिता के घर आ गयी थी तथा वहां एक वर्ष से अधिक समय तक रही थी तथा, इसके बाद, घटना के कुछ दिनों पहले, अपीलार्थी उसकी पुत्री को अपने घर ले गया था तथा 1.12.2005 को कोई राजेन्द्र राम आया था तथा उसे रस्सी से गला घोंटकर उसकी पुत्री की हत्या कर दिये जाने के बारे में उसे सूचित किया था तथा इसके बाद वह वहां गया था एवं अपनी पुत्री का शव देखा था एवं मामला दर्ज किया था।

सूचनादाता परविलवा मोची (अ॰ सा॰ 5) के पूर्वोक्त फर्दबयान के आधार पर, अभियुक्त व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 498A तथा 304B के अधीन अपराध के लिए पिपरवार पुलिस थाना केस संख्या 62 वर्ष 2005 दर्ज किया गया था। बाद में, मामला अन्वेषण के लिए लिया गया था एवं पुलिस ने गवाहों की परीक्षा की थी एवं शव को पोस्टमार्टम परीक्षण के लिए भेज दिया था। अन्वेषण पूरा हो जाने पर, वर्तमान अपीलार्थी, ससुर एवं सास के विरूद्ध अभियोग पत्र दाखिल किया गया था, तद्नुसार, अपराध का संज्ञान लिया गया था एवं मामला विचारण के लिये सत्र न्यायालय भेज दिया गया था। ससुर तथा सास के मामले का पृथक रूप से विचारण किया गया था।

3. बचाव पक्ष का मामला उसकी संलिप्तता से पूर्णत: इनकार का है तथा उसने विनिर्दिष्टत: कथित किया था कि घटना के समय वह मौजूद नहीं था।

4. अभियुक्त के विरूद्ध आरोपों को सिद्ध करने के लिए, अभियोजन ने अन्वेषण पदाधिकारी (अ॰ सा॰ 9) तथा चिकित्सक (अ॰ सा॰ 10) समेत दस गवाहों को परीक्षित किया है तथा बचाव पक्ष ने दो गवाहों ब॰ सा॰ 1 एवं ब॰ सा॰ 2 की परीक्षा की है।

5. विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों का अवलोकन करने के उपरान्त तथा अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य पर भी विचार करने के उपरान्त अपीलार्थी के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को सिद्ध पाया है तथा, तत्पश्चात्, उसे यथा पूर्वोक्त दंडादेश सुनाया है।

6. अपीलार्थी के लिए उपस्थित होनेवाले विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री ए॰ के॰ कश्यप ने निम्नांकित आधारों पर विद्वान अवर न्यायालय के निर्णय की आलोचना की है:–

(I) mldh eR; d rjr igy ngt dh dkb ekx ugh gb Fkh rFkk ;kruk ugh nh x;h Fkh D;kfd lpuknkrk (v0 lk0 5)] vFkkr] erdk d firk u ikFkfedh e fofufn"Vr% dfFkr fd;k g fd udn dh dkb ekx ugh FkhA

(II) lpuknkrk (v0 lk0 5) ,d Hkjkllen xokg ugh g D;kfd mlu le; le; ij oÙkkr e ifjoÙku fd;k FkkA

(III) Hkkjrh; nM lfgrk dh èkkjkvk 498A rFkk 304B d ?kVd dk vfHk;ktu }kjk fl) ugh fd;k x;k g rFkk ngt dh ekx rFkk ;kruk d lcèk e dkb Lor= xokg ugh gA

(IV) lk{; dk eY;kdu fd; fcuk vk{kfir fu.k; voèkkfud :i l ikfjr dj fn;k x;k g rFkk] vr,o] nk"kflf) d vk{kfir fu.k; rFkk nMkn'k dk vkLr dju d fy, ;g ,d mi;Dr ekeyk gA

इस संबंध में श्री कश्यप ने **(2017) 1 SCC 101** में रिपोर्ट किये गये **बैजनाथ एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य** के मामले में दिये गये माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है।

7. विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री पंकज कुमार ने प्रबल रूप से अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रखे गये तर्कों का विरोध किया है तथा तर्क दिया है कि घटना विवाह के सात वर्षों के भीतर घटित हुई थी, जिसे अभियोजन द्वारा सिद्ध किया गया है तथा मृत्यु के तुरंत पहले दहेज की मांग हुई थी क्योंकि सूचनादाता (अ॰ सा॰ 5), मृतका के पिता ने अपने साक्ष्य में मृत्यु के तुरंत पहले दहेज की मांग एवं यातना दिये जाने के बारे में विनिर्दिष्टत: कथित किया है तथा मृतक की माता, अ॰ सा॰ 6 एवं अ॰ सा॰ 7 ने अ॰ सा॰ 5 के बयान का सम्पोषण किया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अभियोजन द्वारा एक बार दहेज की मांग, यातना एवं अस्वाभाविक मृत्यु को सिद्ध कर दिये जाने पर, उक्त तथ्य को खंडित करने का भार बचाव पक्ष पर है परन्तु प्रस्तुत मामले में दहेज की मांग, यातना एवं अस्वाभाविक मृत्यु के उक्त तथ्य पर प्रश्न उठाते हुए प्रतिपरीक्षा में कुछ भी सामने नहीं लाया जा सका है। अतएव, विद्वान विचारण न्यायालय ने उचित रूप से यथा पूर्वोक्त अपीलार्थी की दोषसिद्धि एवं दंडादेश किया है। आक्षेपित निर्णय में कोई अवैधानिकता एवं दुर्बलता नहीं है तथा, अतएव, यह अपील खारिज की जा सकती है।

8. अवर न्यायालय के अभिलेखों का परिशीलन किया तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का सूक्ष्म रूप से अवलोकन किया।

9. अ॰ सा॰ 1 संजय राम उन गांववालों में से एक है, जिसने सुना था कि गांव में हत्या की एक घटना हुई थी। उसने दहेज की मांग तथा यातना के बारे में कथित नहीं किया है। एक अन्य सह–ग्रामीण अ॰ सा॰ 2 लखन राम ने कथित किया है कि उसे मृतका की मृत्यु के बारे में कोई जानकारी नहीं है परन्तु वह स्वीकार करता है कि वह अपीलार्थी को जानता है, जो कारागार में है। अ॰ सा॰ 3 हीरामन मोची भी एक सह–ग्रामीण है तथा मृत्यु समीक्षा का गवाह है। उसने विनिर्दिष्टत: कथित किया था कि उसे मृतका की मृत्यु के कारण के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अ॰ सा॰ 4 बिपत राम ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया था। अ॰ सा॰ 5 परविलवा मोची सूचनादाता तथा मृतका का पिता है। उसने

अपने साक्ष्य में विनिर्दिष्टत: कथित किया है कि उसके दामाद, मृतका के ससुर एवं सास ने 50,000/– रुपये तथा एक मोटरसाईकिल की दहेज के रूप में मांग किया था एवं दहेज की उक्त मांग पूरी न किये जाने के कारण, वे मृतका को यातना दिया करते थे तथा उसने विनिर्दिष्टत: कथित किया था कि घटना के एक सप्ताह पहले दहेज की मांग की गयी थी। उसने यह भी कथित किया कि उसे किसी राजेन्द्र राम से अपनी पुत्री की मृत्यु के बारे में सूचना मिली थी तथा, इसके उपरान्त, वह घटना स्थल तक गया था एवं प्राथमिकी दर्ज किया था। उसने प्राथमिकी (प्रदर्श 1) को भी सिद्ध किया था। अपनी प्रतिपरीक्षा में, उसने स्वीकार किया था कि एक पूर्वतर अवसर पर भी वर्तमान अपीलार्थी एवं अन्य ने मृतका को मारा–पीटा था, परन्तु उसने मामले की सूचना पुलिस को नहीं दी थी। उसने स्वीकार किया था कि उसने घटना को नहीं देखा था परन्तु उसने मृतका का शव देखा था। राजेन्द्र राम ने उसे उसकी पुत्री की मृत्यु के बारे में बताया था तथा पहले एक पंचायत हुई थी।

10. अ॰ सा॰ 6 मधिया देवी मृतका की माता है। उसने अ॰ सा॰ 5 के बयान का सम्पोषण किया था। उसने यह भी कथित किया कि वह घटना स्थल तक गयी थी एवं अपनी पुत्री का शव एक चौकी पर पड़ा हुआ पाया था एवं उसके हाथ खुले हुये थे तथा जीभ मुंह से बाहर निकली हुई थी। उसने विनिर्दिष्टत: कथित किया कि मृतका को पेटीकोट से गला घोंटकर मार दिया गया था। अपनी प्रतिपरीक्षा में, उसने विनिर्दिष्टत: कथित किया कि अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा 50,000/– रुपये तथा एक मोटरसाईकिल की दहेज के तौर पर मांग की गयी थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि मृतका की मृत्यु के समय उसकी एक पुत्री थी।

11. अ॰ सा॰ 7 धनेश्वर मोची एक स्वतंत्र गवाह है तथा अ॰ सा॰ 5 का सहकर्मी है, जिसे अ॰ सा॰ 5 से घटना के बारे में जानकारी मिली थी तथा अ॰ सा॰ 5 के साथ घटनास्थल गया था एवं मृतका का शव देखा था। उसने अपनी प्रधान परीक्षा में विनिर्दिष्टत: कथित किया था कि मृतका को यातना दी जा रही थी। उसने यह भी कथित किया कि एक पंचायत हुई थी तथा पंचायत के उपरान्त मृतका को उसकी ससुराल ले जाया गया था तथा कुछ दिनों के उपरान्त घटना घटित हुई है। उसकी प्रतिपरीक्षा में, उसने स्वीकार किया कि एक पंचायत हुई थी तथा मामला निपटा लिया गया था तथा मृतका को उसके माता–पिता के घर से उसके ससुराल ले जाया गया था। अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने स्वीकार किया कि उसे मृत्यु के कारण के बारे में जानकारी नहीं थी।

12. अ॰ सा॰ 8 जीतन राम ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया था। अ॰ सा॰ 9 अन्वेषण पदाधिकारी है। उसने कथित किया कि उसे गांव में घटना के बारे में सूचना मिली थी तथा वह वहां पहुंचा था एवं मामले का अन्वेषण किया था तथा शव पोस्टमार्टम परीक्षण के लिए भेज दिया था एवं अन्वेषण पूरा हो जाने के उपरान्त, वर्तमान अपीलार्थी तथा अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था। अपनी प्रतिपरीक्षा में, उसने स्वीकार किया कि अ॰ सा॰ 5 एवं 6 ने अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा 50,000/– रुपये की मांग किये जाने के बारे में कुछ भी कथित नहीं किया था।

13. अ॰ सा॰ 10 डॉ॰ सुरेश साहु हैं, जिन्होंने शव की शव परीक्षा की थी तथा मृतका के शरीर पर निम्नांकित उपहतियां पायी थी:–

^^(i) xnu dk i.k :i l ?kjr g, g;kbM vfLFk d uhp yky Hkl j jx dk 1 x 1.5 cm dk ,d jTtd fpUg FkkA vUo"k.k ij g;kbM rFkk Fkk;jkbM mikfLFk VVh gb ik;h x;h FkhA

***uklhdk,**&uklhdkvk d ekè;e l jDr l luk rjy inkFk ckgj vk jgk FkkA*

(ii) ihB ij rFkk vxorh vkrh; fHkfÙk ij [kjkp Fkh] ftldk jx yky Hkjk Fkk ,o vkdkj Øe'k% 7 x 3 x 2 cm rFkk 5 x 3 x 1 cm FkkA

(iii) QQMk& l dfprA ân;&nk;k&Hkkjk gvk] ck;k&[kkyhA

(iv) mnj&vuiph [kk| lkexhA ;Ñr] lyhgk] xnk& l dfprA

चिकित्सक की राय में, गला दबाने से दम घुटने के कारण मृत्यु हुई थी तथा मृत्यु के बाद गुजरा समय 24–36 घंटे था।

अपनी प्रतिपरीक्षा में, उन्होंने यह भी स्वीकार किया उन्हें गर्दन पर उंगली का कोई चिन्ह नहीं मिला था, उन्होंने गर्दन पर केवल रज्जुक का चिन्ह देखा था।

14. ब॰ सा॰ 1 राजेन्द्र राम सह–ग्रामीण है, जिसने अपनी प्रधान परीक्षा में विनिर्दिष्टत: कथित किया था कि अपीलार्थी घटना के समय मौजूद नहीं था क्योंकि वह हाजिरी के लिए न्यायालय गया हुआ था। ब॰ सा॰ 1 बिपीन बिहार लाल अधिवक्ता लिपिक है, जिसने विनिर्दिष्टत: कथित किया था कि उसने उसके भाई द्वारा ली गयी अपीलार्थी की हाजिरी सिद्ध की थी।

15. साक्ष्य की संवीक्षा करने के उपरान्त तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णय का सूक्ष्म रूप से अवलोकन करने पर, हम पाते हैं कि भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304B के अधीन आरोप को सिद्ध करने के लिए, अभियोजन को सिद्ध करना होता है कि उसके विवाह के सात वर्षों के भीतर किसी महिला की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक उपहति द्वारा कारित हुई है या नहीं या सामान्य परिस्थितियों से इतर परिस्थितियों के अधीन अन्यथा हुई है तथा उसकी मृत्यु के ठीक पहले उसके साथ दहेज की किसी मांग के संबंध में या इसके लिए उसके पति या उसके पति के किसी संबंधी द्वारा क्रूरता बरती गयी थी या तंग किया गया था। परन्तु साक्ष्य को विचार में लेने पर, ऐसी कोई सामग्री नहीं है कि उसकी मृत्यु के तुरंत पहले उसके साथ उसके पति या उसके पति के किसी संबंधी द्वारा क्रूरता बरती गयी थी या तंग किया गया था। अतएव, समूचे साक्ष्य को विचार में लेने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304B आकर्षित नहीं हुई है तथा अभियोजन द्वारा जानबूझकर किया गया ऐसा कोई आचरण सिद्ध करने में विफल रहा है जो ऐसे स्वरूप का है जिससे किसी महिला को आत्महत्या कारित करने के लिये या जीवन, अंग या स्वास्थ्य को गंभीर उपहति या खतरा कारित करने के लिए प्रेरित करने की संभावना है तथा ऐसी कोई सामग्री नहीं है कि किसी दहेज या बहुमूल्य सामानों की मांग के संबंध में प्रताड़ना हुई थी। अभियोजन साक्षियों में से किसी ने भी अ॰ सा॰ 5 के वृत्तांत का समर्थन नहीं किया है। अ॰ सा॰ 5 ने न्यायालय में नकद राशि के मांग के संबंध में कहानी गढ़ी थी। अन्वेषण पदाधिकारी ने भी यह तथ्य स्वीकार किया है कि नकद की कोई मांग नहीं हुई थी तथा उसने यह भी स्वीकार किया कि अ॰ सा॰ 5 एवं 6 ने दहेज के बारे में कुछ भी कथित नहीं किया था। अतएव, यह उक्त गवाहों का एक पश्चाती परिवर्तन था।

16. यह सुस्थापित है कि यह सिद्ध करने का भार अभियोजन पर है कि मृत्यु के तुरंत पहले दहेज की मांग हुई थी तथा यातना दी गयी थी। परन्तु प्रस्तुत मामले में अभियोजन यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि मृतका की मृत्यु के तुरंत पहले दहेज की मांग हुई थी तथा यातना दी गयी थी।

17. इन परिस्थितियों के अधीन, यह न्यायालय पाता है कि विचारण न्यायालय ने दोषसिद्धि का आदेश तथा दंडादेश अभिलिखित करने में अवैधानिकता कारित किया है। तद्नुसार, सत्र विचारण संख्या 23 वर्ष 2007 में इस अपीलार्थी के विरूद्ध विचारण न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 जुलाई, 2008 के दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय तथा 3 जुलाई, 2008 के दंडादेश एतद्द्वारा अपास्त किये जाते हैं। अपीलार्थी, जो हिरासत में है, को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, अगर किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है।

18. परिणामत:, यह अपील अनुज्ञात की जाती है।

ekuuh; ,pñ lhñ feJk ,o Mkñ ,lñ ,uñ ikBd] U;k;efrx.k

टंगना कोका एवं एक अन्य

cuke

बिहार राज्य (अब झारखंड)

Cr. Appeal (D.B.) No. 18 of 1992 (R). Decided on 2nd March, 2017.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302/149, 148 एवं 201/34—हत्या तथा साक्ष्य का गायब होना—दोषसिद्धि एवं दंडादेश—केवल चार अभियुक्त व्यक्तियों के विरूद्ध अभियोग पत्र दाखिल किया गया था तथा किसी अन्य अभियुक्त को विचारण पर नहीं रखा गया था—भारतीय दंड संहिता की धारा 148 के अधीन किसी भी मामले का बनना नहीं कहा जा सकता है, न ही अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की सहायता से अपराध का दोषी निर्णीत किया जा सकता था, क्योंकि ये दोनों अपराध पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों से गठित किसी विधि विरूद्ध जमाव द्वारा ही कारित किये जा सकते थे—पक्षकारों के बीच शत्रुता स्वीकार की गयी है तथा यद्यपि एकमात्र चश्मदीद गवाह ने अभियोजन मामले का समर्थन किया है, परन्तु पक्षकारों की स्वीकृत शत्रुता की दृष्टि में, उसके अकेले साक्ष्य पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है—उस अभियोजन साक्षी ने भी, जिसके घर में सूचनादाता ने अभिकथित रूप से घटना के समय शरण लिया था, अभियोजन मामले का समर्थन ही नहीं किया है तथा पक्षद्रोही हो गया है—यद्यपि अन्वेषण पदाधिकारी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उसने सह-अभियुक्त का इकबालिया बयान दर्ज किया था तथा मृतक का शव प्रखंड विकास पदाधिकारी की उपस्थिति में बरामद किया गया था, परन्तु मामले में न तो प्रखंड विकास पदाधिकारी की परीक्षा की गयी है, न ही सह-अभियुक्त का इकबालिया बयान सिद्ध किया गया है—यद्यपि अन्वेषण पदाधिकारी ने कथित किया था कि उसे घटना स्थल पर रक्त के धब्बे मिले थे, परन्तु रक्त रंजित मिट्टी की कोई अभिग्रहण सूची सिद्ध नहीं की गयी है—अपीलार्थीगण को संदेह का लाभ प्रदान करते हुए उन्हें दोषमुक्त किया गया। (पैराएँ 14 से 18)

अधिवक्तागण.—M/s. Abhay Shankar Dayal, Praveen Shankar Dayal, Supriya Dayal, For the Appellants; M/s. Sadhna Kumar, For the State.

एच॰ सी॰ मिश्रा, न्यायमूर्ति.—अपीलार्थीगण टंगना कोका तथा कज्जू ओराँव के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अन्य दो अपीलार्थीगण सतना ओरॉव तथा मनसा ओराँव की इस अपील के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गयी थी तथा दिनांक 1.9.2016 के आदेश द्वारा उनके विरूद्ध अपील का उपशमन हो गया था।

2. अपीलार्थीगण एस॰ टी॰ संख्या 170 वर्ष 1990 में विद्वान सप्तम् अपर न्यायिक आयुक्त, रांची द्वारा पारित दिनांक 18.2.1992 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दंडादेश द्वारा व्यथित हैं, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 148, 302/149 तथा 201/34 के अधीन अपराध का दोषी पाया गया है तथा दोषसिद्ध किया गया है, एवं दंडादेश के बिन्दु पर सुनवाई करके उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 148 के अधीन अपराध के लिए एक वर्ष का सश्रम कारावास, भारतीय दंड संहिता की धारा 201/34 के अधीन अपराध के लिये पांच वर्षों के सश्रम कारावास, भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के अधीन अपराध के लिये सश्रम आजीवन कारावास भुगतने तथा प्रत्येक के लिये 1,000/- रुपये के जुर्माना चुकाने का दंडादेश सुनाया गया है।

3. अभियोजन मामला मृतक बिष्णु कच्छप की पत्नी मुन्नी टिर्की के फर्दबयान के आधार पर संस्थित किया गया था। उसने कथित किया है कि 11.11.1989 की रात्रि में भोजन करने के उपरान्त वह अपने पति तथा पांच वर्षीय अपने पुत्र के साथ सोयी थी। वह जग गयी थी क्योंकि उसका पति पुत्र को डांट रहा था जिसपर उसने अपने पति को बच्चे को न डांटने के लिए कहा था। तत्पश्चात्, उसके पति ने अपनी कमीज तथा जूते पहन लिये थे तथा उसे दरवाजा बंद करने के लिए कहा था क्योंकि वह बाहर जा रहा था। उसने अपने पति को रात्रि में बाहर न जाने के लिए कहा था, परन्तु उसका पति ऐसा कहते हुए बाहर चला गया था कि कोई उसे बुला रहा है। इसके बाद सूचनादात्री ने दरवाजा बंद कर दिया था एवं सो गयी थी। आधे घंटे के उपरान्त उसे बुलाते हुए अपने पति द्वारा किये गये संत्रास को सुना था, जिसपर वह बाहर आ गयी थी तथा उस अखाड़ा की ओर गयी थी जहां से आवाज आ रही थी एवं सतना ओराँव (जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है), टंकना कोका, कज्जू राम तथा मंसा ओराँव (जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है) को अपने पति पर प्रहार करते हुए पाया था जो 10 से 12 अज्ञात व्यक्तियों के साथ विभिन्न हथियारों से लैस थे। उसने अपने पति को बचाने का प्रयास किया था, परन्तु सतना ओराँव ने उसे मार डालने की धमकी दी थी जो फरसा से लैस था। तत्पश्चात, वह बिमल कच्छप के घर के निकट गयी थी तथा उसके पति ने भी भाग निकलने का प्रयास किया था, जिसपर सतना ओराँव ने उसके सिर पर फरसा से प्रहार किया था एवं अन्य नामजद अभियुक्त व्यक्तियों ने भी भाला एवं लाठी से उसपर प्रहार किया था, जिनके कारण उसके पति की वहां मृत्यु हो गयी थी। इस गवाह ने भी बिमल कच्छप का दरवाजा खटखटाया था एवं जिसपर बिमल कच्छप की माता ने दरवाजा खोला था जिसे उसने घटना के बारे में सूचित किया था तथा भय के कारण दरवाजे को उसे घर के अंदर लाते हुए बंद कर दिया गया था। प्रातः काल में वे बाहर आये थे तथा जमीन पर गिरा रक्त देखा था। रक्त के धब्बे निकट भी पाये गये थे, परन्तु उसका पति वहां पर नहीं था। उसने गंदरा नामक एक लड़के को अपने जेठ को सूचित करने के लिए कहा था। खोजे जाने पर भी शव नहीं मिला था। उसने कथित किया है कि सतना ओराँव तथा उसके पति के बीच सुअरों के वितरण को लेकर शत्रुता थी जिनकी प्रखंड से आपूर्ति की गयी थी। अन्य अभियुक्त जुअेबाजी में संलिप्त थे जिसपर उसके पति द्वारा भी अभ्यापत्ति किया गया था, जिसके कारण उन्होंने उसके पति को धमकाया भी था, इसी के कारण उन्होंने उसके पति को मारा-पीटा था। फर्दबयान के आधार पर, जी॰ आर॰ संख्या 3697 वर्ष 1989 के तत्सम कांके पुलिस थाना केस संख्या 126 वर्ष 1989 संस्थित किया गया था तथा अन्वेषण प्रारंभ किया गया था। अन्वेषण के उपरान्त पुलिस ने चारों अभियुक्त व्यक्तियों के विरूद्ध अभियोग पत्र दाखिल किया था। यह तथ्य शेष रह जाता है कि सिवाय चार अभियुक्त व्यक्तियों के अन्य व्यक्तियों में से किसी को भी आरोपी नहीं बनाया गया है, यद्यपि अ॰ सा॰ 1 मुन्नी टिर्की, सूचनादात्री द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि अज्ञात व्यक्ति भी उसी गांव के थे जो नामजद अभियुक्त व्यक्तियों के साथ मौजूद थे।

4. मामला सत्र न्यायालय भेजे जाने पर, भारतीय दंड संहिता की धाराओं 148, 302/149 तथा 201/34 के अधीन अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्तियों के विरूद्ध आरोप विरचित किया गया था तथा अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा दोषी न होने का अभिवचन करने पर तथा विचारण किये जाने का दावा करने पर, उन्हें विचारण पर रखा गया था।

5. विचारण के अनुक्रम में अभियोजन ने मामले में 13 गवाहों की परीक्षा की है, परन्तु केवल मृतक की पत्नी अ॰ सा॰ 1 मुन्नी टिर्की घटना की चश्मदीद गवाह है तथा उसने प्राथमिकी में यथा कथित मामले का पूर्णतः समर्थन किया है। अपनी प्रधान परीक्षा में, उसने फर्दबयान पर अपने तथा अपने जेठ के हस्ताक्षर की पहचान की है जिन्हें प्रदर्शों 1 तथा 1/1 के तौर पर अंकित किया गया था। उसने कथित किया है कि चार-पांच दिनों के बाद उसके पति का शव बरामद हुआ था। उसने न्यायालय में अभियुक्त व्यक्तियों की शिनाख्त की है। अपनी प्रतिपरीक्षा में, उसने स्वीकार किया है कि निकट में कई घर हैं, परन्तु उसने कथित किया है कि वह मामले में एकमात्र चश्मदीद गवाह थी। उसने यह भी कथित किया है कि उसका पति रात्रि प्रहरी के तौर पर अस्थाई कर्मी के रूप में भेटनरी महाविद्यालय में कार्यरत था

तथा घटना की रात्रि में भी, वह अपनी वर्दी में बाहर गया था। उसने कथित किया है कि घटना के उपरान्त उसने अपने ससुर तथा सास को कोई सूचना नहीं दी थी परन्तु शव की बरामदगी के समय उसके ससुर एवं सास भी मौजूद थे, परन्तु पुलिस द्वारा उनके बयान दर्ज नहीं किये गये थे। उसने अपने द्वारा झूठा साक्ष्य दिये जाने के सुझाव से इनकार किया है।

6. अ॰ सा॰ 2 गंदरा मुंडा है, जिसे सूचनादात्री ने रात्रि में अपने जेठ को सूचित करने के लिए भेजा था। इस गवाह ने कथित किया है कि मुन्नी टिर्की उसके घर आयी थी तथा उसे सूचित किया था कि उसके चाचा बिष्णु (अर्थात् मृतक) को गायब करा दिया गया है तथा उसने उससे उसके जेठ बन्धु को इसकी सूचना देने के लिए आग्रह किया था। वह रास्ते में चांद कश्यप से मिला था तथा उसने बन्धु को यह सूचना देने के लिए चांद से कहा था। अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने स्वीकार किया है कि वह बन्धु ओराँव को सूचित करने के लिए रांची नहीं गया था। अ॰ सा॰ 3 चांद कश्यप है जिसने कथित किया है कि गदरा उससे मिला था एवं उसे बन्धु को सूचित करने के लिए कहा था कि बिष्णु लापता है। तत्पश्चात्, वह बन्धु के घर आया था एवं इसके बारे में उसे सूचित किया था।

7. अ॰ सा॰ 5 बिलारो देवी है, जो बन्धु ओराँव की पत्नी है तथा अ॰ सा॰ 6 बन्धु ओराँव है जिसने कथित किया है कि चांद तथा बिरसा कच्छप रांची में उसके घर आये थे एवं सूचित किया था कि बिष्णु लापता है। तत्पश्चात्, वे गांव आये थे जहां उन्हें मृतक की पत्नी रोते हुए मिली थी तथा उसने उन्हें घटना के बारे में बताया था। अ॰ सा॰ 6 बन्धु ओराँव ने भी कथित किया है कि 14.11.1989 को लगभग डेढ़ से दो बजे पूर्वाह्न में सतना की स्वीकारोक्ति के आधार पर, विष्णु का शव बरामद किया गया था जो जमुआर नदी के निकट बालू में गाड़ दिया गया था। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट भी तैयार की गयी थी जिसपर उसने अपना हस्ताक्षर किया था तथा किसी जात्रा एक्का ने भी अपना हस्ताक्षर किया था। उसने इन हस्ताक्षरों की शिनाख्त किया है जिन्हें प्रदर्शों 1/2 तथा 1/3 के तौर पर अंकित किया गया था। ये दोनों गवाह घटना के बिन्दु पर केवल अनुश्रुत गवाह हैं। अपनी प्रतिपरीक्षा में, अ॰ सा॰ 6 ने स्वीकार किया है कि पुलिस ने सतना की स्वीकारोक्ति अभिलिखित किया था तथा इसपर उसके हस्ताक्षर भी प्राप्त किये थे, जिसपर इस गवाह तथा मुन्नी ने भी अपने हस्ताक्षर किये थे। इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि मृतक, यह गवाह, उसके पिता तथा भाई हत्या के एक मामले में अभियुक्त भी थे।

8. अ॰ सा॰ 7 सोमारी मुंडारिन है, जो वह महिला है जिसने घटना के समय अपने घर में सूचनादात्री को आश्रय दिया था। इस गवाह ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है तथा पक्षद्रोही हो गयी है। अ॰ सा॰ 8 फागु ओराँव भी स्थानीय क्षेत्र का एक व्यक्ति है, जो पक्षद्रोही हो गया है तथा अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। अ॰ सा॰ 5 बिरसा ओराँव, अ॰ सा॰ 9 मोसो ओराँव तथा अ॰ सा॰ 10 टोनी ओराँव को अभियोजन द्वारा केवल बुलाया गया है।

9. अ॰ सा॰ 11 डॉ॰ सरोज कुमार हैं, जिन्होंने मृतक के शव का पोस्टमार्टम परीक्षण किया था तथा मृतक के शरीर पर मृत्युपूर्व विदीर्ण एवं छिद्रित घाव को सिद्ध किया था तथा कथित किया था कि सिर की उपहतियों के कारण मृत्यु हुई थी। मृत्यु के बाद गुजरा समय 3 से 6 दिन का था। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अपनी लिखावट तथा हस्ताक्षर सहित होने की पहचान की है, जिसे प्रदर्श 2 के तौर पर अंकित किया गया था।

10. अ॰ सा॰ 12 एक औपचारिक गवाह है जिसने फर्दबयान तथा औपचारिक प्राथमिकी को प्रदर्शों 3 एवं 4 के तौर पर अंकित किया है। उसने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट को भी प्रदर्श 5 के तौर पर सिद्ध किया है।

11. अ॰ सा॰ 13 शिव चन्द्र प्रसाद सिंह है, जो मामले का अन्वेषण पदाधिकारी है। उसने भी फर्दबयान तथा प्राथमिकी को सिद्ध किया है जिन्हें पहले प्रदर्शों 3 एवं 4 के तौर पर अंकित किया गया

था। उसने कथित किया है कि उसने गवाहों के बयान दर्ज किये थे तथा उसे रक्त के धब्बे एवं रक्तरंजित मिट्टी भी मिली थी। उसने कथित किया है कि उसने सतना ओराँव की स्वीकारोक्ति अभिलिखित की थी तथा उसकी स्वीकारोक्ति पर उसने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष एक आवेदन दिया था, जिन्होंने शव की बरामदगी के लिये प्रखंड विकास पदाधिकारी, कांके की प्रतिनियुक्ति की थी। अभियुक्त की स्वीकारोक्ति के आधार पर प्रखंड विकास पदाधिकारी, कांके की मौजूदगी में शव बरामद किया गया था, जिसे गाड़ दिया गया था। उसने शव का छायाचित्र लिया था तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गयी थीं। इस गवाह ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष दी गयी अध्यपेक्षा को सिद्ध किया है, जिसे प्रदर्श 6 के तौर पर अंकित किया गया था तथा उसने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट के प्रखंड विकास पदाधिकारी की लिखावट में होने तथा हस्ताक्षर सहित होने को भी सिद्ध किया है, जिसे पहले प्रदर्श 5 के तौर पर अंकित किया गया था। इस गवाह ने उसके द्वारा किये गये अन्वेषणों के बारे में भी कथन किया है। अपनी प्रतिपरीक्षा में, उसने सतना ओराँव का इकबालिया बयान दर्ज करना स्वीकार किया है।

12. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि स्वीकृत शत्रुता के कारण अपीलार्थीगण को इस मामले में झूठमुठ फंसा दिया गया है। यह निवेदन किया गया है कि केवल मृतक की पत्नी द्वारा मामले का समर्थन किया गया है, परन्तु उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में विनिर्दिष्टत: स्वीकार किया है कि घटनास्थल के निकट कई घर थे तथा उसने यह भी कथित किया है कि वह घटना की एकमात्र चश्मदीद गवाह है। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उसके साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, इस तथ्य की दृष्टि में कि पुलिस द्वारा स्थानीय क्षेत्र के एक व्यक्ति का भी बयान दर्ज किया गया था, परन्तु उसने अ॰ सा॰ 8 फागु ओराँव ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है तथा पक्षद्रोही हो गया है। अ॰ सा॰ 7 सोमारी मुंडारिन ने भी, जिसके घर में सूचनादात्री ने अभिकथित रूप से घटना के समय आश्रय लिया था, अभियोजन मामले का समर्थन ही नहीं किया है। यह निवेदन किया गया है कि यद्यपि अन्वेषण पदाधिकारी समेत गवाहों द्वारा यह कथित किया गया है कि अभियुक्त सतना ओराँव (जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है) के इकबालिया बयान के आधार पर शव बरामद किया गया था, परन्तु यह तथ्य शेष रह जाता है कि मामले में इकबालिया बयान भी सिद्ध नहीं किया गया है। यद्यपि अन्वेषण पदाधिकारी ने कथित किया है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी की मौजूदगी में शव की बरामदगी की गयी थी, परन्तु मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी की भी परीक्षा नहीं की गयी है। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि एकमात्र चश्मदीद गवाह का साक्ष्य विश्वसनीय ही नहीं है तथा इसपर भरोसा नहीं किया जा सकता है एवं अपीलार्थीगण कम से कम संदेह के लाभ के हकदार हैं।

13. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह का विरोध किया है यह निवेदन करते हुए कि अ॰ सा॰ 1 मुन्नी टिर्की घटना की एकमात्र चश्मदीद गवाह है तथा उसने मामले का पूर्ण रूप से समर्थन किया है। उसका साक्ष्य मात्र इस तथ्य के कारण त्यक्त नहीं किया जा सकता है कि वह हितबद्ध गवाह है तथा उसका साक्ष्य अ॰ सा॰ 11 डॉ॰ सरोज कुमार के चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा पूर्णत: सम्पोषित है, जिन्हें मृतक के शरीर पर कई विदीर्ण एवं छिद्रित घाव मिले थे। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अभियोजन अपीलार्थीगण के विरूद्ध आरोप को सभी युक्तिसंगत संदेहों से परे सिद्ध करने में सक्षम नहीं रहा है।

14. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनकर तथा अभिलेख का अवलोकन करने पर, हम पाते हैं कि अपीलार्थीगण की भारतीय दंड सहिता की धारा 148 के अधीन अपराध के लिए तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की सहायता से भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए भी दोषसिद्धि की गयी है। यह तथ्य शेष रह जाता है कि केवल चार अभियुक्त व्यक्तियों के विरूद्ध अभियोग पत्र दाखिल किया गया था तथा किसी अन्य अभियुक्त को विचारण पर नहीं रखा गया था, यद्यपि सूचनादात्री अ॰ सा॰ 1 मुन्नी टिर्की के अनुसार, वे भी उसी गांव के थे। तद्नुसार, भारतीय दंड संहिता की

धारा 148 के अधीन किसी मामले का बनना नहीं कहा जा सकता है, न ही अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की सहायता से अपराध के लिए दोषी निर्णीत किया जा सकता था, क्योंकि यह दोनों अपराध पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों से गठित किसी विधिविरूद्ध जमाव द्वारा ही कारित किये जा सकते हैं।

15. इसके अलावा, हम पाते हैं कि पक्षकारों के भी बीच शत्रुता स्वीकृत है तथा यद्यपि अ॰ सा॰ 1 मुन्नी टिर्की ने अभियोजन मामले का समर्थन किया है, परन्तु पक्षकारों के बीच स्वीकृत शत्रुता की दृष्टि में, उसके एकमात्र साक्ष्य पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है क्योंकि अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने स्वीकार किया है कि निकट में कई घर थे। अन्वेषण पदाधिकारी ने भी इस तथ्य का समर्थन किया है तथा अ॰ सा॰ 8 फागु ओराँव का बयान भी दर्ज किया था, जिसने घटना के एक चश्मदीद गवाह के तौर पर पुलिस के समक्ष अपना बयान दिया था, परन्तु यह गवाह पक्षद्रोही हो गया है तथा अभियोजन मामले का समर्थन ही नहीं किया है। इन सबके ऊपर, अ॰ सा॰ 7 सोमारी मुंडारिन ने भी, जिनके घर में सूचनादात्री ने घटना के समय अभिकथित रूप से आश्रय लिया था, अभियोजन मामले का समर्थन ही नहीं किया है तथा पक्षद्रोही हो गयी है। यद्यपि अन्वेषण पदाधिकारी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उसने सह-अभियुक्त सतना ओराँव का इकबालिया बयान दर्ज किया था एवं मृतक का शव प्रखंड विकास पदाधिकारी की मौजूदगी में बरामद किया गया था, परन्तु न तो मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी की परीक्षा की गयी है, न ही उक्त सह-अभियुक्त का इकबालिया बयान सिद्ध किया गया है। यद्यपि अन्वेषण पदाधिकारी ने कथित किया था कि उसे घटना स्थल पर रक्त के धब्बे मिले थे, परन्तु रक्त रंजित मिट्टी की कोई अभिग्रहण सूची सिद्ध नहीं की गयी है।

16. पूर्वोल्लिखित निष्कर्षों की दृष्टि में, हमारी सुविचारित राय है कि पक्षकारों के बीच स्वीकृत शत्रुता की दृष्टि में केवल अ॰ सा॰ 1 मुन्नी टिर्की के अभिसाक्ष्य पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है क्योंकि अ॰ सा॰ 7 सोमारी मुंडारिन समेत मोहल्ले के किसी भी व्यक्ति द्वारा उसके साक्ष्य का समर्थन नहीं किया गया है। हमारी सुविचारित राय में, इस मामले के तथ्यों में, अपीलार्थीगण कम से कम संदेह के लाभ के हकदार थे।

17. तद्नुसार, एस॰ टी॰ संख्या 170 वर्ष 1990 में विद्वान सप्तम् अपर न्यायिक आयुक्त, रांची द्वारा पारित दिनांक 18.2.1992 का दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय तथा दंडादेश एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। दोनों अपीलार्थीगण, अर्थात्, टंगना कोका तथा कज्जू ओराँव को संदेह का लाभ प्रदान किया जाता है तथा उन्हें आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थीगण जमानत पर हैं तथा उन्हें उनके अपने अपने जमानत बंधपत्रों के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

18. तद्नुसार, यह अपील अनुज्ञात की जाती है, अवर न्यायालय के अभिलेखों को इस निर्णय की प्रति के साथ तत्काल वापस भेजा जाय।

डॉ॰ एस॰ एन॰ पाठक, न्यायमूर्ति.–मैं सहमत हूँ।

---

ekuuh; ,p lh feJk ,o Mkh ,l ,u ikBd] U;k;efrx.k

सावित्री देवी

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

Cr.A. (D.B) No. 362 of 2014. Decided on 28th February, 2017.

भारतीय दण्ड संहिता, 1860—धाराएँ 302/34 एवं 120-B—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 372—हत्या एवं षड्यंत्र–सम्मिलित आशय–दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील–एक ओर अपीलार्थी ने अपने पति की मृत्यु के दुर्घटनास्थल पर मृत्यु होने का दावा करते हुए बीमा धन का दावा किया है, दूसरी ओर उसने आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध यह अपील दाखिल किया है ऐसा कथित करते हुए कि यह विपक्षियों द्वारा कारित हत्या के तुल्य सदोष मानव वध था–यद्यपि अपीलार्थी अभिकथित कर रही है, परन्तु न तो उसने परिवाद याचिका दाखिल किया था, न ही न्यायालय में अपने आप को एक गवाह के तौर पर परीक्षित किया था, यह मानते हुए कि उसने स्वयं बीमा के धन का दावा किया था ऐसा कथित करते हुए कि उसके पति की मृत्यु दुर्घटना के कारण हुई थी–इस मामले के तथ्यों में अवर न्यायालय मृतक की मृत्यु के एक दुर्घटना से होनेवाली मृत्यु पाते हुए उचित निष्कर्ष पर पहुँचा था तथा विपक्षियों को दोषमुक्त कर दिया है जो विचारण का सामना कर रहे थे–अपील खारिज। (पैराएँ 7 से 12)

अधिवक्तागण.–Mr. Pankaj Kumar, For the Appellant; APP., For the State; M/s Onkar Nath Tewary, Gautam Rakesh, For Private O.Ps.

आदेश

न्यायालय द्वारा.–ग्रहण करने के ही चरण से अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के भी विद्वान अधिवक्ता एवं निजी विपक्षियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. अपीलार्थी, जो मृतक की विधवा है, सत्र विचारण सं॰ 99 वर्ष 2012 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, बोकारो द्वारा पारित दिनांक 3 जनवरी, 2014 के दोषमुक्ति के निर्णय से व्यथित है, जिसके द्वारा अभियुक्त विपक्षी सं॰ 2 एवं 3 जो भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302/34 एवं 120-B के अधीन अपराध के लिए विचारण का सामना कर रहे थे को आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया है।

3. आक्षेपित निर्णय दर्शाता है कि सीता राम सिंह चौधरी जो इस अपील में विपक्षी सं॰ 2 है, के फर्दबयान के आधार पर एक मोटर–साइकिल के मृतक चालक के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 279/337/338/304-A के अधीन 24.1.2010 को पिंड्राजोरा पु॰ था॰ केस सं॰ 11 वर्ष 2010 दर्ज किया था एक ऐसी सड़क दुर्घटना के संबंध में जिसमें मोटरसाइकिल के अंधाधुंध एवं लापरवाही भरे चालन के कारण किसी सुनील महाथा की मृत्यु हो गई थी। अन्वेषण पर पुलिस ने मृतक सुनील मल्होत्रा के विरुद्ध अंधाधुंध तथा लापरवाही भरे चालन का एक मामला पाया था तथा तद्नुसार रिपोर्ट दाखिल किया था। अपीलार्थी मृतक सुनील महाथा की पत्नी है।

4. अपीलार्थी के मामले के अनुसार, इसी घटना के लिए मृतक सुनील महाथा के पिता अमीन महाथा द्वारा एक सी॰ पी॰ केस सं॰ 148 वर्ष 2010 दाखिल किया गया था जिसे पुलिस मामला संस्थित किए जाने के लिए भेजा गया था, जिसके आधार पर अभियुक्त विपक्षी सं॰ 2 एवं 3, सीता राम सिंह चौधरी एवं अनादि सिंह चौधरी के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 302/120-B/34 के अधीन अपराध के लिए पिंड्राजोरा पुलिस थाना केस सं॰ 31 वर्ष 2010 संस्थित किया गया था, ऐसा अभिकथित करते हुए कि उन्होंने सुनील महाथा की हत्या कारित की थी।

5. अन्वेषण करने पर, पुलिस ने उक्त पिंड्राजोर पुलिस थाना केस सं॰ 31 वर्ष 2010 में अंतिम रिपोर्ट दाखिल किया था ऐसा कथित करते हुए कि यह एक दुर्घटना का एक मामला था तथा तद्नुसार, मृतक के परिवादी पिता द्वारा एक अभ्यापत्ति याचिका भी दाखिल किया गया था, जिसके आधार पर सी॰ पी॰ केस सं॰ 781 वर्ष 2010 संस्थित किया गया था। जाँच पर विपक्षी सं॰ 2 एवं 3 के विरुद्ध प्रथम–दृष्टया एक मामला पाया गया था एवं उन्हें विचारण पर रखा गया था।

6. आक्षेपित निर्णय दर्शाता है कि विचारण के अनुक्रम में दोनों पक्षकारों द्वारा मौखिक एवं दस्तावेजी दोनों साक्ष्य प्रस्तुत किये गये थे। निर्णय में यथा उल्लिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श D तथा D/1 हैं जो गोपनीय रिपोर्ट (प्रपत्र संख्या 3788) तथा दावेदार का बयान (प्रपत्र संख्या 3783) हैं। इसका आक्षेपित निर्णय में उल्लेख किया गया है कि मृतका की विधवा (अपीलार्थी) ने प्रपत्र संख्या 3783 में दावा किया था। एल॰ आई॰ सी॰ एजेंट की परीक्षा ब॰ सा॰ 7 के तौर पर की गयी थी, जिसने बीमा कंपनी को उसके द्वारा प्रस्तुत गोपनीय रिपोर्ट (प्रपत्र संख्या 3788) सिद्ध किया था तथा इन दस्तावेजों से यह प्रकट था कि मृतका की विधवा, अर्थात्, इस अपीलार्थी ने अपने मृतक पति की मृत्यु एक दुर्घटनाजन्य मृत्यु बताते हुए बीमा के धन के लिए एक दावा किया था।

7. अपीलार्थी ने मृतक की विधवा होने के नाते दोषमुक्ति के विरूद्ध यह अपील दाखिल किया है, परन्तु आक्षेपित निर्णय के परिशीलन से यह प्रकट है कि उसने अवर न्यायालय में अपने आप को परीक्षित नहीं किया था। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अवर न्यायालय ने पाया था कि मृतक की मृत्यु एक दुर्घटनाजन्य मृत्यु थी तथा तद्नुसार, निर्णीत किया था कि अभियोजन विपक्षी संख्याओं 2 एवं 3 के विरूद्ध आरोप सिद्ध करने में विफल रहा था तथा इन दोनों विपक्षियों को आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया था।

8. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय विधि की दृष्टि में समर्थित नहीं किया जा सकता है, इस तथ्य की दृष्टि में कि अभिलेख पर लाये गये साक्ष्य के आधार पर, परिवादी अभियुक्त के विरूद्ध आरोप सिद्ध करने में सक्षम रहा था।

9. राज्य के विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षी संख्याओं 2 एवं 3 के विद्वान अधिवक्ता ने भी आक्षेपित निर्णय में परिचर्चा किये गये प्रदर्शों D तथा D/1 पर भरोसा किया है, तथा निवेदन किया है कि अपीलार्थी ने स्वयं बीमा का दावा दाखिल किया था ऐसा कथित करते हुए कि उसके पति की मृत्यु एक दुर्घटनाजन्य मृत्यु थी। यह भी निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी ने न तो परिवाद दाखिल किया था, न ही अवर न्यायालय में उसने अपने आप को परीक्षित कराया था, तथा इस प्रकार इस अपील को ग्रहण नहीं किया जा सकता है।

10. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की सुनवाई करके तथा अभिलेख का अवलोकन करने पर, हम पाते हैं कि एक ओर अपीलार्थी ने अपने पति की मृत्यु के एक दुर्घटनाजन्य मृत्यु होने का दावा करते हुए बीमा धन का दावा किया था, दूसरी ओर उसने आक्षेपित निर्णय के विरूद्ध यह अपील दाखिल किया है ऐसा कथित करते हुए कि यह विपक्षी संख्याओं 2 एवं 3 द्वारा कारित हत्या के तुल्य एक सदोष मानव वध था। वास्तव में यद्यपि अपीलार्थी यथा उपरोक्त हमारे समक्ष अभिकथन कर रही है, परन्तु न तो उसने परिवाद याचिका दाखिल किया था, न ही उसने एक गवाह के रूप में अवर न्यायालय में अपने आप को परीक्षित किया था, संभवत: इस कारण कि उसने स्वयं बीमा के धन का दावा किया था ऐसा कथित करते हुए कि उसके पति की मृत्यु दुर्घटना के कारण हुई थी। इस मामले के तथ्यों में हमारी सुविचारित राय है कि अवर न्यायालय मृतक की मृत्यु को एक दुर्घटनाजन्य मृत्यु पाते हुए उचित निष्कर्ष पर पहुंचा था एवं विपक्षी संख्याओं 2 एवं 3 को दोषमुक्त कर दिया था, जो विचारण का सामना कर रहे थे।

11. हम एस॰ टी॰ केस संख्या 99 वर्ष 2012 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, बोकारो द्वारा पारित दिनांक 3 जनवरी, 2014 के दोषमुक्ति के आक्षेपित निर्णय में कोई अवैधानिकता नहीं पाते हैं।

12. इस अपील में कोई गुण नहीं है तथा इसे तद्नुसार प्रारंभ में ही खारिज किया जाता है।

ekuuh; Mhñ ,uñ iVy ,o vferkHk dekj xlrk] U;k;efrx.k

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

cuke

रतनी ओराँव एवं अन्य

L.P.A. No. 351/14 with I.A. No. 5613 of 2014. Decided on 20th January, 2016.

सेवा विधि–मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ–प्रत्याख्यान–कर्मचारी की कई वर्षों तक कार्य करने के उपरान्त नियोजन के क्रम में मृत्यु हो गयी थी–यह अभिवचन लिया गया है कि उसे स्वीकृत पद के विरूद्ध नियुक्त नहीं किया गया था तथा यह एकमात्र आधार है जिसपर प्रत्यर्थी को सेवानिवृत्ति लाभों से वंचित किया गया था–सेवा अवधि के दौरान, उसकी सेवाओं की वैधानिकताओं पर प्रश्न करते हुए कर्मचारी को कभी भी कोई नोटिस नहीं दी गयी थी–कर्मचारी जब सेवा में था, उसे कभी भी कोई नोटिस निर्गत नहीं किया गया था कि उसे किसी स्वीकृत पद के विरूद्ध नियुक्त नहीं किया गया था–उसकी मृत्यु के उपरान्त जब विधवा पेंशन, भविष्य निधि, कुटुंब पेंशन तथा उपदान इत्यादि जैसे सेवानिवृत्ति लाभों की ईप्सा कर रही है–ऐसा अभिवचन विधि में टिकने योग्य नहीं है क्योंकि राज्य की ओर से काफी विलम्ब तथा चूकें हो चुकी हैं–रिट याचिका उचित रूप से एकल न्यायाधीश द्वारा अनुज्ञात किया गया था–एल॰ पी॰ ए॰ खारिज। (पैराएँ 7 एवं 8)

अधिवक्तागण.–M/s Ajit Kumar, L.C.N. Shahdeo, Amrendra Pradhan, For the Appellants; Mr. Rajesh Kumar, For the Respondents.

डी॰ एन॰ पटेल, न्यायमूर्ति.–

<u>आई॰ ए॰ संख्या 5613 वर्ष 2014</u>

इस लेटर्स पेटेंट अपील के दाखिले में 237 दिनों के विलम्ब की माफी के लिए परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अधीन यह अंतर्वर्ती आवेदन दाखिल किया गया है।

2. दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनकर तथा इस अंतर्वर्ती आवेदन में कथित कारणों, विशेषकर उसके पैराओं 4 से 12 को देखने पर, विलम्ब को माफ करने के लिए युक्तियुक्त आधार हैं।

3. अतएव, हम इस लेटर्स पेटेंट अपील के दाखिले में 237 दिनों का विलम्ब माफ करते हैं।

4. आई॰ ए॰ संख्या 5613 वर्ष 2014 अनुज्ञात किया जाता है तथा निस्तारित किया जाता है।

<u>एल॰ पी॰ ए॰ संख्या 351 वर्ष 2014</u>

5. यह लेटर्स पेटेंट अपील डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) संख्या 7818 वर्ष 2012 में मूल प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल किया गया है, जिसे दिनांक 18.12.2013 के आदेश के तहत विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अनुज्ञात कर दिया गया था, जिसके द्वारा रिट याचिका अनुज्ञात की गयी थी तथा कुटुंब पेंशन, भविष्य निधि, उपदान, लीव इनकैसमेंट इत्यादि का प्रत्यर्थीगण को भुगतान अनुज्ञात किया गया था।

6. दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनकर तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखने से, यह प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 मूल याची संख्या 1 है जो उस मृतक कर्मचारी की विधवा है, जो 28.6.1978 को भूतपूर्व बिहार राज्य में चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के तौर पर नियोजित किया

गया था, तथा कई दशकों तक सेवा में बना रहा था। तत्पश्चात्, 25.12.2011 को उसके नियोजन के अनुक्रम में उसकी मृत्यु हो गयी थी तथा अतएव, प्रत्यर्थी संख्या 1, जो मृतक कर्मचारी की विधवा है, ने कुटुंब पेंशन, उपदान, लीव इनकैसमेंट तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 (मूल याची संख्या 2) को अनुकंपा पर नियुक्ति समेत अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की मांग की थी क्योंकि वह मृतक कर्मचारी का पुत्र है।

7. मामले के तथ्यों से यह भी प्रतीत होता है कि कर्मचारी की मृत्यु के उपरान्त, ऐसा अभिवचन लिया गया है कि उसे स्वीकृत पद के विरूद्ध नियुक्त नहीं किया गया था तथा यह ही वह एकमात्र आधार है जिसपर प्रत्यर्थी संख्या 1 को सेवानिवृत्ति लाभों से वंचित किया गया था। दिनांक 18.12.2013 के आदेश के तहत रिट याचिका–डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) संख्या 7818 वर्ष 2012 अनुज्ञात करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा यह तर्क उचित रूप से ठुकरा दिया गया है। कर्मचारी, जिसने 28.6.1978 को सेवाओं में योगदान दिया था, कई वर्षों तक राज्य में कार्यरत रहा था तथा अंततः सेवा में रहते हुए उसकी 25.12.2011 को मृत्यु हो गयी थी। उक्त अवधि के दौरान, उसकी सेवाओं की वैधानिकताओं पर प्रश्न करते हुए उक्त कर्मचारी को कभी भी कोई नोटिस नहीं दी गयी थी। जब वह सेवा में था, उक्त कर्मचारी को कभी भी कोई नोटिस निर्गत नहीं किया गया था कि उसे किसी स्वीकृत पद के विरूद्ध नियुक्त नहीं किया गया था तथा अतएव, उसकी मृत्यु के बाद जब विधवा पेंशन, भविष्य निधि, कुटुंब पेंशन एवं उपदान इत्यादि जैसे सेवानिवृत्ति लाभों की ईप्सा कर रही है, उक्त अभिवचन विधि में टिकने योग्य नहीं है क्योंकि राज्य की ओर से काफी विलम्ब एवं चूकें हो चुकी थी, विशेष रूप से वर्तमान मामले के तथ्यों को देखते हुए। डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) संख्या 7818 वर्ष 2012 अनुज्ञात करते समय विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा मामले के इस पहलू का उपयुक्त रूप से मूल्यांकन किया गया है।

8. अतएव, हम इस लेटर्स पेटेंट अपील को ग्रहण करने का कोई कारण नहीं देखते हैं क्योंकि रिट याचिका का निर्णय करने में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है तथा इस प्रकार, कोई दम नहीं होने से, इस लेटर्स पेटेंट अपील को एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk ,o Mkñ ,lñ ,uñ ikBd] U;k;efrx.k

थूथा खरिया

cuke

बिहार राज्य (अब झारखंड)

Criminal Appeal No. 119 of 1992(R). Decided on 27th February, 2017.

एस॰ टी॰ संख्या 181 वर्ष 1991 में सत्र न्यायाधीश, गुमला द्वारा पारित दिनांक 15.5.1992 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दंडादेश के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860–धाराएँ 302 तथा 201–दंड प्रक्रिया संहिता, 1973–धारा 372–हत्या एवं साक्ष्य का गायब होना–दोषसिद्धि एवं दंडादेश–अभियुक्त के विरूद्ध साक्ष्य में प्रतीत होनेवाली सारी परिस्थितियां दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन अभिलिखित उसके बयान में उसके समक्ष रखी गयी थीं–बचाव पक्ष की ओर से कोई गवाह परीक्षित नहीं किया गया था–घटना के एकमात्र चश्मदीद गवाह ने अभियोजन मामले का समर्थन पूर्ण रूप से किया है ऐसा कथित करते हुए कि यह अभियुक्त अपीलार्थी था जिसने मृतका की हत्या कारित किया था–इसको लेकर भी कोई कारण प्रतीत नहीं होता है कि वह अभियुक्त को झूठमूठ क्यों फंसायेगा–चश्मदीद गवाह के चक्षुदर्शी साक्ष्य ने न केवल शव बरामद कराया है, बल्कि

अभियुक्त के घर से अपराध का हथियार भी बरामद कराया है तथा यह चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा भी पूर्णतः सम्पोषित है–अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध मामला सभी युक्तिसंगत संदेहों से परे सिद्ध करने में सक्षम रहा है–दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय तथा दंडादेश में कोई अवैधानिकता नहीं है–अपील खारिज। (पैराएँ 11, 15 से 18)

अधिवक्तागण.–Mr. Rajesh Kumar Singh, For the Appellant; APP, For the State.

न्यायालय द्वारा.–अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. अपीलार्थी एस॰ टी॰ संख्या 181 वर्ष 1991 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, गुमला द्वारा पारित दिनांक 15.5.1992 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दंडादेश से व्यथित है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 302 तथा 201 के अधीन अपराध के लिए दोषी पाया गया है तथा दोषसिद्ध किया गया है। दंडादेश के बिन्दु पर सुनवाई करके, अपीलार्थी को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए सश्रम आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश सुनाया गया है, तथा उसे भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 201 के अधीन अपराध के लिये दो वर्षों का सश्रम कारावास भी भुगतने का दंडादेश सुनाया गया है, तथा दोनों दंडादेशों को साथ-साथ चलने का निर्देश दिया गया था।

3. प्राथमिकी अ॰ सा॰ 1 सुगनी खड़ियाईन द्वारा दर्ज की गयी थी, जो मृतका महिला की पुत्री है, जिसके अनुसार 21.6.1991 को, अर्थात्, शुक्रवार को मृतका सुनी खड़ियाईन हडिया (एक स्थानीय मादक पेय) लेने के लिए अपने घर से बाहर गयी थी। मृतका वापस नहीं आयी थी तथा सूचनादात्री ने उसे नहीं खोजा था ऐसा मानते हुए कि वह किसी रिश्तेदार के यहां गयी होगी। वह शनिवार को भी नहीं लौटी थी, तथा रविवार को सूचनादात्री को किसी जगन्नाथ सिंह तथा मंगरा खड़िया द्वारा सूचित किया गया था कि उसकी माता को अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा मार दिया गया था एवं उसके शव को बोरे में बंद करके बाड़ी में गाड़ दिया गया था। सूचनादात्री द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर, जी॰ आर॰ संख्या 464 वर्ष 1991 के तत्सम् पालकोट पुलिस थाना केस संख्या 36 वर्ष 1991 के रूप में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी, तथा अन्वेषण प्रारंभ किया गया था। अन्वेषण के अनुक्रम में, मृतका का शव बरामद किया गया था एवं अन्वेषण पूरा हो जाने पर, अभियुक्त अपीलार्थी के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था।

4. मामला सत्र न्यायालय भेजे जाने पर, भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 302 तथा 201 के अधीन आरोपों के लिए अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप विरचित किया गया था, तथा अपीलार्थी के दोषी न होने का अभिवचन करने तथा विचारण किये जाने का दावा किये जाने पर, उसे विचारण पर रखा गया था। विचारण के अनुक्रम में अभियोजन ने सूचनादात्री, अन्वेषण पदाधिकारी तथा चिकित्सक, जिसने मृतक के शव का पोस्टमार्टम परीक्षण किया था, समेत ग्यारह गवाहों की परीक्षा की है। अ॰ सा॰ 4 अमीन खड़िया, अ॰ सा॰ 6 भूदो पाहन, अ॰ सा॰ 7 छोए खड़िया, अ॰ सा॰ 8 दसाई पाहन तथा अ॰ सा॰ 9 विरसा खड़िया को अभियोजन द्वारा केवल बुलाया गया था।

5. अ॰ सा॰ 1 सुगली खड़ियाईन, जो मामले की सूचनादात्री है, ने कथित किया है कि घटना का दिन शुक्रवार था तथा उसकी माता हड़िया लेने के लिए घर से बाहर गयी थी। तत्पश्चात्, वह वापस नहीं आयी थी। इस गवाह ने समझा था कि उसकी माता संभवतः कहीं ठहर गयी होगी। शनिवार को उसे तलाशा गया था परन्तु वह नहीं मिली थी। रविवार की सुबह में किसी जगनाथ सिंह ने उसे सूचित किया था कि उसकी माता की अभियुक्त थूथा खड़िया द्वारा हत्या कर दी गयी थी तथा उसने अपनी बाड़ी में शव को गाड़ दिया था। यही सूचना उसे मंगरा खड़िया द्वारा भी दी गयी थी, जिसपर वह पुलिस थाने आयी थी तथा प्राथमिकी दर्ज किया था जिसपर उसके अंगूठे का चिन्ह लिया गया था। उसने न्यायालय में अभियुक्त

व्यक्ति की शिनाख्त की है। अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने कथित किया है कि अभियुक्त रिश्ते में उसका भाई है तथा उसने इस सुझाव से भी इनकार किया है कि अभियुक्त को इस मामले में झूठमूठ फंसा दिया गया है।

6. अ॰ सा॰ 3 मंगरा खड़िया है जो घटना का चश्मदीद गवाह भी है तथा वह उन व्यक्तियों में से एक है जिसने घटना के बारे में सूचनादात्री अ॰ सा॰ 1 सुगली खड़ियाईन को सूचित किया था। इस गवाह ने कथित किया है कि घटना का दिन शुक्रवार था। अभियुक्त थूथा ने हड़िया लेने के लिए उसे अपने घर बुलाया था तथा वे हड़िया ले रहे थे। उसी समय मृतका वहां आयी थी तथा वह भी वहां बैठ गयी थी, जिसपर थूथा ने एक टांगी लाया था तथा उसकी मृत्यु कारित करते हुए उसपर प्रहार किया था। यह गवाह भय के कारण उस स्थान से भाग गया था। रात्रि में अभियुक्त थूथा पुनः आया था तथा उसे शव को छिपाने में अभियुक्त की सहायता करने पर विवश किया था, जिसपर शव को बोरी में रख दिया गया था तथा बाड़ी में गाड़ दिया गया था। उसने कथित किया है कि रविवार को उसने मृतका की पुत्री को यह सूचना दी थी। पुलिस गांव आयी थी तथा उसने वह स्थान दिखाया था जहां शव को गाड़ा गया था एवं शव बरामद किया गया था। उसने न्यायालय में अभियुक्त की शिनाख्त भी किया है। इस गवाह की बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी थी, जिसमें उसने स्वीकार किया है कि वह घटना के समय नशे की हालत में था। उसने कथित किया है कि उसने थूथा को हत्या कारित करने से नहीं रोका था क्योंकि वह भय के कारण स्वयं उस स्थान से भाग गया था। वह शनिवार को अपने घर में रहा था तथा रविवार को उसने मृतका की पुत्री को सूचित कर दिया था जो उसके पिता की बहन है। उसने यह भी कथित किया है कि अभियुक्त थूथा उसका चाचा है। उसने झूठा साक्ष्य देने के सुझाव से इनकार किया है।

7. अ॰ सा॰ 2 जगनाथ सिंह है, इसने भी सूचनादात्री को घटना के बारे में सूचित किया था। इस गवाह ने कथित किया है कि उसने रविवार को सूचनादात्री को सूचित कर दिया था कि उसकी माता को अभियुक्त थूथा द्वारा उसके घर पर हत्या कर दी गयी थी तथा शव गाड़ दिया गया था। इस गवाह ने यह भी कथित किया है कि थूथा ने स्वयं घटना के बारे में उसे सूचित किया था एवं उसने घटना स्थल पर बहे रक्त को भी देखा था, जिसे गोबर से लीप दिया गया था। इस गवाह ने न्यायालय में अभियुक्त थूथा की शिनाख्त किया है। उसने यह भी कथित किया है कि पुलिस आयी थी तथा शव की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गयी थी जिसपर उसने अपना हस्ताक्षर किया था, जिसे उसके द्वारा पहचान किये जाने पर प्रदर्श 1 के रूप में अंकित किया गया था। उसने यह भी कथित किया है कि पुलिस ने अभियुक्त थूथा के घर की भी तलाशी ली थी जहां से एक रक्तरंजित कुल्हाड़ी बरामद हुई थी तथा अभिग्रहण सूची तैयार की गयी थी। उसने अभिग्रहण सूची पर अपने तथा अन्य गवाहों के हस्ताक्षर की पहचान की है, जिन्हें उसकी शिनाख्त पर प्रदर्शों 1/1 तथा 1/2 के तौर पर अंकित किया गया था। उसने कथित किया है कि इस अभिग्रहण सूची पर थूथा के अंगूठे का चिन्ह भी लिया गया था। इस गवाह ने यह भी कथित किया है कि मंगरा खड़िया द्वारा निर्दिष्ट किये जाने पर शव बरामद किया गया था। अपनी प्रतिपरीक्षा में इस गवाह ने कथित किया है कि थूथा ने उसे शनिवार को घटना के बारे में सूचित कर दिया था, परन्तु उसने शनिवार को सूचनादात्री को सूचित नहीं किया था। शव को खेत में गाड़ दिया गया था। उसने झूठा साक्ष्य देने के सुझाव से इनकार किया था।

8. अ॰ सा॰ 5 सादो खड़िया सूचनादात्री सुगली खड़िया का पति है, इस गवाह ने भी इस सीमा तक अभियोजन मामले का समर्थन किया है कि उन्हें जगनाथ सिंह तथा मंगरा खड़िया द्वारा घटना के बारे में सूचित किया गया था। मंगरा खड़िया ने यह भी सूचित किया था कि अभियुक्त ने टांगी से हत्या कारित की थी, तथा रात्रि में थूथा पुनः आया था एवं शव छिपाने में सहायता करने के लिए उसे विवश

किया था। यह गवाह उसकी पत्नी के साथ पुलिस थाना भी गया था। उसने न्यायालय में अभियुक्त की शिनाख्त की है। अपनी प्रतिपरीक्षा में, इस गवाह ने कथित किया है कि जगनाथ सिंह तथा मंगरा खड़िया ने प्रारंभ में उसकी पत्नी को सूचना दिया था, जिसने उसे सूचित किया था। उसने यह भी कथित किया है कि सूचना प्राप्त होने पर वे पुलिस थाना गये थे तथा उस स्थान तक नहीं जहां शव बरामद हुआ था। इस गवाह ने झूठा साक्ष्य देने मे सुझाव से इनकार किया है।

9. अ॰ सा॰ 10 डॉ॰ राज कुमार बेक हैं, जिन्होंने 24.6.1991 को मृतका के शव का पोस्टमार्टम परीक्षण किया था तथा शव पर निम्नांकित मृत्युपूर्व उपहतियां पायी थी:–

1. uhp dh vfLFk d VVu d lkFk ck;h ?kVu d uhp 3" x 1" x 1½" dk fNfnr ?kkoA

2. uhp dh vfLFk d VVu d lkFk ck;h ?kVu d uhp 2½" x ¾" x ¼" dk fNfnr ?kkoA

3. ck;h duiVh d ijkbVy {k= ij 3" x 1¼" x 1½" dk fNfnr ?kko tgk efLr"d n0; d lkFk jDr d FkDd ekt n Fk rFkk uhp dh vfLFk VVh gb FkhA

4. vkr e 3½" x 1½" x 1½" dk fNfnr ?kko] tgk vkr ckgj vk x;h FkhA

उन्होंने कथित किया है कि उपहतियां तीक्ष्ण धारदार हथियार द्वारा कारित मृत्युपूर्व प्रकृति की थी, गंभीर स्वरूप की थी एवं सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। मृत्यु का कारण सदमा तथा रक्तस्राव था। मृत्यु के बाद गुजरा समय 4 से 5 दिनों के भीतर था। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपनी लिखावट में होने तथा हस्ताक्षर सहित होने के रूप में सिद्ध की है, जिसे प्रदर्श 2 के तौर पर अंकित किया गया था। अपनी प्रतिपरीक्षा में उन्होंने कथित किया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह दर्शाने के लिए कोई संकेत नहीं था कि शव को दफनाने के स्थान से बाहर निकाला गया था एवं पोस्टमार्टम परीक्षण के लिए भेजा गया था। उन्होंने कथित किया है कि अपघटित शव के मामले में, कभी–कभी यह पता लगाना कठिन होता है कि उपहतियां मृत्युपरान्त थी या मृत्युपूर्व की थीं, परन्तु इस तथ्य की दृष्टि में कि रक्त के थक्के थे, वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि उपहतियां मृत्युपूर्व थीं। मृत्योपरान्त उपहति में रक्त का थक्का मौजूद नहीं हो सकता है।

10. अ॰ सा॰ 11 सीता राम पासवान है जो मामले का अन्वेषण पदाधिकारी है। इस गवाह ने प्राथमिकी को सिद्ध किया है, जिसे प्रदर्श 3 के तौर पर अंकित किया गया था। उसने यह भी कथित किया है कि एक बोरी में बंद शव की बरामदगी के उपरान्त उसने शव की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की थी। उसने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट सिद्ध किया है जिसे प्रदर्श 4 के रूप में अंकित किया गया था। उसने कथित किया है कि उसने अभियुक्त के घर से रक्तरंजित कुल्हाड़ी बरामद किया था तथा दो गवाहों की मौजूदगी में अभिग्रहण सूची तैयार किया था तथा उसने अभिग्रहण सूची सिद्ध किया है जिसे प्रदर्श 5 के रूप में अंकित किया गया था। उसने कथित किया है कि उसने शव को पोस्टमार्टम परीक्षण के लिए भेज दिया था। इस गवाह ने उसके द्वारा किये गये अन्वेषण के बारे में कथित किया है। उसने अपनी प्रति परीक्षा में कथित किया है कि उसे घटना स्थल पर रक्त का कोई धब्बा नहीं मिला था क्योंकि इसे पहले ही पोंछ दिया गया था। उसने कथित किया है कि उस स्थान पर जहां शव गाड़ा गया था, एक बोरी दिखाई पड़ रही थी।

11. अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त के विरूद्ध साक्ष्य में प्रतीत होनेवाली सारी परिस्थितियां दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन अभिलिखित उसके बयान में उसके समक्ष रखी गयी थीं। बचाव पक्ष की ओर से कोई भी गवाह परीक्षित नहीं किया गया था।

12. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अवर विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी की दोषसिद्धि की थी तथा भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 302 एवं 201 के अधीन अपराध के लिए उसे दंडादेश सुनाया था, जैसा कि ऊपर कथित किया गया है।

13. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय तथा दंडादेश विधि की दृष्टि में समर्थित नहीं किया जा सकता है। यह निवेदन किया गया है कि सूचनादात्री तथा उसके पति घटना के चश्मदीद गवाह नहीं हैं, बल्कि घटना का एकमात्र चश्मदीद गवाह अ॰ सा॰ 3 मंगरा खड़िया है, जिसने यद्यपि अभियोजन मामले का समर्थन किया है, परन्तु उसने स्वीकार किया है कि वह घटना के समय नशे की हालत में था। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इस गवाह के साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया है कि अगर इस गवाह का साक्ष्य विचार में नहीं लिया जाता है, घटना का कोई दूसरा चश्मदीद गवाह नहीं है तथा तद्नुसार, यह अभियुक्त की दोषमुक्ति के लिए एक उपयुक्त मामला है।

14. दूसरी ओर राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने इस आग्रह का विरोध किया है तथा निवेदन किया है कि सूचनादात्री को अ॰ सा॰ 3 मंगरा खड़िया द्वारा सूचित किया गया था, जो घटना का चश्मदीद गवाह है तथा अ॰ सा॰ 2 जगनाथ सिंह द्वारा भी सूचित किया गया था। अ॰ सा॰ 3 ने मामले का पूरा समर्थन किया है ऐसा कथित करते हुए कि यही वह अभियुक्त था जिसने टांगी से मृतका पर प्रहार करते हुए उसकी हत्या कारित कर दी थी। उक्त रक्तरंजित टांगी पुलिस द्वारा तलाशी लिये जाने पर अभियुक्त के घर से बरामद भी की गयी थी, तथा तद्नुसार, अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध मामला सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे सिद्ध करने में सक्षम रहा है।

15. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनकर तथा अभिलेख का अवलोकन करने पर, हम पाते हैं कि अ॰ सा॰ 3 मंगरा खड़िया घटना का एकमात्र चश्मदीद गवाह है। उसने अभियोजन मामले का पूरा समर्थन किया है ऐसा कथित करते हुए कि यह अभियुक्त अपीलार्थी था जिसने मृतका पर टांगी से प्रहार करके उसकी हत्या कारित की थी, जिसपर भय के कारण यह गवाह उस स्थान से भाग गया था। उसे अभियुक्त द्वारा रात्रि में शव छिपाने में उसकी सहायता करने के लिये विवश भी किया गया था एवं उसने शव छिपाने में अभियुक्त की सहायता की थी, जहां से इस गवाह द्वारा निर्दिष्ट किये जाने पर पुलिस द्वारा शव बरामद किया गया था। यद्यपि इस गवाह ने कथित किया है कि वह नशे की हालत में था, परन्तु इस गवाह के साक्ष्य में यह दर्शाने के लिये कुछ भी नहीं है कि वह नशे की ऐसी हालत में था कि उसके साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। आखिरकार, शव इस गवाह की निशानदेही पर बरामद किया गया था, तथा इस गवाह द्वारा यथा कथित घटना का ढंग अभियुक्त-अपीलार्थी के घर से अपराध के हथियार, अर्थात्, रक्तरंजित कुल्हाड़ी की बरामदगी से सम्पोषित होता है। इसको लेकर भी कोई कारण प्रतीत नहीं होता है कि वह अभियुक्त को झूठमूठ फंसायेगा। वास्तव में किसी शत्रुता के बारे में इस गवाह को कोई सुझाव नहीं दिया गया है, बल्कि उसकी प्रतिपरीक्षा में यह सामने आया है कि दोनों पक्षकार निकट संबंधी हैं, सूचनादात्री उसके पिता की बहन है, जबकि अभियुक्त उसका चाचा है। मामले की इस दृष्टि में इस गवाह के लिए अभियुक्त को झूठमूठ फंसाने का कोई भी अवसर होना प्रतीत नहीं होता है। अ॰ सा॰ 2 जगनाथ सिंह अन्य गवाह है जिसे अभियुक्त ने स्वयं घटना के बारे में सूचित किया था। अन्य गवाह अनुश्रुत गवाह हैं।

16. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से हम पाते हैं कि चश्मदीद गवाह के चक्षुदर्शी साक्ष्य से न केवल शव बरामद हुआ था, बल्कि अभियुक्त के घर से अपराध का हथियार भी बरामद हुआ था तथा यह अ॰ सा॰ 10 डॉ॰ राजकुमार बेक के चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा भी पूर्णत: सम्पोषित है, जिन्हें शव पर चार छिद्रित घाव मिले थे, जो मृत्युपूर्व स्वरूप के थे तथा मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थे। उन्होंने कथित किया है कि मृत्यु चार से पांच दिन पहले हुई थी, तथा यह भी मामले का पूर्ण रूप से सम्पोषण करता है क्योंकि

पोस्टमार्टम परीक्षण 24.6.1991 को किया गया था तथा घटना 21.6.1991 को हुई थी। हमारी सुविचारित राय है कि अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध मामले को सभी युक्तिसंगत संदेहों से परे सिद्ध करने में सक्षम रहा है।

17. पूर्वोल्लिखित परिचर्चाओं की दृष्टि में, हम एस॰ टी॰ संख्या 181 वर्ष 1991 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, गुमला द्वारा पारित दिनांक 15.5.1992 के दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय तथा दंडादेश में कोई अवैधानिकता नहीं पाते हैं, जिसे हम एतद्द्वारा अभिपुष्ट करते हैं। अपीलार्थी जमानत पर है। उसका जमानत बंध पत्र एतद्द्वारा रद्द किया जाता है तथा उसे दंडादेश भुगतने के लिए अवर न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है। विचारण न्यायालय को भी दंडादेश भुगतने के लिए अपीलार्थी के आत्मसमर्पण/पेश होने को बाध्यकर बनाते हुए आदेशिका निर्गत करने का निर्देश दिया जाता है।

18. तद्नुसार, यह अपील यथा उपरोक्त निर्देशों के साथ खारिज की जाती है। अवर न्यायाय के अभिलेख को इस निर्णय की प्रति के साथ संबंधित न्यायालय को तत्काल वापस भेजा जाय।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk ,o Mkñ ,lñ ,uñ ikBd] U;k;efrx.k

धीरेन्द्र सिंह उर्फ पप्पू (1324 में)

नरेन्द्र सिंह उर्फ पंडित (1163 में)

cuke

झारखंड राज्य (दोनों में)

Cri. Appeal (DB) Nos. 1324, 1163 of 2005. Decided on 28th February, 2017.

सत्र विचारण सं॰ 122 वर्ष 2001/240 वर्ष 2003 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट सं॰ 8, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 6.7.2005 के दोषसिद्धि के निर्णय और दिनांक 14.7.2005 के दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302/34—आयुध अधिनियम, 1959—धारा 27—हत्या–सामान्य आशय–दोषसिद्धि एवं दंडादेश–अपीलार्थियों के विरुद्ध सामने आने वाली समस्त परिस्थितियों को विचारण न्यायालय द्वारा विस्तारपूर्वक रखा गया है–विचारण न्यायालय में अपीलार्थियों द्वारा बचाव गवाह का परीक्षण नहीं किया था–यद्यपि प्रहार के तरीके के बारे में तीन चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य में कुछ विरोधाभाष हो सकता है, किंतु समस्त तीनों चश्मदीद गवाहों ने दोनों अपीलार्थियों को मृतक पर उसके भाई के साथ प्रहार करता हुआ नामित किया गया है–दोनों अपीलार्थियों को प्राथमिकी में भी नामित किया गया है–तीन चश्मदीद गवाहों का चाक्षुक साक्ष्य और प्राथमिकी स्पष्टतः यह तथ्य सिद्ध करता है कि दो अपीलार्थियों सहित समस्त तीनों अभियुक्तगण घटनास्थल पर उपस्थित थे और उन्होंने अपने सामान्य आशय को अग्रसर करने में आग्नेयस्त्र से मृतक पर प्रहार किया था और घटना में सूचक भी घायल हुआ था–न्यायालयिक विशेषज्ञों ने पूर्णतः इस तथ्य को सिद्ध किया है कि मानव रक्त के धब्बे मृतक के अंडरवियर पर और मृतक के शरीर से निकाले गए बुलेटों एवं पेलेटों पर मौजूद थे–घटनास्थल से अन्वेषण अधिकारी द्वारा रक्त संग्रहित किया गया था और इसे मानव रक्त पाया गया था–चश्मदीद गवाहों का चाक्षुक साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा पूर्णतः संपुष्ट किया गया

था–अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने में सक्षम हुआ है–अपील खारिज की गयी। (पैराएँ 33, 36, 37 एवं 38)

अधिवक्तागण.–M/s. Munna Lal Yadav, Sanjay Kumar Tiwary, For the Appellants; M/s. Kailash Prasad Deo, Gaurav, For the Respondent-CBI.

एच॰ सी॰ मिश्रा, न्यायमूर्ति.–ये दोनों दांडिक अपीलें एक ही निर्णय से उद्भूत होती हैं और इस दशा में उन्हें साथ सुना जा रहा है और इस एक ही निर्णय द्वारा निपटाया जा रहा है।

2. दोनों अपीलों में अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता एवं सी॰ बी॰ आई॰ के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

3. अपीलार्थीगण सत्र विचारण सं॰122 वर्ष 2001/सत्र विचारण सं॰ 240 वर्ष 2003 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट सं॰ 8, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 6.7.2005 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 14.7.2005 के दंडादेश से व्यथित है जिसके द्वारा अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन अपराधों का दोषी पाया गया है और दोषसिद्ध किया गया है। दंडादेश के बिंदु पर सुनवाई करके अपीलार्थियों को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302/34 के अधीन अपराध के लिए आजीवन कारावास और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन अपराध के लिए तीन वर्षों का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है। दोनों दंडादेशों को समवर्ती रूप से चलने का निर्देश दिया गया था।

4. अभियोजन मामला 8.8.1987 को अपराह्न 12.15 बजे टाटा मेन अस्पताल, जमशेदपुर में दर्ज अ॰ सा॰ 27 सूरज मंडल, जो तब झारखंड मुक्ति मोर्चा दल (इसमें इसके बाद ''जे॰ एम॰ एम॰'' के रूप में निर्दिष्ट) से विधानसभा का सदस्य था, के फर्दबयान के आधार पर संस्थित किया गया था जिसमें उसने कथन किया है कि सूचक निर्मल महतो (मृतक), ज्ञान रंजन जी, भूतपूर्व विधायक, बाबू लाल सॉय एवं शिवाजी राय के साथ पूर्व रात्रि लगभग 10.30 बजे पहुँचा था और टिस्को गेस्ट हाउस (जिसे गम्हरिया अतिथिशाला के रूप में भी जाना जाता है) में रुका। वे किसी अवतार सिंह तारी की माता की अंत्येष्टि में भाग लेने आए थे। वे 8.8.1987 को पूर्वाह्न 11.45 बजे कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ अवतार सिंह तारी के घर जाने के लिए अतिथिशाला से बाहर आए। कुछ अन्य व्यक्ति भी वहाँ आए जिन्हें भी अवतार सिंह तारी के घर जाना था। इस बीच, सं॰ DEA 2544 वाली कार वहाँ आयी और उसमें से पाँच व्यक्ति उतरे। सूचक ने निर्मल महतो से पूछा कि वे कौन थे जिस पर निर्मल महतो ने बताया कि उनमें से दो वर्तमान अपीलार्थीगण पंडित एवं पप्पू थे जो विरेन्द्र सिंह के भाई थे। पंडित अतिथिशाला के भीतर गया और अपने भाई विरेन्द्र सिंह के साथ बाहर आया। विरेन्द्र सिंह और वे आपस में बात करने लगे। इस बीच, विरेन्द्र सिंह ने आग्नेयास्त्र से निर्मल महतो पर गोली चलायी जो निर्मल महतो को लगी और वह गिर गया। पंडित ने भी पीछे से आग्नेयास्त्र से निर्मल महतो पर गोली चलायी जो निर्मल महतो को लगी और वह गिर गया। पंडित ने भी पीछे से आग्नेयास्त्र से निर्मल महतो पर प्रहार किया और उसने आग्नेयास्त्र से पुनः गोली चलाया जिसने सूचक को भी घायल किया जिस पर सुनील सिंह ने गोली चलाया और अभियुक्तगण भाग गए। कार के चालक ने भी कार के साथ भागने का प्रयास किया किंतु उसे सुनील सिंह द्वारा रोका गया था किंतु वह भी कार पीछे छोड़ कर भाग गया। सूचक को सुनील सिंह द्वारा सूचित किया गया था कि वह (चालक) अखिलेश्वर सिंह था। तुरन्त तत्पश्चात निर्मल महतो को टी॰ एम॰ एच॰ लाया गया था जहाँ उसे मृत घोषित किया गया था। सूचक ने दावा किया कि अभियुक्तगण अर्थात् बिरेन्द्र सिंह एवं उसके

भाईयों पंडित एवं पप्पू ने अपने सामान्य आशय को अग्रसर करने में निर्मल महतो की हत्या किया और सूचक पर भी उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से प्रहार किया और उसे घायल किया।

5. सूचक के फर्दबयान के आधार पर दिनांक 8.8.1987 का बिष्टुपुर पी॰ एस॰ केस सं॰ 169, जी॰ आर॰ सं॰ 1201 वर्ष 1987 के तत्सम, भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/307/34 तथा आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन संस्थित किया गया था और अन्वेषण किया गया था। बाद में मामले का अन्वेषण सी॰ बी॰ आई॰ ने किया था तथा अन्वेषण पर, सी॰ बी॰ आई॰ ने इन अपीलार्थियों को फरार दर्शाते हुए पकड़े गए अभियुक्त विरेन्द्र सिंह के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया। यह कथन किया जा सकता है कि उक्त विरेन्द्र सिंह ने एक अन्य सत्र विचारण में विचारण का सामना किया था, जिसमें उसे अपराध के लिए दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किया गया था जिसकी मृत्यु बाद में उच्च न्यायालय में उसकी अपील लंबित रहने के दौरान हो गयी। अपीलार्थियों की गिरफ्तारी के बाद, अपीलार्थियों के विरुद्ध पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया था।

6. इस स्थान पर यह कथन भी किया जा सकता है कि आरंभ में अपीलार्थी धीरेन्द्र सिंह उर्फ पप्पू जमशेदपुर में विचारण न्यायालय में सत्र विचारणों सं॰ 122 वर्ष 2001 में विचारण का सामना कर रहा था जबकि नरेन्द्र सिंह उर्फ पंडित राँची में सी॰ बी॰ आई॰ न्यायालय में विचारण का सामना कर रहा था। उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा दोनों विचारणों को मिला दिया गया था और दोनों मामलों को मिलाने और उन गवाहों जिनका पहले परीक्षण किया गया था का नए सिरे से परीक्षण करने के बाद नरेन्द्र सिंह उर्फ पंडित का सत्र विचारण सं॰ 240 वर्ष 2003 में जमशेदपुर में विचारण न्यायालय में विचारण किया गया था।

7. सत्र न्यायालय को मामला सुपुर्द किए जाने पर, अपीलार्थियों के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 27 और भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34 के अधीन अपराध के लिए आरोप विरचित किए गए थे और अपीलार्थियों के निर्दोषिता का अभिवचन करने पर तथा विचारण किए जाने का दावा करने पर अपीलार्थियों का विचारण किया गया था।

8. विचारण के क्रम में अभियोजन ने इस मामले में 35 गवाहों का परीक्षण किया और अनेक दस्तावेज सिद्ध किया। इन गवाहों में से केवल तीन गवाह घटना के चश्मदीद गवाह हैं जो अ॰ सा॰ 17 मो॰ अख्तर हुसैन, अ॰ सा॰ 8 निर्मल भट्टाचार्य तथा अ॰ सा॰ 2 सूरज मंडल जो मामले का सूचक हैं।

9. अ॰ सा॰ 27 सूचक सूरज मंडल ने अभियोजन मामले का पूर्णत: समर्थन किया है। उसने कथन किया है कि वह जे॰ एम॰ एम॰ दल से वर्ष 1987 में विधायक था और उसके पहले वह काँग्रेस पार्टी से आता था जब ज्ञान रंजन जी भी काँग्रेस पार्टी में थे। इस गवाह ने कथन किया है कि वह विरेन्द्र सिंह को जानता था जो इस मामले में अभियुक्त था और वह भी काँग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता था। यह गवाह पार्टी की बैठक में भाग लेने राँची आया था और राँची से 7.8.1987 को वह ज्ञान रंजन जी, निर्मल महतो, शिवाजी राय एवं बाबू लाल सॉय के साथ अवतार सिंह तारी की माता की अंत्येष्टि में भाग लेने जमशेदपुर आया था। वे रात में जमशेदपुर पहुँचे और टिस्को अतिथिशाला (जो गम्हरिया अतिथिशाला के रूप में भी ज्ञात है) में रुके जहाँ वे रात में लगभग 10.30 बजे पहुँचे। दिनांक 8.8.1987 को सवेरे वह निर्मल महतो के कमरा में गया जहाँ निर्मल महतो के भाई असीम महतो और किसी काली चरण महतो जो निर्मल महतो का संबंधी था सहित अन्य व्यक्ति भी आए। वह निर्मल महतो को दिखाने के लिए नया 407 वाहन लाया था जो अतिथिशाला के बाहर खड़ी थी। उन सबों ने उक्त वाहन की सवारी की और तत्पश्चात वे अपने कमरा में वापस आ गए। अपना नाश्ता करने के बाद वे अवतार सिंह तारी के घर जाने के लिए अतिथिशाला से बाहर आए। जब यह गवाह और निर्मल महतो रिसेप्शन के निकट पहुँचे, उन्होंने बिरेन्द्र

सिंह को वहाँ बैठे देखा। अवतार सिंह तारी के घर जाने के लिए अन्य व्यक्ति भी वहाँ जमा हुए थे। इस बीच, एक एमबैसडर गाड़ी आयी जिससे पाँच व्यक्ति उतरे और इस गवाह ने निर्मल महतो से पूछा कि वे दो व्यक्ति कौन थे जो उनकी ओर आ रहे थे जिस पर निर्मल महतो ने बताया कि वे विरेन्द्र सिंह के भाई पप्पू एवं पंडित (अपीलार्थीगण) थे। विरेन्द्र सिंह ने अपने भाईयों से बात किया और जब ये व्यक्ति वाहन की ओर जा रहे थे, पप्पू एवं पंडित पुनः वहाँ आए और विरेन्द्र सिंह ने अपने भाईयों को उनकी (सूचक एवं निर्मल महतो) की हत्या करने का आदेश दिया जिस पर उन्होंने अतिथिशाला की ओर भागने का प्रयास किया, किंतु पप्पू ने निर्मल महतो का कॉलर पकड़ लिया और विरेन्द्र सिंह ने आग्नेयास्त्र से उस पर प्रहार किया। पीछे से पंडित द्वारा भी गोली चलायी गयी थी जो भी निर्मल महतो को लगी। एक और गोली चलायी गयी थी जिसने सूचक की छोटी उंगली को घायल किया और यह गोली पप्पू ने चलायी थी। इस बीच ज्ञान रंजन जी ने शोर किया। यह गवाह और निर्मल महतो गिर गए। पप्पू अपनी बंदूक पुनः भर रहा था, किंतु इस बीच सुनील सिंह ने अपने रिवाल्वर से गोली चलायी जिस पर अभियुक्तगण उस कार जिस पर वे आए थे पर भागने का प्रयास किया किंतु सुनील सिंह ने कार रोक दिया। अभियुक्तगण पैदल भाग गए। इस बीच, पुलिस वहाँ पहुँची और निर्मल महतो तथा इस गवाह को टी॰ एम॰ एच॰ ले जाया गया था जहाँ निर्मल महतो को मृत घोषित किया गया था और इस गवाह का इलाज किया गया था। पुलिस द्वारा टी॰ एम॰ एच॰ में इस गवाह का बयान दर्ज किया गया था जिस पर उसने अपना हस्ताक्षर भी किया था। उसने फर्दबयान पर अपना हस्ताक्षर पहचाना है जिसे पहले प्रदर्श 25/1 चिन्हित किया गया था। इस गवाह ने न्यायालय में दोनों अभियुक्तों को पहचाना है। इस गवाह को विस्तारपूर्ण प्रति परीक्षण के अधीन किया गया था जिसमें उसने कथन किया है कि उसने सत्र विचारण सं॰ 203 वर्ष 1995 में विरेन्द्र सिंह मामले में अभिसाक्ष्य दिया था। यह प्रतीत होता है कि साक्ष्य से कुछ विरोधाभास निकालने का प्रयास भी किया गया था जिसे उसने सत्र विचारण सं॰ 203 वर्ष 1995 में दिया था किंतु यह अधिक प्रासंगिक नहीं है। उसने कथन किया कि उसकी उपहति के इलाज पर उसे अस्पताल के केबिन में शिफ्ट किया गया था जहाँ पुलिस द्वारा उसका बयान दर्ज किया गया था और बाद में सर्किट हाउस, जमशेदपुर में सी॰ बी॰ आई॰ द्वारा उसका बयान दर्ज किया गया था। उसने झूठा साक्ष्य देने के सुझाव से इनकार किया है।

10. मामले का दूसरा चश्मदीद गवाह अ॰ सा॰ 7 मो॰ अख्तर हुसैन है। वह एम्बैसडर कार सं॰ DEA 2544 का चालक था जो अखिलेश्वर सिंह की थी। यह प्रतीत होता है कि अखिलेश्वर सिंह एवं इस गवाह को मामले में अभियुक्त बनाया गया था किंतु अन्वेषण के क्रम में उन्हें मामले में गवाह बनाया गया है। उनके विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया गया था। दोनों मामलों को मिलाने के बाद अपने मुख्य परीक्षण में उसने कथन किया है कि वह अखिलेश्वर सिंह की एम्बैसडर कार का चालक था। दिनांक 8.8.1987 को एक व्यक्ति आया और अखिलेश्वर सिंह को सूचित किया कि ज्ञान रंजन जी आए थे। तत्पश्चात, यह गवाह अखिलेश्वर सिंह को कार पर चमरिया अतिथिशाला लाया। अखिलेश्वर सिंह अतिथिशाला के अंदर आया। अभियुक्त पप्पू आया और कार का चाबी मांगा जिसे देने से उसने यह कहते हुए इनकार किया कि वह केवल कार के स्वामी की अनुमति से चाबी देगा। तब पप्पू वापस गया और अखिलेश्वर सिंह के साथ आया जिसके अनुदेश पर उसने पप्पू को कार का चाबी दिया और पप्पू कार ले गया। पूर्वाह्न लगभग 11.40 बजे पप्पू पुनः पंडित के साथ वापस आया और वे दोनों अतिथिशाला के अंदर गए। कुछ समय बाद वे दोनों बाहर आए और विरेन्द्र सिंह द्वारा आदेश दिए जाने पर वे गोली चलाने लगे। विरेन्द्र सिंह ने भी गोली चलायी और वे सब निर्मल महतो पर गोली चला रहे थे जो घायल हो गया और जमीन

पर गिर गया। शोरगुल हुआ था। उसने न्यायालय में दोनों अभियुक्तों को पहचाना है। अपने प्रति–परीक्षण में उसने कथन किया है कि वह स्वयं घटना की तिथि से विरेन्द्र सिंह को जान रहा था और उसके पहले वह उससे नहीं मिला था या और न ही उसे देखा था। उसके पहले वह पप्पू एवं पंडित को भी नहीं जानता था। उसने कथन किया है कि वह यह नहीं देख सका था कि किसके गोली चलाने पर निर्मल महतो घायल हुआ था। उसने कथन किया है कि दोनों अभियुक्तों के हाथ में छोटे आग्नेयस्त्र थे। उसने झूठा साक्ष्य देने के सुझाव से इनकार किया है।

11. अ॰ सा॰ 8 निर्मल भट्टाचार्य मामले में तीसरा चश्मदीद गवाह है जिसने दोनों विचारणों को मिलाए जाने के बाद अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह ठेकेदार था और वह राजनीति में भी था। वह 8.8.1987 को निर्मल महतो से मिलने चमरिया अतिथिशाला गया था जहाँ सूरज मंडल, ज्ञान रंजन जी, सुरेश खेतान, दुर्गा पादो, धनंजय महतो जी थे। लगभग 11-12 बजे दोपहर में वे सब बाहर पोर्टिको में आए। निर्मल महतो की सं॰ BP X 281 वाली जीप पार्किंग में थी। इस गवाह को पार्किंग से जीप लाने के लिए कहा गया था क्योंकि उन सबों को अवतार सिंह तारी की माता की अंत्येष्टि में भाग लेने जाना था। इस बीच, विरेन्द्र सिंह दोनों अभियुक्तों नरेन्द्र सिंह उर्फ पंडित तथा धिरेन्द्र सिंह उर्फ पप्पु को उन दोनों (अर्थात निर्मल सिंह तथा सूरज मंडल) की हत्या करने के लिए कहते हुए निर्मल सिंह की ओर गया। बिरेन्द्र सिंह ने निर्मल महतो का कॉलर पकड़ लिया और उसकी छाती पर गोली चलाई। पंडित ने निर्मल महतो की पीठ पर गोली चलाई और तीसरी गोली धिरेन्द्र सिंह उर्फ पप्पु द्वारा निर्मल महतो के चेहरे पर चलायी गयी थी जो सूरज मंडल की उंगलियों पर भी लगी क्योंकि वह निर्मल महतो की सहायता कर रहा था। वे निर्मल महतो को उसी जीप पर टी॰ एम॰ एच॰ लाए जहाँ उसे मृत घोषित किया गया था। उसने दोनों अभियुक्तों को न्यायालय में पहचाना है। अपने प्रतिपरीक्षण में, इस गवाह ने कथन किया है कि वह निर्मल महतो को लंबे समय से जानता था। घटना के समय पर उसने जीप चलाना शुरु नहीं किया था, बल्कि केवल जीप में बैठा हुआ था और इस बीच घटना हुई। इस गवाह ने कथन किया है कि समस्त अभियुक्तगण देशी पिस्तौल से लैस थे। उसने झूठा साक्ष्य देने के सुझाव से इनकार किया है।

12. अ॰ सा॰ 12 डॉ॰ शिव शंकर प्रसाद है जिन्होंने मृतक के मृत शरीर का शव परीक्षण किया था। उन्होंने कथन किया है कि 8.8.1987 को वह एम॰ जी॰ एम॰ मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर में पैथोलॉजी विभाग में पदस्थापित था। उन्होंने निर्मल महतो का मृत शरीर प्राप्त किया था जिसे कॉंस्टेबल सं॰ 427 ऋषिमुनि सिंह एवं कॉंस्टेबल सं॰ 933 जवाहर पासवान द्वारा अपराह्न 3.30 बजे पहचाना गया था और उन्होंने अपराह्न 3.35 बजे मृत शरीर का शव परीक्षण किया था। उन्होंने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट एवं मृत शरीर चालान भी प्राप्त किया था, जिस पर उन्होंने अपना हस्ताक्षर किया था और उन्होंने इन दस्तावेजों पर अपना हस्ताक्षर सिद्ध किया है जिन्हें प्रदर्श चिन्हित किया गया था। उन्होंने शव परीक्षण के समय पर निम्नलिखित मृत्युपूर्व उपहति पाया:–

> *"(I) ck, ,fDlyk d 7"uhp eè; vkDlhfy;jh ykbu ij fupyh Nkrh d ck, Hkkx ij 3cm ekioky cyV }kjk dkfjr iDpj migfrA t[e vfu;fer ,o vMkdkj Fkk vkj ekftu fonh.k FkkA t[e d bn&fxn Ropk dh dkfyek ,o VVbx oky 1cm0;kl dk ço'k t[eA ck, QQMk d mijh NB lkro Ropk Fkkjkfld ekli'kh ilfy;k ,o ân; dk QkMrk blkQxl d mijh Hkkx e cyV èklk FkkA yxHkx ,d yhVj jDr ,o jDr dk FkDdk pLV dfoVh e vrfo"V FkkA*
>
> *(II) lØe d mij dej d ihN 3cm ekioky cyV }kjk dkfjr iDpj migfrA t[e vfu;fer ,o vMkdkj Fkk vkj ekftu fonh.k FkkA t[e d bn&fxn*

Ropk dh dkfyek ,o VVbxokyk 1cm 0;kl dk çoʼ'k t[eA Ropk eklli'kh ,o vfLFk dk QkMdj f}rh; lØy oVhck e cyV èklk FkkA

(III) pgjk ij vud iyV migfrA leLr iyVl Ropk d uhp èklk FkA rhu iyVl gVk, ,o ljf{kr fd, x, FkA pkj mijh nkrk] nk bulkbTM ,o nk dukbu dk ŸDpjA t[e l0 (I) ,o (ii) cyV l Nhyu }kjk gb Fkh vkj migfr l0 III vkXu;L=k }kjk dkfjr dh x;h FkhA

migfr dh vk;&rkthA** eR; d le; l chrk le; Ng ?kV d Hkhrj Fkk eR; vkXu;kL= }kjk dkfjr vkrfjd gejt d dkj.k gb FkhA

इस गवाह ने कथन किया है कि उपहति सं॰ (I) एवं (II) मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थीं। उन्होंने अपने लेखन एवं हस्ताक्षर में शव–परीक्षण रिपोर्ट सिद्ध किया है जिसे प्रदर्श 5 चिन्हित किया गया था। उन्होंने यह कथन भी किया है कि मृतक 36 वर्षीय, प्रौढ़, साँवला और अच्छी कद काठी वाला था। इस गवाह ने मृतक के मृत शरीर से हटाए गए बुलेट एवं पेलेट को भी सौंपा है। उसने मृत शरीर पर वस्त्रों को भी पुलिस को सौंपा और रसीद प्राप्त किया गया था। रसीद बाद में 21.11.1987 को सी॰ बी॰ आई॰ के एन॰ के॰ शर्मा को सौंपी गयी थी। उन्होंने सी॰ बी॰ आई॰ के इंस्पेक्टर द्वारा दी गयी रसीद भी सिद्ध किया है जिस पर हस्ताक्षरों को प्रदर्श चिन्हित किया गया था। उन्होंने मृतक का अंडर वियर पहचाना है जिसे उनके द्वारा पुलिस को दिया गया था और इसे तात्विक प्रदर्श V चिन्हित किया गया था। अपने प्रति परीक्षण में उसने कथन किया है कि पर्ची सं॰ 359 में शब्द 'कच्छा' का उल्लेख नहीं किया गया था बल्कि केवल वस्त्र का उल्लेख किया गया था। उन्होंने यह कथन भी किया है कि वह यह कहने की अवस्था में नहीं थे कि जख्म के इर्द–गिर्द त्वचा की कालिमा एवं टैटूइंग संभव हो सकता था जब नजदीक से गोली चलायी गयी थी क्योंकि वह विशेषज्ञ नहीं था।

13. अ॰ सा॰ 21 डॉ॰ ब्रज किशोर प्रसाद सिंह है, जिन्होंने सूरज मंडल पर उपहतियों का परीक्षण किया एवं उसपर निम्नलिखित उपहतियाँ पाया:–

(i) nk, ?kVu e [kjkp]

(ii) nk, gkFk ij vud iyV migfr

(iii) nk;h NkVh mxyh dk dV; tu

उपहति सं॰ (i) एवं (iii) कड़े एवं भोथरे पदार्थ द्वारा कारित की गयी थी और सरल प्रकृति की थी और उपहति सं॰ (ii) आग्नेयास्त्र द्वारा कारित की गयी थी। मरीज को अस्पताल में भरती किया गया था और टी॰ एम॰ एच॰ के आर्थोपेडिक सर्जन डॉ॰ एस॰ सी॰ सिन्हा द्वारा उपहति सं॰ (ii) के संबंध में विशेष मत दिया गया था। उनके अनुसार, वह उपहति भी सरल प्रकृति की थी। एक्सरे में जख्म में दो पेलेट्स पाए गए थे। उन्होंने अपने लेखन एवं हस्ताक्षर में सूरज मंडल का उपहति रिपोर्ट पहचाना है और उस पर डॉ॰ एस॰ सी॰ सिन्हा का मत भी पहचाना है जिन्हें प्रदर्श 18 एवं 18/1 के रूप में चिन्हित किया गया था।

उसी दिन, उन्होंने निर्मल महतो का परीक्षण किया था जिसे निर्मल भट्टाचार्या द्वारा लाया गया था। परीक्षण पर उन्होंने श्वसन क्रिया नहीं पाया, नब्ज महसूस नहीं किया गया, रक्त चाप दर्ज करने योग्य नहीं था, हृदय स्वर अनुपस्थित था, आँख की पुतली फैली हुई तथा स्थिर थी, कॉर्निया रिफ्लेक्स अनुपस्थित था। आग्नेयास्त्र द्वारा कारित उस पर अन्य उपहतियाँ थी। मरीज मृत लाया गया था। उसने शव परीक्षण के लिए ए॰ एस॰ आई॰ को निर्मल महतो का मृत शरीर सौंपा। उन्होंने अपने लेखन एवं हस्ताक्षर में सूरज

निर्मल महतो का उपहति रिपोर्ट सिद्ध किया है जो प्रदर्श 19 चिन्हित था। अपने प्रति परीक्षण में उन्होंने कथन किया है कि चूँकि निर्मल महतो मृत लाया गया था, उन्होंने उसका पूरी तरह परीक्षण नहीं किया था और वह यह कहने की अवस्था में नहीं थे कि उसके शरीर पर कितनी उपहतियाँ थी।

14. अ॰ सा॰ 1 धनंजय महतो, अ॰ सा॰ 2 सुरेश खेतान, अ॰ सा॰ 3 रजनी सिंह और अ॰ सा॰ 4 इंद्र कुमार चौधरी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जो घटना स्थल पर उपस्थित थे। उन्होंने केवल यह कथन किया है कि 8.8.1987 को चमरिया अतिथिशाला में निर्मल महतो की हत्या की गयी थी, किंतु इन गवाहों ने घटना का चश्मदीद गवाह होने का दावा नहीं किया है और उन्होंने अभियुक्तों के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा है। अ॰ सा॰ 5 विजय कुमार श्रीवास्तव एवं अ॰ सा॰ 6 सुरेन्द्र सिंह को अभियोजन द्वारा निविदत्त किया गया था। अ॰ साल 9 पंकज ठाकुर और अ॰ सा॰ 10 विनोद कुमार सिंह ने केवल घटना के बारे में सुना था और उन्होंने भी इन अभियुक्तों के विरुद्ध कुछ नहीं कहा है। अ॰ सा॰ 11 महेश कुमार सी॰ बी॰ आई॰ में काँस्टेबल था और उसने केवल समन की तामील रिपोर्ट सिद्ध किया था। अ॰ सा॰ 34 प्रेम प्रकाश दूबे एवं अ॰ सा॰ 35 राधाकांत पाठक जो भी काँस्टेबल हैं, कुछ दस्तावेजों को सिद्ध करने वाले औपचारिक गवाह हैं।

15. अ॰ सा॰ 13 एम॰ वी॰ रमन टिस्को अतिथिशाला में रिसेप्शनिष्ट के रूप में कार्यरत था और उसने अतिथिशाला में अतिथियों के बारे में प्रविष्टियाँ अंतर्विष्ट करने वाला अतिथिशाला का मुलाकाती रजिस्टर के पृष्ठ 72 से 89 तक सिद्ध किया है जिसे प्रदर्श 11 चिन्हित किया गया था। उसने अतिथिशाला में सूरज मंडल, निर्मल महतो, ज्ञान रंजन जी एवं अन्य के रूकने के बारे में कथन किया है और उसने उनको अतिथिशाला में देखा भी था। उसने मुलाकाती रजिस्टर की अभिग्रहण सूची भी सिद्ध किया है जिस पर उसने अपना हस्ताक्षर भी किया था, जिसे प्रदर्श 12 चिन्हित किया गया था और उसने मुलाकाती रजिस्टर के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना हस्ताक्षर सिद्ध किया है जिसे प्रदर्श 13 श्रृंखला के रूप में चिन्हित किया गया था। इस गवाह ने कथन किया है कि उसने गोली चलने की आवाज सुनी और तत्पश्चात ज्ञान रंजन जी दौड़ते हुए आए और उसको पुलिस बुलाने के लिए और अस्पताल को सूचित करने के लिए कहा और वह कह रहे थे कि विरेन्द्र सिंह को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने यह कथन भी किया था कि निर्मल महतो घायल हुआ था और तत्पश्चात उन्होंने सूरज मंडल को घायल दशा में अपने कमरा की ओर जाते देखा। इस गवाह ने आरक्षी अधीक्षक एवं टी॰ एम॰ एच॰ को एम्बुलेंस के लिए सूचित किया और तत्पश्चात वह बरामदा पर आया जहाँ उसने कुछ व्यक्तियों को निर्मल महतो को उठाते हुए देखा। वह पुनः आया और उच्चतर अधिकारियों को सूचित किया। उसने कथन किया है कि सी॰ बी॰ आई॰ द्वारा उसका बयान भी दर्ज किया गया था। यद्यपि इस गवाह ने घटना के बारे में कथन किया है, किंतु उसने अभियुक्तों के बारे में कुछ नहीं कहा है।

16. अ॰ सा॰ 14 देव प्रसाद महतो एवं अ॰ सा॰ 16 सुधीर महतो मृतक के मृत शरीर के मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट के गवाह हैं और उन्होंने उस पर अपने हस्ताक्षरों को सिद्ध किया है। गवाह सुधीर महतो भी मृतक का भाई है। वह घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है। घटना के बारे में सूचना पाने पर वह अस्पताल आया था जहाँ उसने अपने भाई का मृत शरीर देखा और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर अपना हस्ताक्षर भी किया जिस पर उसकी पहचान प्रदर्श 14/2 के रूप में चिन्हित की गयी थी। इस गवाह ने भी विरेन्द्र सिंह एवं निर्मल महतो के बीच दुश्मनी के बारे में कथन किया है और यह कथन भी किया था कि विरेन्द्र सिंह ने धमकी दिया था। अस्पताल में उसे वहाँ उपस्थित व्यक्तियों द्वारा सूचित किया गया था कि विरेन्द्र सिंह, पप्पू एवं पंडित द्वारा उसके भाई पर प्रहार किया गया था। वह सूरज मंडल से भी मिला जो घायल हुआ था और अस्पताल में भरती किया गया था और उसने भी उसे घटना के बारे में सूचित किया। अपने प्रति परीक्षण में उसने कथन किया कि वह घटना का चश्मदीद गवाह नहीं था।

17. अ॰ सा॰ 15 अखिलेश्वर सिंह है जिसकी कार का उपयोग घटना में किया गया था और उसने स्वीकार किया है कि घटना की तिथि पर वह विरेन्द्र सिंह एवं पंडित के साथ अतिथिशाला गया था। तत्पश्चात, इस गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया था।

18. अ॰ सा॰ 17 अवतार सिंह उर्फ तारी है जिसने कथन किया है कि उसकी माता की मृत्यु 26.7.1987 को हुई थी और उसकी अंत्येष्टि 8.8.1987 को की जानी थी जिसमें उसने निर्मल महतो जो जे॰ एम॰ एम॰ पार्टी का नेता था, ज्ञान रंजन जी, सूरज मंडल, शंकर सिंह, सुरेश खेतान एवं अन्य को निमंत्रित किया था। ज्ञान रंजन जी, निर्मल महतो एवं सूरज मंडल 7.8.87 को जमशेदपुर आए थे और वे चमरिया अतिथिशाला में रुके थे। उसे सूचित किया गया था कि अतिथिशाला में गोली चली थी जिसमें निर्मल महतो की हत्या कर दी गयी थी और सूरज मंडल घायल हुआ था। तत्पश्चात, वह अस्पताल गया और सूरज मंडल से मिला जिसे घायल दशा में भरती किया गया था जिसने सूचित किया कि विरेन्द्र सिंह एवं उसके भाईयों पप्पू एवं पंडित ने आग्नेयास्त्र से उन पर प्रहार किया था जिसमें निर्मल महतो की हत्या कर दी गयी थी और वह घायल हुआ था। अपने प्रति-परीक्षण में उसने कथन किया है कि वह घटना की बिंदु पर केवल अनुश्रुत गवाह था।

19. अ॰ सा॰ 18 जवाहर पासवान पुलिस में कॉंस्टेबल है और उसने कथन किया है कि उसने कॉंस्टेबल ऋषि मुनि सिंह के साथ मृतक का मृत शरीर शव परीक्षण के लिए लाया था। उसने शव चालान पर अपना हस्ताक्षर एवं ऋषि मुनि सिंह का हस्ताक्षर सिद्ध किया है। उसने कथन किया है कि शव-परीक्षण के बाद उसने मृत शरीर मृतक के भाई को सौंप दिया था।

20. अ॰ सा॰ 19 हुसाई कच्छप बिष्टुपुर पुलिस थाना में सब-इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत था। उसने कथन किया है कि 8.8.1987 को घटना की सूचना पाने पर वह इंस्पेक्टर एस॰ के॰ राय, एस॰ आई॰ भगवान प्रसाद, एस॰ आई॰ एच॰ आर॰ दूबे और अन्य के साथ घटना स्थल पर गया था जहाँ उसने निर्मल महतो को घायल दशा में देखा था। सूरज मंडल भी वहाँ उपस्थित था। निर्मल महतो को जीप पर टी॰ एम॰ एच॰ भेजा गया था। उसे सूचित किया गया था कि बिरेन्द्र सिंह और उसके भाई नरेन्द्र सिंह द्वारा निर्मल महतो पर प्रहार किया गया था। वह बिरेन्द्र सिंह की तलाश में बाहर गया किंतु वह उसे नहीं पा सका था। तत्पश्चात वह टी॰ एम॰ एच॰ गया, उस समय तक, निर्मल महतो की मृत्यु हो गयी थी। उसने मृत शरीर का मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार किया था जिसे उसने अपने लेखन एवं हस्ताक्षर में सिद्ध किया है जिसे पहले प्रदर्श 14 चिन्हित किया गया था। उसने यह कथन भी किया है कि उसने शव परीक्षण के लिए मृत शरीर को भेजने के लिए मृत शरीर चालान तैयार किया जिसे भी उसने अपने लेखन एवं हस्ताक्षर में सिद्ध किया जिसे पहले प्रदर्श 16 चिन्हित किया गया था। उसने कथन किया है कि घटना स्थल पर उसे सूचित किया गया था कि बिरेन्द्र सिंह एवं उसके भाई धीरेन्द्र सिंह द्वारा अपराध किया गया था। इस बिन्दु पर इस गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया था और अभियोजन द्वारा अपने प्रति परीक्षण में उसने स्वीकार किया है कि सी॰ बी॰ आई॰ के समक्ष उसने बिरेन्द्र सिंह, पप्पू एवं पंडित का नाम प्रकट किया था जिसे उसे घटना स्थल पर सूचित किया गया था। उसने बचाव द्वारा अपने प्रति परीक्षण में कार जिस पर अभियुक्तगण आए थे के बारे में कथन किया है और कथन किया कि यह सं॰ BRV 2522 वाली उजले रंग की मारुति कार थी इस बिंदु पर भी, इस गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया है और अभियोजन द्वारा अपने प्रति परीक्षण में उसने कथन किया है कि उसे जानकारी नहीं है कि उसने सी॰ बी॰ आई॰ के समक्ष कथन किया था कि यह संख्या TEA 2544 वाली गहरे हरे रंग की एम्बैस्डर कार थी।

21. अ॰ सा॰ 20 कृष्ण कांत सिंह सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी है, जिसने कथन किया है कि उसने 10.8.1987 को पूर्व आई॰ ओ॰ से बिष्टुपुर पी॰ एस॰ केस सं॰ 169/1987 के अन्वेषण का प्रभार लिया

था और उसने सूरज मंडल तथा अखिलेश्वर सिंह जिसे इस मामले के संबंध में गिरफ्तार किया गया था सहित अन्य गवाहों का बयान दर्ज किया था। उसने अखिलेश्वर सिंह के चालक मो॰ अख्तर हुसैन को भी गिरफ्तार किया था। उसने सुनील सिंह के रिवाल्वर एवं दागे गए कारतूसों का परीक्षण सार्जेन्ट मेजर द्वारा करवाया था और उसने उससे रिपोर्ट भी प्राप्त किया था। उसने कथन किया है कि अपने वरीय अधिकारियों के आदेशों पर उसने सी॰ बी॰ आई॰ को अन्वेषण का प्रभार सौंप दिया। इस गवाह के प्रति परीक्षण में अधिक महत्व का कुछ भी नहीं है।

22. अ॰ सा॰ 22 शोभराज ठाकुर सी॰ बी॰ आई॰ इंस्पेक्टर है जिसने 8.8.2000 को पूर्व आई॰ ओ॰ से अन्वेषण का प्रभार लिया था और उस समय तक, वर्तमान अभियुक्तों को फरार दर्शाते हुए बिरेन्द्र सिंह के विरुद्ध पूर्व आई॰ ओ॰ द्वारा आरोप-पत्र पहले ही दाखिल कर दिया गया था। उसे 8.8.2000 को सूचित किया गया था कि धीरेन्द्र सिंह उर्फ पप्पू ने 1.8.2000 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। तत्पश्चात, 21.8.2000 को उसने धीरेन्द्र सिंह उर्फ पप्पू को तीन दिन के लिए पुलिस रिमान्ड पर लिया और उससे पूछताछ किया। उसने 28.9.2000 को धीरेन्द्र सिंह उर्फ पप्पू के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया। उसने धीरेन्द्र सिंह उर्फ पप्पू के विरुद्ध दाखिल पूरक आरोप पत्र को और उस पर हस्ताक्षरों को सिद्ध किया है जिसे प्रदर्श 20 श्रृंखला चिन्हित किया गया था। उसने गवाह का समन भी सिद्ध किया।

23. अ॰ सा॰ 23 सुरेन्द्र कुमार रॉय है जो आरक्षी उप अधीक्षक, सी॰ आई॰ डी॰, राँची था। उसने कथन किया है कि 1986-87 में वह बिष्टुपुर पुलिस थाना में पदस्थापित था और 6.1.1987 को अभियुक्त बिरेन्द्र सिंह ने निर्मल महतो के विरुद्ध परिवाद दर्ज किया था जिसे उसने थाना डायरी में प्रविष्ट किया था और गोलमुरी पुलिस थाना भेजा था। उसी तिथि पर उसने निर्मल महतो द्वारा बिरेन्द्र सिंह के विरुद्ध परिवाद प्राप्त किया था जिसे भी उसने गोलमुरी पुलिस थाना भेजा था। उसने अपने लेखन एवं हस्ताक्षर में दोनों परिवादों पर अग्रसर रिपोर्ट भी सिद्ध किया है जिन्हें प्रदर्श 22 एवं 23 चिन्हित किया गया था। उसने कथन किया है कि 8.8.1987 को उसे सूचित किया गया था कि चमरिया अतिथिशाला में गोली चली थी और उसने दिनांक 8.8.1987 की संख्या 246 वाला आवश्यक थाना डायरी प्रविष्टि किया जिसे भी उसने पहचाना और सिद्ध किया जिसने प्रदर्श 24 चिन्हित किया गया था। उसने कथन किया है कि वह अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ चमरिया अतिथिशाला गया था और उसने निर्मल महतो को आग्नेयास्त्र द्वारा घायल हुआ और खून बहता देखा था जिसे जीप में उठाया गया था। उसने सूरज मंडल को भी घायल दशा में देखा जो भी जीप में बैठा था और उन्हें टी॰ एम॰ एच॰ ले जाया जा रहा था। यह गवाह भी टी॰ एम॰ एच॰ गया जहाँ डाक्टर ने निर्मल महतो को मृत लाया गया घोषित किया। अस्पताल में, सूरज मंडल का बयान दर्ज किया गया था, जिसके आधार पर बिरेन्द्र सिंह, पंडित, पप्पू एवं अखिलेश्वर सिंह के विरुद्ध दिनांक 8.8.1987 का बिष्टुपुर पी॰ एस॰ केस सं॰ 169 दर्ज किया गया था और उसने स्वयं अन्वेषण का प्रभार लिया। उसने सूरज मंडल का फर्दबयान और अपने लेखन एवं हस्ताक्षर में फर्दबयान पर पृष्ठांकन पहचाना है जिसे प्रदर्श 25 चिन्हित किया गया था। उसने फर्दबयान पर सूरज मंडल का हस्ताक्षर भी सिद्ध किया है जिसे प्रदर्श 25/1 चिन्हित किया गया था। इस गवाह ने अपने लेखन एवं हस्ताक्षर में औपचारिक प्राथमिकी भी सिद्ध किया है जिसे प्रदर्श 26 चिन्हित किया गया था। उसने कथन किया है कि उसके अनुदेशों के अधीन मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट एवं मृत शरीर चालान तैयार किया गया था। एक सं॰ DEA 2544 वाली एम्बैसडर कार, दो जोड़ी चप्पल और अतिथिशाला के पोर्टिको से रक्त जब्त किया गया था और दो गवाहों की उपस्थिति में अभिग्रहण सूची तैयार की गयी थी। उसने अभिग्रहण सूची सिद्ध किया है जिसे प्रदर्श 27 चिन्हित किया गया था और उसने अभिग्रहण सूची पर हस्ताक्षरों को भी सिद्ध किया है जिन्हें प्रदर्श 27 श्रृंखला चिन्हित किया गया था। इस गवाह ने कथन किया है कि डॉ॰ एस॰ एस॰ प्रसाद ने मृतक का शव-परीक्षण किया था और उसने मुहरबंद छोटे बोतल में मृत शरीर से निकाला

गया पेलेट्स प्राप्त किया। उसने शव परीक्षण रिपोर्ट भी प्राप्त किया। उसने छोटी बोतल को पहचाना है, जिसमें पेलेट्स को मुहरबंद दशा में प्राप्त किया गया था, जिसे तात्विक प्रदर्श I चिन्हित किया गया था। उन्होंने बुलेट तथा छर्रों की भी पहचान की है, जिसे प्रदर्श II तथा III चिन्हित किया गया था। प्लास्टिक ग्लास जिसमें रक्त जब्त किया गया था, उसकी पहचान पर तात्विक प्रदर्श IV चिन्हित किया गया था। उसकी पहचान पर मृतक का अंडरवियर तात्विक प्रदर्श-V चिन्हित किया गया था। उसने घटना स्थल से जब्त की गयी दो जोड़ी चप्पलों को भी पहचाना है जिन्हें तात्विक प्रदर्श VII एवं VII/1 चिन्हित किया गया था। उसने कथन किया है कि उसने अखिलेश्वर सिंह को गिरफ्तार किया था।

24. अ॰ सा॰ 26 जगजीत सिंह है जो सी॰ बी॰ आई॰ अधिकारी है। उसने कथन किया है कि इस मामले में धीरेन्द्र सिंह उर्फ पप्पू एवं नरेन्द्र सिंह उर्फ पंडित को फरार दर्शाते हुए बिरेन्द्र सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र पहले दाखिल किया गया था। सी॰ बी॰ आई॰ को 25.9.2002 को सूचित किया गया था कि नरेन्द्र सिंह उर्फ पंडित ने एक अन्य मामले में न्यायिक दंडाधिकारी, जमशेदपुर के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। इस गवाह को मामले का अन्वेषण करने के लिए कहा गया था और उसने नरेन्द्र सिंह उर्फ पंडित को पुलिस रिमान्ड पर लिया और उससे पूछताछ किया। उसने न्यायालय में नरेन्द्र सिंह उर्फ पंडित को पहचाना है। उसने कथन किया है कि अन्वेषण के बाद उसने इस अभियुक्त के विरुद्ध पूरक आरोप पत्र दाखिल किया जिसे उसने सिद्ध किया और इसे प्रदर्श 33 चिन्हित किया गया था।

25. अ॰ सा॰ 28 राजकिशोर सिंह एक अन्य सी॰ बी॰ आई॰ अधिकारी है जिसने अखिलेश्वर सिंह द्वारा उसके समक्ष दिए गए बयान के बारे में कथन किया है। अ॰ सा॰ 29 नवीन चंद्र झा है जो एक अन्य सी॰ बी॰ आई॰ अधिकारी है जिसने मामले में कुछ अन्वेषण किया था और दो गवाहों अर्थात् मो॰ अख्तर हुसैन एवं ज्ञानरंजन जी का बयान दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन दर्ज करवाया था। अन्वेषण के बाद, उसने पप्पू एवं पंडित को फरार दर्शाते हुए बिरेन्द्र सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था। उसने आरोप-पत्र पहचाना है जिसे प्रदर्श 34 चिन्हित किया गया था।

26. अ॰ सा॰ 31 टी॰ एन॰ कपूर है जो सेवानिवृत्त सी॰ बी॰ आई॰ अधिकारी है और उसने भी मामले में कुछ अन्वेषण किया था। उसने सी॰ बी॰ आई॰ द्वारा लिखी गयी प्राथमिकी सिद्ध किया है। उसने सूरज मंडल, ज्ञान रंजन जी, इंद्र कुमार चौधरी, धनंजय महतो, एच॰ कच्छप, इंस्पेक्टर एस॰ के॰ रॉय, इंस्पेक्टर के॰ के॰ सिंह एवं इंस्पेक्टर घोष का बयान भी दर्ज किया है। उसने कथन किया है कि हुसाई कच्छप ने अपने साक्ष्य में कार का नंबर DEA 2544 दिया था। उसने यह कथन भी किया है कि उसने तात्विक प्रदर्शों को परीक्षण के लिए सी॰ एफ॰ एस॰ एल॰, नयी दिल्ली भेजा था और उसने पत्रों को सिद्ध किया है जिनके माध्यम से तात्विक प्रदर्श भेजे गए थे। उसने यह तथ्य भी सिद्ध किया है कि उसने चमरिया अतिथिशाला से एम॰ वी॰ रमन से मुलाकाती रजिस्टर भी जब्त किया था और अभिग्रहण सूची तैयार किया था जिस पर उसने एम॰ वी॰ रमन का हस्ताक्षर भी किया था जिसे उसने सिद्ध किया और इसे प्रदर्श 52 चिन्हित किया गया था। उसने यह कथन भी किया है कि अन्वेषण के दौरान, उसने मृतक के मृत शरीर से निकाले गए बुलेट एवं चलाए गए कारतूसों जिन्हें उसने परीक्षण के लिए सी॰ एफ॰ एस॰ एल॰, नयी दिल्ली भेजा था, के साथ कुछ अन्य व्यक्तियों से रिवाल्वर, डी॰ बी॰ बी॰ एल॰ बंदूक एवं पैन्ट जब्त किया है। उसने पत्र सिद्ध किया है, जिसके माध्यम से तात्विक प्रदर्श भेजे गए थे। उसने कथन किया है कि उसने अन्वेषण के दौरान बिरेन्द्र सिंह को रिमान्ड पर लिया था और उसने उससे पूछताछ भी किया, था किंतु उस समय तक पप्पू एवं पंडित को गिरफ्तार नहीं किया गया था। तत्पश्चात, उसने अपने स्थानान्तरण पर अन्वेषण का प्रभार सौंप दिया।

27. अ॰ सा॰ 32 योगेन्द्र सिंह एक अन्य सी॰ बी॰ आई॰ अधिकारी है, जिसने भी कुछ अन्वेषण किया था और कुछ गवाहों का बयान दर्ज किया था। उसने 14.12.1987 को निर्मल भट्टाचार्य से एक पैन्ट

एवं कमीज लिया था जो रक्तरंजित थे और उसने उसको जब्त किया और अभिग्रहण सूची तैयार किया जिसे उसके पहचान पर प्रदर्श 54 चिन्हित किया गया था। उसने उन कमीज पैन्ट को भी पहचाना था जिन्हें तात्विक प्रदर्श IX एवं X चिन्हित किया गया था।

28. अ॰ सा॰ 33 नरेश कुमार शर्मा है जो भी सी॰ बी॰ आई॰ अधिकारी था। इस गवाह ने अपने द्वारा किए गए कुछ अन्वेषण के बारे में कथन किया था और कुछ जब्ती किया था। उसने रसीद सं॰ 359 के अधीन डॉ॰ एस॰ एस॰ प्रसाद से मृतक का वस्त्र प्राप्त किया था जिसे पहले प्रदर्श चिन्हित किया गया था। इस गवाह ने कुछ आग्नेयास्त्र एवं कारतूस तथा अन्य सामग्री भी जब्त किया है।

29. अ॰ सा॰ 24 रूप सिंह है जो बैलिस्टिक डिविजन, सी॰ एफ॰ एस॰ एल॰, नयी दिल्ली के वैज्ञानिक अधिकारी एवं अध्यक्ष के रूप में कार्यरत था। इस गवाह का परीक्षण विस्तारपूर्वक किया गया है जिसमें उसने कतिपय पत्रों तथा अन्वेषण एजेन्सी द्वारा प्राप्त किए गए प्रश्नों को सिद्ध किया है जिसे प्रदर्श चिन्हित किया गया था। उसने कथन किया है कि प्रदर्श A/1, A/13, A/14 एवं A/16 चिन्हित चार पार्सलों का परीक्षण बायोलॉजिकल विभाग, सी॰ एफ॰ एस॰ एल॰, नयी दिल्ली में किया गया था और उनके द्वारा पृथक रिपोर्ट दाखिल किया गया था। इस गवाह द्वारा छोटे ग्लास के बोतलों में दो बुलेटों एवं तीन छोटे लेड पेलेटों को प्राप्त किया गया था जो मुहरबंद एवं अक्षुण्ण थे जब इन्हें प्राप्त किया गया था। उन्हें भी बायोलॉजिकल परीक्षा के लिए बायोलॉजिकल विभाग भेजा गया था। मुहर खोलने के बाद, उनका परीक्षण किया गया था और परीक्षण के बाद उनको मुहरबंद दशा में प्राप्त किया गया था। उसने कथन किया है कि टेस्ट फायरिंग और माइक्रोस्कोपिक परीक्षणों सहित प्रयोगशाला परीक्षण किया गया था और उसने टेस्ट फायरिंग तथा माइक्रोस्कोप के नीचे दागे गए कारतूसों की तुलना के बारे में अपना रिपोर्ट सिद्ध किया है जो दिनांक 13.4.1988 का है जिसे उसकी पहचान पर प्रदर्श 30 चिन्हित किया गया था। उसने कथन किया है कि किसी देशी आग्नेयास्त्र से और न कि नियमित रिवाल्वर से बुलेट दागे गए थे। लेड पेलेट्स के बारे में, उसने कथन किया है कि वे स्टैन्डर्ड सुपर फिसियल शार्टगन पेलेट्स थे और न कि बुलेट के स्पिलंटर। कोई निश्चित मत नहीं दिया जा सका था कि क्या उन्हें डी॰ बी॰ बी॰ एल॰ बंदूक सें दागा गया था। उसने यह कथन भी किया है कि सामग्रियों जिन्हें उसके द्वारा प्राप्त किया गया था को परीक्षण के बाद एस॰ पी॰, सी॰ बी॰ आई॰ को वापस लौटा दिया गया था। अपने प्रति परीक्षण में इस गवाह ने कथन किया है कि बुलेटों को दो फीट से कम दूरी से निकट से चलाया गया था और यह दृष्टिकोण कुछ छोटे देशी आग्नेयास्त्र से दागे गए बुलेटों के परीक्षण एवं शव परीक्षण रिपोर्ट जिसने जख्मों के इर्द-गिर्द कालिमा एवं टैटूइंग की मौजूदगी उपदर्शित किया था पर आधारित था। ये दोनों बुलेट दो भिन्न बोर एवं कैलिबर के थे और सामान्यत: राइफलों में उपयोग किए जाते हैं। दोनों बुलेटों पर स्टैन्डर्ड लैंड/ग्रूब चिन्हों की अनुपस्थिति उपदर्शित करते हैं कि इन्हें स्टैन्डर्ड राइफलों से नहीं बल्कि देशी पिस्तौल से चलाया गया था।

30. अ॰ सा॰ 25 चिमन भाई मोती भाई पटेल न्यायालयिक प्रयोगशाला के सहायक निदेशक हैं। उसने कथन किया कि वह 1982 से 1991 तक सी॰ एफ॰ एस॰ एल॰, नयी दिल्ली में वरीय वैज्ञानिक अधिकारी, ग्रेड II के रूप में कार्यरत था। उसने भी उसे भेजे गए कुछ पत्रों को सिद्ध किया है। इस गवाह ने कथन किया है कि उसने प्रदर्शों के छोटे क्लिपिंग/भाग को प्राप्त किया जो अंडरवियर, रक्तरंजित कागज का भाग, प्लास्टिक ग्लास, दो बुलेटों एवं तीन पेलेट्स का स्टेन प्रीपेयर्ड थ्रेट्स के क्लिपिंग थे। इन सामग्रियों को रक्त उद्‌गम और ग्रूपिंग के लिए भेजा गया था और परीक्षण के बाद उसने तीन शीट्स में अपना रिपोर्ट तैयार किया। उसने इन्हें सिद्ध किया है जिन्हें प्रदर्श 32 श्रृंखला चिन्हित किया गया था। उसने अंडर वियर, प्लास्टिक ग्लास एवं दो बुलेटों तथा तीन पेलेट्स पर ए॰ बी॰ समूह का मानव रक्त पाया। वह रक्त रंजित

कागज पर रक्त समूह नहीं पा सका था किंतु उसने कागज पर भी मानव रक्त पाया था। उसके साक्ष्य को अविश्वसनीय बनाने के लिए उसके प्रति परीक्षण में कुछ नहीं है।

31. अ॰ सा॰ 30 डॉ॰ वी॰ के॰ गोयल हैं जो सी॰ एफ॰ एस॰ एल॰, नयी दिल्ली में उपनिदेशक–सह–प्रभारी निदेशक के रूप में पदस्थापित थे जिन्होंने भी आरक्षी अधीक्षक, सी॰ बी॰ आई॰ से प्राप्त कुछ पत्रों को सिद्ध किया है। प्रासंगिक समय पर वह वरीय वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में कार्यरत था। इस गवाह ने रक्त परीक्षण किया, जिसमें उसने अंडरवियर एवं प्लास्टिक ग्लास में मानव रक्त पाया। उसने भी सी॰ एफ॰ एस॰ एल॰ के रिपोर्टों को सिद्ध किया है जिन्हें प्रदर्श चिन्हित किया गया था।

32. बचाव द्वारा समस्त पूर्वोक्त अधिकारियों का परीक्षण किया गया था किंतु उनके साक्ष्य से विद्वान बचाव अधिवक्ता द्वारा कुछ भी महत्वपूर्ण इंगित नहीं किया गया था।

33. दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन दर्ज अपीलार्थियों के बयानों से, यह प्रतीत होता है कि उनके विरुद्ध सामने आने वाली समस्त परिस्थितियों को विचारण न्यायालय द्वारा विस्तारपूर्वक रखा गया है। विचारण न्यायालय में अपीलार्थियों द्वारा बचाव गवाह का परीक्षण नहीं किया गया था।

34. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि इन अपीलार्थियों को इस मामले में झूठा आलिप्त किया गया है और अभियोजन उनके विरुद्ध आरोप सिद्ध करने में सक्षम नहीं हुआ है। विद्वान अधिवक्ता ने इंगित किया कि अभियोजन मामला मुख्यत: केवल तीन चश्मदीद गवाहों पर निर्भर करता है जिन्होंने अपीलार्थियों को नामित किया है किंतु उनके साक्ष्य विरोधाभास से भरे हैं। यह निवेदन किया गया है कि प्राथमिकी में अपीलार्थी धीरेन्द्र सिंह उर्फ पप्पू के विरुद्ध प्रहार का अभिकथन नहीं है और इस दशा में घटना स्थल पर उसकी उपस्थिति पूर्णत: संदेहपूर्ण है। केवल अन्वेषण के दौरान अभियोजन मामला विकसित किया गया है और इस अपीलार्थी के विरुद्ध प्रहार का अभिकथन किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि अ॰ सा॰ 7 मो॰ अख्तर हुसैन के साक्ष्य से यह प्रतीत होगा कि धीरेन्द्र सिंह उर्फ पप्पू की पहचान बिल्कुल संदेहपूर्ण है। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अ॰ सा॰ 7 अत्यन्त हितबद्ध गवाह है क्योंकि उसे पहले इस मामले में अभियुक्त बनाया गया था किंतु बाद में उसे इस मामले में गवाह बनाया गया था और इस दशा में, उसके साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार का साक्ष्य अ॰ सा॰ 15 अखिलेश्वर सिंह का है, किंतु तथ्य बना रहता है कि इस गवाह ने इन अपीलार्थियों के विरुद्ध कुछ भी कथन नहीं किया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि इन अपीलार्थियों से कोई आग्नेयास्त्र जब्त नहीं किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि यद्यपि अ॰ सा॰ 7 मो॰ अख्तर हुसैन ने इन दोनों अपीलार्थियों को नामित किया है, किंतु उसने स्पष्टत: कथन किया है कि वह नहीं कह सकता था कि किसके प्रहार द्वारा निर्मल महतो घायल हुआ था। आगे यह निवेदन किया गया है कि अ॰ सा॰ 8 निर्मल भट्टाचार्य ने कथन किया है कि निर्मल महतो पर पीछे से पंडित द्वारा प्रहार किया गया था और पप्पू ने आग्नेयास्त्र से उसके चेहरा पर प्रहार किया था जबकि, अ॰ सा॰ 27 सूरज मंडल ने कथन किया है कि पप्पू ने मृतक का कॉलर पकड़ लिया था और पंडित ने पीछे से मृतक पर प्रहार किया था। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इन अपीलार्थियों के विरुद्ध चश्मदीद गवाहों का साक्ष्य विरोधाभास से भरा है और इस तथ्य की दृष्टि में कि मृतक और इन अपीलार्थियों के भाईयों अर्थात् बिरेन्द्र सिंह के बीच स्वीकृत दुश्मनी थी जैसा मृतक के भाई अ॰ सा॰ 16 सुधीर महतो द्वारा कथन किया गया है, अपीलार्थियों को झूठा आलिप्त किए जाने से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह निवेदन किया गया है कि चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य में महत्वपूर्ण विरोधाभास की दृष्टि में, ये अपीलार्थीगण कम से कम संदेह के लाभ का हकदार हैं।

35. दूसरी ओर, सी॰ बी॰ आई॰ के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया है और निवेदन किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश में अवैधता नहीं है। यह निवेदन किया गया है कि अ॰ सा॰ 27 सूरज मंडल मामले का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गवाह है जिसने अभियोजन मामले का पूर्ण समर्थन यह कथन करते हुए किया है कि इन अपीलार्थियों ने अपने भाई बिरेन्द्र सिंह के साथ मृतक पर आग्नेयास्त्र से उसकी मृत्यु कारित करते हुए प्रहार किया था। यह निवेदन किया गया है कि इन समस्त तीनों अभियुक्तों को समस्त चश्मदीद गवाहों अर्थात् अ॰ सा॰ 7 मो॰ अख्तर हुसैन, अ॰ सा॰ 8 निर्मल भट्टाचार्य और अ॰ सा॰ 27 सूरज मंडल द्वारा लगातार नामित किया गया है। उनके चाक्षुक साक्ष्य में छोटे विरोधाभास हो सकते हैं जो समय बीतने के कारण स्वाभाविक है और अभियोजन मामले के प्रति घातक नहीं हैं। यह निवेदन किया गया है कि अपने सामान्य आशय को अग्रसर करने में समस्त तीनों अभियुक्तों ने आग्नेयास्त्र से मृतक पर उसकी मृत्यु कारित करते हुए प्रहार किया था। वस्तुतः बिरेन्द्र सिंह, जिसे गिरफ्तार किया गया था और पृथक रूप से विचारण किया गया था, को भी अपराध का दोषी पाया गया था और दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किया गया था, किंतु उसकी अपील लंबित रहने के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी। यह निवेदन किया गया है कि गवाहों का चाक्षुक साक्ष्य डॉ॰ एस॰ एस॰ प्रसाद अ॰ सा॰ 12 के साक्ष्य द्वारा पूर्णतः संपुष्ट किया गया है जिसने मृतक के चेहरे पर पेलेट्स उपहतियों सहित तीन मृत्यु पूर्व आग्नेयास्त्र उपहतियाँ पाया था और उसने विनिर्दिष्टतः कथन किया है कि मृत्यु आग्नेयास्त्र उपहतियों द्वारा कारित की गयी थी और उसने शव परीक्षण रिपोर्ट भी सिद्ध किया है जो प्रदर्श 5 है। अ॰ सा॰ 21 डॉ॰ ब्रज किशोर प्रसाद सिंह ने भी सूचक सूरज मंडल का उपहति रिपोर्ट सिद्ध किया है और उसने मृतक निर्मल महतो, उसको मृत घोषित करते हुए, के संबंध में अपने द्वारा तैयार की गयी रिपोर्ट को सिद्ध किया है। यह निवेदन किया गया है कि न्यायालयिक विशेषज्ञ गवाह अर्थात् अ॰ सा॰ 24 रूप सिंह, अ॰ सा॰ 25 चिन्मय भाई मोती भाई पटेल और अ॰ सा॰ 30 डॉ॰ वी॰ के॰ गोयल ने इस तथ्य का पूर्णतः समर्थन किया है कि तात्विक प्रदर्शों अर्थात् मृतक के अंडर वियर एवं मृतक के शरीर से निकाले गए बुलेटों एवं पेलेट्स पर मानव रक्त पाया गया था और तद्नुसार, अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपीलार्थियों के विरुद्ध मामला सिद्ध करने में सक्षम हुआ है। तद्नुसार, सी॰ बी॰ आई॰ के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इन अपीलार्थियों को सही प्रकार से भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 तथा आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किया गया है।

36. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं अभिलेख का परिशीलन करने पर हम पाते हैं कि यद्यपि प्रहार के तरीका के बारे में तीनों चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य में तनिक विरोधाभास हो सकता है, किंतु तथ्य बना रहता है कि तीनों चश्मदीद गवाहों अर्थात् अ॰ सा॰ 7 मो॰ अख्तर हुसैन, अ॰ सा॰ 8 निर्मल भट्टाचार्य एवं अ॰ सा॰ 27 सूरज मंडल ने इन अपीलार्थियों को अपने भाई बिरेन्द्र सिंह के साथ मृतक पर प्रहार करता हुआ नामित किया है। इन दोनों अपीलार्थियों को प्राथमिकी में भी नामित किया गया है और यह नहीं कहा जा सकता है कि प्राथमिकी से धीरेन्द्र सिंह उर्फ पप्पू की उपस्थिति पर संदेह होता है। तीनों चश्मदीद गवाहों का चाक्षुक साक्ष्य, यथा कथित, और प्राथमिकी इस तथ्य को स्पष्टतः सिद्ध करती है कि इन दो अपीलार्थियों सहित समस्त तीनों अभियुक्तगण घटनास्थल पर मौजूद थे और उन्होंने अपने सामान्य आशय को अग्रसर करने में आग्नेयास्त्र से मृतक पर प्रहार किया था और घटना में सूचक सूरज मंडल भी घायल हुआ था। अ॰ सा॰ 27 सूरज मंडल घायल होने के कारण घटना का स्वाभाविक चश्मदीद गवाह है और उसने अभियोजन मामले का पूर्णतः समर्थन किया है। उनके परिसाक्ष्य को अविश्वसनीय बनाने के लिए इन तीनों चश्मदीद गवाहों के प्रति परीक्षण में कुछ भी निकाला नहीं जा सका था। वस्तुतः अ॰ सा॰ 16 सुधीर महतो भी जो मृतक का भाई है जो घटना के बारे में सूचना पाने पर

अस्पताल पहुँचा था ने कथन किया है कि घायल सूरज मंडल एवं अन्य व्यक्ति अस्पताल में उपस्थित थे और उसको घटना के बारे में सूचित किया और कथन किया कि इन अपीलार्थियों सहित तीनों अभियुक्तगण ने मृतक पर उसकी मृत्यु कारित करते हुए गोली चलायी। न्यायालयिक विशेषज्ञों ने इस तथ्य को पूर्णत: सिद्ध किया है कि मृतक के अंडर वियर पर और मृतक के मृत शरीर से निकाले गए बुलेटों एवं पेलेट्स पर मानव रक्त का धब्बा मौजूद था। घटनास्थल से अन्वेषण अधिकारी द्वारा रक्त संग्रहित किया गया था और इसे भी मानव रक्त पाया गया था। चश्मदीद गवाहों का चाक्षुक साक्ष्य अ॰ सा॰ 12 डॉ॰ एस॰ एस॰ प्रसाद, और अ॰ सा॰ 17 डॉ॰ ब्रज किशोर प्रसाद सिंह तथा एफ॰ एस॰ एल॰ गवाहों अर्थात् अ॰ सा॰ 24 रूप सिंह, अ॰ सा॰ 25 चिन्मय भाई मोती भाई पटेल और अ॰ सा॰ 30 डॉ॰ वी॰ के॰ गोयल के चिकित्सीय साक्ष्य से पूर्णत: संपुष्ट किया गया है। यह विधि का सुनिश्चित सिद्धांत है कि यदि चाक्षुक साक्ष्य चिकित्सीय विशेषज्ञों के साक्ष्य द्वारा समर्थित किया जाता है, यहाँ वहाँ गवाहों के साक्ष्य में लघु अंतर एवं विपथन अतात्विक है।

37. पूर्वोक्त चर्चा की दृष्टि में, हम पाते हैं कि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने में सक्षम हुआ है। हम अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन अपराधों के लिए दोषी पाते हुए दिनांक 6.7.2005 के दोषसिद्धि के निर्णय और उनको भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपराध के लिए कठोर आजीवन कारावास भुगतने तथा आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन तीन वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश देने वाले दिनांक 14.7.2005 के दंडादेश, जैसा विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट VIII, जमशेदपुर द्वारा एस॰ टी॰ सं॰ 122 वर्ष 2001/एस॰ टी॰ सं॰ 240 वर्ष 2003 में पारित किया गया है, में दुर्बलता नहीं पाते हैं, जिसे एतद् द्वारा संपुष्ट किया जाता है। दोनों अपीलार्थीगण दंडादेश भुगतते हुए पहले से ही कारा में हैं।

38. हम इन अपीलों में गुणागुण नहीं पाते हैं और तद्नुसार, इन्हें खारिज किया जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अवर न्यायालय अभिलेख तुरन्त संबंधित न्यायालय को वापस भेजे जाएँ।

डॉ॰ एस॰ एन॰ पाठक, न्यायमूर्ति.–मैं सहमत हूँ।

---

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

सिकंदर नवाज खान

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (Cr.) No. 303 of 2016. Decided on 17th February, 2017.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 107—हत्या करने की धमकी–प्राथमिकी संस्थापित नहीं किया जाना–प्राथमिकी के दर्जकरण के समय पर केवल यह सूचना देखा जाना होगा कि क्या यह कोई संज्ञेय अपराध प्रकट करती है या नहीं–आरंभिक जाँच के बाद दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 107 के अधीन कार्यवाही आरंभ करने की अनुशंसा की गयी थी–पुलिस के पास आरंभिक जाँच करने का अवसर नहीं था क्योंकि अभिकथित अपराध संज्ञेय अपराध प्रकट करता है–प्रभारी, अधिकारी प्राथमिकी दर्ज करने के लिए और अन्वेषण करने के लिए बाध्य था–प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश जारी किया गया। (पैराएँ 7 एवं 8)

निर्णयज विधि.–(2014)2 SCC 1—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Hemant Kumar Shikarwar, For the Petitioner; Mr. Binod Singh, For the Respondents.

आदेश

याची के विद्वान अधिवक्ता श्री एच॰ के॰ सिकरवार तथा राज्य के विद्वान एस॰ सी॰ (एल॰ एन्ड सी॰) श्री बिनोद सिंह सुने गए।

2. इस रिट आवेदन में, याची ने प्रत्यर्थी सं॰ 6 को तुरन्त प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने के लिए प्रार्थना किया है क्योंकि संज्ञेय अपराध की कारिता से संबंधित चौपारन पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी (प्रत्यर्थी सं॰ 6) को लिखित रिपोर्ट दिया गया था।

3. यह प्रतीत होता है कि याची ने अपने मोबाइल में कुछ कॉल पाया था जिसमें उसकी हत्या करने की धमकी याची को दी गयी थी। याची प्रत्यर्थी सं॰ 6 को लिखित रिपोर्ट देते हुए व्हाट्स ऐप के माध्यम से प्रत्यर्थी प्राधिकारी को कॉलों की आवाज रिकॉर्डिंग प्रदान करता प्रतीत होता है। चूँकि प्राथमिकी संस्थित नहीं की गयी थी, याची ने संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष अनेक अभ्यावेदन दाखिल किया था, किंतु याची की शिकायत दूर करने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने के बजाए, एक गैर-प्राथमिकी दर्ज की गयी थी और दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 107 के अधीन कार्यवाही आरंभ करने का आदेश दिया गया था जिसमें याची को प्रथम पक्ष बनाया गया था और किसी अजहर खान को द्वितीय पक्ष बनाया गया था। प्राथमिकी संस्थित करने में प्रत्यर्थी प्राधिकारी की ओर से कार्रवाई न किये जाने से व्यथित होकर याची ने वर्तमान रिट आवेदन दाखिल किया है।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि लिखित रिपोर्ट के साथ उसके मोबाइल पर गाली-गलौज की भाषा एवं उसको दी गयी धमकी के बारे में प्रत्यर्थी सं॰ 6 सहित प्रत्यर्थी प्राधिकारियों को पर्याप्त प्रमाण दिया गया था और चूँकि संज्ञेय अपराध बनाया गया था, पुलिस आरंभिक जाँच किए बिना प्राथमिकी दर्ज करने के लिए बाध्य थी। विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आरंभिक जाँच की जा सकती थी यदि याची द्वारा किए गए अभिकथन गैर-संज्ञेय अपराध प्रकट करते हैं, किंतु चूँकि अपराध स्वयं संज्ञेय अपराध है, पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने के लिए बाध्य है। अपने प्रतिवाद के समर्थन में याची के विद्वान अधिवक्ता ने **ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2014)2 SCC 1** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को निर्दिष्ट किया है।

5. दूसरी ओर, विद्वान एस॰ सी॰ (एल॰ एन्ड सी॰) श्री विनोद सिंह ने कथन किया है कि चूँकि याची द्वारा किया गया प्राख्यान संज्ञेय अपराध गठित नहीं करता था, गैर-प्राथमिकी दर्ज की गयी थी और दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 107 के अधीन कार्यवाही आरंभ करने की अनुशंसा की गयी थी। यह कथन भी किया गया है कि औपचारिक अन्वेषण किया गया था जिसमें यह प्रकट किया गया था कि कुछ पूर्व दुश्मनी के कारण याची ने अभिकथन गढ़ा था और इसलिए, ऐसी परिस्थितियाँ प्राथमिकी के दर्जकरण कर हकदार नहीं बनाती है। निवेदन किया गया है कि यदि याची को प्राथमिकी के गैर दर्जकरण के संबंध में कोई शिकायत थी, याची परिवाद याचिका दाखिल करके सक्षम न्यायालय के पास जा सकता है और यदि इसे दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 156 (3) के अधीन पुलिस को भेजा जाता है, पुलिस ऐसे अपराध का अन्वेषण करने के लिए बाध्य है।

6. इस रिट आवेदन में विचारार्थ एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या यदि लिखित रिपोर्ट संज्ञेय अपराध प्रकट करता है, क्या पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने के लिए बाध्य है अथवा क्या आरंभिक जाँच की जा

सकती है और यदि तत्पश्चात आवश्यकता उद्भूत होती है अथवा यदि ऐसी जाँच संज्ञेय अपराध का अस्तित्व प्रकट करती है, प्राथमिकी संस्थित किया जा सकता है। पूर्वोक्त निरुपित प्रश्न का पहले ही **''ललिता कुमारी'' (ऊपर)** मामले में निर्णय की दृष्टि में समाधान कर दिया गया है जिसमें निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया था:–

*93. çkFkfedh d :i e vkjHkre lpuk nt djd çkIr fd, tku d fy, bfllr mí'; vU; ckrk d lkFk nkgjk gh çFker% fd nkfMd çfØ;k xfr'khy cuk;h tk; vkj vkjHk l vPNh rjg y[kc) gk vkj f}rh;r% fd lK; vijkèk dh dkfjrk d lcèk e çkIr dh x;h vkjHkre lpuk nt dh tk; rkfd ckn e dkb vydj.k ugh fd;k tk ldA***

94. çtkr= ,o Lor=rk d fl}kr ifyl 'kfDr;k ij fu;fer ,o çHkkoh fu;=.k j[ku dh ekx djr gA ,lh 'kfDr;k oky çkfèkdkfj;k ij fu;=.k j[ku dk ,d jkLrk mudh çR;d dkjokb dk nLrkothdj.k djuk gA rnulkj] lfgrk d vèkhu] ifyl dh dkjokb;k dk fy[kk tkuk ,o nLrkothÑr djuk çkoèkkfur fd;k x;k gA mnkgj.kLo#i] lfgrk dh èkkjk 41(1)(b) d vèkhu fxj¶rkjh dh fLFkfr e vkèkkjk d lkFk fxj¶rkjh eek vkKkid :i l fyf[kr e gkuk gkxk(lfgrk dh èkkjk 55 d vèkhu] ;fn fxj¶rkjh dju d fy, fdlh vfèkdkjh dk çfrfu;Dr fd;k tkrk g] rc mPprj vfèkdkjh dk vijkèk fy[kuk ,o nt djuk gkxk ftld fy, 0;fDr dk fxj¶rkj fd;k tkuk g(lfgrk dh èkkjk 91 d vèkhu nLrkot bfllr dju d fy, lcfèkr vfèkdkjh }kjk fyf[kr vkn'k ikfjr fd;k tkuk gkxk(lfgrk dh èkkjk 160 d vèkhu] xokg dk fyf[kr ukfVl tkjh fd;k tkuk gkxk rkfd ml viuk c;ku nt dju d fy, cyk;k tk ld(çR;d tCr dh x;h oLr d fy, vfHkxg.k eek@ipukek fy[kk tkuk gkxkA

95. ifyl dk lfgrk dh èkkjk 172 d vèkhu ;Fkk çkoèkkfur dl Mk;jh] ifyl vfèkfu;e dh èkkjk 44 d vèkhu ;Fkk çkoèkkfur tujy Mk;jh lfgr vud vfHky[kk dk j[ku dh vko';drk g tk lxfgr dh x;h çR;d lpuk] fujh{k.k fd, x, ?kVukLFkyk vkj ifyl vfèkdkfj;k dh leLr dkjokb;k dk nLrkothÑr dju e lgk;rk djrk g rkfd mudh xfrfofèk;k nLrkothÑr dh tk ldA bld vfrfjDr] xj lK; vijkèk dh dkfjrk l lcfèkr çkIr dh x;h çR;d lpuk Hkh lfgrk dh èkkjk 153 d vèkhu nt dh tkuh gkxhA

*96. çkFkfedh dk vfuok;; ntdj.k u doy nkfMd U;k; çnku ç.kkyh e ikjnf'krk lfuf'pr dju d fy, g cfYd ^^U;kf;d i;o{k.k** lfuf'pr dju d fy, Hkh gA èkkjk 157(1) 'kCn ^^rjUr** dk mi;kx djrh gA bl çdkj èkkjk 154(1) vFkok vU;Fkk d vèkhu çkIr dh x;h fdlh lpuk fjikV d :i e nMkfèkdkjh dk lE;d :i l lfpr dh tkuh gkxhA bl çdkj] lK; vijkèk dh dkfjrk u doy vUo"k.k ,tUlh dh tkudkjh e cfYd vèkhuLFk U;k;ikfydk dh tkudkjh e Hkh yk;h tkrh gA*

101. mí';k ,o dkj.kk d oDr0; d vulkj] xjhck d fgrk dk lj{k.k Li"Vr% lfgrk d e[; mí';k e l ,d gA lK; vijkèk dh dkfjrk l lcfèkr lpuk dk ntdj.k vkKkid cukuk lekt dh] fo'k"kr% n'k d xkeh.k ,o njLFk {k=k e xjhc dh enn djxkA

102. U;k;efr Mk0 oh0 ,l0 ekyheFk dh vè;{krk e nkfMd U;k; ç.kkyh d lèkkjk ij dfeVh u Hkh çkFkfedh d xj ntdj.k d dkj.k vud ykxk }kjk lkeuk dh x;h nn'kk dk Hkh è;ku e fy;k vkj vu'klk fd;k fd ifyl vfèkdkfj;k

d fo#) dkjokb dh tkuh pkfg, tk ,lh lpuk nt dju l budkj djr gA dfeVh u lçf{kr fd;k%

"7.19.1 nM çfØ;k lfgrk dh èkkjk 154 d vulkj] ifyl Fkkuk d çHkkjh vfèkdkjh dk lK; vijkèk dh dkfjrk l lcfèkr ekf[kd vFkok fyf[kr çR;d lpuk dk nt dju dh vkKk nh x;h gA ekeyk dk xj&ntdj.k ifyl d fo#) xHkhj ifjokn gA jk"Vh; ifyl vk;kx u viu prFk fjikV e n%[k trk;k fd ifyl] tgk ifyl Fkkuk e fofufn"V ifjokn nt fd, tkr g] vUo"k.k dju d fy, ekeyk nt dju l cprh gA blu Hkkjrh; ykd er lLFkku] u;h fnYyh }kjk ^Hkkjr e ifyl dh Nfo* d lcèk e lpkfyr vè;;u dk fufn"V fd;k ftlu lçf{kr fd;k fd 50% l vfèkd çR;fFk;k u ifyl Fkkuk e lkekU; çFkk d :i e ifjoknk d xj ntdj.k dk mYy[k fd;kA

7.19.2. dfeVh vu'klk djrh g fd leLr ifjoknk dk rjUr nt fd;k tkuk pkfg, ftle foQy gku ij lefpr dkjokb dh tkuh pkfg,A ;g jktuhfrd dk;ikydk rFkk ojh; vfèkdkfj;k dh eukn'kk e ifjoru vko';d cuk,xhA

xxx xxx xxx xxx

7.19.4. ntdj.k l lcfèkr nk vkj igy gA igyk] fofèk dh lefpr èkkjkvk dk voyc ugh yu d :i e ifyl }kjk vijkèkk dk U;uhdj.k gA ge bl çofÙk dk vuuekfnr djr gA fofèk dh lefpr èkkjkvk dk voyc vrxLr vijkèkk dh xHkhjrk dk è;ku e j[k fcuk fy;k tkuk pkfg,A f}rh; fook|d fyf[kr ifjoknk d ntdj.k l lcfèkr gA ifyl Fkkuk vfèkdkfj;k d chp lpdk] tk ekf[kd ifjokn dju vkr g dk fyf[kr ifjokn yku dk lykg nu dh çofÙk c< jgh gA ;g xyr gA ntdj.k foyfcr gkrk g ftldk ifj.kke vUo"k.k vkjHk dju vkj vijkfèk;k dk idMu e le; dh cgeY; gkfu e gkrk gA bld vfrfjDr] ifjoknh viu fe=k] lcfèk;k vkj dHkh dHkkj odhyk d lkFk lykg dju dk volj ikrk g vkj çk;h vijkèk c<k&p<k dj fn[kku ,o funk"k 0;fDr;k dk vkfylr dju dh çofÙk j[krk gA ;g vrrkxRok fopkj.k dk çfrdy :i l çHkkfor djrk gA lpuk] ;fn bl ekf[kd :i l fn;k x;k g] Fkkunkj }kjk le; xok; fcuk y[kc) fd;k tkuk pkfg, rkfd vfHkdfFkr vijkèk dk çFke fooj.k vfHky[k ij yk;k tk ldA

xxx xxx xxx xxx

7.20.11. ;g dfeVh d è;ku e vk;k g fd lK; ekeyk e Hkh ifyl vfèkdkjh çk;h ifjokn xg.k ugh djr g vkj ;g dgr g, fd vijkèk lK; ugh g ifjoknh dk okil Hkt nr gA dHkh&dHkkj ifyl jktuhfrd ;k vU; ncko ;k Hk"Vkpkj d dkj.k ekey dk lK; dkfV e yku d fy, rF;k dk rkMrh&ejkMrh g ;|fi ;g xj lK; gA bl [krjk dk ifyl vfèkdkjh ij mld }kjk çkIr fd, x, çR;d ifjokn dk nt djuk ckè;dkjh cuk dj jkdk tk ldrk gA bl dr0; dk Hkx ifyl vfèkdkfj;k }kjk 'kfDr dk n#i;kx jkdu d fy, fofèk e nMuh; vijkèk cukuk pkfg,A**

103. bldk vFk ;g g fd nt ugh dh x;h çkFkfefd;k dh l[;k yxHkx okLrfod :i l nt dh x;h çkFkfefd;k dh l[;k d lerY; gA ,u0 lh0 vkj0 ch0 vkdM tk n'kkr g fd o"k 2012 d nkjku Hkkjr e yxHkx 60 yk[k lK;

vijkèk nt fd, x, Fk] dk è;ku e j[kr g,] vijkèk Nik;k tkuk Lo; çR;d o"k yxHkx 60 yk[k dh lhek e gk ldrk gA bl çdkj ;g n[kk x;k g fd çkFkfefd;k dh , lh fo'kky l[;k çR;d o"k nt ugh dh tkrh g tk vijkèkk dh , lh fo'kky l[;k d ihfMrk d vfèkdkj dk mYy?ku gA

104. vijkèk Nikuk fofèk d 'kklu dk detkj dju dh vkj y tkrk g vkj bldk fofèk d 'kklu ij udkjkRed çHkko Hkh g pfd ykx fofèk d 'kklu dk lEeku djuk NkM nr gA bl çdkj] çkFkfefd;k dh , lh fo'kky l[;k dk xj ntdj.k lekt e fuf'pr vjktdrk dh vkj y tkrk gA

105. vr% èkkjk 154 dk fdlh vU; :i e iBu u doy lfgrk dh ;ktuk d ifr cfYd li.k lekt d çfr gkfudkjd gkxkA bl çdkj ;g n[kk tkuk g fd bl U;k;ky; u vud fofuf'pr ekeyk e ckj&ckj vfHkfuèkkfjr fd;k x;k g fd çkFkfedh dk ntdj.k vkKkid g ;fn ifyl dk lfgrk dh èkkjk 154 d vèkhu nh x;h lpuk lK; vijkèk dh dkfjrk çdV djrh gA

115. ;|fi ge Li"V 'kCnk e vfHkfuèkkfjr djr g fd lfgrk dh èkkjk 154 leLr lK; vijkèkk dh çkfIr ij çkFkfefd;k dk vkKkid ntdj.k çfrikfnr djrh g] fQj Hkh , l mnkgj.k gk ldr g tgk le; chru d lkFk vijkèkk dh mRifÙk ,o uohurk e ifjoru d dkj.k vkjfHkd tkp vko';d gk ldrk gA , lk ,d mnkgj.k MkDVjk dh vkj l fpfdRlh; mi{kk l lcfèkr vfHkdFkuk d ekeyk e gA doy ifjokn e vfHkdFkuk d vkèkkj ij fpfdRlk dk vfHk;kftr djuk vufpr ,o vlkE;ki.k gkxkA

119. vr%] ntdj.k vFkok xj ntdj.k d lcèk e vud çfrnkok dh nf"V e vko';d doy ;g g fd ifyl dk nh x;h lpuk e lK; vijkèk dh dkfjrk çdV djuk gkxkA , lh fLFkfr e] çkFkfedh dk ntdj.k vko';d gA fdr ;fn nh x;h lpuk e lK; vijkèk ugh curk g] rc çkFkfedh rjUr nt djuk vko';d ugh gkrk g rFkk lHkor% ifyl bl vfHkfuf'pr dju d lhfer ç;ktu l fd D;k lK; vijkèk fd;k x;k g] fdlh çdkj dh vkjfHkd tkp vFkok lR;kiu dj ldrh gA fdr] ;fn nh x;h lpuk Li"Vr% lK; vijkèk dh dkfjrk dk mYy[k djrh g] rjUr çkFkfedh nt dju d vykok dkb fodYi ugh gA çkFkfedh d ntdj.k d pj.k ij vU; fopkj çkIfxd ugh g] mnkgj.kLo#i] D;k >B :i l lpuk nh x;h g] D;k lpuk okLrfod g] D;k lpuk fo'oluh; g bR;kfnA bu fook|dk dk çkFkfedh d vUo"k.k d nkjku lR;kfir fd;k tkuk gkxkA çkFkfedh d ntdj.k d le; ij ek= ;g n[kk tkuk g fd D;k nh x;h lpuk çdVr% lK; vijkèk dh dkfjrk çdV djrh gA ;fn vUo"k.k d ckn nh x;h lpuk >Bh ik;h tkrh g] >Bh çkFkfedh nkf[ky dju d fy, ifjoknh dk vfHk;kftr dju dk fodYi lno gA**

7. इस प्रकार, उक्त उद्धृत न्यायिक उद्घोषणा का सादा पठन प्रकट करेगा कि प्राथमिकी के दर्ज करण के चरण पर केवल यह देखा जाना है कि क्या सूचना कोई संज्ञेय अपराध प्रकट करती है या नहीं। वर्तमान मामले में, आरंभिक जाँच की गयी है जैसा प्रतिशपथ पत्र में कथन किया गया है और तत्पश्चात गैर–प्राथमिकी सं॰ 71/107 दर्ज की गयी थी और दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 107 के अधीन कार्यवाही आरंभ

करने की अनुशंसा की गयी थी। पुलिस के पास आरंभिक जाँच करने का अवसर नहीं था क्योंकि याची द्वारा अभिकथित अपराध वस्तुत: संज्ञेय अपराध प्रकट करता है और ऐसे अभिकथन को देखते हुए प्रत्यर्थी सं॰ 6 प्राथमिकी दर्ज करने और अन्वेषण करने के लिए बाध्य था। अत:, ऐसी परिस्थितियों में, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित आज्ञा की दृष्टि में यह रिट आवेदन प्रत्यर्थी सं॰ 6 को प्राथमिकी दर्ज एवं संस्थित करने और तत्पश्चात विधि के अनुरुप अन्वेषण करने के निर्देश के साथ निपटाया जाता है।

8. पूर्वोक्त निर्देश के साथ यह आवेदन निपटाया जाता है।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk] U;k;efr

प्रवीण कुमार लाल

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

Cr.M.P. No. 794 of 2005. Decided on 17th February, 2017.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 218/120B—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955—धारा 7—लोक सेवक द्वारा अभिकथित कालाबाजारी–आपूर्ति निरीक्षक का दांडिक अभियोजन–संपूर्ण प्राथमिकी में याची के विरुद्ध लोक सेवक होने के नाते इस तरीके से जिसे वह जानता था कि यह गलत था से किसी अभिलेख अथवा लेखन विरचित करने का अभिकथन नहीं है–इस दशा में याची के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 218 के अधीन अपराध नहीं बनता है–इसी प्रकार से, न्यास के दांडिक भंग का अभिकथन नहीं है–प्राथमिकी जहाँ तक यह याची से संबंधित है अभिखंडित की गयी। (पैराएँ 11 से 14)

अधिवक्तागण.–M/s P.P.N. Roy, Pragati Prasad, For the Petitioner; A.P.P., For the State; Mr. T.N. Verma, For the Informant.

आदेश

याची के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अधिवक्ता और प्रत्यर्थी सं॰ 5 के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. यह आवेदन रामगढ़ पी॰ एस॰ केस सं॰ 161 वर्ष 2005, जी॰ आर॰ सं॰ 858 वर्ष 2005 के तत्सम, में याची के संबंध में प्राथमिकी के अभिखंडन की प्रार्थना के साथ दाखिल की गयी है जिसमें याची को अन्य सह-अभियुक्तों के साथ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 218/120B तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के अधीन अपराध के लिए अभियुक्त बनाया गया है।

3. प्राथमिकी प्रत्यर्थी सं॰ 5 द्वारा संस्थित की गयी थी जो तब रामगढ़ पुलिस थाना में पुलिस इंस्पेक्टर-सह-प्रभारी अधिकारी के रूप में पदस्थापित था। यह अभिकथित किया गया है कि छापा मारने वाली टीम के सदस्यों और तत्कालीन रामगढ़ पुलिस थाना के एस॰ आई॰ द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी थी यद्यपि 12.9.2003 को छापा के दौरान उन्होंने सह-अभियुक्त बिजय कुमार अग्रवाल के आटा मिल के सामने पार्क की गयी टाटा 407 मिनी ट्रक पर लादी जा रहे गेहूँ के 78 बैगों को बरामद किया। याची प्रासंगिक समय पर रामगढ़ टाउन क्षेत्र के आपूर्ति निरीक्षक के रूप में पदस्थापित था और वह छापा मारने वाले दल का सदस्य प्रतीत होता है। प्राथमिकी से यह प्रतीत होता है कि छापा के दौरान उक्त टाटा 407 मिनी ट्रक जब्त किया गया था और चार व्यक्तियों को गिरफ्तार

किया गया था और पुलिस थाना लाया गया था। प्राथमिकी में यह कथन किया गया है कि 13.9.2003 को पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी को प्रखंड आपूर्ति अधिकारी, रामगढ़ की रिपोर्ट के आधार पर, यह कथन करते कि गेहूँ की उगाही में अनियमितता नहीं हुई थी और आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन अपराध नहीं बनता है, पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी ने उक्त ट्रक और छापा के दौरान गिरफ्तार किए गए चार व्यक्तियों को निर्मुक्त किया। मामले में आगे अन्वेषण करने पर प्रत्यर्थी सं॰ 5 द्वारा गेहूँ की अभिकथित कालाबाजारी में दस्तावेज कूटरचित करके अंतर्ग्रस्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी थी, जिसमें याची जो प्रासंगिक समय पर रामगढ़ टाउन क्षेत्र के आपूर्ति निरीक्षक के रूप में पदस्थापित था, को भी अन्य अभियुक्तों के साथ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 218/120B एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 17 के अधीन अपराध के लिए अभियुक्त बनाया गया है। प्राथमिकी दर्शाती है कि छापा मारने वाले दल के अन्य सदस्य अथवा किसी पुलिस अधिकारी को मामले में अभियुक्त नहीं बनाया गया था।

4. प्राथमिकी में अभिकथित किया गया है कि उक्त बिजय कुमार अग्रवाल ने गेहूँ के 80 बैगों की खरीदारी दर्शाते हुए रसीद प्रस्तुत किया था और यह कथन किया गया था कि गेहूँ के बैग रजिस्ट्रेशन सं॰ MP-26-5696 वाले ट्रक पर परिवहित किए जा रहे थे जो बीच रास्ते खराब हो गया, और तद्नुसार, गेहूँ के बैग टाटा 407 मिनी ट्रक में लादे जा रहे थे जिन्हें पकड़ा गया था। यह कहानी संदेहपूर्ण पायी गयी थी और तद्नुसार प्राथमिकी यह अभिकथित करते हुए दर्ज की गयी थी कि रसीदें कूटरचित थी और झूठी कहानी बनायी गयी थी। प्राथमिकी में यह भी अभिकथित किया गया है कि मामले में प्रखंड आपूर्ति अधिकारी रामगढ़ की अंतर्ग्रस्तता थी क्योंकि उसने 12.9.2003 को रिपोर्ट नहीं दिया था, इस प्रकार अभियुक्तों को कूटरचित दस्तावेज प्राप्त करने का अवसर दिया था। याची को आपूर्ति निरीक्षक, रामगढ़ टाउन क्षेत्र के रूप में पदस्थापित होने के नाते मामले में अभियुक्त बनाया गया था, किंतु संपूर्ण प्राथमिकी में याची की भूमिका का उल्लेख नहीं है। प्रखंड आपूर्ति अधिकारी, रामगढ़ को भी मामले में अभियुक्त नहीं बनाया गया है जिसके विरुद्ध प्राथमिकी में अभिकथन है और यह कथन किया गया है कि वह अपराध में अंतर्ग्रस्त था। तद्द्वारा व्यथित होकर, याची ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन यह याचिका दाखिल किया और कथन किया कि याची के विरुद्ध अपराध नहीं बनता है भले ही प्राथमिकी में संपूर्ण तथ्य स्वीकार किए जाते हैं।

5. यह कथन किया जा सकता है कि यद्यपि स्वयं वर्ष 2005 में मामला दर्ज किया गया था, मामले का अन्वेषण अभी तक पूरा नहीं हुआ है और राज्य के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, मामला अभी भी अन्वेषण के अधीन है जिसे उसने केस डायरी के आधार पर दाखिल किया है।

6. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि प्राथमिकी के आधार पर याची के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के अधीन अथवा भारतीय दंड संहिता की धारा 218 के अधीन अपराध नहीं बनता है। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यह प्राथमिकी अभिखंडित करने के लिए सुयोग्य मामला है।

7. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता और प्रत्यर्थी सं॰ 5 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया है। किंतु, राज्य के विद्वान अधिवक्ता केस डायरी से भी कुछ भी इंगित नहीं कर सके थे कि याची की भूमिका क्या थी और राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अन्वेषण अभी भी लंबित है और तद्नुसार, अन्वेषण के दौरान याची की भूमिका पायी जा सकती है।

8. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं अभिलेख का परिशीलन करने पर मैं पाता हूँ कि यद्यपि प्राथमिकी आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के अधीन अपराध के लिए दर्ज की गयी है जो गेहूँ के 78 बैगों की जब्ती से संबंधित है, किंतु संपूर्ण प्राथमिकी में गेहूँ से संबंधित किसी नियंत्रण आदेश के उल्लंघन के बारे में उल्लेख नहीं है। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 का सादा पठन स्पष्टत: दर्शाता है कि इस धारा के अधीन अपराध बनाने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन किसी आदेश का उल्लंघन होना होगा। संपूर्ण प्राथमिकी में, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन पारित किसी आदेश के उल्लंघन का अभिकथन नहीं है।

9. तर्क के क्रम में भी, राज्य के विद्वान अधिवक्ता यह इंगित करने में सक्षम नहीं हुए हैं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अधीन जारी किस आदेश का वर्तमान मामले में उल्लंघन किया गया अभिकथित किया गया है बल्कि राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने केस डायरी के परिशीलन पर स्वीकार किया कि पर्यवेक्षण नोट में यह उल्लेख है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के अधीन अपराध नहीं बनता है, बल्कि पर्यवेक्षण नोट में यह उल्लेख है कि भारतीय दंड संहिता की धाराओं 409, 420, 379, 411, 218, 120B के अधीन अपराध बनता है।

10. भारतीय दंड संहिता की धारा 218 का पठन निम्नलिखित है:–

^^218. ***fdlh 0;fDr dks n.M ls ;k fdlh lEifÙk dks leigj.k ls cpkus ds vk'k; ls yksd lsod }kjk v'kq) vfHkys[k ;k ys[k dh jpuk*** *&tks dksbZ yksd lsod gksrs gq, vkSj ,sls yksd lsod ds ukrs dksbZ vfHkys[k ;k vU; ys[k r;kj djus dk Hkkj j[krs gq,] mlvfHkys[k ;k ys[k dh bl çdkj ls jpuk] ftls og tkurk gS fd v'kq) gS ykd dks ;k fdlh 0;fDr dks gkfu ;k {kfr dkfjr djus ds vk'k; ls ;k lHkkO;r% rn}kjk dkfjr djxk ;g tkurs gq, vFkok fdlh 0;fDr dks oèk n.M ls cpkus ds vk'k; ls ;k lHkkO;r% rn}kjk cpk,xk ;g tkurs gq, vFkok fdlh lEifÙk dks ,sls leigj.k ;k vU; Hkkj ls] ftlds nkf;Ro ds vèkhu og lEifÙk fofèk ds vuqlkj gS] cpkus ds vk'k; ls ;k lHkkO;r% rn}kjk cpk,xk ;g tkurs gq, djsxk] og nksuksa esa ls fdlh Hkkafr ds dkjkokl ls] ftldh vofèk rhu o"kZ rd dh gks ldsxh] ;k tqekZus ls] ;k nksuksa ls nf.Mr fd;k tk,xkA***

11. संपूर्ण प्राथमिकी में याची के विरुद्ध उसके लोक सेवक होने के नाते किसी तरीके से जिसे वह जानता था कि यह सही नहीं है, कोई अभिलेख अथवा लेखन विरचित करने का अभिकथन नहीं है और इस दशा में भारतीय दंड संहिता की धारा 218 के अधीन अपराध याची के विरुद्ध नहीं बनता है। ऐसा अभिकथन, यदि हो, प्रखंड आपूर्ति अधिकारी, रामगढ़ के विरुद्ध विनिर्दिष्ट है और न कि याची के विरुद्ध जो स्वीकृत रूप से आपूर्ति निरीक्षक, रामगढ़ टाउन क्षेत्र के रूप में पदस्थापित था। वस्तुत: प्रखंड आपूर्ति अधिकारी, रामगढ़ को इस मामले में अभियुक्त नहीं बनाया गया है।

12. इसके अतिरिक्त, संपूर्ण प्राथमिकी में, याची के विरुद्ध लोक सेवक होने के नाते न्यास का दांडिक भंग करने अथवा किसी चुरायी गयी संपत्ति को बेइमानी से प्राप्त करने अथवा कोई चोरी करने अथवा कोई छल करने और किसी संपत्ति के परिदाय को बेईमानी से प्रेरित करने का अभिकथन बिल्कुल नहीं है। इस दशा में, मेरे सुविचारित दृष्टिकोण में, भारतीय दंड संहिता की धाराओं 409, 411, 420 अथवा 379 के अधीन अपराधों के लिए भी, जो पर्यवेक्षण नोट के मुताबिक इस मामले में बनाया गया बताया गया है, याची के विरुद्ध अपराध नहीं बनता है।

13. पूर्वोक्त कारणों से, मेरा सुविचारित दृष्टिकोण है कि चूँकि प्राथमिकी में दिए गए बयान के आधार पर याची के विरुद्ध अपराध नहीं बनता है, याची के विरुद्ध दांडिक मामला जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है। इस दशा में, दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग में, न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने तथा न्याय का उद्देश्य सुरक्षित करने के लिए याची के विरुद्ध प्राथमिकी, जहाँ तक याची से संबंधित है, अभिखंडित करने के लिए सुयोग्य मामला है।

14. तद्नुसार, रामगढ़ पी॰ एस॰ केस सं॰ 161 वर्ष 2005, जी॰ आर॰ सं॰ 858 वर्ष 2005 में प्राथमिकी, जहाँ तक यह केवल याची से संबंधित है, एतद् द्वारा अभिखंडित की जाती है। परिणामस्वरुप, यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk ,o Mkñ ,lñ ,uñ ikBd] U;k;efrx.k

तपन घोष

cuke

लखी घोष

F.A. No. 234 of 2010 with I.A. No. 1273 of 2016. Decided on 11th January, 2017.

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955—धाराएँ 13 (1) (ia) एवं (i-b)—तलाक–पत्नी द्वारा क्रूरता एवं अभित्यजन–केवल दो अवसरों पर गाली गलौज की भाषा का उपयोग क्रूरता के रूप में नहीं माना जा सकता है ताकि तलाक का आधार बनाया जा सके–प्रत्यर्थी ने कथन किया है कि वह अभी भी अपने पति के साथ दांपत्य जीवन बिताने के लिए तैयार एवं इच्छुक है–कुटुम्ब न्यायालय द्वारा तलाक वाद की खारिजी का आदेश अभिपुष्ट किया गया है। (पैराएँ 12 से 14)

अधिवक्तागण.–Mr. D.K. Karmakar, For the Appellant; Mr. Sahjanand Sharma, For the Respondent.

आदेश

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. अपीलार्थी वैवाहिक वाद सं॰ 93 वर्ष 2008 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 4.10.2010 के निर्णय एवं डिक्री से व्यथित है, जिसके द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1) (ia) (ib) के अधीन तलाक की डिक्री द्वारा पक्षों के बीच विवाह के विघटन के लिए अपीलार्थी द्वारा दाखिल वाद अवर न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है।

3. यह कथन किया जा सकता है कि आक्षेपित निर्णय दर्शाता है कि अवर न्यायालय में मामला लंबित रहने के दौरान मामला मध्यस्थता केंद्र को निर्दिष्ट किया गया था और यह स्वीकृत अवस्था है कि पत्नी पति के साथ जाने के लिए तैयार है किंतु अपीलार्थी पत्नी को रखने के लिए तैयार नहीं था।

4. इस अपील के लंबित रहने के दौरान भी इस न्यायालय द्वारा पक्षों के बीच सुलह का प्रयास भी किया गया था और पक्षों के बीच विवाद के मैत्रीपूर्ण समाधान के लिए मामला झालसा के मध्यस्थ के समक्ष भेजा गया था। रिपोर्ट प्राप्त किया गया है जो दर्शाता है कि सर्वोत्तम प्रयास के बावजूद पक्षों के बीच अंतिम समझौता नहीं हो सका था और मध्यस्थता का प्रयास विफल रहा। तद्नुसार, मामला गुणागुण पर सुना गया है।

5. अपीलार्थी ने दो आधारों अर्थात् क्रूरता एवं अभित्यजन पर तलाक की डिक्री द्वारा पक्षों के बीच विवाह के विघटन के लिए वाद दाखिल किया। अपीलार्थी के मामले के अनुसार, पक्षों के बीच विवाह 15.4.2007 को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार संपन्न हुआ और पक्षगण साहचर्य जीवन बिताते हुए दांपत्य गृह में रहने लगे। सौहार्द्रपूर्ण संबंध लंबे समय तक जारी न रहा और यह अभिकथित किया गया है कि पत्नी का व्यवहार अपीलार्थी एवं उसके परिवार के सदस्यों को गंभीर चिढ कारित करते हुए असामान्य बन गया। यह अभिकथित किया गया है कि 13.7.2007 को वह अपीलार्थी की सहमति के बिना अपने भाई के साथ अपने माएके गयी और तत्पश्चात वह लगातार अपने माएके में रह रही थी। याची द्वारा उसको वापस लाने के प्रयास के बावजूद प्रत्यर्थी ने दांपत्यगृह वापस आने से इनकार कर दिया। अवर न्यायालय में अपीलार्थी का विनिर्दिष्ट मामला यह था कि वह अपनी पत्नी को पूर्ण मर्यादा के साथ अपने साथ रखने के लिए और जीवन में उसकी समस्त आवश्यकताएँ पूरी करके उसका भरण–पोषण करने के लिए सदैव तैयार एवं इच्छुक है। अपीलार्थी ने कुटुम्ब न्यायालय, जमशेदपुर में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अधीन दांपत्य अधिकार के प्रत्यास्थापन के लिए वाद भी दाखिल किया था जिसे वैवाहिक वाद सं॰ 263 वर्ष 2007 के रूप में संख्यांकित किया गया था, जो प्रत्यर्थी की गैर उपस्थिति के कारण लंबित रखा गया था। यह अभिकथित किया गया है कि अचानक 23.4.2008 को प्रत्यर्थी अपने संतान के साथ अपीलार्थी के घर आयी और घर के सामने खुले रूप से उपद्रव सृजित करते हुए भद्दी भाषा में अपीलार्थी के माता–पिता एवं बड़े भाई को गाली दिया। पुनः वही कृत्य 24.4.2008 को दोहराया गया था और उसने परिवार के समस्त सदस्यों को दांडिक मामलों में झूठा आलिप्त करने की धमकी भी दी। तद्नुसार, अपीलार्थी द्वारा अवर न्यायालय में क्रूरता एवं अभित्यजन के आधार पर तलाक के लिए वाद दाखिल किया गया था।

6. नोटिस पर प्रत्यर्थी उपस्थित हुई और अपने विरुद्ध किए गए समस्त अभिकथनों से इनकार करते हुए अपना कारण बताओ दाखिल किया। उसने कथन किया कि वह अपीलार्थी के साथ दांपत्य जीवन बिताने के लिए सदैव तैयार है। प्रत्यर्थी का मामला यह है कि उसे क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन किया गया था और दांपत्यगृह से बाहर निकाला गया था किंतु वह पुराने विवादों एवं मतभेदों को भुलाकर अपने पति के साथ दांपत्य जीवन बिताने के लिए तैयार है।

7. पक्षों के अभिवचनों के आधार पर, अवर न्यायालय द्वारा विवाद्यक विरचित किए गए थे, जिसमें विवाद्यक सं॰ 3 एवं 4 मामले में विनिश्चित किए जाने वाले मुख्य विवाद्यक थे अर्थात् क्या विवाह संपन्न होने के बाद प्रत्यर्थी ने याची के साथ क्रूरता किया और क्या प्रत्यर्थी ने याचिका की प्रस्तुति के तुरन्त पहले दो वर्षों से कम की लगातार अवधि के लिए याची का अभित्यजन किया। अभित्यजन से संबंधित विवाद्यक सं॰ 4 विधि की दृष्टि में टिका नहीं रहा था क्योंकि स्वयं याची के अनुसार प्रत्यर्थी 13.7.2007 को दांपत्य गृह से चली गयी थी, जबकि वाद 25.4.2008 को अर्थात् अभिकथित अभित्यजन की तिथि से एक वर्ष के भीतर वाद दाखिल किया गया था और तद्नुसार अभित्यजन के आधार पर तलाक की डिक्री के लिए मामला नहीं बनाया गया था। एकमात्र आधार जो मौजूद था प्रत्यर्थी पत्नी की अभिकथित क्रूरता थी।

8. अवर न्यायालय में अपीलार्थी की ओर से पाँच गवाहों का परीक्षण किया गया था जिसमें से एक गवाह अपने प्रति परीक्षण के लिए उपस्थित नहीं हुआ था और तद्नुसार विचार किए जाने के लिए केवल चार गवाह शेष रहे जो स्वयं याची अ॰ सा॰ 1 तपन घोष, अ॰ सा॰ 2 संजय कुमार राम, अ॰ सा॰ 4 सत्य नारायण एवं अ॰ सा॰ 5 अपीलार्थी का बड़ा भाई चंचल घोष थे। अपीलार्थी द्वारा अवर न्यायालय में कुछ

दस्तावेज भी सिद्ध किए गए थे जिन्हें प्रदर्श चिन्हित किया गया था और वे सी॰/1 मामला सं॰ 958 वर्ष 2008 में परिवाद याचिका एवं इसके आर्डरशीट्स थे जिन्होंने दर्शाया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अधीन और अन्य अपराधों के लिए मामला प्रत्यर्थी पत्नी द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध दाखिल किया गया था जिसके संबंध में अपीलार्थी कुछ अवधि के लिए न्यायिक अभिरक्षा में रहना पड़ा था। प्रत्यर्थी पत्नी सहित प्रत्यर्थी की ओर से चार गवाहों का परीक्षण किया गया था।

9. आक्षेपित निर्णय दर्शाता है कि याची की ओर से परीक्षण किए गए गवाहों अर्थात् अ॰ सा॰ 2 संजय कुमार राम तथा अ॰ सा॰ 4 सत्य नारायण ने याची के क्रूरता के मामले का समर्थन यह कथन करते हुए किया है कि 23.4.2008 तथा 24.4.2008 को प्रत्यर्थी याची के घर गयी थी और याची के परिवार के सदस्यों के विरुद्ध गाली–गलौज की भाषा का उपयोग किया था। अ॰ सा॰ 1 तपन घोष जो याची स्वयं है और अ॰ सा॰ 5 चंचल घोष जो याची का बड़ा भाई है ने 23.4.2008 तथा 24.4.2008 को परिवार के सदस्यों के साथ की गयी अभिकथित क्रूरता सहित प्रत्यर्थी के असामान्य व्यवहार एवं क्रूरता के कृत्यों के बारे में कथन किया है। इन गवाहों ने यह कथन भी किया है कि वह याची अथवा उसके माता–पिता की सहमति एवं अनुमति के बिना 13.7.2007 को दांपत्य गृह से चली गयी और तब से वह अपने माएका में रह रही है।

10. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं की जा सकती है क्योंकि अपीलार्थी यह सिद्ध करने में सक्षम रहा था कि प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी के साथ क्रूरता किया था। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन भी किया गया था कि यद्यपि अवर न्यायालय में मामला लंबित रहने के दौरान प्रत्यर्थी द्वारा याची के विरुद्ध केवल एक दांडिक मामला दाखिल किया गया था, किंतु बाद में, प्रत्यर्थी द्वारा याची के विरुद्ध एक अन्य दांडिक मामला दाखिल किया गया था और यह भी क्रूरता के तुल्य है। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यह सुयोग्य मामला है जिसमें अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री अपास्त किया जाए और तलाक की डिक्री द्वारा पक्षों के बीच विवाह विघटित किया जाए।

11. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया है और निवेदन किया है कि यद्यपि अपीलार्थी का मामला यह है कि प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी का अभित्यजन किया था और उसके एवं उसके परिवार के सदस्यों के साथ क्रूरता का व्यवहार किया था किंतु तथ्य बना रहता है कि अभित्यजन का आधार अवर न्यायालय में इस तथ्य की दृष्टि में टिका नहीं रहा था कि वाद अभित्यजन की अभिकथित तिथि के एक वर्ष की अवधि के भीतर दाखिल किया गया था। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया था कि वस्तुत: प्रत्यर्थी के साथ क्रूरता एवं यातना की जा रही थी और उसे दांपत्य गृह से निकाल दिया गया था जिस कारण उसने अपने पति के विरुद्ध दांडिक मामला दाखिल किया। यह निवेदन किया गया है कि प्रत्यर्थी की ओर से परीक्षण किए गए गवाहों ने प्रत्यर्थी के मामले का पूर्णत: समर्थन किया है और भले ही तर्क के लाभ के लिए दो तिथियों के अभिकथित दुर्व्यवहार के अभिकथन सत्य माने जाते हैं; इसे ऐसी प्रकृति की क्रूरता नहीं कही जा सकती है जो अपीलार्थी को तलाक की डिक्री का हकदार बनाए। तद्नुसार विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इस अपील में गुणागुण नहीं है।

12. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं अभिलेख का परिशीलन करने पर, हम पाते हैं कि यद्यपि गवाहों विशेषत: अपीलार्थी एवं उसके बड़े भाई ने प्रत्यर्थी की सामान्य क्रूरता एवं असामान्य व्यवहार के बारे में कथन किया है, किंतु अपीलार्थी का मामला यह था कि अपीलार्थी अपनी पत्नी को पूर्ण मर्यादा एवं सम्मान के साथ रखने तथा जीवन में उसकी समस्त आवश्यकताएँ प्रदान करके उसका

भरण–पोषण करने के लिए सदैव तैयार हैं। उसने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अधीन दांपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए वाद भी दाखिल किया था। इस प्रकार, दांपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए वाद की दाखिली के पहले अभिकथित क्रूरता, यदि हो, स्वयं अपीलार्थी के बयान द्वारा कम कर दी गयी। तत्पश्चात जो शेष है वह केवल प्रत्यर्थी द्वारा दो विनिर्दिष्ट अवसरों पर अर्थात् 23.4.2008 एवं 24.4.2008 को प्रत्यर्थी द्वारा प्रयुक्त गाली गलौज की भाषा का अभिकथन है। उसके अतिरिक्त, संपूर्ण वाद में प्रत्यर्थी द्वारा प्रयुक्त गाली–गलौज की भाषा का अभिकथन नहीं है।

13. हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, केवल दो अवसरों पर गाली गलौज की भाषा का उपयोग क्रूरता के रूप में माना नहीं जा सकता है ताकि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1) (1-a) के अधीन तलाक की डिक्री का आधार बनाया जा सके। तथ्य बना रहता है कि अवर न्यायालय में प्रत्यर्थी की ओर से परीक्षण किए गए गवाहों ने इन अभिकथनों से पूर्णत: इनकार किया है और प्रत्यर्थी का मामला यह है कि वह अपने पति अ॰ सा॰ 1 तपन घोष जो वर्तमान अपीलार्थी है, जिसने अपने प्रति परीक्षण में स्वीकार किया है कि मामला मध्यस्थता केंद्र को निर्दिष्ट किया गया था और यह सत्य है कि उसकी पत्नी उसके साथ जाने के लिए तैयार है किंतु वह अपनी पत्नी को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं है और उसकी पत्नी अभी भी उसके साथ रहने के लिए तैयार है, के साथ दांपत्य जीवन बिताने के लिए सदैव तैयार है।

14. हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, अभिकथित क्रूरता के आधार पर पक्षों के बीच विवाह के विघटन के लिए मामला नहीं बनाया गया है और अवर न्यायालय ने सही प्रकार से याची के विरुद्ध और प्रत्यर्थी के पक्ष में विवाद्यक विनिश्चित किया है। वैवाहिक वाद सं॰ 93 वर्ष 2008 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 4.10.2010 के आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री में किसी हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है।

15. इस अपील में गुणागुण नहीं है और तद्नुसार इसे खारिज किया जाता है। परिणामस्वरुप अंतर्वर्ती आवेदन भी निपटाया जाता है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

चंद्र नाथ साहू एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 4703 of 2005. Decided on 2nd March, 2017.

छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908—धारा 71A—भूमि का लौटाया जाना–याचीगण की अनुपस्थिति के कारण एक पक्षीय कार्यवाही–एस॰ ए॰ आर॰ मामले के संबंध में स्पष्ट तथ्यों को अभिलेख पर लाए जाने की दृष्टि में विशेष अधिकारी, अनुसूचित क्षेत्र विनियमन द्वारा मामले पर पुनर्विचार की आवश्यकता है–आक्षेपित आदेश अपास्त और मामला पुनर्विचार के लिए विशेष अधिकारी के पास वापस भेजा गया। (पैराएँ 5 एवं 6)

अधिवक्तागण.–Mr. Sambit Nayak, For the Petitioner; JC to SC, For the Respondent.

आदेश

याचीगण एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम की धारा 71A के अधीन भूमि के पुनर्स्थापन के लिए प्रत्यर्थी सं॰ 4 द्वारा आरंभ की गयी कार्यवाही में एस॰ ए॰ आर॰ केस सं॰ 23 से 27 वर्ष 1998 इनमें से प्रत्येक

याचीगण के विरुद्ध नोटिस के बावजूद उनकी ओर से अनुपस्थिति पाते हुए एक पक्षीय रूप से दिनांक 4 फरवरी, 2000 के एक ही आदेश द्वारा विनिश्चित किया गया था। इन याचीगण ने व्यर्थ रूप से एस॰ ए॰ आर॰ अपील सं॰ 134 वर्ष 2000 अभियोजित किया जिसे अपीलार्थियों की ओर से लंबी अनुपस्थिति के कारण परिशिष्ट 3 के भाग के रूप में आक्षेपित दिनांक 14 अक्टूबर, 2004 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। भूमि का टुकड़ा भूखंड सं॰ 306, खाता सं॰ 146 से गठित है जिसके संबंध में प्रत्यर्थी सं॰ 4 द्वारा अवैध बेदखली अभिकथित किया गया है।

3. याचीगण के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याचीगण पर नोटिस तामील नहीं किया गया था जो एस॰ ए॰ आर॰ मामलों की ओर ले गया था। तथापि, वह एस॰ ए॰ आर॰ अपीलों में अपीलार्थियों द्वारा अनेक तिथियों पर अनुपस्थिति स्पष्ट करने की अवस्था में नहीं हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने 0.92 एकड़ से गठित खाता सं॰ 146 के अधीन उसी भूखंड सं॰ 306 में भूमि के पुनर्स्थापन के लिए याची सं॰ 3 सहित बारह व्यक्तियों के विरुद्ध उसी प्रत्यर्थी सं॰ 4 द्वारा आरंभ की गयी एस॰ ए॰ आर॰ केस सं॰ 363/2005-06 में पारित आदेश प्रस्तुत किया है। यह निवेदन किया गया है कि एस॰ ए॰ आर॰ अधिकारी, राँची ने दिनांक 1 अक्टूबर, 2009 के आदेश द्वारा आवेदन इसे 57 वर्ष बाद दाखिल करने में विलंब के आधार पर अपोषणीय पाया। किंतु, चूँकि याची सं॰ 3 वर्तमान रिट याचिका में इस न्यायालय के पास आया था, वर्तमान याची सं॰ 3 के मामले में आदेश पारित नहीं किया गया था किंतु ग्यारह व्यक्तियों के विरुद्ध पुनर्स्थापन के लिए आवेदन अस्वीकार किया गया था। यह निवेदन किया गया है कि प्रत्यर्थी सं॰ 4 अनेक ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध उसी भूखंड एवं खाता संख्या के संबंध में एक के बाद दूसरा अंधाधुंध मामला दाखिल किए जा रहा है। उसी एस॰ ए॰ आर॰ अधिकारी ने उसी भूखंड सं॰ 306, खाता सं॰ 146 पर एस॰ ए॰ आर॰ केस सं॰ 363/2005-06 में प्रत्यर्थी सं॰ 4 के दावा पर अविश्वास किया है जबकि समुचित नोटिस की अनुपस्थिति के कारण याचीगण एस॰ ए॰ आर॰ केस सं॰ 23-27 वर्ष 1998 में अपने मामलों को नहीं रख सके थे जो दुर्भाग्यवश उनके विरुद्ध एकपक्षीय रूप से विनिश्चित किया गया। अतः, आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

4. प्रत्यर्थी राज्य के अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश का बचाव किया है और प्रति शपथ पत्र के विषय वस्तुओं पर विश्वास किया है। सारतः एस॰ ए॰ आर॰ मामलों में कारण बताओ नोटिस का प्रत्युत्तर देने में विफल होने में और विद्वान उपायुक्त, राँची के समक्ष अपील अभियोजित करने में याची के आचरण पर यह दर्शाने के लिए जोर दिया गया है कि याचीगण अवर प्राधिकारी के समक्ष अपने मामलों को अग्रसर करने में तत्पर नहीं थे। याचीगण ने सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पुनरीक्षण उपचार भी प्राप्त नहीं किया है। यद्यपि प्रत्यर्थी सं॰ 4 अपने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस पर उपस्थित हुआ है, आज के दिन उसकी ओर से प्रतिनिधित्व नहीं है।

5. मैंने पक्षों के अधिवक्ता के निवेदन पर विचार किया है और अभिलेख पर मौजूद आक्षेपित आदेशों का परिशीलन किया है। यह प्रतीत होता है कि यहाँ उपर निर्दिष्ट एस॰ ए॰ आर॰ केस सं॰ 363/2005-06 के संबंध में अभिलेख पर लाए गए स्पष्ट तथ्यों की दृष्टि में प्रत्यर्थी सं॰ 2; विशेष अधिकारी अनुसूचित क्षेत्र विनियमन द्वारा मामले पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। किंतु एस॰ ए॰ आर॰ न्यायालय ने ग्यारह अन्य व्यक्तियों के संबंध में उसी प्रत्यर्थी सं॰ 4 द्वारा आरंभ की गयी उसी भूखंड सं॰ 306, खाता सं॰ 146 के संबंध में पुनर्स्थापन के लिए आवेदन अस्वीकार करते हुए वर्तमान रिट याचिका के लंबित रहने से मार्गदर्शित होकर याची सं॰ 3 के मामले के संबंध में आदेश पारित नहीं किया है। अतः, वर्तमान याचीगण के मामलों पर प्रत्यर्थी सं॰ 2 द्वारा विधि के अनुरुप नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है ताकि भूमि के टुकड़ा के पुनर्स्थापन के लिए प्रत्यर्थी सं॰ 4 के अभिवचन पर अंतिम निर्णय पर आने से पहले न केवल याचीगण को अपना बचाव प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए बल्कि एस॰ ए॰ आर॰ न्यायालय द्वारा संबंधित मामलों में पारित आदेशों को भी विचार में लिया जाए।

6. तदनुसार, आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाते हैं। मामला पक्षों को अवसर देने के बाद पुनर्विचार किए जाने के लिए प्रत्यर्थी सं॰ 2 के पास वापस भेजा जाता है। यह कहना अनावश्यक है कि याचीगण अनावश्यक स्थगन नहीं लेंगे और विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में सहयोग करेंगे।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk ,o Mkñ ,lñ ,uñ ikBd] U;k;efrx.k

प्रदीप कुमार सिंह

cuke

श्रीमती सहोदरा देवी उर्फ लीलावती देवी

First Appeal No. 58 of 2015 with I.A. No. 5676 of 2016. Decided on 10th January, 2017.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—धारा 96—परिसीमा अधिनियम, 1963—धारा 5—परिसीमा–प्रथम अपील दाखिल करने में 179 दिनों का विलंब–याची ने मानसिक असंतुलन तथा गैस पीड़ित होने एवं अन्य कमजोरियों का अभिवचन किया था–वर्तमान अपील दाखिल करने में 179 दिनों का विलंब इस अभिवचन पर माफ किया जाना इप्सित किया गया था कि याची अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश के बाद आघात में था–प्रथम अपील दाखिल करने में 179 दिनों का विलम्ब माफ करने हेतु कोई आधार नहीं है–अपील खारिज की गयी। (पैराएँ 3 से 6)

अधिवक्तागण.–Mr. Mahesh Tewari, For the Appellant; Mr. Birendra Kumar, For the Respondent.

आदेश

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. अंतर्वर्ती आवेदन सं॰ 5676 वर्ष 2016 प्रथम अपील दाखिल करने में 179 दिनों का विलंब माफ करने के लिए दाखिल किया गया है। जैसा अंतर्वर्ती आवेदन में कथन किया गया है, ऐसे अत्यधिक विलंब के बाद अपील दाखिल करने का कारण यह है कि विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 19.9.2014 के आक्षेपित आदेश के बाद अपीलार्थी आदेश की जानकारी होने पर आघात में था और इसलिए अपीलार्थी ने इस प्रथम अपील को दाखिल किया है।

3. अवर न्यायालय द्वारा सिविल विविध मामला सं॰ 16 वर्ष 2008 में पारित दिनांक 19.9.2014 का आक्षेपित आदेश दर्शाता है कि विविध मामला अवर न्यायालय में टी॰ एम॰ एस॰ सं॰ 156 वर्ष 1996 में पारित दिनांक 15.7.2004 के निर्णय एवं डिक्री को अपास्त करने के लिए दाखिल किया गया था जिसके द्वारा पक्षों के बीच सहमति तथा अपीलार्थी द्वारा पत्नी को निर्वाह भत्ता के रूप में 1500/- प्रतिमाह की राशि का भुगतान करने के वचन की दृष्टि में आपसी सहमति द्वारा तलाक की डिक्री द्वारा पक्षों का विवाह विघटित किया गया था। उक्त आदेश को इस न्यायालय में एफ॰ ए॰ सं॰ 61 वर्ष 2014 में चुनौती दी गयी थी जिसे अपीलार्थी को उसी न्यायालय के समक्ष आक्षेपित आदेश को चुनौती देने की स्वतंत्रता देते हुए अपील को अपोषणीय के रूप में दिनांक 1.8.2005 के आदेश द्वारा निपटाया गया था। तत्पश्चात साढ़े तीन वर्ष बीतने के बाद दिनांक 14.11.2008 को पक्षों के बीच आपसी सहमति द्वारा विवाह विघटित करने वाले निर्णय एवं डिक्री तथा प्रत्यर्थी पत्नी को 1500/- रुपया प्रतिमाह का भुगतान करने के आदेश को अपास्त करने के लिए विविध मामला दाखिल किया गया था।

4. अवर न्यायालय ने संपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करने के बाद और इस तथ्य को भी विचार में लेते हुए कि समय के एक बिंदु पर याची ने विलंब की माफी के लिए मानसिक असंतुलन का अभिवचन किया

था और समय के एक अन्य बिंदु पर उसने कथन किया था कि वह गैस्ट्रिक एवं कमजोरियों से पीड़ित था और दिल्ली में नौकरी की तलाश में था, दिनांक 19.4.2014 के आदेश द्वारा विविध मामला खारिज कर दिया है।

5. इस प्रकार, हम पाते हैं कि उक्त विविध मामला भी अत्यधिक विलंब के बाद दाखिल किया गया था और वर्तमान अपील भी 179 दिनों के विलंब के बाद इस कारण दाखिल किया गया था कि याची अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश के बाद आघात में था। हम प्रथम अपील दाखिल करने में 179 दिनों की परिसीमा को माफ करने का कोई तर्कपूर्ण आधार नहीं देखते हैं।

6. तद्नुसार, पूर्वोक्त आई॰ ए॰ सं॰ 5676 वर्ष 2016 खारिज की जाती है। परिणामस्वरुप प्रथम अपील भी परिसीमा द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज की जाती है।

---

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

सतीश कुमार देव उर्फ सतीश सिंह

cuke

झारखण्ड राज्य एवं एक अन्य

Cr. M.P. No. 927 of 2014. Decided on 20th February, 2017.

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989—धारा 3 (1) (x)—भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 447, 341, 323, 506 एवं 504—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धाराएँ 320 एवं 482—अभिकथित प्रहार–पक्षों ने विवाद का समाधान कर लिया है और दोनों पक्षों के बीच हुआ करार अभिलेख पर हैं–दांडिक कार्यवाही जारी रखना निरर्थक होगा–दांडिक कार्यवाही अभिखंडित की गयी। (पैराएँ 5 एवं 6)

अधिवक्तागण.–Mr. H.K. Shikarwar, For the Petitioner; Mr. Krishna Shankar, For the State; Mr. Satyendra Kumar Singh, For the O.P. No. 2.

आदेश

याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एच॰ के॰ शिकरवार, राज्य के विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ श्री कृष्णा शंकर एवं विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह सुने गए।

2. इस आवेदन में, याची ने विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, राँची के समक्ष लंबित भारतीय दंड संहिता की धाराओं 447, 341, 323, 506 एवं 504 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (i) (x) के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज रातू पी॰ एस॰ केस सं॰ 52 वर्ष 2014 (जी॰ आर॰ सं॰ 1145 वर्ष 2014) के संबंध में संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है।

3. प्राथमिकी में अभिकथन किया गया है कि याची विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के नर्सिंग होम आया था और उसकी हत्या करने की धमकी दी थी और उस पर हाथ एवं पत्थर से प्रहार किया था, किंतु विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के स्टाफ के मध्यक्षेप के कारण उसे किसी प्रकार बचाया गया था। आगे अभिकथन किया गया है कि घटना के कारण मरीजों का इलाज करने में बाधा आयी थी और विरोधी पक्षकार सं॰ 2 को

आशंका थी कि भविष्य में किसी घटना में बाधा आयी थी और विरोधी पक्षकार सं॰ 2 को आशंका थी कि भविष्य में किसी घटना की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। पूर्वोक्त अभिकथन के आधार पर रातू पी॰ एस॰ केस सं॰ 52 वर्ष 2014 संस्थित किया गया था।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि याची इस न्यायालय का पेशेवर वकील है और विवाद तुच्छ प्रकृति का है जिसमें दोनों पक्षों में सुलह हो गया है और आई॰ ए॰ सं॰ 1562 वर्ष 2015 के रूप में इस प्रभाव का संयुक्त सुलह याचिका दाखिल किया गया है।

5. विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह ने सुलह का तथ्य स्वीकार किया है और निवेदन किया है कि विवाद अंतिम रूप से सुलझा लिया गया है, अतः विरोधी पक्षकार सं॰ 2 दांडिक कार्यवाही के साथ अग्रसर होने का आशय नहीं रखता है।

6. आई॰ ए॰ सं॰ 1562 वर्ष 2015 से यह प्रतीत होता है कि पक्षों के बीच विवाद का समाधान कर लिया गया है और वस्तुतः सुलह करार अभिलेख पर लाया गया है जिसमें याची एवं विरोधी पक्षकार सं॰ 2 हस्ताक्षरकर्ता हैं। चूँकि पक्षों ने विवाद का समाधान कर लिया है और दोनों पक्षों के बीच हुआ समझौता करार अभिलेख पर है, दांडिक कार्यवाही जारी रखना निरर्थक होगा। तद्नुसार, यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है और विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, राँची के न्यायालय के समक्ष लंबित रातू पी॰ एस॰ केस सं॰ 52 वर्ष 2014 (जी॰ आर॰ सं॰ 1145 वर्ष 2014) के संबंध में संपूर्ण दांडिक कार्यवाही एतद् द्वारा अभिखंडित एवं अपास्त की जाती है। लंबित आई॰ ए॰ भी निपटाया जाता है।

---

ekuuh; çeFk iVuk;d] U;k;efr

इंद्र कुमार सिन्हा

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 5092 of 2015. Decided on 16th November, 2016.

झारखंड पेंशन नियमावली, 2000—नियम 43 (b)—पेंशन एवं उपदान रोका जाना–अंचल कार्यालय में लिपिक के रूप में नियुक्त याची को 100% पेंशन एवं उपदान के भुगतान के लिए निर्देश इप्सित करने वाली रिट याचिका–याची को निगरानी मामले और नामांतरण कार्यवाही में अवैध मांग सृजित करने/खोलने के लिए आलिप्त किया गया था–कार्यवाही लंबित रहने के दौरान याची सेवानिवृत्त हुआ–सेवानिवृत्ति के बाद याची को अनंतिम पेंशन का 75% और अनंतिम उपदान का 75% मंजूर किया गया था–कार्यवाही लंबित रहने के कारण पेंशन एवं उपदान का 25% रोक लिया गया था–प्रत्यर्थी प्राधिकारी ने निगरानी मामलों के लंबित रहने की ओट में पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) का गलत अर्थ लगा कर पेंशन एवं उपदान का 25% रोक लिया है–पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) के अधीन, विभागीय कार्यवाही अथवा दांडिक कार्यवाही लंबित रहने के दौरान पेंशन एवं उपदान रोकने के लिए सरकार में शक्ति निहित नहीं है–प्रत्यर्थियों को अनुबंधित अवधि के भीतर याची को उपदान एवं पेंशन जैसे ग्राह्य सेवानिवृत्ति पश्चात लाभों का भुगतान करने का निर्देश दिया गया–रिट याचिका अनुज्ञात की गयी।

(पैराएँ 7 एवं 8)

निर्णयज विधि.–2013 (4) JBCJ 421 (HC) : (2013)3 JLJR 655; **2013 (4) JLJ 4 (SC) :** (2013)3 JLJR 537; **2014 (4) JBCJ 110 (SC)**—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Ashim Kumar Sahani, For the Petitioner; Mr. Yogesh Modi, For the Resp.-State; Mr. Gautam Rakesh, For the Resp. No. 5.

प्रमथ पटनायक, न्यायमूर्ति.–संलग्न रिट आवेदन में याची ने अन्य बातों के साथ प्रत्यर्थियों का बकाया की तिथि से इसके वास्तविक भुगतान तक 12% वार्षिक ब्याज के साथ 100% पेंशन एवं उपदान तथा अन्य सेवा निवृत्ति देयों के भुगतान के लिए निर्देश देने की प्रार्थना की है।

2. अनावश्यक विवरणों से रहित, रिट आवेदन में प्रकट किए गए तथ्य ये हैं कि याची अंचलाधिकारी, टाउन अंचल, राँची के कार्यालय में डीलिंग असिस्टेन्ट (लिपिक) के रूप में 25.7.1983 तक पदस्थापित था और तत्पश्चात उसे राजस्व डीलिंग असिस्टेंट रूप में पदस्थापित किया गया था। याची को निगरानी पी॰ एस॰ केस सं॰ 33 वर्ष 2002 (विशेष केस सं॰ 38 वर्ष 2002) में इस अभिकथन पर आलिप्त किया गया था कि याची नामांतरण कार्यवाही में अवैध मांग को सृजित करने/खोलने में अंतर्ग्रस्त था और आरोप पत्र को उद्भूत करते हुए याची के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ की गयी थी। तत्पश्चात, परिशिष्ट-2 के तहत अभिकथित आरोपों के संबंध में जाँच की गयी थी और निंदा के दंड तथा समेकित प्रभाव से तीन वार्षिक वेतन वृद्धियों को रोकने के लिए जाँच अधिकारी की रिपोर्ट अनुशंसित की गयी थी। तत्पश्चात, परिशिष्ट-3 के तहत प्रत्यर्थी सं॰ 3 ने दिनांक 20.2.2006 के आदेश के तहत समेकित प्रभाव से तीन वार्षिक वेतनवृद्धियाँ रोकने तथा निलंबन अवधि के दौरान वेतन भी रोकने का दंड अधिरोपित किया। दिनांक 20.2.2006 के आदेश के विरुद्ध याची ने प्रत्यर्थी सं॰ 2 के समक्ष अपील दाखिल किया जिसके द्वारा दिनांक 22.5.2008 के आदेश के तहत प्रत्यर्थी सं॰ 2 ने याची के विरुद्ध अधिरोंपित दंड का आदेश अपास्त करके अपील निपटाया। तत्पश्चात, याची ने अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सदस्य, राजस्व बोर्ड, झारखंड, राँची के समक्ष पुनरीक्षण दाखिल किया और रिट आवेदन के परिशिष्ट-6 के तहत विद्वान सदस्य, राजस्व बोर्ड, झारखंड, राँची ने मामला अनुशासनिक प्राधिकारी को याची को पर्याप्त अवसर देते हुए नए सिरे से मामले पर विचार करने के लिए मामला वापस भेज दिया। तत्पश्चात् दिनांक 30.5.2014 के परिशिष्ट-7 के तहत अंचलाधिकारी, टाउन अंचल, राँची ने अपर समाहर्त्ता-सह-जाँच अधिकारी, राँची को उनके निर्देश के प्रत्युत्तर में उसमें यह संप्रेक्षित करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत किया कि याची के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं किए गए हैं याची 38 वर्ष से अधिक सेवा देने के बाद अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 28.2.2015 को सेवानिवृत्त हुआ। सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद प्रत्यर्थी सं॰ 4 ने अनंतिम पेंशन का 75% और अनंतिम उपदान का 75% मंजूर किया जैसा रिट आवेदन के परिशिष्ट 8 एवं 9 से स्पष्ट है। रिट आवेदन का परिशिष्ट 10 भी प्रकट करता है कि याची को अवकाश वेतन मंजूर किया गया है। परिशिष्ट-II यह भी प्रकट करता है कि प्रत्यर्थी सं॰ 4 ने सामूहिक बीमा के भुगतान के लिए मंजूरी आदेश जारी किया है। रिट आवेदन में प्रकथन किया गया है कि विशेष केस सं॰ 38 वर्ष 2002 लंबित है और रिट आवेदन की दाखिली तक याची के विरुद्ध आरोप विरचित नहीं किया गया है। रिट आवेदन में यह भी प्रकथन किया गया है कि झारखंड पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) अथवा नियम 139 के अधीन कार्यवाही याची के विरुद्ध आरंभ नहीं की गयी है। अत: याची पेंशन एवं उपदान के शेष 25% का हकदार है और झारखंड पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) अथवा नियम 139 के अधीन कार्यवाही की अनुपस्थिति में पेंशन एवं उपदान का 25% रोकने में प्रत्यर्थियों की कार्रवाई, अविधिपूर्ण एवं अन्यायोचित तथा विधि के प्राधिकार के बिना है।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार निवेदन किया है कि झारखंड पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) अथवा नियम 139 के अधीन किसी कार्यवाही की अनुपस्थिति में पेंशन एवं उपदान का 25% रोकने में प्रत्यर्थियों की कार्रवाई अधिकारिताहीन एवं विधि के किसी प्राधिकार के बिना है। याची के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि प्रत्यर्थियों की कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 (1) (g) एवं 21 की उल्लंघनकारी है। याची के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि प्रत्यर्थियों द्वारा सेवानिवृत्ति पश्चात् लाभों को अवैध रूप से रोकना विधि के सुनिश्चित सिद्धांत के विरुद्ध है जिसे **डॉ॰ दूधनाथ पांडे बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य,** (2013)3 JLJR 655 **[: 2013(4) JBCJ 421 (HC)],** मामले में विनिश्चित किया गया है। उक्त निर्णय को निर्दिष्ट करके याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याची ब्याज के साथ रोकी गयी पेंशन एवं उपदान की राशि का हकदार है।

4. अपना निवेदन पुख्ता करने के लिए याची के विद्वान अधिवक्ता ने **डी॰ डी॰ तिवारी (मृत) विधिक प्रतिनिधियों के माध्यम से बनाम उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लि॰ एवं अन्य, 2014 (4) JBCJ 110 (SC),** में निर्णय को निर्दिष्ट किया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि पेंशन एवं उपदान राशि का भुगतान अब सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति पर वितरित किया जाने वाला पुरस्कार नहीं है बल्कि उनके हाथों में बहुमूल्य अधिकार एवं संपत्ति बन गया है और इसके व्यवस्थापन एवं संवितरण में कोई सदोष विलंब पर कर्मचारियों को वास्तविक भुगतान तक चालू बाजार दर पर ब्याज के भुगतान के दंड के साथ विचार किया जाना होगा। प्रत्यर्थियों ने गलत रूप से उपदान राशि का भुगतान रोक लिया है जिसके लिए अपीलार्थीगण उपदान के विलंबित भुगतान पर दंड राशि का भुगतान पाने के विधि में हकदार हैं। हकदारी की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक पेंशन एवं उपदान राशि के विलंबित भुगतान पर नौ प्रतिशत ब्याज अधिनिर्णीत किया जाना चाहिए। यदि छह सप्ताह के भीतर इस राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, यह उस तिथि से जिस पर राशि मृतक कर्मचारी के प्रति बकाया बन जाती है 18% ब्याज देगा।

5. याची के विद्वान अधिवक्ता ने **झारखंड राज्य एवं अन्य बनाम जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव एवं एक अन्य,** 2013 (3) JLJR (SC) 537 **[: 2013 (4) JLJ 4 (SC)]**, में निर्णय को भी निर्दिष्ट किया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि पेंशन/उपदान रोकने के लिए नियमावली में प्रावधान नहीं है जब ऐसी विभागीय अथवा न्यायिक कार्यवाही अभी भी लंबित है। पेंशन प्राप्त करने के अधिकार को संपत्ति के अधिकार के रूप में मान्यता दी गयी है और विधि के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसके पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 300A के अधीन प्रतिष्ठापित संवैधानिक आज्ञा है। किसी सांविधिक प्रावधान के बिना और प्रशासनिक अनुदेश के क्रोध के अधीन पेंशन अथवा उपदान अथवा अवकाश नगदकरण के भाग को वापस लेने के प्रयास का सांविधिक चरित्र नहीं है और इसलिए अनुच्छेद 300A के अर्थ के भीतर विधि के रूप में माना नहीं जा सकता है। परिपत्र जिसका विधि में बल नहीं है के आधार पर अपीलार्थीगण (सरकार) पेंशन अथवा उपदान का एक भाग भी नहीं रोक सकती है।

6. रिट आवेदन में किए गए प्रकथनों का खंडन करते हुए प्रत्यर्थी सं॰ 2 से 4 द्वारा एक प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है। ए॰ ए॰ जी॰ के जे॰ सी॰ श्री योगेश मोदी ने प्रतिशपथपत्र के पैराग्राफ सं॰ 9 एवं 10 को निर्दिष्ट करके प्रतिशपथ पत्र में किए गए निवेदनों को दोहराया है। प्रतिशपथ पत्र में यह कथन किया गया है कि याची को प्रतिशपथ पत्र के परिशिष्टों A एवं B के मुताबिक निगरानी पी॰ एस॰ केस सं॰ 33 वर्ष 2002 एवं विशेष केस सं॰ 38 वर्ष 2002 में अंतर्ग्रस्तता के कारण अनंतिम उपदान का 75% और अनंतिम पेंशन का 75% तथा ग्राह्य महंगाई एवं चिकित्सीय अनुतोष को मंजूर किया गया है।

प्रतिशपथ पत्र में आगे यह कथन किया गया है कि विद्वान उपायुक्त, राँची द्वारा पारित दिनांक 25.2.2016 के आदेश के मुताबिक निगरानी मामलों में अंतिम निर्णय तक याची के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रास्थगित रखी गयी है और प्रतिशपथ पत्र के परिशिष्ट–C के मुताबिक बिहार अंगीकृत झारखंड पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43 (b) के आलोक में याची के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही जारी रखी गयी है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि निगरानी मामलों के लंबित रहने की दृष्टि में पेंशन एवं उपदान रोका गया है जिसका अर्थ प्रत्यर्थियों की ओर से अवैध कृत्य के रूप में नहीं लगाया जा सकता है।

7. परस्पर पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और अभिलेखों के परिशीलन पर मेरा सुविचारित मत है कि याची निम्नलिखित तथ्यों एवं कारणों से हस्तक्षेप का मामला बनाने में सक्षम हुआ है:–

(I) इस तथ्य से इनकार नहीं है कि झारखंड पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) के अधीन याची के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही पेंशन एवं उपदान के समपहरण के किसी दंड में परिणत नहीं हुई है और प्रत्यर्थी प्राधिकारी ने निगरानी मामलों की ओट में पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) का गलत अर्थ लगाकर पेंशन एवं उपदान का शेष 25% रोक लिया है।

(II) बेहतर अधिमूल्यन के लिए झारखंड पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) को निर्दिष्ट करना उपयुक्त है, जिसका पठन निम्नलिखित है:

> *"43. (b) jkT; ljdkj vkx Lo;a d fy, i'ku vFkok bld fdlh Hkkx dk jkdu vFkok okil yu] pkg LFkk;h :i l vFkok fofufn"V vofèk d fy,] dk vfèkdkj vkj ljdkj dk dkfjr fdlh èkuh; gkfu d ij vFkok bld ,d Hkkx dk i'ku l oly dju dk vkn'k nu dk vfèkdkj ljf{kr j[krh g ;fn i'ku iku oky dk lokfuofÙk d ckn iufu;ktu ij nh x;h lok lfgr viuh lok d nkjku foHkkxh; vFkok U;kf;d dk;okgh e xHkhj vopkj dk nk"kh vFkok vopkj vFkok mi{kk }kjk ljdkj dk èkuh; gkfu dkfjr djrk gvk ik;k tkrk gA***

(III) **डॉ॰ दूधनाथ पांडे बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य** मामले में इस न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ के निर्णय की दृष्टि में अब यह अनिर्णीत विषय नहीं है कि झारखंड पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) के अधीन विभागीय कार्यवाही अथवा दांडिक कार्यवाही लंबित रहने के दौरान पेंशन एवं उपदान को रोकने की शक्ति सरकार में निहित नहीं की गयी है। वर्तमान मामले में, विभागीय कार्यवाही अथवा दांडिक कार्यवाही समाप्त नहीं की गयी है ताकि सरकार पेंशन एवं उपदान का एक भाग रोकने की शक्ति हथिया सके। अत:, पेंशन एवं उपदान जैसे सेवानिवृत्ति पश्चात लाभों को रोकने में विभागीय एवं दांडिक कार्यवाही के समापन की अनुपस्थिति में प्रत्यर्थीगण की कार्रवाई अविधिपूर्ण एवं अधिकारिता के बिना है और विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है।

(IV) विधि सुनिश्चित है कि पेंशन एवं उपदान अब पुरस्कार नहीं है और न ही अनुग्रहपूर्वक और विलंबित भुगतान के मामले में कर्मचारी सेवानिवृत्ति पश्चात लाभों पर ब्याज का हकदार है और पेंशन एवं उपदान भारत के संविधान के अनुच्छेद 300A के अधीन संपत्ति के अधिकार है और किसी व्यक्ति

को सिवाए विधि के प्राधिकार के उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रत्यर्थीगण ने उपदान एवं पेंशन राशि का भुगतान रोक लिया है जिसका याची विधि के अधीन हकदार है और, इसलिए, विलंबित भुगतान के लिए याची इसकी देय तिथि से इसके वास्तविक भुगतान तक ब्याज का हकदार है। चूँकि वर्तमान मामले में याची को पहले ही सारवान राशि का भुगतान कर दिया गया है। याची अनुबंधित अवधि के भीतर रोकी गयी ग्राह्य सेवा निवृत्ति पश्चात लाभों के भुगतान का हकदार है।

8. पूर्वोक्त पैराग्राफों में की गयी चर्चा की दृष्टि में और यहाँ उपर कथन किए गए तार्किक परिणाम के रूप में प्रत्यर्थियों को उपदान एवं पेंशन तथा पेंशन के बकाया जैसे ग्राह्य सेवा निवृत्ति पश्चात लाभों, यदि हो, का भुगतान इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर करने का निर्देश दिया जाता है। यदि अनुबंधित अवधि के भीतर पूर्वोक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, इसका भुगतान याची को देय तिथि से इसके वास्तविक भुगतान तक 12% वार्षिक ब्याज के साथ किया जाएगा।

9. पूर्वोक्त निर्देश के साथ रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; ,p lhñ feJk ,o Mkñ ,l ñ ,uñ ikBd] U;k;efrx.k

शैलेश धर दूबे उर्फ मंटू दूबे

cuke

किरण देवी

F.A. (DB) No. 28 of 2016. Decided on 9th January, 2017.

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955—धारा 13 सहपठित धारा 5 (b)—तलाक–पत्नी का अभिकथित मानसिक असंतुलन एवं शारीरिक अक्षमता–प्रत्यर्थी का मामला यह है कि उसे दहेज मांग के लिए क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन किया गया था और दांपत्य गृह से बाहर निकाला गया था–याची द्वारा चिकित्सीय अभिलेख सिद्ध नहीं किया गया था–किसी चिकित्सीय साक्ष्य की अनुपस्थिति में अवर न्यायालय ने सही प्रकार से तलाक वाद खारिज कर दिया–अपील खारिज की गयी। (पैराएँ 6 से 9)

अधिवक्तागण.–Mr. Shailendra Kumar Tiwari, For the Appellant; None, For the Respondent.

आदेश

ग्रहण मामले में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. अपीलार्थी एम॰ एम॰ केस सं॰ 107 वर्ष 2014 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, गढ़वा द्वारा पारित दिनांक 21.1.2016 के निर्णय एवं डिक्री से व्यथित है जिसके द्वारा अपीलार्थी द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 सहपठित धारा 5(b) के अधीन तलाक की डिक्री के लिए पक्षों के बीच विवाह के विघटन के लिए दाखिल वाद अवर न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है।

3. आक्षेपित निर्णय दर्शाता है कि पक्षों के बीच विवाह वर्ष 2012 में संपन्न हुआ था। याची के मामले के अनुसार, विवाह प्रत्यर्थी पत्नी की शारीरिक अक्षमता के कारण पूरा नहीं किया जा सका था। यह कथन किया गया था कि प्रत्यर्थी संतान को जन्म देने अथवा याची के साथ यौन संबंध स्थापित करने में अक्षम थी। यह भी प्रतीत होता है कि याची द्वारा अवर न्यायालय में मानसिक असंतुलन का आधार लिया गया था।

4. नोटिस पर प्रत्यर्थी पत्नी उपस्थित हुई और उसने याची द्वारा किए गए अभिकथनों से इनकार किया। प्रत्यर्थी के मामला के अनुसार, वह विवाहोपरांत सदैव याची के साथ रहने एवं साहचर्य जीवन बिताने को तैयार है। प्रत्यर्थी का मामला यह है कि उसे दहेज मांग के लिए क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन किया गया था और दांपत्यगृह से निकाला गया था।

5. पक्षों के अभिवचनों के आधार पर, विवाद्यक विरचित किए गए थे जिसमें विवाद्यक सं॰ (iii) यह था कि क्या प्रत्यर्थी याची के साथ यौन संबंध रखने और संतान को जन्म देने में अक्षम है जिसे तलाक का आधार माना जा सकता है। विवाद्यक सं॰ (iv) यह था कि क्या योनि अंधापन तलाक की डिक्री प्रदान करने का आधार है और एक अन्य विवाद्यक को विवाद्यक सं॰ (v) के रूप में ढाला गया था अर्थात् क्या याची प्रत्यर्थी के मानसिक असंतुलन के कारण यौन संबंध स्थापित करने एवं संतान को जन्म देने में प्रत्यर्थी की अक्षमता के आधार पर प्रत्यर्थी के साथ अपने विवाह की शून्य के रूप में घोषणा के लिए डिक्री पाने का हकदार है।

6. आक्षेपित निर्णय दर्शाता है कि याची की ओर से चार गवाहों का परीक्षण किया गया था और प्रत्यर्थी की ओर से तीन गवाहों का परीक्षण किया गया था। स्वयं याची सहित याची की ओर से परीक्षण किए गए गवाहों ने विवाह पूरा करने के लिए प्रत्यर्थी की शारीरिक अक्षमता के बारे में कथन किया और वे यह कहने की सीमा तक गए कि वह ट्रांससेक्सुअल थी। किंतु, कोई चिकित्सीय दस्तावेज सिद्ध नहीं किया गया था। केवल कुछ छाया प्रतिलिपियों को पहचान के लिए 'X' चिन्हित किया गया था, किंतु याची द्वारा अपने मामले के समर्थन में दस्तावेज सिद्ध नहीं किया जा सका था कि प्रत्यर्थी विवाह पूरा करने के लिए शारीरिक रूप से अक्षम थी अथवा मानसिक रूप से बीमार थी। याची द्वारा प्रत्यर्थी की अभिकथित बीमारी सिद्ध करने के लिए अवर न्यायालय में किसी चिकित्सक का परीक्षण नहीं किया गया था। अवर न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के अधिमूल्यन पर पूर्वोक्त समस्त विवाद्यकों को याची के विरुद्ध विनिश्चित किया और याची द्वारा दाखिल वाद खारिज कर दिया।

7. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री पूर्णत: अवैध है और अपास्त किए जाने योग्य है और यह सुयोग्य मामला है जिसमें पूर्वोक्त आधारों जिसे अपीलार्थी ने अवर न्यायालय में सिद्ध किया है पर तलाक की डिक्री के रूप में पक्षों के बीच विवाह विघटित कर दिया जाना चाहिए था।

8. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं मामले के अभिलेख के परिशीलन पर हम पाते हैं कि दोनों आधार जिन पर अपीलार्थी ने अवर न्यायालय में तलाक की डिक्री इप्सित किया था चिकित्सीय आधारों से संबंधित थे, किंतु याची द्वारा अवर न्यायालय में चिकित्सीय दस्तावेज सिद्ध नहीं किया जा सका था और न ही याची ने किसी डॉक्टर का परीक्षण किया जिन्हें इन बीमारियों के संबंध में प्रत्यर्थी का परीक्षण करने वाला बताया गया है। किसी चिकित्सीय साक्ष्य की अनुपस्थिति में, हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि अवर न्यायालय ने सही प्रकार से याची के विरुद्ध विवाद्यक विनिश्चित किया है और तलाक की डिक्री के लिए वाद खारिज कर दिया है। हम अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री में कोई अवैधता नहीं पाते हैं।

9. इस अपील में गुणागुण नहीं है और तद्नुसार इसे ग्रहण करने के चरण पर ही खारिज किया जाता है।

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

निर्मल कुमार शाहाबादी

cuke

ललित कुमार सिन्हा एवं अन्य

W.P. (C) No. 3066 of 2007. Decided on 1st March, 2017.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश 6 नियम 17—वादपत्र का संशोधन–अभिधान की घोषणा और वाद भूमि पर कब्जा की संपुष्टि के लिए वाद—प्रस्तावित संशोधन ने वादी की ओर से बिल्कुल असंगत एवं परस्पर रूप से विनाशकारी अभिवचन स्थापित करने का प्रयास किया–प्रस्तावित संशोधन द्वारा उसी वाद भूमि को अब एक अन्य रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा एक बिल्कुल नए विक्रेता के माध्यम से उसके पिता पर न्यागत होता दर्शाया जा रहा है–विचारण न्यायालय ने सही प्रकार से प्रस्तावित संशोधन अस्वीकार किया–रिट याचिका खारिज की गयी। (पैरा 8)

निर्णयज विधि.–2006 (4) JCR 86 (SC)—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. Dilip Kumar Prasad, For the Petitioner; M/s Pandey Neeraj Rai, Rohit Ranjan Sinha, For the Respondents.

आदेश

पक्षों के अधिवक्ता सुने गए।

2. वर्तमान वादी/ याची ने वाद भूमि पर अपने अभिधान की घोषणा और अपने कब्जा की संपुष्टि तथा उसके कब्जा में कोई हस्तक्षेप करने से प्रतिवादीगण पर अवरोध के लिए और अंतिम न्याय निर्णयन के समय पर स्थायी व्यादेश इप्सित करने के लिए मुंसिफ, गिरीडीह के न्यायालय में अभिधान वाद सं॰ 22/2006 संस्थित किया। अनुसूचित भूमि सर्वे भूखंड सं॰ 289, खाता सं॰ 73, मौजा बरमसिया, थाना सं॰ 230 गिरीडीह के 20.50 एकड़ में से 28 डिसमल भूमि से गठित है जो गिरीडीह नगरपालिका के वार्ड सं॰ 3 (पुराना) के धृति सं॰ 832 में गठित है। वादी वाद पत्र में किए गए प्राख्यान पर अपना मामला स्थापित करता है कि उसके पिता ने अनुसूची में वर्णित भूमि का टुकड़ा अर्जित किया था और तत्कालीन जमीन्दार श्री शांति कुमार मिश्रा को विशिष्ट वार्षिक किराया पर किराया का भुगतान कर रहा था। दिनांक 18 जून, 1953 को शांति कुमार मिश्रा ने वादी के पक्ष में अपने समस्त अधिकारों के संबंध में रजिस्टर्ड विक्रय विलेख निष्पादित किया। किंतु भूखंड संख्या में कुछ गलती थी जिसे गलत रूप से 289 के बजाए 282 के रूप में उल्लिखित किया गया था। बिहार भू–सुधार अधिनियम के अधीन जमीन्दारी निहित किए जाने के समय पर जमीन्दर शांति कुमार मिश्रा ने रिटर्न दाखिल किया और मुआवजा मामला सं॰ 315/1954-55 में मुआवजा इप्सित किया जिसमें क्रमांक सं॰ 281 पर वादी के पिता का नाम भूखंड सं॰ 289, क्षेत्रफल एवं किराया सही रूप से उल्लिखित किया गया था। वादी किराया एवं नगरपालिका करों का भुगतान कर रहा था। प्रतिवादीगण ने अपनी माता एवं पत्नी–प्रतिवादी सं॰ 2 एवं 3 के नाम में दो विक्रय विलेखों के आधार पर वाद भूमि पर अवैध रूप से दावा किया है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत विक्रय विलेख ने खाता सं॰ 737/235 दर्शाते हैं जो भूखंड सं॰ 289 सम्मिलित नहीं करता है। जब प्रतिवादी सं॰ 4 ने वाद भूमि का जबरन कब्जा लेने के लिए पुलिस बल की मदद से बल के उपयोग द्वारा चारदीवार खड़ा करने का प्रयास किया, याची के पास वर्तमान अनुतोष के लिए 25 फरवरी, 2006 को विद्वान न्यायालय के पास आने का वाद हेतुक था।

3. प्रतिवादीगण द्वारा लिखित कथन दाखिल किए जाने के बाद वादी ने दिनांक 31 मई, 2006 की याचिका के माध्यम से वादपत्र में संशोधन के लिए प्रार्थना किया। वादी ने प्राख्यान किया कि अभिधान एवं कब्जा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज गुम हो गए थे और उपलब्ध नहीं हो सके थे जब वाद प्रारुपित किया गया था और न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। अत: वाद पत्र में संशोधन की आवश्यकता है। वादी ने प्रकथनों को सम्मिलित करने के लिए संशोधन प्रस्तावित किया कि विरिजवा, मोस्मात बेदानी एवं लछमनिया कुमारी द्वारा अपने पिता के पक्ष में दिनांक 29 अक्टूबर, 1945 के विक्रय विलेख के रूप में वाद संपत्ति का दावा किया गया है।

4. प्रतिवादीगण से जोरदार विरोध पर और पक्षों के विरोधी मामलों पर विचार करने पर प्रथम अपर मुंसिफ, गिरीडीह द्वारा पारित दिनांक 3 मई, 2007 के आक्षेपित आदेश (परिशिष्ट–5) द्वारा संशोधन अस्वीकार किया गया था।

5. याची के विद्वान अधिवक्ता चुनौती के समर्थन में निवेदन करते हैं कि प्रस्तावित संशोधन वाद की प्रकृति परिवर्तित नहीं करता है। वादी का पिता दो भिन्न विक्रेताओं द्वारा निष्पादित दो भिन्न विक्रय विलेखों के आधार पर वाद भूमि का स्वामित्व प्राप्त कर सकता था जो बिल्कुल स्वीकार्य है। वादी अपने वाद पत्र में भी असंगत अभिवचन करने का हकदार है। प्रतिवादियों पर कोई प्रतिकूलता कारित नहीं हो सकती है यदि ऐसा संशोधन अनुज्ञात किया जाता है। वाद आगे के चरण तक नहीं गया है। विचारण आरंभ होने के पहले सम्यक तत्परता से संशोधन किए गए हैं। याची के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि प्रस्तावित संशोधन केवल कार्यवाही की बहुलता से बचाएंगे।

6. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया है। यह निवेदन किया गया है कि अनुतोष इप्सित करने के लिए संपत्ति के न्यागमन के बिल्कुल भिन्न पंक्तियों पर दो भिन्न विक्रेताओं के माध्यम से वाद संपत्ति के स्वामित्व एवं इस पर अभिधान का दावा करके आधार एवं वाद हेतुक परिवर्तित किया जाना इप्सित किया गया है। ऐसे असंगत वैकल्पिक अभिवचनों, जो परस्पर रूप से विनाशकारी हैं, को संशोधन के रूप में वाद पत्र में सम्मिलित किए जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। प्रतिवादियों ने दिनांक 18 जून 1953 के रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के माध्यम से वादी के पिता के विक्रेता के अभिधान को चुनौती दिया था। केवल तत्पश्चात यह वैकल्पिक अभिवचन स्थापित किया जा रहा है जो स्वयं वाद की प्रकृति ही बदल देगा। दोनों रजिस्टर्ड विक्रय विलेख, यदि वे सत्य हैं, वादी के पास वाद के संस्थापन के समय उपलब्ध थे। वादपत्र के संशोधन से संबंधित विधि के सुनिश्चित सिद्धांत की दृष्टि में प्रस्तावित संशोधन विधि में एवं तथ्यों पर मान्य नहीं हैं। वह **बलदेव सिंह एवं अन्य बनाम मनोहर सिंह एवं एक अन्य, 2006 (4) JCR 186 (SC)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर विश्वास करते हैं। वह उक्त निर्णय पर विश्वास करते हुए निवेदन करते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट सुभिन्नता किया है जहाँ तक वाद पत्र के संशोधन तथा लिखित कथन के संशोधन का संबंध है। प्रतिवादियों को असंगत अभिवचन करने की अनुमति दी जा सकती है किंतु वादी को ऐसी स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं है। अत:, विद्वान विचारण न्यायालय ने सही प्रकार से प्रस्तावित संशोधन आक्षेपित आदेश द्वारा अस्वीकार किया है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. मैंने पक्षों के निवेदनों पर विचार किया है और आक्षेपित आदेश सहित प्रासंगिक सामग्रियों का परिशीलन किया है।

8. तथ्यों की पृष्ठभूमि केवल इस निष्कर्ष की ओर ले जाती है कि प्रस्तावित संशोधनों ने वादी की ओर से बिल्कुल असंगत बल्कि परस्पर विनाशकारी अभिवचन स्थापित करने का प्रयास किया है। उसका

वाद हेतुक एवं इप्सित अनुतोष स्पष्ट मामला पर आधारित थे कि उसके पिता ने किसी शांति कुमार मिश्रा से दिनांक 18 जून, 1953 के रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के माध्यम से संपत्ति का स्वामित्व एवं अभिधान प्राप्त किया। प्रस्तावित संशोधन द्वारा वही वाद भूमि दिनांक 29 अक्टूबर, 1945 के एक अन्य रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा एक बिल्कुल नए विक्रेता के माध्यम से उसके पिता पर न्यागत होती दर्शायी गयी है। रजिस्टर्ड विक्रय विलेखों के विक्रेताओं को गैबी नाथ मिश्रा एवं अन्य से दिनांक 13 मई, 1944 के रजिस्टर्ड रैयती पट्टा तथा दिनांक 18 जुलाई 1945 के रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के माध्यम से अभिधान पाता बताया गया है। वादी को ऐसा रास्ता अनुज्ञेय नहीं है क्योंकि उसके मामले का आधार ही असंगत बन गया है। वादी वाद पत्र में प्रस्तावित संशोधन इप्सित करते हुए दिनांक 18 जून, 1953 के विक्रय विलेख के माध्यम से अभिधान के न्यागमन के प्रकथनों का विलोपन भी इप्सित नहीं किया था। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VI नियम 17 की योजना के अधीन न्यायालय का कर्तव्य यह देखना है कि क्या प्रस्तावित संशोधन वास्तविक प्रश्न और पक्षों के बीच विवाद विनिश्चित करने के लिए प्रयोजन से आवश्यक है। यह वादी की ओर से नहीं कहा जा सकता है कि 2006 में वाद के संस्थापन के समय पर रजिस्टर्ड विक्रय विलेख उपलब्ध नहीं थे। विद्वान विचारण न्यायालय ने विवेक के समुचित इस्तेमाल के बाद सही प्रकार से प्रस्तावित संशोधन अस्वीकार कर दिया। अधिकारिता का प्रयोग किसी गलती से पीड़ित नहीं कहा जा सकता है जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन हस्तक्षेप की आवश्यकता है। तद्नुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है। अभिधान वाद सं॰ 22/2006 में कार्यवाही दिनांक 29 जून, 2007 के अंतरिम आदेश की दृष्टि में स्थगित बनी हुई है। विद्वान विचारण न्यायालय शीघ्रातिशीघ्र वाद निपटाने का प्रयास करेंगे। पक्षगण को भी सहयोग करना चाहिए।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

मनमोहन वर्मा एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 3971 of 2016. Decided on 28th February, 2017.

भारत का संविधान–अनुच्छेद 226—जब एक बार संविदा की व्याख्या अंतर्ग्रस्त करने वाला प्रश्न उठाया जाता है, रिट न्यायालय की अधिकारिता समाप्त हो जाती है–पक्षों का आशय क्या था जब उन्होंने विकास करार किया था और क्या जिसे लेखबद्ध किया गया है, पक्षों के अधिकारों एवं आपत्तियों को शासित करेगा, ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर वर्तमान कार्यवाही में निष्कर्षित नहीं किया जा सकता है–इसे केवल सिविल वाद में विनिश्चित किया जा सकता है–याचीगण स्वयं में विधिक अधिकार और प्रत्यर्थी प्राधिकारी में तत्सम कर्तव्य जिसका पालन करने में इसने उपेक्षा किया है स्थापित करने में विफल रहे हैं जिसके परिणामस्वरुप याचीगण विधिक उपहति से पीड़ित हुए हैं–रिट याचिका खारिज की गयी। (पैराएँ 5 से 7)

निर्णयज विधि.–AIR 1962 SC 1210; (2013)5 SCC 470—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Rahul Gupta, Rohitashya Roy, Tarun Kumar Mahato, For the Petitioners; Mr. Rajiv Anand, Mrs. Rakhi Rani, For the Resp.-State; M/s Rupesh Singh, Amrendra Pradhan, For the Resp. No. 3.

आदेश

याचीगण की शिकायत है कि प्रत्यर्थी सं॰ 4 विकासकर्ता ने अवैध निर्माण किया है जिसे प्रत्यर्थी खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध रूप से माफ कर दिया गया है। याचीगण दिनांक 29.4.2016 तथा 4.5.2014/24.5.2014 के आदेशों का अभिखंडन इप्सित करते हैं।

2. जहाँ तक दिनांक 4.5.2014/24.5.2014 के आदेश को चुनौती का संबंध है, रिट याचिका इस तथ्य की दृष्टि में विफल होती है कि याचीगण द्वारा उक्त आदेश को अपील में चुनौती दी गयी थी जिसमें दिनांक 29.4.2016 का आदेश पारित किया गया है। अपीलीय आदेश अपोषणीय के रूप में अपील खारिज करने वाला आदेश नहीं है और इसलिए, वर्तमान कार्यवाही में केवल 29.4.2016 के आदेश को चुनौती शेष रहती है। अपील के उपचार का लाभ लेने के बाद, याचीगण वर्तमान कार्यवाही में दिनांक 4.5.2014/24.5.2014 के आदेश की वैधता को चुनौती नहीं दे सकते हैं।

3. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल कुमार गुप्ता निवेदन करते हैं कि दिनांक 4.5.2014/ 24.5.2014 का मूल आदेश इस आधार पर अग्रसर होता है मानों अध्यादेश वर्ष 2011 तत्पश्चात किए गए अवैध निर्माणों को आच्छादित करता है जबकि उक्त अध्यादेश उन निर्माणों को नियमित करने का आशय रखता था जिन्हें उस तिथि जब अध्यादेश 9.5.2011 को लागू किया गया था के पहले मंजूर नक्शा/योजना के परे किया गया था।

4. याची सं॰ 2 प्री–स्ट्रेस्ड उद्योग (भारत) प्रा॰ लि॰ उस भूमि का स्वामी है जिसके संबंध में प्रत्यर्थी सं॰ 4 मेसर्स एपकॉन होम्स (प्रा॰) लि॰ के साथ दिनांक 25.1.2010 का विकास करार निष्पादित किया गया था। याची सं॰ 1 याची सं॰ 2 का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता है। रिट याचिका में प्रत्यर्थी सं॰ 4 द्वारा किए गए अवैध निर्माण के संबंध में दिनांक 4.5.2014/24.5.2014 आदेश के विरुद्ध शिकायत की गयी है। याचीगण अभिवचन करते हैं कि नक्शा 14.5.2010 को मंजूर किया गया था जिसके अधीन मौजा 8, सरायधेला, पी॰ एस॰ सरायधेला, जिला धनबाद में 7 कट्ठा एवं 4 2/3 छटाक माप वाली विभिन्न खाता संख्या से गठित भूमि पर केवल पाँच तलों का निर्माण किया जाना था। उक्त भूमि पर प्रत्यर्थी सं॰ 4 द्वारा किए गए अवैध निर्माणों को अभिकथित करते हुए रिट याचिका में अन्य पैराग्राफों में अस्पष्ट प्रकथन सामने आते हैं। विकास करार जिसे 25.1.2010 को निष्पादित किया गया था खंड अंतर्विष्ट करता है जिसके अधीन स्वामी ने विकासकर्ता को संपत्ति विकसित करने का अधिकार दिया जो अधिक विशेष रूप से विकास करार के साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित है। विकास करार के खंड 4 के अधीन विकासकर्ता को महत्तम अनुज्ञेय फ्लोर एरिया रेशियो (एफ॰ ए॰ आर॰) का निर्माण सुनिश्चित करते हुए उक्त संपत्ति विकसित करना है।

5. विकास करार के अधीन विभिन्न कोवेनेन्टों का पठन प्रकट करेगा कि स्वामी करार से मुकर नहीं सकता है और विकासकर्ता के 64% हिस्सा के संबंध में हस्तांतरण विलेख निष्पादित करने के लिए बाध्य है। टाउन प्लानिंग केस सं॰ 046/11-12 में पारित दिनांक 4.5.2014/24.5.2014 के आदेश में प्रबंध निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, धनबाद ने मत दिया है कि मंजूर एफ॰ ए॰ आर॰ जो 2.79 था विपथन पर 3.28 हुआ जिसे माफ कर दिया गया है और दंड के भुगतान पर निर्माण आधिक्य नियमित कर दिया गया है। अब प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या दिनांक 25.1.2010 के विकास करार के अधीन विनिर्दिष्ट अनुबंधों की दृष्टि में विकासकर्ता को निर्माण आधिक्य नियमित करवाने का अधिकार था या

नहीं। इस प्रश्न का उत्तर निश्चय ही दिनांक 25.1.2010 के विकास करार के अधीन विभिन्न खंडों की व्याख्या पर निर्भर करता है। अब यह सुनिश्चित है कि जब एक बार संविदा की व्याख्या अंतर्ग्रस्त करने वाला प्रश्न उठाया जाता है, रिट न्यायालय की अधिकारिता समाप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त, पूर्वोक्त तथ्यों की दृष्टि में, पक्षों का आशय क्या था जब उन्होंने दिनांक 25.1.2010 का विकास करार किया और क्या जो लेखबद्ध किया गया था, वह पक्षों के अधिकारों एवं आपत्तियों को शासित करेगा या नहीं, ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर वर्तमान कार्यवाही में निष्कर्षित नहीं किया जा सकता है। इसे केवल तब विनिश्चित किया जा सकता है जब पक्ष सिविल वाद में अपने दावा के समर्थन में मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य देते हैं। **(राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम बनाम हीरा एवं रत्न विकास निगम लि॰, (2013)5 SCC 470) देखें**

6. याचीगण द्वारा किए गए अभिवचन कि दिनांक 9.5.2011 के अध्यादेश की दृष्टि में नियमितिकरण का आदेश अवैध है, के संदर्भ में यह उपदर्शित करना पर्याप्त होगा कि प्रत्येक गलत आदेश में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अधिकारिता के प्रयोग में हस्तक्षेप करना ही होगा। मेरे सुविचारित मत में, याचीगण स्वयं में विधिक अधिकार और प्रत्यर्थी प्राधिकारी में तत्सम कर्तव्य, जिसका पालन करने में प्रत्यर्थी प्राधिकारी ने उपेक्षा किया है, स्थापित करने में विफल रहा है जिसके परिणामस्वरुप याचीगण विधिक उपहति से पीड़ित हुए हैं। **(राय शिवेन्द्र बहादुर बनाम नालन्दा महाविद्यालय का शासी निकाय, बिहार शरीफ एवं अन्य, AIR 1962 SC 1210)**। रिट याचिका में याचीगण द्वारा पायी गयी किसी विधिक उपहति वित्तीय हानि, प्रतिष्ठा की हानि, दांडिक मामले में आलिप्त किए जाने की संभावना अथवा एम॰ ए॰ डी॰ ए॰ अधिनियम आदि के अधीन प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में–से पीड़ित होने की चर्चा भी नहीं है। उक्त के अतिरिक्त उत्प्रेषण रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की अधिकारिता उन मामलों तक विस्तारित नहीं होती है जो विधि का विवादित प्रश्न अंतर्ग्रस्त करते हैं।

7. पूर्वोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए मेरा मत है कि दिनांक 29.4.2016 के आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका पोषणीय नहीं है और तद्नुसार खारिज की जाती है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

राजेश कुमार

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 5950 of 2014. Decided on 18th October, 2016.

झारखंड लघु खनिज रियायत नियमावली, 2004—नियम 23—खनन पट्टा के नवीकरण के लिए आवेदन का अस्वीकरण–नवीकरण के लिए आवेदन विवेक का इस्तेमाल किए बिना केवल रॉयल्टी अनापत्ति प्रमाण पत्र की कमी के आधार पर अस्वीकार किया गया है–पुनरीक्षण मामले में पारित आदेश के आलोक में प्रत्यर्थी प्राधिकारियों की ओर से उसको रॉयल्टी बकाया का भुगतान करने के लिए कहते हुए याची से खनन बकाया के खातों का अंतिम मिलान एवं समायोजन दर्शाया नहीं गया है–दूसरी ओर, याची ने की गयी मांग के निबंधनानुसार बकाया के रूप में राशि का भुगतान दर्शाया है–प्रत्यर्थी पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा विधि के अनुरुप मामले

पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है–आक्षेपित आदेश अपास्त–याची को सम्यक अवसर देने के बाद विधि के अनुरुप इस पर विचार करने के लिए मामला खान आयुक्त, पुनरीक्षण प्राधिकारी को वापस भेजा गया–रिट याचिका अनुज्ञात की गयी। (पैराएँ 4 से 7)

अधिवक्तागण.–Mr. Ashutosh Anand, For the Petitioner; Jyoti Nayan, For the Respondents.

आदेश

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. वर्तमान रिट याचिका में याची ने पुनरीक्षण मामला सं॰ 13 वर्ष 2010 में प्रत्यर्थी सं॰ 2, खान आयुक्त, राँची द्वारा पारित दिनांक 16.10.2014 के आदेश (परिशिष्ट–9) को चुनौती दिया है जिसके द्वारा खनन पट्टा के नवीकरण के लिए उसका आवेदन अस्वीकर कर दिया गया है।

याची को दिनांक 9.6.2009 के रजिस्टर्ड पट्टा सं॰ 1802 के तहत नवीकरण के विकल्प के साथ 10 वर्ष की अवधि के लिए ग्राम पहाड़पुर, जिला धनबाद में 2 एकड़ भुमि पर पत्थर खोदकर निकालने के लिए खनन पट्टा पंचाट किया गया था। झारखंड़ लघु खनिज रियायत नियमावली 2004 के नियम 23 के निबंधनानुसार उसने इसके नवीकरण के लिए 21.2.2009 को आवेदन दिया। याची को अद्यतन रॉयल्टी अनापत्ति प्रमाण पत्र; पिछले तीन वर्षों के उत्पादन एवं प्रेषण का आँकड़ा, रजिस्टर्ड खनन पट्टा की प्रति दाखिल करने के लिए प्रत्यर्थी सं॰ 4, जिला खनन अधिकारी, धनबाद द्वारा दिनांक 27.2.2009 के पत्र के तहत कहा गया था।

3. याची के अनुसार, उसका आवेदन समझे गए अस्वीकरण द्वारा बाधित हुआ था और दिनांक 21.10.2009 के पत्र के माध्यम से इस तथ्य के कारण संसूचित किया गया था कि रॉयल्टी, जनवरी, 2006 से बकाया किराया जो कुल 1,10,855/- रुपया था का नियमित भुगतान करने के बावजूद उसे रॉयल्टी अनापत्ति प्रमाण पत्र की आपूर्ति नहीं की गयी थी। उसने खान आयुक्त, झारखंड के समक्ष दिनांक 21.10.2009 के समझे गए अस्वीकरण के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण आवेदन सं॰ 13/2010 दाखिल किया। इसे प्रत्यर्थी सं॰ 2 द्वारा दिनांक 31.5.2010 के आदेश, परिशिष्ट 2 के तहत अस्वीकार किया गया था। किंतु याची ने दिनांक 31.5.2000 के आदेश के उपांतरण के लिए प्रार्थना किया। पक्षों के दृष्टिकोण को ध्यान में लेते हुए दिनांक 4.10.2010 के आदेश (परिशिष्ट–3) द्वारा खान आयुक्त, झारखंड ने उपायुक्त, धनबाद को गुणागुण पर मामला विनिश्चित करने का निर्देश दिया परन्तु यह कि याची झारखंड लघु खनिज रियायत नियमावली, 2004 के प्रावधानों के अनुरुप आदेश के 90 दिनों के भीतर मांग का भुगतान करता है। दिनांक 31.5.2010 का आदेश इस निष्कर्ष पर आने के बाद तद्नुसार संशोधित किया गया था कि खनन बकाया के खातों के मिलान एवं समायोजन में गंभीर त्रुटि थी। उसमें विरोधी पक्षकार सं॰ 2 को 30 दिनों के भीतर नियमावली 2004 के प्रावधान के आलोक में अंतिम निर्धारण आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया था। याची ने दिनांक 11.2.2010 के मांग (परिशिष्ट–1) के बदले खनन पट्टा के संबंध में दिसंबर, 2009 तक रॉयल्टी, बकाया किराया के भुगतान की ओर जिला/सहायक खनन अधिकारी को संबोधित उसी तिथि के पत्र (परिशिष्ट–4) के मुताबिक दिनांक 1.10.2010 के बैंक ड्राफ्ट सं॰ 4954 के माध्यम से 1,86,000/- रुपयों की राशि जमा करने का दावा किया।

4. याची प्रतिवाद करता है कि खान आयुक्त द्वारा पारित दिनांक 4.10.2010 के आदेश (परिशिष्ट–3) के बावजूद प्रत्यर्थी सं॰ 3, उपायुक्त, धनबाद ने गुणागुण पर मामले पर विचार नहीं किया था और न ही खनन बकाया के खातों के मिलान एवं समायोजन के बाद अंतिम निर्धारण आदेश पारित किया गया था। यह निवेदन किया गया था कि फरवरी, 2006 से अक्टूबर, 2006, दिसंबर, 2006 से फरवरी 2007, नवंबर, 2007 से फरवरी, 2008 और जनवरी, 2010 से सितंबर, 2014 तक की अवधि के लिए मासिक रिटर्न मांगते हुए दिनांक 11.9.2014 के मेमो सं॰ 1039 (परिशिष्ट–7) के तहत सहायक

खनन अधिकारी, धनबाद द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में याची ने सहायक खनन अधिकारी, धनबाद के समक्ष 16.10.2014 को 72 पृष्ठों में मासिक रिटर्न संलग्न करते हुए परिशिष्ट–8 के तहत अपना अभ्यावेदन दाखिल किया। यह निवेदन किया गया है कि पुनरीक्षण प्राधिकारी ने उक्त पुनरीक्षण मामला सं॰ 13/2010 में दिनांक 27.8.2014 के आदेश द्वारा याची के नवीकरण आवेदन पर सहायक खनन अधिकारी, धनबाद से स्टेट्स रिपोर्ट भी और बकाया के मिलान के लिए लिए गए कदमों के बारे में अगली तिथि पर मांगा था। याची पैरा 32 में दिए गए बयान के माध्यम से प्रतिवाद करता है कि पुनरीक्षण प्राधिकारी ने दिनांक 16.10.2014 के आक्षेपित आदेश (परिशिष्ट–9) द्वारा याची को अपने उत्तर (परिशिष्ट–8) के साथ संलग्न मासिक रिटर्न के मुताबिक बकाया रॉयल्टी के भुगतान के बारे में इसे संतुष्ट करने का समय नहीं दिया था। पुनरीक्षण आवेदन याची को सम्यक अवसर दिए बिना संक्षिप्त रूप से खारिज कर दिया गया था। यह निवेदन किया गया था कि खान आयुक्त, झारखंड दिनांक 4.10.2010 के आदेश (परिशिष्ट–3) में अंतर्विष्ट निर्देशों की दृष्टि में दिसंबर, 2009 तक रॉयल्टी, बकाया किराया की मांग के बदले 1.10.2010 को 1,86,000/- रुपयों के भुगतान के बाद जिला खनन अधिकारी, धनबाद/सहायक खनन अधिकारी, धनबाद द्वारा खनन बकाया के खातों का मिलान एवं समायोजन कभी नहीं किया गया था। खान आयुक्त इस तथ्य को भी ध्यान में लेने में विफल रहे कि सहायक खनन अधिकारी, धनबाद द्वारा पारित किसी अंतिम निर्धारण आदेश के बिना जून, 2014 तक रॉयल्टी, बकाया किराया हेतु 2,55,434/- रुपयों के बकाया का मांग किया गया। परिशिष्ट–8 पर याची का उत्तर भी विचार में नहीं लिया गया था। याची ने अपने अभ्यावेदन में इसे संलग्न करते हुए खनन योजना तैयार किया जिसे स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि पट्टा बीत गया माना गया था और पुनरीक्षण आवेदन खारिज कर दिया गया था। केवल याची द्वारा प्रस्तुत रॉयल्टी प्रमाण पत्र एवं खनन योजना के विचार पर याची पर्यावरण अनापत्ति इप्सित कर सकता था। अत: नवीकरण आवेदन केवल रॉयल्टी अनापत्ति प्रमाण पत्र की कमी के आधार पर विवेक का इस्तेमाल किए बिना अस्वीकार कर दिया गया है।

5. प्रत्यर्थी राज्य ने अपना प्रतिशपथपत्र दाखिल किया है। उनका सुविचारित दृष्टिकोण यह है कि याची ने दिनांक 7.10.2010 के पत्र सं॰ 3133/M, दिनांक 5.2.2011 के पत्र सं॰ 161/M, दिनांक 10.5.2011 के पत्र सं॰ 571/M, दिनांक 27.8.2012 के पत्र सं॰ 1229/M और दिनांक 11.9.2014 के वर्तमान पत्र जैसे अनेक पत्रों के माध्यम से बार–बार की गयी मांग के बावजूद पहले भुगतान की गयी समस्त बकाया राशि समायोजित करने के बाद दिनांक 11.9.2014 के मेमो सं॰ 1039 वाले पत्र में यथा उपदर्शित बकाया का भुगतान नहीं किया था। उनका मामला यह है कि 1.10.2010 को किया गया 1,86,000/- रुपयों का भुगतान दिसंबर, 2009 तक के बकाया के विरुद्ध है। तत्पश्चात कोई भुगतान नहीं किया गया है। सितंबर 2010 तक इस पट्टा पर किराया एवं रॉयल्टी से संबंधित बकाया मार्च 2011 तक 47,035.59/-रुपया था जो जून 2012 तक 71,219.59/- रुपया हो गया और यह बकाया 1,40,996 तक हो गया और अंतत जून 2014 तक यह राशि याची की ओर से गैर भुगतान के कारण 25,434/- रुपया हो गयी। याची बार–बार याद दिलाए जाने के बावजूद रॉयल्टी अनापत्ति प्रमाण पत्र इप्सित करने के लिए भुगतान नहीं कर सका था और न ही उसने डिसपैच आँकड़ा, खतियान की प्रति प्रस्तुत नहीं किया था। अंतत: 90 दिनों की अवधि के अवसान के बाद, नवीकरण आवेदन समय वर्जित बन गया। अत:, खान आयुक्त ने भी याची के दावा में गुणागुण नहीं पाया था और उसका आवेदन अस्वीकार कर दिया। याची को रॉयल्टी अनापत्ति प्रमाण पत्र और बकाया का भुगतान जैसे सांविधिक कागजातों को दाखिल करने का पूरा अवसर दिया गया था किंतु वह समय के भीतर ऐसा करने में विफल रहा। पट्टा बीतने के बाद इसे

नियमावली 2004 के निबंधनानुसार किसी हितबद्ध व्यक्ति को बंदोबस्त करने के लिए खुला बनाया गया था। अतः, वर्तमान मामले में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6. मैंने अभिलेख पर मौजूद प्रासंगिक तात्विक तथ्यों एवं पक्षों के निवेदनों पर विचार किया है। तथ्यों का क्रम दोहराने की आवश्यकता नहीं है। अभिलेख पर मौजूद अभिवचनों से प्रकट है कि पुनरीक्षण मामला सं॰ 13/10 में पारित दिनांक 4.10.2010 के आदेश के आलोक में प्रत्यर्थी प्राधिकारियों की ओर से याची को जून, 2014 तक रॉयल्टी बकाया के रूप में 2,55,434/-रुपयों का भुगतान करने के लिए कहते हुए याची से खनन बकाया के खातों के अंतिम मिलान एवं समायोजन दर्शाया नहीं गया है। दूसरी ओर, याची ने दिसंबर, 2009 की अवधि तक के लिए की गयी मांग (परिशिष्ट–1) के निबंधनानुसार बकाया के रूप में 1,86,000/- रुपयों का भुगतान दर्शाया है। यदि प्रत्यर्थी प्राधिकारियों अर्थात् सहायक खनन अधिकारी ने पुनरीक्षण प्राधिकारी को उसके दिनांक 27.8.2014 के आदेश (परिशिष्ट–6) के निबंधनानुसार स्टेट्स रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 11.9.2014 के पत्र द्वारा मासिक रिटर्न प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और याची ने 16.8.2014 को परिशिष्ट–8 के माध्यम से इसे प्रस्तुत किया, खान आयुक्त सहित प्रत्यर्थी प्राधिकारियों को स्वयं को प्रश्नगत पट्टा के संबंध में उसके विरुद्ध बकाया राशि, बकाया किराया के विवाद्यक पर संतुलन करने के लिए याची को कम से कम एक अवसर देना चाहिए था। किंतु, पुनरीक्षण प्राधिकारी ने 16.10.2014 को आवेदन गुणागुण रहित होने के चलते अस्वीकार करना चुना है। यदि स्वयं जिला खनन अधिकारी, धनबाद द्वारा स्वयं दिनांक 4.10.2010 के आदेश के निबंधनानुसार खनन बकाया के खातों का मिलान एवं समायोजन किया जाता है, यह एक या दूसरे निष्कर्ष की ओर ले जाएगा अर्थात् याची सितंबर, 2014 तक उस कारण किसी शेष बकाया का भुगतान करने का दायी हो सकता है अथवा कि रॉयल्टी, बकाया किराया के मद में याची के विरुद्ध आगे बकाया शेष नहीं रहेगा।

7. अतः विधि के अनुरुप प्रत्यर्थी पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मामले पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। तद्नुसार, परिशिष्ट 9 पर दिनांक 16.10.2014 का आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है। याची को सम्यक अवसर देने के बाद विधि के अनुरुप इस पर पुनर्विचार करने के लिए मामला प्रत्यर्थी सं॰ 2 खान आयुक्त, पुनरीक्षण प्राधिकारी को वापस भेजा जाता है। इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तिथि से 12 सप्ताह की अवधि के भीतर उक्त कार्य पूरा किया जाए।

8. पूर्वोक्त निबंधनों में रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; çnhi dekj ekgUrh] ,ñ lhñ tñ ,o vkuUn lu] U;k;efr

रंजीत कुमार प्रामाणिक

cuke

झारखंड लोक सेवा आयोग एवं अन्य

LPA No. 251 of 2015. Decided on 3rd March, 2017.

सेवा विधि–नियुक्ति–सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिविजन) का पद–मार्गदर्शक सिद्धांत केवल यह सुझाते हैं कि अतिरिक्त प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए और इसे काट कर हटा देना चाहिए–जे॰ पी॰ एस॰ सी॰ यह प्रतिवाद नहीं कर सकता है कि अपीलार्थी की संपूर्ण उत्तर पुस्तिका परित्यक्त कर देना चाहिए क्योंकि उसने अतिरिक्त प्रश्नों का उत्तर दिया है–यदि अपीलार्थी के अंक उसकी कोटि में अंतिम चयनित उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए कट-ऑफ

अंकों के समान अथवा अधिक हैं, रिक्ति के विरुद्ध अपीलार्थी की अनुशंसा की जाएगी–अपील अनुज्ञात की गयी। (पैराएँ 15 से 19)

अधिवक्तागण.–M/s Indrajit Sinha, Krishanu Rai, Shadab Eqbal, For the Appellants; M/s Anil Kumar Sinha, Sanjay Piperawall, Divyam, For the Respondents.

आदेश

आनन्द सेन, न्यायमूर्ति.–डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 1695 वर्ष 2015 में पारित दिनांक 24.4.2015 के निर्णय से व्यथित होकर रिट याची–अपीलार्थी ने लेटर्स पेटेन्ट अपील के खंड 10 के अधीन यह अपील दाखिल किया है। रिट याची लिखित परीक्षा में उपस्थित हुआ जिसे सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिविजन) का पद भरने के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग (संक्षेप में 'जे॰ पी॰ एस॰ सी॰') द्वारा संचालित किया गया था।

2. रिट याची–अपीलार्थी जो बी॰ सी॰ I उम्मीदवार है विज्ञापन सं॰ 04/2013 के अनुसरण में वर्ष 2014 में मुख्य परीक्षा में उपस्थित हुआ। उसे रॉल सं॰ 41321098 आवंटित किया गया था। लिखित परीक्षा चार विषयों से गठित है जो निम्नलिखित हैं:–

01 fofèk&I

02 fofèk&II

03 fofèk&III

04 fgUnh ,o vxth

3. विवाद पेपर विधि III के संबंध में उद्‌भूत हुआ। उक्त परीक्षा का परिणाम प्रकाशित किया गया था और अपीलार्थी को लिखित परीक्षा में 400 अंकों में से 190 अंक और साक्षात्कार में 100 में 44 अंक प्राप्त करने पर असफल घोषित किया गया था। अपीलार्थी के मुताबिक अपीलार्थी की कोटि अर्थात बी॰ सी॰ I में कट–ऑफ–अंक 239 था और अपीलार्थी के अंक केवल 5 अंक कम थे। अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन उत्तर पुस्तिका के निरीक्षण के लिए आवेदन दिया और उसे उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण करने की अनुमति दी गयी थी। उत्तर पुस्तिका के निरीक्षण से अपीलार्थी को जानकारी हो सकी थी कि विषय सं॰ III के सेक्शन ई॰ का प्रश्न 9 परीक्षक द्वारा मूल्यांकित नहीं किया गया था क्योंकि परीक्षक ने टिप्पणी 'अतिरिक्त' किया था। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी सं॰ 2 सचिव, झारखंड लोक सेवा आयोग के समक्ष 7.4.2015 को अभ्यावेदन दाखिल किया किंतु कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी। कोई विकल्प नहीं होने पर, रिट याची अपीलार्थी 22.4.2015 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका दाखिल करके उसमें झारखंड न्यायिक सेवा एवं सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिविजन) मुख्य परीक्षा 2014 के विषय III के सेक्शन ई॰ को जाँचने एवं मूल्यांकित करने का निर्देश के लिए प्रार्थना करते हुए इस न्यायालय के पास आया।

4. रिट याचिका इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सुनी गयी थी और दिनांक 24.4.2015 के निर्णय द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश इसे इस न्यायालय के पास आने में विलंब के आधार पर और इस आधार पर भी कि न्यायालय यह अभिनिश्चित नहीं कर सकता है कि परीक्षक ने सेक्शन ई॰ के प्रश्न 9 का मूल्यांकन क्यों नहीं किया है, खारिज कर दिया था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया है कि यदि विषय सं॰ 3 के उक्त प्रश्न को मूल्यांकित/चेक करने का निर्देश जारी किया जाता है, संपूर्ण प्रक्रिया रुक जाएगी। विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने वर्तमान लेटर्स पेटेन्ट अपील दाखिल किया है।

5. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता और झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता और झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख का परिशीलन किया है।

6. अपीलार्थी के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि प्रत्यर्थियों ने विषय 3 विधि के खण्ड ई॰ के प्रश्न सं॰ 9 का मूल्यांकन न करके गम्भीर अनियमितता किया है। वह आगे निवेदन करते हैं कि परीक्षक ने सेक्शन ई॰ के प्रश्न सं॰ 9 को अतिरिक्त उत्तर के तौर पर माना है, जिसे वस्तुत: प्रश्न पत्र में दिए गए अनुदेश की दृष्टि में एक अतिरिक्त उत्तर नहीं माना जा सकता है। अपीलार्थी के मुताबिक सेक्शन ई॰ के एक प्रश्न का उत्तर अपीलार्थी द्वारा दिया जाना था क्योंकि यह अनिवार्य था और चूँकि अपीलार्थी ने सेक्शन ई॰ से प्रश्न सं॰ 9 का उत्तर दिया है, इसे परीक्षक द्वारा मूल्यांकित किया जाना चाहिए था और इसे 'अतिरिक्त' नहीं कहा जा सकता था।

7. जे॰ पी॰ एस॰ सी॰ के लिए उपस्थित अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि प्रश्नपत्र में दिए गए निर्देश के अनुसार, उम्मीदवारों को पाँच प्रश्न का उत्तर देना होगा किंतु अपीलार्थी ने छह प्रश्न का उत्तर दिया है। अत: अंतिम प्रश्न जो सेक्शन ई॰ का प्रश्न सं॰ 9 है, स्वाभाविकत: अतिरिक्त प्रश्न बन जाता है जिसे अनुदेश के मुताबिक मूल्यांकित नहीं किया जाना था। वह आगे निवेदन करते हैं कि चूँकि अपीलार्थी ने अतिरिक्त प्रश्न का उत्तर दिया है और अनुदेश का अनुसरण नहीं किया है, उसकी संपूर्ण उत्तर पुस्तिका परित्यक्त कर दी जानी चाहिए थी। वह आगे निवेदन करते हैं कि प्रत्यर्थी प्राधिकारियों द्वारा कोई स्पष्ट गलती नहीं की गयी है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता है। वह निवेदन करते हैं कि पाँच प्रश्नों का मूल्यांकन करना आवश्यक है जिसे मूल्यांकित किया गया है और निर्देश के मुताबिक छठा प्रश्न अतिरिक्त है जिसे सही प्रकार से मूल्यांकित नहीं किया गया है। अंत में वह निवेदन करते हैं कि यह एल॰ पी॰ ए॰ खारिज किए जाने की दायी है।

8. इस पृष्ठभूमि में यह देखा जाना है कि क्या विषय 3 (विधि) के सेक्शन ई॰ का प्रश्न सं॰ 9 जहाँ तक यह अपीलार्थी से संबंधित है को मूल्यांकित करने की आवश्यकता है या नहीं और क्या उक्त उत्तर 'अतिरिक्त' है या नहीं।

9. इस विवाद्यक को विनिश्चित करने के लिए प्रश्न पत्र में दिए गए अनुदेश को निर्दिष्ट करना महत्वपूर्ण है। उम्मीदवारों के लिए विषय III विधि के शीर्ष पर नोट है। नोट अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों में है। यहाँ नीचे उक्त नोट को उद्धृत करना आवश्यक है:–

> "Candidates are required to answer five questions selecting compulsorily one question from each Section.
>
> *vH;Fkhx.k dy ikp i'uk d mÙkj nA iR;d [k.M l ,d i'u dk mÙkj nuk vfuok;z gA***

10. उक्त नोट/अनुदेश के परिशीलन से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उम्मीदवार को प्रत्येक सेक्शन से अनिवार्यत: एक प्रश्न चुनकर पाँच प्रश्नों का उत्तर देना होगा। संपूर्ण प्रश्नपत्र पाँच खंडों में विभाजित है और प्रश्नों का पैटर्न निम्नलिखित है:–

[kM A–ç'u l0 1 (a) (b) ,o 2 (a) (b)

[kM B–ç'u l0 3 (a) (b) ,o 4 (a) (b)

[kM C–ç'u l0 5 ,o 6 (a) (b)

[kM D–ç'u l0 7 (a) (b) ,o 8

[kM E–ç'u l0 9 (a) (b) ,o 10 (a) (b)

इस प्रकार उम्मीदवार को प्रत्येक खंड से एक प्रश्न का उत्तर अनिवार्यत: देना है।

11. अपीलार्थी की उत्तर पुस्तिका जे॰ पी॰ एस॰ सी॰ द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी और इसके परिशीलन से यह अविवादित है कि अपीलार्थी ने निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दिया है:–

lD'ku A–ç'u lO 1(a)(b)

lD'ku B–ç'u lO 3(b) ,o 4(b)

lD'ku C–ç'u lO 6(a)(b)

lD'ku D–ç'u lO 7 (a) ,o 7(b)

lD'ku E–ç'u lO 9(a) ,o 9(b)

12. अपीलार्थी ने खंडों A, C, D एवं E से एक प्रश्न का उत्तर दिया है और खंड B से दो प्रश्नों का उत्तर दिया है। परीक्षक ने प्रथम पाँच प्रश्नों का मूल्यांकन किया और छठे प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया था जो खंड E से था और इसे इस आधार पर कि अनुदेश के मुताबिक उम्मीदवार को केवल पाँच प्रश्नों का उत्तर देना था, 'अतिरिक्त' प्रश्न माना।

13. जे॰ पी॰ एस॰ सी॰ के अधिवक्ता सहमत हुए कि चूँकि अतिरिक्त प्रश्न का उत्तर दिया गया है, संपूर्ण उत्तर पुस्तिका परित्यक्त कर दी जानी चाहिए थी। जे॰ पी॰ एस॰ सी॰ के अधिवक्ता ने इस न्यायालय को अनुदेशों का संवर्ग सौंपा है, जिसे परीक्षकों के बीच प्रसारित किया गया था जो मार्गदर्शक सिद्धांत भी है कि किस प्रकार उत्तर पुस्तिका मूल्यांकित की जानी होगी। उक्त मार्गदर्शक सिद्धांत कहीं नहीं सुझाता है कि यदि अतिरिक्त प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, संपूर्ण उत्तर पुस्तिका परित्यक्त कर दी जाएगी। मार्गदर्शक सिद्धांत केवल यह सुझाता है कि अतिरिक्त प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए और काट दिया जाना चाहिए। इस प्रकार, जे॰ पी॰ एस॰ सी॰ के अधिवक्ता का प्रतिवाद कि अपीलार्थी की संपूर्ण उत्तर पुस्तिका परित्यक्त कर दी जानी चाहिए थी क्योंकि उसने अतिरिक्त प्रश्न का उत्तर दिया है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है और इसमें बल नहीं है।

14. अब प्रश्न यह है कि खंड E से प्रश्न सं॰ 9 का उत्तर अतिरिक्त उत्तर है या नहीं। यदि यह नहीं है, तब अतिरिक्त उत्तर क्या है जिसे परीक्षक द्वारा मूल्यांकित नहीं किया जाना चाहिए था।

15. प्रश्न पत्र में दिए गए अनुदेश के मुताबिक प्रत्येक खंड से एक प्रश्न का उत्तर देना उम्मीदवार के लिए अनिवार्य था। इस प्रकार प्रत्येक खंड से एक उत्तर अनिवार्य होने के कारण किसी भी खंड से इसके अतिरिक्त कोई उत्तर 'अतिरिक्त उत्तर' है। उत्तर पुस्तिका में अनुदेश सुस्पष्ट है। अनुदेश इस प्रभाव का है कि उम्मीदवार को पाँच प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक खंड से एक प्रश्न अनिवार्य है। संपूर्ण प्रश्नपत्र में पाँच पत्र में पाँच खंड हैं और प्रत्येक खंड से एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। यदि उम्मीदवार खंड विशेष से दो प्रश्नों का उत्तर देता है, तब उस खंड विशेष के द्वितीय प्रश्न का उत्तर 'अतिरिक्त' उत्तर है। वर्तमान मामले में जैसा पहले अभिनिर्धारित किया गया है, अपीलार्थी को खंड B से दो प्रश्नों का उत्तर दिया है जब केवल एक प्रश्न का उत्तर अनिवार्यत: देने की आवश्यकता थी।

16. इस प्रकार, उपर की गयी चर्चा से यह सुस्पष्ट है कि खंड B का दूसरा उत्तर अर्थात प्रश्न सं॰ 4 (b) का उत्तर 'अतिरिक्त उत्तर' है। चूँकि खंड E से एक प्रश्न का उत्तर अनिवार्यत: दिया जाना था और अपीलार्थी ने प्रश्न सं॰ 9 का उत्तर दिया है; यह निष्कर्षित करना झारखंड लोक सेवा आयोग की

ओर से गलत है कि उत्तर पुस्तिका का अंतिम उत्तर अर्थात सं॰ 9 का उत्तर 'अतिरिक्त' है। इस प्रकार, हम अभिनिर्धारित करते हैं कि प्रश्न सं॰ 9 का उत्तर 'अतिरिक्त उत्तर' नहीं है और इस प्रकार इसे मूल्यांकित करने की आवश्यकता है।

17. इस प्रकार, हम झारखंड लोक सेवा आयोग को प्रश्न सं॰ 9 का उत्तर मूल्यांकित करने तथा प्रश्न सं॰ 4 (b) को काटने का निर्देश देते हैं। हम आगे झारखंड लोक सेवा आयोग को प्रश्न सं॰ 9 का मूल्यांकन करने के बाद अपीलार्थी के अंकों की पुनर्संगणना और प्रश्न सं॰ 4 (b) का उत्तर छोड़ देने और अपीलार्थी का परिणाम प्रकाशित करने का निर्देश देते हैं। यदि अपीलार्थी के अंक उसकी कोटि में अंतिम चयनित उम्मीदवार के अंक के समान अथवा कट-ऑफ-अंक से अधिक हैं अपीलार्थी के लिए रिक्ति, यदि विद्यमान है, के विरुद्ध उस पद के लिए जिसके लिए अपीलार्थी ने आवेदन दिया था जगह बनाया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संपूर्ण कार्य इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तिथि से चार सप्ताह की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

18. हम यह भी पाते हैं कि इस रिट याचिका को दाखिल करने में विलंब नहीं हुआ था क्योंकि रिट याची ने केवल 25.3.2015 को उत्तर पुस्तिका का परिशीलन किया और उसने 22.4.2015 को रिट याचिका दाखिल किया जो एक माह से कम है। यह विलंब याची के लिए घातक नहीं कहा जा सकता है।

19. इन संप्रेक्षणों एवं निर्देशों के साथ यह अपील अनुज्ञात की जाती है।

प्रदीप कुमार मोहन्ती, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश.—मैं सहमत हूँ।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk ,o Mkñ ,lñ ,uñ ikBd] U;k;efrx.k

ज्योति देवी

cuke

अशोक तंबोली

F.A. No. 79 of 2016. Decided on 10th January, 2017.

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955—धाराएँ 13 एवं 13B—आपसी सहमति से तलाक—धाराओं 13 एवं 13B के अधीन आवेदनों की गुंजाइश बिल्कुल भिन्न है—अभिवचनों को भी बिल्कुल भिन्न होना होगा—पक्षों के बीच अब आपसी करार नहीं है और पक्षगण अब विवाद्यक पर प्रतिवाद कर रहे हैं—धारा 13B के अधीन आवेदन अब पोषणीय नहीं है और इसे सही प्रकार से अवर न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है—अपीलार्थी को धारा 13 के अधीन आवेदन के साथ अवर न्यायालय के पास जाने की स्वतंत्रता के साथ अपील खारिज की गयी।

(पैराएँ 5 से 7)

अधिवक्तागण.—Mr. Arun Kumar, For the Appellant; Md. Kaisar, For the Respondent.

आदेश

<u>आई॰ ए॰ सं॰ 5841 वर्ष 2016</u>

वर्तमान अंतर्वर्ती आवेदन इस अपील को दाखिल करने में 42 दिनों का विलंब माफ करने के लिए दाखिल किया गया है।

अंतर्वर्ती आवेदन में किए गए कथनों की दृष्टि में, अपील दाखिल करने में विलंब एतद् द्वारा माफ किया जाता है।

इस प्रकार पूर्वोक्त अंतर्वर्ती आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

एफ॰ ए॰ सं॰ 79 वर्ष 2016

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. अपीलार्थी तलाक मामला सं॰ 29 वर्ष 2013 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, गुमला द्वारा पारित दिनांक 8.4.2016 के आदेश से व्यथित है जिसके द्वारा दोनों पक्षों द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के अधीन दाखिल आपसी सहमति द्वारा तलाक की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए आवेदन समय बीत जाने के कारण निष्फल के रूप में खारिज कर दिया गया है।

3. आक्षेपित आदेश दर्शाता है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के अधीन आपसी सहमति द्वारा तलाक के प्रदान के लिए 23.12.2013 को संयुक्त रूप से आवेदन दाखिल किया गया था। तत्पश्चात अपीलार्थी द्वारा उसको स्थायी निर्वाह भत्ता के प्रदान के लिए अवर न्यायालय में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के अधीन याचिका दाखिल की गयी थी। तब से पक्षगण अवर न्यायालय में साक्ष्य दे रहे थे। अभिलेख आगे प्रकट करता है कि आरंभ में आपसी सहमति द्वारा तलाक की डिक्री के लिए आवेदन दाखिल किया गया था, किंतु बाद में यह प्रतिवादित मामला बन गया और प्रकटत: अब काफी समय से पक्षों में सहमति नहीं थी। चूँकि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के अधीन आवेदन दाखिल करने के बाद लंबी अवधि बीत गयी थी, इसे अवर न्यायालय द्वारा समय बीतने के आधार पर निष्फल के रूप में खारिज कर दिया गया था, किंतु आक्षेपित आदेश में यह उल्लेख पाता है कि पक्षों के बीच आपसी सहमति अब नहीं है बल्कि मामला प्रतिवादित बन गया है।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश बिल्कुल अवैध है और विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है। आगे यह निवेदन किया गया है कि किसी भी स्थिति में स्वयं आवेदन हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अधीन आवेदन में संपरिवर्तित किया जाना चाहिए था।

5. हम विद्वान अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार करने में अक्षम हैं, क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 एवं हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के अधीन आवेदनों की गुंजाइश बिल्कुल भिन्न है। अभिवचनों को भी बिल्कुल भिन्न होना होगा। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अधीन आवेदन के लिए आवेदक को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अधीन विनिर्दिष्ट आधारों पर तलाक की डिक्री के लिए मामला बनाना होगा जबकि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के अधीन आपसी सहमति द्वारा तलाक की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए केवल यह अभिवचन करना होगा कि पक्षगण एक वर्ष या अधिक समय से पृथक रूप से रह रहे हैं और कि वे साथ रहने में सक्षम नहीं हुए हैं और कि वे परस्पर रूप से सहमत हुए हैं कि विवाह विघटित कर दिया जाए।

6. इस तथ्य की दृष्टि में कि आक्षेपित आदेश स्पष्टत: दर्शाता है कि पक्षों के बीच अब आपसी सहमति नहीं है और पक्षगण अब वाद कर रहे हैं, हमारा सुविचारित मत है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के अधीन आवेदन अब अवर न्यायालय में पोषणीय नहीं है और इसे सही प्रकार से अवर न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है।

7. किंतु, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन की दृष्टि में हम अपीलार्थी को तलाक की डिक्री के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अधीन समुचित आवेदन और स्थायी निर्वाह भत्ता के लिए याचिका के साथ अवर न्यायालय के पास जाने की स्वतंत्रता देते हैं यदि अपीलार्थी ऐसा चाहती है।

8. इस अपील में गुणागुण नहीं है और तद्नुसार इसे खारिज किया जाता है।

ekuuh; ,p lhñ feJk ,o Mkñ ,l ,uñ ikBd] U;k;efrx.k

राखी कुमारी उर्फ राखी कुमारी मिश्रा

cuke

सुभाष कुमार मिश्रा

F.A. No. 172 of 2016. Decided on 12th January, 2017.

मूल वाद (संरक्षकता) मामला सं॰ 65 वर्ष 2015 में प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राँची द्वारा पारित 8 जुलाई 2016 के निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध।

संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890—धारा 9 (1)—अवयस्क की अभिरक्षा–एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध अपील की पोषणीयता–राँची के न्यायालय में संतान की अभिरक्षा के लिए वाद अधिनियम की धारा 9 (1) के अधीन स्पष्टतः वर्जित था क्योंकि यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर साक्ष्य मौजूद नहीं है कि संतान एवं माता कभी राँची आए और राँची में रहे–इस दशा में अवर न्यायालय को प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल वाद ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं थी–संतान का जन्म पत्नी द्वारा प्रत्यर्थी के अभित्यजन के बाद बिहार राज्य में अस्पताल में हुआ था और संतान लगातार बिहार राज्य में अपनी माता के साथ रह रहा है–अपीलार्थी को अपने पति को अवयस्क संतान की अभिरक्षा सौंपने का निर्देश देने वाला आक्षेपित निर्णय पूर्णतः अधिकारिताहीन है और विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है–अपील अनुज्ञात की गयी। (पैराएँ 8 से 10)

अधिवक्तागण.–M/s A.K. Mehta, Manoj Prasad, For the Appellant; Mr. Sudhir Kumar Sharma, For the Respondent.

न्यायालय द्वारा.–अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं एकमात्र प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. अपीलार्थी मूल वाद (संरक्षण) मामला सं॰ 65 वर्ष 2015 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राँची द्वारा पारित दिनांक 8 जुलाई 2016 के एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री से व्यथित है जिसके द्वारा वर्तमान अपीलार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही में उसे अपने पति जो वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी है को अवयस्क संतान की अभिरक्षा सौंपने का निर्देश दिया गया है।

3. आक्षेपित निर्णय में वर्णित मामले के तथ्य संक्षिप्त हैं। पक्षों के बीच विवाह 4.5.2001 को आद्रा, जिला पुरुलिया, पश्चिम बंगाल राज्य में संपन्न किया गया था और विवाह संबंध से बिहार राज्य में भागलपुर में 21.7.2007 को पुत्र प्रेम मिश्रा उर्फ अनित कुमार का जन्म हुआ था। प्रत्यर्थी के मामले के अनुसार, उसके पहले अपीलार्थी जो अवर न्यायालय में मूलवाद में विरोधी पक्षकार थी, ने उसका अभित्यजन कर दिया था और जनवरी, 2017 में उसका संग छोड़ दिया था और प्रत्यर्थी जो मूल वाद में रिट याची था ने अपीलार्थी और अवयस्क पुत्र को राँची में अपने घर लाने का प्रयास किया, किंतु उसका समस्त प्रयास निरर्थक रहा। तत्पश्चात, प्रत्यर्थी ने दांपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अधीन आवेदन दाखिल किया। प्रत्यर्थी का मामला यह है कि वह बिहार राज्य के अंतर्गत सुलतानगंज आता-जाता था जहाँ उसकी पत्नी एवं उसका पुत्र अपने माता-पिता के साथ रह रही थी जहाँ उसको अपने पुत्र को अत्यन्त बेढंगे, प्रतिकूल, अहितकर एवं निंदनीय दशा में उपेक्षा किया जाता एवं देख

भाल के बिना बढ़ते देखा और तद्नुसार विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राँची के न्यायालय में संतान की रक्षा के लिए वाद दाखिल किया गया था।

4. मामला एकपक्षीय सुनवाई के लिए 20.1.2016 को नियत किया गया था और अवर न्यायालय में वर्तमान प्रत्यर्थी की ओर से दिए गए गवाहों का परीक्षण करने पर आक्षेपित एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया था और पत्नी को वर्तमान प्रत्यर्थी को संतान की अभिरक्षा सौंपने का निर्देश दिया गया था। निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने वर्तमान अपील दाखिल किया है।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अवर न्यायालय को प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल वाद ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं थी, क्योंकि स्वीकृत रूप से विवाहोपरांत अपीलार्थी ने जनवरी, 2007 में पति का साथ छोड़ दिया था और संतान का जन्म बिहार राज्य में भागलपुर में 21.7.2007 को हुआ था। इस दशा में संतान का सामान्य निवास स्थान बिहार राज्य के अंतर्गत भागलपुर जिला में सुलतानगंज में था जहाँ अपीलार्थी अपने अवयस्क पुत्र के साथ अपने माएके में रह रही थी। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धार 9 (1) के अनुसार अवर न्यायालय को पति द्वारा दाखिल वाद ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं थी, और तद्नुसार, अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है।

6. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया है और निवेदन किया है कि मात्र इस तथ्य के कारण कि पुत्र बिहार राज्य के अंतर्गत भागलपुर जिला में सुलतानगंज में अपनी माता के साथ रह रहा है, यह उस स्थान को संतान का सामान्य निवास स्थान नहीं बनाएगा। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि संतान राँची में गर्भ में आया था और पिता के संतान का स्वाभाविक संरक्षक होने के नाते राँची में रह रहा है और, तद्नुसार, संतान का सामान्य निवास स्थान इस तथ्य को ध्यान में लिए बिना राँची होगा कि संतान राँची कभी नहीं आया है, और तद्नुसार, अवर न्यायालय को प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल वाद ग्रहण करने की अधिकारिता थी।

7. अपने प्रतिवाद के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने **रुचि माजू बनाम संजीव माजू, (2011)6 SCC 479**, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया है जिसमें निम्नलिखित विधि अधिकथित की गयी है:–

> *"23. lj{kd ,o çfrikY; vfèkfu;e] 1890 dh èkkjk 9 vo;Ld dh vfHkj{kk d çnku d fy, nkok xg.k dju d fy, U;k;ky; dh vfèkdkfjrk d lcèk e fofufn"V çkoèkku cukrh gA tgk èkkjk 9 dh mièkkjk (1) vo;Ld d 'kjhj dh vfHkj{kk d fy, vkn'k ikfjr dju d fy, l{ke U;k;ky; dh igpku djrh g] mldh mièkkjk, (2) ,o (3) mu U;k;ky;k ij fopkj djrh g ftud ikl vo;Ld d Lokfeo okyh lifÙk dh lj{kdrk d fy, tk;k tk ldrk gA vr% doy èkkjk 9 (1) gekj ç;ktu l çklfxd gA ;g dgrh g%&*
>
> "9. ***vkonu xg.k dju dh vfèkdkfjrk j[ku okyk U;k;ky;****& (1) ;fn vo;Ld d 'kjhj dh lj{kdrk d lcèk e vkonu fd;k x;k g] bl ml LFkku tgk vo;Ld lekU;r% fuokl djrk g e vfèkdkfjrk j[ku oky fty U;k;ky; e fn;k tk,xkA***
>
> *24. mDr d dkj iBu l ;g Li"V g fd vfèkfu;e dh èkkjk 9 d vèkhu U;k;ky; dh vfèkdkfjrk fofuf'pr dju d fy, ,dek= ijh{kk vo;Ld dk*

*^^lkekU; fuokl LFkku** gA ç;Dr vfHk0;fDr ^^tgk vo;Ld lkekU; r% fuokl djrk g** gA vc D;k vo;Ld lkekU; r% fn, x, LFkku ij fuokl dj jgk g e[; r% vk'k; dk ç'u g tk fQj rF; dk ç'u gA ;g vfèkdkfèkd fofèk ,o rF; dk fefJr ç'u gk ldrk g] fdr tcrd vfèkdkfjrk d rF;k dk Lohdkj ugh fd;k tkrk g] ;g fofèk dk 'k) ç'u dHkh ugh gk ldrk g tk fookn d rkfF;d igyvk e tkp d fcuk mÜkj d ;kX; gA*

x x x xxx x x x

*31. HkkX; y{eh cuke d0 ukjk;.kk jko] vi.kk cuth cuke riu cuth jkel#i cuke fpEeu yky] foeyk noh cuke ek;k noh ,o ft ;koUuh ekdk eTt MkO dk fufn"V fd;k tk ldrk g ft le mPp U;k;ky;k u ^^lkekU; fuokl h** vkj ^^lkekU; r% fuokl djrk g** t lh vfHk0;fDr;k d vFk ,o rkRi; ij fopkj fd;k g vkj nf"Vdk.k fy;k g fd ;g ç'u fd D;k dkb lkekU; r% fn, x, LFkku ij fuokl djrk g] ml LFkku dk fdl h dk lkekU; fuokl LFkku cuku d fy, vk'k; ij fuHkj djrk gA**

इस निर्णय पर विश्वास करते हुए प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि इस प्रश्न कि क्या कोई दिए गए स्थान पर सामान्यत: निवास करता है का उत्तर उस स्थान को किसी का सामान्य निवास स्थान बनाने के लिए आशय पर निर्भर करता है। यह निवेदन भी किया गया है कि मात्र इस तथ्य के कारण कि संतान को बिहार राज्य के अंतर्गत भागलपुर जिला में सुल्तानगंज में जबरन रखा गया है, उस स्थान को संतान का सामान्य निवास स्थान नहीं बनाएगा, बल्कि संतान का सामान्य निवास स्थान राँची होगा, जहाँ संतान का पिता एवं नैसर्गिक संरक्षक निवास कर रहा है। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अवर न्यायालय को आवेदन ग्रहण करने की अधिकारिता थी।

8. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं अभिलेख का परिशीलन करने पर हम प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार करने में अक्षम हैं। स्वीकृत रूप से, प्रत्यर्थी के मामले के अनुसार पत्नी ने जनवरी, 2007 में पति का अभित्यजन कर दिया था, तत्पश्चात 21.7.2007 को भागलपुर में अस्पताल में संतान का जन्म हुआ था। स्वयं प्रत्यर्थी के मामले के अनुसार, संतान बिहार राज्य के अंतर्गत भागलपुर जिला में सुलतानगंज में अपनी माता के साथ लगातार रह रहा है। अवर न्यायालय में प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल आवेदन, जिसे प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल प्रतिशपथ पत्र के रूप में अभिलेख पर लाया गया है, में यह दर्शाने के लिए प्रकथन नहीं है कि संतान एवं माता कभी भी राँची आए और राँची में निवास किया।

9. मामले के उस दृष्टिकोण में, संतान का सामान्य निवास स्थान बिहार राज्य के अंतर्गत भागलपुर जिला में सुलतानगंज होगा। हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि संतान की अभिरक्षा के लिए राँची के न्यायालय में वाद संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 9 (1) के अधीन स्पष्टत: वर्जित था और अवर न्यायालय को प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल वाद ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं थी। इस दशा में, अपीलार्थी को अपने पति को अवयस्क संतान की अभिरक्षा सौंपने का निर्देश देने वाला आक्षेपित निर्णय पूर्णत: अधिकारिताहीन है और विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है।

10. तद्नुसार, मूल वाद (संरक्षकता) मामला सं॰ 65 वर्ष 2015 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राँची द्वारा पारित दिनांक 8 जुलाई, 2016 का एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है। परिणामस्वरुप, यह अपील अनुज्ञात की जाती है।

ekuuh; MkW ,l ,uW ikBd] U;k;efr

अशोक कुमार पूर्वे उर्फ अशोक कुमार पूर्वे

cuke

झारखंड राज्य

Cr. M.P. No. 943 of 2016. Decided on 10th February, 2017.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 406, 409, 420, 467, 468 एवं 471/34—न्यास का दांडिक भंग, छल एवं कूट रचना—पैरा शिक्षकों को मानदेय के भुगतान में सरकारी निधि के दुर्विनियोग के लिए याची के विरुद्ध दर्ज संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के साथ प्राथमिकी के अभिखंडन के लिए की गयी प्रार्थना—यह निवेदन किया गया है कि निधि के दुर्विनियोग में याची की मौनानुकूलता अथवा भूमिका नहीं है, इस दशा में याची के विरुद्ध संज्ञान लेने वाला आदेश एवं संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अभिखंडित कर दी जानी चाहिए—यह निवेदन किया गया है कि याची के विरुद्ध निधि के दुर्विनियोग का प्रत्यक्ष अभिकथन है और याची के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनाता है और उसके विरुद्ध पर्याप्त सामग्री है—द्वेषपूर्ण अभियोजन अथवा प्रतिशोध का आधार अभिलेख पर नहीं लाया गया है और याची अपने विरुद्ध प्रथम दृष्टया सामग्री त्यक्त करने में सक्षम नहीं हुआ है—वर्तमान याचिका में गुणागुण नहीं पाया गया और इसे खारिज किया गया। (पैराएँ 5 से 7)

निर्णयज विधि.—2014 (3) JLJ 92 (SC) : (2014) 14 SCC 29; 1992 Supp (1) SCC 335; (2016)6 SCC 699; **2015 (1) JLJ 1 (SC) :** (2014)10 SCC 663—Relied.

अधिवक्तागण.—Mr. Bhanu Kumar, For the Petitioner; Mr. Pankaj Kumar, For the State.

आदेश

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन इस न्यायालय की अंतर्निहित अधिकारिता का अवलंब लेते हुए याची संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के साथ दिनांक 26.8.2011 की प्राथमिकी, जिसे याची के विरुद्ध छतरपुर पी॰ एस॰ केस सं॰ 118 वर्ष 2011, जी॰ आर॰ सं॰ 1467 वर्ष 2011 के तत्सम, के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 406, 409, 420, 467, 468 एवं 471/34 के अधीन दर्ज किया गया है, के अभिखंडन के लिए इस न्यायालय के पास आया है।

2. तथ्य जो इस मामले में प्रासंगिक हैं संक्षेप में ये हैं कि 26.8.2011 को याची के विरुद्ध किसी ब्रज भूषण प्रसाद, उत्क्रमित मध्य विद्यालय जोलह खाप, छतरपुर, जिला पलामू के पैरा शिक्षक की प्रेरणा पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी जिसने 26.8.2011 को सब-डिविजनल अधिकारी, छतरपुर, पलामू के समक्ष लिखित परिवाद दाखिल किया था और इसे सब-डिविजनल अधिकारी, छतरपुर द्वारा मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्रभारी अधिकारी, छतरपुर पुलिस थाना को अग्रसारित किया गया था। अभियोजन मामला छतरपुर प्रखंड के पैरा शिक्षकों को मानदेय के भुगतान में सरकारी निधि के दुर्विनियोग से संबंधित हैं जिसमें यह अभिकथित किया गया है कि (i) रामाशीष प्रसाद, प्रखंड शिक्षा प्रसार अधिकारी सह-समन्वयक, प्रखंड संसाधन केंद्र, छतरपुर (ii) शैलेश कुमार सिंह, लेखाकार, (iii) अजीत कुमार, (iv) अभय कुमार सिंह, पैरा शिक्षक, बालिका मध्य विद्यालय, नामुडग ने गैर पैरा शिक्षक को कृत्रिम रूप से बढ़ाया गया भुगतान करके पैरा शिक्षकों को मानदेय के भुगतान से संबंधित सरकारी निधि के दुर्विनियोग में एक दूसरे के साथ दुरभिसंधि किया।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याची ने कोई अपराध नहीं किया है और समय के प्रासंगिक बिंदु पर वह जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-जिला प्रोग्राम अधिकारी, पलामू के रूप में पदस्थापित था और वह पलामू जिला के अंतर्गत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों सहित प्रारंभिक शिक्षा के कार्यालय का अध्यक्ष होने के नाते वह सर्व शिक्षा अभियान योजना के अधीन मुख्यालय अर्थात् राज्य परियोजना निदेशक, राँची से उसके द्वारा प्राप्त किए गए निधियों को जिला पलामू में छतरपुर प्रखंड सहित समस्त बारह प्रखंडों के बैंक खाता में संवितरित एवं उप-आवंटित करने की सांविधिक बाध्यता के अधीन था। आगे यह निवेदन किया गया है कि समस्त 12 प्रखंड अपने अपने प्रखंड शिक्षा प्रसार अधिकारी एवं लेखाकारों के संयुक्त नाम में बैंक खाता रखे हुए थे और इसी प्रकार से छतरपुर प्रखंड में बैंक खाता रामाशीष प्रसाद, प्रखंड शिक्षा प्रसार अधिकारी एवं शैलेश कुमार सिंह, छतरपुर प्रखंड का लेखाकार के नाम में था और विद्यालय उपस्थिति रजिस्टर एवं अन्य प्रासंगिक अभिलेखों के आधार पर संबंधित पैरा शिक्षकों के भौतिक सत्यापन के बाद वास्तविक एवं कार्यरत पारा शिक्षकों को मानदेय का भुगतान करना प्रखंड शिक्षा प्रसार अधिकारी एवं लेखाकार की संयुक्त जिम्मेदारी थी। याची के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि याची जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-जिला प्रोग्राम अधिकारी, पलामू की हैसियत में केवल अपनी पर्यवेक्षणीय अधिकारिता का प्रयोग करता है और किसी भी स्थिति में किसी भी पैरा शिक्षक को प्रत्यक्षत: भुगतान करने के लिए याची की कोई पदीय बाध्यता नहीं थी और, इसलिए, कल्पना की किसी सीमा तक इस याची की चेकों की कूटरचना करने में अथवा नकली व्यक्तियों को भुगतान करने में भूमिका नहीं थी। याची के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि याची ने प्राथमिकी दर्ज करने के पहले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध समस्त आवश्यक कार्रवाई किया था और, इसलिए, उसकी ओर से मौनानुकूलता नहीं है और इस दशा में प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। वह आगे निवेदन करते हैं कि याची की निधि के दुर्विनियोग में मौनानुकूलता अथवा भूमिका नहीं है और इस दशा में दिनांक 5.12.2015 का आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि में संपोषणीय नहीं है और अपास्त किए जाने योग्य है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि पूर्वोक्त निवेदन की दृष्टि में, दिनांक 26.8.2011की प्राथमिकी, दिनांक 6.11.2015 का आरोप-पत्र और दिनांक 5.12.2015 का संज्ञान लेने वाला आदेश संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के साथ अभिखंडित कर दिया जाना चाहिए।

4. विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ श्री पंकज कुमार ने प्रार्थना का जोरदार विरोध किया है और निवेदन किया है कि द्वेषपूर्ण अभियोजन अथवा प्रतिशोध का आधार अभिलेख पर नहीं लाया गया है और न ही याची अपने विरुद्ध प्रथम दृष्टया सामग्री त्यक्त करने में सक्षम हुआ है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि याची के विरुद्ध निधि के दुर्विनियोग का प्रत्यक्ष अभिकथन है और याची के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है और उसके विरुद्ध पर्याप्त सामग्री है। विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने निवेदन किया कि संज्ञान लेने वाला आदेश पूर्णत: न्यायोचित है और इस दशा में वर्तमान आवेदन अस्वीकार किए जाने योग्य है।

5. पक्षों के परस्पर विरोधी प्रतिवादों और मामला के अभिलेख, प्राथमिकी एवं संपूर्ण दांडिक कार्यवाही से इस न्यायालय का दृष्टिकोण है कि इसे इस चरण पर अभिखंडित नहीं किया जा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 का प्रयोग किफायत से करना होगा।

मोसिरुद्दीन मुंशी बनाम मो॰ सिराज एवं एक अन्य, (2014)14 SCC 29 [: 2014 (3) JLJ 92 (SC)] में पैरा 6 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि:-

"6. çkFkfedh vfHk[kfMr dju d fy, mPp U;k;ky; }kjk vfèkdkfjrk d ç;kx d lcèk e fofèkd voLFkk vc lfuf'pr gA gekj fy, ml ij xgu fopkj djuk vko';d ugh g D;kfd fofèk dh çfriknuk vkj0 dY;k.kh cuke tud lh0 egrk e U;k;ky; }kjk dfFkr dh x;h g% (SCC P. 523 Para 15)*

"15. mDr fu.k;k l lkeu vku okyh fofèk dh çfriknuk, fuEufyf[kr g%

(1) mPp U;k;ky; nkfMd dk;okgh vkj] fo'k"kr%] çkFkfedh vfHk[kfMr dju d fy, viuh vrfufgr vfèkdkfjrk dk ç;kx ugh djxk tc rd mle vrfo"V vfHkdFku] Hky gh mUg vfdr eY; fn;k tkrk g vkj mudh li.krk e lR; ekuk tkrk g] lK; vijkèk çdV ugh djr gA

(2) mDr ç;ktu l U;k;ky;] vR;Ur vkiokfnd ifjfLFkfr;k d flok, cpko }kjk fo'okl fd, x, fdlh nLrkot ij fopkj ugh djxkA

(3) ,lh 'kfDr dk ç;kx vR;Ur fdQk;r l fd;k tkuk pkfg,] ;fn çkFkfedh e fd, x, vfHkdFku vijkèk dh dkfjrk çdV djr g] U;k;ky; bld ij ugh tk,xk vkj fdlh vkijkfèkd eu%fLFkfr vFkok nk"ki.k dk; dh vuifLFkfr vfHkfuèkkfjr dju d fy, vfHk;Dr d i{k e vkn'k ikfjr ugh djxkA

*(4) ;fn vfHkdFku flfoy fookn çdV djr g] ;g Lo; e ;g vfHkfuèkkfjr dju dk vkèkkj ugh gk ldrk g fd nkfMd dk;okgh tkjh j[ku dh vuefr ugh nh tkuh pkfg,A***

हरियाणा राज्य एवं अन्य बनाम भजन लाल एवं अन्य, 1992 Supp (1) SCC 335, में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विवाद्यक आया कि कब दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन शक्ति के प्रयोग में दांडिक कार्यवाही अभिखंडित की जा सकती है। माननीय न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैराग्राफों 68, 71, 103 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:

"68. Jh fpncje u ;g dFku djr g, tkjnkj vkifÙk fd;k fd bu vijhf{kr vfHkdFkuk dk doy U;k;ky; dk iokxgxLr dju d fy, ij%LFkkfir fd;k x;k g vkj] blfy,] U;k;ky; dk bu vfHkdFkuk ij fopkj dju l ijgt djuk pkfg,A ge lhèk rkj ij ;g dg ldr g fd ge bu u, vfHkdFkuk dk è;ku e ugh yr g D;kfd ge bl pj.k ij ;g tkp dju d fy, fd D;k çkFkfedh e vfHkdFku fo'oluh; g ;k ugh vkj mu ij ;g fu"d"k nu d fy, fd D;k vfHkdFkuk e l fdlh dk fl) fd;k x;k g] ugh dgk x;k gA ; ol ekey g ftudk ijh{k.k doy li.k vUo"k.k ij bld le{k li.k lkexh çLrr dju d ckn lcfèkr U;k;ky; }kjk fd;k tk ldrk gA

71. ;|fi Jh jkftUnj lPpj ,o Jh xx u ;g n'kku d fy, dkQh egur fd;k fd mnkgj.kk e l çR;d d lcèk e mPp U;k;ky; }kjk fn, x, dkj.k fofèkr% lik"k.kh; ugh g] Jh ikjklju u ifjokn e vfHk;kfxr vfHkdFkr Hk"Vkpkj d çR;d mnkgj.k] fjV ;kfpdk vkj ml lcfèkr çfr'kiFk i= e fn, x, Li"Vhdj.k vkj çR;Ukj e fn, x, mÙkj dk lphc) djd rkfydkc) c;ku çLrr fd;k vkj vkxg fd;k fd çkFkfedh e fd, x, vfHkdFku vkj dN ugh cfYd cnukeh ,o >B dk leg gA pfd li.k ekeyk ekey d ntdj.k d pj.k ij fVdk g vkj mPp U;k;ky; }kjk çnku fd, x, LFkxu vkn'k d dkj.k vUo"k.k fcYdy vxlj ugh gvk g] ge VdMk e çR;d mnkgj.k dh lR;rk vFkok vU;Fkk dk ijh{k.k dju vkj rRi'pkr mudk lkFk fijku vkj ,d ;k nlj :i e dkb

er vfHk0;Dr dju dk çLrko ugh nr g vFkok vk'k; ugh j[kr g pfd gekj nf"Vdk.k e , lk dkb er fdlh Hkh i{k d ekey dk çHkkfor dj ldrk g vFkok vUo"k.k dk ix cuk ldrk gA

*103. ge bl çHkko dk lrdrk dh fVli.kh Hkh nr g fd nkfMd dk;okgh vfHk[kfMr dju dh 'kfDr dk ç;kx vR;Ur fdQk;r ,o pkdlh l fd;k tkuk pkfg, vkj og Hkh fojy ekeyk l fojyre e] fd U;k;ky; çkFkfedh vFkok ifjokn e fd, x, vfHkdFkuk dh fo'oluh;rk vFkok okLrfodrk vFkok vU;Fkk d çfr tkp dju e U;k;kfpr ugh gkxk vkj fd vlkèkkj.k vFkok vrfufgr 'kfDr;k U;k;ky; ij viuh lud vFkok ekt d vulkj ÑR; dju dh euekuh vfèkdkfjrk çnÜk ugh djrh gA***

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **अमानुल्ला बनाम बिहार राज्य, (2016)6 SCC 699,** में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

*^^vfHky[k ij çLrr lkexh dk lkoèkkuhi.k iBu çdV djrk g fd fo}ku lh0 t0 ,e0 u dl Mk;jh] vkjki i= ,o U;k;ky; d le{k çLrr vU; lkexh d ifj'khyu d ckn vfHk;Drk d fo#) vfHkdFkr vijkèk dk lKku fy;k FkkA lKku fy;k x;k Fkk] D;kfd vfHk;Drk d fo:) iFke n"V;k ekeyk curk FkkA ;g lfuf'pr g fd lKku yu d pj.k ij U;k;ky; dk ifyl }kjk mud }kjk nkf[ky vkjki i= e cuk, x, ekey d x.kkx.k ij ml ekeyk fo'k"k e vfHk;ktu dh lQyrk nj lxf.kr dju dh nf"V l fopkj ugh djuk pkfg,A ml pj.k ij] U;k;ky; dk dr0; ;g irk yxku dh lhek rd lhfer g fd D;k bld le{k çLrr lkexh l ekey e vkx vxlj gku dh nf"V l vfHk;Dr d fo#) mle vfHkdFkr vijkèk curk g ;k ughA***

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक अन्य मामले **बिनोद कुमार बनाम बिहार राज्य (2014)10 SCC 663 [: 2015 (1) JLJ 1 (SC)],** में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:–

*"nkfMd ifjokn ij lfLFkr dk;okgh e dk;okgh vfHk[kfMr dju dh vrfufgr 'kfDr dk ç;kx doy mu ekeyk e dju d fy, dgk tkrk g] tgk ifjokn dkb vijkèk çdV ugh djrk g vFkok rPN gA ;g lfuf'pr g fd n0 ç0 l0 dh èkkjk 482 d vèkhu 'kfDr dk voyc fdQk;riod ,o pkdlh l fy;k tkuk pkfg,] bldk ç;kx ;g n[ku d fy, fd;k tkuk pkfg, fd fofèk dh çfØ;k dk n#i;kx ugh fd;k tk;A fofèk dk lfuf'pr fl)kr ;g g fd ifjokn@çkFkfedh vfHk[kfMr dju d pj.k ij mPp U;k;ky; dk mle fd, x, vfHkdFkuk dh vfèklHkk0;rk] fo'oluh;rk vFkok okLrfodrk d çfr tkp ugh djuk gA***

6. पक्षों के परस्पर विरोधी निवेदनों तथा अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों पर विचार करने पर मेरा दृष्टिकोण है कि द्वेषपूर्ण अभियोजन अथवा प्रतिशोध का आधार अभिलेख पर नहीं लाया गया है और न ही याची अपने विरुद्ध प्रथम दृष्टया सामग्री त्यक्त करने में सक्षम हुआ है।

7. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में और यहाँ उपर चर्चा किए गए विधि के सुनिश्चित सिद्धांतों एवं न्यायिक उद्घोषणाओं की दृष्टि में मैं वर्तमान दांडिक विविध याचिका में कोई गुणागुण नहीं पाता हूँ और तद्नुसार इसे खारिज किया जाता है। विचारण न्यायालय विधि के अनुरुप अग्रसर होने के लिए स्वतंत्र है। याची समुचित चरण पर ऐसे समस्त बिंदुओं को उठाने के लिए स्वतंत्र है।

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

अर्चना शर्मा

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 765 of 2017. Decided on 11th April, 2017.

भूमि अर्जन में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन का अधिकार अधिनियम, 2013—धारा 11—भूमि का अर्जन-प्रश्नगत भूमि से बेदखली के पहले पर्याप्त मुआवजा के भुगतान का दावा–विस्थापित व्यक्तियों को मुआवजा के लिए राज्य प्राधिकारियों को 199.6 करोड़ रुपयों की राशि का भुगतान भी किया गया है–राज्य सरकार से सम्यक अनापत्ति के बाद, राज्य सरकार के प्राधिकारियों की उपस्थिति में आवश्यक निर्माण कार्य भी किया गया है–याची ने अपना दावा सिद्ध करने के लिए कोई खतियान संलग्न नहीं किया है और विक्रय विलेख की प्रस्तुति मात्र भूमि के टुकड़ा पर अधिकार एवं अभिधान गठित नहीं करती है–याची को कार्यवाही में सहयोग करना चाहिए और अंचलाधिकारी के समक्ष समस्त समर्थनकारी दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहिए–अंचलाधिकारी/सक्षम राजस्व प्राधिकारी प्रासंगिक अभिलेखों एवं याची द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से सम्यक जाँच के बाद विधि के अनुरूप याची का रैयती दर्जा विनिश्चित करेगा–यदि भूमि के टुकड़ा पर याची का रैयती दर्जा/दावा स्थापित किया जाता है, राज्य प्राधिकारी याची अथवा किसी अन्य समस्थित व्यक्ति की भूमि के ऐसे टुकड़ों के अर्जन के लिए अग्रसर होंगे–यदि याची भूमि के टुकड़ा पर अभिधान, स्वामित्व एवं रैयती दर्जा का अपना दावा स्थापित करने में अक्षम है, प्रत्यर्थीगण विधि के अनुरूप मामले में अग्रसर होने के लिए स्वतंत्र होंगे। (पैराएँ 9 से 12)

अधिवक्तागण.–M/s Manoj Tandon & Kumari Rashmi, For the Petitioner; JC to AG, For the Resp-State; Mr. Gautam Rakesh, For the Resp-Railway.

आदेश

याची, राज्य एवं रेलवे के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. याची निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ इस न्यायालय के पास आयी:–

(i) Fkkuk lO 45, xke flgkMhg] ihO ,lO fxjhMhg (eQfLly) ftyk fxjhMhg vofLFkr [kkrk lO 2, Hk[kM lO 512/872 (Hkkx)] {k= 20 fMlfey vkj pkjnhokj d lkFk yxHkx 1000 oxQhV d {k= e ml ij fufer vkoklh;xg d lkFk [kkrk lO 2 Hk[kM lO 512/873 (Hkkx) {k= 20 fMlfey okyh Hkfe l ;kph dk cn[ky ugh dju dk fun'k çR;fFk;k dk nu d fy,A

(ii) >kj[kM jkT; e ekt k flgkMhg] ihO ,lO fxjhMhg (eQfLly)] ftyk fxjhMhg vofLFkr [kkrk lO 2, Hk[kM lO 512/872 (Hkkx)] Fkkuk lO 45, {k=Qy 50 fMlfey vkj [kkrk lO 2, Hk[kM lO 512/873, {k=Qy 49 fMlfey okyh pkjnhokj d lkFk Hkfe l ;kph dk cn[ky ugh dju dk fun'k Hkh çR;fFk;k dk nu d fy,A

*(iii) Hkfe vtu e mfpr evkotk ,o ikjnf'krk] iuokl ,o iu0;oLFkkiu dk vfèkdkj vfèkfu;e] 2013 (ble bld ckn ^^vfèkfu;e 2013** d :i e fufn"V) e çfr"Bkfir çkoèkkuk d fucèkukulkj igy i;kIr evkotk dk Hkxrku dju vkj rc xke flgkMhg] ih0 ,l0 fxjhMhg (eQfLly) ftyk fxjhMhg e dkMjek l fxjhMhg rd ;kph jyo ykbu ifj;ktuk d ç;ktu lfgr fdlh ykd ç;ktu d fy, ;kph dh Hkfe dk mi;kx dju d fy, vkx vxlj gku dk fun'k çR;Fkh dk nu d fy,A*

(iv) bl fjV ;kfpdk d yfcr jgu d nkjku] dkMjek l fxjhMhg rd u;h jyo ykbu ifj;ktuk d ç;ktu l vfèkfu;e] 2013 e çfr"Bkfir çkoèkku d vu#i bl vftr fd, fcuk ektk flgkMhg] ih0 ,l0 fxjhMhg (eQfly)] ftyk fxjhMhg vofLFkr [kkrk l0 2, Hk[kM l0 512/872 (Hkkx) vkj Hk[kM l0 512/873 (Hkkx) Fkkuk l0 45 e fufer i'kxkg d lkFk ;kph d vkoklh; xg dk Hkftr dju l çR;fFk;k dk vo#) fd;k tk,A

3. पूरक शपथ पत्र के रूप में याची ने श्री ऋषिकेष बोस द्वारा श्री रघुनाथ मिश्रा को ग्राम सिहोडीह, पी॰ एस॰ गिरीडीह (मुफस्सिल) थाना सं॰ 45, जिला गिरीडीह में भूमि के टुकड़ा का रजिस्टर्ड विक्रय विलेख सं॰ 22630 द्वारा भूमि के हस्तांतरण से संबंधित दिनांक 23.12.1968 के विक्रय विलेख का लिखत; दोनों भूखंडों के भूमि के 20 डिसमिल क्षेत्र रघुनाथ मिश्रा द्वारा अजय कुमार सिन्हा को निष्पादित विक्रय विलेख सं॰ 503/477; दोनों भूखंडों में 20 डिसमिल के समरुप क्षेत्रों को मनोज कुमार एवं अन्य को उसी विक्रेता द्वारा विक्रय विलेख सं॰ 504/478; विक्रय विलेख सं॰ 11601/10233 दिनांकित 5.9.2011 जिसके द्वारा किसी राजीव कुमार साह के मुख्तारनामा धारक किसी कन्हाई लाल भगेरिया ने इन दोनों भूखंडों में से 40 डिसमिल क्षेत्र बेचा (कन्हाई लाल भगोरिया किसी राजीव कुमार साह का मुख्तारनामा धारक बताया जाता है जिसके पक्ष में अजय कुमार सिन्हा एवं मनोज कुमार के मुख्तारनामा धारकों द्वारा विलेख सं॰ 11742/10443 के माध्यम से बेची गयी थी) संलग्न किया है।

4. हरिबंश मिश्रा द्वारा स्नेहा सिन्हा एवं मनोज सिन्हा को क्रमश: 49 डिसमिल एवं 50 डिसमिल क्षेत्र के लिए दिनांक 16.1.2004 का विक्रय विलेख निष्पादित किया गया। उनके मुख्तारनामा धारक सुनील कुमार बर्णवाल ने दिनांक 22.9.2012 के रजिस्टर्ड विक्रय विलेख सं॰ 8011 द्वारा याची को इन भूमि को बेचा।

5. याची प्रतिवाद करती है कि संपत्ति का स्वामित्व एवं अभिधान उस पर इन हस्तांतरण विलेखों द्वारा न्यागत हुआ जिसके द्वारा दिनांक 22.9.2012 के विक्रय विलेख के संबंध में भूमि नामांतरित की गयी थी और राजस्व रसीद जारी किया गया है। अन्य 40 डिसमिल भूमि के संबंध में भी 10.7.2012 और इसके आगे किराया रसीद जारी किया गया है। किंतु याची किसी अर्जन और मुआवजा के भुगतान के बिना भूमि के इन टुकड़ों पर रेलवे लाइन के निर्माण में प्रत्यर्थी की कार्रवाई से व्यथित है। इसने याची को इस न्यायालय के पास आने के लिए मजबूर किया।

6. प्रत्यर्थी सं॰ 3 एवं 4 ने पैरा 9 में निम्नलिखित कथन करते हुए अपना प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया है:–

fd vkjHk e gh ;g fuonu fd;k tkrk g fd xke flgkMhg] Fkkuk l0 45, ftyk fxjhMhg d [kkrk l0 2 l lcfèkr vU; Hk[kM d vfrfjDr LohÑr :i l Hk[kM 512 xj et#vk [kkl Hkfe gA fjV ;kfpdk d ;kph d nkok ij vpykfèkdkjh] fxjhMhg }kjk ;kph d nkok l lcfèkr tkp dk;okgh l0 3 o"k

*2016-17 igy gh vkjHk dh x;h g ftle ;kph 3.3.2017 dk mifLFkr gb g vkj Hk[kM lO 512e l mldh [kjhnh x;h Hkfe d mld nkok d vkèkkj ij foØ; foy[k dh çfr nkf[ky fd;k g vkj gydk depkjh l fjikV exk;h x;h g vkj dk;okgh 15.3.2017 d fy, lphc) dh x;h g vkj T;kgh vfre vkn'k ikfjr fd;k tkrk g] vfrfjDr çfr 'kiFki= nkf[ky fd;k tk,xk vkj bl n'kk e fjV ;kfpdk le;io g vkj [kkfjt fd, tku dk nk;h gA mDr lnHk e ;g fuonu fd;k x;k g fd ;kph }kjk nkok dh x;h Hkfe ft l l gkdj jyo ykbu xtjuk g] fjDr iMh g vkj ;kph u jyo ykbu dk jkLrk vo#) dju d fy, gky e ckM yxkuk 'k: fd;k gA***

7. रेलवे द्वारा दिनांक 20.1.2017 के तलब की प्रतिलिपि परिशिष्ट A श्रृंखला के रूप में संलग्न है। प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता प्रतिवाद करते हैं कि भूखंड सं॰ 512 के गैर मजरुआ खास भूमि होने के कारण रेलवे लाइन के निर्माण के प्रति आपत्ति करने के लिए याची के पास कारण नहीं था। किंतु, उसने निर्माण गतिविधि आरंभ किए जाने पर भूमि के उक्त टुकड़ा पर बाड़ लगाना शुरू किया। उनकी ओर से यह कथन भी किया गया है कि अंचलाधिकारी, गिरीडीह ने जाँच कार्यवाही सं॰ 3/2016-17 आरंभ किया और याची ने भूमि के उक्त टुकड़ा के संबंध में अपने रैयती दर्जा की घोषणा इप्सित किया है। दावा अंचलाधिकारी, गिरीडीह के विचाराधीन है।

8. याची ने प्रत्युत्तर दाखिल किया है और राजस्व एवं भू-सुधार विभाग, झारखंड सरकार का दिनांक 12.2.2015 का पत्र सं॰ 423 निर्दिष्ट किया है जिसमें गैरमजरुआ खास भूमि, परिशिष्ट 16 के संबंध में भी मुआवजा का भुगतान करने की आवश्यकता है।

9. प्रत्यर्थी रेलवे ने भी अन्य बातों के साथ यह अभिवचन करते हुए अपना प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया है कि यह रेलवे लाइन बिछाने की प्रक्रिया के अधीन है और भूमि के अर्जन का अनुरोध भी राज्य प्राधिकारियों से किया गया है, जब और जैसे स्थिति इसे आवश्यक बनाती है। विस्थापित व्यक्तियों को मुआवजा के लिए राज्य प्राधिकारियों को 199.6 करोड़ रुपयों का भुगतान भी किया गया है। राज्य सरकार से सम्यक अनापत्ति के बाद राज्य प्राधिकारियों की उपस्थिति में आवश्यक निर्माण कार्य किया गया है। याची ने अपना दावा सिद्ध करने के लिए कोई खतियान संलग्न नहीं किया है और विक्रय विलेख की प्रस्तुति मात्र भूमि के टुकड़ा पर अधिकार एवं अभिधान गठित नहीं करती है। याची भूमि के रैयती दर्जा के प्रदान द्वारा मुआवजा के लिए भूमि अर्जन अधिकारी, गिरीडीह के पास भी गयी है जो रिट याचिका का परिशिष्ट 3 है।

10. याची के विद्वान अधिवक्ता ने भूमि अर्जन में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को भी निर्दिष्ट किया है। धारा 3 (c) के अधीन 'प्रभावित परिवार', उपधारा (k) के अधीन 'विस्थापित परिवार'; उपधारा (m) के अधीन 'परिवार'; उपधारा (r) के अधीन भूस्वामी' की परिभाषा भी निर्दिष्ट की गयी है। याची के विद्वान अधिवक्ता ने आगे अधिनियम के अध्याय IV में अंतर्विष्ट प्रावधान पर भी विश्वास किया है और प्रतिवाद किया है कि किसी भूमि जिसे धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित किया गया है में हितबद्ध कोई व्यक्ति आर्रंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से विहित अवधि के भीतर आपत्ति करने का हकदार है। अधिनियम वर्ष 2013 के अधीन इन संरक्षण से भूस्वामी के रूप में याची के दर्जा के प्रति विवेक का इस्तेमाल किए बिना इनकार किया जाएगा। अत:, याची इस न्यायालय के पास आयी है।

11. प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आज की तिथि पर भूमि गैरमजरुआ खास भूमि दर्शायी गयी है और याची ने स्वयं रैयती दर्जा की घोषणा के लिए कहा है। कार्यवाही कर रहे अंचलाधिकारी, गिरीडिह ने याची को अपने समर्थन में समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

12. यहाँ उपर ध्यान में लिए गए पृष्ठभूमि तथ्यों के आलोक में पक्षों के निवेदनों पर विचार किया गया। पृष्ठभूमि तथ्यों के इर्द-गिर्द घूमता विवाद्यक यह है कि क्या राज्य को लोक परियोजना निष्पादित करने के लिए भूमि के संबंध में अर्जन अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता है या नहीं जिस पर याची द्वारा प्राइवेट धृति के रूप में दावा किया गया है। वर्तमान रिट याचिका में याची द्वारा संलग्न विक्रय विलेख को दस्तावेज/लिखत न्यायालय को भूमि के टुकड़ा पर याची के अभिधान, स्वामित्व अथवा रैयती दर्जा पर ऐसे किसी निष्कर्ष पर आने के लिए सक्षम नहीं बनाते हैं। स्वयं याची के अनुरोध पर अंचलाधिकारी, गिरीडीह द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। अत:, याची को कार्यवाही में सहयोग करना चाहिए और आज के दिन से एक सप्ताह की अवधि के भीतर अंचलाधिकारी, गिरीडीह के समक्ष समस्त समर्थनकारी दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहिए। अंचलाधिकारी, गिरीड़िह सक्षम राजस्व प्राधिकारी प्रासंगिक अभिलेख तथा याची द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से सम्यक जाँच के बाद विधि के अनुरुप याची का रैयती दर्जा विनिश्चित करेगा। यदि भूमि के टुकड़ा पर याची का रैयती दर्जा/दावा स्थापित किया जाता है, राज्य प्राधिकारी याची अथवा किसी अन्य समस्थित व्यक्ति की भूमि के ऐसे टुकड़े के अर्जन के लिए अग्रसर होगा। यदि याची भूमि के टुकड़ा पर अभिधान, स्वामित्व और रैयती दर्जा का दावा स्थापित करने में अक्षम होती है, प्रत्यर्थी विधि के अनुरूप मामले में अग्रसर होने के लिए स्वतंत्र होगा। आज के दिन से दो सप्ताह की अवधि के लिए अथवा मामले में अंचलाधिकारी, गिरीडीह/सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिए जाने तक, जो भी पहले हो, भूमि के पूर्वोक्त टुकड़ा के संबंध में यथास्थिति बनायी रखी जाए।

तद्नुसार, रिट याचिका निपटायी जाती है।

---

ekuuh; vkuUn lu] U;k;efr

रमेश मुर्मू

cuke

झारखंड राज्य

Cr.M.P. No. 1782 of 2016. Decided on 11th April, 2017.

(क) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 190—अपराध का संज्ञान–पुलिस रिपोर्ट से मतभेद रखना और अपराध का संज्ञान लेना दंडाधिकारी की अधिकारिता के सुअंतर्गत है–दंडाधिकारी पुलिस रिपोर्ट से बाध्य नहीं है–स्वतंत्र रूप से, दंडाधिकारी को पुलिस रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा कि संज्ञान लिया जाना चाहिए या नहीं–तथ्य की गलती अथवा मामला असत्य होना दर्शाने वाला फाइनल फॉर्म पुलिस द्वारा दाखिल किए जाने के बाद भी न्यायालय अपराध का संज्ञान ले सकता है–ऐसा करने में दंडाधिकारी अन्वेषण अधिकारी के मत से बाध्य नहीं है और पुलिस द्वारा अपने रिपोर्ट में अभिव्यक्त दृष्टिकोण के बावजूद इस संबंध में अपने स्वविवेक का प्रयोग करने के लिए वह सक्षम है और अभिलेख से प्रथम दृष्टया यह पता लगा सकता है कि कोई अपराध बनता है या नहीं–यदि अभिलेख से अपराध बनता है, दंडाधिकारी द्वारा संज्ञान लिया जाना होगा। (पैराएँ 8 से 10)

(ख) भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 376 एवं 379—बलात्कार एवं चोरी-संज्ञान-अवर न्यायालय ने भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 376 एवं 379 के अधीन अपराध का संज्ञान लिया है जब तथ्य की गलती दर्शाने वाली पुलिस रिपोर्ट थी–कोई कारण नहीं दिया गया है कि क्यों दंडाधिकारी पुलिस रिपोर्ट से मतभेद रखता था–दंडाधिकारी फाइनल फॉर्म से मतभेद रखने की अपनी अधिकारिता के सुअंतर्गत है किंतु जब पुलिस अन्वेषण के बाद अभियुक्त को विमुक्त करती है और संज्ञान लेती है और सामग्रियों के उसी संवर्ग पर दंडाधिकारी पुलिस रिपोर्ट से मतभेद रखता है और संज्ञान लेता है, पुलिस रिपोर्ट से मतभेद रखने के लिए न्यूनतम तर्क दंडाधिकारी द्वारा दर्ज किया जाना होगा–कारण दर्ज किया जाना सुझाएगा कि दंडाधिकारी ने पुलिस रिपोर्ट से मतभेद रखते हुए अपने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किया है–संज्ञान लेने वाला आदेश अभिखंडित किया गया है और विधि के अनुरुप नया आदेश पारित करने के लिए मामला दंडाधिकारी को वापस भेजा गया–आवेदन अनुज्ञात किया गया। (पैराएँ 11 से 16)

निर्णयज विधि.–2014 (2) JLJR 95 (Jhr); **2012 (1) JLJ 166 (SC) :** (2012) 11 SCC 465 188—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Ranjan Kr. Singh, For the Petitioner; A.P.P., For the State.

आदेश

याची ने दिनांक 5.5.2011 के आदेश को चुनौती दिया है जिसके द्वारा महेशपुर पी॰ एस॰ केस सं॰ 83 वर्ष 2007, जी॰ आर॰ मामला सं॰ 350 वर्ष 2007 के तत्सम, जो विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय में लंबित है, से उद्भूत होने वाली भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376 एवं 379 के अधीन अपराध का संज्ञान लिया गया है।

2. प्राथमिकी राम बासकी की पुत्री सूचक अर्थात् बासो बास्की की प्रेरणा पर उसमें यह अभिकथित करते हुए दर्ज की गयी थी कि याची एवं सूचक के बीच विवाह प्रस्ताव के बाद याची उसको अपने घर ले गया जहाँ वे पति-पत्नी के रूप में दो माह रहे। तत्पश्चात सूचक को जानकारी हुई कि यह याची पहले से ही विवाहित था और पूर्व विवाह संबंध से उसकी संतान भी थी। यह अभिकथित किया गया है कि याची ने सूचक पर प्रहार किया और उसको भगा दिया। उसने यह भी अभिकथित किया कि उसे विवाह के बहाना पर यौन परेशानी के अध्यधीन विगत दो माह से किया जाता था। आगे यह अभिकथित किया गया है कि याची ने उसकी चांदी की जंजीर भी छीन लिया था।

3. महेशपुर पी॰ एस॰ केस सं॰ 83 वर्ष 2007 के रूप में फर्दबयान दर्ज किया गया था और तत्पश्चात अन्वेषण शुरू हुआ। अन्वेषण पूरा करने के बाद, 27.11.2007 को अन्वेषण अधिकारी ने तथ्य की गलती दर्शाते हुए फाइनल फॉर्म सं॰ 169 वर्ष 2007 दाखिल किया। तत्पश्चात अवर न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376 एवं 379 के अधीन अपराध का संज्ञान लिया। यह संज्ञान लेने वाला आदेश चुनौती के अध्यधीन है।

4. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि संज्ञान लेने वाला आदेश विधि में बिल्कुल दोषपूर्ण है और अपास्त किए जाने का दायी है। वह निवेदन करते हैं कि तथ्य की गलती दर्शाते हुए फाइनल फॉर्म दाखिल किए जाने के बाद सूचक को नोटिस जारी किया गया था। उक्त नोटिस के अनुसरण में सूचक उपस्थित नहीं हुई थी और अंततः अवर न्यायालय ने अपराध का संज्ञान लिया। वह निवेदन करते हैं कि न्यायालय द्वारा सूचक को नोटिस जारी किया जाना सुझाता है कि न्यायालय फाइनल फॉर्म स्वीकार करने का इच्छुक था और सूचक से उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु अचानक विद्वान अवर न्यायालय ने अपराध का संज्ञान लिया था और वह भी कोई कारण दिए बिना। वह निवेदन करते

हैं कि आक्षेपित आदेश पारित करने में कारण नहीं दिया गया था। पूर्वोक्त आधारों पर विद्वान अधिवक्ता दिनांक 5.5.2011 के संज्ञान लेने वाला आक्षेपित आदेश अभिखंडित करने की प्रार्थना करते हैं। वह **बिगन मियाँ उर्फ सिराज मियाँ बनाम झारखंड राज्य,** 2014 (2) JLJR 95 (Jhr.) में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपने निवेदन के समर्थन में निर्दिष्ट करते हैं जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पुलिस रिपोर्ट से मतभेद रखने के लिए कारण दर्ज करना होगा।

5. विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ प्रार्थना का विरोध करते हैं और निवेदन करते हैं कि अपराध का संज्ञान लेने में अवैधता नहीं है। वह निवेदन करते हैं कि अपराध का संज्ञान लेना दंडाधिकारी की अधिकारिता के सुअंतर्गत है जब न्यायालय प्रथम दृष्टया पाता है कि केस डायरी एवं आरोप पत्र के परिशीलन के बाद अपराध बनता है।

6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए और अभिलेख का परिशीलन भी किया गया।

7. प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376 एवं 379 के अधीन दर्ज की गयी थी। अन्वेषण अधिकारी ने तथ्य की गलती दर्शाते हुए अन्वेषण के बाद 27.11.2007 को फाइनल फॉर्म दाखिल किया। न्यायालय द्वारा 20.1.2008 को सूचक को नोटिस जारी की गयी थी। तीन लंबे वर्षों के लिए सूचक की उपस्थिति के लिए मामला लंबित रखा गया था। अंततः 5.5.2011 को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376 एवं 379 के अधीन विद्वान दंडाधिकारी ने अपराध का संज्ञान लिया। दंडाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए केवल यह उल्लेख किया है कि उन्होंने फाइनल फॉर्म एवं केस डायरी का परिशीलन किया है और इस निष्कर्ष पर आए हैं कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

8. पुलिस रिपोर्ट से मतभेद रखना और अपराध का संज्ञान लेना दंडाधिकारी की अधिकारिता के सुअंतर्गत है। दंडाधिकारी पुलिस रिपोर्ट से बाध्य नहीं है। स्वतंत्र रूप से दंडाधिकारी को पुलिस रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद निष्कर्ष पर आने के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा कि संज्ञान लिया जाना चाहिए या नहीं। तथ्य की गलती अथवा मामला असत्य होना दर्शाते हुए पुलिस द्वारा फाइनल फॉर्म दाखिल करने के बाद भी न्यायालय अपराध का संज्ञान ले सकता है। ऐसा करने में दंडाधिकारी अन्वेषण अधिकारी के मत से बाध्य नहीं है और वह पुलिस द्वारा अपने रिपोर्ट में अभिव्यक्त दृष्टिकोण के बावजूद अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए सक्षम है और अभिलेख से प्रथम दृष्टया पता लगा सकता है कि क्या कोई अपराध बनता है या नहीं। यदि अभिलेख से अपराध बनता है, दंडाधिकारी द्वारा संज्ञान लिया जाना होगा।

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **नुपूर तलवार बनाम केंद्रीय जाँच ब्यूरो एवं एक अन्य, (2012)11 SCC 465 188 [: 2012 (1) JLJ 166 (SC)],** में दंडाधिकारी द्वारा संज्ञान लेने के विवाद्यक पर विचार किया है। पूर्वोक्त मामले में केंद्रीय जाँच ब्यूरो ने अपराध के अन्वेषण के बाद आरंभ में अन्वेषण का क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किया था। दंडाधिकारी ने पुलिस की रिपोर्ट से मतभेद रखते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रसर होने के लिए प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाया था। दंडाधिकारी का आदेश विस्तृत आदेश था जिसने कारण भी दिया कि क्यों दंडाधिकारी अन्वेषण एजेन्सी की रिपोर्ट से मतभेद रखता है। दंडाधिकारी ने आदेश पारित करते हुए पुलिस रिपोर्ट को ध्यान में लिया था और इस पर विचार किया था और कारण भी दिया था कि वह क्यों पुलिस रिपोर्ट से असहमत हुए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दंडाधिकारी द्वारा पारित आदेश को मान्य ठहराते हुए अभिनिर्धारित किया है कि दंडाधिकारी ने संज्ञान लेने से संबंधित निष्कर्ष पर आने में अपने विवेक का इस्तेमाल किया है।

10. जैसा पहले अभिनिर्धारित किया गया है कि संज्ञान लेने के समय पर न्यायालय को स्वतंत्रतापूर्वक विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए और निष्कर्ष पर आना चाहिए कि प्रथम दृष्टया अपराध बनता है और आदेशिका जारी करने का कारण है।

11. वर्तमान मामले में अवर न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376 एवं 379 के अधीन अपराध का संज्ञान लिया है जब तथ्य की गलती दर्शाने वाली पुलिस रिपोर्ट थी।

12. उक्त आदेश की प्राप्ति के बाद दंडाधिकारी ने केवल यह कथन करके संज्ञान लिया कि अंतिम रिपोर्ट एवं केस डायरी के परिशीलन के बाद चूँकि प्रथम दृष्टया मामला बनता है, संज्ञान लिया गया है। इसका कोई कारण नहीं दिया गया है कि क्यों दंडाधिकारी पुलिस रिपोर्ट से असहमत है। फाइनल फॉर्म के मुताबिक, वर्तमान मामला तथ्य की गलती का मामला है, तब अभिलेख में क्या था जिसके परिणामस्वरुप दंडाधिकारी फाइनल फॉर्म से असहमत हुआ है, इसका उल्लेख संज्ञान लेने वाले आदेश में नहीं किया गया है। जैसा पहले अभिनिर्धारित किया गया है, दंडाधिकारी फाइनल फॉर्म से असहमत होने के लिए अपनी अधिकारिता के सुअंतर्गत है किंतु कम से कम न्यूनतम कारण दर्ज किया जाना होगा कि क्यों वह पुलिस रिपोर्ट से असहमत है। कारण दर्ज किया जाना सुझाएगा कि दंडाधिकारी ने पुलिस रिपोर्ट से असहमत होते हुए अपने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किया है।

13. नुपूर तलवार बनाम केंद्रीय जाँच ब्यूरो एवं एक अन्य (ऊपर) के मामले में दंडाधिकारी केंद्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा दाखिल क्लोजर रिपोर्ट से असहमत हुआ और अन्वेषण के दौरान दर्ज कुछ गवाहों के बयानों को निर्दिष्ट करके कारण दिया था कि क्यों वह पुलिस रिपोर्ट से असहमत है। विद्वान दंडाधिकारी का वह आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्य ठहराया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर आया कि दंडाधिकारी ने इस निष्कर्ष कि आदेशिका जारी करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है, पर आते हुए पुलिस रिपोर्ट से असहमत होते हुए अपने विवेक का इस्तेमाल किया है।

14. वर्तमान मामले में यह सुझाने के लिए अभिलेख पर कुछ नहीं है कि दंडाधिकारी ने पुलिस रिपोर्ट से असहमत होते हुए अपने विवेक का इस्तेमाल किया है। **बिगन मियाँ उर्फ सिराज मियाँ बनाम झारखंड राज्य** मामले में इस माननीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि दंडाधिकारी अन्वेषण अधिकारी द्वारा पहुँचे गए निष्कर्ष को अनदेखा कर सकता है और अन्वेषण से सामने आए तथ्यों के प्रति अपने विवेक का स्वतंत्रतापूर्वक इस्तेमाल कर सकता है और अपराध का संज्ञान ले सकता है, यदि वह सुयोग्य समझता है। इस प्रकार, आक्षेपित आदेश की परीक्षा करते हुए मुख्य विचार यह है कि क्या दंडाधिकारी ने अपने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किया है। न्यायिक विवेक के इस्तेमाल को उसके आदेश में परिलक्षित होता होगा।

15. वर्तमान मामले में, दंडाधिकारी ने फाइनल फॉर्म एवं केस डायरी के परिशीलन के बाद केवल एक पंक्ति लिखा है कि वह संज्ञान ले रहा है। यदि हम उक्त निष्कर्ष स्वीकार करते हैं, तब यह स्पष्ट है कि फाइनल फॉर्म अभियुक्त को विमुक्त करता है। उक्त फाइनल फॉर्म अन्वेषण के आधार पर है जो गवाहों एवं पीड़िता के बयानों को दर्ज किया जाना सम्मिलित करता है। इस प्रकार जब पुलिस अन्वेषण के बाद अभियुक्त को विमुक्त करता है और सामग्री के उसी संवर्ग पर दंडाधिकारी पुलिस रिपोर्ट से असहमत होता है और संज्ञान लेता है, पुलिस रिपोर्ट से असहमत होने के लिए न्यूनतम कारण दंडाधिकारी द्वारा दर्ज किया जाना होगा। आक्षेपित आदेश के परिशीलन से यह निष्कर्षित किया जा सकता है कि दंडाधिकारी ने क्यों पुलिस रिपोर्ट त्यक्त कर दिया है और निष्कर्षित किया है कि इस मामले में संज्ञान लेना होगा। तद्नुसार, दंडाधिकारी का दिनांक 5.5.2011 का संज्ञान लेने वाला यह आदेश अभिखंडित

किया जाता है। किंतु, इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तिथि से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर विधि के अनुरुप नया आदेश पारित करने के लिए यह मामला दंडाधिकारी के पास वापस भेजा जाता है।

16. पूर्वोल्लिखित संप्रेक्षणों एवं निर्देशों के साथ यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

---

ekuuh; ,p lhñ feJk ,o Mkñ ,lñ ,uñ ikBd] U;k;efrx.k

अर्जुन ठाकुर

cuke

बिहार राज्य (अब झारखंड)

Cr. Appeal No. 166 of 1992 (R). Decided on 11th April, 2017.

एस॰ टी॰ सं॰ 116 वर्ष 1984-89 में विद्वान तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 5.9.1992 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302/34—हत्या–सामान्य आशय–आजीवन कारावास–प्रहार के तरीके के संबंध में अभियोजन मामला चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा संपुष्ट नहीं किया गया–पक्षों के बीच दुश्मनी थी तथा मिथ्यापूर्वक फंसाये जाने से इनकार नहीं किया जा सकता–अभियोजन अभियुक्त अपीलार्थी के विरुद्ध समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपना मामला सिद्ध करने में सक्षम नहीं हुआ है और यह ऐसा मामला है जिसमें अपीलार्थी कम से कम संदेह के लाभ का हकदार है–दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश अपास्त किया गया–अपीलार्थी को संदेह का लाभ दिया गया और उसे आरोप से दोषमुक्त किया जाता है–अपील अनुज्ञात की गयी।

(पैराएँ 12 से 15)

अधिवक्तागण.–M/s P.P.N. Roy, Pragati Prasad, For the Appellant; M/s Satish Kumar Keshri, For the State.

आदेश

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. एकमात्र अपीलार्थी एस॰ टी॰ सं॰ 116 वर्ष 1984-89 में विद्वान तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 5.9.1992 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश से व्यथित है जिसके द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34 के अधीन अपराध का दोषी पाया गया था और दोषसिद्ध किया गया था और दंडादेश के बिंदु पर सुनवाई पर उसे उक्त अपराध के लिए आजीवन कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया था।

3. अभियोजन मामला मृतक अनिल कुमार दूबे के पिता किसी रामप्रवेश दूबे के फर्दबयान के आधार पर संस्थित किया गया था जिसने कथन किया था कि उसका पुत्र घर से बाहर गया था किंतु वापस नहीं लौटा था। बाद में सूचक को सूचित किया गया था कि उसके पुत्र की हत्या कर दी गयी थी जिस पर वह अपने भतीजा संजय कुमार दूबे के साथ घटना स्थल पर गया और अपने पुत्र का मृत शरीर पाया। उसने कथन किया कि मृतक के मस्तक पर आग्नेयास्त्र उपहति थी और यह भी प्रतीत हुआ कि तेज धार

वाले हथियार द्वारा मृतक पर प्रहार भी किया गया था। उसे घटनास्थल पर यह भी सूचित किया गया था कि अपीलार्थी अर्जुन ठाकुर द्वारा अपने सहयोगियों के साथ मृतक की हत्या की गयी थी। सूचक के पूर्वोक्त प्रभाव के फर्दबयान के आधार पर, भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34 के अधीन अपराध के लिए जुगसलाई पी॰ एस॰ केस सं॰ 172/1983 संस्थित किया गया था और अन्वेषण किया गया था। अन्वेषण के बाद पुलिस ने अपीलार्थी अर्जुन ठाकुर के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया।

4. सत्र न्यायालय को मामला सुपुर्द किए जाने के बाद, अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34 के अधीन अपराध के लिए आरोप विरचित किया गया था और अपीलार्थी के निर्दोष होने का अभिवचन करने पर और विचारण किए जाने का दावा करने पर उसका विचारण किया गया था।

5. विचारण के क्रम में अभियोजन द्वारा 11 गवाहों का परीक्षण किया गया था जिसमें से केवल अ॰ सा॰ 2 रामकठिन तिवारी एवं अ॰ सा॰ 9 दिनेश्वर झा को अभियोजन द्वारा निविदत्त किया गया था।

6. अ॰ सा॰ 5 जितेन्द्र तिवारी, अ॰ सा॰ 6 मुन्ना उर्फ सत्यपाल ठाकुर एवं अ॰ सा॰ 7 रजी अहमद घटना के चश्मदीद गवाह हैं और उन्होंने कथन किया है कि घटना की तिथि पर वे मृतक के साथ विडियो शो देखने गए थे। उन्होंने कथन किया है कि जब वे लौट रहे थे, उन्होंने अर्जुन ठाकुर जो हथियार से लैस था को मृतक को पकड़ते देखा। अर्जुन ठाकुर के साथ अन्य व्यक्ति भी थे। उन्होंने इन गवाहों को भाग जाने की धमकी भी दी और जब वे भाग रहे थे, उन्होंने गोली चलने की आवाज सुनी और बाद में उन्होंने मृतक का मृत शरीर पाया। अ॰ सा॰ 5 जितेन्द्र तिवारी ने अपने प्रति परीक्षण में स्वीकार किया है कि मृतक के विरुद्ध हत्या, हत्या के प्रयास एवं विस्फोटकों से संबंधित मामले थे।

7. अ॰ सा॰ 10 राम प्रवेश दूबे मामले का सूचक हैं और उसने प्राथमिकी में कथित अभियोजन मामले का समर्थन किया है। स्वीकृत रूप से, वह घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है। उसने कथन किया है कि उसने उसके मस्तक पर आग्नेयास्त्र की उपहति के साथ अपने पुत्र का मृत शरीर देखा और अन्य उपहतियाँ भी थी। उसे घटना स्थल पर सूचित किया गया था कि अर्जुन ठाकुर द्वारा उसके पुत्र की हत्या की गयी थी। इस गवाह ने यह कथन भी किया है कि अभियुक्त एवं मृतक दोनों क्षेत्र का हीरो होने का दावा कर रहे थे। अपने प्रति परीक्षण में इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके मृत पुत्र के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन मामलों सहित, हत्या के दो मामले तथा विस्फोटकों से संबंधित मामले सहित लगभग 20-22 मामले थे।

8. अ॰ सा॰ 3 देवेन्द्र कुमार दूबे एक अन्य अनुश्रुत गवाह है जिसने कथन किया है कि उसने सुना था कि अर्जुन ठाकुर मृतक को बैंकुठधाम मंदिर की ओर ले गया था और जब वह वहाँ पहुँचा, उसने मृतक का मृत शरीर पाया। यह गवाह मृतक के मृत शरीर की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट का गवाह भी है और मृत्यु समीक्षा रिपोर्टों पर उसने अपना हस्ताक्षर पहचाना है जिसे प्रदर्श–1/3 चिन्हित किया गया था।

9. अ॰ सा॰ 1 बृज बिहारी वाजपेयी ने केवल मृतक का मृत शरीर देखा था और वह मृतक के मृत शरीर की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट और घटना स्थल से जब्त रक्त रंजित मिट्टी की अभिग्रहण सूची का गवाह है। उसने इन दस्तावेजों पर अपना हस्ताक्षर एवं अन्य गवाह का हस्ताक्षर पहचाना है जिन्हें प्रदर्श 1 श्रृंखला चिन्हित किया गया है। अ॰ सा॰ 8 रहमत अली कॉस्टेबल है जो मृत शरीर शव परीक्षण के लिए ले गया था।

10. अ॰ सा॰ 4 डॉ॰ आर॰ के॰ शर्मा ने मृतक के मृत शरीर का शव परीक्षण किया था और निम्नलिखित मृत्युपूर्व उपहतियाँ पाया था:–

(i) dUV;TM fonh.k t[e] flj dh [kky d ihN ,o flj dh [kky d ck, fgLlk ij] 8cm x 3cm x 2cm eki okyk] ck, ijkbVy ,o VEikjy vfLFk d QDpj d lkFkA vfLFk;k dk ÝDpM flj;k cu d efuUtl dk jIpj ,o fonh.krk dkfjr djr g, fMçLM FkkA

;g migfr Hkkjh HkkFkj gfFk;kj }kjk lHkor% dkfjr dh x;h FkhA ,UVhfj;j Øfu;y QkLlk dk QDpj Hkh FkkA

(ii) ck, Hkkg d Åij eLrd d ck, Hkkx ij 4cm x 3cm x vfLFk rd xgjk eki okyk fonh.k t[eA vMjykbu vfLFk dk ÝDpj ugh gvk FkkA ;g iu% lHkor% dM HkkFkj inkFk d çHkko d lkFk dkfjr fd;k x;k FkkA

(iii) dV;TM fonh.k t[e nk;k vx eLrd d mijh Hkkx ij 2cm x 1cm x vfLFk rd xgjk mDr migfr lO (ii) l 3 x cm nj

(iv) nk, VEiy ij 1cm x 1 cm x vfLFk rd xgjk dV;TM fonh.k t[e

(v) nk;h eè; mxyh] nk;h NkVh mxyh ,o nk; vxB ij dV;TM fonh.k t[e lHkor% HkkFkj fdukjk d lkFk dkVuoky midj.k l dkfjr dh x;hA

(vi) nk, Hkkg ij 1cm x 0.5cm x 0.5cm dk fonh.k t[eA

(vii) lkeu d fupy nkr dk ,Dlikt djr g, fupy gkB dk fonh.k t[e 4cm x 2cm x 2cm eki dkA

(viii) BMMh ,o nk; Hkkx dh xnu ij [kjkpA

(ix) ck, tcMk dh vfLFk foLFkkfir dju okyk ÝDpj dju okykA

इस गवाह ने कथन किया है कि मृत्यु ब्रेन के विदीर्णता के कारण हुई थी। उपहति सं॰ (i) प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। उपहति सं॰ (i) पिस्तौल या रिवाल्वर के कुंदा से संभव नहीं थी किंतु यह राइफल के कुंदा से संभव थी। उसने अपने लेखन एवं हस्ताक्षर में शव परीक्षण रिपोर्ट पहचाना है जिसे प्रदर्श 2 चिन्हित किया गया था।

11. अ॰ सा॰ 11 मुखदेव शर्मा मामले का अन्वेषण अधिकारी है। इस गवाह ने फर्दबयान एवं औपचारिक प्राथमिकी सिद्ध किया है और पहचाना है जिसे क्रमश: प्रदर्श 3 एवं 5 चिन्हित किया गया था। उसने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट भी सिद्ध किया है जिसे प्रदर्श 6 चिन्हित किया गया था। उसने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट भी सिद्ध किया है जिसे प्रदर्श 6 चिन्हित किया गया था। उसने अपने द्वारा किए गए अन्वेषण के बारे में कथन किया है और कथन किया है कि उसने घटनास्थल से रक्तरंजित मिट्टी भी जब्त किया था और अभिग्रहण सूची तैयार किया था जिसे उसकी पहचान पर प्रदर्श 8 चिन्हित किया गया था।

12. मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट जिसे प्रदर्श 6 के रूप में सिद्ध किया गया है, स्पष्टत: दर्शाता है कि मृतक के मृत शरीर के मस्तक पर आग्नेयास्त्र उपहति थी और उस पर अन्य कटने की उपहति भी थी। इस प्रकार, अभिलेख पर मौजूद सामग्री से यह प्रकट है कि प्राथमिकी में सूचक ने कथन किया था कि उसने मृतक के मस्तक पर आग्नेयास्त्र उपहति और तेजधार वाले हथियार द्वारा कारित अन्य उपहति देखा था।

यह तथ्य मृतक के मृत शरीर की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट द्वारा भी संपुष्ट किया गया है जो दर्शाता है कि मृत शरीर पर वे उपहतियाँ थीं। चश्मदीद गवाहों अ॰ सा॰ 5 जितेन्द्र तिवारी, अ॰ सा॰ 6 मुन्ना एवं अ॰ सा॰ 7 रजी अहमद ने भी कथन किया है कि उन्होंने अभियुक्त अपीलार्थी अर्जुन ठाकुर को आग्नेयास्त्र से लैस देखा था जिसने मृतक को पकड़ लिया था और जब वे भाग रहे थे, उन्होंने गोली चलने की आवाज सुनी और तत्पश्चात उन्होंने मृत शरीर देखा। इस प्रकार, अभिलेख पर मौजूद संपूर्ण साक्ष्य सुझाता है कि उसकी मृत्यु कारित करते हुए मृतक पर आग्नेयास्त्र से प्रहार किया गया था। किंतु, अ॰ सा॰ 4 डॉ॰ आर॰ के॰ शर्मा जिन्होंने मृतक के मृत शरीर का शव परीक्षण किया था का साक्ष्य अभिलेख पर मौजूद पूर्वोक्त सामग्री को बिल्कुल संपुष्ट नहीं करता है। इस गवाह और प्रदर्श 2 के रूप में उनके द्वारा सिद्ध किए गए शव परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार मृतक के मृत शरीर पर उसके मस्तक सहित पायी गयी उपहतियाँ कड़े एवं भोथरे पदार्थ द्वारा कारित की गयी थी। मृतक के मृत शरीर पर आग्नेयास्त्र उपहति अथवा तेज धार वाले हथियार द्वारा कारित कोई उपहति नहीं पायी गयी थी। इस प्रकार यह प्रकट है कि गवाहों का चाक्षुक साक्ष्य अभिलेख पर मौजूद चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा संपुष्ट बिल्कुल नहीं किया गया था। सूचक घटनास्थल पर यह सूचित किए जाने का दावा करता है कि अपीलार्थी ने हत्या किया था, किंतु तथ्य बना रहता है कि सूचक द्वारा अ॰ सा॰ 10 के रूप में स्वयं अपने साक्ष्य में स्वीकार किया गया है कि अभियुक्त एवं मृतक दोनों मुहल्ला का हीरो होने का दावा कर रहे थे। मामले के उस दृष्टिकोण में पक्षों के बीच दुश्मनी एवं झूठा आलिप्त किए जाने से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, अ॰ सा॰ 10 राम प्रवेश दूबे सूचक द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि उसका मृत पुत्र आपराधिक प्रकृति का था जिसके विरुद्ध हत्या, हत्या के प्रयास के मामलों और विस्फोटकों के मामलों सहित लगभग 20-22 मामले दर्ज थे।

13. इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि अभियोजन अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपना मामला सिद्ध करने में सक्षम नहीं हुआ है और यह ऐसा मामला है जिसमें अपीलार्थी कम से कम संदेह के लाभ का हकदार हैं।

14. तद्नुसार, एस॰ टी॰ सं॰ 116 वर्ष 1984-89 में विद्वान तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 5.9.1992 का दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी अर्जुन ठाकुर को संदेह का लाभ दिया जाता है और उसे आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थी जमानत पर है और उसे उसके जमानत बंधपत्रों के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

15. तद्नुसार यह अपील अनुज्ञात की जाती है। इस निर्णय की प्रति के साथ अवर न्यायालय अभिलेख को तुरन्त वापस भेजा जाए।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ iVy ,o jRukdj Hkxjk] U;k;efrx.k

उर्मिला प्रामाणिक एवं अन्य

cuke

बिहार राज्य अब झारखंड राज्य एवं अन्य

L.P.A. No. 272 of 2009. Decided on 11th January, 2017.

संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882—धाराएँ 7 एवं 54—निबंधन अधिनियम, 1908—धाराएँ 17 एवं 49—संपत्ति का अंतरण—भूमि मौखिक रूप से अंतरित नहीं की जा सकती

है–लिखित दस्तावेज जो रजिस्टर्ड है होना बाध्यकारी है–सम्यक रूप से स्टांप लगाए हुए और रजिस्टर्ड किए गए हस्तांतरण विलेख की अनुपस्थिति में अचल संपत्ति में अभिधान अथवा हित अंतरित नहीं किया जा सकता है और न्यायालय ऐसे संव्यवहार को पूरा हो चुके अंतरण के रूप में नहीं मानेगा। (पैरा 5)

निर्णयज विधि.–AIR 1956 SC 17—Relied.

अधिवक्तागण.–Mrs. I. Sen Choudhary, For the Appellant; M/s Richa Sanchita, Anuj Burman Mokhtar Ahmed, For the Respondents.

डी॰ एन॰ पटेल, न्यायमूर्ति.–यह लेटर्स पेटेन्ट अपील मूल रिट याची द्वारा दिनांक 28 मई, 1999 के सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 1319 वर्ष 1999 (R) में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए दाखिल किया गया है जिसके द्वारा, इन अपीलार्थियों द्वारा दाखिल याचिका खारिज कर दी गयी थी और राजस्व विधियों के अधीन तीन राजस्व प्राधिकारियों द्वारा पारित पूर्व आदेशों को वैध के रूप में मान्य ठहराया गया है।

2. तात्थिक मैट्रिक्सः–

● ये अपीलार्थीगण प्रत्यर्थी सं॰ 6 से 15 के पिता द्वारा वर्ष 1950 में 301/- रुपयों के लिए मौखिक रूप से बेची गयी भूमि के मौखिक अंतरण के आधार पर 0.52 एकड़ माप वाली भूमि, खाता सं॰ 15, भूखंड सं॰ 127, थाना सं॰ 220, मौजा महाली मुरुप, जिला सरायकेला, खरसावाँ वाली भूमि का स्वामी होने का दावा कर रहे हैं।

● वर्ष 1950 में भूमि के इस मौखिक अंतरण के आधार पर, एक दशक से अधिक समय तक कुछ भी नहीं किया गया था। अपने पक्ष में पूर्वोक्त भूमि नामांतरित करवाने के लिए मूल खरीदारों/अपीलार्थियों द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया था।

● इन अपीलार्थियों द्वारा अभिधान वाद सं॰ 79 वर्ष 1963 संस्थित किया गया था और संबंधित विचारण न्यायालय से दिनांक 10 सितम्बर, 1963 का सुलह डिक्री लिया गया था और इस सुलह डिक्री के फलस्वरुप इन अपीलार्थियों के पक्ष में राजस्व प्रविष्टियों में नाम नामांतरित किया गया था।

● इस प्रकार, भूमि के मौखिक विक्रय के आधार पर 1950 से कुछ नहीं किया गया था और जिसे प्रत्यक्षतः नहीं किया जा सका था, उसे अप्रत्यक्षतः अर्थात् इन अपीलार्थियों के पक्ष में प्रविष्टि नामांतरण किया गया है।

● संबंधित क्षेत्र के अंचलाधिकारी ने कार्यवाही आरंभ किया जो एस॰ ए॰ आर॰ केस सं॰ 19 वर्ष 1988-89 के रूप में ज्ञात है और अंततः दिनांक 7 मार्च, 1989 के आदेश के तहत प्रत्यर्थी सं॰ 15 के पक्ष में कब्जा पुनर्स्थापित किया गया था, क्योंकि अचल संपत्ति का मौखिक अंतरण नहीं हो सकता है और वह भी अधिनियम अर्थात् छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम के अनेक अन्य प्रावधानों के भंग में।

● इन निराश अपीलार्थियों ने उपायुक्त के समक्ष एस॰ ए॰ आर॰ अपील सं॰ 6 वर्ष 1989-90 दाखिल किया जिसे उपायुक्त द्वारा दिनांक 30 नवम्बर 1991 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था।

● अपीलीय प्राधिकारियों के आदेश से व्यथित होकर, राजस्व विधियों के अधीन, पुनरीक्षण आवेदन सं॰ 15/1992 इन अपीलार्थियों द्वारा दाखिल किया गया था जिसे उपायुक्त द्वारा दिनांक 9 फरवरी, 1999 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था।

● तथ्यों के इस समवर्ती निष्कर्ष के विरुद्ध इन अपीलार्थियों द्वारा रिट याचिका सी॰ डब्लू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 1319 वर्ष 1999 (R) दाखिल की गयी थी जिसे भी विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 28 मई, 2009 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था और, इसलिए, मूल याचियों ने इस लेटर्स पेटेन्ट अपील को दाखिल किया है।

3. अपीलार्थियों के अधिवक्ता द्वारा तर्क

● अपीलार्थियों के लिए उपस्थित अधिवक्ता ने तर्क किया कि छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908 सरायकेला में अवस्थित भूमि पर प्रयोज्य नहीं है क्योंकि बाद में 1951 में इसका विलय कर दिया गया था।

● अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे प्रतिवाद किया गया है कि संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा अभिधान वाद सं॰ 79 वर्ष 1963 में दिनांक 10 सितंबर, 1963 की सुलह डिक्री पारित की गयी थी। जब तक यह डिक्री अपास्त नहीं की जाती है, इन अपीलार्थियों के साथ कब्जा बनाए रखना चाहिए था। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा मामले के इस पहलू का समुचित रूप से अधिमूल्यन नहीं किया गया था।

● अपीलार्थियों के लिए उपस्थित अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इन अपीलार्थियों के पक्ष में प्रतिकूल कब्जा है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा मामले के इस पहलू का भी समुचित रूप से अधिमूल्यन नहीं किया गया है।

● अपीलार्थियों के अधिवक्ता द्वारा आगे प्रतिवाद किया गया है कि यह भूमि 1950 से उनके कब्जा में है और प्रश्नगत भूमि पर घर भी बनाया गया है और अनेक वर्षों बाद इन अपीलार्थियों को बेदखल नहीं किया जा सकता है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा मामले के इस पहलू का भी समुचित रूप से अधिमूल्यन नहीं किया गया है और इसलिए सी॰ डब्लू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 1319 वर्ष 1999 (R) में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 28 मई, 1999 के आदेश को अभिखंडित करके यह लेटर्स पेटेन्ट अपील अनुज्ञात किया जा सकता है।

● अपीलार्थियों के अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि एस॰ ए॰ आर॰ मामला 30 वर्ष बाद आरंभ किया गया था जो विधि के सिद्धांत के विरुद्ध है।

4. प्रत्यर्थी सं॰ 6 से 15 के अधिवक्ता द्वारा तर्क

● प्रत्यर्थी सं॰ 6 से 15 के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि इन अपीलार्थियों के पक्ष में संपत्ति का अंतरण बिलकुल नहीं था। संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1881 के प्रावधानों के अधीन भूमि का मौखिक अंतरण नहीं हो सकता है जहाँ प्रतिफल राशि 100/- रु॰ से अधिक है।

● आगे यह निवेदन किया गया है कि भूमि जो मूलत: इन प्रत्यर्थियों के स्वामित्व में थी का तथाकथित मौखिक अंतरण किसी दस्तावेज द्वारा समर्थित नहीं है। यदि भूमि वर्ष 1950 में अंतरित की गयी थी, तब उन्हीं खरीदार अपीलार्थियों द्वारा अभिधान वाद सं॰ 19 वर्ष 1963 दाखिल करने के आवश्यकता नहीं थी। उक्त वाद दुरभिसंधि प्रकृति का था, किसी प्रयोजन के बिना वाद दाखिल किया गया था। यदि कोई वाद दाखिल किया जाना ही था, इसे मूल स्वामियों द्वारा दाखिल किया जाना था। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा मामले के इस पहलू का समुचित रूप से अधिमूल्यन किया गया है।

● आगे यह निवेदन किया गया है कि जब इन अपीलार्थियों द्वारा वर्ष 1950 में भूमि खरीदी गयी थी, वे वर्ष 1951 में अथवा कम से कम वर्ष 1952 में नामांतरण प्रविष्टि के लिए आवेदन दे सकते थे किंतु 1950 में संपत्ति की तथाकथित खरीद के लिए एक दशक से अधिक समय तक इन अपीलार्थियों के पक्ष में नामांतरण प्रविष्टि नहीं थी। चीज जिसे प्रत्यक्षत: नहीं किया जा सकता था, अप्रत्यक्षत: किया गया है अर्थात् इन अपीलार्थियों के पक्ष में नामांतरण प्रविष्टि नहीं हो सकती थी क्योंकि 1950 से एवं इसके आगे उनके पक्ष में रजिस्टर्ड दस्तावेज नहीं था और इसलिए, केवल अपने पक्ष में राजस्व प्रविष्टियाँ नामांतरित करवाने के लिए इन अपीलार्थियों द्वारा बोगस अभिधान वाद दाखिल किया गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा मामले के इन पहलूओं का समुचित रूप से अधिमूल्यन किया गया है।

● प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि किसी भी प्रतिकूल कब्जा का कोई प्रश्न ही नहीं है क्योंकि इन प्रत्यर्थियों ने इन अपीलार्थियों के पक्ष में अपना अधिकार अभित्यजित कभी नहीं किया है। इन अपीलार्थियों द्वारा भूमि की खरीद बिल्कुल नहीं की गयी है और ये अपीलार्थीगण 1950 से अपना कब्जा स्थापित करने में सक्षम नहीं हुए हैं। बार–बार राजस्व अधिकारियों ने आदेश पारित किया है:–

(a) , l0 ,0 vkj0 l0 19 o"k 1988-89 e lc&fMfotuy vfèkdkfj;k dk fnukd 7 ekp] 1989 dk vkn'k(

(b) mik;Dr }kjk ikfjr , l0 ,0 vkj0 vihy l0 6 o"k 1989-90 e fnukd 30 uoEcj] 1991 dk vkn'k rFkk

(c) mik;Dr }kjk flgHke jktLo iujh{k.k l0 15/1992 e fnukd 9 Qjojh] 1999 dk vkn'k ikfjr fd;k x;k FkkA

इन अपीलार्थियों द्वारा प्रत्यर्थियों को प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा सौंपा नहीं गया है, अत: किसी भी प्रतिकूल कब्जा का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। ''जबरन लिए गए अवैध कब्जा एवं प्रतिकूल कब्जा के बीच विशाल अंतर है।''

● प्रत्यर्थियों के लिए उपस्थित अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि वस्तुत: सीधे या टेढ़े तरीके से इस मामले में संपत्ति का कोई भी वैध अंतरण नहीं हुआ है। इन अपीलार्थियों द्वारा कुछ समय के लिए अवैध कब्जा अपने पास रखा गया है जिसके लिए सक्षम राजस्व प्राधिकारियों द्वारा सदैव आदेश पारित किए गए हैं और इसलिए, इस न्यायालय द्वारा लेटर्स पेटेन्ट अपील ग्रहण नहीं की जा सकती है और उदाहरणीय व्यय के साथ खारिज की जा सकती है।

● प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता द्वारा आगे निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत संपत्ति के मूल स्वामी आदिवासी हैं और इसलिए, उनकी संपत्ति केवल उपायुक्त की अनुमति से अंतरित की जा सकती है। इन अपीलार्थियों द्वारा ऐसी अनुमति नहीं ली गयी है। आदिवासियों को यह संरक्षण दिया गया है क्योंकि शक्तिशाली व्यक्ति सदैव संपत्ति के मौखिक अंतरण की बात कर रहे हैं और सीधे या टेढ़े तरीके से एक दशक बाद उनके पक्ष में सुलह डिक्री ली गयी है और अंतत: 1950 के बाद इन अपीलार्थियों के पक्ष में वर्ष 1964 से आगे अवैध रूप से नामांतरण प्रविष्टियाँ की गयी हैं। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा मामले के इस पहलू का समुचित रूप से अधिमूल्यन किया गया है, अत: इस न्यायालय द्वारा यह लेटर्स पेटेन्ट अपील ग्रहण नहीं की जा सकती है।

5. कारण

दोनों पक्षों के अधिवक्ता को सुनने पर एवं वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए, हम निम्नलिखित तथ्यों एवं कारणों से इस लेटर्स पेटेन्ट अपील को ग्रहण करने का कारण नहीं देखते हैं:

(i) ये अपीलार्थीगण खाता सं॰ 15 भूखंड सं॰ 127 थाना सं॰ 220, मौजा महाली मुरुप, जिला सरायकेला खरसावाँ की 0.52 एकड़ मापवाली भूमि का स्वामी होने का दावा मुख्यत: इस आधार पर कर रहे हैं कि इन अपीलार्थियों के पक्ष में इस संपत्ति का मौखिक अंतरण हुआ था क्योंकि उन्होंने 301/- रुपया के मूल्य के लिए प्रत्यर्थी सं॰ 6 से 15 से मौखिक रूप से इस संपत्ति को खरीदा था।

(ii) हम भूमि के इस मौखिक अंतरण को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यह अवैध अंतरण है यदि यह सचमुच हुआ है। भूमि मौखिक रूप से संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधानों की दृष्टि में संपत्ति अंतरण

अधिनियम, 1882 की धारा 7 सहपठित धारा 54 सह-पठित रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 की धारा 17 सहपठित धारा 49 के मुताबिक अंतरित नहीं की जा सकती है। त्वरित निर्देश के लिए ये धाराएँ निम्नलिखित हैं:–

lifÙk vrj.k vfèkfu;e] 1882 dh èkkjk 7 lgifBr èkkjk 54

èkkjk 7. ***vrj.k dju d fy, l{ke 0;fDr***–&gj 0;fDr] tk lfonk dju d fy, l{ke gk vkj vUrj.kh; lEifÙk dk gdnkj gk ;k vUrj.kh; lEifÙk d tk mldh viuh ugh g] 0;;u d fy, çkfèkÑr gk] ,lh lEifÙk dk vUrj.k i.kr% ;k Hkkxr% rFkk vkR;fUrd : i l ;k l'kr] mu ifjfLFkfr;k e] mru foLrkj rd vkj ml çdkj l] tk fdlh Hkh rRle; çoÙk&fofèk }kjk vuKkr vkj fofgr gk] dju d fy, l{ke gA

54. ^^foØ;** dh ifjHkk"kk ^^foØ;* ,lh dher d cny e LokfeRo dk vUrj.k g tk nh tk pdh gk ;k ftld nu dk opu fn;k x;k gk ;k ftldk dkb Hkkx n fn;k x;k gk vkj fdlh Hkkx d nu dk opu fn;k x;k gkA

foØ; dl fd;k tkrk g–&,lk vUrj.k ,d lk #i; vkj mll vfèkd d eY; dh er LFkkoj lEifÙk dk n'kk e] ;k fdlh mÙkj&Hkkx ;k vU; ver oLr dh n'kk e doy jftLVhÑr fy[kr }kjk fd;k tk ldrk gA

,d lk #i; l de eY; dh er LFkkoj lEifÙk dh n'kk e ,lk vUrj.k ;k rk jftLVhÑr fy[kr }kjk ;k lEifÙk d ifjnku }kjk fd;k tk ldxkA

er LFkkoj lEifÙk dk ifjnku rc gk tkrk g tc foØrk Øsrk dk ;k Øsrk }kjk fufn"V 0;fDr dk lEifÙk ij dCtk djk nrk gA

foØ; lfonk–&LFkkoj lEifÙk dh foØ;&lfonk og lfonk g fd ml LFkkoj lEifÙk dk foØ; i{kdkjk d chp r; g, fucUèkuk ij gkxkA

og Lor% ,lh lEifÙk e dkb fgr ;k ml ij dkb èkkj l"V ugh djrhA

jftLV'ku vfèkfu;e] 1908 dh èkkjk 17 lgifBr èkkjk 49

17. ***nLrkot] ftudk jftLVhdj.k vfuok; g***–&(1) ;fn og lEifÙk] ftl fuEufyf[kr nLrkot dk lEcUèk g] ,l fty e fLFkr g] ftle vkj ;fn o ml rkjh[k dk ;k d i'pkr fu"ifnr g, g] ftldk] 1864 dk vfèkfu;e lO 16 ;k Hkkjrh; jftLVhdj.k vfèkfu;e] 1866 ;k Hkkjrh; jftLVhdj.k vfèkfu;e] 1871 ;k Hkkjrh; jftLVhdj.k vfèkfu;e] 1877 ;k ;g vfèkfu;e çoru e vk;k Fkk ;k vk;k gvk g rk fuEufyf[kr nLrkot dk ;Fkk&

(a) LFkkoj lEifÙk d nku dh fy[krk dk]

(b) vU; fuolh;rh fy[krk dk] ftul ;g çdVr% vfHkçr g ;k ftudk çoru ,lk g fd LFkkoj&lEifÙk l lEc) ;k e ,d lk #i; vkj mll vfèkd d eY; dk dkb vfèkdkj] gd ;k fgr] pkg og fufgr gk ;k vkdfLedrkfJr gk] pkg orekku e ;k Hkfo"; e] l"V] ?kkf"kr] leunf'kr] e;kfnr ;k fuokfir djrh g]

(c) ,lh fuolh;rh fy[krk dk] tk ,l fdlh vfèkdkj] gd] ;k fgr d l tu] ?kk"k.kk leun'ku] e;knk vkj fuokiu y[k fdlh çfrQy dh çkfIr ;k nuxh vfHkLohdkj djrh g] vkj

(d) o"k çfr o"k ;k ,d o"k l vfèkd fdlh vofèk d fy,] ;k okf"kd HkkVd dk jf{kr j[ku okyk LFkkoj lEifÙk d iVVk dk]

(e) U;k;ky; dh fdlh vKkfIr ;k vkn'k dk] ;k fdlh ipkV dk gLrkUrj.k ;k leun'ku dju okyh fuolh;rh fy[krk dk ml ljr e] ftle fd ,lh vkKfIr ;k vkn'k] ;k ipkV dh ckcr ;g çdVr% vfHkçr g ;k mldk çoÙku ,lk g fd og LFkkoj lEifÙk d lEcÙèk e ,d lk#i; ;k ml l vfèkd eY; dk dkb vfèkdkj] gd ;k fgr] pkg og fufgr gk ;k vkdfLedrkfJr gk] pkg oreku e ;k Hkfo"; e l"V] ?kkf"kr] leunf'kr] e;kfnr ;k fuokfir djrh g ;k djrk g]

ijUr fdlh fty ;k fty d Hkkx e fu"ikfnr fdUgh iVVk dk] ftud }kjk vunku iVVk&vofèk;k ikp o"k l vufèkd g vkj ftud }kjk jf{kr j[kk x;k okf"kd HkkVd ipkl #i; l vufèkd g] bl mièkkjk d çoÙku l NV jkT;&ljdkj jktdh; xtV e çdkf'kr vkn'k }kjk n ldxhA

*(1A) fdUgh çfrQy d vUrj.k dk èkkfjr dju okyk nLrkot ftldk lEcÙèk vpy lEifÙk l g] lEifÙk vUrj.k vfèkfu;e dh Fkkjk 53-A d micÙèkk d vèkhu rkRif;r gkxkA ;g lEifÙk vUrj.k vfèkfu;e] 1882 (1982 dk 4) d lUnHk e ithÑr gkxk tk fu"ikfnr vFkok ith;u d vkjEHk d io d fy, gkxk vFkok ;g jftLV'ku rFkk vU; lEcfUèkr fofèk l'kkèku vfèkfu;e] 2001 d ykx gku d ckn gkxk vkj ;g ;fn ,lk nLrkot ,lh 'k#vkr d i'pkr jftLVhÑr ugh g rk bldk çHkko èkkjk 53-A d dfFkr vfèkfu;e d mí';k d fy, dkb çHkko ugh j[kxkA***

*49. **ftu nLrkotk dk jftLVhdj.k vif{kr g mud jftLVhdj.k dk çHkko**–&tk dkb nLrkot Fkkjk 17 }kjk ;k lEifÙk gLrkUrj.k vfèkfu;e] 1882 (1882 dk 4) d fdlh micÙèk }kjk jftLVhÑr fd; tku d fy; vif{kr g og tc fd jftLVhdj.k ugh fd;k x;k gk]*

(a) mle lekfo"V fdlh LFkkoj lEifÙk dk çHkkfor u djxh] ;k

(b) nÙkdxg.k dh dkb 'kfDr çnÙk u djxh] ;k

(c) ,lh lEifÙk ij çHkko Mkyu oky fdlh l0;ogkj ;k ,lh 'kfDr dk çnÙk dju d lk{; d :i e u yh tk;xhA

ijUr LFkkoj lEifÙk ij çHkko Mkyu okyh vkj bl vfèkfu;e ;k lEifÙk gLrkUrj.k vfèkfu;e] 1882 (1882 dk 4) }kjk jftLVhÑr fd; tku d fy, vif{kr vjftLVhÑr nLrkot ;FkkfYyf[kr vurk"k vfèkfu;e] 1877 (1877 dk 3) d vè;k; 2 d vèkhu ;FkkfYyf[kr ikyu d fy, okn e lfonk d lk{; d :i ,l fdlh lEif'od l0;ogkj d lk{; d :i e] tk fd jftLVhÑr fyf[kr }kjk fd; tku d fy, vif{kr ugh g] yh tk ldxhA

(iii) विधि के पूर्वोक्त प्रावधानों की दृष्टि में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **आनन्द बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य, AIR 1956 SC 17,** विशेषत: उसके पैराग्राफ सं॰ 11 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

*"11. **vc ^^foØ; Hkxrku vFkok oknk dh x;h dher d fy, fofue; e Lokfeko d vrj.k d :i e ifjHkkf"kr fd;k x;k gA pfd profit a prendre vpy lifÙk g vkj pfd bl ekey e bl ml dher ij [kjhnk x;k Fkk ftldk Hkxrku fd;k x;k Fkk] ;g lifÙk vrj.k vfèkfu;e dh èkkjk 54 d dkj.k bld y[kc) ,o jftLVM gku dh vko';drk gA** ;fn profit a prndre Bkl vpy lifÙk d :i e ekuk tkrk g] rc bl ekey e ^^lifÙk** 100/-#i;k l vfèkd eY; dh FkhA ;fn ;g ver g] rc jftLVM nLrkot vko';d gkxk pkg bldk dN Hkh eY; gkA **bl ekey e ^^foØ;** ekf[kd Fkk(;g u rk y[kc) Fkk vkj u gh jftLVMA ekeyk***

,l k gku d ukr l0;ogkj u vfHkèkku vFkok fgr lØkr ugh fd;k vkj rnulkj ;kph x.k dk ey vfèkdkj ugh g ftl o çofrr dj ldr gA *(tkj fn;k x;k)*

(iv) **रामभाऊ नामदेव गजरे बनाम नारायण बापूजू धोत्रा, (2004)8 SCC 614,** में उसके पैराग्राफ 13 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

"13. foØ; djkj çLrkfor Ørk dk okn lifÙk e fgr lftr ugh djrk gA ***vfèkfu;e dh èkkjk 54 d erkfcd] 100/- #i, l vfèkd ij eY;kfdr vpy lifÙk e vfHkèkku doy jftLVM foØ; foy[k fu"ikfnr djd fd;k tk ldrk gA*** *èkkjk 54 d erkfcd] 100/- #i; l vfèkd ij eY;kfdr vpy lifÙk e vfHkèkku doy jftLVM foØ; foy[k fu"ikfnr djd fd;k tk ldrk gA èkkjk 54 fofufn"Vr% çkoèkkfur djrh g fd vpy lifÙk d foØ; d fy, lfonk bl rF; dk lkf{;r djrh lfonk g fd ,lh lifÙk dk foØ; i{kk d chp lger g, fucèkuk ij gkxk fdr ;g Lo; e ,lh lifÙk ij çHkkj vFkok bl e fgr lftr ugh djrk gA* ***gekj le{k ;g fookfnr ugh g fd gLrkrfjr fd, tku d fy, bfllr okn Hkfe 700/- #i;k l vfèkd eY; dh gA vr% tc rd fi'kkjh yky (çLrkfor vrfjrh) d i{k e foØ; dk jftLVM nLrkot ugh Fkk] okn Hkfe dk vfHkèkku ukjk;.k ckiqth èkk=k (ey oknh) e fufgr cuk jgk vkj mld LokfeRo e cuk jgkA*** *mO çO jkT; cuke ftykU;k;kèkh'k e bl U;k;ky; }kjk bl fcn dk foLrkj l ijh{k.k fd;k x;k Fkk vkj fuEufyf[kr vfHkfuèkkfjr fd;k x;k Fkk% (SCC pp 499-500 ijk 7)*

"7. ijLij fojkèkh çfroknk ij fopkj dju ij ge ikr g fd mPp U;k;ky; ;g nf"Vdk.k yu e Li"Vr% xyr Fkk fd lifÙk vrj.k vfèkfu;e dh èkkjk 53A d dkj.k Hkfe d çLrkfor vrfjfr;k u Hkfe e fgr vftr dj fy;k Fkk ftldk ifj.kke fu;r fnu ij èkfr èkkjd vrjd dh èkfr dh lx.kuk dju l bu Hkfe d viotu e gkxkA ;g Li"V g fd foØ; djkj Hkfe e fgr lftr ugh djrk gA lifÙk vrj.k vfèkfu;e dh èkkjk 54 d erkfcd Hkfe lifÙk doy jftLVM foØ; foy[k }kjk gLrkrfjr gkrh gA ;g fookfnr ugh g fd vkPNkfnr fd, tku d fy, bfllr Hkfe dk eY; 100/- #i;k l vfèkd FkkA vr%] tc rd çLrkfor vrfjrh djkj èkkjdk d i{k e foØ; dk jftLVM nLrkot ugh Fkk] Hkfe dk vfHkèkku foØrk l fufgr ugh gkxk vkj mld LokfeRo e cuk jgxkA bl igy ij fookn ugh gA fdr] çR;Fkh 3 d fo}ku vfèkoDrk }kjk lifÙk vrj.k vfèkfu;e dh èkkjk 53A ij etcr fo'okl fd;k x;k FkkA ge ;g vfèkeY;u dju e foQy g fd vihykFkh jkT; tl rrh; i{k d fo#) èkkjk çklfxd gk Hkh ldrh gA og èkkjk ey Lokeh tk bu Hkfe;k dk vrfjrh dk cpu d fy, lger gvk g d fo#) dkfct cu jgu d fy, çLrkfor vrfjrh dk lj{k.k dh <ky çkoèkkfur djrh g ;fn çLrkfor vrfjrh èkkjk 53A d vU; 'krk dk lr"V djrk gA ;g lj{k.k doy vrjd] çLrkfor foØrk] d fo#) <ky d :i e miyCèk g vkj ml çLrkfor vrfjfr;k d dCtk dk vLr&0;Lr dju l xj gdnkj cuk,xk ftUg ,l djkj d vulj.k e dCtk fn;k x;k FkkA fdr mldk çLrkfor vrjd d LokfeRo d lkFk dN yuk&nuk ugh g tk çLrkfor vrfjfr;k dk foØ; foy[k }kjk fofèkr% gLrkrfjr fd, tku rd mDr Hkfe dk i.k Lokeh cuk jgrk gA çLrkfor foØrk d fo#) dCtk ljf{kr dju dk ,lk vfèkdkj vihykFkh jkT; tl rrh;

*i{k d fo#) i;kx e yk;k ugh tk ldrk g tc ;g bu Hkfe d çLrkfor vrjd] èkfr èkkjd] d fo#) vfèkfu;e d çkoèkkuk dk çofrr djuk bfllr djrk gA** (tkj fn;k x;k)*

*okn Hkfe d lcèk e vihykFkh ,o çR;Fkh d chp djkj ugh gvk FkkA fu'p; gh mDr mfYyf[kr 'krk dh ifji.krk d vè;èkhu] viu çLrkfor foØrk d fo#) fi'kkjh yky }kjk Hkkx&ikyu d fl)kr dk ykHk fy;k tk ldrk FkkA çR;Fkh ftld lkFk mldk lfonk dk lcèk ugh Fkk d fo#) vihykFkh }kjk bldk ykHk ugh fy;k tk ldrk FkkA vihykFkh dk iR;Fkh }kjk fd; x; foØ; djkj d vkèkkj ij mDr Hkfe dk dCtk fn;k x;k Fkk] u fd fi'kkjh yky }kjk] vr% lfonk dk lcèk fi'kkjh yky ,o vihykFkh d chp g vkj u fd vihykFkh ,o çR;Fkh d chpA èkkjk 53A e ;Fkk vuè;kr Hkkx&ikyu d fl)kr dk ykHk çLrkfor vrfjrh }kjk viu vrjd vFkok mld vèkhu nkok dju oky fdlh 0;fDr d fo#) fy;k tk ldrk g vkj u fd rrh; i{k d fo#) ftld lkFk mldk lfonk dk lcèk ugh gA***

(v) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **सूरज लैम्प एवं इंडस्ट्रीज (प्रा॰) लि॰ (2) बनाम हरियाणा राज्य (2012)1 SCC 656**, पैराग्राफ सं॰ 11, 14, 15, 18 एवं 24 में अभिनिर्धारित किया गया है जो निम्नलिखित हैं:–

*11. VhO ihO vfèkfu;e dh èkkjk 54 ^^foØ;** dk fuEufyf[kr :i e ifjHkkf"kr djrh g%*

*"54. **^^foØ;** dh ifjHkk"kk-**&^^foØ;** ,lh dher d cny e LokfeRo dk vUrj.k g tk nh tk pdh gk ;k ftld nu dk opu fn;k x;k gk ;k ftldk dkb Hkkx n fn;k x;k gk vkj fdlh Hkkx d nu dk opu fn;k x;k gkA*

***foØ; dl fd;k tkrk g-**&,lk vUrj.k ,d lk #i; vkj mll vfèkd d eY; dh er LFkkoj lEifÙk dh n'kk e(;k fdlh mÙkj&Hkkx ;k vU; ver oLr dh n'kk e doy jftLVhÑr fy[kr }kjk fd;k tk ldrk gA*

,d lk #i; l de eY; dh er LFkkoj lEifÙk dh n'kk e ,lk vUrj.k ;k rk jftLVhÑr fy[kr }kjk ;k lEifÙk d ifjnku }kjk fd;k tk ldxkA

er LFkkoj lEifÙk dk ifjnku rc gk tkrk g tc foØrk Øsrk dk ;k Øsrk }kjk fufn"V 0;fDr dk lEifÙk ij dCtk djk nrk gA

***foØ; lfonk-**&LFkkoj lEifÙk dh foØ;&lfonk og lfonk g fd mu LFkkoj lEifÙk dk foØ; i{kdkjk d chp r; g, fucUèkuk ij gkxkA*

*og Lor% ,lh lEifÙk e dkb fgr ;k mu ij dkb Hkkj l"V ugh djrhA***

14. fucèku vfèkfu;e] 1908 dh èkkjk 17 gLrkUrj.k foy[k fucfèkr djuk vfuok;; curk gA èkkjk 17 d iklfxd v'kk dk uhp m)r djr gA

*"17. **nLrkot] ftudk jftLVhdj.k vfuok; g-**&(1) ;fn og lEifÙk] ftl fuEufyf[kr nLrkot dk lEcUèk g]*

** * **

(b) vU; fuoh;rh fy[krk dk] ftul ;g çdVr% vfHkçr g ;k ftudk çoru ,lk g fd LFkkoj&lEifÙk l lEc) ;k e ,d lk #i; vkj mll vfèkd d eY; dk dkb vfèkdkj] gd ;k fgr] pkg og fufgr gk ;k vkdfLedrkfJr gk] pkg oreku e ;k Hkfo"; e] l"V] ?kkf"kr] leunf'kr] e;kfnr ;k fuokfir djrh g]

(1A) fdUgh çfrQy d vUrj.k dk èkfjr dju okyk nLrkot ftldk lEcUèk vpy lEifÙk l gA lEifÙk vUrj.k vfèkfu;e dh Fkkjk 53-A d micUèkk d vèkhu rkRif;r gkxkA ;g lEifÙk vUrj.k vfèkfu;e] 1882 (1982 dk 4) d lUnHk e ithÑr gkxk tk fu"ikfnr vFkok ith;u d vkjEHk d io d fy, gkxk vFkok ;g jftLV'ku rFkk vU; lEcfUèkr fofèk l'kkèku vfèkfu;e] 2001 d ykx gku d ckn gkxk vkj ;g ;fn ,lk nLrkot ,lh 'k#vkr d i'pkr jftLVhÑr ugh g rk bldk çHkko èkkjk 53-A d dfFkr vfèkfu;e d mí';k d fy, dkb çHkko ugh j[kxkA

jftLV'ku dk ykHk

15. fnukd 15.5.2009 d fiNy vkn'k e jftLV'ku d mí';k ,o ykHkk dk Li"V fd;k x;k Fkk vkj ge mUg Rofjr fun'k d fy, m)r djr g% (SCC p. 367, Paras 15-18)

"15. jftLV'ku vfèkfu;e] 1908 vpy lifÙk l lcfèkr l0;ogkjk d lcèk e 0;oLFkk] vu'kklu ,o ykd ukfVl çnku dju vkj vrj.k d nLrkotk d diV ,o dVjpuk l lj{k.k çnku dju d vk'k; l vfèkfu;fer fd;k x;k FkkA ;g nLrkotk d dfri; çdkjk dk jftLV'ku vko';d cukdj vkj xj&jftLV'ku d ifj.kkek dk çkoèkkfur djd çkIr fd;k x;k gA

16. jftLV'ku vfèkfu;e dh èkkjk 17 Li"Vr% çkoèkkfur djrh g fd (olh;rh fy[kr l fHkUu) dkb nLrkot tk oreku e vFkok Hkfo"; e ^fdlh vfèkdkj] vfHkèkku vFkok fgr] pkg ;g fufgr gk vFkok 100/-#i, vkj mij d eY; ij fVdk g] vFkok vpy lifÙk e lftr] ?kkf"kr] leunf'kr] lhfer vFkok fuokfir dju dk vk'k; j[krk g vFkok çoÙk gkrk gA*

17. mDr vfèkfu;e dh èkkjk 49 çkoèkkfur djrh g fd jftLVM fd, tku d fy, èkkjk 17 }kjk vko';d cuk;k x;k dkb nLrkot mle xfBr vFkok ,lh lifÙk dk çHkkfor dju oky fdlh l0;ogkj d lk{; d :i e çkIr fdlh vpy lifÙk dk çHkkfor ugh djxk tc rd bl jftLVM ugh fd;k tkrk gA nLrkot dk jftLV'ku fo'o dk ukfVl nrk g fd ,lk nLrkot fu"ikfnr fd;k x;k gA

18. jftLV'ku vpy lifÙk l lcfèkr l0;ogkjk dk lj{kk çnku djrk g Hkyh gh nLrkot [kk tkrk g vFkok fou"V gk tkrk gA ;g nLrkotk dk çpkj ,o ykxk dh tkudkjh e ykrk g] rn}kjk nLrkotk d fu"iknu ,o l0;ogkjk d lcèk e dVjpuk ,o diV jkdrk gA jftLV'ku lifÙk dh çÑfr vkj lifÙk dk çHkkfor dju oky vfèkdkjk tk 0;fDr;k d ikl gk ldrk g dh lhek d çfr ykxk tk lifÙk dk C;kgkj dj ldr g dk lpuk çnku djrk gA nlj 'kCnk e] ;g ykxk dk ;g irk yxku d fy, l{ke cukrk g fd D;k dkb lifÙk fo'k"k ftld lkFk mudk ljkdkj g dk fdlh fofèkd ckè;rk vFkok nkf;Ro d vè;èkhu cuk;k x;k g vkj lifÙk e vfèkdkj] vfHkèkku] fgr j[ku oky 0;fDr dku&dku gA ;g nLrkotk dk mudk nt djd :i dh vkipkfjdrk nrk g vkj LFkk;h cukrk g tk fofèkd egRo ,o çkIfxdrk d g tgk ykx vfHky[k n[k ldr g vkj tkp dj ldr g vkj vfHkfuf'pr dj ldr g fd fof'kf"V;k D;k g vkj tgk rd Hkfe

dk lcèk g fd mud lcèk e dku lh ckè;rk fo|eku gA ;g lfuf'pr djrk g fd vpy lifÙk d lkFk C;kgkj dju okyk çR;d 0;fDr fo'okl d lkFk (mDr vfèkfu;e d vèkhu j[k x,) jftLVjk e vrfo"V c;kuk ij leLr l0;ogkjk d i.k fooj.k d :i e fo'okl dj ldrk g ftld }kjk lifÙk d çfr vfHkèkku çHkkfor fd;k tk ldrk g vkj lE;d :i l çek.kif=r çfr;k@m)j.k ljf{kr dj ldrk gA**

nLrkotk dk jftLV'ku lR;kiu ,o vfHkèkku d iek.ku dh çfØ;k vklku cukrk gA ;g cMh lhek rd fooknk ,o oknk dk ?kVkrk gA

18. bl çdkj] ;g Li"V g fd foØ; d :i e vpy lifÙk dk vrj.k doy gLrkrj.k foy[k (foØ; foy[k) }kjk gk ldrk gA (lE;d :i l LVEi vkj jftLVM fd; x; tlk fofèk }kjk vko';d cuk;k x;k g) gLrkrj.k foy[k dh vuifLFkfr e] vpy lifÙk e vfèkdkj] vfHkèkku] fgr vrfjr ugh fd;k tk ldrk gA

24. vr% ge nkgjkr g fd doy gLrkrj.k d jftLVM foy[k }kjk vpy lifÙk fofèkr% vrfjr@gLrkrfjr dh tk ldrh gA** thO ihO ,O foØ;** vFkok ^^,lO ,O@thO ihO ,O@olh;rh vrj.k** çÑfr dk l0;ogkj vfHkèkku vrfjr ugh djxk vkj ;g vrj.k d rY; ugh g vkj u gh bl vpy lifÙk d vrj.k dk ekU;rk iklr vFkok oèk <x ekuk tk ldrk gA U;k;ky; ,l l0;ogkjk dk i.k vFkok fu"df"kr vrj.kk d :i e vFkok gLrkrj.kk d :i e ugh ekux D;kfd o fdlh vpy lifÙk e vfHkèkku gLrkrfjr ugh djr g vFkok dkb fgr lftr ugh djr gA mUg VhO ihO vfèkfu;e dh èkkjk 53A dh lhfer lhek d flok, vfHkèkku foy[k d :i e ekU;rk ugh nh tk ldrh gA ,l l0;ogkjk ij uxjikfydk e vFkok jktLo vfHky[kk e ukekrj.k dk vkèkkj ugh cuk;k tk ldrk g vFkok fo'okl ugh fd;k tk ldrk gA mij tk dFku fd;k x;k g] og u doy eDr lifÙk cfYd iVVkèkr lifÙk d vrj.k d lcèk e gLrkrj.k foy[k ij ykx gkxkA doy iVVk d jftLVM leun'ku d vèkhu iVVk oèk :i l vrfjr fd;k tk ldrk gA le; vk x;k g fd thO ihO ,O foØ; d :i e Kkr ,lO ,O@thO ihO ,O@olh;rh l0;ogkjk dh dçFkk lekIr dh tk,A** (tkj fn;k x;k)

पूर्वोक्त निर्णयों की दृष्टि में यह प्रतीत होता है कि अचल संपत्ति का अंतरण विक्रय के रूप में मौखिक रूप से नहीं किया जा सकता है, इसे केवल हस्तांतरण विलेख (विक्रय विलेख) द्वारा किया जा सकता है। हस्तांतरण विलेख (सम्यक रूप से स्टाम्प एवं रजिस्टर्ड किया गया जैसा विधि द्वारा आवश्यक बनाया गया है) की अनुपस्थिति में, अचल संपत्ति में अधिकार, अभिधान अथवा हित अंतरित नहीं किया जा सकता है और न्यायालय ऐसे अंतरण को पूर्ण अंतरण नहीं मानेगा। वर्तमान मामले के तथ्यों में, अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा अभिकथित किया गया है कि प्रश्नगत संपत्ति तथाकथित सुलह डिक्री के मुताबिक 300/- रुपया के प्रतिफल के लिए मौखिक रूप से खरीदी गयी थी। इस प्रकार, जब मूल्यांकन 100/- रुपया से अधिक है; सम्यक रूप से स्टाम्प लगाया हस्तांतरण विलेख अनिवार्य है अन्यथा संपत्ति का कोई भी अंतरण उद्भूत नहीं होता है। ये अपीलार्थीगण संपत्ति के स्वामी नहीं बन सकते हैं और न ही प्राइवेट प्रत्यर्थीगण का अस्तित्व संपत्ति के स्वामी के रूप में समाप्त होता है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा मामले के इस पहलू का समुचित रूप से अधिमूल्यन किया गया है।

(vi) मामले के तथ्यों से आगे यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थीगण प्रश्नगत संपत्ति पर अपना स्वामित्व स्थापित नहीं कर सके थे, 1950 से स्वामित्व की बात तो दूर/इन अपीलार्थियों द्वारा तीन राजस्व प्राधिकारियों में से किसी के समक्ष तर्क नहीं किया गया था और न ही विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष। इस प्रकार, ये अपीलार्थीगण प्रश्नगत संपत्ति के स्वामी नहीं है और समस्त तीनों राजस्व प्राधिकारियों द्वारा गलती नहीं किया गया है और न ही विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका खारिज करने में गलती किया है।

(vii) स्वीकार किए बिना यह मानते हुए कि वर्ष 1950 में संपत्ति का अंतरण हुआ था, तब किसी आवेदन द्वारा इन अपीलार्थियों के पक्ष में अनेक वर्षों तक राजस्व प्रविष्टियों की मांग नहीं की गयी थी। हम नहीं जानते हैं कि क्यों इन अपीलार्थियों ने 1950 के बाद एक दशक से अधिक तक प्रतीक्षा किया, संभवत: इसलिए क्योंकि भूमि का मौखिक अंतरण हुआ था जिसके लिए शायद इन अपीलार्थियों के पक्ष में नामांतरण प्रविष्टि नहीं की जा सकती है और इसलिए अनावश्यक रूप से अभिधान वाद सं॰ 79 वर्ष 1963 संस्थित किया गया था ताकि बोगस सुलह किया जा सके और उस आधार पर इन अपीलार्थियों के पक्ष में नामांतरण प्रविष्टि की जा सके। अंतत: इन अपीलार्थियों द्वारा दाखिल अभिधान वाद सं॰ 79 वर्ष 1963 में संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 10 सितंबर, 1963 की सुलह डिक्री पारित की गयी थी। यह मुंसिफ सरायकेला द्वारा किया गया था। यह प्रतीत होता है कि सुलह डिक्री का विधि की दृष्टि में मूल्य नहीं है। संबंधित न्यायालय द्वारा मौखिक अंतरण अनुज्ञात भी किया गया था। इस प्रकार की सुलह डिक्री अनुज्ञात करने के पहले न्यायाधीशों द्वारा यह ध्यान में रखा जाना चाहिए था कि क्या इस प्रकार की संपत्ति का मौखिक अंतरण किया जा सकता है। यह प्रतीत होता है कि संबंधित न्यायाधीश को चल एवं अचल संपत्ति के अंतरण के बारे में पता नहीं है। यह न्यायाधीश का कर्तव्य है कि जब कभी भी अभिधानवाद में कोई सुलह याचिका/आवेदन दाखिल किया जाता है, संबंधित न्यायाधीश द्वारा इसे सत्यापित किया जाना चाहिए कि क्या इस प्रकार का अंतरण विधि की दृष्टि में अनुज्ञेय है। वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, संबंधित न्यायाधीश ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया है कि भूमि मौखिक रूप से अंतरित नहीं की जा सकती है। लिखित दस्तावेज जो रजिस्टर्ड है होना बाध्यकारी है। न्यायाधीश विशेषत: अभिधान वाद में इन प्रकार के प्रावधानों को अनदेखा नहीं कर सकते हैं जिनके व्यापक दूरगामी परिणाम होते हैं। न्यायाधीशों को अभिधान वाद निपटाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। विचारण न्यायालय के न्यायाधीशों को ध्यान में रखना चाहिए कि जब कभी अभिधान वाद में कोई सुलह डिक्री पारित की जानी है, समस्त चौकसी के साथ विवेक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हमारे न्यायाधीश द्वारा यांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया गया है। विचारण न्यायाधीश को सुलह डिक्री स्वीकार करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। स्टाम्प ड्यूटी के प्रश्न का अवलंब भी लिया गया है। मौखिक अंतरण के रूप में 1950 में खरीदी गयी संपत्ति जिसके लिए मुंसिफ सरायकेला द्वारा सितंबर, 1963 में डिक्री पारित की गयी है, बिल्कुल विवेक के इस्तेमाल के बिना है। उनका दृष्टिकोण यांत्रिक था। दुरभिसंधि प्रथम दृष्टया स्पष्ट है और इस प्रकार की दुरभिसंधिपूर्ण डिक्री को अधिमान दिए बिना विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इस पहलू का समुचित रूप से अधिमूल्यन किया गया है।

(viii) अपीलार्थियों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिकूल कब्जा के बारे में तर्क किया है। हम अपीलार्थियों के लिए उपस्थित अधिवक्ता द्वारा प्रचारित इन तर्कों को निम्नलिखित कारणों से स्वीकार नहीं कर रहे हैं:–

(a) çfrdy dCtk ,o tcju fy, x, voèk dCtk d chp fo'kky vrj gkrk gA

(b) ; vihykFkhx.k 1950 l viuk dCtk LFkkfir ugh dj ld FkA

(c) ; vihykFkhx.k 1950 e Hkfe d ekf[kd vrj.k ij Hkkjh fo'okl dj jg g vkj bu vihykfFk;k }kjk o"k 1969 e njfHkl fèk i.k lyg fMØh iku d fy, vfHkèkku okn Hkh nkf[ky fd;k Fkk rkfd vc mud uke e ukekrj.k çfof"V dh tk ldA bl çdkj] tk pht çR;{kr% ugh fd;k tk ldrk Fkk ml çR;{k :i l fd;k x;k gA

(d) leLr rhuk jktLo çkfèkdkfj;k u vkn'k ikfjr fd;k g vFkkr mik;Dr Hk&lèkkj dk fnukd 7 ekp] 1989 dk vkn'k] mik;Dr vihyh; çkfèkdkfj;k dk fnukd 30 uoEcj] 1991 dk vkn'k vkj mik;Dr }kjk ikfjr fnukd 9 Qjojh]

1999 dk vkn'k@; leLr vkn'k ,d lkl e dFku djr g fd vihykfFk;k d i{k e Hkfe dk ekf[kd vrj.k vkj dN ugh cfYd vihykfFk;k dk dkYifud fopkj gA bl çdkj dk vrj.k fofèk dh nf"V e vuK; ugh gA ey Lokeh tk vkfnokl h g vFkkr çR;Fkh lO 6 l 15 lifÙk d Lokeh cu jgr g vkj voèk dCtk ft l bu vihykfFk;k }kjk fy;k x;k g] vc ey Lokfe;k&vkfnokfl;k dk iuLFkkfir fd;k tkuk pkfg,A bu rF;k d ckotn vkj bl rF; d ckotn fd fdl h çkfèkdkjh }kjk LFkxu dHkh ugh çnku fd;k x;k g] ç'uxr lifÙk dk dCtk] tl k nkuk i{kk d vfèkoDrk }kjk fuonu fd;k x;k g] bu vihykfFk;k d ikl g] bl çdkj ;g çrhr gkrk g fd ; vihykFkhx.k ***ncx 0;fDr gA vkt d fnu l nk llrkg dh vofèk d Hkhrj rjUr dCtk lki fn;k tk,xkA***

(ix) समस्त राजस्व प्राधिकारियों द्वारा तथ्यों का समवर्ती निष्कर्ष है और हम उस दृष्टिकोण जिसे उक्त राजस्व प्राधिकारियों द्वारा और इन अपीलार्थियों द्वारा दाखिल रिट याचिका को खारिज करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा भी लिया गया है से भिन्न कोई अन्य दृष्टिकोण लेने का कारण नहीं देखते हैं क्योंकि उनके द्वारा उनके समक्ष मामलों को विनिश्चित करने में गलती नहीं की गयी है।

(x) अपीलार्थियों के अधिवक्ता द्वारा काफी तर्क किया गया है कि छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम प्रश्नगत संपत्ति पर प्रयोज्य नहीं हैं। हम अपीलार्थियों के तर्क से मुख्यत: इस कारण से सहमत नहीं हैं कि प्रश्नगत भूमि सरायकेला जिला में अवस्थित है और इसका 1951 में विलय किया गया है जैसा अपीलार्थियों के अधिवक्ता द्वारा अभिकथित किया गया है। यह छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम की प्रयोज्यता के प्रति अंतर नहीं करता है। भले ही प्रश्नगत भूमि जो सरायकेला जिला में अवस्थित है का विलय 1951 में किया गया है, तब भी विधि अक्षुण बनी रही और जैसा यह है, किसी लिखित दस्तावेज और उसके किसी रजिस्ट्रेशन के बिना भूमि का मौखिक अंतरण नहीं हो सकता है। मौखिक अंतरण और कुछ नहीं बल्कि इन अपीलार्थियों की दबंगई है। यदि इस पर विश्वास किया जाता है, तब शक्तिशाली को सही मानना होगा जो विधि की दृष्टि में अनुज्ञेय नहीं है अन्यथा प्रत्येक ताकतवर व्यक्ति भूमि के मौखिक अंतरण का कथन करेगा और प्रत्येक कमजोर व्यक्ति अपना स्वामित्व गँवा देगा। इस लेटर्स पेटेन्ट चरण तक विधि की पूर्ण अवज्ञा में अपीलार्थियों के अधिवक्ता द्वारा भूमि के मौखिक अंतरण का यह तर्क प्रचारित किया गया है। ये अपीलार्थीगण संपत्ति के मौखिक अंतरण के कारण 1950 से संपत्ति के स्वामी होने का दावा कर रहे हैं। अनावश्यक रूप से इस प्रकार के तर्कों के कारण वाद किया गया है जिसके कारण अनेक तुच्छ वादों को संबंधित राजस्व प्राधिकारियों द्वारा और इस न्यायालय द्वारा विनिश्चित किया जाना होगा।

(xi) अपीलार्थियों के लिए उपस्थित अधिवक्ता ने तर्क किया है कि प्रत्यर्थी सं॰ 6 से 15 द्वारा 30 वर्षों बाद एस॰ ए॰ आर॰ मामला आरंभ किया गया था, अत: यह मान्य नहीं है। यह प्रतिवाद इस न्यायालय द्वारा मुख्यत: निम्नलिखित कारणों से स्वीकार नहीं किया गया है:–

(a) vihykFkhx.k 1950 l ekf[kd djkj }kjk Hkfe d vrj.k dk nkok djr g fdr bu vihykfFk;k d i{k e ukekrj.k çfof"V djoku d fy, o"k 1963 e njfHkl fèki.k okn dk vkJ; fy;k x;k gA bl çdkj d vihykFkhx.k ;g nkok ugh dj ldr g fd ,l0 ,0 vkj0 nkf[ky dju e foyc gvk FkkA

(b) vihykFkhx.k 1950 l ç'uxr Hkfe ij dCtk dk nkok dj jg g] fdr leLr jktLo çkfèkdkfj;k d le{k ,o fo}ku ,dy U;k;kèkh'k d le{k ***o yxkrkj 1950 l viuk dCtk fl) dju e foQy g, gA***

(c) ,l0 ,0 vkj0 ekeyk vkjHk dju e foyc ugh gvk g D;kfd çR;Fkhx.k fujrj lifÙk d Lokeh jg Fk vkj Hkfe d ekf[kd vrj.k d QyLo#i bu vihykfFk;k d i{k e Lokfeo fufgr ugh fd;k tk ldrk FkkA

(d) bu vihykfFk;k d i{k e dCtk vkØed pj.k e FkkA vihykFkhx.k ç'uxr lifÙk ij fofèkd :i l dkfct ugh FkA ftl rjhd l vihykFkhx.k dh vfèkoDrk Hkfe d ekf[kd vrj.k d ckj e viuk rd çpkfjr dj jgh g] pg ;g ifjyf{kr djrk g fd vihykFkhx.k ncx 0;fDr g vkj blh rjhd l lifÙk d ey Lokeh vkfnokl h tk çR;Fkh l0 6 l 15g l dCtk fy;k x;k gkxkA

(e) ;fn bu vihykfFk;k }kjk voèk dCtk viu ikl j[kk tkrk g] jktLo çkfèkdkjh ed n'kd ugh jgxA o vkfnokfl ;k d fgr d lj{kd g vkj blfy, ,l0 ,0 vkj0 ekeyk vkjHk fd;k x;k Fkk vkj tYn gh ; rF; lcfèkr jktLo çkfèkdkfj ;k dh tkudkjh e FkA

(f) ey vkfnokfl ;k u bu vihykfFk;k d i{k e viuk vfèkdkj] dCtk ,o Lokfeo lefir dHkh ugh fd;k gA vr% vihykfFk;k d vfèkoDrk dk çfrokn fd ,l0 ,0 vkj0 dk;okgh vkjHk dju e foyc gvk Fkk] bl U;k;ky; }kjk Lohdkj ugh fd;k tkrk gA

6. पूर्वोक्त तथ्यों, कारणों एवं न्यायिक उद्घोषणाओं के समेकित प्रभाव के कारण विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा गलती नहीं किया गया है और हम सी॰ डब्लू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 1319 वर्ष 1999 (R) में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कारण नहीं देखते हैं। इसी प्रकार, समस्त राजस्व प्राधिकारियों द्वारा गलती नहीं किया गया है जिन्होंने दिनांक 7 मार्च, 1989 के आदेश के तहत एस॰ ए॰ आर॰ मामला सं॰ 19 वर्ष 1988-89, दिनांक 30 नवम्बर, 1991 के आदेश के तहत एस॰ ए॰ आर॰ अपील सं॰ 6 वर्ष 1989-90 और दिनांक 9 फरवरी, 1999 के आदेश के तहत सिंहभूम राजस्व पुनरीक्षण सं॰ 15 वर्ष 1992 विनिश्चित किया है। अत: यह लेटर्स पेटेन्ट अपील 10,000/- (दस हजार) रुपयों के व्यय के साथ एतद् द्वारा खारिज की जाती है जिसे प्रत्यर्थी सं॰ 6 से 15 के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा और प्रत्येक प्रत्यर्थी 1000/- (एक हजार) रुपयों की राशि प्राप्त करेगा। उक्त राशि का भुगतान इन अपीलार्थियों द्वारा पूर्वोक्त प्रत्यर्थियों को आज के दिन से छह सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाएगा। यह राशि भूमि के मौखिक अंतरण की तरह मौखिक रूप से अंतरित नहीं की जाएगी इस राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा।

---

ekuuh; vkun lu] U;k;efr

धनंजय सिंह

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(S) No. 5332 of 2014. Decided on 11th April, 2017.

सेवा विधि–नियुक्ति–उप-प्रशासक, झारखंड खेल प्राधिकरण का पद–याची ने उक्त पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था एवं नियुक्ति के लिए उसकी अनुशंसा की गयी थी–तत्पश्चात्, यह पता चला था कि समूची चयन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता तथा

अवैधानिकता हुई थी–झारखंड क्रीड़ा प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में कोई निर्णय लिये बिना ही, समाचार पत्र में उप-प्रशासक, क्रीड़ा के पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया था–सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना पात्रता मापदंड परिवर्तित कर दिये गये थे तथा विज्ञापन निर्गत किया गया था–ऐसे विज्ञापन के अनुसरण में, उक्त पद के लिए याची की अनुशंसा की गयी थी–बाद में, जब इन अनियमितताओं का पता चला था, चयन प्रक्रिया रद्द कर दी गयी थी तथा उक्त पद के लिए चयन की एक नयी प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था–पिछली प्रक्रिया रद्द करने के उपरान्त नियुक्ति की नयी प्रक्रिया प्रारंभ करने में प्रत्यर्थी प्राधिकारियों की कार्यवाही में कोई दोष नहीं–याची की केवल पद के लिए अनुशंसा की गयी थी–नियुक्ति के लिए अनुशंसा मात्र किसी विशिष्ट पद के विरूद्ध नियुक्त किये जाने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है–रिट याचिका खारिज। (पैराएँ 7 एवं 11)

अधिवक्तागण.–M/s Anil Kumar Sinha, Rahul Kumar, For the Petitioner; Mrs. Shweta Singh, For the State; M/s M. Sohail Anwar, Afaque Ahmad, Altaf Hussain, For the Resp. No.5.

आदेश

याची इस रिट याचिका को दाखिल करके उप-प्रशासक, झारखंड खेल प्राधिकरण (इसमें इसके पश्चात् 'साझा' के तौर पर निर्दिष्ट) के पद पर याची को नियुक्ति का प्रस्ताव देने के लिये प्रत्यर्थी प्राधिकारियों को निर्देश देने का आग्रह करता है क्योंकि उक्त पद पर नियुक्ति के लिए उसके नाम की अनुशंसा की गयी है जिसे दिनांक 11.12.2013 के विज्ञापन के तहत विज्ञापित किया गया था। संशोधन याचिका के माध्यम से, याची ने प्रत्यर्थी प्राधिकारियों के निर्णय के रद्दकरण के लिए एक नये आग्रह के अंत:स्थापन का भी आग्रह किया है जिसके द्वारा उन्होंने नियुक्ति की उस पिछली प्रक्रिया को रद्द करके एक नयी चयन प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्णय लिया है जिसके द्वारा याची के नाम की अनुशंसा की गयी थी। पुन: विज्ञापन का निर्णय भी चुनौती के अधीन है।

2. याची बी॰ पी॰ एड॰ (शारीरिक प्रशिक्षण में स्नातक), एम॰ पी॰ एड॰ (शारीरिक प्रशिक्षण में स्नातकोत्तर) की शैक्षणिक अर्हता के साथ एक धावक होने का दावा करता है तथा पी॰ एच॰ डी॰ कर रहा है। यह निवेदन किया गया है कि उप-प्रशासक, साझा के एक स्वीकृत तथा रिक्त पद को प्रत्यर्थी प्राधिकारियों द्वारा भरने का निर्णय लिया गया था तथा तद्नुसार, दिनांक 11.12.2013 के विज्ञापन के तहत पद विज्ञापित किया गया था। उक्त विज्ञापन के अनुसरण में, याची ने अन्य के साथ आवेदन किया था तथा केवल दो उम्मीदवारों, अर्थात्, याची तथा किसी अर्चना कुमारी को नियुक्ति के लिये पात्र पाया गया था। याची यह भी दावा करता है कि उक्त अर्चना कुमारी के राजनीतिक संपर्क थे तथा उसने संबंधित व्यक्ति को प्रभावित करने का प्रयास किया था ताकि वह नियुक्ति प्राप्त कर सके। याची यह भी दावा करता है कि उसे तथा अर्चना कुमारी को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। याची दावा करता है कि उसे 78.25 अंक प्राप्त हुए थे, जबकि अर्चना कुमारी ने केवल 57 अंक प्राप्त किये थे तथा अतएव, चयन समिति ने उक्त पद पर नियुक्ति के लिये याची के नाम की अनुशंसा किया था। याची यह भी निवेदन करता है कि ऐसी अनुशंसा के बावजूद, उसे नियुक्त नहीं किया गया है। वह अभिकथित करता है कि उसे अर्चना कुमारी के कहने पर नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा था।

3. प्रत्यर्थी राज्य हाजिर हुआ था तथा अपने प्रश्नपत्र दाखिल किये थे उसमें कथित करते हुए कि झारखंड क्रीड़ा प्राधिकरण ने दिनांक 3.9.2014 की अपनी बैठक में उप-प्रशासक, साझा के पद के लिये

नियुक्ति की प्रक्रिया को रद्द करने का एक मत से संकल्प लिया था। प्रत्यर्थी प्राधिकारियों ने उक्त अर्चना कुमारी के साथ कोई संबंध होने से इनकार किया है। यह भी निवेदन किया गया है कि उप-प्रशासक, साझा का पद एक सरकारी पद नहीं है तथा झारखंड लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से उक्त पद पर नियुक्ति नहीं की गयी है। प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता यह भी निवेदन करते हैं कि चयन प्रक्रिया अंतिम नहीं हुई थी तथा वस्तुत: झारखंड क्रीड़ा प्राधिकरण की कार्यपालक समिति द्वारा लिये गये दिनांक 3.9.2014 के निर्णय के अनुसार इसे रद्द कर दिया गया था।

4. झारखंड क्रीड़ा प्राधिकरण ने भी एक पृथक प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया था जिसमें उन्होंने इनकार किया था कि दो उम्मीदवारों को उक्त विज्ञापन के अनुसरण में पात्र पाया गया है। यह भी कथित किया गया है कि जब सचिव, क्रीड़ा, कला, संस्कृति एवं युवा मामला विभाग, झारखंड सरकार के समक्ष मामला रखा गया था, यह उल्लिखित किया गया था कि प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा की गयी है। तथापि, स्क्रीनिंग समिति के गठन से संबंधित कोई आदेश संचिका में नहीं था। यह भी उल्लिखित किया गया था कि चयन समिति के गठन में परिवर्तन को कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। यह भी निर्दिष्ट किया गया था कि एक मंत्री को संबोधित आप्त सचिव के गैर सरकारी पत्र संख्या 90 दिनांक 20.9.2013 के आधार पर समूची कार्यवाहियां प्रारंभ हुई हैं, जिसके द्वारा शैक्षणिक अर्हता तथा पात्रता प्रत्यक्षत: निर्धारित की गयी है, जो कार्यकारी समिति की दिनांक 5.1.2013 के बैठक में निर्धारित पात्रता मापदंड से भिन्न है। इसके अतिरिक्त, यह निर्दिष्ट किया गया था कि अन्य अनियमितताएं थीं, जो नियुक्ति की समूची प्रक्रिया को प्रारंभ से ही अनियमित बना देती हैं। यह कथित किया गया है कि पात्रता मापदंड में इस अनियमितता के कारण, उम्मीदवारों की सीमित संख्या ने आवेदन किया था। यह भी उल्लिखित किया गया है कि नियुक्ति की समूची प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी तथा इस प्रकार, उक्त पद पर नियुक्ति के लिए प्रारंभ की गयी समूची प्रक्रिया को रद्द करने का निर्णय लिया गया था।

5. याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री अनील कुमार सिन्हा निवेदन करते हैं कि चयन की समूची प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि यथा विहित समूची प्रक्रिया पर विचार करके तथा अनुसरण करके याची की अनुशंसा की गयी थी। यह भी कथित किया गया है कि केवल किसी अर्चना कुमारी को लाभ प्रदान करने के लिये चयन प्रक्रिया का रद्दकरण किया गया है। याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता यह भी निवेदन करते हैं कि वस्तुत: नियुक्ति के लिए शर्त्तों को प्रत्यर्थीगण द्वारा अभिपुष्ट किया गया था तथा इस प्रकार अब वह पीछे नहीं हट सकते हैं। प्रत्यर्थीगण की कार्रवाई अवैधानिक तथा मनमानी है। वह यह भी निवेदन करते हैं कि समिति द्वारा विज्ञापन को सम्यक् रूप से अनुमोदित किया गया था तथा तत्पश्चात्, उक्त विज्ञापन के अनुसरण में याची हाजिर हुआ था एवं उक्त नियुक्ति के लिये उसकी अनुशंसा की गयी थी। याची का तर्क यह है कि एक अन्य उम्मीदवार अर्चना कुमारी के उत्तीर्ण न होने पर ही नियुक्ति की समूची प्रक्रिया रद्द कर दी गयी थी जो पूर्णत: अवैधनिक है।

6. प्रत्यर्थी संख्या 5 की ओर से उपस्थित होनेवाले विद्वान वरीय अधिवक्ता तर्क देते हैं कि चयन प्रक्रिया रद्द करने में कोई अवैधानिकता नहीं है। वह निवेदन करते हैं कि चयन की समूची प्रक्रिया में बड़ी संख्या में अनियमितताएं थीं तथा प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए ही, एक नया विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। वह यह भी निवेदन करते हैं कि पिछले पात्रता मापदंड के कारण, उम्मीदवारों की एक अति छोटी संख्या ने आवेदन किया था परन्तु नये विज्ञापन की दृष्टि में पात्र उम्मीदवारों की बड़ी संख्या आवेदन तथा प्रतिस्पर्धा कर सकती है, जो बेहतर व्यक्ति को चुनने में प्रत्यर्थीगण को काफी बेहतर विकल्प प्रदान करेगा।

7. पक्षकारों की सुनवाई करने के उपरान्त, मैं पाता हूँ कि वर्तमान याची ने उक्त पद पर नियुक्ति के लिये आवेदन किया था एवं नियुक्ति के लिए उसकी अनुशंसा की गयी थी। तत्पश्चात्, यह पता चला था कि समूची चयन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता तथा आवैधानिकता हुई थी। प्रत्यर्थीगण ने अपने प्रतिशपथ पत्र में विस्तार से कथित किया है कि समूची प्रक्रिया विभिन्न अनियमितताओं से ग्रस्त है तथा यह पारदर्शी भी नहीं थी। प्रत्यर्थी संख्याओं 5 एवं 6 ने अपने प्रतिशपथ पत्र के पैरा 11 में विनिर्दिष्ट रूप से निम्नवत् कथित किया था:–

> *^^11. fjV vkonu d ijk 7 e fd; x; dFkuk d lcèk e] ;g dFkr fd;k x;k g fd ;|fi lk>k dh dk;dkjh lfefr u mi&i'kkld] ØhMk ikfèkdj.k d in ij fu;fDr d fy, vgrk rFkk ik=rk ekinM fofgr dj fn;k Fkk] rRdkyhu ekuuh; e=h] ekuo lkèku foHkkx] dyk] lLÑfr] ØhMk ,o ;ok ekey] >kj[kM ljdkj&lg&vè;{k] lk>k d vklr lfpo Jh fot; dtj u mi&i'kkld] ØhMk d in ij fu;fDr d fy; dkjokb dh tkuokyh vgrk@ik=rk] vk;&lhek] dV&vkQ frfFk] dV&vkQ vd fuèkkfjr djr g, dk;dkjh fun'kd] lk>k dk fnukd 20.9.2013 dh ,d ukV 'khV Hkth FkhA bl ukV 'khV e ik=rk rFkk vgrk ekinM e vU; ifjoÙkuk d vykok] dk;dkjh lfefr }kjk fnukd 5.1.2013 dh viuh cBd e ;Fkk fu.khr ikp o"kk d vuHko dk gVk fn;k x;k FkkA ekuuh; e=h dk vueknu rhu fnuk d Hkhrj yu d fy, Hkh ,d fun'k fn;k x;k Fkk] rkfd 5.10.2013 rd foKkiu idkf'kr fd;k tk ldA ekuuh; e=h d vklr lfpo Jh fot; dtj }kjk gLrk{kfjr fnukd 20.9.2013 d xj ljdkjh i= l[;k 90 okyh bl ukV&'khV e ekuuh; e=h] ekuo lkèku foHkkx] dyk] lLÑfr] ØhMk ,o ;ok ekeyk] >kj[kM ljdkj dk dkb i"Bkdu ;k dkb gLrk{kj ugh gA ;g dFkr djuk lIxr g fd ekuuh; e=h d vklr lfpo }kjk ;Fkk l>k; x; ik=rk ekinM dk dk;dkjh lfefr }kjk dHkh Hkh vuekfnr ugh fd;k x;k FkkA***

8. बाद में, यह उक्त प्रतिशपथ पत्र में उल्लिखित किया गया है कि मंत्री के आप्त सचिव की टिप्पणी के आधार पर, कार्यपालक निदेशक, साझा ने सचिव, क्रीड़ा, कला, संस्कृति एवं युवा मामले विभाग, झारखंड सरकार को सुझाव भेजा था। तत्पश्चात्, सचिव ने माननीय मंत्री को एक टिप्पणी भेजी थी कि साझा की बैठक में नियुक्ति के मामले में निर्णय लिया जाना चाहिए। उक्त शपथ पत्र के पैरा 14 से, यह भी स्पष्ट है कि साझा की कार्यपालक समिति की बैठक में कोई निर्णय लिये बिना ही, उप-प्रशासक, क्रीड़ा के पद पर नियुक्ति के लिये दिनांक 11.12.2013 के समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया था। यह विनिर्दिष्टत: उल्लिखित किया गया है कि साझा के कार्यकारी समिति में यथा निर्णीत शर्त्तों एवं निबंधनों के अनुसार उक्त विज्ञापन नहीं था। उक्त प्रतिशपथ पत्र के पैरा 21 से यह भी प्रकट है कि कार्यकारी समिति, साझा द्वारा दिनांक 5.1.2013 की बैठक में यथा निर्धारित पात्रता मापदंड को कार्यकारी समिति के अनुमोदन के बिना विज्ञापन में बदल दिया गया था। पात्रता से संबंधित मामला कार्यकारी समिति, साझा के समक्ष रखा गया था तथा तत्पश्चात्, कार्यकारी समिति ने दिनांक 3.9.2014 के अपने संकल्प के तहत समूचे मामले पर विचार किया था एवं उक्त पद पर नियुक्ति की

प्रक्रिया को रद्द करने का संकल्प लिया था तथा दिनांक 5.1.2013 की पिछली बैठक में यथा निर्णीत उक्त पद के लिये अपेक्षित पात्रता/अर्हता को बनाये रखने का भी निर्णय लिया था ताकि अधिक संख्या में सक्षम उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त किये जा सकें।

9. इस प्रकार, पूर्वोल्लिखित तथ्यों तथा पक्षकारों के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निवेदनों से, यह स्पष्ट है कि सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना पात्रता मापदंड परिवर्तित कर दिये गये थे तथा विज्ञापन निर्गत कर दिया गया था। उक्त विज्ञापन के अनुसरण में, याची को उक्त पद के लिये अनुशंसित किया गया था। बाद में, जब इन अनियमितताओं का पता चला था, चयन प्रक्रिया रद्द कर दी गयी थी तथा उक्त पद के लिये चयन की एक नयी प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था। प्रत्यर्थीगण का तर्क यह है कि चूँकि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना चयन के लिए पात्रता मापदंड परिवर्तित कर दिया गया था, सक्षम उम्मीदवारों की न्यून संख्या ने उक्त चयन प्रक्रिया में भाग लिया था। उनके अनुसार, अब सक्षम उम्मीदवारों की अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होंगे जिससे कि वह एक उपयुक्त उम्मीदवार को चुनने में सक्षम हो सकेंगे। चूँकि, चयन की पिछली प्रक्रिया में अनियमितताएं थीं, जिसके द्वारा याची की अनुशंसा की गयी थी, उक्त पद पर चयन की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिये ऐसी प्रक्रिया रद्द कर दी गयी थी।

10. ऊपर उल्लिखित तथ्यों की दृष्टि में, मैं पिछली प्रक्रिया को रद्द करने के उपरान्त नियुक्ति की एक नयी प्रक्रिया प्रारंभ करने में प्रत्यर्थी प्राधिकारियों की कार्रवाई में कोई दोष नहीं पाता हूँ। इसके अतिरिक्त याची की केवल पद के लिए अनुशंसा की गयी थी। नियुक्ति के लिए अनुशंसा मात्र किसी विशिष्ट पद के विरूद्ध नियुक्त किये जाने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है। इसके अतिरिक्त इस तथ्य की दृष्टि में कि जब वह प्रक्रिया ही अनियमित प्रक्रिया पायी गयी थी, जिसके द्वारा याची की अनुशंसा की गयी थी, नियुक्ति प्राधिकारी को उक्त अनुशंसा स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है तथा नियुक्ति प्रदान करने के लिए कोई निर्देश नहीं हो सकता है।

11. उक्त कथित तथ्यों में, मैं इस रिट याचिका में कोई गुण नहीं पाता हूँ, तद्नुसार इसे खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

तिलेश्वर महतो एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Revision No. 218 of 2001. Decided on 22nd February, 2017.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराओं 397 एवं 401 के अधीन आवेदन के मामले में।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 143 एवं 379—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धाराएँ 397 एवं 301—विधिविरुद्ध जमाव की सदस्यता एवं चोरी–भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 143 एवं 379 के अधीन अपराध के लिए याचियों को दोषसिद्ध करते हुए न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध याचियों द्वारा दाखिल अपील खारिज करते हुए सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका–अभिकथित घटना के पहले पक्षों के बीच भूमि विवाद–याचियों द्वारा प्रस्तुत विवादित भूमि पर स्वामित्व के संबंध में

अनेक दस्तावेजों का विचारण न्यायालय द्वारा अधिमूल्यन नहीं किया गया जबकि यह अभियोजन का संगत मामला है कि प्रश्नगत भूमि सूचक के कब्जा में थी–स्वतंत्र गवाहों ने स्पष्टत: कथन किया है कि सूचक प्रश्नगत भूमि पर वास्तविक रूप से काबिज था–प्रश्नगत भूमि पर सूचक का कब्जा स्थापित किया गया–विचारण न्यायालय ने सही प्रकार से याचीगण को दोषसिद्ध किया था–याचीगण वर्ष 1996 से अभियोजन मामले की कठोरता का सामना कर रहे हैं–अधिरोपित दंडादेश पहले ही भुगत ली गयी अवधि तक उपांतरित–आवेदन खारिज।

(पैराएँ 5 एवं 6)

अधिवक्तागण.–Mr. R.P. Gupta, For the Petitioners; Mr. Sudhansu Kumar Deo, For the State.

न्यायालय द्वारा.–याचीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री आर॰ पी॰ गुप्ता और राज्य के विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ श्री सुधांशु कुमार देव सुने गए।

2. यह आवेदन विद्वान सत्र न्यायाधीश, हजारीबाग द्वारा दांडिक अपील सं॰ 5 वर्ष 2000 में पारित दिनांक 23.5.2001 के निर्णय के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन याचीगण द्वारा जी॰ आर॰ सं॰ 1994/96 (टी॰ आर॰ सं॰ 639/99) में याचीगण को भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 379 एवं 143 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि करते और उनको क्रमश: तीन माह एवं एक वर्ष का सामान्य कारावास भुगतने का दंडादेश देते हुए विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 23.12.1999 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं आदेश तथा दंडादेश के विरुद्ध अपील खारिज कर दी गयी है।

3. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि अभिकथित घटना के पहले भूमि विवाद विद्यमान है। याचीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि बचाव द्वारा अभिलेख पर अनेक दस्तावेज लाए गए थे किंतु किसी भी दस्तावेज का अधिमूल्यन नहीं किया गया है। यह निवेदन किया गया है कि प्रदर्श A, B एवं C पर्याप्त रूप से सिद्ध करते हैं कि याचीगण का उक्त प्रश्नगत भूमि पर अधिकार, अभिधान एवं स्वामित्व था और वे इस पर वास्तविक रूप से काबिज थे। यह निवेदन किया गया है कि चूँकि प्रश्नगत भूमि याचीगण की थी, भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 149 एवं 379 के अधीन अपराध आकृष्ट होने का प्रश्न उद्‌भूत नहीं होता है। याचीगण के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि अभियोजन द्वारा पेश किए गए अधिकांश गवाह हितबद्ध गवाह हैं क्योंकि वे सूचक के भाई हैं अथवा सूचक से संपत्ति के खरीदार है। विकल्प में याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि यदि यह न्यायालय दोषसिद्धि के निर्णय एवं आदेश में हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं है, इस तथ्य की दृष्टि में कि याचीगण वर्ष 1996 से अभियोजन मामले की कठोरता का सामना कर रहे हैं, दंडादेश की अवधि उपयुक्त रूप से उपांतरित की जाए।

4. यह प्रतीत होता है कि प्राथमिकी इस अभिकथन पर संस्थित की गयी थी कि 27.10.1996 एवं 3.11.1996 को हठमरही गाँव में याचीगण ने धान की फसल की चोरी किया था। अन्वेषण के बाद आरोप-पत्र दाखिल करने पर संज्ञान लिया गया था और मामला विद्वान दंडाधिकारी को अंतरित किया गया था और विचारण के समापन पर याचीगण को भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 143 एवं 379 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया था और तद्‌नुसार दंडादेशित किया गया था। याचीगण द्वारा दाखिल दांडिक अपील सं॰ 5 वर्ष 2000 विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा 23.5.2001 को खारिज की गयी थी।

5. विचारण के क्रम में अभियोजन की ओर से आठ गवाहों का परीक्षण किया गया था। अ॰ सा॰ 1 लोकनाथ महतो सूचक है जबकि अ॰ सा॰ 2 जयलाल महतो उसका भाई है। अ॰ सा॰ 4, 5, 6 एवं 8

ने सूचक के पिता से भूमि खरीदने के बारे में कथन किया है। अ॰ सा॰ 7 अयोध्या ठाकुर ने कथन किया है कि सूचक द्वारा धान उपजाया गया था। अ॰ सा॰ 3 मो॰ सलीम ने कथन किया था कि सूचक ने धान काटा था। बचाव ने अपने साक्ष्य के क्रम में अपना प्रतिवाद कि प्रश्नगत भूमि वस्तुत: याचीगण की थी को सिद्ध करने के लिए प्रदर्श A श्रृंखला, B, C एवं D दाखिल किया था। किंतु, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इन पर अविश्वास किया गया है क्योंकि प्रदर्शों ने उस भूमि को इंगित नहीं किया था जो विवाद का विषय वस्तु था। यह अभियोजन का संगत मामला है कि प्रश्नगत भूमि सूचक के कब्जा में थी। अन्य स्वतंत्र गवाहों के अतिरिक्त सूचक एवं उसके भाई ने स्पष्टत: कथन किया है कि सूचक प्रश्नगत भूमि पर वास्तविक रूप से काबिज था और धान बोया था।

6. इस तथ्य की दृष्टि में कि अभिकथित विवादित भूमि पर सूचक का कब्जा स्थापित किया गया है, याची द्वारा जबरन धान काटना और ले जाना भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 143 एवं 379 के अधीन दंडनीय अपराध आकृष्ट किया और दोनों पक्षों द्वारा अभिलेख पर लाए गए मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का विद्वान अवर न्यायालय द्वारा समुचित अधिमूल्यन किए जाने पर याचीगण को सही प्रकार से भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 143 एवं 379 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और तद्नुसार दंडादेशित किया गया है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने भी अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के समुचित अधिमूल्यन पर याचीगण द्वारा दाखिल अपील खारिज कर दिया। दोषसिद्धि के निर्णय एवं आदेश में हस्तक्षेप का कारण नहीं होने के चलते यह आवेदन विफल होता है जहाँ तक दोषसिद्धि का संबंध है।

7. किंतु, दंडादेश जिसे याचीगण पर अधिरोपित किया गया है के संबंध में यह प्रतीत होता है कि याचीगण वर्ष 1996 से अभियोजन मामले की कठोरता का सामना कर रहे हैं। विवाद तुच्छ प्रकृति का प्रतीत होता है क्योंकि यह सूचक के खेत से धान की चोरी से संबंधित है। याचीगण कुछ समय के लिए अभिरक्षा में भी रहे हैं। पूर्वोक्त परिदृश्य पर विचार करते हुए, याचीगण पर अधिरोपित दंडादेश की अवधि पहले ही भुगत ली गयी अवधि तक के लिए उपांतरित की जाती है।

8. दंडादेश में पूर्वोक्त उपांतरण के साथ यह आवेदन खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk ,o Mkñ ,lñ ,uñ ikBd] U;k;efrx.k

झारखंड राज्य ग्राम रक्षादल (3894 में)

अजय कुमार गोप (3235 में)

मोहन लाल भगत एवं अन्य (3139 में)

मानस कुमार त्रिपाठी एवं अन्य (3182 में)

मनोरंजन प्रसाद सिंह (3242 में)

मोहन मुरारी सिंह एवं अन्य (3563 में)

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य (सभी में)

W.P. (S) Nos. 3894, 3139, 3182, 3242 with 3563 of 2015 with 3235 of 2014. Decided on 2nd March, 2017.

झारखंड पंचायत सचिव (नियुक्ति, सेवाशर्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2002—नियम 5—पंचायत सचिव के पद पर नियुक्ति–दलपतियों के माध्यम से 50% रिक्तियों को भरा जाना है–जिला स्तर कमिटी द्वारा अनुशंसित दलपतियों के मामलों को अनुमोदन के लिए निदेशक, पंचायती राज को भेजा गया था जहाँ मामला लंबित बना रहा–इस बीच नयी नियमावली 2014 प्रभाव में आयी और अनुशंसित उम्मीदवारों की सूची संबंधित जिलों के डी॰ सी॰ को लौटायी गयी थी–याचीगण के मामले जिनकी अनुशंसा दलपतियों के बीच से भरे जाने के लिए 50% कोटा के सुअंतर्गत है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा पूर्णतः आच्छादित हैं–राज्य सरकार को उन समस्त जिलों, जिनमें दलपतियों के बीच से नियुक्त पंचायत सचिवों की चालू संख्या अभी भी अर्हित दलपतियों के बीच में से कैडर संख्या के 50% के नीचे है, में पंचायत सचिव के 50% कैडर पदों को 2002 नियमावली के प्रावधानों के अनुरुप भरने का निर्देश दिया गया।

(पैराएँ 15, 16 एवं 17)

निर्णयज विधि.–(2015) 3 SCC 177; (2007) 11 SCC 605—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Anil Kumar Sinha, Abhishek Sinha, Satish Kumar, A.K. Sahani, Deepak Kumar Dubey, Satish Kumar, For the Petitioner; M/s R.R. Mishra, Rishikesh Giri, For the State.

न्यायालय द्वारा.–चूँकि इन समस्त रिट याचिकाओं में सामान्य प्रश्न अंतर्ग्रस्त है, इन रिट याचिकाओं को साथ सुना जा रहा है और इसे एक ही आदेश द्वारा निपटाया जा रहा है।

2. इन समस्त रिट आवेदनों में याचीगण के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

3. इन समस्त रिट याचिकाओं में याचीगण दलपतियों के रूप में कार्यरत थे और दलपतियों के माध्यम से भरी जाने वाली 50% रिक्तियों, जैसा झारखंड पंचायत सचिव (नियुक्ति, सेवा शर्त एवं कर्तव्य) नियमावली, 2002 (इसमें इसके बाद संक्षेप में '2002 नियमावली' के रूप में निर्दिष्ट) के नियम 5 के अधीन प्रावधानित किया गया है, पर पंचायत सचिव के पद पर नियुक्ति का दावा कर रहे हैं। वे इस तथ्य से व्यथित हैं कि जब पंचायत सचिव के पद पर नियुक्त किए जाने के लिए जिला स्तरीय चयन कमिटी द्वारा उनके मामले अनुशंसित किए गए थे और निदेशक, पंचायती राज, झारखंड सरकार के अनुमोदन के लिए भेजे गए थे, निदेशक द्वारा उनके मामले लंबित रखे गए थे और इस बीच नयी नियमावली 2.7.2015 को लागू की गयी थी जो झारखंड पंचायत सचिव (नियुक्ति, सेवाशर्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली (संशोधित) 2014 (इसमें इसके बाद '2014 नियमावली' के रूप में निर्दिष्ट) है, जिसके अनुसार पंचायत सचिव के पद की समस्त रिक्तियों को अब केवल प्रत्यक्ष भरती के माध्यम से भरे जाने की आवश्यकता है। निदेशक, पंचायती राज, झारखंड सरकार द्वारा विभिन्न जिलों के उपायुक्तों को जारी दिनांक 6.7.2015 के पृथक पत्रों द्वारा 2014 नियमावली की उद्घोषणा के अनुसरण में संबंधित जिलों के उपायुक्तों को अनुशंसित उम्मीदवारों की सूची यह कथन करते हुए वापस भेजी गयी थी कि नयी 2014 नियमावली 2.7.2015 से प्रभाव में आयी है।

4. नियमावली 2002 का नियम 5 पंचायत सचिवों के पद पर नियुक्ति के दो स्रोतों को विहित करता है अर्थात् कैडर का 50% न्यूनतम दो वर्षों की अर्हता रखने वाले और वरीयता के अनुरुप दलपतियों के बीच में से भरी जानी थी और शेष 50% पदों को प्रत्यक्ष भरती के माध्यम से भरा जाना था। पुनः

नियमावली 2002 का नियम 12 दोनों स्रोतों के माध्यम से नियुक्ति की प्रक्रिया अधिकथित करता है और नियमावली में अधिकथित प्रक्रिया के मुताबिक दोनों स्रोतों से भरे जाने वाली प्रत्येक वर्ष रिक्त होनेवाले पदों को पृथक रूप से पहचानने के लिए और दोनों स्रोतों के माध्यम से नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए इसे निदेशक, पंचायती राज को भेजने की जिम्मेदारी दिया। नियम 12 का उपनियम (3) पंचायत सचिव के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया अधिकथित करता है जिसके लिए परस्पर जिला के जिला दंडाधिकारी/उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय चयन कमिटी द्वारा अनुशंसा की जानी थी। उक्त नियम यह भी प्रावधानित करता है कि चयन प्रक्रिया पूरी करने के बाद केवल निदेशक, पंचायती राज के अनुमोदन के बाद नियुक्ति की जानी थी।

5. यह स्वीकृत अवस्था है कि पंचायत सचिव का कैडर जिला कैडर है और इन समस्त रिट आवेदनों में याचीगण, जो दलपतियों के रूप में कार्यरत थे और 50% कोटा में पंचायत सचिवों के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए आवश्यक अर्हता रखते थे, के मामलों के अनुसार उनके मामलों पर उनके अपने-अपने जिला स्तरीय चयन कमिटी द्वारा विचार किया गया था, उनका चयन किया गया था और 2014 नियमावली के प्रभाव में आने के काफी पहले 2002 नियमावली के अनुरुप निदेशक, पंचायती राज के अनुमोदन के लिए उनके नाम भेजे गए थे किंतु निदेशक, पंचायती राज स्वयं को ज्ञात कारणों से मामले पर बैठे रहे। ज्योंही 2014 नियमावली 2.7.2015 को प्रभाव में आयी उन्होंने सुविधाजनक रूप से 6.7.2015 को अनुशंसाओं को वापस कर दिया। उपायुक्त, पाकुड़ को जारी एक ऐसा पत्र डब्लू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 3139 वर्ष 2015 के परिशिष्ट-6 के रूप में अभिलेख पर लाया गया है।

6. झारखंड पंचायती राज अधिनियम, 2001 की धारा 90 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा 2002 नियमावली जारी की गयी थी, जबकि 2014 नियमावली झारखंड के राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन जारी की गयी थी और उक्त नियमावली अपनी अधिसूचना की तिथि पर अर्थात् 2.7.2015 को प्रभाव में आयी। नियमावली 2014 का नियम 5 पंचायत सचिव के पद पर नियुक्ति का केवल एक स्रोत प्रावधानित करता है अर्थात् 100% नियुक्ति प्रत्यक्ष भरती के माध्यम से की जानी है।

7. याचीगण के अनुसार, काफी पहले 22.4.2015 को प्रधान सचिव, पंचायती राज एवं एन॰ आर॰ ई॰ पी॰ (विशेष खंड), विभाग, झारखंड सरकार ने डब्लू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 3139 वर्ष 2015 के परिशिष्ट 7 में यथा अंतर्विष्ट दिनांक 22.4.2015 के पत्र सं॰ 1236 के माध्यम से झारखंड राज्य में समस्त उपायुक्तों को उनको दोनों स्रोतों से अर्थात् दलपति कोटा से और प्रत्यक्ष भरती से नियुक्त किए जाने के लिए पंचायत सचिवों के पदों की पहचान करने के लिए कहते हुए पत्र लिखा था। जहाँ तक 50% दलपति कोटा में नियुक्तियाँ की जानी थी, उपायुक्तों को उनकी नियुक्ति यथाशीघ्र करने के लिए अनुशंसा करने का निर्देश दिया गया था।

8. इन समस्त मामलों में तर्क करते हुए याचीगण के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने चयनित उम्मीदवारों की अनुशंसा को वापस करते हुए संबंधित जिलों के उपायुक्तों को निदेशक, पंचायती राज द्वारा जारी दिनांक 6.7.2015 के पत्र को चुनौती दिया है और निवेदन किया है कि उक्त पत्र विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि याचीगण के चयन की प्रक्रिया 2002 नियमावली के अनुरुप पूरी की गयी थी और तद्नुसार, भले ही इस बीच 2014 नियमावली प्रख्यापित की गयी थी, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया

पश्चातवर्ती नियमावली के प्राख्यापन द्वारा प्रभावित नहीं हो सकती थी। विद्वान वरीय अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि यह विधि का सुनिश्चित सिद्धांत है कि खेल के नियम बदले नहीं जा सकते हैं जब चयन प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गयी थी।

9. विकल्प में, विद्वान वरीय अधिवक्ता ने तर्क किया कि 2002 नियमावली झारखंड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 90 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित की गयी थी जबकि 2015 नियमावली राज्य के राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्ति के प्रयोग में प्रख्यापित की गयी है। विद्वान वरीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रख्यापित नियमावली विधानमंडल द्वारा अधिनियमित अधिनियम के प्रावधानों के अधीन प्रख्यापित नियमावली के प्रावधानों पर अध्यारोही नहीं हो सकती है और तद्नुसार विद्वान वरीय अधिवक्ता ने पश्चातवर्ती नियमावली के प्रख्यापन को भी चुनौती दिया है।

10. विद्वान वरीय अधिवक्ता द्वारा आगे यह निवेदन किया गया है कि किसी भी स्थिति में यदि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रख्यापित नियमावली के प्रावधानों और विधानमंडल द्वारा अधिनियमित अधिनियम के प्रावधानों के अधीन प्रख्यापित पूर्व नियमावली के बीच कोई विरोध है, अधिनियम के प्रावधानों के अधीन प्रख्यापित नियमावली अभिभावी होगी। अपने प्रतिवाद के समर्थन में विद्वान वरीय अधिवक्ता ने **ए० बी० कृष्णा बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य, (1998)3 SCC 495,** में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया है जिसमें निम्नलिखित विधि अधिकथित की गयी है:–

> "6. e[;r% foèkkueMy vFkkr lln vFkok jkT; foèkku lHkk e l?k vFkok jkT; d dk;dyki k d lcèk e ykd lokvk ,o ink ij fu;Dr 0;fDr;k dh Hkjrh ,o lok 'krk dk fofu;fer dju okyh fofèk cuku dh 'kfDr fufgr dh x;h gA bl vuPNn e minf'kr foèkk;h {k= ogh g tl k lkroh vulph dh lph ı dh çfof"V 71 vFkok ml vulph dh lph ıı dh çfof"V 41 e minf'kr dh x;h gA fdr] ijUrd lok fu;ekoyh cuku d fy, jk"Vifr vFkok jkT;iky dk 'kfDr nrk g fdr ;g doy lØe.kdkyhu çkoèkku g D;kfd ijUrd d vèkhu 'kfDr dk ç;kx doy rc fd;k tk ldrk g tc rd foèkkueMy vfèkfu;e ugh cukrk g ftld }kjk ykd ink ij Hkjrh ,o ml in l lcfèkr lok dh vU; 'kr vfèkdfFkr dh x;h gA
>
> 7. ....
>
> 8. jkT; ljdkj d vèkhu vfXu lok jkT; foèkkueMy }kjk cuk, x, vfXu cy vfèkfu;e] 1964 d vèkhu lftr ,o LFkkfir dh x;h FkhA vfèkfu;e dh èkkjk 39 d vèkhu çnÙk 'kfDr d ç;kx e jkT; ljdkj u vfXu lok dh 'krk dk fofu;fer dju okyh lok fu;ekoyh cuk;k gA pfd vfXu lok foèkkueMy d vfèkfu;e d vèkhu fo'k"kr% LFkkfir dh x;h Fkh vkj ljdkj u ml vfèkfu;e d vèkhu bl ij çnÙk 'kfDr d vulj.k e igy gh lok fu;ekoyh cuk;k g] dukVd flfoy lok (lkekU; Hkjrh) fu;ekoyh] 1977 e dkb l'kkèku vfXu lok d fy, oèk :i l cuk, x, fo'k"k çkoèkkuk dk çHkkfor ugh djxkA oLrr% lfoèkku d vuPNn 309 dh ;ktuk d vèkhu] tc ,d ckj foèkkueMy lok dh 'kr fofuf;fer dju okyh fofèk vfèkfu;fer dju d fy, eè;{ki djrk g] jk"Vifr vFkok jkT;iky] ;FkkfLFkfr] lfgr dk;ikfydk dh 'kfDr ^^Occupied field" d fl)kr** ij i.kr% foLFkkfir gk tkrh gA fdr] ;fn ml vfèkfu;eu }kjk dkb ekeyk Li'k ugh fd;k x;k g] dk;ikfydk vun'k tkjh

dju vFkok mlI ekey d lcèk e vuPNn 309 d vèhu fu;e cuku e l{ke gkxkA

9. fuLlng ;g lR; g fd lfoèkku d vuPNn 309 vkj vfèkfu;e dh èkkjk 39 d vèhu fu;e cuku okyk çkfèkdkjh ,d gh g vFkkr ljdkj (lVhd :i l vuPNn 309 d vèhu jkT;iky vkj èkkjk 39 d vèhu ljdkj), fdr nkuk vfèkdkfjrk, fHkUu gA ***tlk mij n[kk x;k g] vuPNn 309 d vèhu 'kfDr dk ç;kx jkT;iky }kjk ugh fd;k tk ldrk g] ;fn foèkkueMy u igy gh fofèk cuk;k g vkj {k= vkPNkfnr gA ml fLFkfr e] foèkkueMy }kjk bl çdkj cuk;h x;h fofèk d vèhu vkj u fd vuPNn 309 d vèhu fu;e cuk, tk ldr gA*** *;g Hkh è;ku e fy;k x;k g fd vfèkfu;e d vèhu nh x;h fu;e cuku dh 'kfDr d ç;kx e cuk, x, fu;e çR;k;kftr vFkok vèhuLFk foèkku xfBr djr g* ***fdr vuPNn 309 d vèhu fu;ek dk mlI dkfV e vku okyk ugh ekuk tk ldrk g vkj]*** *blfy,] ^^vkPNkfnr {k=* d fl)kr ij vuPNn 309 d vèhu fu;e foèkkueMy }kjk cuk, x, fu;ek dk vfèkØkr ugh dj ldr gA*** (tkj fn;k x;k)

10. विद्वान वरीय अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि भले ही 2014 नियमावली 2.7.2015 से प्रभाव लेने के लिए प्रख्यापित एवं अधिसूचित की गयी है, रिक्तियाँ जो 2014 नियमावली के प्रख्यापन के पहले की अवधि से संबंधित हैं केवल पूर्व की 2002 नियमावली के अनुरूप भरी जाएँगी जो दलपतियों के बीच में से कैडर का 50% और प्रत्यक्ष भरती के माध्यम से भरे जाने के लिए 50% प्रावधानित करता है। अपने प्रतिवाद के समर्थन में, विद्वान वरीय अधिवक्ता ने **अर्जुन सिंह राठोर एवं अन्य बनाम बी॰ एन॰ चतुर्वेदी एवं अन्य, (2007)11 SCC 605,** में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया है जिसमें निम्नलिखित विधि अधिकथित की गयी है:-

"5. vihykFk;k d fo}ku ojh; vfèkoDrk Jh dYyk u rd fd;k g fd ekeyk jktLFkku jkT; cuke vkj0 n;ky e bl U;k;ky; d fu.k; }kjk i.kr% vkPNkfnr g ftle ;g vfHkfuèkkfjr fd;k x;k Fkk fd çkUufr }kjk Hkjh tku okyh fjfDr;k fu;ek d vèhu Hkjh tkuh Fkh tk mI frfFk ij çoÙk Fkh tc fjfDr;k gbZ FkhA okbO ohO jx¸;k cuke tO Jhfuokl jko e io fu.k; ij fo'okl djd fuEufyf[kr er fn;k x;k Fkk% (SCC P. 422 Para 8)

"8. ....bl U;k;ky; u fofufn"Vr% vfèkdfFkr fd;k fd fjfDr;k tk ***fu;ekoyh d l'kkèku d igy gbZ Fkh] ey fu;ekoyh }kjk 'kkflr gkxh vkj u fd l'kkfèkr fu;ekoyh }kjkA rnulkj] bl U;k;ky; u vfHkfuèkkfjr fd;k Fkk fd in tk fu;ekoyh d l'kkèku d igy fjDr g,] ey fu;ekoyh }kjk 'kkflr gkx vkj u fd l'kkfèkr fu;ekoyh }kjkA vko';d ifj.kke d :i e] fjfDr;k] tk*** *fu;ekoyh d l'kkèku d ckn mnHkr gb] dk mI frfFk ij tc fjfDr;k mnHkr gb ij fo|eku fofèk d vu#i Hkj tku dh vko';drk gA***

6. çR;fFk;k 6 ,o 7 d fo}ku vfèkoDrk }kjk mDr fofèkd voLFkk xHkhj :i l fookfnr ugh dh x;h gA ***vr% gekjk er g fd fjfDr;k tk fu;ekoyh o"k 1998 d çoru d igy gb Fkh dk fu;ekoyh o"k 1988 d vèhu vkj mle vfèkdfFkr çfØ;k d erkfcd Hkjk tkuk FkkA*** *vr% gekjk er g fd fo}ku ,dy U;k;kèkh'k d fu.k; dk iuLFkkfir dju dh vko';drk gA ge rnul;kj vknf'kr djr gA*** (tkj fn;k x;k)

यह निवेदन किया गया है कि **कुलवन्त सिंह एवं अन्य बनाम दया राम एवं अन्य, (2015)3 SCC 177** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यही दृष्टिकोण लिया गया है।

11. इन निर्णयों पर विश्वास करते हुए विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि चूँकि रिक्तियाँ 2014 नियमावली के प्रभाव में आने के पहले हुई थी, उन रिक्तियों को 2002 नियमावली के अनुरुप भरा जाना होगा और तद्नुसार, निदेशक, पंचायत राज द्वारा जारी दिनांक 6.7.2015 के आक्षेपित पत्र, जिनमें से एक डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 3139 वर्ष 2015 में परिशिष्ट-6 के रूप में अभिलेख पर लाया गया है, अभिखंडित किए जाने योग्य है। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि चयन प्रक्रिया जिसे 2002 नियमावली के प्रावधानों के अधीन आरंभ किया गया है, केवल उस नियमावली के अनुरूप पूरा किया जाना होगा।

12. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया है और हमारा ध्यान भारत के संविधान के अनुच्छेद 243G सहपठित ग्यारहवीं अनुसूची की ओर आकृष्ट किया है और निवेदन किया है कि आधुनिक काल में पंचायतों के कार्य काफी बढ़ गए हैं, जिनके ई॰ गवर्नेन्स की आवश्यक वर्तमान युग में हैं। राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे निवेदन किया गया है कि वर्तमान युग की आवश्यकताओं को देखते हुए राज्य सरकार के लिए 2015 नियमावली विरचित करना बिल्कुल आवश्यक बन गया है, जिसके अनुसार पद के लिए वर्तमान आवश्यकताओं को विचार में लेते हुए अर्हता विहित की गयी है और समस्त रिक्तियों को केवल प्रत्यक्ष भरती द्वारा भरा जाना विहित किया गया है ताकि सुअर्हित, नवयुवक एवं उर्जावान व्यक्तियों को पंचायत सचिव के रूप में लिया जाए। तद्नुसार, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि नयी 2014 नियमावली की विरचना आज की आवश्यकता है। प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने हमारा ध्यान डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 3894 वर्ष 2015 में झारखंड राज्य द्वारा दाखिल पूरक प्रतिशपथ पत्र की ओर किया है जिसमें विभिन्न जिलों में पंचायत सचिव के कैडर का कार्यसंख्या, नियुक्ति का स्रोत तथा रिक्तियों का विवरण देते हुए राज्य प्रत्यर्थियों द्वारा तालिकाबद्ध फॉर्म दिया गया है। इस चार्ट के अनुसार, कुछ जिलों में दलपतियों के बीच में से नियुक्त पंचायत सचिवों की कार्यरत संख्या पहले से ही उनके 50% कोटा के आधिक्य में है। कुछ जिलों में दलपतियों के बीच में से नियुक्त पंचायत सचिवों की कार्यरत संख्या अभी भी 50% कोटा के नीचे है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि किसी भी स्थिति में, जिलों में, जहाँ दलपतियों के बीच से नियुक्त पंचायत सचिवों की कार्यरत संख्या पहले से ही 50% कोटा के आधिक्य में है, ऐसे जिलों के जिला स्तरीय चयन कमिटी द्वारा की गयी अनुशंसा पर विचार नहीं किया जा सकता है और 50% दलपति कोटा के आधिक्य में नियुक्ति नहीं की जा सकती है। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि समस्त याचीगण जिनके नाम जिला स्तरीय चयन कमिटी द्वारा अनुशंसित किया गया है की नियुक्ति पर, उनके 50% कोटा के आधिक्य में भी, विचार करने के लिए राज्य प्रत्यर्थियों को निर्देश देने वाला कठोर आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

13. हम राज्य के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन में बल पाते हैं कि किसी भी स्थिति में, दलपतियों के बीच से पंचायत सचिव के पदों पर नियुक्ति किसी जिला में इस तरीके से नहीं की जा सकती है कि यह उस जिला विशेष के 50% कैडर संख्या के परे जाए। किंतु, साथ ही हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि उन याचीगण के मामले जिन्हें ऐसे जिला स्तरीय चयन कमिटी द्वारा 2002 नियमावली के अनुरुप अनुशंसित किया गया है जहाँ दलपतियों के बीच से नियुक्त पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत संख्या अभी भी कैडर के 50% के नीचे है, ऐसे जिलों से आनेवाले याचीगण के मामले निदेशक, पंचायती राज

द्वारा यह बयान देते हुए वापस नहीं भेजे जा सकते थे कि चूँकि नयी 2014 नियमावली प्रभाव में आयी है, 2002 नियमावली के अनुरुप नियुक्ति नहीं की जा सकती थी।

14. किंतु, हम राज्य के विद्वान अधिवक्ता के इस निवेदन में कोई बल नहीं पाते हैं कि इस तथ्य को ध्यान में लिए बिना कि पद 2014 नियमावली के प्रभाव में आने के पहले रिक्त हुए थे, प्रत्यक्ष भरती के माध्यम से पंचायत सचिवों के पदों की 100% रिक्तियों को भरना भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-G सहपठित ग्यारहवीं अनुसूची के अनुसरण में पंचायत सचिवों की बढ़ी हुई जिम्मेदारियों की दृष्टि में वर्तमान युग की आवश्यकता है। यदि ऐसा होता, दलपति कोटा से नियुक्त किए जाने के लिए पंचायत सचिवों के पदों को पहचानने के लिए और जल्द की तिथि पर उनकी नियुक्ति के लिए अनुशंसा करने के लिए झारखंड राज्य में समस्त उपायुक्तों को कहते हुए दिनांक 22.4.2015 के पत्र सं॰ 1236, जैसा डब्लू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 3139 वर्ष 2015 के परिशिष्ट 7 में अंतर्विष्ट है, जारी करने का अवसर विभाग के प्रधान सचिव के पास नहीं होता। वस्तुत: यह पत्र 2014 नियमावली की विरचना के काफी बाद विभाग के प्रधान सचिव द्वारा जारी किया गया है, यद्यपि उस तिथि तक 2014 नियमावली की विरचना की जानकारी अवश्य रही होगी।

15. हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि याचीगण के मामले, जिनकी अनुशंसा की गयी है, दलपतियों के बीच से भरे जाने वाले 50% कोटा के सुअंतर्गत है, **ए॰ बी॰ कृष्णा, अर्जुन सिंह राठोर और कुलवन्त सिंह (ऊपर)** के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से पूर्णत: आच्छादित है।

16. पूर्वोल्लिखित चर्चा की दृष्टि में, निदेशक, पंचायती राज द्वारा जारी दिनांक 6.7.2015 के आक्षेपित पत्रों जिनमें से एक डब्लू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 3139 वर्ष 2015 में परिशिष्ट–6 के रूप में अभिलेख पर लाया गया है, को एतद् द्वारा अभिखंडित किया जाता है। हम राज्य प्रत्यर्थियों को उन समस्त जिलों, जिनमें दलपतियों के बीच से नियुक्त पंचायत सचिवों की कार्यरत संख्या अभी भी कैडर संख्या के 50% के नीचे है, में पंचायत सचिव के 50% कैडर पदों को 2002 नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप अर्हित दलपतियों के बीच से भरने का निर्देश देते हैं। समस्त व्यावहारिक प्रयोजन से यह समझा जाएगा कि जिलों, जहाँ दलपतियों के बीच से नियुक्त पंचायत सचिवों की कार्यरत संख्या अभी भी कैडर संख्या के 50% के नीचे है, के संबंधित जिला स्तर चयन कमिटी द्वारा की गयी अनुशंसाएँ अभी भी निदेशक, पंचायती राज, झारखंड राज्य के विचारार्थ/अनुशंसाएँ अभी भी निदेशक, पंचायती राज, झारखंड राज्य के विचारार्थ/अनुमोदन के लिए अस्तित्वशील हैं। हम आज के दिन से तीन माह की अवधि के भीतर यह कार्य सकारात्मक रूप से पूरा करने का निर्देश राज्य सरकार को देते हैं। यह कहना अनावश्यक है कि केवल उन याचीगण/उम्मीदवारों की नियुक्ति पर विचार किया जाएगा जो अन्यथा 2002 नियमावली के अनुरुप पंचायत सचिव के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पूर्णत: अर्हित हैं और 2014 नियमावली के प्रभाव में आने के पहले रिक्त होने वाले पदों को भरने के लिए झारखंड राज्य के समस्त जिलों के लिए यह कार्य किया जाएगा।

17. पूर्वोक्त निष्कर्ष की दृष्टि में हम स्पष्ट करते हैं कि हम 2014 नियमावली को चुनौती देने वाले याचीगण के विद्वान वरीय अधिवक्ता के वैकल्पिक तर्क पर विचार नहीं कर रहे हैं।

18. तद्नुसार, पूर्वोक्त निर्देशानुसार ये समस्त रिट आवेदन निपटाए जाते हैं।

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

चंद्र प्रकाश शॉ

cuke

बिहार राज्य अब झारखंड

Cr. Revision No. 291 of 2000(R). Decided on 20th February, 2017.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराओं 397 एवं 401 के अधीन आवेदन के मामले में।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 420 एवं 403—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धाराएँ 397 एवं 401—छल एवं संपत्ति का दुर्विनियोग–तीन वर्षों के कठोर कारावास से दो वर्षों के कठोर कारावास तक दंडादेश उपांतरित करके विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध याची द्वारा दाखिल अपील खारिज करने वाले अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण–वर्तमान पुनरीक्षण में तर्क किया गया है कि यदि न्यायालय दोषसिद्धि के निर्णय एवं आदेश में हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं है, याची पर अधिरोपित दंडादेश की अवधि इस तथ्य की दृष्टि में उपांतरित की जाए कि याची विगत तीन दशकों से अधिक से अभियोजन मामले की कठोरता का सामना कर रहा है और वह कुछ समय अभिरक्षा में भी बना रहा है–अपीलीय न्यायालय ने दोषसिद्धि का आदेश संपोषित करने के पहले अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अधिमूल्यन किया था किंतु दंडादेश की अवधि दो वर्षों तक घटा दिया–विचारण न्यायालय द्वारा पारित एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा अभिपुष्ट दोषसिद्धि के निर्णय में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है–जहाँ तक दंडादेश का संबंध है, याची तीस वर्षों से अधिक से अभियोजन मामले की कठोरता का सामना कर रहा है, इस दशा में याची को अधिनिर्णीत दंडादेश पहले ही भुगत भी गयी अवधि तक उपांतरित किया गया–अपील खारिज। (पैराएँ 8 एवं 9)

अधिवक्तागण.–Mr. R.P. Gupta, For the Petitioner; Mr. Nagmani Tiwari, For the State.

न्यायालय द्वारा.–याची के विद्वान अधिवक्ता श्री आर॰ पी॰ गुप्ता एवं राज्य के विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ श्री नागमणि तिवारी सुने गए।

2. यह आवेदन विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, चाईबासा द्वारा दांडिक अपील सं॰ 9 वर्ष 1995 में पारित दिनांक 3.4.2000 के निर्णय के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन याची द्वारा विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, पोरहट, चाईबासा द्वारा सी॰/1 केस सं॰ 8/1984 (टी॰ आर॰ सं॰ 1/1995) में पारित दिनांक 14.2.1995 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध याची द्वारा दाखिल अपील दंडादेश को तीन वर्षों के कठोर कारावास से दो वर्षों के कठोर कारावास तक घटा कर उपांतरित करके खारिज कर दी गयी है।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि विवाद केवल याची एवं सूचक के भागीदारी व्यवसाय के संबंध में था। यह निवेदन किया गया है कि किसी भी गवाह ने याची की ओर से कोई दांडिक कृत्य अभिकथित नहीं किया है। याची के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि पक्षों के बीच भागीदारी करार सम्यक रूप से निष्पादित किया गया था। विकल्प में याची के विद्वान अधिवक्ता

द्वारा तर्क किया गया है कि यदि यह न्यायालय दोषसिद्धि के निर्णय एवं आदेश में हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं है, याची पर अधिरोपित दंडादेश की अवधि इस तथ्य की दृष्टि में उपांतरित की जाए कि याची तीन दशकों से अधिक से अभियोजन मामले की कठोरता का सामना कर रहा है और वह कुछ समय अभिरक्षा में भी बना रहा है।

4. राज्य के विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने याची द्वारा की गयी प्रार्थना का विरोध किया है।

5. यह प्रतीत होता है कि परिवाद मामला सी॰/1 केस सं॰ 8/1984 संस्थित किया गया था जिसमें अभिकथित किया गया था कि याची ने अक्टूबर, 1983 में 1,20,000/- रुपयों के लिए सेकेंड हैन्ड डीजल ट्रक खरीदा था। याची ने परिवादी को यह विश्वास करने के लिए प्रेरित किया था कि ट्रक बिल्कुल ही सही दशा में था और ऐसी प्रेरणा पर विश्वास करते हुए परिवादी ने याची के साथ भागीदारी किया था। यह अभिकथित किया गया है कि परिवादी ने 2.11.1983 को 60,000/- रुपयों की राशि का भुगतान किया था जिसके अनुसरण में भागीदारी विलेख निष्पादित किया गया था। यह भी अभिकथित किया गया है कि भागीदारी के निबंधनों एवं शर्तों के मुताबिक व्यवसाय चक्रधरपुर में किया जाना था किंतु किसी प्रकार परिवादी को आगे 7000/- देने के लिए प्रेरित किया गया था और अंत में यह परिवादी की जानकारी में आया कि याची द्वारा ट्रक ले जाया गया था और वह इसे परिवाहक बद्री सिंह के मदद से चला रहा था। अभिकथन किया गया है कि परिवादी द्वारा बार–बार याची से संपर्क करने का प्रयास करने के बावजूद वह विफल रहा और अंतत: परिवादी परिवाद याचिका दाखिल करने के लिए मजबूर हुआ।

6. दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 202 के अधीन जाँच करने के बाद भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 420 एवं 403 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए संज्ञान लिया गया था। विचारण के समापन के बाद विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, पोरहट, चाईबासा ने याची को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 420 एवं 403 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया और तद्नुसार याची दंडादेशित किया गया था। याची द्वारा दाखिल दांडिक अपील सं॰ 9 वर्ष 1995 विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, चाईबासा द्वारा 3.4.2000 को खारिज कर दी गयी थी और केवल भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 420 के अधीन याची पर अधिरोपित दंडादेश उपांतरित किया गया था और दो वर्षों के कारावास तक घटा दिया गया था।

7. विचारण के क्रम में अभियोजन की ओर से पाँच गवाहों का परीक्षण किया गया था। अ॰ सा॰ 1 कृष्णा गोपाल रॉय ने भागीदारी विलेख टंकित किया था जिसे प्रदर्श 1 के तौर पर चिन्हित किया गया था। अ॰ सा॰ 2 कमला प्रसाद परिवादी का पिता है जिसने याची और उसके पुत्र के बीच हुए भागीदारी व्यवसाय के बारे में कथन किया था। इस गवाह ने यह कथन भी किया है कि परिवादी द्वारा याची को भुगतान किया गया था। इस गवाह ने यह भी प्रकट किया कि वित्तीय कंपनी ने परिवादी को सूचित किया था कि ट्रक की किश्त का भुगतान कभी नहीं किया गया था यद्यपि इसका भुगतान करने का करार था। अ॰ सा॰ 3 दिलीप कुमार सरकार औपचारिक गवाह है जिसने परिवाद याचिका टंकित किया था। अ॰ सा॰ 4 स्वयं परिवादी है जिसने सजीव चित्रण किया है कि किस प्रकार उसे याची द्वारा यह विश्वास करने के लिए प्रेरित किया गया था कि ट्रक नया था और जिसके लिए उसने धन की भारी राशि दिया था। इस गवाह ने किए गए करार के बारे में भी कथन किया है जिसमें ट्रक चलाने का क्षेत्र केवल चक्रधरपुर था। इस

गवाह ने यह कथन भी किया है कि याची ट्रक जमशेदपुर ले गया था जहाँ से इसे कलकत्ता ले जाया गया था। और अंतत: वित्तीय कंपनी द्वारा सूचित किए जाने पर परिवादी याची के परिवादी के साथ छल करने के कृत्य के बारे में जान सका था। अ॰ सा॰ 5 अभिजीत दत्ता वह व्यक्ति था जिसे याची एवं परिवादी दोनों द्वारा प्रश्नगत वाहन की देखभाल करने के लिए तैनात किया गया था। इस गवाह ने कथन किया है कि ट्रक का स्वामित्व भागीदारी फर्म के नाम में अंतरित कभी नहीं किया गया था। यह गवाह भी भागीदारी विलेख का हस्ताक्षरकर्ता है जिसे प्रदर्श 1 चिन्हित किया गया था। अ॰ सा॰ 5 ने यह कथन भी किया है कि उसे पता चला था कि याची किसी बदरी प्रसाद के साथ कलकत्ता में व्यवसराय कर रहा है।

8. बचाव की ओर से दो गवाहों का परीक्षण किया गया है जिसने चक्रधरपुर पी॰ एस॰ केस सं॰ 89/84 की औपचारिक प्राथमिकी और उक्त मामले में दाखिल अंतिम रिपोर्ट सिद्ध किया है। ब॰ सा॰ 2 मोहन सिंह ट्रक चालक है जिसने कथन किया था कि ट्रक जब्त किया गया था और तत्पश्चात उसे याची द्वारा परिवादी को सूचना देने के लिए कहा गया था। रजिस्टर्ड भागीदारी विलेख और चक्रधरपुर के महेन्द्र सिंह के पेट्रोल पम्प से लिए गए तेल के संबंध में रसीदों सहित अनेक दस्तावेजों को अभिलेख पर लाया गया है। प्रदर्श 2 परिवादी द्वारा याची को 1.2.1984 को ट्रक की किश्त के भुगतान के लिए दिए गए 7000/- रुपया की रसीद है। अभियोजन ने अपना मामला सिद्ध किया था कि याची द्वारा परिवादी से ली गयी राशि वापस कभी नहीं की गयी थी। मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य भी निर्णायक रूप से यह तथ्य सिद्ध करते थे कि परिवादी को याची द्वारा भागीदारी व्यवसाय करने के लिए प्रेरित किया गया था और तत्पश्चात परिवादी ने वित्तदाताओं को एक किश्त का भुगतान किया था किंतु बाद में वह याची द्वारा अपने वाहन को किसी बदरी प्रसाद की मदद से कलकत्ता में चलाए जाने के बारे में जान सका था। इस प्रकार गवाहों के याची द्वारा परिवादी को छले जाने के बिंदु पर संगत होने के कारण विद्वान विचारण न्यायालय ने सही प्रकार से याची को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 420 एवं 403 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने दोषसिद्धि का आदेश संपोषित करने के पहले अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अधिमूल्यन किया था किंतु दंडादेश की अवधि दो वर्षों तक घटा दिया था। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित एवं विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा अभिपुष्ट दोषिसिद्धि के निर्णय में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

9. किंतु, जहाँ तक याची को अधिनिर्णीत दंडादेश का संबंध है, यह प्रतीत होता है कि मामला वर्ष 1984 में संस्थित किया गया था और याची 30 वर्षों से अधिक से अभियोजन मामले की कठोरता का सामना कर रहा है। पक्षों के बीच विवाद भागीदारी करार के संबंध में है और चूँकि याची कुछ समय अभिरक्षा में भी बना रहा है, याची को अपने दंडादेश की शेष अवधि भुगतने के लिए अभिरक्षा में भेजना अब वांछनीय नहीं होगा।

तद्नुसार, मामले के ऐसे दृष्टिकोण में याची को अधिनिर्णीत दंडादेश की अवधि पहले ही भुगत ली गयी अवधि तक उपांतरित की जाती है।

दंडादेश में पूर्वोक्त उपांतरण के साथ यह आवेदन खारिज किया जाता है।

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

बिनोद कुमार यादव एवं अन्य (19 में)

प्रेम कुमार ठाकुर (32 में)

बलराम मेहता (146 में)

शंकर दयाल पांडे (334 में)

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य (सभी में)

W.P. (S) Nos. 19, 32, 146 with 334 of 2016. Decided on 2nd February, 2017.

(क) विद्यालय विधियाँ–नियुक्ति–उपलब्ध रिक्ति पर नियुक्ति नहीं करने का सरकार के अधिकार का अर्थ यह नहीं होगा कि राज्य का मनमाने तरीके से काम करने की छूट है–रिक्तियों की संख्या एवं अर्हित उम्मीदवारों की उपलब्धता के बावजूद कुछ उम्मीदवारों तक चयन मनमाने रूप से निर्बंधित नहीं किया जा सकता है–भरी नहीं गयी शेष रिक्तियों के विरुद्ध पात्र उम्मीदवारों को नियुक्ति से इनकार किया जाना अवैध एवं अन्यायोचित है–वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थियों ने मनमाने तरीके से कृत्य किया है और सुविज्ञ एक रूप निर्णय लिए बिना चयन प्रक्रिया रोक दिया–काउंसिलिंग रोकने का निर्णय जिला स्तर पर लिया गया है और विभाग द्वारा स्पष्ट मार्गदर्शक सिद्धांतों की अनुपस्थिति में उन्होंने भिन्न रूप से कृत्य किया–इसने उम्मीदवारों जिन्हें छोड़ दिया गया है को वाद हेतुक उद्भूत करते हुए अराजक स्थिति लाया है–उनकी शिकायत वास्तविक प्रतीत होती है–शिक्षक पात्रता परीक्षा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए केवल एक पात्रता शर्त है–केवल इस आधार पर कि एक अन्य शिक्षक पात्रता परीक्षा ली गयी है, पात्र संक्षिप्त सूचीबद्ध उम्मीदवारों को विज्ञापित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति से वंचित किया जा सकता है–यदि पैनल तैयार नहीं किया गया है, यह और भी अधिक भरी नहीं गयी समस्त विज्ञापित रिक्तियों पर उम्मीदवारों की मेधा के अनुसार नियुक्ति करने का कारण है–स्थिति सुधारी जा सकती है यदि शेष विज्ञापित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए एक और काउंसिलिंग संचालित किया जाता है–निर्देश जारी किए गए। **(पैराएँ 8, 12 से 16)**

(ख) सेवा विधि–नियुक्ति–समतुल्यता–सामान्य नियम यह है कि जब कर्मचारियों के संवर्ग विशेष को न्यायालय द्वारा अनुतोष दिया जाता है, अन्य समस्त समान रूप से स्थित व्यक्तियों के साथ वह लाभ देकर समान रूप से व्यवहार करने की आवश्यकता है–नियुक्ति के मामलों में अन्य पात्र उम्मीदवारों को समरुप लाभ देने की आवश्यकता उच्चतर है–यह अन्य पात्र उम्मीदवारों जो वर्तमान याचीगण की तुलना में मेधा सूची में उच्चतर हो सकते हैं द्वारा समरुप लाभों का दावा करने वाले संभावित भावी वादों से बचने के कारण से भी आवश्यक है। **(पैरा 18)**

निर्णयज विधि.–(1991) 3 SCC 47; (1974) 3 SCC 220; (2016) 6 SCC 532; (2015)1 SCC 347—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Rajiv Ranjan, Baleshwar Yadav (in 19), Baleshwar Yadav (in 32), Lalit Kumar Singh (in 146), Mahesh Tewari, Kumari Shikha, (in 334), For the Petitioners; M/s Ruchi Rampuria, (in 19), Shahid Khan (in 32), Rajiv Anand (in 146), Richa Sanchita (in 334), For the Respondents.

आदेश

विधि का सामान्य प्रश्न ''क्या विज्ञापित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति से मनमाने रूप से इनकार किया जा सकता है, रिट याचिकाओं के इस समूह में अंतर्ग्रस्त है। याचीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया कि आगे काउंसिलिंग संचालित नहीं करने का निर्णय मनमाना है जिसके परिणामस्वरुप याचीगण को नियुक्ति से वंचित किया गया है। किंतु, विद्वान राज्य अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया कि दिनांक 3.7.2015 के पत्र के तहत विभाग द्वारा नियत समय-तालिका की दृष्टि में, जिसके अधीन चयन प्रक्रिया 18.9.2015 तक पूरी की जानी थी, समस्त जिलों में काउंसिलिंग आगे रोक दिया गया है।

2. डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 19 वर्ष 2016 में विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री राजीव रंजन याचीगण के लिए उपस्थित होते हैं। डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 32 वर्ष 2016 में विद्वान अधिवक्ता श्री बालेश्वर यादव याची के लिए उपस्थित होते हैं और डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 334 वर्ष 2016 में विद्वान अधिवक्ता श्री महेश तिवारी याची के लिए उपस्थित होते हैं। इन रिट याचिकाओं में याचीगण सहायक शिक्षक (कक्षा I से V के लिए) के पद के लिए आवेदक थे। डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 146 वर्ष 2016 में विद्वान अधिवक्ता श्री ललित कुमार सिंह याची के लिए उपस्थित होते हैं जो स्नातक-प्रशिक्षित शिक्षक (कक्षा VI-VIII) के रूप में नियुक्ति के लिए उम्मीदवार था। ये समस्त याचीगण पैरा शिक्षक कोटि के अधीन उम्मीदवार थे।

3. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की सहमति से ये याचिकाएँ स्वयं इस चरण पर अंतिम रूप से निपटायी जाती है।

4. याचीगण एवं प्रत्यर्थी राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता दोनों ने **शंकरसन दास बनाम भारत संघ, (1991)3 SCC 47,** में निर्णय पर विश्वास किया है।

5. ये रिट याचिकाएँ विभिन्न प्रार्थनाओं के साथ दाखिल की गयी हैं किंतु, सुनवाई के क्रम के दौरान याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपना तर्क केवल बीच रास्ते काउंसिलिंग रोकने के प्रत्यर्थियों के निर्णय की वैधता तक सीमित किया। इस प्रकार, प्रत्येक मामले का तथ्यों पर पृथक विस्तृत परीक्षण आवश्यक नहीं है। वर्तमान कार्यवाही में, अनेक शपथपत्र दाखिल किए गए हैं और अब यह स्वीकृत अवस्था है कि समस्त जिलों में विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या अर्थात् 10202 के विरुद्ध इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक (कक्षा I से V) के 3336 पद और स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के 496 पद अभी भी रिक्त हैं। प्रत्यर्थी राज्य द्वारा डब्लू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 334 वर्ष 2016 में दाखिल शपथ पत्र निम्नलिखित रिक्ति अवस्था प्रकट करता है:-

o"k 2015-16 e f'k{kd ik=rk ijh{kk e mRRkh.k ikjk f'k{kdk e l Hkj tku oky b.VjehfM,V if'kf{kr in ij fu;fDr dh fLFkfr

Ø0	fty k	b.VjehfM,V if'kf{kr f'k{kd			b.VjehfM,V if'kf{kr mn f'k{kd		
		dy fjfDr	fu;Dr	'k"k fjfDr	dy fjfDr	fu;Dr	'k"k fjfDr
1	jkph	362	333	29	150	1	149
2	ykgjnxk	65	43	22	52	0	52
3	[kVh	196	183	13	13	0	13

4	xeyk	194	176	18	0	0	0
5	fleMxk	138	123	15	18	0	18
6	i0 flgHke	359	251	108	146	0	146
7	i0 flgHke	333	294	39	197	0	197
8	ljk;dyk	293	221	72	53	1	52
9	gtkjhckx	236	206	30	137	41	96
10	jkex<	136	58	78	66	6	60
11	/kuckn	442	381	61	79	15	64
12	fxfjMhg	482	380	102	115	20	95
13	dkMjek	127	44	83	48	6	42
14	prjk	170	99	71	71	12	59
15	ckdkjk	348	249	99	120	27	93
16	iyke	259	245	14	57	5	52
17	x<ok	259	254	5	140	9	131
18	ykrgkj	160	152	8	67	1	66
19	no?kj	377	255	122	47	5	42
20	lkgcxt	168	67	101	88	7	81
21	xkMMk	395	229	166	89	12	77
22	ikdM	207	114	93	57	1	56
23	nedk	422	267	155	26	1	25
24	tkerkMk	233	91	142	28	4	24
	dy&	6361	4715	1646	1864	174	1690

o"k 2015-16 e f'k{kd ik=rk ijh{kk e mRRkh.k ikjk f'k{kdk e l Hkj tku oky Lukrd if'kf{kr in ij fu;fDr dh fLFkfr

Ø0	ftyk	Lukrd if'kf{kr f'k{kd ¼xf.kr ,o foKku½			Lukrd if'kf{kr f'k{kd ¼lekt v/;;u½			Lukrd if'kf{kr f'k{kd ¼Hkk"kk½		
		dy fjfDr	fu;Dr	'k"k fjfDr	dy fjfDr	fu;Dr	'k"k fjfDr	dy fjfDr	dy fjfDr	'k"k fjfDr
1	jkph	29	19	10	59	55	4	72	55	17
2	ykgjnxk	8	4	4	8	8	0	19	14	5
3	[kVh	10	8	2	16	13	3	20	7	13
4	xeyk	22	20	2	22	16	6	35	26	9

5	fleMxk	15	11	4	7	7	0	19	6	13
6	i0 flgHke	27	25	2	5	4	1	54	34	20
7	i0 flgHke	40	37	3	24	22	2	64	48	16
8	ljk;dyk	26	22	4	17	14	3	33	22	11
9	gtkjhckx	26	22	4	34	31	3	41	38	3
10	jkex<	10	4	6	13	2	11	16	8	8
11	/kuckn	38	35	3	47	41	6	59	53	6
12	fxfjMhg	20	14	6	28	13	15	43	31	12
13	dkMjek	12	8	4	13	8	5	15	11	4
14	prjk	16	10	6	22	14	8	26	17	9
15	ckdkjk	26	21	5	32	30	2	37	32	5
16	iyke	40	26	14	43	34	9	56	48	8
17	x<ok	29	25	4	32	29	3	36	35	1
18	ykrgkj	26	15	11	25	24	1	31	22	9
19	no?kj	22	20	2	23	16	7	40	31	9
20	lkgcxt	14	5	9	12	4	8	26	5	21
21	xkMMk	23	18	5	21	17	4	43	33	10
22	ikdM	11	4	7	12	5	7	20	2	18
23	nedk	28	25	3	30	25	5	50	37	13
24	tkerkMk	16	7	9	17	11	6	26	18	8
	dy&	534	405	129	562	443	119	881	633	248

6. डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 334 वर्ष 2016 में याचीगण द्वारा दाखिल दिनांक 6.10.2016 के प्रत्युत्तर शपथ पत्र में उन्होंने प्राख्यान किया है कि कुछ जिलों में कुल 10 काउंसिलिंग संचालित किए गए थे जबकि कुछ जिलों में इसे छठे काउंसिलिंग के बाद रोक दिया गया था। यह स्वीकृत अवस्था है। प्रत्यर्थी राज्य द्वारा दाखिल दिनांक 12.1.2017 के पूरक प्रतिशपथ पत्र में यह स्वीकार किया गया है कि अधिकांश जिलों में काउंसिलिंग दिसंबर, 2015 तक जारी रहा किंतु रामगढ़, साहेबगंज एवं पाकुड़ जिलों में जनवरी, 2016 में भी काउंसिलिंग संचालित किया गया था।

7. ये रिट याचिकाएँ जनवरी, 2016] में दाखिल की गयी थी।

8. विभिन्न जिलों के लिए जारी विज्ञापनों में विभिन्न जाति एवं कोटि के अधीन पदों की कुल संख्या का ब्रेक-अप दिया गया है। कुल पदों में से, 50% पद सरकारी विद्यालयों में कार्यरत पैरा शिक्षकों द्वारा दाखिल किया जाना है जबकि 50% पद गैर-पैरा शिक्षक उम्मीदवारों से भरा जाना है। झारखंड प्राथमिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2012 इंटरमीडिएट प्रशिक्षित तथा स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की

नियुक्ति का क्षेत्र शासित करती है, यह विवादित नहीं है कि रिट याचीगण ने अनुबंधित समय के भीतर अपना आवेदन दिया। वे दावा करते हैं कि उन्हें पात्र उम्मीदवारों के रूप में शॉर्टलिस्ट किया गया था और उन्हें पात्र उम्मीदवारों के पैनल में सम्मिलित किया गया था।

9. शंकरसन के मामले में, संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में भारतीय पुलिस सेवा (आई॰ पी॰ एस॰) में 70 रिक्तियाँ थी, 54 सामान्य कोटि के अधीन और शेष 16 एस॰ सी॰/एस॰ टी॰ उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किए गए थे। उक्त मामले में आवेदक मेधा सूची में नीचे रखा गया था और तद्नुसार, उसे ग्रुप B में दिल्ली, अंडमान-निकोबार पुलिस सेवा दिया गया था जिसे उसने सम्यक रूप से स्वीकार किया। बाद में, चयनित उम्मीदवारों के सेवा ग्रहण नहीं करने के कारण भारतीय पुलिस सेवा में 14 रिक्तियाँ उद्भूत हुई। आवेदक ने ऐसे रिक्त पद पर अपनी नियुक्ति के लिए अभ्यावेदन दिया जिसे प्रत्यर्थी भारत संघ द्वारा ठुकरा दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इसके मुकाबले कि क्या इसे वैध रूप से इनकार किया जा सकता है, नियुक्ति के लिए परस्पर दावा पर विचार करते हुए निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:-

> *"7. ;g dguk lgh ugh g fd ;fn fu;fDr d fy, fjfDr;k dh l[;k vfèklfpr dh x;h Fkh vkj mEehnokjk dh i;kIr l[;k ;kX; ik;h x;h Fkh] lQy mEehnokj fu;Dr fd, tkus dk vijkt; vfèkdkj vftr djrk g ftl oèk :i l ofpr ugh fd;k tk ldrk gA lkekU;r% vfèklpuk ek= vfgr mEehnokjk dk Hkjrh d fy, vkonu nu d fue=.k d rY; g vkj viu p;u ij o in d çfr dkb vfèkdkj vftr ugh djr gA tc rd çkfxd Hkjrh fu;e ,lk minf'kr ugh djr g(jkT; leLr vFkok fjfDr;k e l fdlh dk Hkju d fofèkd dr0; d vèkhu ugh gA fdr] bldk vFk ;g ugh g fd jkT; dk eueku rjhd l ÑR; dju dh NV gA fjfDr;k ugh Hkju dk fu.k; lefpr dkj.kk l lnHkkoiod fy;k tkuk gkxkA vkj ;fn fjfDr;k vFkok mue l dkb Hkjk tkuk g] jkT; mEehnokjk dh ryukRed eèkk dk lEeku dju d fy, ckè; g] tlk Hkjrh ijh{kk e ifjyf{kr gkrk g] vkj HknHkko dh vuefr ugh nh tk ldrh gA ;g lgh voLFkk bl U;k;ky; }kjk lxr :i l vulfjr dh x;h g vkj ge gfj;k.kk jkT; cuke lHkk"k pnj ejokgk] uhfyek 'kxyk cuke gfj;k.kk jkT; vFkok tfrUnj dekj cuke itkc jkT; e fu.k;k e dkb fojkèkh fVli.kh ugh ikr gA***

10. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रत्यर्थी राज्य द्वारा दाखिल विभिन्न शपथपत्रों को निर्दिष्ट करते हुए प्रतिवाद किया है कि बीच रास्ते काउंसिलिंग रोकने का निर्णय मनमाना है।

11. डब्लू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 334 वर्ष 2016 में दाखिल प्रति शपथ पत्र में, प्रत्यर्थी राज्य ने अभिवचन किया है कि सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग के दिनांक 3.7.2015 के पत्र की दृष्टि में काउंसिलिंग रोक दिया गया था। किंतु, डब्लू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 146 वर्ष 2016 में प्रत्यर्थी राज्य ने दिनांक 16.11.2015 के पत्र पर यह प्रतिवाद करने के लिए विश्वास किया है कि काउंसिलिंग के चार चरणों के बाद दो और काउंसिलिंग का चरण संचालित करने के लिए जिलों से अनुरोध पर उन्हें आगे काउंसिलिंग संचालित करने की अनुमति दी गयी थी। किंतु, यह पत्र काउंसिलिंग के अगले चरण को केवल दो तक निर्बंधित नहीं करता है, बल्कि यह स्वीकृत अवस्था है कि कुछ जिलों में कुल 10 परामर्श सत्र संचालित किए गए थे। समस्त जिलों में आगे परामर्श सत्र संचालित नहीं करने के लिए प्रत्यर्थी राज्य द्वारा कारण नहीं दिया गया है। निस्संदेह नियुक्ति प्रक्रिया अनिश्चित अवधि तक जारी नहीं रह सकती है और इसे कहीं रोकना होगा; प्रश्न यह है कि यह कब रुकेगी। आगे अग्रसर होने के पहले दिनांक 3.7.2015 के पत्र पठन उपयुक्त होगा जो नीचे उद्धृत किया जाता है:-

i=kd&8@u0 2&07/2013-1531
>kj[k.M ljdkj
ekuo lalk/ku fodkl foHkkx
¼ikFkfed f'k{kk fun'kZ;½

i"kd]

vkjk/kuk iVuk;d HkkO i0 l0]
ljdkj d lfpoA

lok e]

lHkh mik;Dr]
>kj[k.MA

jkph] fnukd 3.7.15

fo"k;& jktdh;dr ikFkfed ,o eè; fo|ky;k e b.Vj if'kf{kr f'k{kdk d fjDr in ij fu;fDr d lc/k eA

egk'k;]

mik;Dr fo"k;d foHkkxh; i=kd 1180] fnukd 29.05.15 dk Ñi;k fun'k djA mDr i= }kjk b.Vj if'kf{kr f'k{kdk ¼mn f'k{kd lfgr½ dh fu;fDr gr foLrr fun'k fuxr fd;k x;k gA bl chp vf/klpuk l[;k 1388] fnukd 22.06.15 }kjk >kj[k.M ikjfHkd fo|ky; f'k{kd fu;fDr ¼iFke l'kk/ku½ fu;ekoyh] 2014 e l'kkèku djr g, b.Vj if'kf{kr f'k{kd d in ij f}rh; ckj dh tku okyh fu;fDr e lHkh dkfV d vH;fFk;k dk dkfed foHkkx }kjk fu/kkfjr vf/kdre me lhek e 7 o"kk dh NV inku dh xb gA >kj[k.M ikjfHkd fo|ky; f'k{kd fu;fDr ¼f}rh; l'kk/ku½ fu;ekoyh] 2015] fnukd 22.06.15 l iHkkoh gA

fu;fDr fu;ekoyh e l'kk/ku d dkj.k foHkkxh; i=kd 1180] fnukd 29.05.15 d vkykd e ikjHk dh xb fu;fDr ifØ;k fujLr djr g, dguk g fd vf/klpuk l[;k 1338] fnukd 22.06.15 d vkykd e fu;fDr ifØ;k ikjHk dh tk;A u; flj l vkonu vkef=r fd; tku dh vfuok;rk dk /;ku e j[kr g, fuEuor l'kkf/kr dk;Øe d vulkj fu;fDr l lcf/kr fofHkUu pj.kk dk dk; i.k fd;k tk;xkA

(i)	foKfIr dk idk'ku	&	08.07.2015
(ii)	vkonu ikIr dju dh vfre frfFk	&	07.08.2015
(iii)	MkVkcl r;kj dj oclkbV ij Mkyuk ,o vkifŸk vkef=r djuk	&	10.08.2015
(iv)	vkifŸk dk fujkdj.k	&	17.08.2015
(v)	iFke e/kk lph ik:Ik r;kj dj oclkbV ij Mkyuk ,o vkifŸk vkef=r djuk	&	22.08.2015
(vi)	vkifŸk dk fujkdj.k ,o iFke pj.k d dkmflfyx d fy, vkef=r djuk	&	27.08.2015

(vii)	iFke pj.k d dkmflfyx dk vk;kstu	&	01.09.2015
(viii)	f}rh; e/kk lph ik:i dk idk'ku rFkk vkifÝk vkef=r djuk ¼;fn vko';d gk½	&	04.09.2015
(ix)	vkifÝk dk fujkdj.k ,o f}rh; pj.k d dkmflfyx d fy, vkef=r djuk	&	08.09.2015
(x)	f}rh; pj.k d dkmflfyx dk vk;kstu	&	12.09.2015
(xi)	ftyk f'k{kk LFkkiuk lfefr dh cBd	&	15.09.2015
(xii)	fu;fDr i= dk forj.k	&	18.09.2015 ;k bld io

rnu:i] foHkkxh; i=kd 1180] fnukd 29.05.15 }kjk fuxr fun'kk dk mDr gn rd l'kkf/kr le>k tk;A

fo'okl Hkktu

¼vkjk/kuk iVuk;d½
ljdkj d lfpoA

Kkikd & 9@ u0 2-07/2013-1531 jkph] fnukd 3.7.15

ifrfyfi&lHkh {k=h; f'k{kk mifun'kd] >kj[k.M@lHkh ftyk f'k{kk v/kh{kd] >kj[k.M dk lpukFk ,o vko';d dk;kFk if"krA

¼vkjk/kuk iVuk;d½
ljdkj d lfpoA

English Translation:

Letter No.8/ No. 207/ 20131531…/

Government of Jharkhand

Department of Human Resources Development (Directorate of Primary Education)

From,

Aradhna Patnaik, I.A.S.,
Secretary to the Government

To,

All the Deputy Commissioners,
Jharkhand,
Ranchi, Dated03.07.2015

Subject:Regarding appointment against the vacant post of Inter trained teachers in the Government Primary and Middle Schools.

Sir,

Please refer to the departmental letter no.1180 dated-29.05.15 with respect to the above subject. By the aforesaid letter the detailed guidelines

for the appointment of Inter trained teachers (including Urdu teacher) have been issued. In the meantime, Jharkhand Primary School Teachers Appointment (first amendment) Rules, 2014 was amended vide notification no.1388 dated 22.06.15 for the 2nd appointment exercise against the post of Inter trained teachers, candidates belonging to all categories have been given seven years' relaxation in the maximum age prescribed by the Department of Personnel. Jharkhand Primary School Teachers Appointment (second amendment) Rules, 2015 is effective from 22.06.15.

Consequent upon the amendment in the appointment rules, the appointment process initiated pursuant to departmental letter no.1180 dated-29.05.15 stands cancelled and the appointment process should be initiated according to notification no.1388 dated-22.06.15. Keeping in view requirement of inviting fresh applications, various steps with respect to appointment shall be completed according to the modified program, which are as follows

(i)	Publication of Advertisement	–	08.07.2015
(ii)	Last date of receipt of application	–	07.08.2015
(iii)	Uploading in the website after preparation of the database and inviting objections	–	10.08.2015
(iv)	Rectification of objections	–	17.08.2015
(v)	Uploading in the website after preparation of first merit list draft and inviting objections	–	22.08.2015
(vi)	Rectification of objections and invitation for the first stage counselling	–	27.08.2015
(vii)	Organizing first stage counselling	–	01.09.2015
(viii)	Publication of second merit list draft and inviting objections (if necessary)	–	04.09.2015
(ix)	Rectification of objections and invitation for the second stage counselling	–	08.09.2015
(x)	Organizing counselling for the second stage	–	12.09.2015
(xi)	Meeting of the District Education Establishment Committee	–	15.09.2015
(xii)	Distribution of appointment letter	–	18.09.2015 or prior to it

Accordingly, guidelines issued *vide* departmental letter no.1180, dated29.05.15 should be deemed modified to this extent only.

Yours faithfully

Sd/

(Aradhna Patnaik)

Secretary to the Government

Memo No.8/No207/20131531

Ranchi, Dated03.07.15

Copy forwarded to All Regional Deputy Director of Educations, Jharkhand/all District Superintendent of Education, Jharkhand for information and necessary action.

Sd/

(Aradhna Patnaik)
Secretary to the Government

12. दिनांक 3.7.2015 के पत्र के पठन के बाद यह निष्कर्षित करना होगा कि इसे भिन्न संदर्भ में जारी किया गया था अर्थात् झारखंड प्राथमिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2012 में संशोधन के कारण। प्रथमत:, जारी विज्ञापनों को न तो रद्द किया गया था और न ही उपांतरित। दिनांक 3.7.2015 के पत्र में अंतर्विष्ट निर्देशों का अनुसरण स्वयं विभाग द्वारा नहीं किया गया था। विज्ञापन जो अभिलेख पर लाए गए हैं प्रकट करते हैं कि इन विज्ञापनों को 3.7.2015 के काफी पहले जारी किया गया था। वस्तुत: आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि 4.7.2015 थी। दिनांक 3.7.2015 के पत्र पर काउंसिलिंग प्रक्रिया की समाप्ति न्यायोचित ठहराने के लिए किया गया विश्वास अमान्य बन जाता है। समय तालिका का पालन करने का दिखावा आगे काउंसिलिंग के लिए प्रदान की गयी प्रत्यर्थी की स्वयं अपनी अनुमति द्वारा अनावृत कर दिया गया है। दिनांक 16.11.2015 का पत्र प्रकट करेगा कि सचिव, विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक विद्यालय निदेशालय) ने काउंसिलिंग के चौथे चरण के परे विभिन्न जिलों में काउंसिलिंग संचालित करने की अनुमति दिया। इन दो पत्रों के सिवाए वर्तमान कार्यवाही में कोई सरकारी आदेश यह कहने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है कि सरकार द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया समाप्त करने के लिए चैतन्य निर्णय लिया गया था। शंकरसन मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि उपलब्ध रिक्ति पर नियुक्ति नहीं करने के सरकार के अधिकार का अर्थ यह नहीं होगा कि राज्य को मनमाने तरीके से कृत्य करने की पूरी छूट है। **हरियाणा राज्य बनाम सुभाष चन्दर मारवा, (1974)3 SCC 220,** में निर्णय समरुप पंक्तियों पर अग्रसर होता है। यह संप्रेक्षित किया गया है कि रिक्तियों की संख्या एवं अर्हित उम्मीदवारों की उपलब्धता के बावजूद चयन मनमाने रूप से कुछ उम्मीदवारों तक निर्बंधित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है ''नियुक्ति के लिए चयनित व्यक्तियों की संख्या निर्बंधित करने के पहले सरकार एवं उच्च न्यायालय द्वारा विवेक का चैतन्य इस्तेमाल होना होगा।''

13. स्पष्टत:, भरी नहीं गयी शेष रिक्तियों के विरुद्ध पात्र उम्मीदवारों को नियुक्ति से इनकार अवैध है और न्यायोचित नहीं है। राज्य द्वारा प्रकट की गयी रिक्ति अवस्था प्रकट करती है कि भिन्न कोटि के अधीन लगभग 3832 पद रिक्त बने हुए है। यह विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या का एक-तिहाई है। अभिलेख पर यह स्वीकार किया गया है कि विभिन्न जिलों में काउंसिलिंग संचालित करने के लिए एकरूप पैटर्न अपनाया नहीं गया है। विभिन्न जिलों में परामर्श सत्र की संख्या 6 से 10 तक है और प्रत्येक जिला में खाली पदों की विशाल संख्या है। प्रत्येक चरण में काउंसिलिंग के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों की संख्या राज्य द्वारा दाखिल शपथपत्रों में प्रकट नहीं की गयी है। कोई कट-ऑफ अंक नियत नहीं किया गया है, फिर भी पात्र उम्मीदवारों का चयन नहीं किया गया है। प्रकटत:, प्रत्यर्थियों ने मनमाने तरीके से कृत्य किया

है और सूविज्ञ एक रूप निर्णय लिए बिना चयन प्रक्रिया समाप्त कर दिया है। काउंसिलिंग रोकने का निर्णय जिला स्तर पर किया गया है और विभाग द्वारा स्पष्ट मार्गदर्शक सिद्धांतों की अनुपस्थिति में, उन्होंने भिन्न रूप से कृत्य किया। इसने उम्मीदवारों जिन्हें छोड़ दिया गया है के लिए वाद हेतुक उद्भूत करते हुए अराजक स्थिति लाया है। उनकी शिकायत वास्तविक प्रतीत होती है। यह स्थिति क्यों उद्भूत हुई है, इसका एक अन्य कारण यह है कि उम्मीदवार समस्त जिलों में आवेदन करने के लिए पात्र था। स्पष्टत:, अनेक उम्मीदवारों ने पद ग्रहण नहीं किया था, यदि इस बीच एक अन्य अधिक सुविधाजनक जिला में उसका चयन किया गया था। समुचित रास्ता स्वयं विज्ञापन में काउंसिलिंग की संख्या उपदर्शित करना होता। इसने अंतिम काउंसिलिंग के पहले उम्मीदवारों को अपना अंतिम पसंद चुनने दिया होता। इन पहलुओं को अलग छोड़ते हुए, उत्तर दिया जाने वाला प्रश्न यह है कि क्या रिक्तियों की ऐसी विशाल संख्या को खाली छोड़ना और पात्र उम्मीदवारों को नियुक्ति से वंचित करना लोक हित में है। उत्तर जोरदार 'नहीं' प्रतीत होता है।

14. किंतु, विद्वान राज्य अधिवक्ता श्रीमती ऋचा संचिता ने निवेदन किया है कि द्वितीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 20.11.2016 को संचालित की गयी थी और इसलिए, भरी नहीं गयी शेष रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए आगे निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है। मैं यह निवेदन स्वीकार करने में अक्षम हूँ। न्यायालय में यह स्वीकार किया गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए केवल एक पात्रता शर्त है। केवल इस आधार पर कि एक अन्य शिक्षक पात्रता परीक्षा संचालित की गयी है, पात्र संक्षिप्त सूचीबद्ध उम्मीदवारों को विज्ञापित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता है। विद्वान राज्य अधिवक्ता ने **कुलविंदर पाल सिंह एवं एक अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य, (2016)6 SCC 532,** में निर्णय पर विश्वास किया है। कुलविन्दर पाल सिंह में निर्णय का कोरा पठन प्रकट करेगा कि 27 पद विज्ञापित किए गए थे जिन पर समस्त 27 उम्मीदवारों ने पदग्रहण किया था। बाद में तीन रिक्तियाँ उद्भूत हुई जिस पर आवेदक ने दावा किया। उस संदर्भ में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मात्र इसलिए कि उम्मीदवार का नाम चयन/मेधासूची में स्थान पाता है, यह उसे नियुक्ति पाने का अपराजेय अधिकार नहीं देता है।

15. प्रत्यर्थी राज्य द्वारा लिया गया एक अन्य आधार यह है कि 2012 नियमावली के नियम 23 के निबंधनानुसार उम्मीदवार के पद ग्रहण नहीं करने से उद्भूत होने वाली रिक्तियों पर कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। स्वीकृत रूप से, यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें याचीगण अन्य उम्मीदवारों के पद ग्रहण नहीं करने के कारण हुई रिक्तियों के कारण नियुक्ति का दावा कर रहे हैं। प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रतिवाद भी किया कि पैनल तैयार नहीं किया गया है जिससे शेष रिक्तियों पर नियुक्ति की जा सकती है। यह अभिवचन भी अमान्य है। यदि पैनल तैयार नहीं किया गया है, यह समस्त भरी नहीं गयी रिक्तियों पर उम्मीदवारों की मेधा के अनुसार नियुक्ति करने का और भी अधिक कारण है।

16. पूर्वोक्त तथ्यों में मेरा मत है कि स्थिति सुधारी जा सकती है यदि शेष विज्ञापित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए एक और काउंसिलिंग संचालित किया जाता है।

17. डब्लू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 19 वर्ष 2016 में अभिवचन किया गया था कि मेधा सूची में नीचा स्थान रखने वाले उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया है किंतु याचीगण को छोड़ दिया गया है। यह अभिवचन प्रतिशपथ पत्र में पैराग्राफ सं॰ 16 (iii) में अभिवचन के आधार पर किया गया है। दिनांक 11.1.2017 को पारित आदेश के अनुसरण में पूरक प्रति शपथ पत्र दाखिल किया गया है जिसमें प्रत्यर्थियों ने स्पष्ट किया है कि उसमें परिलक्षित न्यूनतम कट-ऑफ अंक स्त्री उम्मीदवारों के लिए है। इसे प्रतिशपथ पत्र के साथ प्रस्तुत चार्ट द्वारा संपुष्ट किया गया है। वर्तमान कार्यवाही में पारित एक ही आदेश की दृष्टि में पूर्वोक्त अभिवचन पर आगे जाँच की आवश्यकता नहीं है।

18. अब प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या इन याचिकाओं में दिये गये आदेश केवल याचीगण तक सीमित बने रहेंगे अथवा लाभ अन्य पात्र उम्मीदवारों को दिए जाएँगे। **उ॰ प्र॰ राज्य बनाम अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, (2015)1 SCC 347,** में सर्वोच्च न्यायालय ने संप्रेक्षित किया है कि ''सामान्य नियम यह है कि जब कर्मचारियों के संवर्ग विशेष को न्यायालय द्वारा अनुतोष दिया जाता है, अन्य समस्त समान रूप से स्थित व्यक्तियों को उस लाभ को देकर उनके साथ समान व्यवहार करने की आवश्यकता है।'' नियुक्ति के मामले में, अन्य पात्र उम्मीदवारों को समरुप लाभ देने की आवश्यकता उच्चतर है। यह अन्य पात्र उम्मीदवारों जो वर्तमान याचीगण की तुलना में मेधा सूची में उच्चतर हो सकते हैं द्वारा समरुप दावा करने वाले संभावित भावी वादों से बचने के कारण से भी आवश्यक है।

19. पूर्वोक्त चर्चा के आलोक में निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं:-

(i) यह उपदर्शित करते हुए आम नोटिस कि समस्त जिलों में भरी नहीं गयी समस्त विज्ञापित रिक्तियों के लिए काउंसिलिंग मार्च, 2017 के तीसरे/चौथे सप्ताह में संचालित किया जाएगा। इसे 23.2.2017 को अथवा इसके पहले दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। आम नोटिस यह भी उपदर्शित करेगा कि मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का और अधिक अवसर उम्मीदवारों को प्रदान नहीं किया जाएगा। काउंसिलिंग एक से अधिक दिन के लिए जारी रह सकता है।

(ii) प्रत्येक कोटि में रिक्ति अवस्था के मुकाबले पात्र उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने का कार्य किया जाएगा और अंतिम चयनित उम्मीदवार के बाद मेधाक्रमवार कुल रिक्तियों की संख्या के दोगुना उम्मीदवार मार्च, 2017 के तीसरे सप्ताह तक वेबसाइट पर रखे जाएँगे। किंतु, समस्त शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को परामर्श के लिए बुलाना आवश्यक नहीं हो सकता है।

(iii) उक्त खंड (ii) में यथा उपदर्शित ''विचारक्षेत्र'' के अधीन आने वाले उम्मीदवारों के नाम परामर्श की तिथि से कम से कम एक सप्ताह पहले वेबसाइट पर रखे जाएँगे।

(iv) संपूर्ण अभ्यास 31.3.2017 तक पूरा करना होगा।

20. आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य के समस्त जिलों में केवल एक परामर्श सत्र होगा और समस्त जिलों में काउंसिलिंग साथ-साथ संचालित किया जाएगा। उम्मीदवारों जिन्हें पहले परामर्श के लिए बुलाया गया था को काउंसिलिंग में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी सिवाए उनको जिन्हें न्यायालय के आदेश द्वारा अनुमति दी गयी थी।

21. उक्त निबंधनों में रिट याचिकाएँ अनुज्ञात की जाती है।

22. इस आदेश के अनुपालन के लिए इस आदेश की प्रति सचिव, विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विकास विभाग और निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, झारखंड सरकार को संसूचित की जाए।

---

ekuuh; Mkñ ,l ñ ,uñ ikBd] U;k;efr

मो॰ खालिद परवेज उर्फ मो॰ खालिद परवेज

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

Cr. M.P. No. 1133 of 2016. Decided on 15th December, 2016.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—सी॰ जे॰ एम॰ द्वारा पारित आदेश अपास्त करने से इनकार करते हुए सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के अभिखंडन के लिए प्रार्थना–सी॰ जे॰ एम॰ द्वारा पारित साक्ष्य के क्लोजर के आदेश को पुनरीक्षण याचिका दाखिल करके चुनौती दी गयी थी जिसे यह अभिनिर्धारित करते हुए खारिज किया गया था कि अंतर्वर्ती आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका पोषणीय नहीं है–जहाँ उप-न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 397 (2) द्वारा अभिव्यक्त रूप से वर्जित है, धारा 482 के अधीन अंतर्निहित शक्ति संहिता की धारा 397 (2) के अधीन अंतर्विष्ट वर्जना को विफल करने के लिए उपलब्ध नहीं होगी–आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है–आवेदन खारिज।

(पैराएँ 6 से 8)

निर्णयज विधि.–(2013)7 SCC 789; (2005) 3 SCC 634; (1997) 4 SCC 137—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Abhay Kumar Chaturvedy, For the Petitioner; Mr. Gouri S. Prasad, For the Opp. Parties.

आदेश

पक्ष सुने गए।

2. यह दांडिक विविध याचिका विद्वान सत्र न्यायाधीश, गुमला द्वारा दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 6 वर्ष 2015 में पारित दिनांक 8.3.2016 के आदेश के अभिखंडन की प्रार्थना के साथ दाखिल की गयी है जिसके द्वारा विद्वान न्यायालय ने विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, गुमला द्वारा परिवाद याचिका सी॰ 166 वर्ष 2005 में पारित दिनांक 30.4.2015 का आदेश अपास्त करने से इनकार कर दिया है।

3. संक्षेप में मामले के तथ्य ये हैं कि याची ने दिनांक 18.3.2015 के दो रजिस्टर्ड विक्रय विलेख सं॰ 617 एवं 618 के माध्यम से सिसई रोड के सुकरा भूइयाँ एवं बसन्त भूइयाँ से डेढ़ डिसमिल भूमि खरीदा। अभियुक्त महेन्द्र राम ने 15.6.2005 को याची से विक्रय विलेख इसे देखने के लिए मांगा और इसकी प्राप्ति के बाद वह भाग गया और इसे याची को नहीं लौटाया था। याची ने बार-बार महेन्द्र राम से विक्रय विलेखों को लौटाने का अनुरोध किया किंतु उसने इन्हें लौटाने से इनकार कर दिया। अंतत: याची ने गुमला पुलिस थाना में परिवाद दर्ज किया। जाँच पर याची को जानकारी हुई कि उक्त महेन्द्र राम ने 1.4.2005 को सकरा भूइयाँ एवं बसन्त भूइयाँ के पक्ष में पूर्वोक्त भूमि का विक्रय विलेख निष्पादित किया था। कुछ दिन बाद, जब याची अंचलाधिकारी के कार्यालय से आ रहा था, उक्त महेन्द्र राम एवं दुबराज भूइयाँ मोटरसाइकिल पर आए और बंदूक की नोंक पर उसे यह कहते हुए कि उसने एक लाख रुपयों की राशि प्राप्त किया था, उसको सादा कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। याची भय के कारण उक्त तथ्य लिखा और इस पर हस्ताक्षर किया।

आगे यह निवेदन किया गया है कि परिवाद के आधार पर इसे दर्ज किया गया था और विचारण अग्रसर हुआ। साक्ष्य 26.6.2013 को बंद किया गया था। परिवादी ने गवाह को वापस बुलाने के लिए विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष याचिका दाखिल किया जिसे अनुज्ञात किया गया था और अभियुक्त को व्यय के भुगतान की शर्त पर अगली तीन तिथियों के भीतर अपना गवाह पेश करने का निर्देश दिया गया था। याची ने अभियुक्तों के पास व्यय जमा किया और गवाहों को विचारण न्यायालय के समक्ष अभिसाक्ष्य दिया किंतु वे एक या दूसरे बहाने उपस्थित नहीं हुए और अंतत:, उनका परीक्षण नहीं किया जा सका था। परिवादी इस धारणा के अधीन था कि वह अपने दो गवाहों के परीक्षण के बाद अभिसाक्ष्य देगा किंतु लापरवाह रवैये के कारण उनका परीक्षण नहीं किया जा सका था और इसलिए परिवादी की

ओर से साक्ष्य पुन: 26.3.2015 को बंद किया गया था। तत्पश्चात, परिवादी ने 22.4.2015 को साक्ष्य का क्लोजर आदेश वापस करने के लिए पुन: याचिका दाखिल किया किंतु इस समय विद्वान विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद परिवादी की याचिका अस्वीकार कर दिया।

4. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि यदि याची को कोई साक्ष्य देने अथवा गवाह के रूप में परीक्षण किए जाने की अनुमति नहीं दी जाती है, वह अपूरणीय हानि एवं उपहति से पीड़ित होगा। आगे यह निवेदन किया गया है कि याची समस्त निबंधनों एवं शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है, यदि इन्हें इस माननीय न्यायालय द्वारा अधिरोपित किया जाता है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क किया कि अवर न्यायालय ने किसी आधार के बिना यंत्रवत आदेश पारित किया है जिसमें इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है और यह इस दशा में अपास्त किए जाने योग्य है।

5. दूसरी ओर, राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया है और निवेदन किया है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश, गुमला द्वारा पारित दिनांक 8.3.2016 का आदेश अभिखंडित करने के लिए याची द्वारा लिया गया आधार मान्य नहीं है। आगे यह निवेदन किया गया है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने सही प्रकार से पुनरीक्षण आवेदन खारिज किया है चूँकि अंतर्वर्ती आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण पोषणीय नहीं है।

6. पक्षों के परस्पर विरोधी निवेदनों पर विचार करने पर और अनेक न्यायिक उद्घोषणाओं पर विचार करते हुए इस न्यायालय का दृष्टिकोण है कि दिनांक 8.3.2016 के आदेश में निम्नलिखित आधारों पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

(I) दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 397 (2) और **मोहित उर्फ सोनू एवं एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य, (2013)7 SCC 789; एस॰ के॰ भट्ट बनाम उ॰ प्र॰ राज्य एवं अन्य, (2005)3 SCC 634;** और **अमर नाथ बनाम हरियाणा राज्य, (1977)4 SCC 137** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की दृष्टि में अंतर्वर्ती आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण पोषणीय नहीं है।

(II) अंतर्वर्ती आवेदन की पोषणीयता और क्या यह दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 397 की उपधारा 2 के अधीन वर्जित है पर उठाए गए प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **अमर नाथ बनाम हरियाणा राज्य (ऊपर)** मामले में पारित अपने निर्णय के पैरा 3 पर निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

> *"3. ;|fi ge fo}ku U;k;kèkh'k }kjk fy, x, nf"Vdk.k d lkFk i.kr% lger g fd tgk mi U;k;kèkh'k d vkn'k d fo#) mPp U;k;ky; e iujh{k.k 1973 lfgrk dh èkkjk 397 dh mièkkjk (2) d vèkhu vfHk0;Dr :i l oftr g] èkkjk 482 e vrfo"V vrfufgr 'kfDr èkkjk 397 (2) e vrfo"V otuk dk foQy dju d fy, miyC/k ugh gkxhA lfgrk 1973 dh èkkjk 482 U;k;ky; dh vrfufgr 'kfDr;k vrfo"V djrh g vkj dkb u;h 'kfDr çnÙk ugh djrh g cfYd mu 'kfDr;k dk ljf{kr djrh g tk mPp U;k;ky; d ikl igy l gh gA èkkjkvk 397 ,o 482 dk lketL;i.k vFkkUo;u bl vçfrjkè; fu"d"k dh vkj y tk,xk fd tgk tgk vkn'k fo'k"k vfHk0;Dr :i l èkkjk 397 (2) d vèkhu oftr g vkj mPp U;k;ky; }kjk iujh{k.k dk fo"k; oLr ugh gk ldrk g] rc ,l ekey d çfr èkkjk 482 dk çkoèkku ykx ugh gkxkA ;g lfuf'pr g fd U;k;ky; dh vrfufgr 'kfDr dk ç;kx lkeU;r% fd;k tk ldrk g tc fo"k; oLr ij vfHk0;Dr çkoèkku ugh gA tgk vfHk0;Dr çkoèkku g] mipkj fo'k"k d flok,] U;k;ky; vrfufgr 'kfDr d ç;kx dk lgkjk ugh y ldrk gA***

7. पूर्वोक्त मामले के तथ्यों से और आक्षेपित आदेश से यह पता चलता है कि यद्यपि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन बयान के लिए मामला अभिलेख नियत किया गया था और दिनांक 20.8.2014

के आदेश द्वारा परिवादी को साक्ष्य की प्रस्तुती के लिए तीन स्थगन दिए गए थे, वह ऐसा करने में विफल रहा, अत: परिवादी का साक्ष्य 26.3.2015 को बंद किया गया था।

8. पूर्वोक्त पैराग्राफों में की गयी चर्चा की दृष्टि में, यह प्रतीत होता है कि पुनरीक्षणकर्ता ने मामले में दिलचस्पी खो दिया था और संबंधित पक्षों के अधिकारों एवं दायित्वों का अतिलंघन नहीं हुआ है क्योंकि वे पूर्वोक्त मामले में स्वयं अपनी दिलचस्पी खो बैठे हैं क्योंकि परिवादी को साक्ष्य देने के लिए तीन स्थगन दिए गए थे किंतु वह ऐसा करने में विफल रहा और इस दशा में साक्ष्य सही प्रकार से 26.3.2015 को बंद किया गया था।

9. पूर्वोक्त नियमों तथा विधि की स्थापित प्रतिपादना की दृष्टि में, आक्षेपित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है तथा इस प्रकार, अभिखंडन आवेदन खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

रोबिन थॉमस

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr. M.P. No. 1040 of 2015. Decided on 27th October, 2016.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 420—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—छल–भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 420 के अधीन अपराध के लिए संज्ञान लेने वाले आदेश सहित संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन के लिए प्रार्थना की गयी–विवाद जो याची एवं परिवादी के बीच उद्भूत हुआ था, निर्माण व्यवसाय के संबंध में था जिसमें याची एवं परिवादी साझेदार होने के लिए सहमत हुए थे–संबंध बाद में इस आधार पर टूट गया कि याची ने परिवादी के साथ लगभग 3,24,00,000/- रुपयों का छल किया था और आश्वासन के बावजूद इसका भुगतान नहीं किया गया था–परिवादी के सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान के साथ परिवाद याचिका याची की ओर से दांडिक आशय की अनुपस्थिति के अतिरिक्त यह तथ्य सुझाती है कि याची ने काम जिसे कोलकाता में किया गया था के संबंध में परिवादी को भुगतान किया था और जो बाद में न्यायोचित ठहराता है कि परिवादी के साथ छल करने का याची की ओर से बेईमान आशय नहीं था–संपूर्ण अभिकथन जिन्हें परिवाद याचिका में किया गया है अधिकाधिक सिविल परिणाम आमंत्रित कर सकते हैं–ऐसी दशा में, याची की ओर से किसी आपराधिता की अनुपस्थिति में याची के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा–आवेदन अनुज्ञात और संज्ञान लेते आदेश सहित संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अभिखंडित।

(पैराएँ 6 एवं 7)

अधिवक्तागण.–Mr. Pratiush Lala, For the Petitioner; Mr. Rajneesh Vardhan, For the State; None, For the O.P. No.2.

आदेश

याची के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रत्युश लाला और विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ श्री रजनीशवर्द्धन सुने गए। नोटिस के वैध तामील के बावजूद ओ॰ पी॰ सं॰ 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होता है।

2. इस आवेदन में याची ने सी॰ पी॰ केस सं॰ 501 वर्ष 2014 के संबंध में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 19.12.2014 के आदेश, जिसके द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए संज्ञान लिया गया है, सहित संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है।

3. विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा परिवाद मामला संस्थित किया गया था जिसमें यह कथन किया गया था कि परिवादी निर्माण सामग्री की आपूर्ति का पारिवारिक व्यवसाय कर रहा था और चूँकि याची का निर्माण फर्म था, परिवादी को निर्माण क्षेत्र में उसके साथ काम करने के लिए याची द्वारा प्रेरित किया गया था। यह कथन किया गया है कि धनबाद जिला में निर्माण कार्य करने के लिए याची एवं परिवादी के बीच वर्ष 2008 में भागीदारी विलेख निष्पादित किया गया था। चूँकि याची वित्तीय मुश्किल का सामना कर रहा था और परिवादी से पहले 94,90,500/- रुपया का निवेश लिया था, याची ने बार–बार परिवादी को धनबाद में काम करने के लिए और धनबाद की परियोजनाओं में निवेश करने के लिए प्रेरित किया। आगे अभिकथन यह है कि 3,24,00,000/- रुपयों की राशि याची से बकाया थी जिसे उसने अभिस्वीकृत किया था किंतु बाद में परिवादी को किसी राशि का भुगतान करने से इनकार कर दिया था। परिवादी द्वारा आगे किया गया अभिकथन यह है कि यद्यपि याची द्वारा संपूर्ण बकाया का भुगतान करने का आश्वासन दिया गया था किंतु इसे कभी नहीं किया गया था और बाद में याची ने परिवादी को किसी राशि का भुगतान करने से इनकार कर दिया।

4. पूर्वोक्त अभिकथन के आधार पर, सी॰ पी॰ केस सं॰ 11823 वर्ष 2014 संस्थित किया गया था जिसमें दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 202 के अधीन जाँच करने के बाद परिवादी एवं उसके एक गवाह का परीक्षण करके विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, धनबाद द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए 19.12.2014 को संज्ञान लिया गया था।

5. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि संपूर्ण विवाद सिविल प्रकृति का है जैसा स्वयं परिवाद याचिका से प्रतीत होगा। यह निवेदन किया गया है कि याची एवं परिवादी ने भागीदारी विलेख/करार किया था और उक्त व्यावसायिक संव्यवहार से उद्भूत होने वाले कुछ धनीय विवाद के कारण यदि परिवादी वस्तुतः व्यथित था, वह सक्षम सिविल न्यायालय के समक्ष जा सकता था किंतु केवल याची पर दबाव डालने के लिए वर्तमान दांडिक मामला संस्थित किया गया था। याची के विद्वान अधिवक्ता ने परिवादी के सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान को निर्दिष्ट किया और निवेदन किया है कि परिवादी ने स्वयं स्वीकार किया है कि पहला काम जो कोलकाता में किया गया था के लिए परिवादी को राशि का भुगतान किया गया था। आगे यह निवेदन किया गया है कि छल का अवयव नहीं बनता है क्योंकि परिवादी के साथ छल करने का याची की ओर से आरंभ से बेईमान आशय नहीं था। यह निवेदन भी किया गया है कि चूँकि परिवादी याची फर्म की चल रही निर्माण प्रक्रिया रोकना चाहता है, परिवादी के कहने पर दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 144 के अधीन कार्यवाही आरंभ की गयी थी जिसे बाद में छोड़ दिया गया था चूँकि स्वयं परिवादी ने उक्त कार्यवाही में दिलचस्पी नहीं लिया था। अतः विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि परिवाद याचिका में किए गए संपूर्ण अभिकथन और इर्द–गिर्द की परिस्थितियों की दृष्टि में याची के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

6. राज्य के लिए उपस्थित विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने निवेदन किया है कि प्रश्नगत राशि 3,24,00,000/-

की है और याची की प्रेरणा पर परिवादी को ऐसी भारी हानि सहना पड़ा था और यह भारतीय दंड संहिता की धारा 415 के अधीन यथा परिकल्पित छल की परिभाषा के भीतर आता है।

7. परिवाद याचिका से यह प्रतीत होता है कि विवाद जो याची एवं परिवादी के बीच उद्भूत हुआ था, निर्माण व्यवसाय के संबंध में था, जिसमें याची एवं परिवादी भागीदारी के लिए सहमत हुए थे। बाद में संबंध टूट गया जो परिवादी को परिवाद याचिका दाखिल करने की ओर ले गया जिसमें अभिकथित किया गया था कि याची ने परिवादी के साथ लगभग 3,24,00,000/- रु॰ का छल किया था और बार-बार आश्वासन के बावजूद उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया था। परिवादी के सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान में, उसने याची एवं परिवादी के बीच भागीदारी व्यवसाय के बारे में विस्तारपूर्ण कथन किया है और यह स्पष्टत: कथन किया गया है कि पहले काम में जिसे कोलकाता में किया गया था, याची द्वारा परिवादी को राशि का भुगतान किया गया था। आगे यह प्रतीत होता है कि परिवादी के कहने पर दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 144 के अधीन कार्यवाही आरंभ की गयी थी जिसमें याची ने अपना कारण बताओ दाखिल किया था। याची की ओर से दाखिल कारण बताओ पर विचार करने के बाद और इस तथ्य कि परिवादी ने दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 144 के अधीन आवेदन की सुनवाई के समय पर स्वयं को सब-डिविजनल दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कभी नहीं किया था, उक्त कार्यवाही छोड़ दी गयी थी। परिवादी के सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान के साथ परिवाद याचिका याची की ओर से किसी दांडिक आशय की अनुपस्थिति के अतिरिक्त यह तथ्य सुझाती है कि याची ने काम जिसे कोलकाता में किया गया था के संबंध में परिवादी को भुगतान किया था और जो बाद में याची के विद्वान अधिवक्ता का प्रतिवाद न्यायोचित ठहराता है कि परिवादी के साथ छल करने का याची की ओर से बेईमान आशय नहीं था। संपूर्ण अभिकथन, जिसे परिवाद याचिका में किया गया है, अधिकाधिक सिविल परिणाम आमंत्रित कर सकता है और याची की ओर से किसी अपराधिता की अनुपस्थिति में याची के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

8. तद्नुसार, इस आवेदन में गुणागुण पाने पर इसे अनुज्ञात किया जाता है और विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 19.12.2014 के आदेश जिसके द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए संज्ञान लिया गया है सहित सी॰ पी॰ केस सं॰ 501 वर्ष 2014 के संबंध में संपूर्ण दांडिक कार्यवाही एतद् द्वारपा अभिखंडित एवं अपास्त की जाती है।

---

ekuuh; vkuUn lu] U;k;efr

मो॰ इमरान अकरम उर्फ मिठुमन अंसारी

cuke

झारखंड राज्य

Cr. M.P. No. 1425 of 2016. Decided on 11th April, 2017.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 147, 148, 149, 341, 323 एवं 325—आयुध अधिनियम, 1959—धारा 27—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—दोषपूर्ण अवरोध एवं घोर उपहति–अपराध का संज्ञान–इस तथ्य के बावजूद कि याची को विचारण के लिए भेजा नहीं

गया था, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने अपराधों का संज्ञान लेते हुए याची के विरुद्ध गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था–आरोप-पत्र से असहमत होना और अपने विवेक का इस्तेमाल करके स्वतंत्रतापूर्वक अग्रसर होना दंडाधिकारी की अधिकारिता के सुअंतर्गत है–किंतु ऐसा करते हुए दंडाधिकारी को कारण देना होगा कि वह क्यों पुलिस रिपोर्ट से असहमत है–मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा कारण नहीं दिया गया था कि वह पुलिस रिपोर्ट से असहमत क्यों हो रहा है विशेषतः जब याची को विचारण के लिए नहीं भेजा गया था–आक्षेपित आदेशों को अपास्त किया गया और विधि के अनुरुप नया तार्किक आदेश पारित करने के लिए मामला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को वापस भेजा गया–आवेदन अनुज्ञात किया गया। (पैराएँ 5 से 9)

निर्णयज विधि.–2014 (2) JBCJ 68 (HC) : 2014 (2) JLJR, 95; (2012)11 SCC 188—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. Gautam Kumar, For the Petitioner; Mr. Awnish Shankar, For the State.

आदेश

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. याची ने इस आवेदन को दाखिल करके दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 40 वर्ष 2015 में प्रधान सत्र न्यायाधीश, साहिबगंज द्वारा पारित दिनांक 9.12.2015 के आदेश को चुनौती दिया है जिसके द्वारा उन्होंने जी॰ आर॰ सं॰ 885 वर्ष 2013 में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, साहिबगंज द्वारा पारित दिनांक 23.4.2015 के आदेश को मान्य ठहराया है जिसके द्वारा भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147, 148, 149, 341, 323 एवं 325 तथा आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान लिया गया है और, तत्पश्चात्, अभियुक्तों जो जमानत पर थे को नोटिस जारी किए गए हैं और अभियुक्तों शाहनबाज अंसारी एवं मिठुन अंसारी (वर्तमान याची) के विरुद्ध गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। आगे याची ने जी॰ आर॰ केस सं॰ 885 वर्ष 2013 में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, साहिबगंज द्वारा पारित दिनांक 23.4.2015 के आदेश को चुनौती दिया है।

3. याची का मुख्य प्रतिवाद इस आवेदन में यह है कि पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147, 148, 149, 341, 323, 325 तथा आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन आरोप पत्र दाखिल किया, किंतु याची को विचारण के लिए नहीं भेजा गया था। यह प्रतिवाद किया गया है कि इस तथ्य के बावजूद कि याची को विचारण के लिए नहीं भेजा गया था, विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने अपराधों का संज्ञान लेते हुए याची के विरुद्ध गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उसका निवेदन यह है कि आक्षेपित आदेश के परिशीलन से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि किस सामग्री पर विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पुलिस रिपोर्ट से असहमत हुए हैं इसका उल्लेख नहीं किया गया है। वह निवेदन करते हैं कि वस्तुतः याची के विरुद्ध गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए सामग्री नहीं है और इसलिए, आक्षेपित आदेश बिल्कुल दोषपूर्ण है।

4. विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ निवेदन करते हैं कि आक्षेपित आदेश में अवैधता नहीं है और विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को आरोप पत्र के साथ असहमत होने और आरोप-पत्र में दर्ज निष्कर्षों से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से अग्रसर होने की अधिकारिता है। वह आगे निवेदन करते हैं कि पुनरीक्षण न्यायालय ने पूर्वोक्त अवस्था को ध्यान में लिया है और पुनरीक्षण आवेदन खारिज किया है और इस प्रकार, दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन दाखिल आवेदन में आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है।

5. पक्षों को सुनने के बाद, मैं पाता हूँ कि भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147, 148, 149, 341, 323, 325 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन आरोप पत्र दाखिल किया गया था। आरोप-पत्र

के मुताबिक एक अन्य के साथ इस याची को विचारण के लिए नहीं भेजा गया था यद्यपि दूसरे को आरोप-पत्रित किया गया था। विद्वान दंडाधिकारी ने दिनांक 23.4.2015 के आदेश के तहत अपराध का संज्ञान लिया और इस याची के विरुद्ध गैर जमानती गिरफ्तारी वारन्ट जारी किया गया है। दंडाधिकारी ने अभिनिर्धारित किया है कि समस्त अभियुक्तों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है। पुनरीक्षण न्यायालय भी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के निष्कर्ष से सहमत हुआ और आदेश मान्य ठहराया।

6. आरोप-पत्र से असहमत होना और अपने विवेक का इस्तेमाल करके स्वतंत्रतापूर्वक अग्रसर होना दंडाधिकारी की अधिकारिता के सुअंतर्गत है। किंतु ऐसा करते हुए दंडाधिकारी को कारण देना होगा कि वह पुलिस रिपोर्ट से क्यों असहमत है।

7. इस न्यायालय ने **रमेश मुर्मू बनाम झारखंड राज्य (दां॰ एम॰ पी॰ सं॰ 1782 वर्ष 2016)** में **बिगन मिर्या उर्फ सिराज मियाँ बनाम झारखंड राज्य**, 2014 (2) JLJR 95 **[:2014(2) JBCJ 68],** जिसने **नुपूर तलवार बनाम केंद्रीय जाँच ब्यूरो एवं एक अन्य, (2012)11 SCC 188,** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया, पर विचार करने के बाद अभिनिर्धातिरत किया है कि दंडाधिकारी कारण देने के लिए कर्तव्यबद्ध है कि वह क्यों पुलिस रिपोर्ट से असहमत है।

8. इस मामले में मैं पाता हूँ कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने कारण नहीं दिया है कि वह क्यों पुलिस रिपोर्ट से असहमत है विशेषत: जब याची को विचारण के लिए भेजा नहीं गया था। इस प्रकार, **रमेश मुर्मू (ऊपर)** में पूर्वोक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए मैं इस आवेदन को अनुज्ञात करता हूँ। दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 40 वर्ष 2015 में पारित दिनांक 9.12.2015 का आक्षेपित आदेश और जी॰ आर॰ सं॰ 588 वर्ष 2013 में पारित दिनांक 23.4.2015 का आदेश एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है। विधि के अनुरुप नया तार्किक आदेश पारित करने के लिए मामला वापस मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, साहिबगंज को भेजा जाता है।

9. इस प्रकार, यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

संगीता देवी

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 2109 of 2015. Decided on 6th March, 2017.

सारफेसी अधिनियम, 2002—धारा 14—झारखंड भवन (पट्टा, किराया एवं बेदखली) नियंत्रण अधिनियम, 2011—धारा 19—नीलामी खरीदार द्वारा प्रतिभूत आस्ति का कब्जा लिया जाना–सारफेसी अधिनियम की धारा 14 के अधीन आवेदन पर सब-डिविजनल अधिकारी, देवघर ने झारखंड भवन (पट्टा, किराया एवं बेदखली) नियंत्रण अधिनियम, 2011 की धारा 19 के अधीन मामला दर्ज किया है और आक्षेपित नोटिस के मुताबिक कार्यवाही आरंभ किया है जिससे याची व्यथित है–प्रत्यर्थी बैंक को बंधककर्ता के प्रतिभूत आस्ति के कब्जा के मामले में कदम उठाने के लिए जिला दंडाधिकारी/उपायुक्त के समक्ष अपना आवेदन अग्रसर करने की आवश्यकता है जिस पर विधि के अनुरुप और अधिनियम 2002 के प्रावधानों के मुताबिक युक्तियुक्त समय के भीतर विचार करने की आवश्यकता है। (पैराएँ 2, 3 एवं 7)

अधिवक्तागण.–Mr. Onkar Nath Tiwary, For the Petitioners; Mr. Rahul Gupta, Neelam Tiwary, For the Respondents.

आदेश

याची, प्रत्यर्थी राज्य एवं बैंक के विद्वान अधिवक्ता सुने गए। इसमें इसके बाद आदेश पारित किए जाने की दृष्टि में इस न्यायालय को पक्षों के मामले के गुणागुण पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। अत:, प्राइवेट प्रत्यर्थी को सुनने की आवश्यकता भी आवश्यक महसूस नहीं की गयी है।

2. अपने प्रतिशपथ पत्र में प्रत्यर्थी बैंक के स्वीकरण के मुताबिक भी याची जिला देवघर के बर्णवाल धर्मशाला के सामने देवघर जसीडीह मेन रोड पर मौजा श्यामगंज अवस्थित बंधककर्ता प्रत्यर्थी सं॰ 5 के विरुद्ध सारफेसी कार्यवाही की विषय वस्तु जे॰ बी॰ सं॰ 130/3092, दाग सं॰ 13/18, 3/13, 3.7C, वार्ड सं॰ 12, पी॰ एस॰ सं॰ 413, उपभूखंड सं॰ 1.03 (F), क्षेत्रफल 710 वर्ग फीट से गठित संपत्ति का नीलामी खरीदार है। प्रत्यर्थी बैंक बंधककर्ता के आस्तियों का कब्जा लेने के लिए सारफेसी अधिनियम की धारा 14 का अवलंब लेते हुए 2.5.2011 को उपायुक्त, देवघर को आवेदन, परिशिष्ट A, देने का दावा करता है। उस आवेदन पर सब डिविजनल अधिकारी, देवघर ने झारखंड भवन (पट्टा, किराया एवं बेदखली) नियंत्रण अधिनियम, 2011 की धारा 19 के अधीन मामला दर्ज किया है और दिनांक 28.1.2015 के आक्षेपित नोटिस के मुताबिक, परिशिष्ट 12, कार्यवाही शुरू किया है जिससे याची व्यथित है।

3. याची एवं प्रत्यर्थी बैंक दोनों के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अधिनियम वर्ष 2011 के अधीन कार्यवाही का आरंभ पूर्णत: गलत एवं अपोषणीय है। कार्यवाही सारफेसी अधिनियम के अधीन संपत्ति लेने के संबंध में है जहाँ जिला दंडाधिकारी/मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को उधार लेने वाले/बंधककर्ता की प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा लेने के लिए प्रत्यर्थी बैंक/वित्तीय संस्थान के आवेदन पर निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाया गया है।

4. प्रत्यर्थी बैंक के विद्वान अधिवक्ता यह निवेदन भी करते हैं कि संपत्ति नीलाम की गयी थी और ''जैसा है तथा जहाँ है'' आधार पर बेची गयी थी। तत्पश्चात भी बंधककर्ता कर्ज चुकाने और बंधक रखी गयी आस्तियों को मोचित करने में विफल रहा।

5. प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रत्यर्थी सं॰ 3 एवं 4 के प्रतिशपथ पत्र के पैरा 22 को निर्दिष्ट किया है जिसे नीचे उद्धृत किया जाता है:–

> *^^fd fjV vkonu d ijkxkQ 14 e fn, x, c;ku d lcèk e] fouerkiod ;g dFku fd;k tkrk g fd çR;Fkh 'kk[kk çcèkd] bfM;u cd u lkjQlh vfèkfu;e] 2002 d vèkhu uhykeh e dCtk dh fMyhojh d fy, lgk;rk d fy, 28.1.2015 dk fo}ku lc&fMfotuy vfèkdkjh] no?kj d U;k;ky; e vkonu nkf[ky fd;k Fkk vkj ekeyk ch0 ,0 dl l0 4 o"k 2015 'k# fd;k x;k Fkk vkj lh0 vk0] ch0 Mh0 vk0] no?kj rFkk no?kj uxj Fkkuk d çHkkjh lh0 l fjikV exk;k x;k FkkA*
>
> *fo}ku lc&fMfotuy vfèkdkjh] no?kj }kjk 18.6.2015 dk ekey d vfHky[k d ifj'khyu d ckn ;g ik;k x;k Fkk fd lc&fMfotuy vfèkdkjh lkjQlh vfèkfu;e] 2002 d vèkhu dCtk nu d fy, l'kDr ugh cuk;k x;k g cfYd fo}ku fty nMkfèkdkjh dk lkjQlh vfèkfu;e] 2002 dh èkkjk*

*14 d vèkhu dCtk nu dh vfèkdkfjrk gA rc fo}ku lc fMfotuy vfèkdkjh u vkx dk;okgh d fy, 18.6.2015 dk fo}ku MhO ,eO lg&mik;Dr dk chO ,O d l lO 4 o"k 2015 dk ekeyk vfHky[k HktkA***

6. प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि कार्यवाही केवल जिला दंडाधिकारी के समक्ष होगी जिन्हें अधिनियम वर्ष 2002 की धारा 14 के निबंधनानुसार उधार लेने वाले/बंधककर्ता की आस्तियों को संभालने के लिए सहायता प्रदान करने के पहले बैंक अथवा वित्तीय संस्थानों के ऐसे किसी आवेदन पर संतुष्टि दर्ज करने की आवश्यकता है।

7. पक्षों अर्थात् याची एवं प्रत्यर्थी राज्य तथा बैंक के विद्वान अधिवक्ता के निवेदनों पर यहाँ उपर ध्यान में लिए गए ताथ्यिक परिदृश्य में विचार करने पर इस न्यायालय को पक्षों के मामले के गुणागुण पर इस न्यायालय को कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है जैसा यहाँ उपर संप्रेक्षित किया गया है। प्रत्यर्थी राज्य द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की दृष्टि में, प्रत्यर्थी बैंक का बंधककर्ता की प्रतिभूत आस्तियों के कब्जा के मामले में कदम उठाने के लिए जिला दंडाधिकारी/उपायुक्त, देवघर के समक्ष अपना आवेदन अग्रसर करने की आवश्यकता है जिस पर विधि के अनुरुप और अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के मुताबिक युक्तियुक्त समय के भीतर विचार करने की आवश्यकता है।

8. तद्नुसार, रिट याचिका निपटायी जाती है। यह स्पष्ट किया जाए कि यहाँ उपर किया गया कोई संप्रेक्षण मामले के गुणागुण पर टिप्पणी के रूप में नहीं माना जाएगा।

---

ekuuh; Mkñ ,lñ ,uñ ikBd] U;k;efr

कपिलदेव चौधरी

cuke

वनांचल ग्रामीण बैंक एवं अन्य

W.P. (S) No. 1985 of 2016. Decided on 7th April, 2017.

सेवा विधि–मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ–अनुग्रहपूर्वक राशि से इनकार–याची के पिता की सेवा के 19 वर्ष 5 माह पूरा करने के बाद सेवा में रहते हुए मृत्यु हो गयी–अनुग्रह पूर्वक राशि का भुगतान बैंक के स्वविवेक पर निर्भर नहीं कहा जा सकता है, बल्कि बैंक द्वारा शुरु की गयी योजना की दृष्टि में याची अनुग्रहपूर्वक राशि के भुगतान का हकदार है–यह दर्शाने के लिए कागज का कोई टुकड़ा नहीं है कि परिवार संकट का सामना करने में सक्षम रहा है–विलंब का प्रदान इस तथ्य की दृष्टि में शेष नहीं रहता है कि आवेदन सम्यक रूप से समय के भीतर दिया गया था और अपने पिता की मृत्यु की तिथि से छह माह की अवधि के सुअंतर्गत था–प्रत्यर्थी प्राधिकारियों को छह लाख रुपयों की अनुग्रह पूर्वक राशि का भुगतान करने के लिए याची के मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया गया। (पैरा 6 से 9)

अधिवक्तागण.–Mr. Tarun Kumar, For the Petitioner; Mr. Nipun Bakshi, For the Respondent.

डॉ॰ एस॰ एन॰ पाठक, न्यायमूर्ति.–पक्षकार सुने गए।

2. वर्तमान रिट याचिका में याची ने महाप्रबंधक (प्रशासन) द्वारा जारी दिनांक 17.2.2016 के पत्र सं॰ प्र॰ क॰/म॰/स॰/1236/15-16 (परिशिष्ट–5) के अभिखंडन एवं अपास्त करने के लिए प्रार्थना किया

है जिसके द्वारा वर्ष 2010 में उसके पिता की मृत्यु के कारण अनुग्रह पूर्वक राशि के लिए याची का दावा अस्वीकार किया गया है। आगे याची को छह लाख रु॰ की अनुग्रह पूर्वक राशि के भुगतान की निर्मुक्ति के लिए, जैसा प्रत्यर्थी सं॰ 3 द्वारा अनुशंसित एवं संगणित किया गया है, प्रार्थना की गयी है।

<u>ताथ्यिक मैट्रिक्स</u>

3. याची के पिता राजेन्द्र प्रसाद चौधरी ने 1.9.1990 को कार्यालय परिचारक के रूप में प्रत्यर्थी बैंक का सेवा ग्रहण किया था और कार्यालय परिचारक के रूप में उसकी पदस्थापना का अंतिम स्थान वनांचल ग्रामीण बैंक, गोदरमन था। याची के पिता की मृत्यु हृदयाघात के कारण हो गयी जब वह सेवा के 19 वर्ष 5 माह पूरा करने के बाद 26.2.2010 को सेवा में था। याची के पिता की शेष सेवा 13 वर्ष 9 माह थी। आगे यह कथन किया गया था कि याची ने प्रत्यर्थी सं॰ 4 को सम्यक रूप से हस्ताक्षरित खाली फॉर्म के साथ काफी पहले 5.5.2010 को अनुग्रह पूर्वक राशि का दावा करने के लिए आवेदन दिया। विद्वान जिला न्यायाधीश, गढ़वा द्वारा 15.12.2010 को याची के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र भी जारी किया गया था। प्रत्यर्थी सं॰ 3 ने संपूर्ण दस्तावेजों के सत्यापन के बाद 8.7.2015 को नोट तैयार किया और छह लाख रुपयों की अनुग्रह पूर्वक राशि का भुगतान अनुशंसित किया और अनुशंसा बैंक अध्यक्ष प्रत्यर्थी सं॰ 1 को भेजी गयी थी। अनुशंसा की दृष्टि में याची ने अन्य बातों के साथ शीघ्रतापूर्वक अनुग्रह पूर्वक राशि निर्मुक्त करने के लिए उससे अनुरोध करते हुए प्रत्यर्थी सं॰ 3 के समक्ष 12.10.2015 को आवेदन प्रस्तुत किया। आश्चर्यजनक रूप से याची का अनुरोध प्रत्यर्थी सं॰ 2 द्वारा जारी दिनांक 17.2.2016 के तहत इस आधार पर ठुकरा दिया गया था कि याची द्वारा अनुग्रह पूर्वक राशि के लिए आवेदन पाँच वर्ष बीतने बाद दिया गया था और प्रत्यर्थी बैंक के नियम के मुताबिक इसे मृत्यु की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर दाखिल करने की आवश्यकता है। अत: याची द्वारा इस रिट याचिका को दाखिल किया गया है।

4. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री तरुण कुमार निवेदन करते हैं कि प्रत्यर्थी प्राधिकारियों ने दावा को समय वर्जित के रूप में अवैध रूप से एवं मनमाने रूप से अस्वीकार कर दिया है यद्यपि अनुग्रहपूर्वक भुगतान के संबंध में आवेदन सम्यक रूप से हस्ताक्षरित खाली फॉर्म के साथ, रिट याचिका का परिशिष्ट 1, प्रत्यर्थी सं॰ 4 के समक्ष काफी पहले 5.5.2010 को दाखिल किया गया था। विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि छह लाख रुपयों के अनुग्रह पूर्वक राशि के भुगतान के लिए प्रत्यर्थी सं॰ 3 द्वारा प्रत्यर्थी सं॰ 1 को आवेदन सम्यक रूप से अनुशंसित किया गया था और अनुशंसा की दृष्टि में बैंक याची को भुगतान निर्मुक्त करने की बाध्यता के अधीन था। विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि प्रत्यर्थी की कार्रवाई अवैध, मनमानी, असद्भापूर्ण एवं भेदभावपूर्ण प्रकृति के हैं और इस दशा में, इसके सिविल परिणाम हैं। विद्वान अधिवक्ता यह निवेदन भी करते हैं कि दिनांक 12.10.2015 का आवेदन सब चीज का उल्लेख करते हुए स्मरण पत्र था और दिनांक 5.5.2010 के आवेदन के संबंध में भी था और इसे अनुग्रह पूर्वक राशि के भुगतान की निर्मुक्ति के लिए दिए गए प्रथम आवेदन के रूप में माना नहीं जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता न्यायालय का ध्यान परिशिष्ट–1 की ओर आकृष्ट करते हैं और जोरदार निवेदन करते हैं कि आवेदन उसके पिता की मृत्यु की तिथि से छह माह की अवधि के सुअंतर्गत था और इसे विलंबित दावा नहीं कहा जा सकता है।

5. समानांतर स्तंभ में, प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता प्रतिवाद करते हैं कि प्रत्यर्थी बैंक द्वारा विधि के अनुरुप आदेश पारित किया गया था और पूर्णत: न्यायोचित है और परिसीमा की अवधि नजरअंदाज

नहीं की जा सकती है क्योंकि याची ने छह माह बाद आवेदन दिया है और इस दशा में, दावा सही प्रकार से अस्वीकार किया गया है। विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि यह विचार में लेने पर भी कि याची द्वारा 5.10.2010 को आवेदन दिया गया था, दावा करने के समय पर चल, अचल संपत्तियों की सूची सहित समस्त स्रोतों से परिवार की मासिक आय का विवरण दिया जाना था जो याची के आवेदन में अनुपस्थित था और इस दशा में इसे अनुग्रह पूर्वक राशि के भुगतान के लिए आवेदन नहीं कहा जा सकता है। प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता यह निवेदन भी करते हैं कि अन्यथा भी लोक प्राधिकारी (अनुग्रह पूर्वक राशि के प्रदान के लिए सक्षम प्राधिकारी को मृतक कर्मचारी के परिवार की वित्तीय दशा का परीक्षण करना होगा और केवल यदि मृतक का परिवार संकट का सामना करने में अक्षम है, उक्त राशि प्रदान किया जाना चाहिए। अनुग्रह पूर्वक राशि के प्रदान के लिए शर्तों में से एक यह है कि परिवार दरिद्र अथवा निर्धन परिस्थितियों में होना चाहिए। अनुग्रह पूर्वक राशि हकदारी नहीं है और यह बैंक के स्वविवेक पर है और इस दशा में रिट याचिका गुणागुणरहित है और खारिज किए जाने योग्य है।

6. चाहे जो भी हो, पक्षों के परस्पर विरोधी निवेदनों का परिशीलन करने पर इस न्यायालय का सुविचारित दृष्टिकोण है कि अनुग्रहपूर्वक राशि का भुगतान बैंक का स्वविवेक नहीं कहा जा सकता है, बल्कि बैंक द्वारा शुरु की गयी योजना की दृष्टि में याची अनुग्रह पूर्वक राशि के भुगतान का हकदार है। अनुग्रह पूर्वक राशि के अस्वीकरण का कारण विधि की दृष्टि में संपोषणीय नहीं है। प्रतिशपथ पत्र के पैरा 6 में किए गए प्रकथनों के मुताबिक, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता का प्रतिवाद मान्य नहीं है। प्रतिशपथ पत्र के पैरा 6 का प्रासंगिक भाग यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है:–

> *"6. ..... nkok dju e foyc vifjgk; :i l bl fu"d"k dh vkj y tkrk g fd ifjokj ldV dk lkeuk dju e l{ke gvk g vkj ,l ekey e vurk"k çnku ugh fd;k tk ldrk gA***

7. यह दर्शाने के लिए कागज का टुकड़ा भी नहीं है कि परिवार संकट का सामना करने में सक्षम रहा है। विलंब का प्रदान इस तथ्य की दृष्टि में शेष नहीं रहता है कि आवेदन सम्यक रूप से समय के भीतर दिया गया था और उसके पिता की मृत्यु की तिथि से छह माह की अवधि के सुअंतर्गत था जो परिशिष्ट 1 एवं प्रत्यर्थी सं॰ 3 द्वारा प्रत्यर्थी सं॰ 1 को की गयी अनुशंसा से स्पष्ट है। यह भी उल्लेखनीय है कि याची को पूर्वोक्त अनुग्रहपूर्वक एकमुश्त राशि के भुगतान के लिए अनुशंसा के पहले प्रत्यर्थी सं॰ 3 द्वारा मामले के प्रत्येक पहलू पर विचार किया गया था। इस दशा में, प्रत्यर्थियों का दृष्टिकोण आधारहीन एवं अमान्य है।

8. पूर्वोक्त नियमों, मार्गदर्शक सिद्धांतों एवं विधिक प्रतिपादना की समेकित प्रभाव के कारण मैं एतद् द्वारा प्रत्यर्थी प्राधिकारियों को छह लाख रुपयों की अनुग्रह पूर्वक राशि के भुगतान के लिए याची के मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश देता हूँ।

9. पूर्वोक्त संप्रेक्षण के साथ रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

नंदलाल टिबरेवाल एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 1553 of 2016. Decided on 23rd March, 2017.

संथाल परगना अभिधृति (पूरक प्रावधान) अधिनियम, 1949—धारा 18—जमाबंदी भूमि पर निर्माण करने का अधिकार–उपायुक्त ने संक्षिप्त रूप से अभिनिर्धारित किया कि निर्माण पर अवरोध बनाए रखा जाएगा क्योंकि अधिनियम वर्ष 1949 के अधीन रैयत को भूमि के 'जमाबंदी' टुकड़े की प्रकृति परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है–आक्षेपित आदेश से यह प्रतीत नहीं होता है कि अधिनियम वर्ष 1949 के अनेक प्रावधानों के आलोक में वर्तमान प्रश्न पर उपायुक्त की ओर से विवेक का समुचित इस्तेमाल किया गया है–उपायुक्त जो जिला के राजस्व अभिलेखों का अभिरक्षक है, वर्तमान विवाद्यक पर विनिर्दिष्ट निष्कर्ष देने के लिए बाध्य है–युक्तियुक्त समय के भीतर पक्षों को सुनवाई का सम्यक अवसर देने के बाद प्रश्नगत भूमि पर याचीगण द्वारा प्रस्तावित निर्माण पर अवरोध से संबंधित वर्तमान विवाद्यक पर नया निर्णय लेने के लिए मामला उपायुक्त के पास वापस भेजा गया। (पैराएँ 7 एवं 8)

अधिवक्तागण.–M/s Indrajit Sinha, Lukesh Kumar, For the Petitioners; M/s V.K. Prasad, Vineet Prakash & Sahil, For the Respondents.

आदेश

याचीगण एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. उपायुक्त, गोड्डा ने विविध याचिका सं॰ 3/2015-16 में पारित दिनांक 26.2.2016 के आक्षेपित आदेश (परिशिष्ट 14) द्वारा सकारात्मक रूप से अभिनिर्धारित किया है कि अंचल महागामा, जिला गोड्डा के अंतर्गत मौजा चमगोरा दारुन बलिया, थाना सं॰ 560 के अधीन प्रश्नगत भूमि, जहाँ 21-15-16 धूर क्षेत्रफल वाली दो जमाबंदियाँ हैं, थाना महागामा के महावीर प्रसाद प्रधान, विलासी राम, हरिप्रसाद पुत्र जानकी राम, कौम अग्रवाल के नाम में गैंटजर बंदोबस्ती के मुताबिक ''प्रधान का जोत'' के रूप में दर्ज की गयी हैं। 'ए॰ मिसिल' एवं 'बी॰ मिसिल' उद्धरण में भी यह 'प्रधान के जोत' के रूप में दर्शायी गयी है। उस अवधि के दौरान जब गाँव खास था, तत्कालीन प्रधान अर्थात् नंदलाल टिबरेवाल, याची सं॰ 1 की संततियाँ एवं अन्य किराया जमा कर रहे थे। किंतु उपायुक्त, गोड्डा ने संप्रेक्षित किया है कि आवेदक/वर्तमान याचीगण ने निर्माण करने के लिए संथाल परगना अभिधृति (पूरक प्रावधान) अधिनियम, 1949 के किसी प्रावधान को नहीं दर्शाया है। उन्होंने संक्षिप्त रूप से अभिनिर्धारित किया कि निर्माण पर अवरोध बनाए रखा जाएगा क्योंकि किसी रैयत को अधिनियम वर्ष 1949 को भूमि की 'जमाबंदी' टुकड़े की प्रकृति परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है।

3. इसने डब्लू॰ पी॰ सी॰ सं॰ 1762 वर्ष 2015 में वाद के पूर्व चक्र के बाद वर्तमान रिट याचिका में एक बार पुनः इस न्यायालय के पास आने के लिए व्यथित किया जहाँ दिनांक 1.7.2015 के आदेश परिशिष्ट 10 द्वारा रिट याचिका निम्नलिखित संप्रेक्षण के साथ खारिज की गयी थी:–

> *^^tgk rd fnukd 8.1.2015 d vkn'k dk lcèk g] ejk er g fd ;g ç'uxr lifÙk dh çÑfr ljf{kr dju d fy, vk'kf;r g vkj blfy,] bl pj.k ij vfèkdkfjrk dk ç'u mnHkr ugh gkrk gA iokDr rF;k ij fopkj djr g, ejk er g fd oreku fjV ;kfpdk [kkfjt fd, tku dh nk;h gA fdr] ;kphx.k dk nk lIrkg dh vofèk d Hkhrj mik;Dr d ikl tku vkj rFkk çklfxd vfHky[k çLrr dju dh Lor=rk çnku dh tkrh g vkj ;fn mik;Dr lr"V g] og vxy pkj lIrkg d Hkhrj vpykfèkdkjh dk lefpr fun'k tkjh dj ldrk gA iokDr fucèkuk e*

*fjV ;kfpdk fuiVk;h tkrh gA vkb0 ,0 l0 2447 o"k 2015 [kkfjt fd;k tkrk gA***

4. याची के विद्वान अधिवक्ता ने 1949 अधिनियम में धारा 4 (viii)-'धृति'; 4 (xiii)-रैयत; 4 (xix)-'अभिधारी' तथा 4(xxiii) ''ग्राम प्रधान'' के प्रावधानों को निर्दिष्ट किया है। उन्होंने अधिनियम की धारा 10 के प्रावधानों को भी निर्दिष्ट किया है जो उनके अनुसार स्पष्टत: 'मूल रैयत के जोत' को प्राइवेट धृति के रूप में और 'मूल रैयती जोत' को आधिकारिक धृति के रूप में मान्यता देता है। याची के विद्वान अधिवक्ता ने शीर्षक 'रैयत' के अधीन अध्याय III के प्रावधानों का भी उल्लेख किया है जो धारा 12 के अधीन रैयतों के वर्गों को विहित करती है। उसकी धारा 13 के अधीन भूमि के उपयोग के संबंध में रैयत का अधिकार भी निम्नलिखित रूप में वर्णित किया गया है:–

*"13. **Hkfe d mi;kx d lcèk e j;r d vfèkdkj**-&(1) j;r viuh èkfr e xfBr Hkfe dk mi;kx]*

(a) fdlh rjhd l tk LFkkuh; çpyu vFkok jhfr }kjk çkfrèkÑr fd;k x;k g] ;k

(b) fdlh LFkkuh; çpyu vFkok jhfr dk è;ku e fy, fcuk fdlh rjhd l tk rkfRod :i l Hkfe dk eY; de ugh djrk g vFkok [krh d ç;ktu l bl v;kX; ugh cukrk g] dj ldrk gA

*(2) èkfr ij dkb pht djuk] ftldh vuefr èkkjk 15, èkkjk 16, èkkjk 17 vFkok èkkjk 18 }kjk nh x;h g] rkfRod :i l Hkfe d eY; dk de dju okyk cukrk vFkok [krh d fy, bl v;kX; cuku okyk ugh le>k tk,xkA***

5. तब याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि उसी अध्याय के अधीन आने वाले आते अधिनियम वर्ष 1949 की धारा 18 के अधीन ''रैयत'' को स्वयं एवं अपने परिवार के लिए घरेलू अथवा कृषि प्रयोजन से अपनी धृति पर कच्चा या पक्का भवन खड़ा करने का अधिकार है। उसके 'प्रधान के जोत (प्राइवेट धृति) पर घर के निर्माण से इनकार करने के लिए तर्क संगत कारण नहीं दिया गया है। उपायुक्त गोड्डा ने विवेक का इस्तेमाल किए बिना याचीगण को गैन्टजर बंदोबस्ती के समय पर भी 'प्रधान के जोत' के रूप में दर्ज अपनी भूमि पर निर्माण करने की अनुमति देने से इनकार किया है। अत: याचीगण इस न्यायालय के पास आने के लिए मजबूर है।

6. प्रत्यर्थी राज्य ने अपने प्रतिशपथ पत्र में आक्षेपित आदेश का समर्थन किया है। प्रतिशपथ पत्र में राजस्व प्राधिकारी के एक या दूसरे निष्कर्ष को निर्दिष्ट किया गया है। यद्यपि उपायुक्त, गोड्डा ने स्पष्ट रूप से भूमि के टुकड़े को आक्षेपित आदेश में 'प्रधान के जोत' के रूप में दर्ज किया है किंतु, यह प्रतिवाद किया गया है कि अधिनियम वर्ष 1949 के प्रावधानों के अधीन 'जमाबंदी' भूमि की प्रकृति परिवर्तित नहीं की जा सकती है। अत: अवरोध का आदेश पारित किया गया है।

7. यहाँ उपर निर्दिष्ट किए गए 1949 अधिनियम के प्रावधानों एवं प्रासंगिक तथ्यों के आलोक में पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन पर विचार किया गया। आक्षेपित आदेश के परिशीलन से यह प्रतीत नहीं होता है कि अधिनियम वर्ष 1949 के प्रावधानों; क्षेत्र जहाँ 'प्रधान का जोत' के रूप में दर्ज 'जमाबन्दी' भूमि पर निर्माण की ऐसी गतिविधियों को विनिर्दिष्टत: प्रतिषिद्ध किया गया है, में प्रचलित किसी 'रुढ़िजन्य विधि' अथवा प्रचलन को आलोक में रखते हुए वर्तमान प्रश्न पर उपायुक्त, गोड्डा, प्रत्यर्थी सं॰ 2, की ओर से विवेक का समुचित इस्तेमाल किया गया है। उस विवाद्यक पर सकारण आदेश और उस संबंध में 'प्रचलन' अथवा 'रुढ़िजन्य विधि' और अभिलेख पर अभिवचन की कमी से संबंधित इस पहलू पर

चर्चा की अनुपस्थिति में यह न्यायालय निश्चित निष्कर्ष पर आने की अवस्था में नहीं है। अत: उपायुक्त, जो जिला में राजस्व अभिलेख के अभिरक्षक हैं, यहाँ उपर किए गए संप्रेक्षण के आलोक में और विधि के अनुरुप वर्तमान विवाद्यक पर विनिर्दिष्ट निष्कर्ष देने के लिए बाध्य हैं।

8. अत: इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तिथि से अधिमानत: 12 सप्ताह के युक्तियुक्त समय के भीतर पक्षों को सुनवाई का सम्यक अवसर देने के बाद प्रश्नगत भूमि पर याचीगण द्वारा प्रस्तावित निर्माण पर अवरोध से संबंधित विवाद्यक पर नया निर्णय लेने के लिए मामला उपायुक्त, गोड्डा के पास वापस भेजा जाता है। यह कहना अनावश्यक है कि वर्तमान विषय पर उपायुक्त, गोड्डा द्वारा लिए गए निर्णय पर निर्भर परिणाम प्रवाहित होंगे।

9. तद्नुसार, रिट याचिका निपटायी जाती है। यहाँ उपर पारित आदेश की दृष्टि में आई॰ ए॰ सं॰ 807 वर्ष 2017 भी निपटाया जाता है।

---

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr. Revision No. 642 of 2016. Decided on 24th March, 2017.

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881—धाराएँ 138 एवं 147—झारखंड उच्च न्यायालय नियमावली, का नियम 159—चेक का अनादर–पक्षों के बीच सुलह—पक्षों के बीच प्रभावी बनाए गए सुलह की दृष्टि में याची को झारखंड उच्च न्यायालय नियमावली के नियम 159 के निबंधनानुसार आत्मसमर्पण करने से छूट दी गयी–पक्षों के बीच मामले में सुलह हो गया है–विरोधी पक्षकार को शिकायत नहीं है क्योंकि याची द्वारा उसकी शिकायत दूर कर दी गयी है–विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का आदेश एवं दंडादेश अपास्त किया गया।

(पैराएँ 4, 7, 8 एवं 9)

अधिवक्तागण.–Mr. Lalan Kumar Singh, For the Petitioner; APP, For the State; Mr. Ashok Kumar Sinha, For the O.P. No.2.

आदेश

<u>आई॰ ए॰ सं॰ 1746 वर्ष 2012</u>

यह अंतर्वर्ती आवेदन पक्षों के बीच हुए सुलह के आधार पर दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 642 वर्ष 2016 के अंतिम निपटान के लिए याची द्वारा दाखिल किया गया है। याची इस प्रकार हुए सुलह की दृष्टि में आत्मसमर्पण से छूट के लिए आगे प्रार्थना करता है।

2. अंतर्वर्ती आवेदन के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि पक्षों ने अपना विवाद सुलझाया है जो चेक के अनादर से उद्भूत हुआ और चूँकि याची का कृत्य विचारण न्यायालय के समक्ष सिद्ध किया गया था, उसे एन॰ आई॰ अधिनियम की धारा 138 के अधीन दोषसिद्ध किया गया था जिसे बाद में अपील में अभिपुष्ट किया गया था।

3. ओ॰ पी॰ सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार सिन्हा ने सुलह का तथ्य स्वीकार किया है और निवेदन किया है कि उनको याची के विरुद्ध शिकायत नहीं है।

4. पक्षों के बीच प्रभावी बनाए गए सुलह की दृष्टि में यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है और याची को झारखंड उच्च न्यायालय नियमावली के नियम 159 के निबंधनानुसार आत्मसमर्पण करने से छूट दिया जाता है।

5. आई॰ ए॰ सं॰ 1746 वर्ष 2012 निस्तारित किया जाता है।

<u>दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 642 वर्ष 2016</u>

6. यह आवेदन सी॰ केस सं॰ 405/09, टी॰ आर॰ सं॰ 239/14, में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, सिविल कोर्ट, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 27.11.2014 के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध दाखिल किया गया है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन याची को एन॰ आई॰ एक्ट की धारा 138 के अधीन अपराध क लिए दोषसिद्ध किया गया है तथा एक वर्ष का कठोर कारावास भुगतने और विरोधी पक्षकार सं॰ 2 को 2,75,000/- रुपयों के मुआवजा का भुगतान करने का दंडादेश दिया गया है। याची ने दांडिक अपील सं॰ 155 वर्ष 2014 में विद्वान जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश XI, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 15.3.2016 के आदेश को भी चुनौती दिया है जिसके द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश को अभिपुष्ट किया गया है।

7. यह प्रतीत होता है कि परिवादी द्वारा परिवाद मामला इस अभिकथन पर संस्थित किया गया था कि याची द्वारा अपनी पत्नी के इलाज के बहाना पर 2,51,000/-रुपयों का मित्रवत कर्ज लिया गया था। इसी राशि का चेक परिवादी को दिया गया था और इसे प्रस्तुत करने पर ''अपर्याप्त निधि'' के कारण इसका अनादर किया गया था। बाद में, याची को कानूनी नोटिस भेजा गया था किंतु इसके बावजूद राशि नहीं लौटाए जाने पर परिवाद मामला सं॰ 405 वर्ष 2009 संस्थित किया गया था। दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 202 के अधीन जाँच करने पर एन॰ आई॰ अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध के लिए संज्ञान लिया गया था। विचारण के क्रम में, चूँकि अभियोजन ने समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपना मामला सिद्ध किया था, याची के एन॰ आई॰ अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध के लिए विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, सिविल कोर्ट, हजारीबाग द्वारा दिनांक 27.11.2014 के आदेश द्वारा दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किया गया था जिसे बाद में विद्वान जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश XI, हजारीबाग द्वारा अपील में अभिपुष्ट किया गया था।

8. यह प्रतीत होता है कि आई॰ ए॰ सं॰ 1746 वर्ष 2017 यह कथन करते हुए दाखिल किया गया है कि पक्षों के बीच मामले में सुलह हो गया है। आगे यह प्रतीत होता है कि विरोधी पक्षकार सं॰ 2 को कोई शिकायत नहीं है क्योंकि उसकी शिकायत याची द्वारा दूर कर दी गयी है।

9. चूँकि दोनों पक्षों के बीच मामले में सुलह हो गया है और इस प्रकार प्रभावी बनाए गए सुलह के आधार पर यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है और सी॰ केस सं॰ 405/09, टी॰ आर॰ सं॰ 239/14 में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, सिविल कोर्ट, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 27.11.2014 का आक्षेपित निर्णय एवं आदेश जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन याची को एन॰ आई॰ अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और एक वर्ष का कठोर कारावास भुगतने तथा विरोधी पक्षकार सं॰ 2 को 2,75,000/-रुपयों के मुआवजा का भुगतान करने का दंडादेश दिया गया है और दांडिक अपील सं॰ 155 वर्ष 2014 में विद्वान जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश XI, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 15.3.2016 का आदेश जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का आदेश एवं दंडादेश अभिपुष्ट किया गया है, अपास्त किया जाता है।

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

लाल मोहन बेज

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 2534 of 2015. Decided on 28th March, 2017.

बिहार भू-सुधार (महत्तम सीमा क्षेत्र का नियतिकरण एवं अधिशेष भूमि का अर्जन) अधिनियम, 1961—धारा 16 (3)—अग्रक्रयाधिकार–पृष्ठभूमि के तथ्य याची की ओर से पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष सफल होने के बाद भी भूमि महत्तम सीमा मामले को अग्रसर करने में गंभीर ढिलाई एवं अस्पष्टीकृत विलंब दर्शाते हैं–अनेक प्राइवेट प्रत्यर्थी जो मूल खरीदार के उत्तराधिकारी हैं को अब पक्षकार बनाया गया है–इसे अभियोजित करने में विलंब के कारण मामला और पक्षों का क्षेत्र भी काफी बदल गया और बड़ा हो गया होगा–प्राधिकारी अधिनियम वर्ष 1961 सहित ऐसे किसी अधिनियम के अधीन अपने समक्ष लंबित वाद विनिश्चित करने की जिम्मेदारी से स्वयं को विमुक्त नहीं कर सकता है–भू-सुधार उप समाहर्ता को प्रभावित पक्षों को सम्यक नोटिस के बाद विधि के अनुरुप समय सीमा के भीतर ऐसी लंबित कार्यवाही निष्कर्षित करना चाहिए। (पैरा 6)

अधिवक्तागण.–M/s R.C.P. Sah, For the Petitioner; M/s A.K. Verma, For the Respondents.

आदेश

याची एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. याची का अग्रक्रय आवेदन भू-सुधार उप-समाहर्त्ता, सरायकेला, प्रत्यर्थी सं॰ 2 के समक्ष एल॰ सी॰ केस सं॰ 28 वर्ष 1981-82 के रूप में दर्ज किया गया था जिन्होंने इसे दिनांक 14.6.1982 के आदेश के तहत अस्वीकार कर दिया गया जो रिट याचिका सी॰ डब्लू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 95 वर्ष 1983 (R) का विषय वस्तु था। दिनांक 6.9.1989 के निर्णय, परिशिष्ट-3, के तहत पटना उच्च न्यायालय की विद्वान खंड न्यायपीठ ने इसे अभिखंडित कर दिया था। भूमि सुधार उप समाहर्ता पक्षों को नोटिस करने और तत्पश्चात याची द्वारा बिहार भू-सुधार (महत्तम सीमा क्षेत्र का नियतिकरण एवं अधिशेष भूमि का अर्जन) अधिनियम, 1961 की धारा 16 (3) के अधीन दाखिल आवेदन को विधि के अनुरुप विनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

3. याची वर्ष 2015 में यह अभिकथित करते हुए इस न्यायालय के पास आया है कि भू-अर्जन मामला अभी भी लंबित है जो अब एल॰ सी॰ केस सं॰ 16/2004-05 है। दिनांक 4.5.2005 एवं 28.6.2005 के परिशिष्ट 4 पर मामले के आर्डर शीट को निर्दिष्ट किया गया है। इसका परिशीलन याची की उपस्थिति दर्शाता है जबकि द्वितीय पक्षकार की ओर से प्रतिनिधित्व नहीं है। नोटिस का तामील रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है। याची को 15.10.2015 के आदेश के तहत वर्तमान मामले में इस बयान के समर्थन में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया था कि एल॰ सी॰ केस सं॰ 16/2004-05 को उन दो तिथियों के सिवाए सुनवाई के लिए कभी नहीं रखा गया था। ऐसा कोई शपथ पत्र दाखिल नहीं किया गया है और न ही उक्त मामले का आर्डरशीट अभिलेख पर नहीं लाया गया है।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि प्रत्यर्थी सं॰ 2 के कार्यालय ने उक्त मामले के आर्डरशीट की प्रमाणपत्रित प्रति प्रदान नहीं किया है। याची प्रभावित पक्षों को नोटिस के बाद एक या दूसरे

तरीके से भू–महत्तम सीमा मामला विनिश्चित करने के लिए प्रत्यर्थी सं॰ 2 को निर्देश देने के लिए इस न्यायालय के पास आया है।

5. प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याची ने मामला अग्रसर करने में तत्परता नहीं दर्शाया है। वह पूर्वोक्त निर्देश इप्सित करते हुए रिट याचिका में पारित निर्णय के 26 वर्ष बाद इस न्यायालय के पास आया है। किंतु, आज की तिथि तक प्रत्यर्थी के अधिवक्ता को अनुदेश नहीं दिया गया है।

6. याची एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता के निवेदनों पर विचार किया गया। पृष्ठभूमि के तथ्य याची की ओर से सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 95 वर्ष 1983 (R) में पटना उच्च न्यायालय की विद्वान खंडपीठ के समक्ष सफल होने के बाद भी भू महत्तम सीमा मामला अग्रसर करने में गंभीर ढिलाई एवं अस्पष्टीकृत विलंब दर्शाते हैं। पक्षों के कतार से यह प्रतीत होता है कि अनेक प्राइवेट प्रत्यर्थियों, जो मूल खरीदार के उत्तराधिकारी हैं को अब पक्षकार बनाया गया है। इस अग्रसर कने में विलंब के बाद मामले का रंगरूप और पक्षों का क्षेत्र काफी बदल एवं बढ़ गया होगा। सांविधिक प्राधिकारी किसी भी स्थिति में अधिनियम वर्ष 1961 सहित ऐसे किसी अधिनियम के अधीन इसके समक्ष लंबित वाद विनिश्चित करने की जिम्मेदारी से स्वयं को विमुक्त नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त, भू-सुधार उपसमाहर्त्ता, सरायकेला-खरसावाँ को अन्य पक्षों को नोटिस के बाद विधि के अनुरुप मामला विनिश्चित करने के लिए अग्रसर होने का निर्देश भी था। उस स्थिति में, वर्तमान मामले में सी॰ डब्लू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 95 वर्ष 1983 (R) में किए गए संप्रेक्षणों को केवल दोहराया जा सकता है। किसी भी स्थिति में प्रत्यर्थी सं॰ 2 को प्रभावित पक्षों को सम्यक नोटिस के बाद विधि के अनुरुप समय सीमा के भीतर लंबित कार्यवाही को निष्कर्षित करना चाहिए यदि इसे अब तक निष्कर्षित नहीं किया गया है।

7. तद्नुसार, रिट याचिका निपटायी जाती है।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk ,o Mkñ ,lñ ,uñ ikBd] U;k;efrx.k

मंजेश झा

cuke

श्रीमती कंचन झा

F.A. (DB) No. 69 of 2016. Decided on 10th April, 2017.

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955—धारा 13—तलाक–पत्नी की ओर से क्रूरता एवं अभित्यजन–विवाह के विघटन के लिए दाखिल वाद में प्रत्यर्थी पत्नी के विरुद्ध ऐसी किसी क्रूरता का अभिवचन नहीं किया गया है अथवा इसे सिद्ध नहीं किया गया है ताकि यह पति को क्रूरता के आधार पर तलाक की डिक्री का हकदार बना सके–यद्यपि वाद वर्ष 2009 में यह अभिकथित करते हुए दाखिल किया गया था कि पत्नी ने वर्ष 2007 में पति का अभित्यजन किया था, किंतु यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर साक्ष्य लाया गया है कि दोनों पक्ष कंपनी द्वारा पति को आवंटित क्वार्टर में सितंबर, 2009 तक साथ रह रहे थे–चूँकि स्वयं वर्ष 2009 में वाद भी दाखिल किया गया था, वर्तमान मामले में अभित्यजन के आधार पर तलाक की डिक्री के लिए आधार नहीं बनता था–मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अपीलार्थी पति द्वारा दाखिल वाद सही प्रकार से अवर कुटुंब न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है–अपील खारिज की गयी।

(पैराएँ 11 से 13)

अधिवक्तागण.–Mr. Kailash Prasad Deo, For the Appellant; M/s A.K. Kashyap, Supriya Dayal, For the Respondents.

आदेश

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. अपीलार्थी पति वैवाहिक वाद सं॰ 384 वर्ष 2009 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 25.4.2016 के निर्णय एवं डिक्री से व्यथित है जिसके द्वारा क्रूरता एवं अभित्यजन के आधारों पर तलाक की डिक्री द्वारा पक्षों के बीच विवाह के विघटन के लिए अपीलार्थी पति द्वारा दाखिल वाद अवर न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है।

3. यह कथन किया जा सकता है कि प्रशिक्षित मध्यस्थ द्वारा पक्षों के बीच मध्यस्थता करने का प्रयास भी झारखंड उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण, राँची में किया गया था, किंतु मध्यस्थता का प्रयास भी विफल रहा है। इस दशा में, दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को गुणागुण पर सुना गया है।

4. अपीलार्थी के मामले के अनुसार, पक्षों के बीच विवाह हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार 12.3.2000 को संपन्न किया गया था और दोनों पक्ष साथ रह रहे थे और दांपत्य जीवन बिता रहे थे। विवाह संबंध से उनको 12.8.2005 को पुत्र का जन्म हुआ था। क्रूरता के संबंध में, अपीलार्थी पति का मामला केवल यह है कि पक्षों के बीच संबंध कटु हो गया और पक्षगण प्रसन्नतापूर्वक वैवाहिक जीवन बिताने में सक्षम नहीं हुए थे। यह भी अभिकथित किया गया है कि प्रत्यर्थी पत्नी के पिता ने उसको उन कागजातों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रपीड़ित करके सादे कागजातों पर अपीलार्थी पति का हस्ताक्षर प्राप्त किया और अंतत: प्रत्यर्थी अपने अवयस्क पुत्र के साथ आवेदक की सहमति अथवा जानकारी के बिना अपने दांपत्य गृह से चली गयी और तब से पक्षगण अलग रह रहे हैं। वैवाहिक वाद वर्ष 2009 में 15.11.2007 से पूर्वोक्त क्रूरता एवं अभित्यजन के आधार पर दाखिल किया गया था।

5. नोटिस पर, विरोधी पक्षकार पत्नी मामले में उपस्थित हुई और उसने अपना लिखित कथन दाखिल किया जिसमें विवाह के तथ्य तथा पुत्र का जन्म स्वीकार किया गया था। अन्य अभिकथनों से इनकार किया गया था और यह कथन किया गया था कि आवेदक पति विरोधी पक्षकार पत्नी को दहेज मांग के लिए क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन कर रहा था। विरोधी पक्षकार पत्नी के मामले के अनुसार वे मेसर्स टिनप्लेट कंपनी जिसमें उसका पति नियोजित था द्वारा पति को आवंटित क्वार्टर में साथ रह रहे थे। बाद में, उसने अंतर धार्मिक विवाह किया था, जिसके लिए पुलिस द्वारा छापा मारा गया था जिसने उसको कंपनी द्वारा आवंटित अपने आधिकारिक क्वार्टर छोड़ने के लिए मजबूर किया। यह कथन किया गया है कि विरोधी पक्षकार पत्नी एवं उसके माता-पिता द्वारा वैवाहिक जीवन जोड़ने के लिए समस्त प्रयास विफल रहे थे और वह वर्तमान वाद में नोटिस से आश्चर्य चकित थी।

6. आक्षेपित निर्णय दर्शाता है कि पक्षों के अभिवचनों के आधार पर क्रूरता एवं अभित्यजन से संबंधित विवाद्यकों सहित विवाद्यक विरचित किए गए थे। दोनों पक्षों के गवाहों का परीक्षण किया गया था और आवेदक पति जिसने स्वयं का परीक्षण ए॰ डब्लू॰ 1 के रूप में करवाया था ने अपने साक्ष्य में अपने मामले का समर्थन किया था। अपने प्रतिपरीक्षण में वह सादे कागजों पर हस्ताक्षर करने के बारे

में विवरण देने में विफल रहा और उसने यह भी स्वीकार किया कि उसके द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अधीन कोई मामला दाखिल नहीं किया गया था। यद्यपि संयुक्त खाता से 3,50,000/- रुपया निकालने का अभिकथन था, किंतु उसे भी पति द्वारा अवर न्यायालय में सिद्ध नहीं किया जा सका था।

7. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी पत्नी ने भी स्वयं, अपने पिता एवं पड़ोसी का मामले में परीक्षण करवाया था और उन सबों ने दहेज मांग के लिए क्रूरता एवं यातना के बारे में प्रत्यर्थी पत्नी के मामले का समर्थन किया था। प्रत्यर्थी पत्नी एवं उसके पिता के साक्ष्य ने यह भी दर्शाया कि दोनों पक्ष सितंबर, 2009 तक कंपनी द्वारा आवंटित क्वार्टर में साथ रह रहे थे और केवल तत्पश्चात पति ने क्वार्टर छोड़ा था।

8. अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर अवर न्यायालय इस निष्कर्ष पर आया कि ऐसी किसी क्रूरता का कोई विनिर्दिष्ट कृत्य जो अपीलार्थी पति को तलाक की डिक्री का हकदार बना सके आवेदक पति द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सका था और न ही आवेदक पति अपना मामला सिद्ध करने में सक्षम रहा था कि पक्षगण वर्ष 2007 से अलग रह रहे थे बल्कि न्यायालय इस अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर इस निष्कर्ष पर आया कि पक्षगण सितंबर 2009 तक साथ रह रहे थे। चूँकि वर्ष 2009 में ही वाद दाखिल किया गया था, प्रत्यर्थी पत्नी के विरुद्ध अभित्यजन का मामला भी नहीं बनता था और तद्नुसार अवर न्यायालय ने वाद खारिज कर दिया था।

9. अपीलार्थी पति के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी प्रत्यर्थी पत्नी द्वारा क्रूरता एवं अभित्यजन का अपना मामला सिद्ध करने में सक्षम रहा है।

10. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी पत्नी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर वाद सही प्रकार से अवर न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है और प्रत्यर्थी पत्नी अपने पति के साथ रहने एवं दांपत्य जीवन बिताने के लिए सदैव तैयार है।

11. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं अभिलेख का परिशीलन करने पर हम पाते हैं कि ऐसी किसी क्रूरता विवाह के विघटन के लिए दाखिल वाद में प्रत्यर्थी पत्नी के विरुद्ध अभिवचनित एवं सिद्ध नहीं किया गया है जो पति को क्रूरता के आधार पर तलाक की डिक्री का हकदार बना सके। अन्य आधार जिस पर वाद दाखिल किया गया था, अभित्यजन था। यद्यपि वाद 2009 में यह अभिकथित करते हुए दाखिल किया गया था कि पत्नी ने वर्ष 2007 से पति का अभित्यजन कर दिया था किंतु यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर साक्ष्य लाया गया है कि दोनों पक्ष सितंबर, 2009 तक पति को कंपनी द्वारा आवंटित क्वार्टर में साथ रह रहे थे। चूँकि वाद भी वर्ष 2009 में ही दाखिल किया गया था, अभित्यजन के आधार पर तलाक की डिक्री के लिए आधार वर्तमान मामले में नहीं बनता गया था। हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अपीलार्थी पति द्वारा दाखिल वाद सही प्रकार से अवर कुटुम्ब न्यायालय द्वारा खारिज किया गया था।

12. पूर्वोक्त कारणों से हम वैवाहिक वाद सं॰ 384 वर्ष 2009 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 25.4.2016 के निर्णय एवं डिक्री में कोई अवैधता नहीं पाते हैं।

13. इस अपील में गुणागुण नहीं है और तद्नुसार इसे खारिज किया जाता है।

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

मोहन महतो एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 5920 of 2016. Decided on 6th March, 2017.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश 41 नियम 27—अतिरिक्त साक्ष्य की प्रस्तुति–इस चरण पर जब अपील सुनी जानी है अपीलार्थियों द्वारा दिया गया साक्ष्य अननुज्ञात करने में अपीलीय न्यायालय का मत विधि की गलती से पीड़ित इस कारण से अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि वादीगण 2001 से ही 2012 तक वाद के लंबित रहने के दौरान विचारण न्यायालय के समक्ष इन दस्तावेजों को देने के लिए आगे कभी नहीं आए–किंतु, यदि अपीलीय न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि आदेश 41 नियम 27 (1) (b) के प्रावधानों के मुताबिक निर्णय उद्घोषित करने के लिए अथवा किसी सारवान कारण से इसे सक्षम बनाने के लिए ऐसे किसी दस्तावेज को प्रस्तुत किए जाने अथवा गवाह का परीक्षण किए जाने की आवश्यकता है, अपीलीय न्यायालय को ऐसा करने की छूट सदैव है। (पैरा 6)

अधिवक्तागण.–Mr. Awnish Shankar, For the Petitioners; M/s Rajiv Anand, Shyam Narsaria, For the State; Mr. Chandra Shekhar Pd., For the Pvt. Resps.

आदेश

याची, राज्य एवं प्राइवेट प्रत्यर्थी के अधिवक्ता सुने गए।

2. अपर जिला न्यायाधीश XII, हजारीबाग के विद्वान अपीलीय न्यायालय ने प्राइवेट प्रत्यर्थियों की रिट याचिका डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 6923/2004 की प्रति और प्रत्यर्थी डिविजनल वन अधिकारी, हजारीबाग द्वारा दाखिल शपथ पत्र देने के लिए वादीगण–अपीलार्थीगण द्वारा दाखिल सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 के अधीन अतिरिक्त साक्ष्य स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि इन दस्तावेजों को सिविल न्यायाधीश (सिनियर डिविजन) हजारीबाग द्वारा अभिधान वाद सं॰ 132/2001 में पारित दिनांक 6 जुलाई, 2012 के निर्णय के बाद प्राप्त किया गया था। विद्वान अधिवक्ता यह भी निवेदन करते हैं कि वाद में प्रतिवादियों द्वारा किया गया अभिवचन तथ्यों पर अमान्य है और मनगढ़ंत दस्तावेजों पर आधारित हैं। वादीगण ने और प्रतिवादियों ने भी हुकुमनामा के आधार पर अपना मामला स्थापित करना इप्सित किया है। रिट याचिका में प्रतिवादियों ने अपनी भूमि से कतिपय कटीली बाड़ एवं स्तंभ को हटाया जाना इप्सित किया है जिन्हें प्रत्यर्थी सं॰ 2 द्वारा सीमांकित किया गया था।

3. किंतु, प्रत्यर्थी डिविजनल वन अधिकारी ने प्रतिशपथ पत्र दाखिल करके मामले का प्रतिवाद किया है और दावा किया है कि प्रश्नगत भूमि वन भूमि है जिस पर वन स्तंभ सं॰ 13, 14, 15 एवं 16 विद्यमान है। सीमांकित वन भूमि विभाग द्वारा निर्मुक्त कभी नहीं की गयी है। अत:, उक्त याचीगण का दावा आधारहीन है और हुकुमनामा के दस्तावेजों सहित कूटरचित एवं मनगढ़ंत कागजातों के आधार पर है। तथापि, विद्वान अधिवक्ता ने सम्प्रेक्षित किया है कि रिट याचिका लम्बित है तथा उस सम्बन्ध में कोई अंतिम निर्णय पारित नहीं किया गया है। यह भी संप्रेक्षित किया गया है कि दोनों पक्षों ने विचारण न्यायालय के समक्ष पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया था जो आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री पारित करने की ओर ले गया। रिट याचिका के अभिवचनों की दाखिला मात्र, जब इस न्यायालय द्वारा इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में दिए जाने के चलते किसी परिणाम का नहीं हो सकता था। तद्नुसार, प्रार्थना अस्वीकार की गयी है।

4. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि राज्य ने पक्ष होने के नाते वाद में कोई लिखित कथन दाखिल नहीं किया था। अत: राज्य का दृष्टिकोण मामले के समुचित न्याय निर्णयन के लिए तात्विक होगा।

5. याची, राज्य एवं प्राइवेट प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता के निवेदनों पर विचार किया गया।

6. याची चरण पर जब अपील सुने जाने के लिए तैयार है अपीलार्थियों द्वारा दिए गए साक्ष्य को अननुज्ञात करने में विद्वान अपीलीय न्यायालय का मत विधि की गलती से पीड़ित होता इस कारण से अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि वादीगण स्वयं 2001 से 2012 तक वाद लंबित रहने के दौरान इन दस्तावेजों को विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष देने के लिए आगे कभी नहीं आए हैं। किन्तु, यदि अपीलीय न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि इसे आदेश 41 नियम 27 (1) (b) के प्रावधानों के मुताबिक निर्णय उद्घोषित करने के लिए अथवा किसी सारवान कारण से इसको सक्षम बनाने के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए ऐसे किसी दस्तावेज अथवा गवाह का परीक्षण के लिए आवश्यकता है, अपीलीय न्यायालय को ऐसा करने की छूट सदैव है। उस संदर्भ में अपीलीय न्यायालय यह ध्यान में रख सकता है कि क्या पक्षों के बीच विवाद के अंतिम न्यायनिर्णयन के लिए मामले में राज्य का दृष्टिकोण आवश्यक है। उस स्थिति में यह सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 (1) (b) का सहारा ले सकता है।

7. इन संप्रेक्षणों के साथ, यह रिट याचिका निपटायी जाती है किंतु, आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप के बिना।

---

ekuuh; vkuUn lu] U;k;efr

राज चौहान

cuke

झारखंड राज्य

Cr. M.P. No. 841 of 2016. Decided on 14th December, 2016.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 451—परिवहन के क्रम में जब्त अवैध कोयला की निर्मुक्ति—परस्पर विरोधी दावेदार नहीं है–दस्तावेज प्रथम दृष्टया वास्तविक है–कोयला का मूल्य गिर जाएगा क्योंकि यह खुले स्थान में पड़ा है–विचारण न्यायालय को याची के पक्ष में प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत किए जाने पर जब्त कोयला निर्मुक्त करने का निर्देश दिया गया।

(पैराएँ 4 एवं 5)

अधिवक्तागण.–Mr. Pratiush Lala, For the Petitioner; APP, For the State.

आदेश

इस आवेदन में याची ने कोयला जिसे गोविन्दपुर पी॰ एस॰ केस सं॰ 355/2015, जी॰ आर॰ संख्या 4537/15 के तत्सम, के संबंध में जब्त किया गया है की निर्मुक्ति के लिए प्रार्थना किया है।

2. प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की धारा 414/34 के अधीन अभिकथित रूप से अपराध करने के लिए दर्ज की गयी थी और इसे गोविन्दपुर पी॰ एस॰ केस संख्या 355/2015 के रूप में दर्ज किया गया था। इस याची की प्रेरणा पर अवैध कोयला के परिवहन का अभिकथन है। बीस टन कोयला जब्त किया गया था। याची ने अपने पक्ष में उक्त कोयला की निर्मुक्ति के लिए इस आधार पर आवेदन दिया कि वह इसका स्वामी है और इसे वैध दस्तावेज द्वारा श्री जी कंपनी से खरीदा गया था। कोयला की निर्मुक्ति के लिए उक्त आवेदन दिनांक 2.3.2016 के आक्षेपित आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याची ने कोयला खरीदा है और वह इसका विधिक स्वामी है। अन्वेषण अधिकारी द्वारा समस्त दस्तावेजों को सत्यापित किया गया था और इसे वास्तविक पाया गया था। वह आगे निवेदन करते हैं कि कोई विरोधी दावेदार नहीं है, अत: उसके पक्ष में कोयला निर्मुक्त किया जाना चाहिए। आगे यह निवेदन किया गया है कि जब्त कोयला खुले स्थान में पड़ा है।

4. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया है और वह निवेदन करते हैं कि पूर्व अवसर पर उसका आवेदन विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा खारिज किया गया था और उन्होंने अभिनिर्धारित किया कि यह निष्कर्ष निकालने में मुश्किल है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और जब्त कोयला के बीच संबंध है।

5. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए और अभिलेख का परिशीलन किया गया। याची ने सब-इंस्पेक्टर, गोविन्दपुर पुलिस थाना के दिनांक 4.11.2015 के रिपोर्ट पर विश्वास किया है जिसमें उसने दस्तावेज सत्यापित किया है और प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर आया है कि दस्तावेज वास्तविक हैं। आगे मैं पाता हूँ कि उक्त वस्तु कोयला है और इसका मूल्य गिर जाएगा क्योंकि यह खुले स्थान में पड़ा है। खुले स्थान में जब्त वस्तु रखने से कोई प्रयोजन पूरा नहीं होगा। अत: मैं विचारण न्यायालय को याची के पक्ष में 30,000/- रुपयों की प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर कोयला निर्मुक्त करने का निर्देश देता हूँ।

6. इस संप्रेक्षण के साथ, यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

---

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

मेसर्स दुर्गा डेवलपर्स प्रा॰ लि॰ एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr.M.P. No. 1807 of 2016. Decided on 28th February, 2017.

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881—धारा 138 सहपठित भा॰ दं॰ सं॰ की धाराएँ 420 एवं 406—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—चेक का अनादर–छल एवं न्यास का दांडिक भंग–अपराध का संज्ञान–फ्लैट की बुकिंग का रद्दकरण–समझौता करार प्रकट करता है कि राशि जिसका भुगतान विपक्षी पक्ष द्वारा याचीगण को किया गया था वापस लौटा दिया गया था और पक्षों के बीच मामला अंतिम रूप से सुलझाया गया है–दांडिक कार्यवाही जारी रखना निरर्थक होगा–परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 और भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420 एवं 406 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए संज्ञान लेने वाले आदेश सहित संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अभिखंडित की गयी। (पैरा 7)

अधिवक्तागण.–Mr. Vikas Pandey, For the Petitioners; Mr. Kaushik Sarkhel, For the State; Mr. Janak Kumar Mishra, For the O.P. No.2.

आदेश

याचीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विकास पांडे, राज्य के विद्वान ए॰ पी॰ श्री कौशिक सरखेल और विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री जनक कुमार मिश्रा सुने गए।

2. इस आवेदन में, याचीगण ने परिवाद मामला सं॰ सी॰–1474/2012 के संबंध में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 23.3.2013 के आदेश सहित संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है, जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 तथा भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420 एवं 406 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए संज्ञान लिया गया है।

3. विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा परिवाद मामला संस्थित किया गया था जिसमें यह अभिकथित किया गया था कि विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा फ्लैट बुक किया गया था जिसके लिए भारी राशि जमा की गयी थी किंतु बाद में याचीगण द्वारा उक्त फ्लैट की बुकिंग रद्द कर दी गयी थी। रद्दकरण पर, परिवादी ने अपना धन मांगा और उसके अनुसरण में चार पश्चात दिनांकित चेक परिवादी को दिए गए थे किंतु, 6,40,000/-रुपयों वाला चेक सं॰ 035345 का अपर्याप्त निधि के कारण अनादर किया गया था जो परिवाद मामले के संस्थापन की ओर ले गया।

4. एस॰ ए॰ पर परिवादी एवं उसके गवाह दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 202 के अधीन परीक्षण के बाद विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 एवं भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 420 एवं 406 के अधीन संज्ञान लिया गया था।

5. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि पक्षों के बीच मामला सुलझा लिया गया है और उनके बीच इस प्रभाव का दिनांक 13.6.2016 का सुलह करार हुआ है। विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि याचीगण ने चार पश्चात–दिनांकित चेकों द्वारा परिवादी को 28,40,000/-रुपया लौटा दिया है और जिसमें से 5,00,000/-रुपया वाला चेक सं॰ 035339 14.5.2012 को भुनाया गया था, 10,00,000/-रुपया वाले चेक सं॰ 035341 का अनादर किया गया है और 7,50,000/- रुपया वाला चेक सं॰ 035343 19.8.2012 को भुनाया गया था और 6,40,000/- रुपया वाला चेक सं॰ 035345 का अनादर किया गया है। यह निवेदन भी किया गया है कि 16,40,000/-रुपयों की शेष राशि में से 12,30,000/- रुपया का भुगतान विभिन्न अवसरों पर आर॰ टी॰ जी॰ एस॰ के माध्यम से किया गया है, जबकि बकाया के पूर्ण एवं अंतिम भुगतान के मद में परिवादी को 4,10,000/- रुपयों के डिमान्ड ड्राफ्ट का भुगतान किया गया है।

6. विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री जनक कुमार मिश्रा ने सुलह का तथ्य स्वीकार किया है और निवेदन किया है कि विवाद का समाधान अंतिम रूप से कर लिया गया है और इसलिए विरोधी पक्षकार सं॰ 2 दांडिक कार्यवाही में आगे अग्रसर होने का आशय नहीं रखता है।

7. दिनांक 13.6.2016 का समझौता करार प्रकट करता है कि राशि जिसका भुगतान विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा याचीगण को किया गया था, वापस लौटा दिया गया था और पक्षों के बीच मामला अंतिम रूप से सुलझा लिया गया है और इस प्रकार दांडिक कार्यवाही जारी रखना निरर्थक कार्य होगा। तद्नुसार, यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है और परिवाद मामला सं॰ सी॰–1474/2012 के संबंध में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 23.3.2013 के आदेश जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 420 एवं 406 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए संज्ञान लिया गया है सहित संपूर्ण दांडिक कार्यवाही एतद् द्वारा अभिखंडित एवं अपास्त की जाती है।

[पूर्ण पीठ]

ekuuh; ,pñ lhñ feJk] vij'k dekj flg ,o Mkñ ,lñ ,uñ ikBd] U;k;efrx.k

झारखंड राज्य एवं अन्य

cuke

अरुण कुमार धर

L.P.A. No. 262 of 2011. Decided on 8th May, 2017.

डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 1910 वर्ष 2010 में माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 8.3.2011 के निर्णय के विरुद्ध।

(क) झारखंड सेवा संहिता, 2001—नियम 73—अनिवार्य सेवानिवृत्ति–भले ही कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु के पहले सेवा में प्रवेश लेता है, वह अपने सेवा अभिलेखों में दर्ज अपनी जन्मतिथि के मुताबिक वस्तुतः 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सेवा में बने रहने का हकदार होगा जो सेवा में उसकी अवधि को ध्यान में लिए बिना सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति की विहित आयु है। (पैरा 21)

(ख) झारखंड सेवा संहिता, 2001—नियम 73—संविदा अधिनियम, 1872—धारा 11—वयस्कता (मेजोरिटी) अधिनियम, 1875—धारा 3—अनिवार्य सेवा निवृत्ति–अठारह वर्ष की आयु के पहले सरकारी सेवक की नियुक्ति प्रतिषिद्ध करने वाले झारखंड सेवा संहिता, 2001 में किसी प्रावधान की अनुपस्थिति में 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पहले व्यक्ति की नियुक्ति संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 11 सहपठित वयस्कता अधिनियम, 1875 की धारा 3 के विरुद्ध नहीं कही जा सकती है–झारखंड सेवा संहिता के स्वयं में संपूर्ण संहिता होने तथा उसके नियम 73 के विनिर्दिष्ट एवं अपने निबंधनों में सुस्पष्ट होने के कारण किसी निष्कर्ष को निकालने के लिए किसी अन्य विधि अथवा नियम की मदद लेने की गुंजाइश नहीं है कि विधान मंडल का आशय केवल सेवा के महत्तम अवधि के रूप में 40 वर्ष (अब 42 वर्ष), जब तक सरकारी सेवक को सरकारी सेवा में बने रहने की अनुमति दी जा सकती है, की सेवा की अनुमति देना था। (पैरा 21)

निर्णयज विधि.–2004 (2) JLJR 1 (Jhr)—Distinguished; 2006(1) PLJR 410—Dissented; 2006 (2) JCR 489 (Jhr); (1986) 1 SCC 675—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. Jai Prakash, For the Appellants; Mr. Krishna Shankar, For the Respondent

एच॰ सी॰ मिश्रा, न्यायमूर्ति.–दिनांक 9.1.2012 के आदेश द्वारा यह मामला इस वृहत्तर न्यायपीठ को निर्दिष्ट किया गया था और निर्देश का प्रश्न निम्नलिखित है:

> *(i) D;k vfèkof"krk dh vk; ¼vfuok; lok fuofÙk tls k bl fu;e 73 e mfYyf[kr fd;k x;k g tk i{kk d fo}ku vfèkoDrk d vulkj vfèkof"krk dk |krd g½ çkoèkkfur dju oky >kj[kM lok lfgrk] 2001 e fofufn"V fu;e 73 d ckotn depkjh dk 40 o"k dh lok nu ij bl vkèkkj ij vfèkof"kr fd;k tk ldrk g fd lok e ço'k 18 o"k dh vk; ij gk ldrk g vkj dkb o;Ldrk dh vk; tk 18 o"k g çkIr dju d ckn bl rF; d ckotn lfonk dj ldrk g fd fu;e doy 58 o"k dh vk; çkIr dju ij vfèkof"krk çkoèkkfur djrk gA*

> *(ii) D;k 18 o"k dh vk; ij lok e ço'k djuk Hkkjrh; lfonk vfèkfu;e dh èkkjk 11 d fo#) dgk tk ldrk g vkj o;Ldrk vfèkfu;e] 1875 dh èkkjk 3 }kjk*

çHkkfor gkrk g vkj lfonk dju okyk i{k tk 18 o"k dh vk; d uhp dk g ¼vo;Ld gku d ukr½ vkj D;k og lfonk ,l vo;Ld d fgr d fo#) voèk ,o 'kU; g rkfd ,l 0;fDr tk 18 o"k dh vk; dk ugh Fkk dh lok lfonk ml vk; tc og 18 o"k dh vk; dk ugh Fkk dh lok lfonk ml vk; tc og 18 o"k dh vk; çkIr djrk g l oèk lfonk fxuh tk,

(iii) D;k fu;e 73 dh Hkk"kk vfèkof"krk dh vk; d lcèk e lLi"V g vkj D;k ;g fu"d"k fd foèkkueMy dk vk'k; doy 40 o"k dh lok dh vuefr nuk Fkk] fudkyu d fy, vU; fu;ek ,o çkoèkkuk l enn fy;k tk ldrk g vkj ;fn ,l k g] rc ;fn dkb 18 o"k dh vk; d ckn lok e ço'k djrk g] rc D;k og 58 o"k dh vk; d ij lok e cu jg ldrk g

2. मामले के स्वीकृत तथ्य संक्षिप्त हैं। रिट याची–प्रत्यर्थी को 18 वर्ष की आयु पूरी करने के पहले 21.9.1968 को मोहर्रिर के रूप में नियुक्त किया गया था क्योंकि सेवा में उसके प्रवेश करने के समय पर वह केवल अपनी जन्मतिथि 12.7.1953 होने के कारण लगभग 15 वर्ष 2½ माह की आयु का था जो उसकी सेवा पुस्तिका में भी दर्ज है। इसपर कोई विवाद नहीं है कि सेवा में उसके प्रवेश के समय पर अपनी आयु के बारे में रिट याची की ओर से दुर्व्यपदेशन नहीं था, बल्कि अपनी नियुक्ति के समय पर रिट याची अपनी जन्मतिथि के अनुसार लगभग 15 वर्ष 2½ माह की आयु का था। इस तथ्य पर विवाद नहीं है कि याची ने सेवा की अपनी पूरी अवधि के दौरान समस्त संबंधितों की संतुष्टि के अनुसार काम किया और उसकी जन्मतिथि के संबंध में कोई विवाद नहीं था।

3. अपीलार्थी सं॰ 5, निदेशक भू–अभिलेख एवं माप, झारखंड राँची द्वारा 31.3.2010 को समस्त व्यवस्थापन अधिकारियों एवं सहायक व्यवस्थापन अधिकारियों को कर्मचारियों जिन्हें 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पहले नियुक्त किया गया था के मामलों का परीक्षण करने का निर्देश देते हुए पत्र जारी किया गया था जिसे अपील के वर्तमान मेमो के परिशिष्ट 2 के रूप में अभिलेख पर लाया गया है और यह निर्देश दिया गया था कि वित्त विभाग की सलाह के मुताबिक सेवा में प्रवेश की तिथि पर उनकी आयु 18 वर्ष मानते हुए वे 60 वर्ष की आयु पर अधिवर्षित होंगे। उसके अनुसरण में, अपील के मेमो के परिशिष्ट 4 में यथा अंतर्विष्ट दिनांक 20.8.2010 के मेमो सं॰ 231-I में अंतर्विष्ट कार्यालय आदेश प्रभारी व्यवस्थापन अधिकारी, धनबाद द्वारा रिट याची को सूचित करते हुए जारी किया गया था कि चूँकि उसकी सेवा पुस्तिका में दर्ज उसकी जन्मतिथि 12.7.1953 थी, उसको उसकी नियुक्ति की तिथि पर अर्थात् 21.09.1968 को 18 वर्ष की आयु पर नियुक्त किया गया मानते हुए, उसे उस तिथि पर 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाला मानते हुए वह 30.9.2010 के प्रभाव से अधिवर्षित होगा। रिट याची द्वारा डब्लू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 1910 वर्ष 2010 में उस आदेश को चुनौती दी गयी थी जिसे न्याय निर्णयन पर माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 8.3.2011 के आदेश द्वारा दिनांक 20.8.2010 के मेमो सं॰ 231-I में अंतर्विष्ट पूर्वोक्त कार्यालय आदेश को अभिखंडित करते हुए अनुज्ञात किया गया था और प्रत्यर्थी अपीलार्थियों को रिट याची को सेवा में बनाए रखने की अनुमति देने और उसकी वास्तविक एवं दर्ज जन्म तिथि के अनुसार उसके अधिवर्षिता की आयु वस्तुतः प्राप्त करने तक पारिश्रमिक का भुगतान किए जाने का निर्देश दिया गया था।

4. तद्द्वारा व्यथित होकर, माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा पारित पूर्वोक्त आदेश को चुनौती देते हुए प्रत्यर्थी अपीलार्थियों द्वारा वर्तमान लेटर्स पेटेन्ट अपील दाखिल किया गया है। खंड न्यायपीठ के समक्ष इस अपील की सुनवाई के दौरान **रगजावा नारायण मिश्रा बनाम सी॰ ई॰ ओ॰, बिहार राज्य खादी**

ग्रामोद्योग बोर्ड एवं अन्य, 2006 (1) PLJR 410, में पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ के निर्णय पर विश्वास किया गया था जिसमें पटना उच्च न्यायालय ने विधि अधिकथित किया था कि सरकारी सेवा में प्रवेश की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और सेवा से निकलने के लिए विहित महत्तम आयु 58 वर्ष (जैसा तब अधिवर्षिता की विहित आयु थी) होने के कारण सरकारी सेवा की कुल अवधि किसी भी स्थिति में 40 वर्ष के परे नहीं जाएगी और तद्नुसार, पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ ने अभिनिर्धारित किया है कि सरकारी सेवक जिसने सेवा का 40 वर्ष पूरा किया है अथवा 58 वर्ष की आयु प्राप्त किया है को विद्यमान नियमों के निबंधनानुसार अधिवर्षित होना होगा। **श्री राजा राम शर्मा बनाम राँची नगर निगम एवं अन्य,** 2004 (2) JLJR 1 (Jhr.) में इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ के निर्णय पर भी विश्वास किया गया था जिसने यह अभिनिर्धारित करते हुए समरुप दृष्टिकोण लिया था कि सेवा के 40 वर्ष पूरा करने पर उक्त मामले के याची को सेवानिवृत्त करने में प्रत्यर्थियों की कार्रवाई वैध एवं न्यायोचित थी। इस मामले को वृहत्तर न्यायपीठ को निर्दिष्ट करते हुए इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने **गणेश राम बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य,** 2006 (2) JCR 489 (Jhr.) में इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ के एक अन्य निर्णय को भी ध्यान में लिया जिसमें इस न्यायालय द्वारा विपरीत दृष्टिकोण लिया गया था और अन्य बातों के साथ अभिनिर्धारित किया गया था कि जब एक बार अधिवर्षिता की आयु विहित की जाती है, सेवा के कतिपय वर्ष पूरा करने जैसे विपरीत नियम की अनुपस्थिति में नियमित कर्मचारी को अवचार के मामले अथवा लोक हित/असंतोषजनक सेवा आदि जैसा नियम के अधीन अनुज्ञेय हो सकता है के आधार के सिवाए अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के पहले सेवा निवृत्त नहीं किया जा सकता है। एक ही विवाद्यक पर इन विरोधी निर्णयों की दृष्टि में इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने दिनांक 9.1.2012 के आदेश द्वारा इस वृहत्तर न्यायपीठ द्वारा विनिश्चयकरण के लिए प्रश्नों को निर्दिष्ट किया।

5. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के परस्पर विरोधी प्रतिवादों को विचार में लेने के पहले झारखंड सेवा संहिता, 2001 के नियम 73 को ध्यान में लिया जाए जिसका पठन निम्नलिखित है:–

> *"73. ljdkjh lod dh vfuok; lok fuofÙk dh frfFk og frfFk g ftl ij og 58 o"k dh vk; çklr djrk gA og ykd vkèkkjk ftl fyf[kr e nt djuk gkxk ij jkT; ljdkj dh etjh l vfuok; lokfuofÙk dh frfFk d ckn lok e cuk, j[kk tk ldrk gA**

6. यह स्वीकृत अवस्था है कि पूर्वोक्त नियम राज्य सरकार द्वारा अपने संकल्प दिनांक 26 अक्टूबर, 2004 के मेमो सं॰ 7/BPP-56/2002-Ka-5826 जो कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा जारी किया गया था के तहत संशोधित किया गया था और तब से सरकारी सेवक की अनिवार्य सेवा निवृत्ति की आयु 58 वर्ष से 60 वर्ष तक बढ़ा दी गयी है।

7. अपीलार्थी राज्य के लिए तर्क करते हुए विद्वान अपर महाधिवक्ता ने निवेदन किया है कि माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय पूर्णतः अवैध है और विधि की दृष्टि में संपोषणीय नहीं है और माननीय एकल न्यायाधीश का **रागजावा नारायण मिश्रा** मामले **(ऊपर)** में पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ के निर्णय का अनुसरण करना चाहिए था। विद्वान अपर महाधिवक्ता ने निवेदन किया है कि सेवा संविदा है और सेवा संविदा केवल उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जो वयस्क है। यह निवेदन किया गया है कि भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 11 के अनुसार केवल वह व्यक्ति जिसने विधि जिसके वह अध्यधीन है के अनुसार वयस्कता की आयु प्राप्त कर लिया है और जो स्वस्थ दिमाग का है और किसी विधि जिसके वह अध्यधीन है द्वारा संविदा करने से अनर्हित नहीं किया गया है, संविदा कर सकता है और वयस्कता अधिनियम, 1875 की धारा 3 के अनुसार कोई व्यक्ति जो भारत

का निवासी है 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर वयस्कता प्राप्त करता है और न कि इसके पहले। तद्नुसार, अपर महाधिवक्ता द्वारा, यह निवेदन किया गया है कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पहले सरकारी सेवक द्वारा सेवा संविदा भी नहीं किया जा सकता है। विद्वान अपर महाधिवक्ता ने बिहार पेंशन नियमावली 57 पर भी विश्वास किया है जिसका पठन निम्नलिखित है:

*"57. fuEurj lok e ljdkjh lod d fy, vgd lok lcfèkr ljdkjh lod }kjk 16 o"k dh vk; çkIr dju rd vkjHk ugh gkxhA***

(बाद में परिशिष्ट 5 में यथा अंतर्विष्ट उदारीकृत पेंशन नियमावली के नियम 5 द्वारा 18 वर्ष तक बढ़ाया गया)

8. विद्वान अपर महाधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि ये प्रावधान स्पष्टत: दर्शाते हैं कि किसी व्यक्ति को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पहले सरकारी सेवा में नहीं लिया जा सकता था, और तद्नुसार, भले ही कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पहले सरकारी सेवा में नियोजित किया जाता है, सेवा में उसके प्रवेश करने की तिथि पर उसकी आयु को 18 वर्ष के रूप में लिया जाना होगा और सेवा में प्रवेश की तिथि पर उसकी आयु 18 वर्ष के रूप में मानते हुए 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाना होगा। यह निवेदन किया गया है कि **रागजावा नारायण मिश्रा (उपर)** के मामले में पटना उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायपीठ द्वारा विस्तारपूर्वक इस बिंदु पर विचार किया गया था और निम्नलिखित विधि अधिकथित की गयी है:

"16. pkg tk Hkh gk] ,d pht fuf'pr g fd LohÑr :i l nkuk ;kphx.k tc mUgku çR;Fkh ckM d lkFk lfonk fd;k] mUgku o;Ldrk dh vk; çkIr ugh fd;k FkkA bl fofèkd çHkko] njxkeh ifj.kke ,o vfre ifj.kke d vfrfjDr lok lcèk d fucèkuku lkj lfonk d ntk ij 0;fDr dk oèk lok e ço'k dju okyk doy rc dgk tk ldrk Fkk tc mlu o;Ldrk dh vk; çkIr fd;kA ***vr% ljdkjh lok e ço'k fcn ij fofgr U;ure vk; 18 o"k jgh gA fudkl fcUn d fy, fofgr egÙke vk; 58 o"k gA nlj 'kCnk e] ljdkjh lok dh vofèk dh dy yckb fdlh Hkh fLFkfr e i'kuh; ykHkdk d fy, 40 o"k d ij ugh tk,xhA*** *bl lnHk e] ;gk mij mfYyf[kr ljdkjh ifji= ij fopkj fd, tku dh vko';drk gA tc Li"V fu;e g] bld foijhr vkn'k dk fu;e çkoèkku e çfr"Bkfir vfèkdkj lf{kIr dju d fy, dkb fofèkd] vkj oèk çHkko ugh gkxkA Hky gh mDr ifji= o"k 1998, tlk ;kphx.k }kjk fo'okl fd;k x;k g dk mud çfr ykHkdkjh ekuk tkrk g] rc Hkh bl ekM ij bldk iBu fcgkj i'ku fu;ekoyh vkj fcgkj lok lfgrk e lfEefyr fo|eku lkfofèkd çkoèkku d lkFk ugh fd;k tk ldrk gA vr%] ml nf"Vdk.k l Hkh ;kphx.k dk ;g çfrokn dju dh vuefr ugh nh tk ldrh g fd mUg 58 o"k dh vk; d ij Hkh lok e cu jgu dk vfèkdkj g ;|fi fcgkj lok lfgrk d fu;e 73 e ;g çkoèkkfur g tk 58 o"k dh vfèkof"krk vk; fofgr djrh gA*

xxx xxx xxx

18. vr% gekj er e] nkuk fjV ;kfpdkvk e pukrh fn, x, vk{kfir vkn'k e fdlh Hkh nf"Vdk.k l Li"Vr% gLr{ki ugh fd;k tk ldrk g tlh ppk ;gk mij dh x;h gA ***vr% fofèk dh çfriknuk Li"V ,o vlfnXèk cuk;h tkrh g fd fcgkj lok lfgrk d fu;e 73 e fofgr vfèkof"krk vk; lokfuofÙk***

> ***ç;ktu ls ykx gksxh vkj 0;fDr lsok esa 40 o"kZ iwjk djus dh vk;q ds ij lsok esa cuk ugha jg ldrk gSA vr%] ;g fcYdqy Li"V gS fd ljdkjh lsod ftlus 40 o"kZ dh vk;q çkIr fd;k gS vFkok 58 o"kZ dh vk;q çkIr fd;k gS dks fo|eku fu;e çko/kku ds fucZ/kukuqlkj vfuok;Z#i ls lsokfuo`Rr djuk gksxkA*** *vr%] gekjk mÙkj fcYdqy Li"V gS vkSj ge rnuqlkj bl fun'k dk mÙkj nsrs gSaA ;gka Åij fufn"V fd, x, iokDr fu.kZ;ksa esa fojksèkkHkkl h nf"Vdks.k vPNh fofèk ugha gksxhA** ¼tksj fn;k x;k½*

9. विद्वान अपर महाधिवक्ता ने **श्री राजा राम शर्मा (ऊपर)** के मामले में इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ के निर्णय पर विश्वास किया है जिसमें कर्मचारी जो राँची नगरपालिका में कर संग्रहक था। उसे 7.10.1960 को नियुक्त किया गया था और उसकी जन्मतिथि 3.6.1943 थी। उक्त कर्मचारी को सेवा का 40 वर्ष पूरा करने पर 6.10.2000 को सेवानिवृत्त किया गया था। उसने यह दावा करते हुए कि वह 2.6.2001 को 58 वर्ष की आयु प्राप्त करेगा, इस न्यायालय में रिट याचिका दाखिल किया। इस न्यायालय ने नगरपालिका अधिकारी एवं सेवक (नियुक्ति, कर्तव्य, अनुशासन एवं अपील) नियमावली के नियम 4 (b), जिसने प्रावधानित किया कि निगम का कोई अधिकारी अथवा सेवक तबतक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह 18 वर्ष की आयु के उपर का नहीं हो जाता है को ध्यान में लेते हुए अभिनिर्धारित किया कि 40 वर्ष की आयु पूरा करने पर उक्त कर्मचारी को सेवा निवृत्त करने में प्रत्यर्थी निगम की कार्रवाई विधिक एवं न्यायोचित थी।

10. विद्वान अपर महाधिवक्ता ने इन निर्णयों पर विश्वास करते हुए दोहराया कि चूँकि सरकारी सेवक 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पहले नियोजित नहीं किया जा सकता है, उसकी नियुक्ति की तिथि पर 18 वर्ष के रूप में रिट याची की आयु मानते हुए उसकी आयु को उस तिथि पर 60 वर्ष मानते हुए 30.9.2010 के प्रभाव से रिट याची को अधिवर्षित करने में प्रत्यर्थी अपीलार्थी की कार्रवाई में अवैधता अथवा अनियमितता नहीं है।

11. समानांतर स्तंभ में, रिट याची-प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि झारखंड सेवा संहिता में सरकारी सेवा में प्रवेश करने के लिए विहित न्यूनतम आयु नहीं है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि झारखंड सेवा संहिता का नियम 73 केवल यह कथन करता है कि सरकारी सेवक की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि वह तिथि है जिस पर वह 58 वर्ष (अब 60 वर्ष) की आयु प्राप्त करता है। इस नियम में 40 वर्ष के रूप में सेवा की किसी महत्तम अवधि को विहित करने वाला प्रावधान नहीं है जिसे पूरा करने पर सरकारी सेवक को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होना होगा। विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन भी किया है कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पहले सरकारी सेवा में प्रवेश करने के लिए प्रतिषेध नहीं है जैसा भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 से भी स्पष्ट है जो विहित करता है कि 14 वर्ष की आयु के नीचे का बालक किसी कारखाना अथवा खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा अथवा किसी खतरनाक नियोजन में काम पर नहीं लगाया जाएगा। यह निवेदन किया गया है कि मामले के उस दृष्टिकोण में 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पहले याची की नियुक्ति पर प्रतिषेध नहीं था।

12. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **गणेश राम (ऊपर)** के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर मजबूत विश्वास किया है जिसमें इस न्यायालय ने उदाहरणों को उद्धृत किया है कि किसी व्यक्ति को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पहले भी सरकारी सेवा में नियोजित किया जा सकता था जिनमें से एक पुलिस विभाग में सेवा है जहाँ 18 वर्ष से नीचे की आयु का व्यक्ति अनुकंपा आधार पर बाल आरक्षी के रूप में नियुक्त किया जा सकता था जिसे वयस्कता प्राप्त करने पर ऐसे पद के विरुद्ध काँस्टेबल के रूप में नियुक्त किया जाता है। इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने इस बिंदु पर अनेक पूर्व निर्णयों को ध्यान में लेते हुए निम्नलिखित विधि अधिकथित किया है:

"18. iokDr ppk dh nf"V e gekjk lfopkfjr nf"Vdk.k fuEufyf[kr gS%

(i) ***fdlh 0;fDr ftlu viuh vk;| dk 14 o"k ijk fd;k g fdr viuk 18 o"k ijk ugh fd;k Fkk fd [fd'kkj tlk 0;ure etnjh vfèkfu;e] 1948 dh èkkjk 2 d [kM (a) d vèkhu ikfjHkkf"kr fd;k x;k gS] fu;fDr dk ik= g ;fn fu;kDrk }kjk tkjh fu;e@fn'kk fun'k ,lh vuefr nrk gS***

(ii) ;fn fdlh 0;fDr ftlu vk;| dk 18 o"k çkIr ugh fd;k g dh fu;e l vlc) fu;fDr dh tkrh g] mldh fu;fDr vfu;fer vfHkfuèkkfjr dh tk ldrh g fdr vfèkof"krk ¼vfuok;| lokfuofÙk½ d ç;ktu l mldh vk; 18 o"k d :i e mièkkfjr ugh dh tk ldrh g(

(iii) ;fn 14 o"k dh vk; l uhp d 0;fDr dk fu;Dr fd;k tkrk g] cky Je ¼çfr"kèk ,o fofu;eu½ vfèkfu;e] 1986 d vèkhu fu;kDrk d fo#) nM vkn'k ikfjr fd;k tk ldrk g fdr nkfMd çÑfr dk vkn'k depkjh d fo#) ikfjr ugh fd;k tk ldrk gA

(iv) ***vfèkof"krk dh vk;| fu;kDrk d lud ij NkMh ugh tk ldrh gA fu;e@fn'kkfun'k@vfèkof"krk fofèk gkuh pkfg,A ;fn vfèkof"krk vk;| ij vkèkkfjr g] ,lh vk;| çkIr dju d igy fdlh 0;fDr dk vn{krk d fy, vopkj d ekey d flok, vfèkof"kr ugh fd;k tk ldrk g(***

(v) lkfofèkd fofèk] fu;ekoyh] fofu;eu vFkok fn'kk fun'k d çkoèkkuk d erkfcd fu;kDrk dk vfèkof"krk ¼vfuok;| lokfuofÙk½ dh vk; fu;r djrk g tk vk;| ij vFkok lok d o"kk dh fuf'pr l[;k ijk dju ij vFkok fofgr vk;| vFkok lok d o"kk dh l[;k çkIr dju ij] tk Hkh igy gk] fuHkj dj ldrk gA ***fdr tc ,d ckj vfèkof"krk dh vk;| fofgr dh tkrh g] lok d fuf'pr o"k ijk dju tlk foijhr fu;e dh vuifLFkfr e] flok, vopkj d ekey vFkok ykd fgr@vlrk"ktud lok vkfn d vkèkkj ij] tlk fu;e d vèkhu vuK; gk ldrk g] vfèkof"krk dh vk;| çkIr dju d igy lok fuor ugh fd;k tk ldrk gA**** *¼tkj fn;k x;k½*

13. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **भारत संघ एवं अन्य बनाम अरुण कुमार रॉय, (1986)1 SCC 675,** में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भी विश्वास किया है, जिसमें निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:

*"18. ..... vc ;g lfuf'pr g fd ljdkjh lod ftldh fu;fDr ;|fi lfonk l mnHkr gkrh g] ntk vftr djrk g vkj rRi'pkr viuh lok fu;ek }kjk 'kkflr gkrk g vkj u fd lfonk d fucèkuk }kjkA viu depkfj;k dh lok 'krk dk fofu;fer dju d fy, fu;e cuku d fy, vuPNn 309 d vèkhu ljdkj dh 'kfDr vR;Ur 0;kid ,o vfu;f=r gA---------***

14. इन प्रावधानों एवं निर्णयों पर विश्वास करते हुए रिट याची–प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि चूँकि राज्य सरकार द्वारा नियमों जो झारखंड सेवा संहिता है को विरचित किया गया है जो केवल यह कथन करते हैं कि सरकारी सेवक अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाएगा जब वह 60 वर्ष (अब) की आयु प्राप्त करता है, और अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए सेवा की महत्तम अवधि विहित करने के लिए झारखंड सेवा संहिता में कुछ नहीं होने के कारण याची प्रत्यर्थी को सेवा अभिलेख में दर्ज उसकी जन्मतिथि के अनुसार 60 वर्ष की आयु वास्तविक रूप से प्राप्त करने के पहले अधिवर्षित नहीं

किया जा सकता था। यह निवेदन किया गया है कि सेवा अभिलेख में 12.7.1953 के रूप में दर्ज उसकी जन्मतिथि के अनुसार याची को 31.7.1953 के रूप में दर्ज उसकी जन्मतिथि के अनुसार याची को 31.7.2013 तक सेवा में बने रहना था। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील के इस मेमो के परिशिष्ट 4 में अंतर्विष्ट दिनांक 20.8.2010 के कार्यालय आदेश को अभिखंडित करते हुए माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय में अवैधता नहीं है।

15. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं मामले के अभिलेख का परिशीलन करने पर हम पाते हैं कि **राजा राम शर्मा (ऊपर)** के मामले पर विद्वान अपर महाधिवक्ता द्वारा किया गया विश्वास बिल्कुल भ्रामक है। श्री राजा राम शर्मा राँची नगर निगम के कर्मचारी थे और 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पहले निगम में किसी व्यक्ति की नियुक्ति प्रतिषिद्ध करने वाले नगरपालिका अधिकारी एवं सेवक (नियुक्ति, कर्तव्य, अनुशासन एवं अपील) नियमावली के नियम 4 (b) में स्पष्ट प्रतिषेध है। मामले के उस दृष्टिकोण में, 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पहले श्री राजा राम शर्मा की नियुक्ति पूर्णत: अनियमित थी और इस दशा में, उसकी आयु सेवा में प्रवेश करने की तिथि पर 18 वर्ष के रूप में सही प्रकार से मानी गयी थी और उसे सेवा का 40 वर्ष पूरा करने पर अधिवर्षित किया गया था। झारखंड सेवा संहिता में ऐसा तत्सम नियम नहीं होने के कारण **श्री राजा राम शर्मा (ऊपर)** के मामले में इस न्यायालय का निर्णय वर्तमान मामले में प्रयोज्य नहीं है। वस्तुत:, यह नहीं कहा जा सकता है कि श्री राजा राम शर्मा के मामले (ऊपर) में इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा विपरीत दृष्टिकोण लिया गया है।

16. हम पाते हैं कि **रगजावा नारायण मिश्रा (ऊपर)** के मामले में पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ ने इस तथ्य को विचार में लेते हुए विवाद्यक विनिश्चित किया है कि कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरा करने के पहले सेवा संविदा में प्रवेश नहीं कर सकता है और उसके लिए पूर्ण न्यायपीठ ने भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 11 और वयस्कता अधिनियम, 1875 की धारा 3 को ध्यान में लिया है। दूसरी ओर, हम पाते हैं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 केवल किसी कारखाना अथवा खान में काम करने के नियुक्त किए जाने अथवा किसी अन्य खतरनाक नियोजन में काम पर लगाए जाने से 14 वर्ष की आयु के नीचे के बालक को प्रतिषिद्ध करता है। इस प्रकार, 14 वर्ष की आयु के उपर से 18 वर्ष की आयु तक के व्यक्ति के नियोजन को प्रतिषिद्ध करने वाला भारत के संविधान में भी प्रावधान नहीं है। **गणेश राम (ऊपर)** के मामले में इस न्यायालय के निर्णय से हम पाते हैं कि ऐसे उदाहरण हैं, जिनमें किसी प्रतिषेध की अनुपस्थिति में 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पहले सरकारी सेवा में व्यक्ति के नियोजन की गुंजाइश है और अपीलार्थियों द्वारा भी इस तथ्य को विवादित नहीं किया गया है। मामले के उस दृष्टिकोण में, हम यह अभिनिर्धारित करते कि भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 11, वयस्कता अधिनियम, 1875 की धारा 3 और बिहार पेंशन नियमावली के नियम 57 के आधार पर 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पहले सरकारी सेवा में व्यक्ति की नियुक्ति पर प्रतिषेध है, **रगजावा नारायण मिश्रा (ऊपर)** के मामले में पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ द्वारा अधिकथित विधि के साथ सम्मानपूर्वक असहमत हैं। पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ के निर्णय के साथ समस्त सम्यक सम्मान के साथ हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि उसमें अधिकथित विधि सही विधि नहीं है।

17. हम यह भी पाते हैं कि झारखंड सेवा संहिता सरकारी सेवकों की सेवा शर्तें विहित करने वाली स्वयं में संपूर्ण संहिता है। इसके संपूर्ण संहिता होने के नाते, किसी निष्कर्ष को निकालने के लिए अन्य नियमों अथवा विधि से कोई मदद लेने का कारण नहीं है कि विधानमंडल का आशय सेवा की महत्तम अवधि के रूप में सेवा केवल 40 वर्ष (अब 42 वर्ष) की अनुमति देना था जिसके लिए सरकारी सेवक

को सरकारी सेवा में नियोजित किया जा सकता था। बिहार पेंशन नियमावली के नियम 57 से भी मदद नहीं लिया जा सकता है क्योंकि पेंशन नियमावली केवल पेंशन एवं सेवानिवृत्ति देयों के भुगतान के प्रयोजन से प्रयोज्य है। अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने के पहले सरकारी सेवक की नियुक्ति प्रतिषिद्ध करने वाले झारखंड सेवा संहिता में किसी प्रावधान की अनुपस्थिति में यह नहीं कहा जा सकता है कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पहले रिट याची की नियुक्ति किसी रूप में अनियमित अथवा अवैध थी। वस्तुत: स्वीकृत रूप से, याची प्रत्यर्थी को लगभग 15 वर्ष 2½ माह की आयु प्राप्त करने पर और न कि 14 वर्ष की आयु के पहले नियुक्त किया गया था जब भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के अधीन बालकों की नियुक्ति पर संवैधानिक वर्जना है।

18. इसके अतिरिक्त, भारत के संविधान का भाग XIV संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं पर विचार करता है। उसका अनुच्छेद 309 अनुबंधित करता है कि समुचित विधानमंडल संघ के अथवा किसी राज्य के कार्यकलापों के संबंध में लोक सेवाओं एवं पदों पर नियुक्त व्यक्ति की भरती एवं सेवा शर्तों को विनियमित कर सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 का परन्तुक संघ के कार्यकलापों के संबंध में राष्ट्रपति को और राज्य के कार्यकलापों के संबंध में राज्य के राज्यपाल को इस प्रकार नियुक्त किए गए व्यक्ति की भरती एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले नियमों को बनाने के लिए सशक्त बनाता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 311 विधि की सम्यक प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना बर्खास्त किए जाने, हटाए जाने अथवा श्रेणी में घटाए जाने से सिविल सेवा के सदस्य का संरक्षण सुनिश्चित करता है।

19. इस प्रकार, इन प्रावधानों के संयुक्त पठन से यह प्रकट है कि जब एक बार व्यक्ति सरकारी सेवा में प्रवेश करता है, उसे विधि की सम्यक प्रक्रिया के अनुपालन पर अवचार के मामले के सिवाए अथवा लोकहित अथवा असंतोष जनक सेवा के आधार पर अपनी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के पहले हटाया अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत नहीं किया जा सकता है।

20. विधि में अवस्था ऐसी होने के कारण हम **गणेश राम (ऊपर)** के मामले में इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा अधिकथित विधि के साथ पूर्णत: सहमत हैं और हम एतद् द्वारा विधि दोहराते हैं कि सरकारी सेवक की अधिवर्षिता का मामला नियोक्ता की सनक पर छोड़ा नहीं जा सकता है और किसी विपरीत प्रावधान की अनुपस्थिति में नियमित कर्मचारी को विधि की सम्यक प्रक्रिया के अनुपालन पर अवचार के मामले के सिवाए अथवा लोकहित, असंतोषजनक सेवा, आदि के आधार पर अपनी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के पहले अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त नहीं किया जा सकता है।

21. पूर्वोक्त चर्चा के चलते हम निर्देश के प्रश्नों का निम्नलिखित उत्तर देते हैं:

(i) vfuok; lokfuofÙk dh vk; ¼vc½ 60 o"k d :i e çkoèkkfur djr g, >kj[kM lok lfgrk] 2001 d fu;e 73 e fofufn"V çkoèkku dh nf"V e] vfèk"Bk;h gfl;r e in èkkj.k dju oky ljdkjh lod] Hky gh mI 18 o"k dh vk; d igy fu;Dr fd;k x;k g] dk mIdh lokofèk dk è;ku e fy, fcuk] mIdh fu;fDr dh frfFk ij mIdh vk; 18 o"k d :i e ekur g,] mId lok vfHky[k e nt mIdh tUefrfFk d vuIkj 60 o"k dh vk; okLrfod :i I çkIr dju d igy vfèkof"kr ugh fd;k tk Idrk gA

(ii) vBkjg o"k dh vk; çkIr dju d igy ljdkjh lod dh fu;fDr çfrf"k) dju oky >kj[kM lok lfgrk] 2001 e fdIh çkoèkku dh vuifLFkfr e 18 o"k dh vk; çkIr dju d igy 0;fDr dh fu;fDr Hkkjrh; lfonk vfèkfu;e] 1872 dh èkkjk 11 lgifBr o;Ldrk vfèkfu;e] 1875 dh èkkjk 3 d fo#) ugh dgh tk Idrh gA

(iii) >kj[kM lok lfgrk d Lo; e li.k lfgrk gku d ukr vkj mld fu;e 73 d viu fucèkuk e fofufn"V ,o lLi"V gku d ukr fdlh fu"d"k dk fudkyu d fy, fdlh vU; fofèk vFkok fu;e dh enn yu dh xtkb'k ugh g fd foèkkueMy dk vk'k; doy lok d 40 o"k ¼vc 42 o"k½ dk lok dh egÙke vofèk d :i e vuefr nuk Fkk ftld fy, ljdkjh lod dk ljdkjh lok e cu jgu dh vuefr nh tk ldrh gA rnulkj] Hky gh dkb 0;fDr 18 o"k dh vk; çkIr dju d igy lok e ço'k djrk g] og viu lok vfHky[k e nt viuh tUefrfFk d vulkj okLrfod :i l 60 o"k dh vk; çkIr dju rd lok e cu jgu dk gdnkj gkxk tk mldh lok vofèk dk è;ku e fy, fcuk lok l vfuok; lokfuofÙk dh fofgr vk; gA

22. परिणामस्वरुप, हम अभिनिर्धारित करते हैं कि माननीय एकल न्यायाधीश ने दिनांक 20.8.2010 का आक्षेपित कार्यालय आदेश, जो रिट आवेदन का परिशिष्ट 10 था और अपील के वर्तमान मेमो का परिशिष्ट 4 है, अभिखंडित करते हुए संबंधित रिट आवेदन डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 1910 वर्ष 2010 को सही प्रकार से विनिश्चित किया है। हम डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 1910 वर्ष 2010 में माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 8.3.2011 के आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता और/अथवा अनियमितता नहीं पाते हैं जिसे हम एतद् द्वारा अभिपुष्ट करते हैं।

23. इस लेटर्स पेटेन्ट अपील में गुणागुण नहीं है और तद्नुसार, इसे खारिज किया जाता है। व्यय को लेकर आदेश नहीं है।

अपरेश कुमार सिंह, न्यायमूर्ति.–मैं सहमत हूँ।

डॉ॰ एस॰ एन॰ पाठक, न्यायमूर्ति.–मैं सहमत हूँ।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

डॉ॰ उमेन्द्र कुमार एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 2125 of 2017. Decided on 9th May, 2017.

शिक्षा विधि–पी॰ जी॰ डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश–याचीगण को झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड द्वारा तैयार की गयी प्रथम मेधा सूची में प्रथम एवं द्वितीय रैंक पाने के बावजूद काउंसिलिंग से वंचित किया गया है–याचीगण तत्कालीन बिहार राज्य से प्रत्यर्थी बोर्ड द्वारा जारी दिनांक 17.3.2017 के नोटिस के अधीन खंड A में संगणित मापदंडों के मुताबिक एम॰ बी॰ बी॰ एस॰ परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और मूल बिहार राज्य के द्वि-भाजन के पहले नामांकन करवाया और अपना पाठ्यक्रम पूरा किया–वे झारखंड राज्य में दूरस्थ एवं मुश्किल क्षेत्रों में सेवा भी दे रहे हैं–झारखंड सरकार के अधीन सक्षम प्राधिकारी ने उनको झारखंड राज्य के निवासियों के रूप में मान्यता देते हुए समस्त प्रयोजनों से वैध स्थानीय निवासियों का प्रमाण पत्र जारी किया है–प्रत्यर्थियों का विपरीत प्रतिवाद विधि में मान्य नहीं है–याचीगण द्वारा एन॰ ई॰ ई॰ टी॰ फॉर्म में की गयी घोषणा भी उनको पी॰ जी॰ डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राज्यकोटा के अधीन परामर्श प्रक्रिया में भाग लेने से अपात्र नहीं बनाएगी–एन॰ ई॰ ई॰ टी॰ पी॰ जी॰ प्रवेश फॉर्म में

याचीगण द्वारा की गयी घोषणा स्वयं में याचीगण को गैरहकदार नहीं बनाएगी यदि वे दिनांक 18 अप्रिल, 2016 के संकल्प के अधीन झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी/डोमिसाइल होने का मापदंड पूरा करते हैं–जब एक बार सक्षम प्राधिकारी ने स्थानीय निवासियों का प्रमाण पत्र जारी किया है, प्रत्यर्थी बोर्ड को उनकी उम्मीदवारी अस्वीकार करने और राज्य कोटा के अधीन पी॰ जी॰ डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए काउंसिलिंग का सामना करने की अनुमति देने से इनकार करने की छूट नहीं है–याचीगण को काउंसिलिंग में भाग लेने की अनुमति दी गयी।

(पैराएँ 8, 9 एवं 10)

निर्णयज विधि.–(2013) 10 SCC 237; (2014) 11 SCC 456; (1984) 3 SCC 654—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s Rajiv Ranjan, Piyush Chitresh, Gaurav Abhishek, For the Petitioners; Mr. Rajesh Kumar, For the State; Mr. Anoop Kr. Mehta, For the JCECEB.

आदेश

याचीगण एवं प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता सुने गए।

2. इन दो याचीगण को 8 अप्रिल, 2017 को प्रत्यर्थी सं॰ 4 झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड द्वारा तैयार की गयी मेधा सूची में प्रथम एवं द्वितीय रैंक पाने के बावजूद काउंसिलिंग से वंचित किया गया है। प्रत्यर्थी सं॰ 4 ने दिनांक 17 मार्च, 2017 के नोटिस (परिशिष्ट 4) के मुताबिक राज्य मेधा सूची तैयार करने के लिए और परामर्श संचालित करने के लिए और पात्र उम्मीदवारों जो नीट पी॰ जी॰ 2017/ नीट एम॰ डी॰ एस॰ 2017 में उपस्थित हुए थे और निम्नलिखित पात्रता मापदंड पूरा था, किया था, से आवेदन आमंत्रित किया:

(a) mEehnokjk dk >kj[kM jkT; d fdlh fo'ofo|ky;@efMdy dkyt l ,e0 ch0 ch0 ,l0@ch0 Mh0 ,l0 ijh{kk e mÙkh.k gkuk gkxk

vFkok

o mEehnokj tk >kj[kM d fuoklh g fdr rRdkyhu vfoHkkftr fcgkj jkT; d fdlh efMdy dkyt l ,e0 ch0 ch0 ,l0@ch0 Mh0 ,l0@ikB;Øe e ço'k fy;k g vFkok 2000/ >kj[kM jkT; d ltu l 'k: l= e ço'k fy;k g vFkok >kj[kM jkT; d ltu d igy fcgkj d efMdy dkytk e ço'k fy;k g vkj jkT; d foHkktu d ckn ,e0 ch0 ch0 ,l0 e mÙkh.k g, g Hkh fnukd 7.5.2013 d >kj[kM ljdkj vfèklpuk l0 9/fofoèk 13-5/2012 65 (9) LokLF;@jkph d erkfcd vkonu n ldr gA mu mEehnokjk tk bl çkoèkku d vèkhu g dk >kj[kM jkT; d lcfèkr Mh0 lh0@,l0 Mh0 vk0 ¼flfoy½ }kjk tkjh LFkkuh;@LFkk;h fuokl çek.k i= çLrr djuk gkxkA

(b) mEehnokjk u jkVfVUx bVuf'ki ijk fd;k gk vFkok ftud 31 ekp] 2017 rd ijk dju dh lHkkouk gA

***vkj{k.kk**–>kj[kM jkT; dh vkj{k.k uhfr dBkjrkiod dkmflfyx d le; vulj.k fd;k tk,xkA ch0 lh0 I, ,o ch0 lh0 II d vkj{k.k dk ykHk doy mu ch0 lh0 I ,o ch0 lh0 II mEehnokjk dk fn;k tk,xk ftud ikl lefpr tkfr çek.k i= g vkj tk Øheh y;j d vèkhu ugh gA **>kj[kM jkT; d lcfèkr ftyk d lc&fMfotuy vfèkdkjh ¼flfoy½ vFkok mik;Dr d uhp d jd }kjk tkjh çek.k i= Lohdkj ugh fd;k tk,xk vkj mld nkok d vLohdj.k dh vkj y tk,xkA** tkfr çek.k i= QkeV ckM d vkfèkdkfjd oclkbV d MkmuykM dkye d vèkhu miyCèk gA*

dkmflfyx LokLF;] vk;foKku f'k{kk ,o ifjokj dY;k.k foHkkx] >kj[kM ljdkj }kjk ldYi l0 154/jkph fnukfdr 11.4.2016 ;Fkk l'kkfèkr fnukd 22.12.15 d ldYi l0 230 (9) fnukd 10.6.2011 d i= l0 7A ukekdu

*14.1.09/226 (7A) vkj flfoy vihy l0 8047/16 fnukfdr 16.8.2016 e ekuuh; lokPp U;k;ky; }kjk ikfjr fu.k; d erkfcd fd;k tk,xkA***

3. याची सं॰ 1 मूल बिहार राज्य से राज्य के द्विभाजन के पहले बैच 2000 में नामांकित किए जाने पर 2006 में मगध विश्वविद्यालय के अधीन नालन्दा मेडिकल कॉलेज, पटना से एम॰ बी॰ बी॰ एस॰ में उत्तीर्ण हुआ। याची सं॰ 2 इसी प्रकार से वर्ष 1996 में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अधीन दरभंगा मेडिकल कॉलेज, लखीसराय, दरभंगा से एम॰ बी॰ बी॰ एस॰ में उत्तीर्ण हुआ। (एम॰ बी॰ बी॰ एस॰ के प्रमाण पत्र परिशिष्ट–1 के रूप में संलग्न) यह भी विवाद में नहीं है कि ये याचीगण झारखंड सरकार के अधीन सेवारत थे और दिनांक 11 अप्रिल, 2016 के संकल्प के अधीन झारखंड राज्य द्वारा यथा अधिसूचित दूरस्थ एवं मुश्किल क्षेत्रों में सेवा देने का सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र (परिशिष्ट S/3 श्रृंखला) प्रस्तुत किया है। यह भी विवादित नहीं है कि इन दोनों याचीगण ने नीट पी॰ जी॰ 2017 परीक्षा देते हुए नीट पी॰ जी॰ आवेदन फॉर्म में स्वयं को बिहार राज्य का निवासी घोषित किया था। आगे यह विवादित नहीं है कि झारखंड राज्य की डोमीसाइल नीति अंतर्विष्ट करने वाले दिनांक 18 अप्रिल, 2016 के संकल्प सं॰ 3198 (पैरा 2 (iii) परिशिष्ट 10, के संकल्प सं॰ 3198 के अधीन सक्षम प्राधिकारी/सब–डिविजनल अधिकारी, डुमरी, जिला गिरीडीह, ने इन दोनों याचीगण को परिशिष्ट 11 श्रृंखला के तहत क्रमश: 5 फरवरी, 2017 एवं 9 अप्रिल, 2017 को समस्त प्रयोजन से स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र जारी किया है।

4. किंतु, कतिपय उम्मीदवारों द्वारा की गयी आपत्तियों पर उनका दावा सत्यापित किया गया था और उन्हें परिशिष्ट 7 श्रृंखला सं॰ क्रमश: 20 एवं 81 पर पी॰ जी॰ मेडिकल 2017 के अस्वीकृत उम्मीदवारों की सूची में दर्शाया गया था क्योंकि उन्होंने अपना आवासीय/डोमीसाइल बिहार राज्य घोषित किया था।

5. याचीगण एवं प्रत्यर्थी राज्य तथा बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2017 के नोटिस सह–पठित अधिसूचना सं॰ 38 (9) दिनांकित 22 मार्च, 2013 एवं दिनांक 7 मई, 2013 के इसके भूल सुधार (प्रत्यर्थी सं॰ 4 के प्रतिशपथ पत्र का परिशिष्ट A) के अधीन इन दो याचीगण की पात्रता के प्रश्न पर काफी तर्क किया गया है। सारत: उनकी उम्मीदवारी के अस्वीकरण का आधार उनकी नीट आवेदन फॉर्म में बिहार राज्य के निवासी के रूप में घोषणा है। प्रत्यर्थियों ने अभिवचन किया है कि स्वयं को बिहार राज्य के निवासी के रूप में घोषित करने पर वे राज्य कोटा में पी॰ जी॰ डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश के मामलों में झारखंड सरकार की नीति के अधीन उपलब्ध लाभों का दावा नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको स्थानीय निवासी अथवा झारखंड राज्य के निवासी के रूप में अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है। याचीगण के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने नीट पी॰ जी॰ 2017 के ब्रोसर को स्पष्टत: निर्दिष्ट किया है और निवेदन किया है कि खंड 16.3 (B) के मुताबिक नीट परिणाम की घोषणा के बाद राज्य कोटा सीटों पर प्रवेश, अंतिम पात्रता, राज्य कोटि, इन–सर्विस उम्मीदवारों लिए लाभ, ग्रामीण पदस्थापन (यदि प्रयोज्य हो) आदि प्रयोज्य विनियम और/अथवा पात्रता मापदंड, दिशा निर्देश एवं प्रयोज्य आरक्षण नीति के मुताबिक संबंधित राज्य के पदनामित एजेन्सी/प्राधिकारी/विश्वविद्यालय द्वारा विनिश्चित/उत्पन्न किया जाएँगे, यह निवेदन किया गया है कि याचीगण राज्य की अधिवास नीति अंतर्ग्रस्त करने वाले दिनांक 18 अप्रिल, 2016 के संकल्प (परिशिष्ट 10) के खंड 2 (iii) के अधीन मापदंड पूरा करते हैं क्योंकि वे झारखंड सरकार के अधीन सेवारत चिकित्सा अधिकारी हैं। वे संकल्प में संगणित और परिशिष्ट 11 पर प्रमाणपत्रों में सम्मिलित शर्त के मुताबिक झारखंड से भिन्न किसी राज्य अथवा संघीय क्षेत्र के निवासी/स्थानीय निवासी के लाभ का दावा भी नहीं करने का वचन दिया है। दोनों मापदंडों को संतुष्ट करने

पर याचीगण को तीन वर्षों से अधिक तक राज्य के दूरस्थ एवं मुश्किल क्षेत्रों में सेवा देने पर इन सर्विस उम्मीदवारों के रूप में पी॰ जी॰ डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए परामर्श प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अपात्र घोषित नहीं किया जाना चाहिए था।

6. पूर्वोक्त आधारों के अतिरिक्त, याचीगण के अधिवक्ता ने **निखिल हिमथनी बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य, (2013)10 SCC 237 और विशाल गोयल एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य, (2014)11 SCC 456,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को अपने वैकल्पिक तर्क के समर्थन में निर्दिष्ट किया है कि निवास स्थान/डोमीसाइल का पात्रता मापदंड **प्रदीप जैन बनाम भारत संघ, (1984)3 SCC 654,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयाधार के आलोक में संवैधानिक वैधता की परीक्षा पर नहीं टिकता है।

7. पक्षों के अधिवक्ता के निवेदनों पर अभिवचनित एवं यहाँ उपर किए गए प्रासंगिक तात्विक तथ्यों पर विचार किया।

8. पूर्वोक्त पैराग्राफों में ध्यान में लिए गए अविवादित तथ्य तीन चीजों को स्पष्ट करते हैं:- (i) दोनों याचीगण ने प्रत्यर्थी सं॰ 4 बोर्ड द्वारा जारी दिनांक 17.3.2017 के नोटिस के अधीन खंड A पर संगणित माप दंडों के मुताबिक तत्कालीन बिहार राज्य से एम॰ बी॰ बी॰ एस॰ परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं अथवा मूल बिहार राज्य के द्विभाजन के पहले नामांकन करवाया और अपना पाठ्यक्रम पूरा किया अर्थात् याची सं॰ 2/(ii) वे झारखंड राज्य में दूरस्थ एवं मुश्किल क्षेत्रों में भी सेवारत रहे हैं। (iii) झारखंड सरकार के अधीन सक्षम प्राधिकारी अर्थात् सब-डिविजनल अधिकारी, डुमरी, गिरीडीह ने कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जारी दिनांक 18 अप्रिल के संकल्प सं॰ 3198 के निबंधनानुसार झारखंड राज्य के निवासियों के रूप में उनको मान्यता देते हुए समस्त प्रयोजनों से वैध स्थानीय निवासियों का प्रमाण पत्र जारी किया है। अत: प्रत्यर्थियों का विपरीत प्रतिवाद विधि में मान्य नहीं हैं। इन दो याचीगण द्वारा नीट पी॰ जी॰ फॉर्म में की गयी घोषणा भी उनको पी॰ जी॰ डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राज्य कोटा के अधीन परामर्श प्रक्रिया में भाग लेने से उनको अपात्र नहीं बनाएगी क्योंकि राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा संचालित नीट पी॰ जी॰ 2017 परीक्षा में खंड 16.3 पर सम्मिलित शर्तों से यह स्पष्ट है कि नीट परिणाम की घोषणा के बाद राज्य कोटा के अधीन प्रवेश प्रयोज्य विनियम और/अथवा पात्रता मापदंड, दिशा निर्देश एवं संबंधित राज्य की प्रयोज्य आरक्षण नीति द्वारा शासित होगा। नीट जी॰ पी॰ आवेदन फॉर्म में याचीगण द्वारा घोषणा स्वयं में याचीगण को गैर हकदार नहीं बनाएगी यदि वे दिनांक 18 अप्रिल, 2016 के संकल्प (परिशिष्ट 10) के अधीन झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी/डोमीसाइल का मापदंड पूरा करते हैं। जब एक बार सक्षम प्राधिकारी ने स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र जारी किया है, राज्य कोटा के अधीन पी॰ जी॰ डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उनकी उम्मीदवारी अस्वीकार करने और काउंसिलिंग का सामना करने की अनुमति देने से उनको इनकार करने की छूट प्रत्यर्थी बोर्ड को नहीं है। याचीगण ने अन्यथा प्रथम एवं द्वितीय रैंक पाया है और राज्य सरकार के दिनांक 11 अप्रील, 2016 की नीति द्वारा यथा घोषित तीन वर्षों से अधिक तक दूरस्थ एवं मुश्किल क्षेत्रों में झारखंड सरकार में चिकित्सा अधिकारी के रूप में सेवा देने का कथन भी किया है।

9. ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय को कोई निष्कर्ष देने की आवश्यकता नहीं है जहाँ तक निवास मापदंड की वैधता पर याचीगण की ओर से दिए गए वैकल्पिक तर्क का संबंध है। इसके अतिरिक्त, उक्त मापदंड वर्तमान रिट आवेदन में भी चुनौती के अधीन नहीं है। तद्नुसार, प्रत्यर्थी सं॰ 4 बोर्ड द्वारा जारी दिनांक 14 अप्रील, 2017 के पत्र सं॰ 138 एवं 139 में अंतर्विष्ट आक्षेपित निर्णय अभिखंडित किया जाता है।

10. बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि राज्य कोटा के अधीन पी॰ जी॰ डिप्लोमा पाठ्यक्रम की शेष छह सीटों के लिए काउंसिलिंग 11 मई 2017 से आरंभ होना है। काउंसिलिंग के प्रथम चक्र में सफल उम्मीदवारों की पूर्व परामर्श के अनुसरण में शेष सीटों के लिए प्रवेश पहले ही पूरा कर लिया गया है। किसी भी सफल उम्मीदवार जिन्होंने प्रवेश लिया है को पक्षकार नहीं बनाया गया है और उनका प्रवेश भी चुनौती के अधीन नहीं है। अतः, पी॰ जी॰ डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विहित दिशा निर्देश की दृष्टि में याचीगण को पी॰ जी॰ डिप्लोमा पाठ्यक्रम की शेष छह सीटों के लिए 11 मई 2017 को नियत काउंसिलिंग में भाग लेने की अनुमति दी जाए। तद्नुसार, यहाँ उपर उपदर्शित तरीके से एवं सीमा तक रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; vuUr fct ; flg] U;k;efr

राजेश दूबे उर्फ राजेश कुमार दूबे

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Criminal Appeal No. 221 of 2017. Decided on 10th May, 2017.

पाटन पी॰ एस॰ केस सं॰ 94, 2016, जी॰ आर॰ सं॰ 1884/2016, से उद्भूत होने वाले बी॰ पी॰ सं॰ 750 वर्ष 2016 में अपर सत्र न्यायाधीश I, पलामू द्वारा पारित दिनांक 16.1.2017 के आदेश के विरुद्ध।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989—धारा 14 (2)—भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302, 147, 148 एवं 149—जमानत—इनकार—समस्त गवाहों ने अभियोजन मामले का समर्थन किया है—अपीलार्थी एवं अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध प्रहार का प्रत्यक्ष अभिकथन है—अपीलार्थी ने पृथक रूप से संज्ञान लेने वाले आदेश को चुनौती नहीं दिया है—अपील खारिज। (पैराएँ 9 से 12)

निर्णयज विधि.—(2015) 14 SCC 18—Referred.

अधिवक्तागण.—M/s Indrajit Sinha & A.K. Sah, For the Appellants; A.P.P., For the State; Mr. Kumar Harsh, For the O.P. No.2.

अनन्त बिजय सिंह, न्यायमूर्ति.—पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. वर्तमान दांडिक अपील भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 147, 148, 149, 302 तथा एस॰ सी॰/एस॰ टी॰ (पी॰ ओ॰ ए॰) अधिनियम, 1989 की धाराओं 3/5 के अधीन पाटन पी॰ एस॰ केस सं॰ 94/16 से उद्भूत होने वाले बी॰ पी॰ सं॰ 750 वर्ष 2016 में अपर सत्र न्यायाधीश-I, पलामू द्वारा पारित दिनांक 16.1.2017 के आदेश जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन अवर न्यायालय ने अपीलार्थी का नियमित जमानत आवेदन अस्वीकार किया गया है से व्यथित एवं संतुष्ट होकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 14 (2) के अधीन एक मात्र अपीलार्थी राजेश दूबे उर्फ राजेश कुमार दूबे की ओर से दाखिल किया गया है।

3. संक्षेप में अभियोजन मामला यह है कि सूचक कलावती देवी ने 25.10.2016 को फर्दबयान दिया जिसमें उसने अभिकथित किया है कि 24.10.2016 को अपराह्न लगभग 7 बजे उसका पति भोला पासवान मजदूरी लेने गाँव गया था, किंतु अपराह्न लगभग 9 बजे के बाद हल्ला सुनने के बाद वह अपने

पुत्रों सकेन्द्र पासवान, छोटू कुमार और अपनी बहु उमा देवी के साथ अपने घर के बाहर आयी और देखा कि राजेश कुमार दूबे (अपीलार्थी), राकेश दूबे, ऋतु दूबे, संतोष सिंह, राजेन्द्र सोनार एवं शिवपूजन लाल लाठी–डंडा से उसके पति पर प्रहार कर रहे थे। जब उसने अपने पति को बचाने का प्रयास किया, राजेश कुमार दूबे (अपीलार्थी) ने सूचक के पुत्र छोटू कुमार को उसकी जाति के नाम से गाली दिया और उसको बंदूक की नोंक पर धमकाया और समस्त अभियुक्तगण उसके पति को नहर के निकट ले गए और कुछ समय बाद अभियुक्तगण राजेश कुमार दूबे (अपीलार्थी) के स्कोर्पियो वाहन से आए और उसके पति को उसके घर के पास फेंक दिया, जब सूचक अपने पति के निकट पहुँची और उसके इलाज के बारे में सोचा, उस बीच उसकी मृत्यु हो गयी। इस घटना का कारण यह है कि उसकी भतीजी पूजा कुमारी वयस्क थी और ये अभियुक्तगण रात में उसके घर के इर्द–गिर्द घूमा करते थे, उसके पति ने इसका विरोध किया और इस तथ्य के कारण अभियुक्तों ने उसके पति पर प्रहार किया।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अन्वेषण के क्रम के दौरान, सूचक के पुत्र छोटे कुमार का साक्ष्य 27.10.2016 को द॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन दर्ज किया गया है किंतु उसने घटना का भिन्न विवरण दिया है, अत: अभियोजन मामले पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि पुलिस ने अन्वेषण के बाद 19.1.2017 को अंतिम फॉर्म जे॰ एम॰ प्रथम श्रेणी, डालटनगंज (पलामू) के न्यायालय में दाखिल किया जिन्होंने दिनांक 28.1.2017 के आदेश के अधीन ने भा॰ द॰ सं॰ की धाराओं 147, 148, 302 और एस॰ सी॰/एस॰ टी॰ अधिनियम की धारा (3) (i)(iii) (v) के अधीन अपराधों के लिए संज्ञान लिया।

6. आगे, यह प्रतीत होता है कि विद्वान दंडाधिकारी ने एस॰ सी॰/एस॰ टी॰ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के संशोधित अधिनियम के प्रावधान को ध्यान में नहीं लिया है जिसने 31.12.2015 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त किया और दिनांक 1.1.2016 के भारत के गजट में प्रकाशित किया गया था।

7. धारा 14 अध्याय IV का प्रावधान विशेष न्यायालय अनुध्यात करता है। धारा 14 (1) प्रावधानित करती है कि त्वरित विचारण प्रदान करने के प्रयोजन से राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा एक या अधिक जिलों के लिए अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित करेगी। यह आगे प्रावधानित करती है कि इस प्रकार स्थापित अथवा विनिर्दिष्ट न्यायालयों को इस अधिनियम के अधीन अपराध का प्रत्यक्षत: संज्ञान लेने की शक्ति होगी।

8. विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि नवीनतम संशोधन की दृष्टि में विशेष न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाना होगा, किंतु वर्तमान मामले में जे॰ एम॰ एम॰ प्रथम श्रेणी द्वारा संज्ञान लिया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **ननजप्पन बनाम कर्नाटक राज्य (2015)14 SCC 18,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया है और उक्त निर्णय के निर्दिष्ट पैरा 15 का पठन निम्नलिखित है:

> ***^; lQ vyh eYyk uj Hkk;*** *ekey e fçoh dkmfly ijh{k.k dj jgk Fkk fd D;k etjh çklr dju e foQyrk u vfHk;Dr dk fopkj.k dju d fy, U;k;ky; dh l{kerk dk çHkkfor fd;k gA vkxfgr çfrokn ;g Fkk fd ,d vkj vfHk;ktu d oèk lLFkkiu vkj nljh vkj] vfHk;ktu dk luu ,o fofuf'pr dju dh U;k;ky; dh l{kerk d chp lfHkUurk FkhA bl çfrokn dh ,lh dkb lfHkUurk fo|eku Fkh] vLohdkj djr g, bl U;k;ky; u lçf{kr fd;k%*

*^^vxyk çfrokn ;g Fkk fd etjh çkIr dju e foQyrk vfèkdkfèkd vfHk;ktu d oèk lLFkkiu dk jkdrk Fkk fdr vfHk;ktu luu ,o fofuf'pr dju dh U;k;ky; dh l{kerk dk çHkkfor ugh fd;k Fkk tk oLrr% bld le{k yk;k x;k FkkA vfHk;ktu dh oèkrk ,o U;k;ky; dh l{kerk d chp l>k;h x;h lfHkUurk ij Jh i t }kjk dkQh egur l tkj fn;k x;k Fkk] fdr ;g fdlh vkèkkj ij vkèkkfjr çrhr ugh gkrk gA U;k;ky; vfHk;ktu luu ,o fofuf'pr dju d fy, l{ke ugh gk ldrk g ft ldk lLFkkiu fofèk }kjk çfrf"k) fd;k x;k g vkj èkkjk 14 lefpr etjh dh vuifLFkfr e vfHk;ktu dk lLFkkiu çfrf"k) djrh gA fuLlng fo}ku nMkfèkdkjh ;g fofuf'pr dju d fy, l{ke Fk fd D;k mUg vfHk;ktu xg.k dju vkj mlI ç;ktu l ;g fofuf'pr dju d ç;ktu l fd D;k oèk etjh nh x;h Fkh] dh vfèkdkfjrk Fkh fdr T;k gh mUgku fofuf'pr fd;k fd oèk etjh ugh nh x;h Fkh] U;k;ky; ekey e vxlj gku d fy, v{ke cu x;kA ekuuh; U;k;kèkh'kx.k vxoky ekey e l?kh; U;k;ky; }kjk vfHk0;Dr nf"Vdk.k l lger g fd oèk etjh d fcuk vkjHk fd;k x;k vfHk;ktu vÑrrk gA***

यह निवेदन किया गया था कि चूँकि संज्ञान विधि में दोषपूर्ण है, संपूर्ण अभियोजन दूषित हो जाता है। अत: अपीलार्थी जमानत पर रिहा होने योग्य है।

9. नोटिस जारी करने के अनुसरण में, वि॰ प॰ सं॰ 2 उपस्थित हुई और अपीलार्थी की जमानत की प्रार्थना का इस आधार पर विरोध किया कि अपीलार्थी एवं अन्य अभियुक्तों के बीच प्रहार का प्रत्यक्ष अभिकथन है और गवाहों ने भी अभियोजन मामले का समर्थन किया है। यह निवेदन भी किया गया था कि अपीलार्थी ने पृथक रूप से संज्ञान लेने वाले आदेश को चुनौती नहीं दिया है बल्कि उसने सांपार्श्विकत: बिन्दु उठाया है जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है।

10. यह प्रतीत होता है कि केस डायरी मंगायी गयी थी और इसे प्राप्त किया गया है। सूचक कलावती देवी के बयान पैरा 9, उमा देवी के बयान पैरा 14, गवाह लालू दूबे के बयान पैरा 15, सकेन्द्र पासवान के बयान पैरा 23 और छोटू पासवान के बयान पैरा 24 के आई॰ ओ॰ द्वारा दर्ज किए गए हैं और समस्त गवाहों ने अभियोजन मामले का समर्थन किया है।

11. इन समस्त तथ्यों को विचार में लेते हुए, अपीलार्थी ने **ननजप्पा बनाम कर्नाटक राज्य (उपर)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के अधीन अभियोजन के लिए मंजूरी प्राप्त करने के संबंध में विश्वास किया है। किंतु यह प्रतीत होता है कि आक्षेपित आदेश पारित करने के समय पर अपीलार्थी द्वारा इस तथ्य को चुनौती नहीं दी गयी है बल्कि जमानत आवेदन में इस बिन्दु को सांपार्श्विक रूप से उठाया गया है जब अन्वेषण पूरा हो गया है और विचारण अग्रसर हुआ है।

12. मामले के उस दृष्टिकोण में, मैं इस अपील में कोई गुणागुण नहीं पाता हूँ। तद्नुसार यह अपील खारिज की जाती है।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk ,o Mkñ ,lñ ,uñ ikBd] U;k;efrx.k

मंगलु असुर

cuke

बिहार राज्य (अब झारखंड)

Criminal Appeal No. 156 of 1995 (R). Decided on 10th May, 2017.

एस॰ टी॰ सं॰ 44 वर्ष 1991 में विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गुमला द्वारा पारित दिनांक 13.6.1995 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 14.6.1995 के दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 302—हत्या–आजीवन कारावास–समस्त गवाहों जिन्होंने घटना का चश्मदीद गवाह होने का दावा किया है, वस्तुतः घटना के चश्मदीद गवाह नहीं थे बल्कि वे अनुश्रुत गवाह थे किंतु अवर न्यायालय में उन्होंने चश्मदीद गवाह के रूप में अभिसाक्ष्य दिया है–आई॰ ओ॰ के गैर परीक्षण द्वारा बचाव पर महत्वपूर्ण रूप से प्रतिकूलता कारित की गयी है और बचाव आई॰ ओ॰ से विरोधाभास नहीं ले सका था—अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपीलार्थी के विरुद्ध अपना मामला सिद्ध करने में बुरी तरह विफल रहा है–यह सुयोग्य मामला है जिसमें अपीलार्थी को आरोप से दोषमुक्त करना चाहिए था–दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश अपास्त किया गया और अपीलार्थी दोषमुक्त किया गया।

(पैराएँ 8 से 11)

अधिवक्तागण.–Mr. R.S. Majumdar, For the Appellant; Mr. Sanjay Kumar Pandeyr, For the State

न्यायालय द्वारा.–अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. अपीलार्थी एस॰ टी॰ सं॰ 44 वर्ष 1991 में विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गुमला द्वारा पारित दिनांक 13.6.1995 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 14.6.1995 के दंडादेश से व्यथित है जिसके द्वारा एकमात्र अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध का दोषी पाया गया था और दोष सिद्ध किया गया था। दंडादेश के बिन्दु पर सुनवाई के बाद उसे आजीवन कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है।

3. अभियोजन मामले के अनुसार, एटवा असुर जो मृतक मंगरा असुर का भाई है द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गयी थी जिसका विवाह ग्राम सुखुआ पानी में ठीक हुआ था और सरहुल के अवसर पर वह रात में आदिवासी नृत्य में भाग लेने के लिए उस गाँव गया था। प्रातः लगभग 6 बजे सूचक के छोटे भाई अर्थात् बोखा असुर आया और सूचक को सूचित किया कि उसे किसी झागर असुर द्वारा सूचित किया गया था कि उसके भाई मंगरा असुर के मस्तक पर किसी के द्वारा कुल्हाड़ी से प्रहार किया गया था जिस कारण उसकी मृत्यु हो गयी थी। सूचना आने पर, सूचक घटना स्थल पर गया और अपने भाई को घटनास्थल पर खून से सना पड़ा पाया जिसके जख्म में कुल्हाड़ी धँसी हुई थी। प्राथमिकी में यह कथन किया गया है कि सूचक ने दोषी के बारे में सूचना पाने का अपना सर्वोत्तम प्रयास किया, किंतु वह कोई सूचना नहीं पा सका था, और तद्नुसार, अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। प्राथमिकी के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए विशुनपुर पी॰ एस॰ केस सं॰ 25 वर्ष 1990, जी॰ आर॰ सं॰ 379 वर्ष 1990 के तत्सम संस्थित किया गया था और अन्वेषण किया गया था। अन्वेषण के बाद पुलिस ने एकमात्र अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया।

4. सत्र न्यायालय को मामले की सुपुर्दगी पर, अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए आरोप विरचित किया गया था और अपीलार्थी के निर्दोष होने के अभिवचन पर और विचारण किए जाने का दावा करने पर उसका विचारण किया गया था। विचारण के क्रम में, अभियोजन की ओर से दस गवाहों का परीक्षण किया गया था जिनमें से अ॰ सा॰ 1 परशुराम सिंह औपचारिक गवाह है जिसने प्राथमिकी प्रदर्श 1 के रूप में सिद्ध किया है। अ॰ सा॰ 6 अइलू असुर और अ॰ सा॰ 9 भूइला असुर केवल अभियोजन द्वारा निविदत्त किया गया था। मामले के आई॰ ओ॰ का परीक्षण इस तथ्य के कारण नहीं किया गया है कि उसकी मृत्यु हो गयी थी।

5. अ॰ सा॰ 10 इटवा असुर मामले का सूचक है और अवर न्यायालय में अपने परीक्षण के दौरान उसने घटना का चश्मदीद गवाह होने का दावा यह कथन करते हुए किया है कि वह भी अपने मृतक भाई के साथ नृत्य के लिए गया था और उसने घटना देखा था जिसमें अभियुक्त मंगलू असुर ने कुल्हाड़ी से मृतक के मस्तक पर प्रहार किया था। अपने प्रति परीक्षण में, उसने कथन किया है कि उसने घटना देखा है, यद्यपि उस समय रात थी। उसने पुलिस के समक्ष बयान देने के सुझाव से इनकार किया है जैसा प्राथमिकी में कथन किया गया है।

6. अ॰ सा॰ 3 सतेन्द्र असुर, अ॰ सा॰ 4 मनीष असुर, अ॰ सा॰ 5 राजेन्द्र मुण्डा, अ॰ सा॰ 7 शनि असुर एवं अ॰ सा॰ 8 भीखु असुर ने अभियोजन मामले का घटना के चश्मदीद गवाह के रूप में यह कथन करते हुए समर्थन किया है कि अपीलार्थी मंगलू असुर ने नृत्य के समय पर मृतक के मस्तक पर कुल्हाड़ी से प्रहार करके उसकी मृत्यु कारित किया था। किंतु, अ॰ सा॰ 5 ने अपने प्रति परीक्षण में कथन किया कि उसने घटना नहीं देखा था क्योंकि वह घटना के पहले लौट आया था। इन समस्त गवाहों का ध्यान पुलिस के समक्ष उनके बयानों की ओर किया गया था कि उन्होंने मृतक के पिता को घटना के बारे में सूचित किया था किंतु उन्होंने पुलिस के सक्षम ऐसा बयान देने से इनकार किया है। किंतु तथ्य बना रहता है कि मामले में आई॰ ओ॰ का परीक्षण नहीं किया गया है और इन बयानों में विरोधाभास आई॰ ओ॰ से निकाला नहीं जा सका था। हमने अपनी संतुष्टि के लिए केस डायरी का परिशीलन किया है और हम पाते हैं कि ये समस्त गवाह घटना के चश्मदीद गवाह नहीं थे और उन्होंने घटना नहीं देखा था।

7. अ॰ सा॰ 2 डॉ॰ कृष्ण प्रसाद जो सदर अस्पताल, गुमला का सिविल सहायक सर्जन था, ने मृतक के मृत शरीर का शव परीक्षण किया था और उन्होंने मृतक पर पायी गयी उपहतियों के बारे में कथन किया है और यह कथन भी किया है कि कुल्हाड़ी जख्म में धँसी हुई थी। उन्होंने अपने लेखन एवं हस्ताक्षर में शव परीक्षण रिपोर्ट सिद्ध किया है जिसे प्रदर्श 1 चिन्हित किया गया था।

8. इस प्रकार, अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य से हम पाते हैं कि समस्त गवाह जो घटना का चश्मदीद गवाह होने का दावा करते हैं वस्तुतः घटना के चश्मदीद गवाह नहीं हैं, बल्कि वे अनुश्रुत गवाह हैं, किंतु अवर न्यायालय में उन्होंने चश्मदीद गवाह के रूप में अभिसाक्ष्य दिया है। उन्हें पुलिस के समक्ष दिए गए उनके बयान के बारे में सुझाव दिया गया था जिससे उन्होंने इनकार किया है। मामले में आई॰ ओ॰ का परीक्षण नहीं किया गया है और आई॰ ओ॰ के गैर परीक्षण के कारण बचाव पर महत्वपूर्ण रूप से प्रतिकूलता कारित हुई है क्योंकि बचाव आई॰ ओ॰ से विरोधाभास नहीं निकाल सका था। सूचक भी, जो प्राथमिकी के अनुसार भी घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है और अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया था, घटना का चश्मदीद गवाह होने का दावा करता है। मृतक का पिता जिससे अन्य गवाहों को घटना के बारे में जानकारी हुई अभियोजन द्वारा अ॰ सा॰ 9 भुइलु असुर के रूप में निविदत्त किया गया है।

9. पूर्वोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपीलार्थी के विरुद्ध मामला सिद्ध करने में बुरी तरह विफल रहा है और यह सुयोग्य मामला है जिसमें अभियुक्त अपीलार्थी को आरोप से दोषमुक्त किया जाना चाहिए।

10. तद्नुसार, एस॰ टी॰ सं॰ 44 वर्ष 1991 में विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गुमला द्वारा पारित दिनांक 13. 6.1995 का आक्षेपित दोषसिद्धि का निर्णय एवं दिनांक 14.6.1995 के दंडादेश को एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी दोषी नहीं पाया गया है और उसे आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थी जमानत पर है और उसे उसके जमानत बंधपत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

11. तद्नुसार यह अपील अनुज्ञात की जाती है।

12. इस निर्णय की प्रति के साथ संबंधित न्यायालय को अवर न्यायालय अभिलेख तुरन्त वापस भेजा जाए।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk ,o Mkñ ,lñ ,uñ ikBd] U;k;efrx.k

लाल बाबू प्रसाद गुप्ता

cuke

लीलावती देवी

First Appeal No. 35 of 2014. 10th May, 2017.

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955—धारा 13—तलाक–पत्नी का मानसिक रोग—अपीलार्थी द्वारा अवर न्यायालय में किसी चिकित्सक का परीक्षण नहीं किया गया था और न ही प्रत्यर्थी पत्नी का मानसिक रोग स्थापित करने के लिए अपीलार्थी द्वारा कोई चिकित्सीय दस्तावेज सिद्ध किया गया था–अवर न्यायालय ने वाद पत्र में अन्य त्रुटि भी पाया–इस तथ्य की दृष्टि में कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी पत्नी का मानसिक रोग सिद्ध नहीं कर सका था, अवर न्यायालय द्वारा प्रतिवाद पर वाद खारिज कर दिया गया था–वाद में सफल होने के लिए अपीलार्थी को प्रत्यर्थी पत्नी का मानसिक रोग सिद्ध करना था–अपीलार्थी ने अपने मामले के समर्थन में कोई दस्तावेज नहीं दिया था और प्रत्यर्थी पत्नी का मानसिक रोग सिद्ध करने के लिए किसी चिकित्सक का परीक्षण नहीं किया था–अवर न्यायालय ने सही प्रकार से वाद खारिज किया है–अपील खारिज की गयी। (पैराएँ 5, 8 एवं 9)

अधिवक्तागण.–Mr. N.K. Sahani, For the Appellant; Mr. V.S. Prasad, For the Respondent.

आदेश

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. अपीलार्थी वैवाहिक वाद सं॰ 43 वर्ष 2010 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, पलामू द्वारा पारित दिनांक 22.1.2014 के निर्णय एवं डिक्री से व्यथित है जिसके द्वारा अपीलार्थी पति द्वारा प्रत्यर्थी पत्नी के मानसिक रोग के आधार पर तलाक की डिक्री द्वारा पक्षों के बीच विवाह के विघटन के लिए अवर न्यायालय में लाया गया वैवाहिक वाद प्रतिवाद पर अवर न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है।

3. आक्षेपित निर्णय प्रकट करता है कि पक्षों के बीच विवाद 27.2.2009 को बिहार राज्य के जिला औरंगाबाद में देव के सूर्यमंदिर में हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न किया गया था। तत्पश्चात पक्षगण अपने दांपत्य गृह में साथ रह रहे थे जब अपीलार्थी पति द्वारा अभिकथित रूप से यह पाया गया था कि प्रत्यर्थी पत्नी मानसिक रोगी थी। मानसिक रोग के आधार पर, अपीलार्थी पति द्वारा अवर न्यायालय में वैवाहिक वाद दाखिल करके विवाह का विघटन इप्सित किया गया था।

4. नोटिस पर प्रत्यर्थी उपस्थित हुई है और अपना लिखित कथन दाखिल किया है। दोनों पक्षों ने अवर न्यायालय में साक्ष्य दिया जिसमें अपीलार्थी पति ने स्वयं, अपने भाई एवं एक ग्रामीण सहित चार गवाहों का परीक्षण किया। इन समस्त गवाहों ने प्रत्यर्थी पत्नी की अभिकथित मानसिक रोग के बारे में कथन किया है।

5. किंतु, आक्षेपित निर्णय दर्शाता है कि अपीलार्थी द्वारा अवर न्यायालय में किसी चिकित्सक का परीक्षण नहीं किया था और प्रत्यर्थी पत्नी का मानसिक रोग स्थापित करने के लिए अपीलार्थी द्वारा कोई चिकित्सीय दस्तावेज सिद्ध नहीं किया गया था। अवर न्यायालय ने वाद पत्र में अन्य कमी भी पाया जिस पर विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। इस तथ्य की दृष्टि में कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी पत्नी का मानसिक रोग सिद्ध नहीं कर सका था, प्रतिवाद पर अवर न्यायालय द्वारा वाद खारिज किया गया था।

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री पूर्णत: अवैध है और विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि अवर न्यायालय में अपीलार्थी पति द्वारा दिए गए साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी प्रत्यर्थी पत्नी की मानसिक बीमारी सिद्ध करने में सक्षम हुआ है क्योंकि समस्त गवाहों ने इसके बारे में कथन किया था।

7. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया है और निवेदन किया है कि आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री में अवैधता नहीं है।

8. दोनों पक्षों के अधिवक्ता को सुनने पर एवं अभिलेख का परिशीलन करने पर, हम पाते हैं कि अपीलार्थी को वाद में सफल होने के लिए प्रत्यर्थी पत्नी का मानसिक रोग सिद्ध करना था। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी पत्नी का मानसिक रोग सिद्ध करने के लिए किसी चिकित्सक का परीक्षण नहीं किया था और अपने मामले के समर्थन में कोई दस्तावेज नहीं दिया था। हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि अवर न्यायालय ने सही प्रकार से वाद खारिज किया है और वैवाहिक वाद सं॰ 43 वर्ष 2010 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 22.1.2014 के आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री में अवैधता नहीं है।

9. इस अपील में गुणागुण नहीं है और तद्नुसार इसे खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; jRukdj Hkxjk] U;k;efr

निरंजन शर्मा एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य

Cri. App. No. 335 of 2016 with I.A. No. 3032 of 2016. Decided on 3rd March, 2017.

एस॰ टी॰ सं॰ 40 वर्ष 2013/266 वर्ष 2013 में श्री बंशीधर तिवारी, विद्वान जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश II, गोड्डा द्वारा पारित दिनांक 10.3.2016 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 498A—क्रूरता–दोषसिद्धि एवं दंडादेश–परेशानी यातना एवं दहेज मांग के अभिकथन अ॰ सा॰ द्वारा संपुष्ट किए गए हैं–भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 304B एवं 498A के तत्व हैं–अपीलार्थीगण दोषसिद्धि के दायी हैं–अपीलार्थी ने पहले ही अधिरोपित दंडादेश भुगत लिया है–किसी शेष अवधि को भी पहले ही भुगत लिए गए अवधि तक उपांतरित किया गया। (पैराएँ 23 एवं 24)

अधिवक्तागण.–Mr. Ranjan Kumar Singh, For the Appellant; Mr. Pankaj Kumar, For the State.

रत्नाकर भेंगरा, न्यायमूर्ति.–यह दांडिक अपील एस॰ टी॰ सं॰ 40 वर्ष 2013/266 वर्ष 2013 में विद्वान जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश II, गोड्डा द्वारा निर्देशित है जिसके द्वारा उक्त नामित अपीलार्थियों

को भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और अपीलार्थियों द्वारा भुगत ली गयी अवधि के मुजरा के अध्यधीन तीन वर्षों का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है।

2. राम प्रसाद शर्मा की लिखित रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन मामला यह है कि उसकी पुत्री अर्थात् नेहा शर्मा का विवाह महगामा पुलिस थाना, जिला गोड्डा के भगवान शर्मा के पुत्र निरंजन शर्मा के साथ जुलाई, 2011 में हुआ था। आरंभ में, उसकी पुत्री अपने दांपत्य गृह में सौहार्द्रपूर्ण रूप से रह रही थी। लगभग दो माह पहले उसकी पुत्री के ससुराल वाले बिदाई के बाद उसकी पुत्री को महगामा में अपने घर ले गए। लगभग एक सप्ताह पहले वह अपनी पुत्री को स्नातक परीक्षा में भाग लेने के लिए लाने महगामा गया था किंतु ससुराल वालों ने इनकार कर दिया, तब उसकी पुत्री ने सूचित किया कि उसका पति अर्थात् निरंजन शर्मा उसको निर्ममतापूर्वक पीटा करता था और इस बीच उसका पुत्र भी उसकी पुत्री को लाने गया था किंतु उन्होंने ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। उसने 30.7.2012 को प्रातः लगभग 3 बजे अपने दामाद से मोबाइल फोन पर संदेश पाया कि उसकी पुत्री का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था और वह पेट में भयंकर दर्द से पीड़ित थी और इसलिए, वे उसे उसके इलाज के लिए महगामा अस्पताल ले गए थे। जब वह महगामा अस्पताल पहुँचा, उसने पाया कि उसकी पुत्री भयंकर दर्द से छटपटा रही थी और पानी मांग रही थी। पूछे जाने पर उसने बताया कि 29.7.2012 को अपराह्न लगभग 8 बजे उसके पति निरंजन शर्मा, देवर/जेठ रंजीत शर्मा, ससुर भगवान शर्मा, और सास सुनीता देवी ने अन्दर से दरवाजा बंद कर दिया था और उन सबों ने उसे पकड़ लिया था और तत्पश्चात उसे टैबलेट जैसा पदार्थ खाने के लिए मजबूर किया गया था। ज्योंही उसने टैबलेट खाया, उसकी दशा गंभीर हो गयी और उस समय उसका पेट दर्द कर रहा था और वह उलटी करने लगी थी और तत्पश्चात उसे अस्पताल ले जाया गया था। इलाज के दौरान उसे पता चला कि उसे महगामा अस्पताल लाया गया था। युवती की गंभीर दशा को देखते हुए डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए युवती को भागलपुर अस्पताल निर्दिष्ट किया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी पुत्री ने उसे बताया कि उसका पति निरंजन शर्मा, उसका देवर/जेठ रंजीत शर्मा, ससुर भगवान शर्मा, सास सुनीता देवी दहेज के लिए उस पर प्रहार करते थे और उसे यातना दिया करते थे किंतु उसने अपने ससुराल के प्रति सम्मान के कारण पुलिस के समक्ष इस बारे में परिवाद नहीं किया था। इलाज के दौरान 31.7.2012 को प्रातः 8.45 बजे उसकी पुत्री की मृत्यु हो गयी। उसका दावा है कि उक्त उल्लिखित व्यक्ति सदैव दहेज के लिए उसकी पुत्री को यातना देते थे और जब वह दहेज के लिए मांगा गया धन एवं वस्तु देने में सक्षम नहीं हुआ था, तब पूर्वोक्त व्यक्तियों ने उसको पकड़ लिया और उसकी पुत्री को जहर दिया गया था और तत्पश्चात उसकी हत्या की गयी थी। उसने 31.7.2012 को जे॰ एल॰ एन॰ एम॰ सी॰ अस्पताल, भागलपुर में बरारी थाना के पुलिस (दारोजी जी) को पूर्वोक्त परिवाद दिया था किंतु महगामा पुलिस थाना द्वारा इसे प्राप्त नहीं किया गया है।

3. सूचक की लिखित रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 8.8.2012 का महगामा पी॰ एस॰ केस सं॰ 120 वर्ष 2012 अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 304 (B)/34 के अधीन दर्ज किया गया था। अन्वेषण के बाद, पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304B/34 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन आरोप पत्र दाखिल किया और तत्पश्चात अपराध का संज्ञान लिया गया था और मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था और जिसमें अपीलार्थियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34, 304B/34 एवं 328/34 के अधीन आरोप भी विरचित किए गए थे। अभियुक्तों ने निर्दोषिता का अभिवचन किया और विचारण किए जाने का दावा किया।

4. अभियोजन ने कतिपय प्रदर्शों के अतिरिक्त अभियोजन मामला बनाने के लिए कुल 14 गवाहों का परीक्षण किया है। विचारण समाप्त हुआ था तथा विचारण के समापन पर, विद्वान विचारण न्यायालय ने चार अभियुक्तों को दोषमुक्त किया किंतु अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया। अत:, यह अपील दाखिल की गयी है।

5. अब मैं अ॰ सा॰ के अभिसाक्ष्य पर विचार करूँगा।

6. अ॰ सा॰ 7 राम प्रसाद शर्मा (सूचक) है। पैरा 1 में उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि विवाह के बाद उसकी पुत्री एक सप्ताह के लिए अपने ससुराल में रूकी थी और तत्पश्चात वह उसे अपने घर लाया। उसने दहेज के रूप में कोई चीज नहीं दिया था। अत: पति निरंजन शर्मा, ससुर भगवान शर्मा, सास सुनीता देवी और चार अन्य अभियुक्तगण उसे रोज गाली, परेशानी एवं यातना दिया करते थे और दहेज मांगा करते थे। यह कि मई, 2012 में अभियुक्तगण उसे अपने घर ले जाना चाहते थे, किंतु उनके व्यवहार के कारण वह इच्छुक नहीं था, किंतु उनके आश्वासन के कारण कि कुछ अप्रिय घटित नहीं होगा, उसने अपनी पुत्री को जाने की अनुमति दी। किंतु ससुराल वालें पुन: उसे गाली देने और उस पर प्रहार करने लगे। उसकी पुत्री ने 20.7.2012 को फोन किया और उसे बताया कि अभियुक्तों ने उस पर बुरी तरह प्रहार किया है और उसकी हत्या करने की धमकी दे रहे हैं। तब वह पुन: 21.7.2012 को महगामा आया और उसकी पुत्री से उसका हालचाल और प्रहार के बारे में पूछा। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया है कि 28.7.2012 को उसकी पुत्री को स्नातक भाग II परीक्षा देना था और वह अपनी पुत्री को परीक्षा के लिए ले जाना चाहता था किंतु अपीलार्थियों एवं अन्य अभियुक्तों ने इनकार कर दिया। उसका छोटा पुत्र शियान्शु कुमार शर्मा उसके परीक्षा प्रवेश पत्र के साथ अपनी बहन के दांपत्य गृह गया और अभियुक्तों से उसे घर ले जाने देने के लिए कहा किंतु अभियुक्तों ने पुन: इनकार कर दिया। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया है कि 28.7.2012 को उसका पति निरंजन शर्मा उसे परीक्षा दिलाने ले गया और बाद में शाम में उसको भोजन बनाने को कहा किंतु उसकी पुत्री ने कहा कि चूँकि वह बीमार है, अत: वह भोजन बनाने में सक्षम नहीं होगी। तब उसके पति ने कहा कि जब मैं ड्यूटी से आऊँगा, मैं तुम्हें देख लूंगा। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया है कि 29.7.2012 को रात में अपीलार्थियों ने रंजीत शर्मा के साथ जबरन दरवाजा बंद कर दिया और उसे जहर जैसा टैबलेट खाने के लिए मजबूर किया। निरंजन शर्मा ने 29.7.2012 को प्रात: 4 बजे सूचक को मिसकॉल दिया जिसने वापस फोन किया, तब निरंजन शर्मा ने सूचित किया कि नेहा के पेट में काफी दर्द था और उसे महगामा अस्पताल में भरती किया गया है। वह महगामा अस्पताल गया जहाँ उसने अपनी पुत्री को दर्द से छटपटाते और पानी मांगते देखा। उसको देख कर अभियुक्तगण भाग गए। उससे पूछे जाने पर उसने सूचित किया कि रात्रि 8 बजे उसके पति निरंजन शर्मा, उसके सास-ससुर और रंजीत ने उसे जबरन जहरीला पदार्थ खिलाया जिसके परिणामस्वरुप उसके पेट में दर्द हुआ और वह उलटी करने लगी। तब उसने अपनी पुत्री को जे॰ एल॰ एन॰ एम॰ सी॰ अस्पताल, भागलपुर निर्दिष्ट करवाया और उसका इलाज शुरू करवाया और 31.7.2012 को इलाज के दौरान प्रात: 8.45 बजे उसकी मृत्यु हो गयी। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया है कि 29.7.2012 को उसकी पुत्री ने अपने छोटे भाई शियान्शु कुमार शर्मा को पत्र लिखा था जिसमें उसको यातना एवं उसके जीवन के प्रति खतरा उल्लिखित किया गया था और पत्र प्रदर्श 3 के रूप में चिन्हित किया गया है। भागलपुर जाते हुए उसने अपने मामा विजय शर्मा की आवाज सुनने पर उसकी पुत्री ने कहा ''मामा संदेश'' और बेहोश हो गयी। जब विजय शर्मा ने अपना मोबाइल चेक किया, यह देखा गया था कि उसकी हत्या करने की धमकी देने के संबंध में संदेश था। उसने आगे कहा कि मृत्यु के बाद उसने भागलपुर में फर्दबयान दिया था जिसपर उसने हस्ताक्षर किया

था और उसका हस्ताक्षर प्रदर्श 1/1 के रूप में चिन्हित किया गया है यद्यपि आपत्ति के साथ। इसके बाद, उसने महगामा पुलिस थाना में लिखित रिपोर्ट दिया था जिसे प्रदर्श 5 के रूप में चिन्हित किया गया था।

7. अ॰ सा॰ 3 शियान्शु कुमार सूचक का छोटा पुत्र है और उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि उसकी बहन के विवाह के बाद वह एक सप्ताह के लिए अपने ससुराल रूकी थी और तब वापस आयी थी। दुर्गापूजा के दौरान अपीलार्थी निरंजन शर्मा उसकी बहन को उसके ससुराल ले गया। वह भी वहाँ गया और 2-3 दिन रूका। नेहा की सास एवं भाभी ने टी॰ वी॰ और फ्रिज मांगा। तब वह घर वापस आया। फोन पर उसकी बहन उसे बताया करती थी कि उसके ससुराल वाले उसकी हत्या करने की धमकी देते थे। कोई उसे बचाने में सक्षम नहीं होगा, निरंजन की भाभी निरंजन को कहा करती थी, चिंता मत करो, यदि नेहा की मृत्यु होती है, तब वह अपनी बहन के साथ उसका विवाह करेगी। घटना के दो माह पहले, वह महगामा गयी थी और फोन पर उसको सूचित करती थी कि उसके ससुराल वाले उसे मारते-पीटते हैं। उसकी बहन को बी॰ ए॰ भाग II परीक्षा में उपस्थित होना था, जिसके लिए उसका पिता उसे घर लाने गया था, किंतु उन्होंने इनकार कर दिया। वह 27.7.2012 को भी उसके प्रवेश पत्र के साथ उसके ससुराल गया था किंतु उन्होंने इनकार कर दिया। परीक्षा देने के बाद उनके लौटने पर 28.7.2012 को नेहा को भोजन बनाने के लिए कहा गया था। तब उसने कहा कि वह थकी हुई है, वह भोजन नहीं बना सकती है, तब उसपर प्रहार किया गया था और उससे कहा गया था कि ड्यूटी से लौटने के बाद उसे ठीक कर दिया जाएगा। उसने यह अभिसाक्ष्य भी दिया है कि 29.7.2012 को उसे नेहा द्वारा पत्र दिया गया था और इसे माता को देने के लिए कहा गया था। उसने न्यायालय में इस पत्र को पहचाना है जो नेहा के हस्तलेखन में है और इसे प्रदर्श 3 के तौर पर चिन्हित किया गया था। 30.07.2012 को 3.00 बजे प्रात: उसके पिता द्वारा एक मिसकॉल पाया गया था और उसके पिता के वापस फोन करने पर उन्होंने कहा कि नेहा का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और वे महगामा अस्पताल में है। तब उसका पिता दो अन्य व्यक्तियों के साथ महगामा गया जहाँ उसकी बहन ने अपने पिता को सूचित किया कि उसके ससुराल वालों ने उसे जहर दिया था।

8. अ॰ सा॰ 2 विजय शर्मा है और वह मृतका का मामा है। उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतका का विवाह घटना के लगभग एक वर्ष पहले संपन्न किया गया था। उसने 30.7.2012 को सूचक राम प्रसाद शर्मा से कॉल पाया था कि नेहा ठीक नहीं है और कि वह महगामा अस्पताल आया है और डॉक्टर ने उसको भागलपुर निर्दिष्ट किया है। उसने उसको रास्ते में मिलने के लिए कहा और कि वे एम्बुलेंस से आ रहे हैं। कि नेहा जो बेहोश थी, जब एम्बुलेंस उसके घर के निकट पहुँचा उसने उसकी आवाज सुनने पर अपनी आँख एक बार खोला और कहा ''मामा संदेश''। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि वह उस समय पर उसका संदेश नहीं समझा था। उसे तुरन्त अस्पताल पहुँचने की सलाह दी गयी थी। अगले दिन जब उसकी बीमारी और बढ़ गयी, तब वह भागलपुर गया, किंतु उसके पहुँचने के पहले नेहा की मृत्यु हो गयी थी। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया है कि पुलिस ने राम प्रसाद शर्मा का फर्दबयान लिया था जिस पर उसने हस्ताक्षर भी किया था और जिसे प्रदर्श 1 के रूप में चिन्हित किया गया है। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया है कि वह वापस घर लौटा और मोबाइल सं॰ 9934873631 में संदेश देखा। संदेश 20.7.2012 प्रात: 11.50 बजे का था। तीन संदेश थे जिनमें प्रहार एवं उसकी हत्या करने की धमकी का जिक्र था। उसने पुलिस को मोबाइल दिया था। डायरी में संदेश के प्रति निर्देश है और संदेश प्रदर्श 2 के रूप में चिन्हित किया गया है। मोबाइल जब्त किया गया था। उसकी बहन ने मृतका नेहा द्वारा घटना के एक दिन पहले पत्र भेजे जाने के बारे में सूचित किया था।

9. अ॰ सा॰ 6 मंजू देवी मृतका की माता है। अपने अभिसाक्ष्य के समय पर 19.8.2014 को उसने कथन किया है कि उसकी पुत्री का विवाह लगभग तीन वर्ष पहले हुआ था और लगभग दो वर्ष पहले

उसकी मृत्यु हो गयी थी। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि अपीलार्थियों ने अन्य अभियुक्तों के साथ दहेज के लिए उसकी पुत्री की हत्या कर दी। दहेज में उन्होंने फ्रिज, टी॰ वी॰, गोदरेज मांगा था और वे उसकी पुत्री पर प्रहार करते थे और कहते थे कि वह विवाह के समय पर कोई चीज नहीं लायी थी। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया है कि वह अपनी पुत्री के साथ उसके इलाज के लिए भागलपुर गयी थी। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि उसके पति ने उसे फोन पर बताया था कि नेहा ने उससे कहा था कि इन अपीलार्थियों और तीन अन्य ने उसको टैबलेट खाने के लिए मजबूर किया था। अपने प्रति परीक्षण में उसने कहा है कि अपने ससुराल जाने के बाद जब उसकी पुत्री 5 दिन बाद वापस आयी थी उसने दहेज मांग के बारे में उसे सूचित किया था। उसने यह भी कहा था कि बिदाई के समय पर वे दहेज मांग के बारे में जानते थे किंतु उन्होंने बिदाई के प्रति आपत्ति नहीं किया था।

10. अ॰ सा॰ 1 जय प्रकाश शर्मा जो मृतका का मामा है ने अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतका पीड़िता नेहा शर्मा उसकी भगिनी है और उसका विवाह निरंजन शर्मा के साथ लगभग एक वर्ष पहले हुआ था। घटना 30.7.2012 को हुई थी। उसी दिन प्रात: 5 बजे उसने सूचक राम प्रसाद शर्मा का फोन पाया कि नेहा कुमारी की दशा गंभीर है और उसे पेट दर्द के कारण महगामा अस्पताल से भागलपुर निर्दिष्ट किया गया है। उसे यह भी सूचित किया गया था कि सास-ससुर, पति एवं देवर/जेठ ने उसको जहर दिया था। लगभग 9 बजे वह भागलपुर के मायागंज अस्पताल पहुँचा और पाया कि मृतका बेहोश थी। उसने डॉक्टर से पूछा, तब उसने उत्तर दिया कि यह जहर देने का मामला है और अगले दिन सुबह इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गयी। मृतका के ससुराल वाले टी॰ वी॰ एवं फ्रिज की मांग के कारण उसको यातना देते थे।

11. अ॰ सा॰ 4 प्रणव कुमार शर्मा भी मृतका का बड़ा भाई है और उसने कथन किया है कि उसकी बहन का विवाह निरंजन शर्मा के साथ जुलाई 2011 में हुआ था। विवाह के बाद वह अपने दांपत्य गृह गयी और तत्पश्चात 8-10 दिन बाद अपने माएके वापस लौटी और पुन: दुर्गापूजा के दौरान अपने ससुराल गयी। नेहा ने दहेज मांग के लिए अपने पति एवं ससुराल वालों द्वारा दी गयी यातना के संबंध में उसे एवं उसके परिवार के सदस्यों को टेलीफोन पर संदेश दिया था। उसकी बहन की हत्या 31.7.2012 को की गयी थी।

12. अ॰ सा॰ 8 डॉ॰ अरुण चंद्र राय है। वह महगामा रेफरल अस्पताल में 29.7.2012 को चिकित्सा अधिकारी के रूप में पदस्थापित था और उसी दिन उसने मृतका का इलाज किया था जिसने पेट दर्द एवं उलटी की शिकायत की थी। नेहा शर्मा ने उसको पेट दर्द एवं उलटी का कारण कभी नहीं बताया था। नेहा शर्मा चैतन्य अवस्था में किंतु गंभीर दशा में थी। उसके शरीर पर उपहति का निशान नहीं था। उसने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को जबरन कोई चीज खिलायी जाती है तो चेहरे पर और चेहरे के निकट खरोंच हो सकता है किंतु इस प्रकार का निशान नहीं था। उसे 30.7.2012 को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर निर्दिष्ट किया गया था।

13. अ॰ सा॰ 5 डॉ॰ संदीप लाल ने कथन किया है कि 31.7.2012 को वह सहायक प्रोफेसर के रूप में जे॰ एल॰ एन॰ एम॰ कॉलेज अस्पताल, भागलपुर में पदस्थापित था और उसी दिन 4 बजे उसने नेहा शर्मा उर्फ नेहा कुमारी के मृत शरीर का शव-परीक्षण किया था और उसके शरीर पर निम्नलिखित उपहतियों को पाया था।

(i) gkB ,o leLr mxfy;k dk fljk Sinosed FkkA

foPNnu dju ij :

(i) leLr folljk dk tLVM ik;k x;k FkkA (ii) iV dk E;dl dk tLVM FkkA (iii) iV ,o leLr folljk d v'k d lkFk vroLr, lfjf{kr dh x;h vkj mUg ,QO ,lO ,yO iVuk Hkstk tk,xk T;kgh lcfèkr vkbO vkO leLr mi;Dr 0;oLFkk djxkA iVuk ,QO ,lO ,yO l fjikV çkIr fd, tku rd eR; d dkj.k d lcèk e er vkjf{kr j[kk x;kA vufre :i l tgj nu dk lfnXèk ekeyk@eR; l chrk le; 3 l 12 ?kVk gA mld }kjk fjikV fy[kh ,o gLrk{kfjr dh x;h gA igpku ij bl çn'k 4 fpfUgr fd;k x;k gA

14. अ॰ सा॰ 9 प्रियंका देवी ने कथन किया है कि घटना लगभग 2½ वर्ष पहले की है। उस समय नेहा शर्मा बीमार थी और भागलपुर में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी। वह खुशहाल दांपत्य जीवन बिता रही थी। उसे अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया था। अभियोजन द्वारा उसका प्रति परीक्षण किया गया था किंतु अभियोजन द्वारा उसके प्रति परीक्षण में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं निकाला गया था। बचाव अधिवक्ता की ओर से उसके प्रति परीक्षण के दौरान उसने कथन किया कि अभियुक्त निरंजन शर्मा के चार भाई हैं और वे सब विगत छह वर्षों से अलग रह रहे हैं। उसके माता-पिता भी निरंजन शर्मा से अलग रह रहे हैं। निरंजन शर्मा ललमटिया ग्रिड में कार्यरत है। घटना के दिन पर मृतका घर में अकेली थी और अपीलार्थीगण भगवान शर्मा एवं सुनीता देवी पूजा करने देवघर गए थे। अपने प्रति परीक्षण के पैरा 5 में उसने कथन किया कि वह भी नेहा शर्मा के साथ अस्पताल गयी थी और मृत्यु के समय पर नेहा शर्मा ने अपना कमरा अंदर से बंद कर लिया था और दरवाजा तोड़कर उसे लाया गया था।

15. अ॰ सा॰ 10 घनश्याम यादव है। उसने कथन किया है कि मृतका एवं उसके पति के बीच बैरपूर्ण संबंध था और आगे कथन किया कि नेहा शर्मा की मृत्यु पेट दर्द एवं सरदर्द के कारण भागलपुर में हुई। गाँव वालों ने उसको बताया कि नेहा शर्मा की मृत्यु जहर देने से हुई। नेहा शर्मा का अपने सास-ससुर के साथ संबंध मधुर था। उसे अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया था और उसने आगे अभियोजन द्वारा दिए गए सुझाव से इनकार किया है कि उसने पुलिस के समक्ष बयान दिया है कि सास-ससुर सदैव मृतका को फटकारा करते थे। उसने अभियुक्तों को पहचाना भी है।

16. अ॰ सा॰ 11 मीरा देवी ने कथन किया है कि वह नेहा शर्मा को जानती थी और उसका विवाह निरंजन शर्मा के साथ संपन्न किया गया था। उनके बीच अच्छा संबंध नहीं था। उसने आगे कथन किया है कि 2½ वर्ष पहले नेहा शर्मा बीमारी के कारण अस्पताल गयी थी। डॉक्टर ने कहा था कि जहर खाने के कारण उसकी मृत्यु हुई थी। प्रति परीक्षण के दौरान उसने कथन किया कि मृतका की बीमारी के दिन पर वह सिंघेश्वर शर्मा, उसकी पत्नी और घनश्याम यादव के साथ नेहा के घर गयी और पाया कि वहाँ कोई नहीं था। नेहा शर्मा (मृतका) कमरा के अन्दर थी और उन्होंने उसे दरवाजा खोलने के लिए कहा किंतु उसने दरवाजा नहीं खोला था और तत्पश्चात उन्होंने दरवाजा तोड़ा था और मृतका को महगामा अस्पताल ले गए थे। उस समय पर उसका पति कर्तव्य पर था। उसके पति को फोन से कार्यालय से महगामा अस्पताल बुलाया गया था और उस समय पर सास-ससुर पूजा करने देवघर गए थे। मृतका को महगामा अस्पताल से भागलपुर अस्पताल निर्दिष्ट किया गया था और उसे उसके पति द्वारा भागलपुर ले जाया गया था। वह नेहा के पिता को जानती थी किंतु वह महगामा अस्पताल कभी नहीं आया था। नेहा का पिता भागलपुर से मृत शरीर के साथ निरंजन शर्मा के घर आया और उसके बाद वह श्राद्धकर्म के

दौरान उपस्थित भी था। उसने विवाह व्यय के बदले निरंजन शर्मा एवं उसके पिता से धन भी मांगा और यदि भुगतान नहीं किया जाता है, वह मामला संस्थित करेगा। निरंजन शर्मा ने धन नहीं दिया था। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि उसका घर नेहा शर्मा के घर के बगल में है।

17. अ॰ सा॰ 12 कंचन देवी ने कथन किया है कि नेहा शर्मा उसकी गोतनी है और नेहा शर्मा के पिता ने यह मामला दाखिल किया है। नेहा शर्मा की मृत्यु लगभग 2½ वर्ष पहले भागलपुर के मायागंज अस्पताल में हुई। नेहा का अपने पति के साथ संबंध अच्छा नहीं था। वह मृतका की मृत्यु के तरीके के बारे में नहीं जानती है। प्रति परीक्षण के दौरान उसने कथन किया कि घटना के दिन पर नेहा कमरा के अंदर थी और उसे दरवाजा तोड़ कर कमरा से हटाया गया था। उसे महगामा अस्पताल ले जाया गया था और तत्पश्चात भागलपुर निर्दिष्ट किया गया था। उसने यह कथन भी किया कि नेहा का पिता महगामा अस्पताल नहीं आया था। नेहा का पिता नेहा के मृत शरीर के साथ भागलपुर से महगामा आया और वह अंत्येष्टि के दौरान उपस्थित था। मृतका के पिता ने निरंजन शर्मा से विवाह का खर्च मांगा और जब उसने ऐसा करने से इनकार किया, तब उसे इस मामले में पक्षकार बनाया गया था।

18. अ॰ सा॰ 13 नरेश प्रसाद सिन्हा मामले का आई॰ ओ॰ है। उसने कथन किया है कि 8.8.2012 को वह महगामा पी॰ एस॰ में प्रभारी अधिकारी के रूप में पदस्थापित था और उसी दिन सायं 5 बजे सूचक ने लिखित रिपोर्ट दिया था और लिखित रिपोर्ट के आधार पर महगामा पी॰ एस॰ केस सं॰ 120 वर्ष 2012 संस्थित किया गया था और उसने स्वयं अन्वेषण का प्रभार लिया। उसने मामले के संस्थापन के संबंध में पृष्ठांकन सिद्ध किया है और औपचारिक प्राथमिकी भी सिद्ध किया है। जो क्रमशः प्रदर्श 3/1 एवं 6 हैं।

बचाव ने भी एक बचाव गवाह पेश किया है:-

19. ब॰ सा॰ 1 महेन्द्र चौधरी है। उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने दिनांक 18.8.2015 का पत्र सं॰ 179 पहचाना जिसे उसके द्वारा जारी किया गया है जो उसके हस्तलेखन एवं हस्ताक्षर में है और यह 29.7.2012 को अपराह्न 2 बजे से 10 बजे तक निरंजन की उपस्थिति उपदर्शित करता है और वह विद्युत नियंत्रण कक्ष में कर्तव्य पर था और लगातार उपस्थित था। इसे प्रदर्श A चिन्हित किया गया है। अपने प्रति-परीक्षण में उसने कथन किया है कि वह निरंजन के साथ कर्तव्य पर नहीं था किंतु उसने उपस्थिति रजिस्टर देखा था और निरंजन के सहयोगियों से भी सलाह किया था और तब उसने अपना बयान दिया है। उसने यह कथन भी किया है कि उसने सुनीत किशोर से परामर्श किया था जो निरंजन शर्मा के साथ कार्यरत था।

<u>तर्क</u>

20. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि 29.7.2012 को मृतका पेट दर्द से पीड़ित थी और उसे महगामा अस्पताल में अपीलार्थियों द्वारा भरती किया गया था और बेहतर इलाज के लिए निर्दिष्ट किए जाने पर उसे भागलपुर लाया गया था किंतु दुर्भाग्यवश इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गयी किंतु इस तथ्य पर विचार नहीं किया गया था। यह कथन भी किया गया है कि किसी भी स्वतंत्र गवाह ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है बल्कि वे पक्षद्रोही हो गए हैं और अन्य गवाह हितबद्ध गवाह हैं। आगे यह निवेदन किया गया है कि विसरा रिपोर्ट जो प्रदर्श 11 अंतर्विष्ट करता है, यह टिप्पणी करता है कि ''मेटलिक, अलकल्वायडल, पेस्टीसाइडल, वोलाटाईल अथवा नॉन वोलाटाइल जहर का पता नहीं लगाया जा सका था'' और इसलिए अपीलार्थियों के अधिवक्ता ने तर्क किया कि इस आधार पर संपूर्ण अभिकथन संदेह पूर्ण बन जाता है।

आगे यह निवेदन किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय अपीलार्थियों के आशय एवं हेतु का अधिमूल्यन करने में विफल रहा है कि जब और जैसे ही मृतका पेट दर्द से पीड़ित हुई थी, उसे उसके

ससुराल वालों द्वारा बेहतर इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था और जहर देने का संदेह विसरा रिपोर्ट (प्रदर्श 11) समर्थित नहीं है। यह निवेदन भी किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय यह विचारण करने में विफल रहा कि आरोप परिवर्तित किए बिना अपीलार्थी को जल्दबाजी में भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 498A के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है यद्यपि पूर्वोक्त धाराओं के अधीन आरोप विरचित नहीं किया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि विद्वान विचारण न्यायालय इसे विचार में लेने में विफल रहा कि साक्ष्य के उसी संवर्ग पर अन्य चार अभियुक्तों को दोषमुक्त किया गया है अत: अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करना स्वयं में गलत है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि गवाहों का साक्ष्य किसी भी स्वतंत्र गवाह द्वारा संपुष्ट नहीं किया है किंतु विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर भी विचार नहीं किया गया है और गवाहों के साक्ष्य एक-दूसरे के साथ संगत नहीं हैं और इसलिए उनके अभिसाक्ष्य में महत्वपूर्ण विरोधाभास है। संक्षेप में अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित बिंदुओं को सूचीबद्ध किया है:–

(i) अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है कि किसी अपराध अथवा क्रूरता के संबंध में हेतु की कमी है और अपीलार्थी के आचरण से अपराध नहीं बनता है। अपीलार्थीगण नेहा को महगामा में और पुन: भागलपुर में अस्पताल ले गए थे, यदि कोई अवैध आशय होता, तब वे किसी सकारात्मक तरीके से प्रत्युत्तर नहीं देते।

(ii) अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि प्राथमिकी दर्ज करने में 8 दिन का विलंब हुआ है जिसे स्पष्ट नहीं किया गया है। यह देखा गया है कि अपीलार्थियों के विरुद्ध किए गए अभिकथन गंभीर प्रकृति के हैं और विचारण भी गंभीर अभिकथन पर किया गया था। यदि ऐसा है, प्राथमिकी तुरन्त अथवा अगली तिथि पर दर्ज की गयी होती। किंतु इसे घटना की तिथि के 8 दिन बाद दर्ज किया गया था जिसे केवल यह इंगित करके स्पष्ट किया जा सकता है कि विलंब इसलिए हुआ था क्योंकि मनगढ़ंत कहानी बनाकर अभिकथन निर्मित किए गए थे और परिणामस्वरुप विलंब हुआ था, अन्यथा अपीलार्थियों के विरुद्ध मामला नहीं है।

(iii) अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया है कि अभियोजन का संपूर्ण मामला झूठा और आधारहीन है क्योंकि विसरा द्वारा जहर दिया जाना समर्थित नहीं है जिसे प्रदर्श 11 के रूप में चिन्हित किया गया है।

(iv) अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कथन किया है कि आरोप परिवर्तित किए बिना धारा 498A के अधीन दोषसिद्धि की गयी थी और इसके लिए दंडादेश अधिरोपित किया गया था जो विधित: संभव नहीं है और इसलिए, जब उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 304B/302 के अधीन अभिकथित अपराध के लिए दोषी अभिनिर्धारित नहीं किया गया है, तब आरोप परिवर्तित किए बिना अपीलार्थियों को धारा 498A के अधीन दोषी अभिनिर्धारित नहीं किया जाना चाहिए था।

(v) अपीलार्थियों के अधिवक्ता ने आगे तर्क किया है कि अभियोजन मामला स्थापित करने के लिए तर्कपूर्ण साक्ष्य नहीं है कि वर्तमान अपीलार्थियों ने दहेज मांगने के लिए मृतका को यातना दिया था। समस्त अभियुक्तों के विरुद्ध अभिकथन, यदि हो, सामान्य एवं ओमनी बस प्रकृति के हैं और दिया गया तथ्य कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304B अथवा धारा 302 के अधीन अभिकथन संपोषित नहीं किया गया है, तब भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अधीन अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करने का कारण क्या है क्योंकि क्रूरता या परेशानी या यातना धारा 304B के अवयव हैं और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन भी संभव है।

(vi) अपीलार्थियों के अधिवक्ता ने तर्क किया है कि अपराध के उसी संवर्ग पर अन्य चार अभियुक्तों को दोषमुक्त किया गया है, अत: अपराध के उसी संवर्ग पर वर्तमान अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करना संभव नहीं होगा।

(vii) उन्होंने यह तर्क भी किया है कि दहेज मांग एवं परेशानी एवं यातना का अभिकथन बाद में सोचा गया विचार है क्योंकि मूल लिखित रिपोर्ट अथवा फर्द बयान अवर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है और इसलिए, इसे सिद्ध नहीं किया गया है। बरारी पुलिस थाना के पुलिसकर्मियों की उपस्थिति में भागलपुर अस्पताल में दिया गया बताया गया मूल फर्दबयान/लिखित रिपोर्ट अभिलेख पर नहीं लाया गया है और इसे सच्चा फर्दबयान 1 लिखित रिपोर्ट नहीं कहा जा सकता है। अत:, अन्वेषण एवं मामला का विचारण दूषित हो गया है।

(viii) आगे यह कथन किया गया है कि प्रदर्श A स्थापन जहाँ अपीलार्थी निरंजन शर्मा भी कार्यरत था में कार्यरत व्यक्ति द्वारा लिखा गया दस्तावेज है और उसने परिसाक्ष्य दिया कि प्रासंगिक समय पर वह अपने कार्य स्थल पर था और इस दशा में उसे अभिकथित अपराध का दायी अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता था। जब झूठे अभिकथन जो धारा 304B अथवा धारा 302 के अधीन आरोप के तुल्य हैं किए गए थे, तब धारा 498A के अधीन दोषसिद्धि भी संपोषणीय नहीं है और खास कर इस मामले के पहले अपीलार्थियों के विरुद्ध अभिकथन नहीं है। अंत में, अपीलार्थी के अधिवक्ता ने तर्क किया है कि धारा 498A के अधीन दोषसिद्धि अ॰ सा॰ 1 से अ॰ सा॰ 4 के साक्ष्य पर आधारित है। किंतु, अपने अभिसाक्ष्य में दहेज मांग का अभिकथन संगत नहीं है और अपीलार्थियों के विरुद्ध एकरुपता से किया गया है।

21. राज्य की ओर से विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने तर्क किया है कि यद्यपि दोषसिद्धि केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अधीन की गयी है किंतु, यह देखा गया है कि अन्वेषण एवं विचारण के क्रम के दौरान अन्य गंभीर अभिकथन किए गए थे। यह भी देखा गया है कि भा॰ दं॰ सं॰ की धाराएँ 304B एवं 302 भी विवाद्यक बनाए गए हैं और मामले तथा अभिलेखों के तथ्यों एवं परिस्थितियों में कम से कम अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन दोषसिद्ध किया जाना चाहिए था। विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने कथन किया कि स्वयं लिखित रिपोर्ट में यह लिखा या कथन किया गया है कि उसने भागलपुर अस्पताल में बराई पुलिस थाना को बयान दिया था जिसे महगामा पुलिस थाना में प्राप्त नहीं किया गया था। अ॰ सा॰ 3 जो मृतका का भाई है के अभिसाक्ष्य को निर्दिष्ट करते हुए विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने निवेदन किया है कि उसने उस पत्र को निर्दिष्ट किया है जिसे उसने प्राप्त किया और जिसमें प्रहार एवं यातना, जैसा अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा किया गया था, उसकी मृतका बहन द्वारा उपदर्शित किया गया है। उसने निवेदन किया है कि अ॰ सा॰ 3 ने उल्लेख किया है कि वह अपनी बहन के दांपत्य गृह में था, वहाँ उसने अपीलार्थियों को टी॰ वी॰ एवं फ्रिज मांगते देखा और जब वह वापस लौटा, उसे तब फोन से ऐसी यातना के बारे में सूचित किया गया था।

22. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क भी किया है कि 29.7.2012 को निरंजन शर्मा द्वारा अपने ससुर (सूचक) को मिसकॉल दिया गया था जिसका जवाब मृतका के पिता ने बाद में दिया था और तब उसे सूचित किया गया था कि उसकी पुत्री को महगामा अस्पताल में भरती किया गया था। निरंजन शर्मा से यह कॉल या मिसकॉल केवल झूठी धारणा सृजित करने के लिए था और मृतका पुत्री के लिए अपनी चिंता दर्शाने के लिए था किंतु उक्त उल्लिखित अभियोजन गवाह के साक्ष्य से यह आया है कि अपीलार्थी ने दहेज मांगा था और प्रहार एवं यातना भी दिया था। विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने कथन किया है कि डॉक्टर ने भी कथन किया था कि यह जहर देने का संदिग्ध मामला है और भले ही विसरा रिपोर्ट जहर सम्मिलित नहीं करता है और यह स्थापित किया गया है कि दोषपूर्ण अन्वेषण का अर्थ परिस्थितियों की संपूर्णता में दोषमुक्ति नहीं है। इस साक्ष्य के संबंध में कि दरवाजा अंदर से बन्द था, राज्य के अधिवक्ता ने कहा कि अभिलेख अथवा लिखित रिपोर्ट से यह साक्ष्य में आया है कि उसे अभियुक्तों द्वारा कमरा

में बंद किया गया था और तब उसे टैबलेट जैसा पदार्थ खाने के लिए मजबूर किया गया था और वह पेट दर्द एवं उलटी का अनुभव करने लगी। पीड़िता ने केवल भय के कारण स्वयं को परेशान किए जाने से बचाने के लिए अंदर से दरवाजा बन्द किया था। कौन लड़की प्रहार एवं यातना के ऐसे लंबे इतिहास के बाद स्वयं को बचाना नहीं चाहेगी, अत: दरवाजा बंद करना उसकी ओर से सर्वाधिक स्वाभाविक था। उसने आगे कथन किया है कि महगामा अस्पताल में इस संबंध में दिया गया युवती का बयान मृत्यु कालिक कथन के रूप में लिया जा सकता है और इस प्रकार पूर्णत: विश्वसनीय है। आगे यह कथन किया गया है कि अ॰ सा॰ 2 जो मामा है द्वारा फोन के माध्यम से संदेश प्राप्त किया गया था और उसने कथन किया कि उसने दुर्भाग्यवश तुरन्त संदेश नहीं देखा था। संदेश देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि मृतका को दहेज मांग के लिए यातना दी गयी थी। उसने कहा कि संदेश निरंजन शर्मा के मोबाइल से अ॰ सा॰ 2 के मोबाइल पर आ रहा था और युवती ने मामा तक पहुँचने का और उसको स्थिति के बारे में सूचित करने का प्रयास किया था किंतु दुर्भाग्यवश इसे नजरअंदाज कर दिया गया था और अंतत: उसकी हत्या कर दी गयी थी। निरंजन शर्मा के अन्यत्र होने के अभिवचन के संबंध में, प्रदर्शित दस्तावेज से राज्य के अधिवक्ता ने कथन किया कि कुल कर्तव्य अवधि अथवा कर्तव्य का क्रम प्रदर्शित नहीं किया गया है। किंतु वह कहते हैं कि तब भी इसका अर्थ यह नहीं है कि पति दहेज मांग अथवा मृत्यु की ओर ले जाने वाली यातना का दोषी नहीं था। डॉक्टर के रिपोर्ट के संबंध में उन्होंने कहा कि चूँकि उसे लंबे समय ये यातना दी जा रही थी, अत: पीड़ित के शरीर पर निशान नहीं पाया गया था।

निष्कर्ष

23. दोनों पक्षों के अधिवक्ता को सुनने एवं मामला अभिलेख का परिशीलन करने पर और मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में निम्नलिखित संप्रेक्षण किए गए हैं और निष्कर्ष दिए गए हैं:

(a) सूचक अ॰ सा॰ 7 की लिखित रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि ससुराल वालों ने उसकी पुत्री को अपनी बी॰ ए॰ परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उसके साथ जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। उसे उसके पति निरंजन शर्मा द्वारा निर्ममतापूर्वक यातना दी गयी थी। आगे लिखित रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि महगामा अस्पताल में उसने इन तीनों अपीलार्थियों सहित अभियुक्तों द्वारा दी गयी यातना के बारे में उसको बताया था। जब उसे भागलपुर अस्पताल भी ले जाया गया था, तब इलाज के दौरान उसने सूचित किया कि उस पर अपीलार्थियों सहित अभियुक्तों द्वारा दहेज के लिए नियमित रूप से यातना दी जाती थी और उस पर प्रहार किया जाता था। किंतु, परिवार के सम्मान को ध्यान में रखते हुए उसने किसी से शिकायत नहीं किया था। महगामा पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी को संबोधित दिनांक 8.8.2012 के लिखित रिपोर्ट में यह आया है कि उसने भागलपुर अस्पताल में बराई पुलिस थाना के पुलिसकर्मियों को 31.7.2012 को वही परिवाद दिया था और इसे महगामा पुलिस थाना में प्राप्त नहीं किया गया था।

(b) यह देखा गया है कि सूचक (अ॰ सा॰ 7) ने अपने अभिसाक्ष्य में लिखित रिपोर्ट में बनाए गए अभियोजन मामले का समर्थन किया है और इन्हीं आरोपों को दोहराया है। आगे उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि उसकी पुत्री ने 20.7.2012 को प्रहार और अपने जीवन के प्रति खतरा के बारे में फोन के माध्यम से सूचित किया और कि तुरन्त अगली तिथि पर 21.7.2012 को वह उसे देखने गया, अत: यह प्रतीत होता है कि वह स्थिति से अवगत था और उसने निजी रूप से उसको प्रहार, यातना एवं परेशानी के बारे में अवगत कराया था। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थीगण अस्पताल से भाग गए और उसने उस पत्र के बारे में भी उल्लेख किया है जिसे अ॰ सा॰ 3 शियान्शु कुमार को दिया गया था। उसने यह अभिसाक्ष्य भी दिया कि उसने एक बार अपनी आँख खोली और कहा ''मामा संदेश''। अ॰ सा॰ 3 ने

अभिसाक्ष्य दिया है कि दुर्गापूजा के दौरान भी वह नेहा के ससुराल गया और वहाँ 2-3 दिन रूका। उसने यह अभिसाक्ष्य भी दिया कि नेहा की सास एवं भाभी ने टी॰ वी॰ एवं फ्रिज मांगा था। उसने यह अभिसाक्ष्य भी दिया कि फोन पर उसकी बहन उसे कहा करती थी कि उसके ससुरालवाले उसकी हत्या करने की धमकी देते थे। इस प्रकार वह बहन से प्रत्यक्ष सूचना पाने वाला व्यक्ति होगा और शायद अपीलार्थियों से मांग के संबंध में सूचना पाने वाला भी और चूँकि घटना 2012 की है, उसके लिए मोबाइल अथवा फोन पर अपनी बहन से बात करना बहुत मुश्किल नहीं होगा क्योंकि अब प्रत्येक नौजवान व्यक्ति को फोन उपलब्ध है और वे प्राय: ऐसे उपकरण का उपयोग करते हैं। उसने पत्र के बारे में भी अभिसाक्ष्य दिया है जिसे प्रदर्श 3 चिन्हित किया गया है जिसमें मृतका बहन ने यातना एवं अपने जीवन के प्रति खतरा के बारे में उल्लेख किया था। यद्यपि पत्र प्रदर्श 3 पर बचाव द्वारा आपत्ति की गयी थी किंतु फिर भी यह अभिलेख पर है। अ॰ सा॰ 2 विजय शर्मा जो मृतका का मामा है ने अपने अभिसाक्ष्य में एस॰ एम॰ एस॰ के बारे में कथन किया है जिसे उसको भेजा गया था और जिसने परेशानी एवं उसके जीवन के प्रति खतरा के बारे में उपदिर्शत किया था और इसे प्रदर्श 2 चिन्हित किया गया था। बचाव अधिवक्ता द्वारा इस पर भी आपत्ति की गयी थी किंतु यह अभिलेख पर है; यह साक्ष्य इस अर्थ में अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि यदि इस साक्ष्य को गंभीरतापूर्वक लिया जाता, तब मृतका शायद अभी जीवित होती। क्योंकि मृत्यु के पहले उसने यह एस॰ एम॰ एस॰ भेजा था किंतु दुर्भाग्यवश उसके मामा ने इसे तुरन्त नहीं देखा था। भूतलक्षी तिथि से नेहा की मृत्यु सहित घटना के संबंध में एस॰ एम॰ एस॰ की तिथि और साक्ष्य का क्रम इसे साक्ष्य का विश्वसनीय टुकड़ा बनाता है। अ॰ सा॰ 6 जो मृतका की माता है के साक्ष्य में दहेज मांग एवं प्रहार के संबंध में उल्लेख किया गया है और उसे अपीलार्थियों द्वारा उसको दिए गए टैबलेट के संबंध में जानकारी हुई जो घटनाओं का घातक क्रम प्रतीत होता है। अ॰ सा॰ 4 मृतका का बड़ा भाई है। उसने भी अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने टेलीफोन पर दहेज मांग एवं यातना के बारे में संदेश पाया था जो भी पुन: नवयुवकों की स्वाभाविक गतिविधि प्रतीत होती है। अ॰ सा॰ 8 डॉ॰ अरुण चंद्र राय हैं। उन्होंने मृतका नेहा द्वारा पेट दर्द तथा उलटी की शिकायत करने के संबंध में अभिसाक्ष्य दिया है। अ॰ सा॰ 11 मीरा देवी ने अभिसाक्ष्य दिया है कि पति एवं पत्नी के बीच अच्छा संबंध नहीं था और अ॰ सा॰ 10 ने भी अभिसाक्ष्य दिया है कि पति-पत्नी का मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं था। अ॰ सा॰ 13 नरेश प्रसाद सिन्हा वर्तमान मामले का अन्वेषण अधिकारी है और उसने लिखित रिपोर्ट सिद्ध किया है जो प्रदर्श 5 है। उसने औपचारिक प्राथमिकी भी सिद्ध किया है जिसे प्रदर्श 6 चिन्हित किया गया है। उसने घटनास्थल का परीक्षण भी किया था। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उसने बरारी पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी से संपर्क किया जिसने सूचित किया था कि फर्दबयान दर्ज किया गया था और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गयी थी जिसे महगामा पुलिस थाना भेजा गया था और यह रास्ता में खो गया था यद्यपि भाग्यवश इसकी प्रतियाँ बनायी गयी थी और महगामा पुलिस थाना भेजी गयी थी। उसने निरंजन शर्मा के फोन से विजय शर्मा के फोन पर भेजे गए अभिकथित संदेश का परीक्षण भी किया था और निष्कर्षित किया था कि संदेश/संसूचना कुल आठ बार 20.7.2012 को भेजा गया था। उसने कंप्यूटर से निकाले गए सी॰ डी॰ आर॰ को भी निर्दिष्ट किया है जिसे प्रदर्श 7/1 के रूप में चिन्हित किया गया है। अ॰ सा॰ 14 महगामा अस्पताल का पैरा मेडिकल स्टॉफ राघवेन्द्र प्रसाद सिंह है। उसने अभिसाक्ष्य दिया कि नेहा को उसके ससुराल वालों द्वारा लाया गया था और उसने पेट दर्द एवं उलटी की शिकायत की थी।

(c) अभिसाक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि परेशानी, यातना एवं दहेज मांग के समस्त अभिकथन अपीलार्थियों के विरुद्ध अभियोजन गवाहों द्वारा लघु अंतरों के साथ संपुष्ट किए गए हैं, किंतु अ॰ सा॰ 7, अ॰ सा॰ 3, अ॰ सा॰ 2, अ॰ सा॰ 6 एवं अ॰ सा॰ 4 जो भले ही प्रत्यक्ष अथवा निजी रूप से मृतका से संबंधित हैं के परिसाक्ष्य को यदि साथ लिया जाता है, वे एक-दूसरे के साथ संगत एवं विश्वसनीय हैं। मृतका बहन

के साथ दोनों भाईयों का वार्तालाप विश्वसनीय प्रतीत होता है। यह अभिलेख पर आया है कि अस्पताल के रास्ते में जब नेहा शर्मा बेहोश अथवा अर्द्धबेहोश अवस्था में थी, वह मामा की आवाज सुनने पर जाग गयी और उसको कहा ''मामा संदेश''। यह भी अत्यन्त स्वाभाविक प्रतीत होता है और न कि निर्मित कोई चीज। पत्र के प्रति भी निर्देश है जिसे प्राप्त किया गया है और प्रदर्श 3 के रूप में चिन्हित किया गया है। अ॰ सा॰ 10 एवं 11 के साक्ष्य में आया है कि पति-पत्नी का संबंध मधुर नहीं था। उक्त समस्त कारण कम से कम धारा 498A के अधीन बनने वाले अपराध की ओर इंगित करेंगे।

(d) यह भी देखा गया है कि आरंभ में प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अधीन दर्ज किया गया था और संदिग्ध जहर देने के अभिकथन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन विचारण किया गया था। किंतु, चूँकि संदेह का संकेत सिद्ध नहीं किया गया था और इस दशा में भारतीय दंड संहिता की धारा 304B एवं धारा 302 के अधीन आरोप छोड़ दिया गया था। किंतु, यदि भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304B के अवयवों को देखा जाता है, यातना एवं परेशानी के अवयव हैं। अब यदि कोई भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 498A को देखता है, यह देखा जाता है कि विधि विरुद्ध मांग के लिए क्रूरता का तत्व धारा का अवयव है, अतः भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 498A के अधीन अवयव अभी भी बना हुआ है और अपीलार्थीगण दोषसिद्धि के दायी है।

24. दोनों पक्षों के अधिवक्ता को सुनने पर एवं साक्ष्य का परिशीलन करने पर मैं अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अधीन दोषमुक्त करने का इच्छुक नहीं हूँ। अतः एस॰ टी॰ सं॰ 40 वर्ष 2013/266 वर्ष 2013 में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 10.3.2016 के दोषसिद्धि के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः, एस॰ टी॰ सं॰ 40 वर्ष 2013/266 वर्ष 2013 में पारित दिनांक 10.3.2016 की उनकी दोषसिद्धि मान्य ठहरायी जाती है। अभिलेख पर लाए गए आई॰ ए॰ से यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी सं॰ 1 निरंजन शर्मा पहले ही अधिरोपित दंडादेश भुगत चुका है। अतः, आगे अब दंडादेश की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अन्य दो अपीलार्थियों सं॰ 2 एवं 3 भगवान शर्मा उर्फ भगन शर्मा एवं सुनीता देवी जो क्रमशः दंडादेश के समय पर 86 एवं 75 वर्ष के थे के संबंध में, अभिलेख से प्रतीत होता है कि अपीलार्थी सं॰ 2 एवं 3 ने पहले ही अधिरोपित दंडादेश भुगत लिया है, किंतु यदि कोई दंडादेश अभी भी बना रहता है तब उनके अत्यन्त वृद्ध आयु को निर्णय के समय पर विचार करते हुए, विचारण की कठिनाई को देखते हुए उनका दंडादेश उनके द्वारा पहले ही भुगत ली गयी अवधि तक उपांतरित किया जाएगा। समस्त तीनों अपीलार्थियों को उनके जमानत बंधपत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

25. तद्नुसार यह अपील खारिज की जाती है।

26. दांडिक अपील सं॰ 335 वर्ष 2016 में पारित आदेश के आलोक में आई॰ ए॰ सं॰ 3032 वर्ष 2016 भी खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; Mkñ ,lñ ,uñ ikBd] U;k;efr

आशा देवी

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 3636 of 2012. Decided on 7th April, 2017.

सेवा विधि–अनुकंपा पर नियुक्ति–रद्दकरण–उस समय पर जब याची के मामला पर विचार किया गया था और अनुकंपा नियुक्ति रद्द की गयी थी, याची का पति नियमित कर्मचारी

नहीं था और इस दशा में, नियुक्ति सही प्रकार से रद्द की गयी थी–भूतलक्षी प्रभाव से नियुक्ति नहीं की जा सकती है–याची अपने पति की मृत्यु की तिथि से बीस वर्ष बाद उच्च न्यायालय के पास आयी है–मृतक निर्धारित कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा पर नियुक्ति का दावा करने का अधिकार नहीं है–रिट याचिका खारिज। (पैराएँ 6 से 8)

निर्णयज विधि.–(2005) 3 JLJR 38; (1997) 11 SCC 390; (1998) 9 SCC 485; (1994) 4 SCC 138—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. A.K. Mahato, For the Petitioner; Mr. Abhijeet Kumar Singh, For the Respondents

डॉ॰ एस॰ एन॰ पाठक, न्यायमूर्ति.–पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. वर्तमान रिट आवेदन में याची ने दिनांक 4.8.2008 के कार्यालय आदेश सं॰ 35 और दिनांक 10.7.2009 के मेमो सं॰ 556 द्वारा जारी पत्र की दृष्टि में दिनांक 8.11.1997 के कार्यालय आदेश सं॰ 79, मेमो सं॰ 782 जिसके द्वारा याची की अनुकंपा आधार पर नियुक्ति रद्द कर दी गयी है, के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है। याची ने आगे समस्त पारिणामिक लाभों के साथ दिनांक 22.9.1997 के मेमो सं॰ 685 में अंतर्विष्ट कार्यालय आदेश के तहत प्राधिकारी द्वारा की गयी नियुक्ति के निबंधनानुसार उसके पद ग्रहण को स्वीकार करने के लिए और दिनांक 22.9.1997 के मेमो सं॰ 685 के तहत अनुकंपा आधार पर उसको विधित: नियुक्त मानने के लिए प्रत्यर्थियों को निर्देश इप्सित किया है।

3. रिट याचिका में दिए गए तथ्य ये हैं कि जगदंबा ओझा को आरंभ में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में दैनिक मजदूरी पर काम पर लगाया गया था और उसने जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम जिला में अपने कर्तव्य का पालन किया। प्रत्यर्थियों के निर्णय की दृष्टि में, जगदम्बा ओझा की सेवा दिनांक 31.10.1983 के कार्यालय आदेश सं॰ 88 के तहत 350-425/- रुपया के वेतनमान में 31.10.1983 के प्रभाव से निर्धारित कर्मस्थापन में ली गयी थी। वेतनमान में निर्धारित कर्म स्थापन में उसके आमेलन के बाद, जगदंबा ओझा ने परिश्रमपूर्वक अपनी सेवा दिया। किंतु, जगदम्बा ओझा की मृत्यु अपनी विधवा (याची) को पीछे छोड़ते हुए 14.6.1992 को सेवारत रहते हो गयी। मृत्यु की तिथि पर, जगदंबा ओझा पूर्वी सिंहभूम जिला में नलकूप खलासी, घाटशिला सबडिविजन में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था। तत्पश्चात, याची जो कक्षा VI उत्तीर्ण है और जिसकी जन्मतिथि 11.5.1969 है ने अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन दिया। अध्यपेक्षित दस्तावेजों की प्रस्तुति के बाद और सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुशंसा किये जाने पर जिला अनुकंपा नियुक्ति कमिटी ने दिनांक 17.5.1997 की अपनी बैठक में याची के मामले पर विचार किया और 775-1025/-रुपयों के वेतनमान में वर्ग IV चपरासी के पद पर अनुकंपा आधार पर याची की नियुक्ति के लिए दिनांक 30.8.1997 का मेमो सं॰ 955 जारी किया। प्रत्यर्थियों द्वारा जारी नियुक्ति पत्र के अनुसरण में याची ने पद ग्रहण किया और चपरासी के रूप में कर्तव्य का निर्वहन करने लगी। केवल दो माह के अवसान के बाद दिनांक 8.11.1997 के मेमो सं॰ 782 के तहत एक अन्य कार्यालय आदेश सं॰ 79 जारी किया गया था जिसके द्वारा उसको अपना मामला रखने का अवसर अथवा किसी नोटिस के बिना इस आधार पर कि याची के पति ने निर्धारित कर्म स्थापन में दस वर्षों की सेवा पूरा नहीं किया था, अनुकंपा आधार पर याची की नियुक्ति रद्द कर दी गयी। पूर्वोक्त आदेश से व्यथित होकर, याची ने वर्तमान रिट याचिका दाखिल किया है।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि 16.5.2005 को दिए गए पूर्ण न्यायपीठ के निर्णय की दृष्टि में राज्य सरकार को निर्देश दिया गया था कि व्यक्ति जो पाँच वर्षों से निर्धारित कर्म स्थापन के अधीन कार्यरत थे, उनके मामलों को नियुक्ति की उनकी तिथि को ध्यान में लिए बिना स्थायी नियमित स्थापन में विचार में लिया जाएगा। विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि पूर्ण न्यायपीठ के निर्णय की दृष्टि में, प्रत्यर्थी सं॰ 2 के कार्यालय से दिनांक 1.8.2007 का पत्र जारी किया गया है और व्यक्तियों जो पाँच वर्षों से अधिक से निर्धारित कर्म स्थापन के अधीन कार्यरत थे की सेवाओं के नियमितिकरण के लिए संबंधित प्राधिकारियों को निर्देश दिया गया था। चूँकि याची के पति ने सेवा का आठ वर्ष सात माह बारह दिन पूरा किया था, अत:, विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसरण में जिला स्थापन कमिटी की बैठक की गयी थी और याची के पति की सेवा पर विचार किया गया था और 31.10.1983 के प्रभाव से सेवा पूरी करने के बाद 31.10.1988 के प्रभाव से नियमित स्थापन में लेने का निर्णय किया गया था। विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि याची के पति की सेवा के नियमितिकरण के संबंध में दिनांक 4.8.2008 के आदेश की जानकारी मिलने के बाद याची ने दिनांक 8.11.1997 के पूर्व आदेश जिसके द्वारा अनुकंपा आधार पर याची की नियुक्ति रद्द की गयी थी के रद्दकरण के लिए अभ्यावेदन दिया। विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याची को प्रत्यर्थियों की ओर से विलंब एवं ढिलाई की दृष्टि में पीड़ित होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है क्योंकि प्रत्यर्थियों ने ही 4.8.2008 को 31.10.1988 के प्रभाव से याची की सेवा नियमित किया था।

5. दूसरी ओर, प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में याची की प्रार्थना का जोरदार विरोध और निवेदन किया है कि आक्षेपित आदेश न्यायोचित है और दिनांक 8.11.1997 का रद्दकरण आदेश विधि के अनुरूप पारित किया गया है क्योंकि नियुक्ति पत्र जारी करने की तिथि पर याची की सेवा नियमित कभी नहीं की गयी थी और निर्धारित कर्म कर्मचारी के आश्रित अनुकंपा नियुक्ति के हकदार नहीं हैं।

6. चाहे जो भी हो, पक्षों के परस्पर विरोधी प्रतिवादों पर विचार करते हुंए इस न्यायालय का सुविचारित दृष्टिकोण है कि यद्यपि याची की सेवा भूतलक्षी प्रभाव से अर्थात् 31.10.1988 से 4.8.2008 को नियमित की गयी थी, आक्षेपित आदेश सही प्रकार से पारित किया गया है क्योंकि याची का पति नियमित स्थापन में नहीं था। याची द्वारा पूर्ण न्यायपीठ के निर्णय की व्याख्या भ्रामक है। इस न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ **राम प्रसाद सिंह बनाम झारखंड राज्य,** (2005)3 JLJR 38) मामले में दिनांक 16.5.2005 के निर्णय के तहत उक्त निर्णय के पैरा 17 में स्पष्ट निष्कर्ष पर आया:–

"17. .....

(i) fuèkkfjr de depkjhx.k ftUgku fuèkkfjr de LFkkiu e ,d in d fo#) ikp o"kk l vfèkd dh fujrj lok ijk fd;k g vkj tk vU;Fkk ik= g] dk mudh fu;fDr dh frfFk;k dk è;ku e fy, fcuk LFkk;h ¼fu;fer½ LFkkiu e mudh lok yu d fy, viu ekeyk ij fopkj fd, tku dk vfèkdkj gA fdr fuèkkfjr de depkjh tk nfud etnjh ij dk;jr g vkj dkb in èkkj.k ugh dj jg g] gdnkj ugh gA

(ii) fuèkkfjr de depkfj;k d vkfJr vudik vkèkkj ij fu;fDr dk nkok dju d gdnkj ugh g vkj

*(iii) fu;fer orueku e in d fo#) dk;jr fuèkkfjr de depkjh viuh lok fuofÙk ij vkj mudh eR; d ckn] mud mÙkjkfèkdkjh@vkfJr thO ihO ,QO ,o lkefgd chek jkf'k d vfrfjDr i 'ku@ikfjokfjd i 'ku] minku] vodk'k uxndj.k vkfn tl eR;&lg&lokfuofÙk ykHkk dk nkok dju d gdnkj g ;fn o vU;Fkk i 'ku] minku ,o vodk'k uxndj.k vftr dju d fy, vè;if{kr vgd vofèk dh lok nr gA**"*

मामले के अभिलेखों से यह भी प्रकट है कि याची की नियुक्ति 8.11.1997 को रद्द की गयी थी और वह उक्त रद्दकरण के 20 वर्ष बीतने के बाद अर्थात् वर्ष 2012 में इस न्यायालय के पास आयी है जो स्वयं विलंबित दावा के आधार पर वर्तमान रिट याचिका की खारिजी का पर्याप्त आधार है। अनुकंपा पर नियुक्ति का अधिकार बतौर दावा नहीं किया जा सकता है।

एम० एम० टी० सी० लि० बनाम प्रमोदा देवी, (1997)11 SCC 390 में पारित निर्णय के पैरा 4 में न्यायालय द्वारा संप्रेक्षित किया गया है:–

*"4. .... tlk bl U;k;ky; }kjk bfxr fd;k x;k g fd vudik ij fu;fDr dk mí'; erd depkjh d nfjn ifjokj d vpkud vku oky foÙkh; ldV l ikj iku d fy, l{ke cukuk g vkj u fd fu;ktu çnku djuk vkj depkjh dh eR; ek= mld ifjokj dk vudik fu;fDr dk gdnkj ugh cukrh gA**"*

एस० मोहन बनाम तमिलनाडु राज्य, (1998)9 SCC 485 में न्यायालय ने कथन किया:–

*"4. .... ifjokj dk foÙkh; ldV tk ;g ,dek= vtudrk dh eR; ij djrk g] ij fot; iku d fy, l{ke cukuk bldk mí'; gku d dkj.k vudik ij fu;ktu dk nkok dkb Hkh le; chru ,o ldV lekIr gku d ckn ugh fd;k tk ldrk g vkj iLrko ugh fn;k tk ldrk gA**"*

उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य, (1994)4 SCC 138 में समरुप दृष्टिकोण लिया गया था:–

*"6. .... ;fDr;Dr vofèk ftl fu;ek e fofufn"V djuk gkxk chru d ckn vudik ij fu;ktu çnku ugh fd;k tk ldrk gA , l fu;ktu d fy, fopkj fd;k tkuk fufgr vfèkdkj ugh g ftldk ç;kx Hkfo"; e fdlh le; fd;k tk ldrk gA ifjokj dk foÙkh; ldV ftldk lkeuk ;g ,dek= vUunkrk dh eR; ij djrk g ij fot; iku d fy, l{ke cukuk bldk mí'; gku d dkj.k vudik fu;ktu dk nkok dkb Hkh le; chru ,o ldV lekIr gku d ckn ugh fd;k tk ldrk g vkj çLrko ugh fn;k tk ldrk gA**"*

7. पूर्वोक्त तथ्यों, दिशा-निर्देशों एवं न्यायिक उद्घोषणाओं के समेकित प्रभाव के कारण इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि उस समय पर जब याची के मामला पर विचार किया गया था और अनुकंपा नियुक्ति रद्द की गयी थी, याची का पति नियमित कर्मचारी नहीं था और इस दशा में, नियुक्ति सही प्रकार से रद्द की गयी थी। भूतलक्षी प्रभाव से और इस तथ्य की दृष्टि में कि याची अपने पति की मृत्यु की तिथि से बीस वर्ष बाद इस न्यायालय के पास आयी है, नियुक्ति नहीं की जा सकती है। **राम प्रसाद सिंह (ऊपर)** में इस न्यायालय के पूर्ण न्यायपीठ के निर्णय ने पहले ही अभिनिर्धारित किया है कि निर्धारित कर्म कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा पर नियुक्ति का दावा करने का अधिकार नहीं है। अत:, यह न्यायालय आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं है।

8. तद्नुसार, यह रिट याचिका खारिज की जाती है।